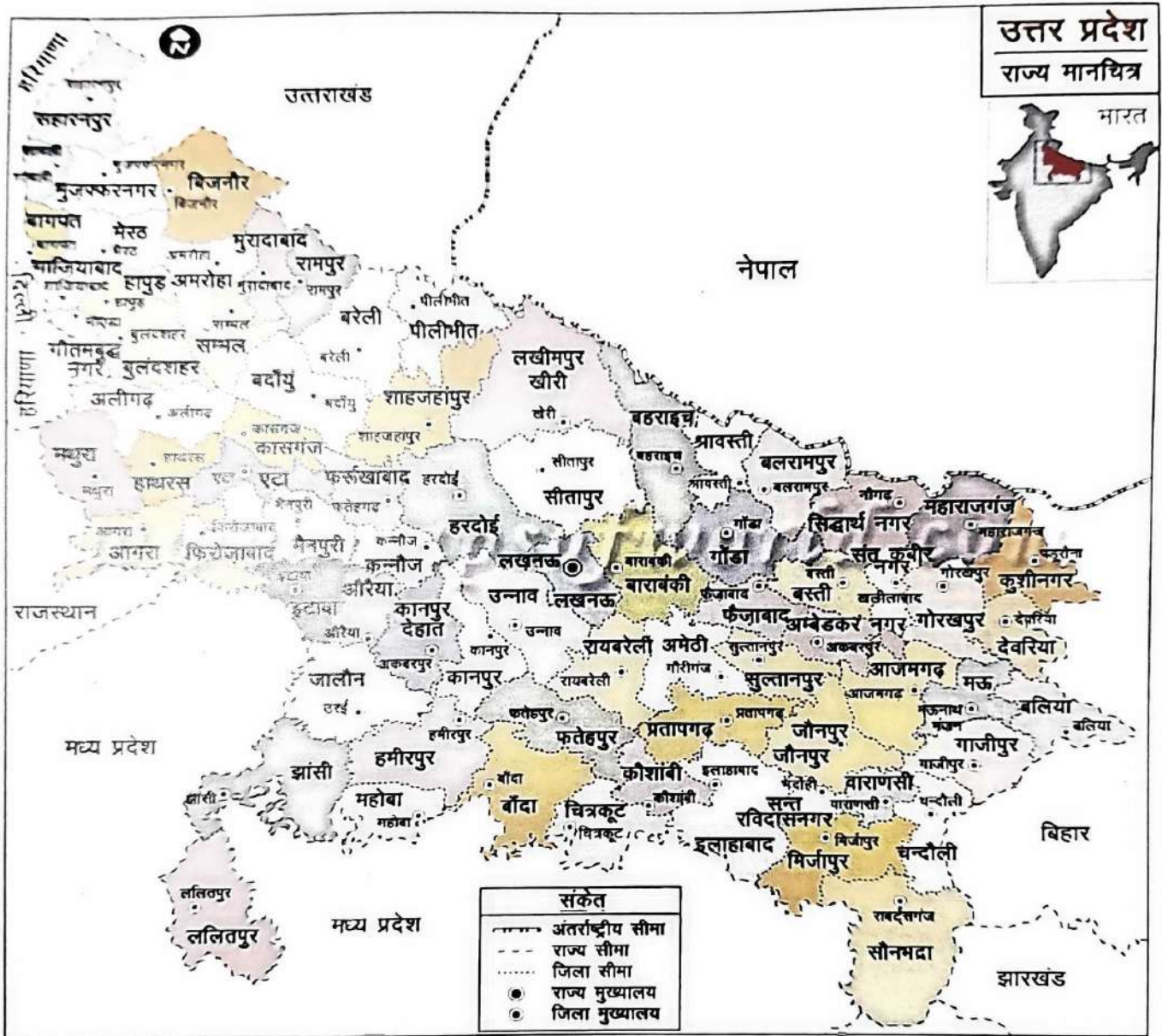


निदेशक सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा निदेशालय उ०प्र० लखनऊ।



**त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का
वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष 2020-2021
भाग-3**

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21
ग्राम पंचायत आगरा वर्ष 2020-21
जिला- आगरा

1. नाम ग्राम पंचायत- बलाई

विकास खण्ड-पिनाहट

नाम ग्राम प्रधान- श्री देवकी नंदन

नाम ग्राम पं० सचिव- श्री विकास वर्मा

प्रस्तर संख्या 1- ग्राम पंचायत बलाई में लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में कैशबुक (राज्य वित्त आयोग) में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि गबन की श्रेणी में आता है। अतः कैशबुक में ग्रामनिधि प्रथम के अन्तर्गत दर्शित व्यय रु0 3876441-00 की ब्याज सहित वसूली आधी आधी ग्राम प्रधान श्री देवकी नंदन, एवं श्री विकास वर्मा सचिव से की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -1

प्रस्तर संख्या 2- ग्राम पंचायत बलाई में लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा पोर्टल पर दर्शित निम्न विवरणानुसार व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक /अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए ।

मजदूरी पर व्यय -422166.00

सृजित मानव दिवस - 2137

कुल व्यय - 422166.00

अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि गबन की श्रेणी में आता है। अतः व्ययकी धनराशि रु0 422166.00 की ब्याज सहित वसूली आधी आधी ग्राम प्रधान श्री देवकी नंदन, एवं श्री विकास वर्मा, सचिव से की जानी अपेक्षित है आपत्ति संख्या -2

2. नाम ग्राम पंचायत- रेहा

विकास खण्ड-पिनाहट

नाम ग्राम प्रधान- श्रीमती सुनीता देवी

नाम ग्राम पं० सचिव- श्री मोहन कुमार

प्रस्तर संख्या 3- ग्राम पंचायत रेहा में लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में कैशबुक (राज्य वित्त आयोग) में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि गबन की श्रेणी में आता है। अतः कैशबुक में ग्रामनिधि प्रथम के अन्तर्गत दर्शित व्यय रु0 6222470-00 की ब्याज सहित वसूली आधी आधी ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी, एवं श्री मोहन कुमार सचिव से की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -1

प्रस्तर संख्या 4- ग्राम पंचायत रेहा में लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा पोर्टल पर दर्शित निम्न विवरणानुसार व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक /अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए ।

सामग्री पर व्यय - 1025683.00

मजदूरी पर व्यय -179895.00

सृजित मानव दिवस - 895

कुल व्यय - 1205578.00

अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि गबन की श्रेणी में आता है। अतः व्ययकी धनराशि रु0 1205578.00 की ब्याज सहित वसूली आधी आधी ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी, एवं श्री मोहन कुमार, सचिव से की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -2

3.नाम ग्राम पंचायत- अर्जुनपुरा

विकास खण्ड-पिनाहट

नाम ग्राम प्रधान- श्रीमती उर्मिला देवी

नाम ग्राम पं० सचिव- श्री राहुल शर्मा

प्रस्तर संख्या 5- ग्राम पंचायत अर्जुनपुरा में लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में कैशबुक (राज्य वित्त आयोग) में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि गबन की श्रेणी में आता है। अतः कैशबुक में ग्रामनिधि प्रथम के अन्तर्गत दर्शित व्यय रु० 2335470.00 की ब्याज सहित बसूली आधी आधी ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी एवं श्री राहुल शर्मा सचिव, से की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -1

प्रस्तर संख्या 6- ग्राम पंचायत रेहा में लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा पोर्टल पर दर्शित निम्न विवरणानुसार व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक /अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए ।

सामग्री पर व्यय - 496720.00

मजदूरी पर व्यय -184719.00

सृजित मानव दिवस - 919

कुल व्यय - 681439.00

अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि गबन की श्रेणी में आता है। अतः व्ययकी धनराशि रु० 681439.00 की ब्याज सहित बसूली आधी आधी ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी एवं सचिव श्री राहुल शर्मा से की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -2

4.नाम ग्राम पंचायत- रजौरा

विकास खण्ड-पिनाहट

नाम ग्राम प्रधान- श्री पुन्नी लाल

नाम ग्राम पं० सचिव- श्री गोपाल प्रताप सिंह

प्रस्तर संख्या 7- ग्राम पंचायत रजौरा में लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में कैशबुक (राज्य वित्त आयोग) में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि गबन की श्रेणी में आता है। अतः कैशबुक में ग्रामनिधि प्रथम के अन्तर्गत दर्शित व्यय रु० 3766499.00 की ब्याज सहित बसूली आधी आधी ग्राम प्रधान श्री पुन्नीलाल एवं श्री गोपाल प्रताप सिंह, सचिव से की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -1

प्रस्तर संख्या 8- ग्राम पंचायत रजौरा में लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा पोर्टल पर दर्शित निम्न विवरणानुसार व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक /अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए ।

सामग्री पर व्यय - 3064481.00

मजदूरी पर व्यय -109143.00

सृजित मानव दिवस - 543

कुल व्यय - 3173624.00

अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि गबन की श्रेणी में आता है। अतः व्ययकी धनराशि रु० 3173624.00 की ब्याज सहित बसूली आधी आधी ग्राम प्रधान श्री पुन्नीलाल एवं श्री गोपाल प्रताप सिंह, सचिव से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या -2

5.नाम ग्राम पंचायत- रूपधनु

विकास खण्ड-खन्दौली

नाम ग्राम प्रधान- श्री सुल्तान सिंह

नाम ग्राम पं० सचिव- श्री कमल सिंह

प्रस्तर संख्या 9- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कमल सिंह द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया है। ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त आयोग से

प्रविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु० 958781.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री बनबारी लाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महेश कुमार से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -2

9.नाम ग्राम पंचायत- बसेरी काजी

विकास खण्ड-फतेहपुर सीकरी

नाम ग्राम प्रधान- श्री विवेक कुमार

नाम ग्राम पं० सचिव- श्री विद्यासागर गुप्ता

प्रस्तर संख्या 17- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारी श्री विद्या सागर गुप्ता द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु० 2305623.00 का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है। जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्रविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल / वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु० 2305623.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान विवेक कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विद्या सागर गुप्ता से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -2

10.नाम ग्राम पंचायत- सरसा

विकास खण्ड-फतेहपुर सीकरी

नाम ग्राम प्रधान- श्री अनीश चाहर

नाम ग्राम पं० सचिव- श्री धर्मेन्द्र कुमार

प्रस्तर संख्या 18- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु० 1631068.00 का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्रविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल / वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु० 1631068.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री अनीश चाहर एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री धर्मेन्द्र कुमार से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -2

11.नाम ग्राम पंचायत- सीकरी चार हिस्सा

विकास खण्ड-फतेहपुर सीकरी

नाम ग्राम प्रधान- श्रीमती विमला देवी

नाम ग्राम पं० सचिव- श्री विद्यासागर गुप्ता

प्रस्तर संख्या 19- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारी श्री विद्या सागर गुप्ता द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु० 6062581.00 का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है। जिनके अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये।

जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्रविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल / वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु० 6062581.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान विमला देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विद्या सागर गुप्ता से ब्याज सहित आधा-आधा वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -2

12.नाम ग्राम पंचायत- सामरा

विकास खण्ड-फतेहपुर सीकरी

नाम ग्राम प्रधान- श्री छिददन सिंह भागौर

नाम ग्राम पं० सचिव- श्री धर्मेन्द्र कुमार

प्रस्तर संख्या 20-वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारी **श्री धर्मेन्द्र कुमार** द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु० **3294555.00** का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल / वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु० **3294555.00** गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री छिददन सिंह भागौर एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री **धर्मेन्द्र कुमार** से ब्याज सहित आधा-आधा वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -2

13. नाम ग्राम पंचायत-डाबर

विकास खण्ड-फतेहपुर सीकरी

नाम ग्राम प्रधान- श्री धरम सिंह

नाम ग्राम पं० सचिव- श्री धर्मेन्द्र कुमार

प्रस्तर संख्या 21-वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारी **श्री धर्मेन्द्र कुमार** द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु० **1606111.00** का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल / वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु० **1606111.00** गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री धरम सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री **धर्मेन्द्र कुमार** से ब्याज सहित आधा-आधा वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -2

14. नाम ग्राम पंचायत- सिंगारपुर

विकास खण्ड-फतेहपुर सीकरी

नाम ग्राम प्रधान- श्रीमती श्रीमती

नाम ग्राम पं० सचिव- श्री धर्मेन्द्र कुमार

प्रस्तर संख्या 22-वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारी **श्री धर्मेन्द्र कुमार** द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु० **1049508.00** का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल / वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु० **1049508.00** गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती श्रीमती एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री **धर्मेन्द्र कुमार** से ब्याज सहित आधा-आधा वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -2

15. नाम ग्राम पंचायत- भडकौल

विकास खण्ड-फतेहपुर सीकरी

नाम ग्राम प्रधान- श्री ओमप्रकाश

नाम ग्राम पं० सचिव- श्री धर्मेन्द्र कुमार

प्रस्तर संख्या 23-वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारी **श्री धर्मेन्द्र कुमार** द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु० **2979839.00** का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल / वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु० **2979839.00** गबन की श्रेणी में आता है। जिसे ग्राम प्रधान श्री ओमप्रकाश एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री **धर्मेन्द्र कुमार** से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -2

16. नाम ग्राम पंचायत- कोरई

विकास खण्ड-फतेहपुर सीकरी

नाम ग्राम प्रधान- श्रीमती अंगूरी देवी **नाम ग्राम पंचायत सचिव- श्री धर्मेन्द्र कुमार**

प्रस्तर संख्या 24- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारी श्री **धर्मेन्द्र कुमार** द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु० **2886784.00** का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल / वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु० **2886784.00** गबन की श्रेणी में आता है। जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती अंगूरी देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री **धर्मेन्द्र कुमार** से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -2

17. नाम ग्राम पंचायत- चुरियारी

विकास खण्ड-फतेहपुर सीकरी

नाम ग्राम प्रधान- श्री चंदन सिंह

नाम ग्राम पंचायत सचिव- श्री विद्यासागर गुप्ता

प्रस्तर संख्या 25- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारी श्री विद्यासागर गुप्ता द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु० **4192307.00** का उपभोग योजनाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल / वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु० **4192307.00** गबन की श्रेणी में आता है। जिसे ग्राम प्रधान श्री चंदन सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विद्यासागर गुप्ता से ब्याज सहित आधा-आधा वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -2

18. नाम ग्राम पंचायत- चित्राहार

विकास खण्ड-जैतपुर कलां

नाम ग्राम प्रधान- श्रीमती रेखादेवी

नाम ग्राम पंचायत सचिव- श्री उदय कुमार

प्रस्तर संख्या 26- ग्राम पंचायत चित्राहार में लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में कैशबुक (राज्य वित्त आयोग) में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि गबन की श्रेणी में आता है। अतः कैशबुक में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत दर्शित व्यय रु० 1139920-00 की ब्याज सहित वसूली आधी आधी ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा देवी, एवं श्री उदयकुमार सचिव से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या -1

प्रस्तर संख्या 27- ग्राम पंचायत चित्राहार में लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में कैशबुक (केन्द्रीय वित्त आयोग) में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक / अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष

कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि गबन की श्रेणी में आता है। अतः कैशबुक में केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत दर्शित व्यय रु0 1148430-00 की ब्याज सहित वसूली आधी आधी ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा देवी, एवं श्री उदय कुमार, सचिव से की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -2

19.नाम ग्राम पंचायत- करनपुरा

विकास खण्ड-जैतपुर कलां

नाम ग्राम प्रधान- श्रीमती गीता देवी

नाम ग्राम पं० सचिव- श्री दिनेश बाबू

प्रस्तर संख्या 28- ग्राम पंचायत करनपुरा में लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में कैशबुक (राज्य वित्त आयोग) में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि गबन की श्रेणी में आता है। अतः कैशबुक में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत दर्शित व्यय रु0 483549-00 की ब्याज सहित वसूली आधी आधी ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी, एवं श्री दिनेश बाबू सचिव से की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -1

प्रस्तर संख्या 29- ग्राम पंचायत करनपुरा में लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में कैशबुक (केन्द्रीय वित्त आयोग) में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक / अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि गबन की श्रेणी में आता है। अतः कैशबुक में केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत दर्शित व्यय रु0 524000-00 की ब्याज सहित वसूली आधी आधी ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी, एवं श्री दिनेश बाबू, सचिव से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या -2

20.नाम ग्राम पंचायत- खेडा राठौर

विकास खण्ड-जैतपुर कलां

नाम ग्राम प्रधान- श्री राकेश सिंह

नाम ग्राम पं० सचिव- श्री रोहित कुमार त्रिपाठी

प्रस्तर संख्या 30- ग्राम पंचायत खेडा राठौर में लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में कैशबुक (राज्य वित्त आयोग) में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि गबन की श्रेणी में आता है। अतः कैशबुक में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत दर्शित व्यय रु0 1580580-00 की ब्याज सहित वसूली आधी आधी ग्राम प्रधान श्री राकेश सिंह, एवं श्री रोहित कुमार त्रिपाठी सचिव से की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -1

प्रस्तर संख्या 31-ग्राम पंचायत खेडा राठौर में लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा पोर्टल पर दर्शित निम्न विवरणानुसार व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक /अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए ।

सामग्री पर व्यय - 1652990.00

मजदूरी पर व्यय -555966.00

सृजित मानव दिवस - 2766

कुल व्यय - 2208956.00

अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि गबन की श्रेणी में आता है। अतः व्यय की धनराशि रु0 2208956.00 की ब्याज सहित वसूली आधी आधी ग्राम प्रधान श्री राकेश सिंह, एवं श्री रोहित कुमार त्रिपाठी, सचिव से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या -2

21.नाम ग्राम पंचायत- मऊ

विकास खण्ड-जैतपुर कलां

नाम ग्राम प्रधान- श्रीमती रामादेवी

नाम ग्राम पं० सचिव- श्री सुरेन्द्र सिंह भदौरिया

प्रस्तर संख्या 32- ग्राम पंचायत मऊ में लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में कैशबुक (राज्य वित्त आयोग) में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि गबन की श्रेणी में आता है। अतः कैशबुक

में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत दर्शित व्यय रु0 1234346-00 की ब्याज सहित वसूली आधी आधी ग्राम प्रधान श्रीमती रामादेवी, एवं श्री सुरेन्द्र सिंह भदौरिया सचिव से की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -1
प्रस्तर संख्या 33-ग्राम पंचायत मऊ में लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में मनरेगा पोर्टल पर दर्शित निम्न विवरणानुसार व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक /अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए ।

सामग्री पर व्यय - 3028886.00

मजदूरी पर व्यय -1297857.00

सृजित मानव दिवस - 6457

कुल व्यय - 4326743.00

अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि गबन की श्रेणी में आता है। अतः व्यय की धनराशि रु0 4326743.00 की ब्याज सहित वसूली आधी आधी ग्राम प्रधान श्रीमती रामादेवी, एवं श्री सुरेन्द्र सिंह भदौरिया, सचिव से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या -2

22.नाम ग्राम पंचायत- गदौली कलाँ

विकास खण्ड-शमशाबाद

नाम ग्राम प्रधान- श्रीमती शकुन्तला

नाम ग्राम पं0 सचिव- श्री आमीन खाँ

प्रस्तर संख्या 34-वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आमीन खाँ द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक बिल वाउचर लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया बैंक स्टेटमेंट कैश बुक से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रु0 232320.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 क के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 232320.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती शकुन्तला एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आमीन खाँ से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -1

प्रस्तर संख्या 35-वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आमीन खाँ द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक/ बिल वाउचर लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया । बैंक स्टेटमेंट/ कैश बुक से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रु0 187921.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये ,जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधहेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 187921.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती शकुन्तला एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आमीन खाँ से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -2

23.नाम ग्राम पंचायत- पट्टी शेखपुर

विकास खण्ड-शमशाबाद

नाम ग्राम प्रधान- श्रीमती पूरन देवी

नाम ग्राम पं0 सचिव- श्री मनोज शाह

प्रस्तर संख्या 36- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज शाह द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक बिल वाउचर लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया बैंक स्टेटमेंट कैश बुक से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से ₹0 1946715.40 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये एजबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 क के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 1946715.40 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती पूरन देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज शाह से आधा . आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -1

प्रस्तर संख्या 37-वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज शाह द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक/ बिल वाउचर लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया | बैंक स्टेटमेंट/ कैश बुक से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से ₹0 419160.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 419160.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती पूरन देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज शाह से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -2

24.नाम ग्राम पंचायत- मुटनई

विकास खण्ड-शमशाबाद

नाम ग्राम प्रधान- श्रीमती प्रेमवती

नाम ग्राम पं0 सचिव- श्री मनोज कुमार

प्रस्तर संख्या 38-वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से ₹0 415700.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 415700.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमवती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -1

प्रस्तर संख्या 39- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से ₹0 1686446.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के

प्रविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 1686446.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमवती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -2

25.नाम ग्राम पंचायत- सुडरई

विकास खण्ड-शमशाबाद

नाम ग्राम प्रधान- श्रीमती सोमोती देवी

नाम ग्राम पं० सचिव- श्री मनोज कुमार

प्रस्तर संख्या 40-वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से ₹0 541322.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्रविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 541322.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती सोमोती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -1

प्रस्तर संख्या 41-वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से ₹0 1480043.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्रविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 1480043.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती सोमोती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -2

26.नाम ग्राम पंचायत- गुढा

विकास खण्ड-शमशाबाद

नाम ग्राम प्रधान- श्रीमती सिया देवी

नाम ग्राम पं० सचिव- श्री अशोक कुमार

प्रस्तर संख्या 42-वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से ₹0 829657.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्रविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 829657.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती सिया देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -1

प्रस्तर संख्या 43-वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से ₹0 2441048.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 2441048.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती सिया देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -2

27.नाम ग्राम पंचायत- जारौली

विकास खण्ड-शमशाबाद

नाम ग्राम प्रधान- श्री फौरन सिंह

नाम ग्राम पं० सचिव- श्री जय किशोर चाहर / अनुग्रह कुमार

प्रस्तर संख्या 44-वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय किशोर चाहर / अनुग्रह कुमार द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से ₹0 507566.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 507566.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीफौरन सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय किशोर चाहर / अनुग्रह कुमार से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -1

प्रस्तर संख्या 45-वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय किशोर चाहर / अनुग्रह कुमार द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से ₹0 355777.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 355777.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री फौरन सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय किशोर चाहर / अनुग्रह कुमार से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -2

28.नाम ग्राम पंचायत- लखुरानी

विकास खण्ड-शमशाबाद

नाम ग्राम प्रधान- श्री श्रीपति

नाम ग्राम पं० सचिव- श्री जय किशोर चाहर

अतः उपरोक्त व्यय रु0 2202957.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय किशोर चाहर से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -2

30.नाम ग्राम पंचायत- हिमायूपुर

विकास खण्ड-शमशाबाद

नाम ग्राम प्रधान- श्रीमति रंजना देवी

नाम ग्राम पं0 सचिव- श्री जय किशोर चाहर

प्रस्तर संख्या 50-वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय किशोर चाहर द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रु0 618104.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 618104.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती रंजना देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय किशोर चाहर से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -1

प्रस्तर संख्या 51-वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय किशोर चाहर द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रु0 1424862.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 1424862.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती रंजना देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय किशोर चाहर से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -2

31.नाम ग्राम पंचायत- भरा

विकास खण्ड-जगनेर

नाम ग्राम प्रधान- श्री श्री निवास

नाम ग्राम पं0 सचिव- श्री अरूण यादव

प्रस्तर संख्या 52-ग्राम पंचायत-भरा की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष-2020-21 में प्राप्त धनराशि से रु0 1714894 व्यय किया गया। लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बंधित कोई भी प्रमाणक, मजदूरी सम्बंधित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य व्यय से सम्बंधित कोई भी प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के खण्ड 07 के प्राविधानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर्स तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 के प्राविधानुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुए धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 1714894 गबन/अपहरण मानते हुये इस धनराशि की बसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री श्रीनिवास एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अरुण यादव से आतिथि दण्डात्मक ब्याज के साथ की जायेगी और बसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। आपति संख्या -1

32. नाम ग्राम पंचायत- कठुमरी

विकास खण्ड-जगनेर

नाम ग्राम प्रधान- श्री सन्तोष कुमार

नाम ग्राम पं0 सचिव- श्री अरुण यादव

प्रस्तर संख्या 53-ग्राम पंचायत कठुमरी की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राप्त धनराशि से रु0 1386538 व्यय किया गया। लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, मजदूरी सम्बन्धित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के खण्ड 07 के प्राविधानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर्स तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 के प्राविधानुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुये धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 1386538 गबन/अपहरण मानते हुये इस धनराशि की बसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री सन्तोष कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अरुण यादव से आतिथि दण्डात्मक ब्याज के साथ की जायेगी और बसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

आपति संख्या-1

33. नाम ग्राम पंचायत- मेवली

विकास खण्ड-जगनेर

नाम ग्राम प्रधान- श्री गोपाल दास

नाम ग्राम पं0 सचिव- श्री हुकुम सिंह

प्रस्तर संख्या 54-ग्राम पंचायत मेवली की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राप्त धनराशि से रु0 1694030 व्यय किया गया। लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, मजदूरी सम्बन्धित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के खण्ड 07 के प्राविधानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर्स तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 के प्राविधानुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुये धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 1694030 गबन/अपहरण मानते हुये इस धनराशि की बसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री गोपाल दास एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री हुकुम सिंह से आतिथि दण्डात्मक ब्याज के साथ की जायेगी और बसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। आपति संख्या-1

34. नाम ग्राम पंचायत- सिगांइच

विकास खण्ड-जगनेर

नाम ग्राम प्रधान- श्री संजय

नाम ग्राम पं0 सचिव- श्री हुकुम सिंह

प्रस्तर संख्या 55-ग्राम पंचायत सिगांइच की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राप्त धनराशि से रु0 2064602 व्यय किया गया। लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से

सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, मजदूरी सम्बन्धित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के खण्ड 07 के प्राविधानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर्स तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 के प्राविधानुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुए धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 2064602 गबन/अपहरण मानते हुए इस धनराशि की बसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री संजय एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री हुकुम सिंह से आतिथि दण्डात्मक ब्याज के साथ की जायेगी और बसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। आपत्ति संख्या-1

35.नाम ग्राम पंचायत- बमरौली

विकास खण्ड-फतेहाबाद

नाम ग्राम प्रधान- श्री सुरेश चन्द्र

नाम ग्राम पं0 सचिव- श्री सुरेश गौतम

प्रस्तर संख्या 56-ग्राम पंचायत बमरौली की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राप्त धनराशि से रु0 959406 व्यय किया गया। लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, मजदूरी सम्बन्धित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के खण्ड 07 के प्राविधानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर्स तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 के प्राविधानुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुए धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 959406 गबन/अपहरण मानते हुए इस धनराशि की बसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री सुरेश चंद्र एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सुरेश गौतम से आतिथि दण्डात्मक ब्याज के साथ की जायेगी और बसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। आपत्ति संख्या-2

36.नाम ग्राम पंचायत- बेहडी

विकास खण्ड-फतेहाबाद

नाम ग्राम प्रधान- सुश्री सुशीला देवी

नाम ग्राम पं0 सचिव- श्री सुरेश गौतम

प्रस्तर संख्या 57-ग्राम पंचायत बेहडी की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राप्त धनराशि से रु0 506336 व्यय किया गया। लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, मजदूरी सम्बन्धित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के खण्ड 07 के प्राविधानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर्स तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 के प्राविधानुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुए धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 506336 गबन/अपहरण मानते हुए इस धनराशि की बसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान सुश्री सुशीला देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सुरेश गौतम से आतिथि दण्डात्मक ब्याज के साथ की

जायेगी और बसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। आपत्ति संख्या-2

37. नाम ग्राम पंचायत- धौरी

विकास खण्ड-फतेहाबाद

नाम ग्राम प्रधान- सुश्री उर्मिला देवी

नाम ग्राम पं० सचिव- श्री सुरेश गौतम

प्रस्तर संख्या 58-ग्राम पंचायत धौरी की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राप्त धनराशि से ₹0 694154 व्यय किया गया। लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बंधित कोई भी प्रमाणक, मजदूरी सम्बंधित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य व्यय से सम्बंधित कोई भी प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के खण्ड 07 के प्राविधानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर्स तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 के प्राविधानुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुए धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 694154 गबन/अपहरण मानते हुए इस धनराशि की बसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान सुश्री उर्मिला देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सुरेश गौतम से आतिथि दण्डात्मक ब्याज के साथ की जायेगी और बसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

आपत्ति संख्या -2

38. नाम ग्राम पंचायत- भीकनपुर

विकास खण्ड-फतेहाबाद

नाम ग्राम प्रधान- श्री रामदत्त

नाम ग्राम पं० सचिव- श्री मुख्तार

प्रस्तर संख्या 59-ग्राम पंचायत-भीकनपुर की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राप्त धनराशि से ₹0 997847.80 व्यय किया गया। लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बंधित कोई भी प्रमाणक, मजदूरी सम्बंधित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य व्यय से सम्बंधित कोई भी प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के खण्ड 07 के प्राविधानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर्स तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 के प्राविधानुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुए धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 997847.80 गबन/अपहरण मानते हुए इस धनराशि की बसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री रामदत्त एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मुख्तार से आतिथि दण्डात्मक ब्याज के साथ की जायेगी और बसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। आपत्ति संख्या -2

39. नाम ग्राम पंचायत- जरारी

विकास खण्ड-फतेहाबाद

नाम ग्राम प्रधान- सुश्री पूनम

नाम ग्राम पं० सचिव- श्री यशबन्त

प्रस्तर संख्या 60-ग्राम पंचायत जरारी की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राप्त धनराशि से ₹0 1517851.20 व्यय किया गया। लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बंधित कोई भी प्रमाणक, मजदूरी सम्बंधित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य व्यय से सम्बंधित कोई भी प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के खण्ड 07 के प्राविधानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर्स तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध

कराये। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क के प्राविधानुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुये धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 1517851.20 गबन/अपहरण मानते हुये इस धनराशि की बसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान सुश्री पूनम एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री यशवंत से आतिथि दण्डात्मक ब्याज के साथ की जायेगी और बसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। आपत्ति संख्या-2

40.नाम ग्राम पंचायत- पैंतीखेडा

विकास खण्ड-फतेहाबाद

नाम ग्राम प्रधान- श्रीमती स्नेहलता

नाम ग्राम पं0 सचिव- श्री रामबिलास

प्रस्तर संख्या 61-ग्राम पंचायत पैंतीखेडा की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे प्राप्त धनराशि से रु0 3914528.20 व्यय किया गया। लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, मजदूरी सम्बन्धित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के खण्ड 07 के प्राविधानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर्स तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क के प्राविधानुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुये धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 3914528.20 गबन/अपहरण मानते हुये इस धनराशि की बसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती स्नेहलता एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रामबिलास से आतिथि दण्डात्मक ब्याज के साथ की जायेगी और बसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। आपत्ति संख्या-2

41.नाम ग्राम पंचायत- रनपुरा

विकास खण्ड-फतेहाबाद

नाम ग्राम प्रधान- श्री गिरजेश

नाम ग्राम पं0 सचिव- श्री सौरभ

प्रस्तर संख्या 62-ग्राम पंचायत रनपुरा की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे प्राप्त धनराशि से रु0 1814094.80 व्यय किया गया। लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, मजदूरी सम्बन्धित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के खण्ड 07 के प्राविधानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर्स तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क के प्राविधानुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुये धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 1814094.80 गबन/अपहरण मानते हुये इस धनराशि की बसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री गिरजेश एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सौरभ से आतिथि दण्डात्मक ब्याज के साथ की जायेगी और बसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। आपत्ति संख्या-2

42.नाम ग्राम पंचायत- बाजिदपुर

विकास खण्ड-फतेहाबाद

नाम ग्राम प्रधान- सुश्री गुलाब देवी

नाम ग्राम पं0 सचिव- श्री रामबिलास

प्रस्तर संख्या 63-ग्राम पंचायत वाजिदपुर की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राप्त धनराशि से रु0 3412311.20 व्यय किया गया। लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, मजदूरी सम्बन्धित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के खण्ड 07 के प्राविधानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रवेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर्स तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 के प्राविधानुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुए धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 3412311.20 गबन/अपहरण मानते हुए इस धनराशि की बसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान सुश्री गुलाब देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राम विलास से आतिथि दण्डात्मक ब्याज के साथ की जायेगी और बसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

आपत्ति संख्या-2

43.नाम ग्राम पंचायत- बृथला

विकास खण्ड-सैंया

नाम ग्राम प्रधान-श्रीमती राजाबेटी

नाम ग्राम पं0 सचिव- श्री अनिल कुमार

प्रस्तर संख्या 64-आलोच्य वर्ष में संस्था को कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम राज्य वित्त खाते में रु0 13,49,229.00 का अनुदान प्राप्त हुआ वहीं संस्था के द्वारा कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार विविध कृत कार्यों हेतु विभिन्न फर्मों व व्यक्तियों को ग्रामनिधि प्रथम राज्य वित्त खाते से रु0 17,66,513.00 की धनराशि का भुगतान/आहरण दर्शित किया गया हैं जबकि उक्त आहरित/ भुगतानित धनराशि के सापेक्ष संस्था के द्वारा प्रमाणित बिल /बाउचर /मस्टर रोल/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे आहरित/ भुगतानित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो कि ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के प्रस्तर-8-(क) के प्राविधानों का उल्लघन हैं, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक दर्शित व्यय के सापेक्ष प्रमाणित बिल/ बाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना, संबन्धित ग्राम प्रधान व सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व हैं, अन्यथा की स्थिति में आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली समान रूप से संबन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी, का प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतुलेखा मैनुअलके अध्याय-08 के प्रस्तर-8-(क) के प्राविधानों के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा ग्राम निधि प्रथम राज्य वित्त खाते से आहरित/ भुगतानित रु0 17,66,513.00 की धनराशि गबन/ अपहरण की श्रेणी में आती हैं, की ब्याज सहित बसूली समान रूप से संबन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती राजा बेटी व सचिव श्री अनिल कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

इसी प्रकार आलोच्य वर्ष में संस्था को कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम केन्द्र वित्त खाते में रु0 23,65,235.00 का अनुदान प्राप्त हुआ वहीं संस्था के द्वारा कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार विविध कृत कार्यों हेतु विभिन्न फर्मों व व्यक्तियों को ग्राम निधि प्रथम केन्द्र वित्त खाते से रु0 14,18,684.00 की धनराशि का भुगतान/ आहरण दर्शित किया गया हैं जबकि उक्त आहरित/ भुगतानित धनराशि के सापेक्ष संस्था के द्वारा प्रमाणित बिल/ बाउचर/ मस्टर रोल/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे आहरित/ भुगतानित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो कि ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के प्रस्तर-8-(क) के प्राविधानों का उल्लघन हैं, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक दर्शित व्यय के सापेक्ष प्रमाणित बिल/ बाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना, संबन्धित ग्राम प्रधान व सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व हैं, अन्यथा की स्थिति में आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली समान रूप से संबन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी, का प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के प्रस्तर-8-(क) के प्राविधानों के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा ग्राम निधि प्रथम केन्द्र वित्त खाते से आहरित/ भुगतानित रु0 14,18,684.00 की धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आती हैं, की ब्याज सहित बसूली समान रूप से संबन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती राजा बेटी व सचिव श्री अनिल कुमार से किया जाना अपेक्षित है।
आपत्ति संख्या -11(1)

44.नाम ग्राम पंचायत- लादूखेडा

विकास खण्ड-सैंया

नाम ग्राम प्रधान-श्री मोनू वर्मा

नाम ग्राम पं0 सचिव- श्री संजीव चौहान

प्रस्तर संख्या 65-आलोच्य वर्ष में संस्था को कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम राज्य वित्त खाते में रु0 20,27,445.00 का अनुदान प्राप्त हुआ वहीं संस्था के द्वारा कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार विविध कृत कार्यों हेतु विभिन्न फर्मों व व्यक्तियों को ग्रामनिधि प्रथम राज्य वित्त खाते से रु0 46,29,099.00 की धनराशि का भुगतान/ आहरण दर्शित किया गया हैं जबकि उक्त आहरित/ भुगतानित धनराशि के सापेक्ष संस्था के द्वारा प्रमाणित बिल/ बाउचर/मस्टर रोल/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे आहरित/ भुगतानित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो कि ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के प्रस्तर-8-(क) के प्राविधानों का उल्लंघन हैं, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक दर्शित व्यय के सापेक्ष प्रमाणित बिल/बाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना, संबन्धित ग्राम प्रधान व सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व हैं, अन्यथा की स्थिति में आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली समान रूप से संबन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी, का प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के प्रस्तर-8-(क) के प्राविधानों के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा ग्रामनिधि प्रथम राज्य वित्त खाते से आहरित/ भुगतानित रु0 46,29,099.00 की धनराशि गबन/ अपहरण की श्रेणी में आती हैं, की ब्याज सहित बसूली समान रूप से संबन्धित ग्राम प्रधान श्री मोनू बर्मा व सचिव श्री संजीव चौहान से किया जाना अपेक्षित है।

इसी प्रकार आलोच्य वर्ष में संस्था को कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम केन्द्र वित्त खाते में रु0 35,01,707.00 का अनुदान प्राप्त हुआ वहीं संस्था के द्वारा कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार विविध कृत कार्यों हेतु विभिन्न फर्मों व व्यक्तियों को ग्रामनिधि प्रथम केन्द्र वित्त खाते से रु0 17,43,632.00 की धनराशि का भुगतान/आहरण दर्शित किया गया हैं जबकि उक्त आहरित/ भुगतानित धनराशि के सापेक्ष संस्था के द्वारा प्रमाणित बिल/ बाउचर/ मस्टर रोल/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे आहरित/ भुगतानित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो कि ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के प्रस्तर-8-(क) के प्राविधानों का उल्लंघन हैं, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक दर्शित व्यय के सापेक्ष प्रमाणित बिल/बाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना, संबन्धित ग्राम प्रधान व सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व हैं, अन्यथा की स्थिति में आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली समान रूप से संबन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी, का प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के प्रस्तर-8-(क) के प्राविधानों के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा ग्रामनिधि प्रथम केन्द्र वित्त खाते से आहरित/ भुगतानित रु0 17,43,632.00 की धनराशि गबन/ अपहरण की श्रेणी में आती हैं, की ब्याज सहित बसूली समान रूप से संबन्धित ग्राम प्रधान श्री मोनू बर्मा व सचिव श्री संजीव चौहान से किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या -11(1)

45.नाम ग्राम पंचायत- चागौली

विकास खण्ड-बाह

नाम ग्राम प्रधान-श्रीमती सुषमा देवी

नाम ग्राम पं0 सचिव- श्री श्याम प्रकाश

प्रस्तर संख्या 66-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक पास बुक के अतिरिक्त कोई भी मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया। कैशबुक एवं बैंक पास बुक व ई ग्राम स्वराज पोर्टल द्वारा प्राप्त अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा (14 वित्त आयोग एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान) कुल व्यय प्रमाणको द्वारा विभिन्न मदों में कुल ₹01679180.00 व्यय किया गया लेकिन उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टरॉल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु मूल रूप में प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय समिष्टी के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरॉल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 1679180.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती सुषमा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री श्याम प्रकाश से आधी आधी (वसूली तिथि तक) दण्डात्मक ब्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है।
आपति संख्या -1

46.नाम ग्राम पंचायत- गूंगावेली

विकास खण्ड-बाह

नाम ग्राम प्रधान-श्रीमती नीरज कुमारी

नाम ग्राम पं० सचिव- श्री श्याम प्रकाश

प्रस्तर संख्या 67-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक पास बुक के अतिरिक्त कोई भी मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया। कैशबुक एवं बैंक पास बुक व ई ग्राम स्वराज पोर्टल द्वारा प्राप्त अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा (14 वित्त आयोग एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान) कुल व्यय प्रमाणको द्वारा विभिन्न मदों में कुल ₹02535899.00 व्यय किया गया लेकिन उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टरॉल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु मूल रूप में प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय समिष्टी के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरॉल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 2535899.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती नीरज कुमारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री श्याम प्रकाश से आधी आधी (वसूली तिथि तक) दण्डात्मक ब्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है। आपति संख्या -1

47.नाम ग्राम पंचायत- बिचौला

विकास खण्ड-बाह

नाम ग्राम प्रधान-श्री रूप सिंह

नाम ग्राम पं० सचिव- श्री श्याम प्रकाश

प्रस्तर संख्या 68-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक पास बुक के अतिरिक्त कोई भी मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया। कैशबुक एवं बैंक पास बुक व ई ग्राम स्वराज पोर्टल द्वारा प्राप्त अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा (14 वित्त आयोग एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान) कुल व्यय प्रमाणको द्वारा विभिन्न मदों में कुल ₹01379207.00 व्यय किया गया लेकिन उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टरॉल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु मूल रूप में प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय समिष्टी के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरॉल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 1379207.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री रूप सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री श्याम प्रकाश से आधी आधी (वसूली तिथि तक) दण्डात्मक ब्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है।
आपति संख्या -1

48.नाम ग्राम पंचायत- फरैरा

विकास खण्ड-बाह

नाम ग्राम प्रधान-श्रीमती राजेन्द्री देवी

नाम ग्राम पं0 सचिव- श्री अजय कुमार

प्रस्तर संख्या 69-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक पास बुक के अतिरिक्त कोई भी मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया। कैशबुक एवं बैंक पास बुक व ई ग्राम स्वराज पोर्टल द्वारा प्राप्त अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा (14 वित्त आयोग एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान) कुल व्यय प्रमाणको द्वारा विभिन्न मदों में कुल रु06325028.00 व्यय किया गया लेकिन उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टरॉल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु मूल रूप में प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय समिष्टी के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरॉल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 6325028.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती राजेन्द्री देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय कुमार से आधी आधी (वसूली तिथि तक) दण्डात्मक ब्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है। आपति संख्या -1

49.नाम ग्राम पंचायत- गोपालपुरा

विकास खण्ड-बाह

नाम ग्राम प्रधान-श्री जगन्नाथ

नाम ग्राम पं0 सचिव- श्री लक्ष्मीराज यादव

प्रस्तर संख्या 70-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक पास बुक के अतिरिक्त कोई भी मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया। कैशबुक एवं बैंक पास बुक व ई ग्राम स्वराज पोर्टल द्वारा प्राप्त अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा (14 वित्त आयोग एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान) कुल व्यय प्रमाणको द्वारा विभिन्न मदों में कुल रु01920387.20 व्यय किया गया लेकिन उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टरॉल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु मूल रूप में प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय समिष्टी के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरॉल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 1920387.20 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री जगन्नाथ एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लक्ष्मीराज यादव से आधी आधी (वसूली तिथि तक) दण्डात्मक ब्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है। आपति संख्या -1

50.नाम ग्राम पंचायत-रैपुरा भदौरिया

विकास खण्ड-बाह

नाम ग्राम प्रधान-श्रीमती शारदा देवी

नाम ग्राम पं0 सचिव- श्री लक्ष्मीराज यादव

प्रस्तर संख्या 71-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक पासबुक के अतिरिक्त कोई भी मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया। कैशबुक एवं बैंक पास बुक व ई ग्राम स्वराज पोर्टल द्वारा प्राप्त अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा (14 वित्त आयोग एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान) कुल व्यय प्रमाणको द्वारा विभिन्न मदों में कुल रु01296635.00 व्यय किया गया लेकिन उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टरॉल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु मूल रूप में प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय समिष्टी के सापेक्ष प्रमाणित

वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरॉल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 1296635.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती शारदा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लक्ष्मीराज यादव से आधी आधी (वसूली तिथि तक) दण्डात्मक ब्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है।
आपत्ति संख्या -1

51.नाम ग्राम पंचायत-सितौली

विकास खण्ड-खेरागढ

नाम ग्राम प्रधान-श्री देव प्रकाश

नाम ग्राम पं० सचिव- श्री रामेश्वर प्रसाद तिवारी

प्रस्तर संख्या 72-वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेश्वर प्रसाद तिवारी द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से ₹0 1962337.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी ।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 1962337.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री देव साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है । आपत्ति संख्या -1

प्रस्तर संख्या 73-वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेश्वर प्रसाद तिवारी द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से ₹0 823357.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 823357.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री देव प्रकाश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेश्वर प्रसाद तिवारी से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है । आपत्ति संख्या -2

प्रस्तर संख्या 74-मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में कुल 6815 मानव दिवस सृजित कर मजदूरी पर ₹0 1369815.00 एवं निर्माण सामग्री पर ₹0 1979664.00 कुल ₹0 3349479.00 अनुदान उपभोग किया , लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 3349479.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री देव प्रकाश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेश्वर प्रसाद तिवारी से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है
आपति संख्या -3

52.नाम ग्राम पंचायत- सलेहनगर बरबर

विकास खण्ड-खेरागढ

नाम ग्राम प्रधान-श्री राम बाई

नाम ग्राम पं0 सचिव- श्री जय किशन

प्रस्तर संख्या 75-वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार आर्या द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 1572740.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी ।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1572740.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती रामबाई एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नवीन कुमार सोलंकी से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है । आपति संख्या -1

प्रस्तर संख्या 76-वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार आर्या द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 2929176.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 2929176.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती रामबाई एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नवीन कुमार सोलंकी से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है । आपति संख्या -2

प्रस्तर संख्या 77-मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में कुल 560 मानव दिवस सृजित कर मजदूरी पर रू0 112560.00 एवं निर्माण सामग्री पर रू0 121057.00 कुल रू0 233617.00 अनुदान उपभोग किया , लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 233617.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती रामबाई एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नवीन कुमार सोलंकी से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है आपति संख्या -3

53.नाम ग्राम पंचायत-महुआ खेडा

विकास खण्ड-खेरागढ

नाम ग्राम प्रधान-श्रीमती अनीता

नाम ग्राम पं0 सचिव- श्री रामेश्वर प्रसाद तिवारी

प्रस्तर संख्या 78-वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेश्वर प्रसाद तिवारी द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 581600.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर

एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 581600.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेश्वर प्रसाद तिवारी से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -1

प्रस्तर संख्या 79- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेश्वर प्रसाद तिवारी द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से ₹0 742200.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 742200.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेश्वर प्रसाद तिवारी से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -2

प्रस्तर संख्या 80-मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में कुल 320 मानव दिवस सृजित कर मजदूरी पर ₹0 64320.00 एवं निर्माण सामग्री पर ₹0 416956.00 कुल ₹0 481276.00 अनुदान उपभोग किया, लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 481276.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेश्वर प्रसाद तिवारी से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है आपत्ति संख्या -3

54.नाम ग्राम पंचायत-डूंगरवाला

विकास खण्ड-खेरागढ़

नाम ग्राम प्रधान-श्री विपती राम

नाम ग्राम पंच सचिव- श्री रामेश्वर प्रसाद तिवारी

प्रस्तर संख्या 81-वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेश्वर प्रसाद तिवारी द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से ₹0 1333025.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 1333025.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री विपती राम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेश्वर प्रसाद तिवारी से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -1

प्रस्तर संख्या 82- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेश्वर प्रसाद तिवारी द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से ₹0 2030374.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 2030374.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री विपती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेश्वर प्रसाद तिवारी से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -2

प्रस्तर संख्या 83- मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में कुल 4280 मानव दिवस सृजित कर मजदूरी पर ₹0 860280.00 एवं निर्माण सामग्री पर ₹0 44997.00 कुल ₹0 905277.00 अनुदान उपभोग किया, लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 905277.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री विपती राम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेश्वर प्रसाद तिवारी से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -3

55.नाम ग्राम पंचायत-लखनपुरा

विकास खण्ड-खेरागढ़

नाम ग्राम प्रधान-श्री नन्हे खां

नाम ग्राम पं० सचिव- श्री राकेश कुमार निर्मल

प्रस्तर संख्या 84- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत लखनपुरा के सचिव द्वारा दिनांक 01/04/2020 से 31/07/2020 तक कार्यरत सचिव श्री राकेश कुमार निर्मल व ग्राम प्रधान द्वारा ₹0 266065.00 राज्य वित्त आयोग निधि से आहरण किया गया लेकिन निर्माण समिती क्रय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टराल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद/पत्रावली लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय समिती के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टराल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जाच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹ 266065.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री नन्हे खां एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश कुमार निर्मल से दण्डात्मक ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ ही विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है आपत्ति संख्या -1

प्रस्तर संख्या 85-मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में कुल 3420 मानव दिवस सृजित कर मजदूरी पर ₹0 687420.00 एवं निर्माण सामग्री पर ₹ 17999.00 कुल ₹ 705419.00 अनुदान उपभोग किया, लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है

तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 705419.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री नन्हे खां एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश कुमार निर्मल से दण्डात्मक ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ ही विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है आपति संख्या -2

56. नाम ग्राम पंचायत-दनकशा

विकास खण्ड-खेरागढ

नाम ग्राम प्रधान-श्री राजकुमार

नाम ग्राम पंच सचिव- श्री रामेश्वर प्रसाद तिवारी

प्रस्तर संख्या 86- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेश्वर प्रसाद तिवारी द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रु0 607226.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी ।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 607226.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री राजकुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेश्वर प्रसाद तिवारी से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है । आपति संख्या -1

प्रस्तर संख्या 87- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेश्वर प्रसाद तिवारी द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रु0 1401850.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 1401850.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री राजकुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेश्वर प्रसाद तिवारी से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है । आपति संख्या -2

प्रस्तर संख्या 88- मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में कुल 2426 मानव दिवस सृजित कर मजदूरी पर रु0 487626.00 एवं निर्माण सामग्री पर रु0 485075.00 कुल रु0 972701.00 अनुदान उपभोग किया , लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 972701.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री राजकुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेश्वर प्रसाद तिवारी से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है आपति संख्या -3

57.नाम ग्राम पंचायत-बुरहरा**विकास खण्ड-खेरागढ****नाम ग्राम प्रधान-श्री भवानी सिंह****नाम ग्राम पं० सचिव- श्री जयकिशन**

प्रस्तर संख्या 89-वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार आर्या द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से ₹0 1200197.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 1200197.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री भवानी सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय किशन से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -1

प्रस्तर संख्या 90-वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार आर्या द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से ₹0 744700.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 744700.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री भवानी सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय किशन से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -2

प्रस्तर संख्या 91- मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में कुल 1561 मानव दिवस सृजित कर मजदूरी पर ₹0 165101.00 एवं निर्माण सामग्री पर ₹0 313761.00 कुल ₹0 478862.00 अनुदान उपभोग किया, लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 478862.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री भवानी सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय किशन से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -3

58.नाम ग्राम पंचायत-बकालपुर**विकास खण्ड-खेरागढ****नाम ग्राम प्रधान-श्री देवी सिंह****नाम ग्राम पं० सचिव- श्री जय किशन**

प्रस्तर संख्या 92- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार आर्या द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से ₹0 2230396.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार

यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 2230396.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री देवी सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय किशन से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -1

प्रस्तर संख्या 93-वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार आर्या द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया है ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से ₹0 1527479.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 1527479.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री देवी सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय किशन से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -2

प्रस्तर संख्या 94-मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में कुल 1636 मानव दिवस सृजित कर मजदूरी पर ₹0 328836.00 एवं निर्माण सामग्री पर ₹0 804279.00 कुल ₹0 1133115.00 अनुदान उपभोग किया , लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 1133115.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री देवी सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय किशन से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है आपत्ति संख्या -3

59.नाम ग्राम पंचायत-अयेला

विकास खण्ड-खेरागढ़

नाम ग्राम प्रधान-श्रीमती राधा देवी

नाम ग्राम पंचायत सचिव- श्री रामेश्वर प्रसाद तिवारी

प्रस्तर संख्या 95-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत अयेला द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है ग्राम स्वराज पोर्टल द्वारा प्राप्त अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा राज्य वित्त आयोग से कुल ₹0 4360680.00 व्यय किया गया लेकिन उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टराल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु मूल रूप में प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टराल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 4360680.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती राधा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेश्वर प्रसाद तिवारी से ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -1

प्रस्तर संख्या 96-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत अयेला द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया ई ग्राम स्वराज पोर्टल द्वारा प्राप्त अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा (14 वित्त आयोग से कुल ₹0 3520419.00 व्यय किया गया लेकिन उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टराल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु मूल रूप में प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामिग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टराल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 3520419.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती राधा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेश्वर प्रसाद तिवारी से ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -2

प्रस्तर संख्या 97- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत अयेला द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया मनरेगा पोर्टल द्वारा प्राप्त अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा से कुल ₹0 771036.00 व्यय किया गया लेकिन उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टराल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु मूल रूप में प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामिग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टराल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 771036.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती राधा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेश्वर प्रसाद तिवारी से ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -3

60.नाम ग्राम पंचायत-बसई खेरागढ़

विकास खण्ड-खेरागढ़

नाम ग्राम प्रधान-श्रीमती राम बेटी

नाम ग्राम पं० सचिव- श्री विनोद कुमार शर्मा

प्रस्तर संख्या 98-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत बसई खेरागढ़ के सचिव द्वारा दिनांक 01/11/2020 से 31/01/2021 तक कार्यरत सचिव श्री विनोद कुमार शर्मा व ग्राम प्रधान द्वारा ₹0 488997.00 राज्य वित्त आयोग व ₹0 404000.00 केन्द्रीय वित्त आयोग निधि से आहरण किया गया लेकिन निर्माण सामिग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टराल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद/पत्रावली लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामिग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टराल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹ 892997.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती रामबेटी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा से दण्डात्मक ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ ही विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है आपत्ति संख्या -1

प्रस्तर संख्या 99- मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में क1461 मानव दिवस सृजित कर मजदूरी पर ₹0 293661.00

एवं निर्माण सामग्री पर ₹0 13499.99 कुल ₹0 307160.99 अनुदान उपभोग किया, लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल वाउचर एवं अन्य/ संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 307160.99 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती रामबेटी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा से दण्डात्मक ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ ही विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -3

61.नाम ग्राम पंचायत-गढी बच्ची

विकास खण्ड-एत्मादपुर

नाम ग्राम प्रधान-श्री श्याम सुन्दर

नाम ग्राम पं० सचिव- श्रीमती शिखा देवी

प्रस्तर संख्या 100- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक पास बुक के अतिरिक्त कोई भी मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया। कैशबुक एवं बैंक पास बुक व ई ग्राम स्वराज पोर्टल द्वारा प्राप्त अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा (14 वित्त आयोग एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान) कुल व्यय प्रमाणको द्वारा विभिन्न मदों में कुल ₹0 2166597.80 व्यय किया गया लेकिन उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टरॉल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु मूल रूप में प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय समिती के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरॉल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 2166597.80 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री श्याम सुन्दर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती शिखा देवी से आधी आधी (वसूली तिथि तक) दण्डात्मक ब्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -1

62.नाम ग्राम पंचायत- नगला मनी

विकास खण्ड- एत्मादपुर

नाम ग्राम प्रधान-श्री नीरज कुमार

नाम ग्राम पं० सचिव- श्रीमती शिखा देवी

प्रस्तर संख्या 101- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक पास बुक के अतिरिक्त कोई भी मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया। कैशबुक एवं बैंक पासबुक व ईग्राम स्वराज पोर्टल द्वारा प्राप्त अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा (14 वित्त आयोग एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान) कुल व्यय प्रमाणको द्वारा विभिन्न मदों में कुल ₹01055320.40 व्यय किया गया लेकिन उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टरॉल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु मूल रूप में प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय समिती के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरॉल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 1055320.40 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री नीरज कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती शिखा देवी से आधी आधी (वसूली तिथि तक) दण्डात्मक ब्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -1

63.नाम ग्राम पंचायत-सुजानपुर

विकास खण्ड-एत्मादपुर

नाम ग्राम प्रधान-श्री राम नरेश

नाम ग्राम पं० सचिव- श्री प्रमोद कुमार

प्रस्तर संख्या 102-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक पासबुक के अतिरिक्त कोई भी मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया कैशबुक एवं बैंक पास बुक व ई ग्राम स्वराज पोर्टल द्वारा प्राप्त अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा (14 वित्त आयोग एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान) कुल व्यय प्रमाणको द्वारा विभिन्न मदों में कुल ₹01528842.00 व्यय किया गया लेकिन उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टरॉल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु मूल रूप में प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामिग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरॉल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी

एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 1528842.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री राम नरेश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रमोद कुमार से आधी आधी (वसूली तिथि तक) दण्डात्मक ब्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -1

64.नाम ग्राम पंचायत-अमानाबाद

विकास खण्ड-एत्मादपुर

नाम ग्राम प्रधान-श्रीमती सीमा देवी

नाम ग्राम पं० सचिव- श्री प्रमोद कुमार

प्रस्तर संख्या 103-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक पास बुक के अतिरिक्त कोई भी मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया कैशबुक एवं बैंक पास बुक व ई ग्राम स्वराज पोर्टल द्वारा प्राप्त अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा (14 वित्त आयोग एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान) कुल व्यय प्रमाणको द्वारा विभिन्न मदों में कुल ₹0 2031220.00 व्यय किया गया लेकिन उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टरॉल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु मूल रूप में प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामिग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरॉल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 2031220.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रमोद कुमार से आधी आधी (वसूली तिथि तक) दण्डात्मक ब्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -1

65.नाम ग्राम पंचायत-बरौली अहीर

विकास खण्ड- बरौली अहीर

नाम ग्राम प्रधान-श्री योगेन्द्र सिंह

नाम ग्राम पं० सचिव- श्री अजय सिंह फौजदार

प्रस्तर संख्या 104-आलोच्य वर्ष में संस्था को कैशबुक व बैंकस्टेटमेंट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम राज्य वित्त खाते में ₹0 13,09,112.00 का अनुदान प्राप्त हुआ, वही संस्था के द्वारा कैशबुक व बैंकस्टेटमेंट के अनुसार विविध कृत कार्यों हेतु विभिन्न फर्मों व व्यक्तियों को ग्रामनिधि प्रथम राज्य वित्त खाते से ₹0 16,45,194.00 की धनराशि का भुगतान/आहरण दर्शित किया गया हैं जबकि उक्त आहरित/ भुगतानित धनराशि के सापेक्ष संस्था के द्वारा प्रमाणित बिल/बाउचर/मस्टर रोल/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे आहरित/ भुगतानित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो कि ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतुलेखा मैनुअलके अध्याय-08 के प्रस्तर-8-(क) के प्राविधानों का उल्लंघन हैं, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक दर्शितव्यय के सापेक्ष प्रमाणित बिल/बाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना, संबन्धित ग्राम प्रधान व सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व हैं, अन्यथा की स्थिति में आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली समान रूप से संबन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी।

अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतुलेखा मैनुअलके अध्याय-08 के प्रस्तर-8-(क) के प्राविधानों के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा ग्रामनिधि प्रथम राज्य वित्त खाते से आहरित/ भुगतानित रु0 16,45,194.00 की धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आती हैं, की ब्याज सहित बसूली समान रूप से संबन्धित ग्राम प्रधान श्री योगेन्द्र सिंह व सचिव श्री अजय सिंह फौजदार से किया जाना अपेक्षित है। इसी प्रकार आलोच्य वर्ष में संस्था को कैशबुक व बैंकस्टेटमेंट के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम केन्द्र वित्त खाते में रु0 28,49,342.00 का अनुदान प्राप्त हुआ वही संस्था के द्वारा कैशबुक व बैंकस्टेटमेंट के अनुसार विविध कृत कार्यों हेतु विभिन्न फर्मों व व्यक्तियों को ग्रामनिधि प्रथम केन्द्र वित्त खाते से रु0 18,03,756.00 की धनराशि का भुगतान/आहरण दर्शित किया गया है, जबकि उक्त आहरित/ भुगतानित धनराशि के सापेक्ष संस्था के द्वारा प्रमाणित बिल/बाउचर/मस्टर रोल/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे आहरित/ भुगतानित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो कि ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतुलेखा मैनुअलके अध्याय-08 के प्रस्तर-8-(क) के प्राविधानों का उल्लघन हैं, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक दर्शितव्यय के सापेक्ष प्रमाणित बिल/बाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना, संबन्धित ग्राम प्रधान व सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व हैं, अन्यथा की स्थिति में आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली समान रूप से संबन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी।

अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के प्रस्तर-8-(क) के प्राविधानों के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा ग्रामनिधि प्रथम केन्द्र वित्त खाते से आहरित/ भुगतानित रु0 18,03,756.00 की धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आती हैं, की ब्याज सहित बसूली समान रूप से संबन्धित ग्राम प्रधान श्री योगेन्द्र सिंह व सचिव श्री अजय सिंह फौजदार से किया जाना अपेक्षित है।

अतः आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा ग्रामनिधि प्रथम राज्य वित्त व केन्द्र वित्त खाते से आहरित/ भुगतानित कुल रु0 3448950.00 की धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आती हैं, की ब्याज सहित बसूली समान रूप से संबन्धित ग्राम प्रधान श्री योगेन्द्र सिंह व सचिव श्री अजय सिंह फौजदार से किया जाना अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -11(1)

66.नाम ग्राम पंचायत-कौलक्खा

विकास खण्ड- बरौली अहीर

नाम ग्राम प्रधान-श्रीमती शकुन्तला देवी

नाम ग्राम पं0 सचिव- श्री उदय कुमार भदौरिया

प्रस्तर संख्या 105-आलोच्य वर्ष में संस्था को कैशबुक व बैंकस्टेटमेंट के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम राज्य वित्त खाते में रु0 16,59,254.00 का अनुदान प्राप्त हुआ, वही संस्था के द्वारा कैशबुक व बैंकस्टेटमेंट के अनुसार विविध कृत कार्यों हेतु विभिन्न फर्मों व व्यक्तियों को ग्रामनिधि प्रथम राज्य वित्त खाते से रु0 12,01,233.00 की धनराशि का भुगतान/आहरण दर्शित किया गया है जबकि उक्त आहरित/ भुगतानित धनराशि के सापेक्ष संस्था के द्वारा प्रमाणित बिल/बाउचर/मस्टर रोल/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे आहरित/ भुगतानित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो कि ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतुलेखा मैनुअलके अध्याय-08 के प्रस्तर-8-(क) के प्राविधानों का उल्लघन हैं, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक दर्शितव्यय के सापेक्ष प्रमाणित बिल/बाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना, संबन्धित ग्राम प्रधान व सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व हैं, अन्यथा की स्थिति में आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली समान रूप से संबन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी।

अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के प्रस्तर-8-(क) के प्राविधानों के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा ग्रामनिधि प्रथम राज्य वित्त खाते से आहरित/ भुगतानित रु0 12,01,233.00 की धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आती हैं, की ब्याज सहित बसूली समान रूप से संबन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती शकुन्तला देवी व सचिव श्री उदय कुमार भदौरिया से किया जाना अपेक्षित है।

इसी प्रकार आलोच्य वर्ष में संस्था को कैशबुक व बैंकस्टेटमेंट के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम केन्द्र वित्त खाते में रु0 29,48,353.00 का अनुदान प्राप्त हुआ वही संस्था के द्वारा कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार विविध कृत कार्यों हेतु विभिन्न फर्मों व व्यक्तियों को ग्रामनिधि प्रथम केन्द्र वित्त खाते से रु0 7,13,355.00 की धनराशि का भुगतान/आहरण दर्शित किया गया है, जबकि उक्त आहरित/ भुगतानित धनराशि के सापेक्ष संस्था

के द्वारा प्रमाणित बिल/बाउचर/मस्टर रोल/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे आहरित/ भुगतानित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो कि ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतुलेखा मैनुअलके अध्याय-08 के प्रस्तर-8-(क) के प्राविधानों का उल्लघन हैं, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक दर्शितव्यय के सापेक्ष प्रमाणित बिल/बाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना, संबन्धित ग्राम प्रधान व सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व हैं, अन्यथा की स्थिति में आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली समान रूप से संबन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी।

अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअलके अध्याय-08 के प्रस्तर-8-(क) के प्राविधानों के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा ग्रामनिधि प्रथम केन्द्र वित्त खाते से आहरित/ भुगतानित रु0 7,13,355.00 की धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आती हैं, की ब्याज सहित बसूली समान रूप से संबन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती शकुन्तला देवी व सचिव श्री उदय कुमार भदौरिया से किया जाना अपेक्षित है।

अतः आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा ग्रामनिधि प्रथम राज्य वित्त व केन्द्र वित्त खाते से आहरित/ भुगतानित कुल रु0 1914588.00 की धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आती हैं, की ब्याज सहित बसूली समान रूप से संबन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती शकुन्तला देवी व सचिव श्री उदय कुमार भदौरिया से किया जाना अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -11(1)

67.नाम ग्राम पंचायत-भांडई

विकास खण्ड- बरौली अहीर

नाम ग्राम प्रधान-श्री नेपाल सिंह

नाम ग्राम पं0 सचिव- श्री अवधेश तिवारी

प्रस्तर संख्या 106-आलोच्य वर्ष में संस्था को कैशबुक व बैंकस्टेटमेंट के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम राज्य वित्त खाते में रु0 6,71,376.00 का अनुदान प्राप्त हुआ, वही संस्था के द्वारा कैशबुक व बैंकस्टेटमेंट के अनुसार विविध कृत कार्यों हेतु विभिन्न फर्मों व व्यक्तियों को ग्रामनिधि प्रथम राज्य वित्त खाते से रु0 5,59,611.40 की धनराशि का भुगतान/आहरण दर्शित किया गया हैं जबकि उक्त आहरित/ भुगतानित धनराशि के सापेक्ष संस्था के द्वारा प्रमाणित बिल/बाउचर/मस्टर रोल/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे आहरित/ भुगतानित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो कि ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतुलेखा मैनुअलके अध्याय-08 के प्रस्तर-8-(क) के प्राविधानों का उल्लघन हैं, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक दर्शितव्यय के सापेक्ष प्रमाणित बिल/बाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना, संबन्धित ग्राम प्रधान व सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व हैं, अन्यथा की स्थिति में आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली समान रूप से संबन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी।

अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के प्रस्तर-8-(क) के प्राविधानों के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा ग्रामनिधि प्रथम राज्य वित्त खाते से आहरित/ भुगतानित रु0 5,59,611.40 की धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आती हैं, की ब्याज सहित बसूली समान रूप से संबन्धित ग्राम प्रधान श्री नेपाल सिंह व सचिव श्री अवधेश तिवारी से किया जाना अपेक्षित है।

इसी प्रकार आलोच्य वर्ष में संस्था को कैशबुक व बैंकस्टेटमेंट के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम केन्द्र वित्त खाते में रु0 8,79,237.00 का अनुदान प्राप्त हुआ वही संस्था के द्वारा कैशबुक व बैंकस्टेटमेंट के अनुसार विविध कृत कार्यों हेतु विभिन्न फर्मों व व्यक्तियों को ग्रामनिधि प्रथम केन्द्र वित्त खाते से रु0 8,70,548.00 की धनराशि का भुगतान/आहरण दर्शित किया गया हैं, जबकि उक्त आहरित/ भुगतानित धनराशि के सापेक्ष संस्था के द्वारा प्रमाणित बिल/बाउचर/मस्टर रोल/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे आहरित/ भुगतानित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो कि ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के प्रस्तर-8-(क) के प्राविधानों का उल्लघन हैं, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक दर्शित व्यय के सापेक्ष प्रमाणित बिल/बाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना, संबन्धित ग्राम प्रधान व सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व हैं, अन्यथा की स्थिति में आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली समान रूप से संबन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी।

अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के प्रस्तर-8-(क) के प्राविधानों के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा ग्रामनिधि प्रथम केन्द्र वित्त खाते से

आहरित/ भुगतानित रु0 8,70,548.00 की धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आती हैं, की ब्याज सहित बसूली समान रूप से संबन्धित ग्राम प्रधान श्री नेपाल सिंह व सचिव श्री अवधेश तिवारी से किया जाना अपेक्षित है।

अतः आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा ग्रामनिधि प्रथम राज्य वित्त व केन्द्र वित्त खाते से आहरित/ भुगतानित कुल रु0 1430159.40 की धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आती हैं, की ब्याज सहित बसूली समान रूप से संबन्धित ग्राम प्रधान श्री नेपाल सिंह व सचिव श्री अवधेश तिवारी से किया जाना अपेक्षित है। आपति संख्या - 11(1)

68.नाम ग्राम पंचायत-नौवरी

विकास खण्ड- बरौली अहीर

नाम ग्राम प्रधान-श्री रामसेवक

नाम ग्राम पं0 सचिव- श्री अनुग्रह कुमार

प्रस्तर संख्या 107-आलोच्य वर्ष में संस्था को कैशबुक व बैंकस्टेटमेंट के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम राज्य वित्त खाते में रु0 6,29,883.00 का अनुदान प्राप्त हुआ वही संस्था के द्वारा कैशबुक व बैंकस्टेटमेंट के अनुसार विविध कृत कार्यों हेतु विभिन्न फर्मों व व्यक्तियों को ग्रामनिधि प्रथम राज्य वित्त खाते से रु0 10,43,511.00 की धनराशि का भुगतान/आहरण दर्शित किया गया है जबकि उक्त आहरित/ भुगतानित धनराशि के सापेक्ष संस्था के द्वारा प्रमाणित बिल/बाउचर/मस्टर रोल/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे आहरित/ भुगतानित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो कि ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतुलेखा मैनुअलके अध्याय-08 के प्रस्तर-8-(क) के प्राविधानों का उल्लघन हैं, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक दर्शित व्यय के सापेक्ष प्रमाणित बिल/बाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना, संबन्धित ग्राम प्रधान व सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व हैं, अन्यथा की स्थिति में आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली समान रूप से संबन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी।

अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतुलेखा मैनुअलके अध्याय-08 के प्रस्तर-8-(क) के प्राविधानों के अर्न्तगत आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा ग्रामनिधि प्रथम राज्य वित्त खाते से आहरित/ भुगतानित रु0 10,43,511.00 की धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आती हैं, की ब्याज सहित बसूली समान रूप से संबन्धित ग्राम प्रधान श्रीरामसेवक व सचिव श्री अनुग्रह कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

इसी प्रकार आलोच्य वर्ष में संस्था को कैशबुक व बैंकस्टेटमेंट के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम केन्द्र वित्त खातेमें रु0 11,18,983.00 का अनुदान प्राप्त हुआ वही संस्था के द्वारा कैशबुक व बैंकस्टेटमेंट के अनुसार विविध कृत कार्यों हेतु विभिन्न फर्मों व व्यक्तियों को ग्रामनिधि प्रथम केन्द्र वित्त खाते से रु0 5,45,036.00 की धनराशि का भुगतान/आहरण दर्शित किया गया है जबकि उक्त आहरित/ भुगतानित धनराशि के सापेक्ष संस्था के द्वारा प्रमाणित बिल/बाउचर/मस्टर रोल/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे आहरित/ भुगतानित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो कि ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के प्रस्तर-8-(क) के प्राविधानों का उल्लघन हैं, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक दर्शित व्यय के सापेक्ष प्रमाणित बिल/बाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना, संबन्धित ग्राम प्रधान व सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व हैं, अन्यथा की स्थिति में आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली समान रूप से संबन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी।

अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतुलेखा मैनुअलके अध्याय-08 के प्रस्तर-8-(क) के प्राविधानों के अर्न्तगत आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा ग्रामनिधि प्रथम केन्द्र वित्त खाते से आहरित/ भुगतानित रु0 5,45,036.00 की धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आती हैं, की ब्याज सहित बसूली समान रूप से संबन्धित ग्राम प्रधान श्री रामसेवक व सचिव श्री अनुग्रह कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

अतः आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा ग्रामनिधि प्रथम राज्य वित्त व केन्द्र वित्त खाते से आहरित/ भुगतानित कुल रु0 1588547.00 की धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आती हैं, की ब्याज सहित बसूली समान रूप से संबन्धित ग्राम प्रधान श्री श्री रामसेवक व सचिव श्री अनुग्रह कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

आपति संख्या -11(1)

69.नाम ग्राम पंचायत- कुठावली

विकास खण्ड- बरौली अहीर

नाम ग्राम प्रधान- श्री रामवीर सिंह

नाम ग्राम पं0 सचिव- श्री अवधेश तिवारी

प्रस्तर संख्या 108-आलोच्य वर्ष में संस्था को कैशबुक व बैंकस्टेटमेंट के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम राज्य वित्त खाते में रु0 3,41,934.00 का अनुदान प्राप्त हुआ, वही संस्था के द्वारा कैशबुक व बैंकस्टेटमेंट के अनुसार विविध कृत कार्यों हेतु विभिन्न फर्मों व व्यक्तियों को ग्रामनिधि प्रथम राज्य वित्त खाते से रु0 2,14,043.40 की धनराशि का भुगतान/आहरण दर्शित किया गया हैं जबकि उक्त आहरित/ भुगतानित धनराशि के सापेक्ष संस्था के द्वारा प्रमाणित बिल/बाउचर/मस्टर रोल/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे आहरित/ भुगतानित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो कि ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतुलेखा मैनुअलके अध्याय-08 के प्रस्तर-8-(क) के प्राविधानों का उल्लघन हैं, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक दर्शितव्यय के सापेक्ष प्रमाणित बिल/बाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना, संबन्धित ग्राम प्रधान व सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व हैं, अन्यथा की स्थिति में आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली समान रूप से संबन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी।

अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के प्रस्तर-8-(क) के प्राविधानों के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा ग्रामनिधि प्रथम राज्य वित्त खाते से आहरित/ भुगतानित रु0 2,14,043.40 की धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आती हैं, की ब्याज सहित बसूली समान रूप से संबन्धित ग्राम प्रधान श्री रामवीर सिंह व सचिव श्रीअवधेश तिवारी से किया जाना अपेक्षित है।

इसी प्रकार आलोच्य वर्ष में संस्था को कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम केन्द्र वित्त खाते में रु04,49,981.00 का अनुदान प्राप्त हुआ वही संस्था के द्वारा कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार विविध कृत कार्यों हेतु विभिन्न फर्मों व व्यक्तियों को ग्राम निधि प्रथम केन्द्र वित्त खाते से रु0 4,43,411.00 की धनराशि का भुगतान/आहरण दर्शित किया गया हैं, जबकि उक्त आहरित/ भुगतानित धनराशि के सापेक्ष संस्था के द्वारा प्रमाणित बिल/बाउचर/मस्टर रोल/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे आहरित/ भुगतानित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो कि ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के प्रस्तर-8-(क) के प्राविधानों का उल्लघन हैं, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक दर्शितव्यय के सापेक्ष प्रमाणित बिल/बाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना, संबन्धित ग्राम प्रधान व सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व हैं, अन्यथा की स्थिति में आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली समान रूप से संबन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी।

अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतुलेखा मैनुअलके अध्याय-08 के प्रस्तर-8-(क) के प्राविधानों के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा ग्राम निधि प्रथम केन्द्र वित्त खाते से आहरित/ भुगतानित रु0 4,43,411.00 की धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आती हैं, की ब्याज सहित बसूली समान रूप से संबन्धित ग्राम प्रधान श्री रामवीर सिंह व सचिव श्री अवधेश तिवारी से किया जाना अपेक्षित है।

अतः आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा ग्रामनिधि प्रथम राज्य वित्त व केन्द्र वित्त खाते से आहरित/ भुगतानित कुल रु0 657454.40 की धनराशि गबन/अपहरण की श्रेणी में आती हैं, की ब्याज सहित बसूली समान रूप से संबन्धित ग्राम प्रधान श्री रामवीर सिंह व सचिव श्री अवधेश तिवारी से किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या -11(1)

70.नाम ग्राम पंचायत-..कुआंखेडा

विकास खण्ड- बरौली अहीर

नाम ग्राम प्रधान-श्री राजेन्द्र सिंह

नाम ग्राम पं0 सचिव- श्री कौशलेंद्र कुमार

प्रस्तर संख्या 109-आलोच्य वर्ष में संस्था कोई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध विवरण के अनुसार ग्राम निधि प्रथम राज्य वित्त व केन्द्र वित्त खाते में कुल रु0 69,95,431.00 का अनुदान प्राप्त हुआ वही संस्था के द्वारा ग्राम निधि प्रथम राज्य वित्त खाते व केन्द्र वित्त खाते से कुल रु0 33,64,420.00 की धनराशि का भुगतान/आहरण/व्यय दर्शित किया गया हैं जबकि उक्त आहरित/ भुगतानित धनराशि के सापेक्ष संस्था के द्वारा प्रमाणित बिल/बाउचर/मस्टर रोल/ व्यय प्रमाणक, कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट सहित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे आहरित/ भुगतानित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो कि ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतुलेखा मैनुअलके अध्याय-08 के प्रस्तर-8-(क) के प्राविधानों का उल्लघन हैं, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक दर्शित व्यय के सापेक्ष प्रमाणित बिल/बाउचर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत

क्रिया जाना, संबन्धित ग्राम प्रधान व सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व हैं, अन्यथा की स्थिति में आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली समान रूप से संबन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी।

अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतुलेखा मैनुअलके अध्याय-08 के प्रस्तर-8-(क) के प्राविधानों के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध विवरण के अनुसार ग्राम निधि प्रथम राज्य व केन्द्र वित्त खाते से कुल ₹0 33,64,420.00 का भुगतान/आहरण/व्यय की धनराशि गबन/ अपहरण की श्रेणी में आती हैं, की ब्याज सहित बसूली समान रूप से संबन्धित ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र सिंह व सचिव श्री कौशलेन्द्र कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

आपति संख्या-11(1)

71.नाम ग्राम पंचायत-बस्तई

विकास खण्ड-अछनेरा

नाम ग्राम प्रधान-श्री तारा चंद

नाम ग्राम पंच सचिव- श्री दिनेश वर्मा

प्रस्तर संख्या 110-वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिनेश वर्मा द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से ₹0 440571.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 440571.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री तारा चन्द एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिनेश वर्मा से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपति संख्या -1

प्रस्तर संख्या 111-वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिनेश वर्मा द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से ₹0 874630.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 874630.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री ताराचन्द एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिनेश वर्मा से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपति संख्या -2

प्रस्तर संख्या 112-मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में कुल 2400 मानव दिवस सृजित कर मजदूरी पर ₹0 482400.00 एवं निर्माण सामग्री पर ₹0 428685.00 कुल ₹0 911085.00 अनुदान उपभोग किया , लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 911085.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री तारा चन्द एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिनेश वर्मा से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

72.नाम ग्राम पंचायत-छः पोखर

विकास खण्ड-अछनेरा

नाम ग्राम प्रधान-श्री सुंदर सिंह नाम ग्राम पं० सचिव- श्री दिनेश वर्मा

प्रस्तर संख्या 113-वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिनेश वर्मा द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से ₹0 430386.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 430386.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री सुन्दर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिनेश वर्मा से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -1

प्रस्तर संख्या 114-वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिनेश वर्मा द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से ₹0 1750706.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 1750706.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री सुन्दर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिनेश वर्मा से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -2

प्रस्तर संख्या 115-मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में कुल 2617 मानव दिवस सृजित कर मजदूरी पर ₹0 526017.00 एवं निर्माण सामग्री पर ₹0 927669.00 कुल ₹0 1453686.00 अनुदान उपभोग किया , लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 1453686.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री सुन्दर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिनेश वर्मा से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है आपत्ति संख्या -3

73.नाम ग्राम पंचायत-अरदाया विकास खण्ड-अछनेरा

नाम ग्राम प्रधान-श्रीमती ओमवती नाम ग्राम पं० सचिव- श्री रामवीर सिंह

प्रस्तर संख्या 116-वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामवीर सिंह द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से ₹0 1259201.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के

प्रविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 1259201.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती ओमवती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामवीर सिंह से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -1

प्रस्तर संख्या 117-वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामवीर सिंह द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से ₹0 2930206.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्रविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 2930206.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती ओमवती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामवीर सिंह से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -2

प्रस्तर संख्या 118-मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में कुल 1524 मानव दिवस सृजित कर मजदूरी पर ₹0 306324.00 एवं निर्माण सामग्री पर ₹0 1110958.32.00 कुल ₹0 1417282.32 अनुदान उपभोग किया, लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्रविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 1417282.32 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती ओमवती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामवीर सिंह से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है आपत्ति संख्या -3

74.नाम ग्राम पंचायत-मई

विकास खण्ड-अछनेरा

नाम ग्राम प्रधान-श्रीमती उर्मिला देवी

नाम ग्राम पं० सचिव- श्री रामवीर सिंह

प्रस्तर संख्या 119-वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामनिवास द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से ₹0 875343.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्रविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 875343.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामनिवास से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -1

प्रस्तर संख्या 120-वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामनिवास द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त आयोग

से प्राप्त अनुदान से ₹0 1647852.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 1647852.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामनिवास से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -2

प्रस्तर संख्या 121-मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में कुल 7964 मानव दिवस सृजित कर मजदूरी पर ₹0 1600764.00 एवं निर्माण सामग्री पर ₹0 2066457.00 कुल ₹0 3667221.00 अनुदान उपभोग किया , लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 3667221.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामनिवास से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है आपत्ति संख्या -3

75.नाम ग्राम पंचायत-मुबारिकपुर

विकास खण्ड-अछनेरा

नाम ग्राम प्रधान-श्री लज्जाराम वर्मा

नाम ग्राम पं0 सचिव- श्री दिनेश चन्द्र वर्मा

प्रस्तर संख्या 122-वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में दिनांक 01.04.2020 से 30.09.2020 तक की कैश बुक एवं अन्य भुगतान सम्बंधित प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि इस अवधि में ग्राम निधि प्रथम एवं पन्त्रहवे वित्त आयोग निधि से ₹0 555341.00 का आहरण बैंक स्टेटमेंट में दर्शाया गया है।अतः पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त आहरित ₹ 555341.00गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री लज्जाराम वर्मा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री दिनेश चन्द्र वर्मा से दण्डात्मक ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ ही विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -2

76.नाम ग्राम पंचायत-पुरामना

विकास खण्ड-अछनेरा

नाम ग्राम प्रधान-श्री देवी सिंह

नाम ग्राम पं0 सचिव- श्री रामवीर सिंह

प्रस्तर संख्या 123-वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामवीर सिंह द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से ₹0 241730.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार

यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 241730.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री देवी सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामवीर सिंह से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -1

प्रस्तर संख्या 124-वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार आर्या द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रु0 1682754.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 1682754.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री देवी सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामवीर सिंह से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -2

प्रस्तर संख्या 125-मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में कुल 189 मानव दिवस सृजित कर मजदूरी पर रु0 37989.00 अनुदान उपभोग किया , लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल / वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 37989.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री देवी सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामवीर सिंह से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -3

77.नाम ग्राम पंचायत-सींगना

नाम ग्राम प्रधान-श्री जितेन्द्र पाल सिंह

विकास खण्ड-अछनेरा

नाम ग्राम पं0 सचिव- श्री रामनिवास

प्रस्तर संख्या 126-वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामनिवास द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रु0 789219.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 789219.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री जितेन्द्र पाल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामनिवास से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -1

प्रस्तर संख्या 127-वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामनिवास द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रु0 485156.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 485156.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री जितेन्द्र पाल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामनिवास से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -2

प्रस्तर संख्या 128-मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में कुल 3996 मानव दिवस सृजित कर मजदूरी पर रु0 803196.00 अनुदान उपभोग किया, लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 803196.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री जितेन्द्र पाल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामनिवास से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -3

78.नाम ग्राम पंचायत-कचौरा

विकास खण्ड-अछनेरा

नाम ग्राम प्रधान-श्री पोहप सिंह

नाम ग्राम पंच सचिव- श्री रामनिवास

प्रस्तर संख्या 129-वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामनिवास द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रु0 665204.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु0 665204.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री पोहप सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामनिवास से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -1

प्रस्तर संख्या 130-वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामनिवास द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से ₹0 2015953.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 2015953.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री पोहप सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामनिवास से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -2

प्रस्तर संख्या 131-मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में कुल 10326 मानव दिवस सृजित कर मजदूरी पर ₹0 2075526.00 अनुदान उपभोग किया, लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 2075526.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री पोहप सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामनिवास से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -3

79.नाम ग्राम पंचायत-नानपुर
नाम ग्राम प्रधान-श्री निहाल सिंह

विकास खण्ड-बिचपुरी
नाम ग्राम पं० सचिव- सुश्री सुरगंगा पाण्डेय

प्रस्तर संख्या 132-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया ई ग्राम स्वराज पोर्टल द्वारा प्राप्त अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा (14 वित्त आयोग एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान) कुल व्यय प्रमाणको द्वारा विभिन्न मदों में कुल ₹0 680607.00 व्यय किया गया लेकिन उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टरॉल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु मूल रूप में प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामिग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरॉल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 680607.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री निहाल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी सुश्री सुरगंगा पाण्डेय से आधी आधी (वसूली तिथि तक) दण्डात्मक ब्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -1

80.नाम ग्राम पंचायत-अंगूठी
नाम ग्राम प्रधान- श्री कृष्णवीर सोलंकी

विकास खण्ड-बिचपुरी
नाम ग्राम पं० सचिव- सुश्री सुरगंगा पाण्डेय

प्रस्तर संख्या 133-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया ई ग्राम स्वराज पोर्टल द्वारा प्राप्त अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा (14 वित्त आयोग एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान) कुल व्यय प्रमाणको द्वारा विभिन्न मदों में कुल ₹01687305.25 व्यय किया गया लेकिन उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टरॉल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु मूल रूप में प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामिग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरॉल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 1687305.25 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री कृष्णवीर सोलंकी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी सुश्री सुरगंगा पाण्डेय से आधी आधी (वसूली तिथि तक) दण्डात्मक ब्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -1

81.नाम ग्राम पंचायत-लडामदा
नाम ग्राम प्रधान-श्री कृपाल सिंह

विकास खण्ड-बिचपुरी
नाम ग्राम पं० सचिव- सुश्री सुरगंगा पाण्डेय

प्रस्तर संख्या 134-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया ई ग्राम स्वराज पोर्टल द्वारा प्राप्त अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा (14 वित्त आयोग एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान) कुल व्यय प्रमाणको द्वारा विभिन्न मदों में कुल ₹01801553.00 व्यय किया गया लेकिन उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टरॉल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु मूल रूप में प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामिग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरॉल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 1801553.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री कृपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी सुश्री सुरगंगा पाण्डेय से आधी आधी (वसूली तिथि तक) दण्डात्मक ब्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -1

82.नाम ग्राम पंचायत-खेरिया
नाम ग्राम प्रधान-श्री हरदौल सिंह

विकास खण्ड-अकोला
नाम ग्राम पं० सचिव- श्री संजय वर्मा

प्रस्तर संख्या 135-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया ई ग्राम स्वराज पोर्टल द्वारा प्राप्त अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा (14 वित्त आयोग एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान) कुल व्यय प्रमाणको द्वारा विभिन्न मदों में कुल ₹02803524.00 व्यय किया गया लेकिन उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टरॉल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु मूल रूप में प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि

प्रत्येक क्रय सामिग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरॉल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 2803524.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री हरदौल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय वर्मा से आधी आधी (वसूली तिथि तक) दण्डात्मक ब्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है। आपत्ति संख्या -1

जिला फिरोजाबाद

प्रारूप -01

1- ग्राम पंचायत खेरिया मसाहत

विकास खण्ड अरांव

जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 1- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 7,71,742=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय **₹0 7,71,742=00** नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री यशपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनस कमाल** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

2- ग्राम पंचायत सैफपुर

विकास खण्ड अरांव

जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 2- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 5,92,205=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय **₹0 5,92,205=00** नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री मती आरती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनस कमाल** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

3- ग्राम पंचायत सारख

विकास खण्ड अरांव

जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 3- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 11,51,796=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय **रु0 11,51,796=00** नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री संतोष कुमार** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल रजक** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

4- ग्राम पंचायत पिडसरा विकास खण्ड अरांव जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 4- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चैदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में **रु0 2,47,637=00** व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय **रु0 2,47,637=00** नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान सुश्री ओम कुमारी** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रदीप यादव** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

5- ग्राम पंचायत रामनगर विकास खण्ड अरांव जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 5- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चैदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में **रु0 2,44,708=00** व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय **रु0 2,44,708=00** नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री संजय कुमार** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रदीप यादव** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

6- ग्राम पंचायत राहतपुर विकास खण्ड अरांव जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 6- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चैदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में **रु0 14,87,782=00** व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय **रु0 14,87,782=00** नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री कायम सिंह** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजीव सोनी** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर 7- ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 5,67,929=00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित कैशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अन्त में उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं० 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी **श्री रजनेश यादव** को द्वारा व्यय प्रमाणक तथा समस्त अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि **श्री रजनेश यादव ग्राम पंचायत अधिकारी** द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं, तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 5,67,929=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री दीपेन्द्र प्रताप सिंह, पूर्व प्रधान

₹0 2,83,964=50

श्री रजनेश यादव, ग्रा०प०अधि०

₹0 2,83,964=50

8- ग्राम पंचायत कन्थरी

विकास खण्ड अरांव

जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 8- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चैदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ०प्र०शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 6,88,366=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय **₹0 6,88,366=00** नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री विजय सिंह** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रजनेश यादव** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

9- ग्राम पंचायत बैजूआ-खास

विकास खण्ड अरांव

जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 9- ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 19,00,823=00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित कैशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अन्त में उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं० 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी **श्री शिवओम वर्मा** को द्वारा व्यय प्रमाणक तथा समस्त अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि **श्री शिवओम वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी** द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं, तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 19,00,823=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री राजवीर सिंह, पूर्व प्रधान

₹0 9,50,411=50

श्री शिवओम वर्मा, ग्रा०प०अधि०

₹0 9,50,411=50

10- ग्राम पंचायत कुढीना**विकास खण्ड अरांव****जनपद फिरोजाबाद।**

प्रस्तर 10- ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 14,07,197=00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित केशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अन्त में उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी **श्री शिवओम वर्मा** को द्वारा व्यय प्रमाणक तथा समस्त अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि **श्री शिवओम वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी** द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं, तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 14,07,197=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री धर्मवीर सिंह, पूर्व प्रधान

₹0 7,03,598=50

श्री शिवओम वर्मा, ग्रा0पं0अधि0

₹0 7,03,598=50

11- ग्राम पंचायत मुहम्मदपुर हुसैनपुर बैजुआ**विकास खण्ड अरांव****जनपद फिरोजाबाद।**

प्रस्तर 11- ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 9,85,234=00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित केशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अन्त में उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी **श्री शिवओम वर्मा** को द्वारा व्यय प्रमाणक तथा समस्त अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि **श्री शिवओम वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी** द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं, तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 9,85,234=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री सत्यप्रकाश सिंह, पूर्व प्रधान

₹0 4,92,617=00

श्री शिवओम वर्मा, ग्रा0पं0अधि0

₹0 4,92,617=00

12- ग्राम पंचायत मुहम्मदपुर माडई**विकास खण्ड अरांव****जनपद फिरोजाबाद।**

प्रस्तर 12- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 7,18,993=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय **₹0 7,18,993=00** नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री इलियास अहमद** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रजनेश यादव** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

13- ग्राम पंचायत सिकन्दरपुर कोटला विकास खण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 13- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 3,33,000=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय **₹0 3,33,000=00** नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री मती रेशमा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अश्विनी द्वितीय** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

14- ग्राम पंचायत आसलपुर विकास खण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 14- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 6,12,802=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय **₹0 6,12,802=00** नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री मती गुडडी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अश्विनी प्रथम** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

15- ग्राम पंचायत जाटउ विकास खण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 15- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 22,03,623=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय **₹0 22,03,623=00** नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री मती नेहा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अश्विनी प्रथम** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

16- ग्राम पंचायत फतेहपुर कोटला विकास खण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 16- ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव/ 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय **रु0 22,900=00** नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। जिसकी वसूली ब्याज सहित **ग्राम प्रधान श्री लोकेन्द्रपाल सिंह** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीपक यादव** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

17- ग्राम पंचायत गढी श्रीराम विकास खण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 17- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में **रु0 2,88,506=00** व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय **रु0 2,88,506=00** नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीपक यादव** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

18- ग्राम पंचायत खेरिया कलां विकास खण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 18- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में **रु0 3,12,067=00** व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय **रु0 3,12,067=00** नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री प्रेमपाल सिंह** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीपक यादव** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

19- ग्राम पंचायत गढी कल्याण विकास खण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 19- ग्राम पंचायत द्वारा **रु0 6,26,977=00** के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित कैशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अन्त में उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी **श्री दिलीप सिंह** को द्वारा व्यय प्रमाणक तथा समस्त अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि **श्री दिलीप सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी** द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं, तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि **रु0 6,26,977=00** की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री दामोदर, पूर्व प्रधान

रु0 3,13,488=50

श्री दिलीप सिंह, ग्रा0पं0अधि0

रु0 3,13,488=50

प्रस्तर 20- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 2,56,860=00 व्यय किया गया है।

20- ग्राम पंचायत रतौली विकास खण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय **रु0 9,59,364=00** नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री सत्यप्रकाश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रणवीर सिंह** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

21- ग्राम पंचायत भीतरी विकास खण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय **रु0 2,82,421=00** नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश कुमार** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

22- ग्राम पंचायत कछपूरा विकास खण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय **₹0 9,14,655=00** नियमों के विरुद्ध किया

गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

23- ग्राम पंचायत कोटला विकास खण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 24- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 30प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 14,19,313=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 14,19,313=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री सौरभ अग्रवाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

24- ग्राम पंचायत बछगांव विकास खण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 25- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 30प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 11,67,197=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 11,67,197=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री मती उषा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर 26- ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव/ 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सतर्कता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹0 22,900=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री मती उषा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

25- ग्राम पंचायत डोरसा मुहम्मदपुर विकास खण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 27- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 30प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 4,28,940=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 4,28,940=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

26- ग्राम पंचायत कुतुबपुर चुनौरा विकास खण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 28- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 30प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 13,67,544=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 13,67,544=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री उमेशचन्द्र एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश सिंह** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

27- ग्राम पंचायत रूथउ पहाडपुर विकास खण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 29- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 30प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 11,38,304=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 11,38,304=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री मती सुमन देवी तोमर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश सिंह** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

28- ग्राम पंचायत गांगनी विकास खण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 30- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 30प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 12,84,300=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 12,84,300=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री घनश्याम सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सौरभ कुमार** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर 31- ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव/ 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹0 45,800=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। जिसकी वसूली ब्याज सहित **ग्राम प्रधान श्री घनश्याम सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सौरभ कुमार** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

29- ग्राम पंचायत गोंदई विकास खण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 32- ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग चैदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव/ 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सतर्कता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय **रु0 22,119=00** नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। जिसकी वसूली ब्याज सहित **ग्राम प्रधान श्री मती आरती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सौरभ कुमार** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

30- ग्राम पंचायत कायथा विकास खण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 33- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चैदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में **रु0 3,60,000=00** व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय **रु0 3,60,000=00** नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री सुनील कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सौरभ कुमार** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

31- ग्राम पंचायत राजपुर कोटला विकास खण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 34- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चैदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में **रु0 3,54,000=00** व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय **रु0 3,54,000=00** नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री गम्भीर सिंह जादौन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सौरभ कुमार** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

32- ग्राम पंचायत सेवला रामपुर विकास खण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 35- ग्राम पंचायत द्वारा **रु0 6,63,465=00** के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित कैशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अन्त में उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी **श्री दिलीप सिंह** को द्वारा व्यय प्रमाणक तथा समस्त अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि **श्री दिलीप सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी** द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं, तो

उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 6,63,465=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री सुरेन्द्र प्रताप, पूर्व प्रधान
श्री दिलीप सिंह, ग्रा0पं0अधि0

₹0 3,31,732=50
₹0 3,31,732=50

33- ग्राम पंचायत बरतरा विकास खण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 36- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 11,45,677=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 11,45,677=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री सत्यप्रकाश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मती सीमा यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

34- ग्राम पंचायत गढी सिंधारी विकास खण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 37- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 5,28,568=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 5,28,568=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री जाहर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मती सीमा यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

35- ग्राम पंचायत आतीपुर विकास खण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 38- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 5,75,159=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 5,75,159=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री पप्पू सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी सुश्री तृप्ति पाण्डेय संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

36- ग्राम पंचायत हरिहा विकास खण्ड शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 39- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि

के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 14,95,675=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 14,95,675=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री मती भूरी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अतुल कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

37- ग्राम पंचायत अब्बासपुर विकास खण्ड शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 40- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 13,52,448=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 13,52,448=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री मती कविता देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

38- ग्राम पंचायत नौशहरा विकास खण्ड शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 41- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 7,92,492=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 7,92,492=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री मती बेबी वर्मा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महेन्द्रपाल सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

39- ग्राम पंचायत छरी छप्पर विकास खण्ड शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 42- ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव/ 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹0 22,900=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री मती उषा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नितिन कुमार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

40- ग्राम पंचायत मुहम्मदपुर बैरई विकास खण्ड शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 43- चतुर्थ राज्य वित्त, चैदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 19,98,707=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 19,98,707=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री भंवर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नितिन कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

41- ग्राम पंचायत बूढा भरथरा विकास खण्ड शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 44- चतुर्थ राज्य वित्त, चैदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 4,94,867=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 4,94,867=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री दुर्गविजय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी सुश्री शिवा तिवारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

42- ग्राम पंचायत इटौली विकास खण्ड शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 45- ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग चैदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव/ 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹0 22,900=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री देवराज सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी सुश्री शिवा तिवारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

43- ग्राम पंचायत शहजलपुर विकास खण्ड शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 46- ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग चैदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव/ 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय ₹0 22,900=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री मती मन्जूदेवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी सुश्री शिवा तिवारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

44- ग्राम पंचायत गोविन्दपुर विकास खण्ड शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 47- ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग चैदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव/ 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय **रु0 22,900=00** नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। जिसकी वसूली ब्याज सहित **ग्राम प्रधान श्री मती सिद्ध श्री एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनोद बाबू** से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

45- ग्राम पंचायत जेबडा विकास खण्ड शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 48- ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग चैदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से लोकसभा चुनाव/ 2019 हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सी0सीटी0वी0 कैमरे क्रय करके लगवाये गये हैं। यह ग्राण्ट से प्राप्त धनराशि के उपभोग हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर शासकीय धन के व्यय में बरती गयी ऐसी अनियमितता बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-169 में निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि सरकारी धन को व्यय करने में वैसी ही सर्तकता नहीं बरती गयी जैसी मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए थी।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर व्यय **रु0 22,900=00** नियमों के विरुद्ध किया गया है जो स्पष्ट धन के दुरुपयोग का प्रकरण है। जिसकी वसूली ब्याज सहित **ग्राम प्रधान श्री मती सुनीता देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनोद बाबू** से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

46- ग्राम पंचायत रपडी विकास खण्ड शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 49- चतुर्थ राज्य वित्त, चैदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रामित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में **रु0 2,97,803=00** व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय **रु0 2,97,803=00** नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री मती सुमन देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनोद बाबू** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

47- ग्राम पंचायत नियामतपुर विकास खण्ड टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 50- चतुर्थ राज्य वित्त, चैदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रामित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में **रु0 6,09,641=00** व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय **रु0 6,09,641=00** नियमों के विरुद्ध किया गया है जो

गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री ज्ञान सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ब्रजेश कुमार निषाद संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

48- ग्राम पंचायत टूण्डला खाम विकास खण्ड टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 51- ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 35,13,139=00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित कैशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अन्त में उ०प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं० 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी सुश्री ज्योत्सना अग्रहरि को द्वारा व्यय प्रमाणक तथा समस्त अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि सुश्री ज्योत्सना अग्रहरि ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं, तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 35,13,139=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री मती कमलेश देवी, पूर्व प्रधान

₹0 17,56,569=50

सुश्री ज्योत्सना अग्रहरि, ग्रा०प०अधि०

₹0 17,56,569=50

49- ग्राम पंचायत कुतुकपुर जारखी विकास खण्ड टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 52- चतुर्थ राज्य वित्त, चैदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ०प्र०शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 2,70,218=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 2,70,218=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री विजय सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पीयूषकान्त संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

50- ग्राम पंचायत मुहम्मदपुर विकास खण्ड टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 53- ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 2,27,085=00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित कैशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अन्त में उ०प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं० 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी सुश्री ज्योत्सना अग्रहरि को द्वारा व्यय प्रमाणक तथा समस्त अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि सुश्री ज्योत्सना अग्रहरि ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं, तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 2,27,085=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

51- ग्राम पंचायत शेखपुर मण्डनपुर विकास खण्ड टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 54- चतुर्थ राज्य वित्त, चैदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रामित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ०प्र०शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में रु० 15,27,972=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु० 15,27,972=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री मती राजकुमारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सारिक खान संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

52- ग्राम पंचायत बाघई विकास खण्ड टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 55- चतुर्थ राज्य वित्त, चैदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रामित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ०प्र०शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में रु० 5,28,622=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति निर्धारित सक्षम पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय रु० 5,28,622=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री मती सरोज देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मती विनीता संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

53- ग्राम पंचायत नवलपुर विकास खण्ड एका जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 56- विशेष सचिव उ० प्र० शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं०-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार रु० 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु० 15,51,333 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री लवेन्द्र प्रताप सिंह एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री प्रवेन्द्र यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

54- ग्राम पंचायत नगला गोशा विकास खण्ड एका जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 57- विशेष सचिव उ० प्र० शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं०-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार रु० 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु० 11,25,196 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री मती उषा देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री प्रवेन्द्र यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

55- ग्राम पंचायत कौंडरा विकास खण्ड एका जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 58- चतुर्थ राज्य वित्त, चैदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रामित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 3,38,991=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी है। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 3,38,991=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री नरेन्द्र कुमार** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अभयदीप यादव** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

56- ग्राम पंचायत हथौली जयसिंहपुर विकास खण्ड एका जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 59- विशेष सचिव उ0 प्र0 शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹0 6,18,963=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री मती गंगा देवी** एवं **ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री प्रवेन्द्र यादव** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

57- ग्राम पंचायत पिलखतर जैत विकास खण्ड एका जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 60- चतुर्थ राज्य वित्त, चैदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रामित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 8,60,921=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी है। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 8,60,921=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री ओम कुमार** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आर्यन धाकरे** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

58- ग्राम पंचायत पिलखतर फतेह विकास खण्ड एका जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 61- विशेष सचिव उ0 प्र0 शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹0 11,63,392 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री मती संध्या देवी** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आर्यन धाकरे** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

59- ग्राम पंचायत धर्मपुर विकास खण्ड एका जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 62- विशेष सचिव उ० प्र० शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं०-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार रू० 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू० 22,48,654 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री दिग्विजय सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आर्यन धाकरे** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

60- ग्राम पंचायत नानपीपीथनी विकास खण्ड फिरोजाबाद जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 63- विशेष सचिव उ० प्र० शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं०-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार रू० 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू० 7,46,744=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री सर्वेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुनील कटारिया** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

61- ग्राम पंचायत जैंदामई विकास खण्ड फिरोजाबाद जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 64- विशेष सचिव उ० प्र० शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं०-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार रू० 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू० 3,52,776=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री लाखन सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुनील कटारिया** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

62- ग्राम पंचायत अलहदादपुर विकास खण्ड फिरोजाबाद जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 65- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चैदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ०प्र०शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में रू० 15,12,411=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय **रू० 15,12,411=00** नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री श्री लाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेन्द्र सिंह** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर 66- विशेष सचिव उ० प्र० शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं०-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार रू० 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू० 10,19,000=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री श्री लाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेन्द्र सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर 67- ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 10,19,000=00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित कैशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अन्त में उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं० 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेन्द्र सिंह को इस कार्यालय (द्वारा जिला पंचायत राज अधि० फिरोजाबाद) द्वारा व्यय प्रमाणक तथा समस्त अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि श्री रामेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं, तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 10,19,000=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री श्री लाल, पूर्व प्रधान

₹0 5,09,500=00

श्री रामेन्द्र सिंह, ग्रा०प०अधि०

₹0 5,09,500=00

प्रस्तर 68- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई मस्टररोल उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 4,77,525=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री श्री लाल, पूर्व प्रधान

₹0 2,38,762=50

श्री रामेन्द्र सिंह, ग्रा०प०अधि०

₹0 2,38,762=50

63- ग्राम पंचायत बरामई विकास खण्ड फिरोजाबाद जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 69- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ०प्र०शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 11,08,690=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 11,08,690=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री मदन सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेन्द्र पाल सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर 70- विशेष सचिव उ० प्र० शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं०-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹0 8,26,130=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री मदन सिंह** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेन्द्र पाल सिंह** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर 71- ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 8,26,130=00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित केशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अन्त में उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं० 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी **श्री रामेन्द्र पाल सिंह** को इस कार्यालय (द्वारा जिला पंचायत राज अधि० फिरोजाबाद) द्वारा व्यय प्रमाणक तथा समस्त अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि **श्री रामेन्द्र पाल सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी** द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं, तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 8,26,130=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री मदन सिंह, पूर्व प्रधान	₹0 4,13,065=00
श्री रामेन्द्र पाल सिंह, ग्रा०प०अधि०	₹0 4,13,065=00

प्रस्तर 72- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई मस्टररोल उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 1,95,250=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री मदन सिंह, पूर्व प्रधान	₹0 97,625=00
श्री रामेन्द्र पाल सिंह, ग्रा०प०अधि०	₹0 97,625=00

64- ग्राम पंचायत हरदासपुर निस्पी विकास खण्ड फिरोजाबाद जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 73- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ०प्र०शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 4,88,730=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय **₹0 4,88,730=00** नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री थान सिंह** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेन्द्र सिंह** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर 74- विशेष सचिव उ० प्र० शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं०-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹0 4,31,720=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री थान सिंह** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेन्द्र सिंह** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर 75- ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 4,31,720=00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित केशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अन्त में उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी **श्री रामेन्द्र सिंह** को इस कार्यालय (द्वारा जिला पंचायत राज अधि0 फिरोजाबाद) द्वारा व्यय प्रमाणक तथा समस्त अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि **श्री रामेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी** द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं, तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 4,31,720=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री थान सिंह, पूर्व प्रधान	₹0 2,15,860=00
श्री रामेन्द्र सिंह, ग्रा0पं0अधि0	₹0 2,15,860=00

प्रस्तर 76- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई मस्टररोल उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 48,000=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री थान सिंह, पूर्व प्रधान	₹0 24,000=00
श्री रामेन्द्र सिंह, ग्रा0पं0अधि0	₹0 24,000=00

65- ग्राम पंचायत विजयपुर भीकनपुर विकास खण्ड फिरोजाबाद जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 77- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 8,69,537=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय **₹0 8,69,537=00** नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री मती सरोज देवी** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उदयप्रताप सिंह** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर 78- विशेष सचिव उ0 प्र0 शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹0 5,78,811=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री मती सरोज देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उदयप्रताप सिंह** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर 79- ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 5,78,811=00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित केशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अन्त में उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं० 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी **श्री उदयप्रताप सिंह** को इस कार्यालय (द्वारा जिला पंचायत राज अधि० फिरोजाबाद) द्वारा व्यय प्रमाणक तथा समस्त अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि **श्री उदयप्रताप सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी** द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं, तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 5,78,811=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री मती सरोज देवी, पूर्व प्रधान	₹0 2,89,405=50
श्री उदयप्रताप सिंह, ग्रा०पं०अधि०	₹0 2,89,405=50

प्रस्तर 80- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई मस्टररोल उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 2,34,000=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री मती सरोज देवी, पूर्व प्रधान	₹0 1,17,000=00
श्री उदयप्रताप सिंह, ग्रा०पं०अधि०	₹0 1,17,000=00

66- ग्राम पंचायत ढकपुरा विकास खण्ड फिरोजाबाद जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 81- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ०प्र०शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 9,28,688=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय **₹0 9,28,688=00** नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री मती शशी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेन्द्र सिंह** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर 82- विशेष सचिव उ० प्र० शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं०-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹0 7,08,587=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री मती शशी** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेन्द्र सिंह** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर 83- ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 7,08,587=00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित केशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अन्त में उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी **श्री रामेन्द्र सिंह** को इस कार्यालय (द्वारा जिला पंचायत राज अधि0 फिरोजाबाद) द्वारा व्यय प्रमाणक तथा समस्त अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि **श्री रामेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी** द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं, तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 7,08,587=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री मती शशी, पूर्व प्रधान	₹0 3,54,293=50
श्री रामेन्द्र सिंह, ग्रा0पं0अधि0	₹0 3,54,293=50

प्रस्तर 84- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई मस्टररोल उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 65,400=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री मती शशी, पूर्व प्रधान	₹0 32,700=00
श्री रामेन्द्र सिंह, ग्रा0पं0अधि0	₹0 32,700=00

67- ग्राम पंचायत इटौरा विकास खण्ड फिरोजाबाद जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 85- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 42,14,132=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रकृति से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय **₹0 42,14,132=00** नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री मती सुमन** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेन्द्र सिंह** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर 86- विशेष सचिव उ0 प्र0 शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹0 33,49,557=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री मती सुमन** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेन्द्र सिंह** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर 87- ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 33,49,557=00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित केशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अन्त में 30 प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी **श्री रामेन्द्र सिंह** को इस कार्यालय (द्वारा जिला पंचायत राज अधि0 फिरोजाबाद) द्वारा व्यय प्रमाणक तथा समस्त अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि **श्री रामेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी** द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं, तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 33,49,557=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री मती सुमन, पूर्व प्रधान

₹0 16,74,778=50

श्री रामेन्द्र सिंह, ग्रा0पं0अधि0

₹0 16,74,778=50

प्रस्तर 88- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई मस्टररोल उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 7,38,700=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री मती सुमन, पूर्व प्रधान

₹0 3,69,350=00

श्री रामेन्द्र सिंह, ग्रा0पं0अधि0

₹0 3,69,350=00

68- ग्राम पंचायत खरसुली विकास खण्ड फिरोजाबाद जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 89- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 30प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 42,14,132=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 42,14,132=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री मती गुड्डी देवी** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेन्द्र सिंह** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर 90- विशेष सचिव 30 प्र0 शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹0 33,49,557=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री मती गुड्डी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेन्द्र सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर 91- ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 33,49,557=00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित कैशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टोक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अन्त में उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेन्द्र सिंह को इस कार्यालय (द्वारा जिला पंचायत राज अधि0 फिरोजाबाद) द्वारा व्यय प्रमाणक तथा समस्त अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि श्री रामेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं, तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 33,49,557=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री मती गुड्डी देवी, पूर्व प्रधान

₹0 16,74,778=50

श्री रामेन्द्र सिंह, ग्रा0पं0अधि0

₹0 16,74,778=50

प्रस्तर 92- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई मस्टररोल उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 7,38,700=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री मती गुड्डी देवी, पूर्व प्रधान

₹0 3,69,350=00

श्री रामेन्द्र सिंह, ग्रा0पं0अधि0

₹0 3,69,350=00

69- ग्राम पंचायत लुहारी सलेमपुर विकास खण्ड फिरोजाबाद जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 93- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 13,44,194=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 13,44,194=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री अमरेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमित यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर 94- विशेष सचिव उ0 प्र0 शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹0 9,75,224=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री अमरेश कुमार** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमित यादव** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर 95- ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 9,75,224=00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित केशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अन्त में उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी **श्री अमित यादव** को इस कार्यालय (द्वारा जिला पंचायत राज अधि0 फिरोजाबाद) द्वारा व्यय प्रमाणक तथा समस्त अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि **श्री अमित यादव ग्राम पंचायत अधिकारी** द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं, तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 9,75,224=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री अमरेश कुमार, पूर्व प्रधान	₹0 4,87,612=00
श्री अमित यादव, ग्रा0पं0अधि0	₹0 4,87,612=00

प्रस्तर 96- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई मस्टररोल उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 3,51,100=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री अमरेश कुमार, पूर्व प्रधान	₹0 1,75,550=00
श्री अमित यादव, ग्रा0पं0अधि0	₹0 1,75,550=00

70- ग्राम पंचायत सोफीपुर विकास खण्ड फिरोजाबाद जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 97- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 19,42,186=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय **₹0 19,42,186=00** नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री पूरनमल** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक सामौर्या** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर 98- विशेष सचिव उ0 प्र0 शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹0 9,85,405=00 की निर्माण सामग्री बिना कोटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री पूरनमल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक सामौर्या** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर 99- ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 9,85,405=00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित केशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अन्त में उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी **श्री अशोक सामौर्या** को इस कार्यालय (द्वारा जिला पंचायत राज अधि0 फिरोजाबाद) द्वारा व्यय प्रमाणक तथा समस्त अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि **श्री अशोक सामौर्या ग्राम पंचायत अधिकारी** द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं, तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 9,85,405=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री पूरनमल, पूर्व प्रधान	₹0 4,92,702=50
श्री अशोक सामौर्या, ग्रा0पं0अधि0	₹0 4,92,702=50

प्रस्तर 100- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई मस्टररोल उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 1,84,100=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री पूरनमल, पूर्व प्रधान	₹0 92,050=00
श्री अशोक सामौर्या, ग्रा0पं0अधि0	₹0 92,050=00

71- ग्राम पंचायत मुहम्मदपुर बिहारीपुर विकास खण्ड फिरोजाबाद जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 101- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 17,60,401=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 17,60,401=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री मती सुनीता देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक सामौर्या** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर 102- विशेष सचिव उ0 प्र0 शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹0 14,26,826=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री मती सुनीता देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक सामौर्या** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 103- ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 14,26,826=00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित कैशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अन्त में उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं० 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी **श्री अशोक सामौर्या** को इस कार्यालय (द्वारा जिला पंचायत राज अधि० फ़िरोजाबाद) द्वारा व्यय प्रमाणक तथा समस्त अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि **श्री अशोक सामौर्या ग्राम पंचायत अधिकारी** द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं, तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 14,26,826=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री मती सुनीता देवी, पूर्व प्रधान	₹0 7,13,413=00
श्री अशोक सामौर्या, ग्रा०प०अधि०	₹0 7,13,413=00

प्रस्तर 104- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई मस्टररोल उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 2,11,000=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री मती सुनीता देवी, पूर्व प्रधान	₹0 1,05,500=00
श्री अशोक सामौर्या, ग्रा०प०अधि०	₹0 1,05,500=00

72- ग्राम पंचायत उँधनी विकास खण्ड फ़िरोजाबाद जनपद फ़िरोजाबाद।

प्रस्तर 105- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ०प्र०शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 19,42,186=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय **₹0 19,42,186=00** नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री मती राजकुमारी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेन्द्र सिंह** संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर 106- विशेष सचिव उ० प्र० शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं०-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹0 23,78,723=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री मती राजकुमारी देवी** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेन्द्र सिंह** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर 107- ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 23,78,723=00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित केशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अन्त में उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं० 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी **श्री रामेन्द्र सिंह** को इस कार्यालय (द्वारा जिला पंचायत राज अधि० फिरोजाबाद) द्वारा व्यय प्रमाणक तथा समस्त अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि **श्री रामेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी** द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं, तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 23,78,723=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री मती राजकुमारी देवी, पूर्व प्रधान	₹0 11,89,361=50
श्री रामेन्द्र सिंह, ग्रा०प०अधि०	₹0 11,89,361=50

प्रस्तर 108- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई मस्टररोल उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 8,14,065=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री मती राजकुमारी देवी, पूर्व प्रधान	₹0 4,07,032=50
श्री रामेन्द्र सिंह, ग्रा०प०अधि०	₹0 4,07,032=50

73- ग्राम पंचायत सडामई विकास खण्ड फिरोजाबाद जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 109- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रामित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ०प्र०शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 20,97,345=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 20,97,345=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री मती सविता देवी** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेन्द्र सिंह** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर 110- विशेष सचिव उ० प्र० शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं०-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹0 19,55,153=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री मती सविता देवी** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेन्द्र सिंह** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर 111- ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 19,55,153=00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित केशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अन्त में उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं० 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी **श्री रामेन्द्र सिंह** को इस कार्यालय (द्वारा जिला पंचायत राज अधि० फिरोजाबाद) द्वारा व्यय प्रमाणक तथा समस्त अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि **श्री रामेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी** द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं, तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 19,55,153=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री मती सविता देवी, पूर्व प्रधान

₹0 9,77,576=50

श्री रामेन्द्र सिंह, ग्रा०प०अधि०

₹0 9,77,576=50

प्रस्तर 112- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई मस्टररोल उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 5,03,102=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री मती सविता देवी, पूर्व प्रधान

₹0 2,51,551=00

श्री रामेन्द्र सिंह, ग्रा०प०अधि०

₹0 2,51,551=00

74- ग्राम पंचायत नरगापुर विकास खण्ड फिरोजाबाद जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 113- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ०प्र०शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 8,40,520=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 8,40,520=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री महेन्द्रपाल सिंह** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेन्द्र सिंह** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर 114- विशेष सचिव उ० प्र० शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं०-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹0 6,05,790=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री महेन्द्रपाल सिंह** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेन्द्र सिंह** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर 115- ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 6,05,790=00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित केशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अन्त में उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी **श्री रामेन्द्र सिंह** को इस कार्यालय (द्वारा जिला पंचायत राज अधि0 फ़िरोजाबाद) द्वारा व्यय प्रमाणक तथा समस्त अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि **श्री रामेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी** द्वारा उक्त धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं, तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 6,05,790=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री महेन्द्रपाल सिंह, पूर्व प्रधान

₹0 3,02,895=00

श्री रामेन्द्र सिंह, ग्रा0पं0अधि0

₹0 3,02,895=00

प्रस्तर 116- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई मस्टररोल उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। अतः उक्त समस्त धनराशि ₹0 1,44,000=00 की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री महेन्द्रपाल सिंह, पूर्व प्रधान

₹0 72,000=00

श्री रामेन्द्र सिंह, ग्रा0पं0अधि0

₹0 72,000=00

75- ग्राम पंचायत पृथ्वीपुर विकास खण्ड हाथवन्त जनपद फ़िरोजाबाद।

प्रस्तर 117- विशेष सचिव उ0 प्र0 शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹0 11,25,848=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री रामौतार सिंह** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महेन्द्र पाल सिंह** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

76- ग्राम पंचायत ओढमपुर विकास खण्ड हाथवन्त जनपद फ़िरोजाबाद।

प्रस्तर 118- विशेष सचिव उ0 प्र0 शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹0 10,37,548=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री मती राजनी श्री एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महेन्द्र पाल सिंह** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

77- ग्राम पंचायत सांखिनी विकास खण्ड हाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 119- विशेष सचिव उ० प्र० शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं०-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹० 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹० 11,14,144=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री सुभाषचन्द्र एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महेन्द्र पाल सिंह** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

78- ग्राम पंचायत बिठवारा विकास खण्ड जसराना जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 120- विशेष सचिव उ० प्र० शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं०-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹० 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹० 14,26,387=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री मती सरोज देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रिषभ कुमार** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

79- ग्राम पंचायत खुदादादपुर विकास खण्ड जसराना जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 121- विशेष सचिव उ० प्र० शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं०-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹० 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹० 2,14,608=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री मुकेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रिषभ कुमार** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

80- ग्राम पंचायत खेडा खुर्द विकास खण्ड मदनपुर जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 122- विशेष सचिव उ० प्र० शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं०-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹० 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹० 24,92,033=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री गिरन्द सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरवीश मिश्रा** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर 123- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ० प्र० शासन द्वारा अनुदान की धनराशि

के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 4,10,000=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 4,10,000=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री गिरन्द सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरवीश मिश्रा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

81- ग्राम पंचायत कौरारी विकास खण्ड मदनपुर जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 124- विशेष सचिव उ० प्र० शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं०-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹0 20,32,310=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री मती मुन्नी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरवीश मिश्रा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर 125- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रामित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ० प्र० शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 3,90,000=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय ₹0 3,90,000=00 नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री मती मुन्नी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरवीश मिश्रा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

82- ग्राम पंचायत जायमई विकास खण्ड मदनपुर जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 126- विशेष सचिव उ० प्र० शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं०-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹0 19,79,434=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री आनन्दस्वरूप एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवराज सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर 127- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रामित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ० प्र० शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में ₹0 16,08,540=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस कार्य पर व्यय **रु0 16,08,540=00** नियमों के विरुद्ध किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री आनन्दस्वरूप एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवराज सिंह** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रारूप- 3

ग्राम पंचायतों का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

जनपद - मैनपुरी।

1- ग्राम पंचायत सथिनी दलीपपुर, विकास खण्ड मैनपुरी

प्रस्तर 1-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत सथिनी दलीपपुर के सचिव और प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ई ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार रु0 1310354.00 का व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का दायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8क के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान/प्रशासक व सचिव से आधी आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्षों में व्यय की धनराशि रु0 1310354 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री श्री कृष्ण /प्रशासक श्री राजकमल मिश्र व सचिव श्री चन्द्र पाल सिंह से की जानी अपेक्षित है।

2- ग्राम पंचायत लालपुर सथिनी, विकास खण्ड मैनपुरी

प्रस्तर-2 लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत लालपुर सथिनी के सचिव और प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार रु0 1939022 का व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का दायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8क के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान/प्रशासक व सचिव से आधी आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्षों में व्यय की धनराशि रु0 1939022 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री मती पूनम / प्रशासक श्री राजकमल मिश्र व सचिव श्री प्रदीप चौहान से की जानी अपेक्षित है।

3- ग्राम पंचायत टिण्डौली, विकासखण्ड मैनपुरी

प्रस्तर-3 लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत टिण्डौली के सचिव और प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ई ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार रु0 1340421 का व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का दायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8क के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान/प्रशासक व सचिव से आधी आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्षों में व्यय की धनराशि रु0 1340421 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री विजय करन सिंह/ प्रशासक श्री राजकमल मिश्र व सचिव श्री प्रदीप चौहान से की जानी अपेक्षित है।

4- ग्राम पंचायत धरमगदपुर नगरिया, विकासखण्ड मैनपुरी,

प्रस्तर-4 लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत धरमगदपुर नगरिया के सचिव और प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ई ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार रु0 2858481 का व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का दायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8क के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम

15- ग्राम पंचायत बरिहा, विकासखण्ड किशनी

16- ग्राम पंचायत बसैत, विकासखण्ड किशनी

17- ग्राम पंचायत चिंतायन, विकासखण्ड किशनी

18- ग्राम पंचायत गूलरियापुर, विकासखण्ड किशनी

19- ग्राम पंचायत रामनगर, विकासखण्ड किशनी

24- ग्राम पंचायत हरचन्दपुर विकासखण्ड किशनी

25- ग्राम पंचायत गंगदासपुर विकासखण्ड किशनी

26- ग्राम पंचायत महगवां विकासखण्ड किशनी

27- ग्राम पंचायत महौली शमषेरगंज विकासखण्ड किशनी

28- ग्राम पंचायत इलाबासं विकासखण्ड किशनी

1707

परीक्षा वर्ष में व्यय की धनराशि रु0 852933.40 की वसूली श्री सिद्धनाथ, प्रधान व श्री रवि यादव, सचिव से की जानी अपेक्षित है।

62- ग्राम पंचायत- ओन्हा, विकास खण्ड-करहल,

प्रस्तर-62 लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत- ओन्हा के सचिव और प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार रु0 2463240.00 का व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का सामूहिक दायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में यदि प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से आधी-आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की धनराशि रु0 2463240.00 की वसूली श्री वादाम श्री, प्रधान व श्री रवि यादव, सचिव से की जानी अपेक्षित है।

63- ग्राम पंचायत- सहस, विकास खण्ड-करहल

प्रस्तर-63 लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत- सहस के सचिव और प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार रु0 1738725.00 का व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का सामूहिक दायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में यदि प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से आधी-आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की धनराशि रु0 1738725.00 की वसूली श्री राजेश कुमार, प्रधान व श्री रवि यादव, सचिव से की जानी अपेक्षित है।

64- ग्राम पंचायत- तरौलिया, विकास खण्ड-करहल,

प्रस्तर-64 लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत- तरौलिया के सचिव और प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली (मात्र कैश बुक एवं बैंक पास बुक को छोड़कर) प्रस्तुत नहीं किये गये। कैश बुक एवं बैंक पास बुक के अनुसार रु0 1319577.00 का व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का सामूहिक दायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में यदि प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से आधी-आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की धनराशि रु0 1319577.00 की वसूली श्रीमती चन्द्रकली, प्रधान व श्री रवि यादव, सचिव से की जानी अपेक्षित है।

65- ग्राम पंचायत- सरसई मासूमपुर, विकास खण्ड-करहल,

प्रस्तर-65 लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत- सरसई मासूमपुर के सचिव और प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार रु0 2724193.00 का व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का सामूहिक दायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में यदि प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से आधी-आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की धनराशि रु0 2724193.00 की वसूली श्री प्रमलेश, प्रधान व श्री राजीव राना, सचिव से की जानी अपेक्षित है।

66- ग्राम पंचायत- अतीकुल्लापुर, विकास खण्ड-करहल

व्यय की पुष्टि में यदि प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से आधी-आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की धनराशि रु0 2636343.00 की वसूली श्रीमती मधुलता, प्रधान व श्री अनिल शाक्य, सचिव से की जानी अपेक्षित है।

76- ग्राम पंचायत- रमपुरा गुराई, विकास खण्ड-घिरोर

प्रस्तर-76 लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत- रमपुरा गुराई के सचिव और प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार रु0 1097703.00 का व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का सामूहिक दायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में यदि प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से आधी-आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की धनराशि रु0 1097703.00 की वसूली श्री करन सिंह, प्रधान व श्री अनिल शाक्य, सचिव से की जानी अपेक्षित है।

77- ग्राम पंचायत- बलपुरा , विकासखण्ड- बरनाहल

प्रस्तर-77 लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत बलपुरा के सचिव और प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये । बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रु 1267435.00 का व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का दायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते है तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान/प्रशासक व सचिव से आधी आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्षों में व्यय की धनराशि रु 1267435.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री मती मिथलेश कुमारी/प्रशासक श्री रोहित व सचिव श्री संतोष यादव से की जानी अपेक्षित है।

78- ग्राम पंचायत- कैलाशपुर , विकासखण्ड- बरनाहल

प्रस्तर-78 लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत कैलाशपुर के सचिव और प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये । बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रु 2176761.00 का व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का दायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते है तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान/प्रशासक व सचिव से आधी आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्षों में व्यय की धनराशि रु 2176761.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री मती शारदा देवी/ प्रशासक श्री रोहित व सचिव श्री संतोष यादव से की जानी अपेक्षित है।

79- ग्राम पंचायत- निटावली , विकासखण्ड- बरनाहल

प्रस्तर-79 लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत निटावली के सचिव और प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये । बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रु 1240509.00 का व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का दायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते है तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान/प्रशासक व सचिव से आधी आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्षों में व्यय की धनराशि रु 1240509.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री मती प्रेमलता/ प्रशासक श्री रोहित व सचिव श्री संतोष यादव से की जानी अपेक्षित है।

80- ग्राम पंचायत- लाखनमऊ , विकासखण्ड- बरनाहल

से आधी आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्षों में व्यय की धनराशि रु 2160144.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री नेम सिंह/ प्रशासक श्री रोहित व सचिव श्री अनिल यादव से की जानी अपेक्षित है।

90 ग्राम पंचायत-मसरपुर, विकासखण्ड- बरनाहल

प्रस्तर-90 लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत मसरपुर के सचिव और प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये । बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रु 1619323.00 का व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का दायित्व है। पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान/प्रशासक व सचिव से आधी आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्षों में व्यय की धनराशि रु 1619323.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री प्रमोद मिश्रा/ प्रशासक श्री रोहित व सचिव श्री सोनवीर सिंह से की जानी अपेक्षित है।

91 ग्राम पंचायत-अहमदपुर, विकासखण्ड- बरनाहल

प्रस्तर-91 लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत अहमदपुर के सचिव और प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये । बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रु 1525397.00 का व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का दायित्व है। पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान/प्रशासक व सचिव से आधी आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्षों में व्यय की धनराशि रु 1525397.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री राजन/ प्रशासक श्री रोहित व सचिव श्री अनिल यादव से की जानी अपेक्षित है।

92- ग्राम पंचायत-दिहुली, विकासखण्ड- बरनाहल

प्रस्तर-92 लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत दिहुली के सचिव और प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये । बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रु 2793665.00 का व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का दायित्व है। पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान/प्रशासक व सचिव से आधी आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्षों में व्यय की धनराशि रु 2793665.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री मती मधु भदौरिया/ प्रशासक श्री रोहित व सचिव श्री अनिल यादव से की जानी अपेक्षित है।

93 ग्राम पंचायत-कुम्हेरी, विकासखण्ड- बरनाहल

प्रस्तर-93 लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत कुम्हेरी के सचिव और प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये । बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रु 3827288.00 का व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का दायित्व है। पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान/प्रशासक व सचिव से आधी आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्षों में व्यय की धनराशि रु 3827288.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री वारंटी लाल/ प्रशासक श्री रोहित व सचिव श्री अनिल यादव से की जानी अपेक्षित है।

94- ग्राम पंचायत-भिड़ोरा, विकासखण्ड- बरनाहल

प्रस्तर-126 लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत हथपऊ के सचिव और प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये । बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रु 8770091.62 का व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का दायित्व है। पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान/प्रशासक व सचिव से आधी आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्षों में व्यय की धनराशि रु 8770091.62 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री मती किरण देवी/ प्रशासक श्री विपिन कुशवाह व सचिव श्री अनुज मिश्रा से की जानी अपेक्षित है।

127- ग्राम पंचायत - ब्यौतीकलां विकासखण्ड- जागीर

प्रस्तर-127 लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत ब्यौतीकलां के सचिव और प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये । बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रु 2504491.90 का व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का दायित्व है। पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान/प्रशासक व सचिव से आधी आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्षों में व्यय की धनराशि रु 2504491.90 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री पूनम चौहान/ प्रशासक श्री विपिन कुशवाह व सचिव श्री अनुज मिश्रा से की जानी अपेक्षित है।

128- ग्राम पंचायत - बघिरुआ विकासखण्ड- जागीर

प्रस्तर-128 लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत बघिरुआ के सचिव और प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये । बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रु 3098062.00 का व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का दायित्व है। पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान/प्रशासक व सचिव से आधी आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्षों में व्यय की धनराशि रु 3098062.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री पंकज कुमार/ प्रशासक श्री विपिन कुशवाह व सचिव श्री अनुज मिश्रा से की जानी अपेक्षित है।

129- ग्राम पंचायत - पुडरी विकासखण्ड- जागीर

प्रस्तर-129 लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत पुडरी के सचिव और प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये । बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रु 7124573.58 का व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का दायित्व है। पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान/प्रशासक व सचिव से आधी आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्षों में व्यय की धनराशि रु 7124573.58 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री प्रदीप कुमार/ प्रशासक श्री विपिन कुशवाह व सचिव श्री अनुज मिश्रा से की जानी अपेक्षित है।

जनपद- मथुरा

01. ग्राम पंचायत सौंख देहात विकास खण्ड गोवर्धन

प्रस्तर 01- आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में प्रस्तुत अभिलेखों के अतिरिक्त रु० 199305.00 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/प्रशासक तथा सचिव से की जायेगी। अतः

व्यय दर्शायी गयी धनराशि ₹0 199305.00 की आधी-आधी वसूली तातारीख ब्याज सहित प्रशासक श्री जी. डी. जैन एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राकेश से की जानी अपेक्षित है।

02. ग्राम पंचायत दौलतपुर विकास खण्ड गोवर्धन जनपद मथुरा।

प्रस्तर 02 -आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में प्रस्तुत अभिलेखों के अतिरिक्त ₹0 57000.00 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/प्रशासक तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि ₹0 57000.00 की आधी-आधी वसूली तातारीख ब्याज सहित प्रशासक श्री जी. डी. जैन एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राम गोपाल गुर्जर से की जानी अपेक्षित है।

03. ग्राम पंचायत सेहा विकास खण्ड गोवर्धन जनपद मथुरा।

प्रस्तर 03- आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में प्रस्तुत अभिलेखों के अतिरिक्त रु. 34399 2.00 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/प्रशासक तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि ₹0 343992.00 की आधी-आधी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान/प्रशासक श्री बच्चू सिंह/ श्री जी. डी. जैन एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री संजीव कुमार शर्मा व श्री राम गोपाल गुर्जर से की जानी अपेक्षित है।

04. ग्राम पंचायत अहमल विकास खण्ड गोवर्धन जनपद मथुरा।

प्रस्तर 04- आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में ग्राम प्रधान का मानदेय एवं बैंक चार्ज के अतिरिक्त रु. 1753372.00 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। तथा इसी व्यय की गयी धनराशि में से दिनांक 15/07/2020 को बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ₹0 4200.00 का आहरण किया गया, जिसकी एंट्री कैशबुक में नहीं कर रु. 4200.00 का अपरहण किया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/प्रशासक तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि ₹0 1753372.00 की आधीआधी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान/प्रशासक श्री वर्धमान व श्री जी. डी. जैन एवं ग्रामपंचायत विकास अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद मीणा से की जानी अपेक्षित है।

05. ग्राम पंचायत सौसा विकास खण्ड गोवर्धन जनपद मथुरा।

प्रस्तर 05-आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में प्रस्तुत अभिलेखों के अतिरिक्त ₹0 22200.00 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/प्रशासक तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि ₹0 22200.00 की आधी-आधी वसूली तातारीख ब्याज सहित प्रशासक श्री जी. डी. जैन एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्रीमती मनीता मीणा से की जानी अपेक्षित है।

06. ग्राम पंचायत खालुआ विकास खण्ड राया जनपद मथुरा।

प्रस्तर 11- आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में ग्राम प्रधान का मानदेय एवं बैंक चार्ज के अतिरिक्त रु0 1798217.00 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/प्रशासक तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि रु0 1798217.00 की वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान/प्रशासक श्री चन्दन सिंह / श्री राम कुमार शर्मा एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्रीमति नीरज से की जानी अपेक्षित है।

12. ग्राम पंचायत गांगरौली विकास खण्ड चौमुहां जनपद मथुरा।

प्रस्तर 12- आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में प्रस्तुत अभिलेखों के अतिरिक्त रु. 44785.00 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी पंचायत विकास अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र से की जानी अपेक्षित है।

13. ग्राम पंचायत जोनाई विकास खण्ड मथुरा जनपद मथुरा।

प्रस्तर 13- आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में प्रस्तुत अभिलेखों के अतिरिक्त रु. 721841.00 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अतिरिक्त रु0 15000.00 (दि0 12.03.2021 - राज्य वित्त आयोग खाता) की प्रविष्टि कैशबुक में अंकित न कर धनराशि का अपहरण किया गया और न ही कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राज बहादुर से की जानी अपेक्षित है।

14. ग्राम पंचायत मलिकपुर विकास खण्ड फ़रह जनपद मथुरा।

प्रस्तर 14- आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में ग्राम प्रधान का मानदेय के अतिरिक्त रु0 889941.94 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/प्रशासक तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि रु0 889941.94 की वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान/प्रशासक श्री मनेन्द्र / श्री श्याम सुन्दर शर्मा एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्रीमति प्राची कोठारी से की जानी अपेक्षित है।

15. ग्राम पंचायत मेघपुर विकास खण्ड फ़रह जनपद मथुरा।

प्रस्तर 15- आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में ग्राम प्रधान का मानदेय एवं बैंक चार्ज के अतिरिक्त रु0 925744.00 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी

गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/प्रशासक तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि रु0 925744.00 की वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान/प्रशासक श्रीमति चन्द्र कला/श्री श्याम सुन्दर सारस्वत एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्रीमति प्राची कोठारी से की जानी अपेक्षित है।

16. ग्राम पंचायत रैपुराजाट विकास खण्ड फ़रह जनपद मथुरा।

प्रस्तर 16- आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में ग्राम प्रधान का मानदेय एवं बैंक चार्ज के अतिरिक्त रु0 1422619.00 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/प्रशासक तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि रु0 1422619.00 की वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान/प्रशासक श्री राजेंद्र सिंह /श्री श्याम सुन्दर सारस्वत एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्रीमति प्राची कोठारी से की जानी अपेक्षित है।

17. ग्राम पंचायत शहजादपुर पौरी विकास खण्ड फ़रह जनपद मथुरा।

प्रस्तर 17- आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में ग्राम प्रधान का मानदेय एवं बैंक चार्ज के अतिरिक्त रु0 971480.00 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/प्रशासक तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि रु0 971480.00 की वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान/प्रशासक श्री नन्द किशोर /श्री श्याम सुन्दर सारस्वत एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्रीमति प्राची कोठारी से की जानी अपेक्षित है।

18. ग्राम पंचायत पिल्होरा विकास खण्ड चौमुहां जनपद मथुरा।

प्रस्तर 18- आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में ग्राम प्रधान का मानदेय एवं बैंक चार्ज के अतिरिक्त रु0 2117931.00 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/प्रशासक तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि रु0 2117931.00 की वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान/प्रशासक श्री बुद्धि/श्री विनोद असोल एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्रीमति कांता/श्री हरवेन्द्र से की जानी अपेक्षित है।

19. ग्राम पंचायत बसई बुजुर्ग विकास खण्ड चौमुहां जनपद मथुरा।

प्रस्तर 19- आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में प्रस्तुत अभिलेखों के अतिरिक्त रु. 111454.00 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी

पंचायत विकास अधिकारी श्री प्रशांत से की जानी अपेक्षित है।

20. ग्राम पंचायत इरौली गूजर बांगर विकास खण्ड मांट जनपद मथुरा।

प्रस्तर 20- आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में ग्राम प्रधान का मानदेय एवं बैंक चार्ज के अतिरिक्त रु. 1499072.00 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। तथा 07.11.2020 को राज्य वित्त बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रु० 100000.00 की आहरण व व्यय की प्रविष्टि कैशबुक में अंकित नहीं की गयी है और न ही कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी कुमार शर्मा एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अशोक चौधरी से की जानी अपेक्षित है।

21. ग्राम पंचायत कल्याणपुर विकास खण्ड मांट जनपद मथुरा।

प्रस्तर 21- आलोच्य वर्ष 2020-21 की ग्राम निधि प्रथम लेखा परीक्षा में ई-ग्राम स्वराज पर वर्ष में उपभोग/व्यय राज्य वित्त आयोग, पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त आयोग और अन्य मद में रु० 3980877.00 दर्शित है। इस दर्शित उपभोग धनराशि के सापेक्ष आफलाइन लेखा परीक्षा में भी कोई भी वाउचर/मूल व्यय प्रमाणक/मरम्मत निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उपर्युक्त व्यय की पुष्टि के संबंध में तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव से आनलाइन कार्यक्रम के बाद लिखित रूप में व मौखिक अनुरोध व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर अभिलेख की मांग की गयी। लेकिन कोई भी अभिलेख मूल रूप में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद उच्च अधिकारियों से अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। इस प्रकार मौखिक व लिखित प्रयासों के बावजूद कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। आलोच्य वर्ष में ई-ग्राम स्वराज के अनुसार कुल व्यय धनराशि रु० 3980877.00 की पुष्टि में कोई भी वाउचर/ मरम्मत निर्माण पत्रावली, कैशबुक, पासबुक, कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, वर्क आईडी0, स्टीमेट, प्रशासकीय वित्तीय एवं तकनीकी अनुमति, एम0बी0, बिल/वाउचर,मस्टररोल विभिन्न डायरेक्ट्री आफ वर्क्स, प्रधान मानदेय रजिस्टर, समितियों की यथानुसार संस्तुति, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अनुदान पंजिका, स्टोर पंजिका व परिसम्पत्ति पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, निरीक्षण पंजिका, स्टॉक पंजिका गत वर्ष की लेखा परीक्षित कोषवही, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, टेण्डर कुटेशन पत्रावली मूल व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं की गयी। जो आनलाइन दर्शित व्यय धनराशि की पुष्टि हेतु अपेक्षित थी। पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें एवं इसी अध्याय के खण्ड 8-क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी। इस प्रकार कुल व्यय रु० 3980877.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा और जो कि उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है। इसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान/प्रशासक और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव उत्तरदायी है। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली तातारीख ब्याज ग्राम प्रधान/ प्रशासक - श्री जगदीश/श्री रामकुमार शर्मा और सचिव - श्री चन्द्रपाल गावर से की जानी अपेक्षित है।

22. ग्राम पंचायत डाहरुआ विकास खण्ड मांट जनपद मथुरा।

प्रस्तर 22- आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में ग्राम प्रधान का मानदेय एवं बैंक चार्ज के अतिरिक्त रु0 2964458.00 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/प्रशासक तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि रु0 2964458.00 की वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान/प्रशासक श्री किशनसिंह /श्री राम कुमार शर्मा एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री दिनेश कुमार से की जानी अपेक्षित है।

23. ग्राम पंचायत पानीगांव बांगर विकास खण्ड मांट जनपद मथुरा।

प्रस्तर 23 - आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में ग्राम प्रधान का मानदेय एवं बैंक चार्ज के अतिरिक्त रु0 4109565.00 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/प्रशासक तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि रु0 4109565.00 की वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान/प्रशासक श्रीमती आशा/श्री राम कुमार शर्मा एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री दिनेश कुमार/श्री तरुण वर्मा से की जानी अपेक्षित है।

24. ग्राम पंचायत बिजोली बांगर विकास खण्ड मांट जनपद मथुरा।

प्रस्तर 24- आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में प्रस्तुत अभिलेखों के अतिरिक्त रु. 3369577.00 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री दिनेश कुमार से की जानी अपेक्षित है।

25. ग्राम पंचायत सिकन्दरपुर विकास खण्ड मांट जनपद मथुरा।

प्रस्तर 25- आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में ग्राम प्रधान का मानदेय एवं बैंक चार्ज के अतिरिक्त रु0 4444776.00 व्यय किया गया है। इसके अतिरिक्त रु0 1020469.00 (रु0 330000.00 - माह दिसम्बर 2020 तथा रु0 690469.00 माह मार्च 2021 में) की प्रविष्टियां केन्द्र वित्त की कैशबुक में अंकित नहीं पायी गयी तथा दिनांक 21.04.2020 को राज्य वित्त बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रु0 42000.00 का आहरण किया गया, किन्तु राज्य वित्त कैशबुक में व्यय पक्ष में रु0 40000.00 का व्यय दर्शित है। इस प्रकार रु0 2000.00 का अंतर रहा। इन व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/प्रशासक तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि रु0 4444776.00 तथा कैशबुक में अंकित नहीं की गयी धनराशि रु0 1022469.00) कुल रु0 5467245.00 की वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान/प्रशासक श्रीमती मछला देवी /श्री राम कुमार शर्मा एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अशोक चौधरी से की जानी अपेक्षित है।

26. ग्राम पंचायत चिकसोली विकास खण्ड नंदगांव जनपद मथुरा।

प्रस्तर 26- आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में प्रस्तुत अभिलेखों के अतिरिक्त रु. 31299.00 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी विकास अधिकारी श्री नेत्रपाल से की जानी अपेक्षित है।

27. ग्राम पंचायत बिजवारी विकास खण्ड नंदगांव जनपद मथुरा।

प्रस्तर 27- आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में प्रस्तुत अभिलेखों के अतिरिक्त रु. 180000.00 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी विकास अधिकारी मो० रफीक अहमद से की जानी अपेक्षित है।

28. ग्राम पंचायत जगदीशपुर विकास खण्ड बलदेव जनपद मथुरा।

प्रस्तर 28- आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में ग्राम प्रधान का मानदेय, एवं बैंक चार्ज के अतिरिक्त रु० 705354.00/- व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि रु० 705354.00/- की वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती नेकसी व प्रशासक श्री ग्रीश कुमार यादव एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सुरेश कुमार से की जानी अपेक्षित है।

29. ग्राम पंचायत सरकंड खेड़ा विकास खण्ड बलदेव जनपद मथुरा।

प्रस्तर 29- आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में ग्राम प्रधान का मानदेय, एवं बैंक चार्ज के अतिरिक्त रु० 938572.00/- व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि रु० 938572.00/- की वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री सुन्दर व प्रशासक श्री ग्रीश कुमार यादव एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सुरेश कुमार से की जानी अपेक्षित है।

30. ग्राम पंचायत नरहौली जुन्नरदार विकास खण्ड बलदेव जनपद मथुरा।

प्रस्तर 30- आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में ग्राम प्रधान का मानदेय, एवं बैंक चार्ज के अतिरिक्त रु० 1141428.00/- व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः

36. ग्राम पंचायत धीमरी विकास खण्ड छाता जनपद मथुरा।

37. ग्राम पंचायत बसई शेरगढ़ विकास खण्ड छाता जनपद मथुरा।

38. ग्राम पंचायत शेरगढ़ बांगर विकास खण्ड छाता जनपद मथुरा।

39. ग्राम पंचायत दौताना विकास खण्ड छाता जनपद मथुरा।

40. ग्राम पंचायत पीरपुर विकास खण्ड छाता जनपद मथुरा।

व्यय दर्शायी गयी धनराशि ₹0 830442.00/- की वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती उषा देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री नानक रामसे से की जानी अपेक्षित है।

50 .ग्राम पंचायत अमानुल्लापुर विकास खण्ड नौहड़ील जनपद मथुरा।

प्रस्तर 50-आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में ग्राम प्रधान का मानदेय, एवं बैंक चार्ज के अतिरिक्त ₹0 579771.00/- व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि ₹0 579771.00/- की वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री राजकुमार एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री नानक रामसे से की जानी अपेक्षित है।

51 .ग्राम पंचायत बिरजुगढ़ी विकास खण्ड नौहड़ील जनपद मथुरा।

प्रस्तर 51-आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में ग्राम प्रधान का मानदेय, एवं बैंक चार्ज के अतिरिक्त ₹0 1337228.00/- व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि ₹0 1337228.00/- की वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती राजवती एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अनु कुमार से की जानी अपेक्षित है।

52 .ग्राम पंचायत हसनपुर विकास खण्ड नौहड़ील जनपद मथुरा।

प्रस्तर 52-आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में ग्राम प्रधान का मानदेय, एवं बैंक चार्ज के अतिरिक्त ₹0 3477307.00/- व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि ₹0 3477307.00/- की वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती रीता चौधरी व प्रशासक श्री सुरेन्द्र पाल सिंह एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अनु कुमार व श्री धीरेन्द्र पाल से की जानी अपेक्षित है।

53 .ग्राम पंचायत रामगढ़ी विकास खण्ड नौहड़ील जनपद मथुरा।

प्रस्तर 53-आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में ग्राम प्रधान का मानदेय, एवं बैंक चार्ज के अतिरिक्त ₹0 670300.00/- व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि ₹0 670300.00/- की वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती कैलाशी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार व श्री भूपाल सिंह से की जानी अपेक्षित है।

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 :- ग्राम पंचायतें

जनपद- अलीगढ़

संस्था का नाम- ग्राम पंचायतें

जनपद- अलीगढ़

मण्डल- अलीगढ़

01 ग्राम पंचायत- मख्दूमनगर, विकास खण्ड- गंगीरी, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 01-ग्राम पंचायत मख्दूमनगर की ऑनलाइन लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 7 में स्पष्ट प्रावधान है कि ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा दल को व्यय से संबंधित समस्त बाउचर एवं अपेक्षित समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध करायेगे परन्तु लेखा परीक्षा में वर्ष आलोच्य में 4/20 से 9/21 तक कराये गये कार्यों से संबंधित पत्रावलियां (प्राकलन, एम०बी०, कार्य के प्रारम्भ, दौरान एवं अन्त की फोटो, कार्य योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रय के बाउचर एवं मजदूरी के मस्टर रोल, वाउचर, कार्यवाही पंजी) उपलब्ध नहीं कराया गया। कैशबुक के अनुसार वर्ष में कराये गये निर्माण कार्यों का विवरण एवं उन पर व्यय का विवरण निम्न प्रकार है-

क्रमांक	कार्य का विवरण	सामग्री	मजदूरी	योग
1	राजाराम के घर से सुखराम के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	-	4320	4320
2	राम खिलाड़ी के घर से दुर्जन के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	-	17340	17340
3	महेन्द्र के घर से मोहनलाल के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	283630	59160	342790
4	सामुदायिक शौचालय निर्माण	113637	-	113637
	योग	397267	80820	478087

उक्त स्थिति से उपरोक्त कार्यों के कराये जाने की पुष्टि नहीं होती है। अतः ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) के अंतर्गत अपहरण मानते हुए निर्माण कार्यों पर हुए व्यय रू० 122759.00 की वसूली मय ब्याज के श्री उदयवीर सिंह, सचिव एवं श्री साहब सिंह प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या- 27)

प्रस्तर 02-वर्ष आलोच्य में 9/20 तक निर्माण कार्यों के अतिरिक्त निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का आहरण कर विभिन्न कार्यों में व्यय दर्शाया गया है।

क्रमांक	कार्य का विवरण	धनराशि
1	03 हैण्ड पम्प रिबोर कार्य	84408
2	हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय	16164
3	मानदेय	17500
4	अन्य व्यय	4687
	योग	122759

उक्त व्यय से संबंधित हैण्ड पम्प रिबोर से संबंधित स्थलों का विवरण एवं पूर्व में लगे हुए हैण्ड पम्पों की स्थल की सूची व पुराने हैण्ड पम्प का स्क्रेब को स्टॉक में रखे जाने या स्क्रेब से बिक्री से आय का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं रहा, साथ ही जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, स्टीमेंट, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, व्यय वाउचर, मजदूरी का मस्टर रोल, कार्यपूति प्रमाण पत्र, मानदेय भुगतान से संबंधित पंजी एवं प्राप्ति रसीद, अन्य व्यय के सापेक्ष व्यय वाउचर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं होती मात्र काल्पनिक व्यय दर्शाकर आहरित धनराशि का समायोजन मात्र दर्शाकर अपहरण किया जाना दर्शित होता है। अतः ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) के अंतर्गत अपहरण मानते हुए निर्माण कार्यों पर हुए व्यय रू० 122759.00 की वसूली मय ब्याज के श्री उदयवीर सिंह, सचिव एवं श्री साहब सिंह प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या- 27)

02 ग्राम पंचायत- बोनई, विकास खण्ड- गंगीरी, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 03-ग्राम पंचायत बोनई की ऑनलाइन लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 7 में स्पष्ट प्रावधान है कि ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा दल को व्यय से संबंधित समस्त बाउचर एवं अपेक्षित समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध करायेगे

परन्तु लेखा परीक्षा में वर्ष आलोच्य में 4/20 से 9/21 तक कराये गये कार्यों से संबंधित पत्रावलियां (प्राकलन, एम0बी0, कार्य के प्रारम्भ, दौरान एवं अन्त की फोटो, कार्य योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रयके बाउचर एवं मजदूरी के मस्टर रोल, वाउचर, कार्यवाही पंजी) उपलब्ध नहीं कराया गया। कैशबुक के अनुसार वर्ष में कराये गये निर्माण कार्यों का विवरण एवं उन पर व्यय का विवरण निम्न प्रकार है-

क्रमांक	कार्य का विवरण	सामग्री	मजदूरी	योग
1	बीरेन्द्र के घर से राकेश के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	347052	84777	431829
2	पी0एस0 बोनई मरम्मत	99608	37620	137228
3	सुखराम के घर से शेर सिंह के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	195480	45290	241779
4	पी0एस0 बोनई शौचालय मरम्मत	29678	14850	44528
5	सी0सी0 से दुर्जन नाला तक इंटर लॉकिंग कार्य	182409	33660	216060
6	सी0सी0 से ओमकार के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	121085	17820	138905
7	कुआं मरम्मत	43664	7920	51584
8	स्कूल से राकेश के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	187479	41280	228759
9	पी0एस0 गुलरिया की बाउन्ड्री निर्माण	161895	55998	217893
10	नाहर के घर से राकेश के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	164586	35340	199926
11	पं0 घर से में खडण्जा नाला तक इंटर लॉकिंग कार्य	161194	54450	215644
12	पंचायत घर के प्रागण में इंटर लॉकिंग कार्य	72366	16770	89136
13	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	148279	29700	177979
14	प्रेम सिंह के घर से राजवीर के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	182140	33660	215800
	योग	2096924	510135	2607059

उक्त स्थिति से उपरोक्त कार्यों के कराये जाने की पुष्टि नहीं होती है। अतः ग्राम पंचायतके लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) के अंतर्गत अपहरण मानते हुए निर्माण कार्यों पर हुए व्ययरू0 2607059.00 की वसूली मय ब्याज के श्री महेश, सचिव एवं श्री सुबोध कुमार प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या- 26)

प्रस्तर 04-वर्ष आलोच्य में निर्माण कार्यों के अतिरिक्त निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का आहरण कर विभिन्न कार्यों में व्यय दर्शाया गया है।

क्रमांक	कार्य का विवरण	धनराशि
1	03 हैण्ड पम्प रिबोर कार्य	320248
3	मानदेय	38500
4	अन्य व्यय	11110
	योग	369858

उक्त व्यय से संबंधित हैण्ड पम्प रिबोर से संबंधित स्थलोंका विवरण एवं पूर्व में लगे हुए हैण्ड पम्पों की स्थल की सूची व पुराने हैण्ड पम्प का स्कैब को स्टॉक में रखे जाने या स्कैब से बिक्री से आय का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं रहा, साथ ही जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, स्टीमेंट, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, व्यय वाउचर, मजदूरी का मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मानदेय भुगतान से संबंधित पंजी एवं प्राप्ति रसीद, अन्य व्यय के सापेक्ष व्यय वाउचर लेखा परीक्षामें उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं होती मात्र काल्पनिक व्यय दर्शाकर आहरित धनराशि का समायोजन मात्र दर्शाकर अपहरण किया जाना दर्शित होता है। अतः ग्राम पंचायतके लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) के अंतर्गत अपहरण मानते हुए निर्माण कार्यों पर हुए व्ययरू0 369858.00 की वसूली मय ब्याज के श्री महेश, सचिव एवं श्री सुबोध कुमार प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या- 27)

प्रस्तर 05-वर्ष आलोच्य में मेन खडण्जा से हीरा के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य पर रू0 34620.00 एवं पंचायत घर के निर्माण पर रू0 453852.00 कुल रू0 488472.00 का व्यय दर्शाया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में निर्माण कार्य पत्रावली, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, प्राकलन, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एवं प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे, जिस कारण पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० के ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) के अंतर्गत अपहरण मानते हुए निर्माण कार्यों पर हुए व्ययरू0 488472.00 की वसूली मय ब्याज के श्री महेश, सचिव एवं श्री सुबोध कुमार प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या- 28)

द्वारा हैण्ड पम्प खराब होने की प्रार्थना पत्र एवं सही हो जाने का प्रमाण पत्र, जल प्रबन्धन क्षरा स्वीकृति एवं सामग्री के वाउचर व मजदूरी का मस्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जिससे उक्त धन के सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती। अतः ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) के अंतर्गत अपहरण मानते हुए निर्माण कार्यों पर हुए व्यय ₹0 1432768.00 की वसूली मय ब्याज के श्री उदयवीर, सचिव एवं श्रीमती मधुलता प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। (आपत्ति संख्या- 07)

07 ग्राम पंचायत- कसेर, विकास खण्ड- गंगीरी, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 10-ग्राम पंचायत कसेर की लेखा परीक्षा में प्रकाश में आया कि दिनांक 19.12.2020 को बाबत माह नवम्बर एवं दिसम्बर 2020 का मानदेय ₹0 7000.00 दो माह का भुगतान श्रीमती रेखा यादव प्रधान को किया गया। जबकि प्रधान का कार्यकाल मात्र दिनांक 25.12.2020 तक ही था, ऐसी स्थिति में 6 दिन का अधिक मानदेय का भुगतान किया गया।

अतः ₹0 677.00 अधिक भुगतान किये गये मानदेय की वसूली श्रीमती रेखा यादव प्रधान से किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या- 26)

08 ग्राम पंचायत- मझोला, विकास खण्ड- गंगीरी, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 11-ग्राम पंचायत मझोला की आनलाइन लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 हेतु इंटीमेशन भेजी गई जिसे संबंधित सचिव, द्वारा एक्सेप्ट किया गया परन्तु कई प्रयासों के उपरांत आफलाइन कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, वाउचर, कार्यवाही पंजी, निर्माण कार्य की पत्रावलियां एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। आनलाइन फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 3260116.00 का आहरण कर व्यय किया गया जिसके सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यथा- कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियां, कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, बैंक पासबुक, प्राकलन, एम0बी0, कार्य के प्रारम्भ, दौरान एवं अंत की फोटो, कार्ययोजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर एवं मजदूरी के मस्टर रोल, एवं हैण्ड पम्प कार्य के सापेक्ष हैण्ड पम्पों की स्वार सूची, खराब हैण्ड पम्पों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैण्ड पम्प खराब होने की प्रार्थना पत्र एवं सही हो जाने का प्रमाण पत्र, जल प्रबन्धन क्षरा स्वीकृति एवं सामग्री के वाउचर व मजदूरी का मस्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जिससे उक्त धन के सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती। अतः ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) के अंतर्गत अपहरण मानते हुए निर्माण कार्यों पर हुए व्यय ₹0 3260116.00 की वसूली मय ब्याज के श्री उदयवीर, सचिव एवं श्री राजकुमार प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति

संख्या- 07)

09 ग्राम पंचायत- निनामई ओझीपुर, विकास खण्ड- गंगीरी, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 12-ग्राम पंचायत निनामई ओझीपुर की आनलाइन लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 हेतु इंटीमेशन भेजी गई जिसे संबंधित सचिव, द्वारा एक्सेप्ट किया गया परन्तु कई प्रयासों के उपरांत आफलाइन कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, वाउचर, कार्यवाही पंजी, निर्माण कार्य की पत्रावलियां एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। आनलाइन फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 1286547.00 का आहरण कर व्यय किया गया जिसके सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यथा- कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियां, कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, बैंक पासबुक, प्राकलन, एम0बी0, कार्य के प्रारम्भ, दौरान एवं अंत की फोटो, कार्ययोजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर एवं मजदूरी के मस्टर रोल, एवं हैण्ड पम्प कार्य के सापेक्ष हैण्ड पम्पों की स्वार सूची, खराब हैण्ड पम्पों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैण्ड पम्प खराब होने की प्रार्थना पत्र एवं सही हो जाने का प्रमाण पत्र, जल प्रबन्धन क्षरा स्वीकृति एवं सामग्री के वाउचर व मजदूरी का मस्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जिससे उक्त धन के सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती। अतः ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) के अंतर्गत अपहरण मानते हुए निर्माण कार्यों पर हुए व्यय ₹0 1286547.00 की वसूली मय ब्याज के श्री भूपेन्द्र कुमार, सचिव एवं श्री सुरेश प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या- 07)

10 ग्राम पंचायत- रहमापुर, विकास खण्ड- गंगीरी, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 13-ग्राम पंचायत रहमापुर की आनलाइन लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 हेतु इंटीमेशन भेजी गई जिसे संबंधित सचिव, द्वारा एक्सेप्ट किया गया परन्तु कई प्रयासों के उपरांत आफलाइन कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, वाउचर, कार्यवाही पंजी, निर्माण कार्य की पत्रावलियां एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। आनलाइन फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 975561.00 का आहरण कर व्यय किया गया जिसके सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यथा- कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियां, कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, बैंक पासबुक, प्राकलन, एम0बी0, कार्य के प्रारम्भ, दौरान एवं अंत की फोटो, कार्ययोजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर एवं मजदूरी के मस्टर रोल, एवं हैण्ड पम्प कार्य के सापेक्ष हैण्ड पम्पों की स्वार सूची, खराब हैण्ड पम्पों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों

द्वारा हैण्ड पम्प खराब होने की प्रार्थना पत्र एवं सही हो जाने का प्रमाण पत्र, जल प्रबन्धन क्षरा स्वीकृति एवं सामग्री के वाउचर व मजदूरी का मस्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जिससे उक्त धन के सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती। अतः ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) के अंतर्गत अपहरण मानते हुए निर्माण कार्यों पर हुए व्यय ₹0 975561.00 की वसूली मय ब्याज के श्री उदयवीर, सचिव एवं श्रीमती विनीता देवी प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। (आपत्ति संख्या- 01)

11 ग्राम पंचायत- राजमऊ, विकास खण्ड- गंगीरी, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 14-ग्राम पंचायत राजमऊ की लेखा परीक्षा में प्रकाश में आया कि दिनांक 19.12.2020 को बाबत माह नवम्बर एवं दिसम्बर 2020 का मानदेय ₹0 7000.00 दो माह का भुगतान श्रीमती रेखा यादव प्रधान को किया गया। जबकि प्रधान का कार्यकाल मात्र दिनांक 25.12.2020 तक ही था, ऐसी स्थिति में 6 दिन का अधिक मानदेय का भुगतान किया गया।

अतः ₹0 677.00 अधिक भुगतान किये गये मानदेय की वसूली श्री मेहर सिंह तत्कालीन प्रधान से किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या- 26)

12 ग्राम पंचायत- टिकारी, विकास खण्ड- गंगीरी, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 15-ग्राम पंचायत टिकारी की लेखा परीक्षा में प्रकाश में आया कि दिनांक 19.12.2020 को बाबत माह नवम्बर एवं दिसम्बर 2020 का मानदेय ₹0 7000.00 दो माह का भुगतान श्रीमती रेखा यादव प्रधान को किया गया। जबकि प्रधान का कार्यकाल मात्र दिनांक 25.12.2020 तक ही था, ऐसी स्थिति में 6 दिन का अधिक मानदेय का भुगतान किया गया।

अतः ₹0 677.00 अधिक भुगतान किये गये मानदेय की वसूली श्री धर्मेन्द्र सिंह तत्कालीन प्रधान से किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या- 26)

13 ग्राम पंचायत- सलेमपुर, विकास खण्ड- जवां, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 16-ग्राम पंचायत सलेमपुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा दिनांक 19.08.2021 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 19.08.2021 से लेकर 31.03.2022 बार-बार पत्राचार व संपर्क करने बाद भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है न ही वर्तमान सचिव श्री प्रमोद कुमार चौधरी व तत्कालीन प्रधान श्रीमती राजवती द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जानेकी सूचना सहायक विकास अधिकारी पंचायतको लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में आनलाइन प्रियासाफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 2039179.00 को व्यय का आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० के ग्राम पंचायतों में, वित्त एव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध ही नहीं कराया गया है। इसी के क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी। एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 2039179.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्रीमती राजवती व तत्कालीन सचिव श्री प्रमोद कुमार चौधरी, दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 2039179.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्री राजवीर सिंह व तत्कालीन सचिव श्री प्रमोद कुमार चौधरी से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या- 01)

14 ग्राम पंचायत- मेमढी, विकास खण्ड- जवां, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 17-ग्राम पंचायत मेमढी की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा दिनांक 28.03.2022 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 28.03.2022 से लेकर 31.03.2022 बार-बार पत्राचार व संपर्क करने बाद भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है न ही वर्तमान सचिव श्री विनोद कुमार व तत्कालीन प्रधान श्री सुरेश चन्द्र द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जानेकी सूचना सहायक विकास अधिकारी पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में आनलाइन प्रियासाफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 2774613.00 को व्यय का आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० के ग्राम पंचायतों में, वित्त एव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध ही नहीं कराया गया है। इसी के क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी। एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 2774613.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्री सुरेश चन्द्र व तत्कालीन सचिव श्री विनोद कुमार, दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 2774613.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्री सुरेश चन्द्र व तत्कालीन सचिव श्री विनोद कुमार से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आप0 संख्या- 01)

15 ग्राम पंचायत- मुजफ्फरा, विकास खण्ड- जवां, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 18-ग्राम पंचायत मुजफ्फरा की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा दिनांक 30.03.2022 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 30.03.2022 से लेकर 31.03.2022 बार-बार पत्राचार व संपर्क करने बाद भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है न ही वर्तमान सचिव श्री विनोद कुमार व तत्कालीन प्रधान श्रीमती महादेवी द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जानेकी सूचना सहायक विकास अधिकारी पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में आनलाइन प्रियासाफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 1047468.00 को व्यय का आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 के ग्राम पंचायतों में, वित्त एव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध ही नहीं कराया गया है। इसी के क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी। एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 1047468.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्रीमती महादेवी व तत्कालीन सचिव श्री विनोद कुमार, दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 1047468.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती महादेवी व तत्कालीन सचिव श्री विनोद कुमार से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0 संख्या- 01)

16 ग्राम पंचायत- भावायन, विकास खण्ड- जवां, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 19-ग्राम पंचायत भावायन की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा दिनांक 24.12.2021 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 24.12.2021 से लेकर 31.03.2022 बार-बार पत्राचार व संपर्क करने बाद भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है न ही वर्तमान सचिव श्री प्रमोद कुमार चौधरी व तत्कालीन प्रधान श्रीमती चन्द्रकांता द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जानेकी सूचना सहायक विकास अधिकारी पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में आनलाइन प्रियासाफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 318574.00 को व्यय का आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 के ग्राम पंचायतों में, वित्त एव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध ही नहीं कराया गया है। इसी के क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी। एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 318574.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्रीमती चंद्रकांता व तत्कालीन सचिव श्री प्रमोद कुमार चौधरी, दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 318574.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती चंद्रकांता व तत्कालीन सचिव श्री प्रमोद कुमार चौधरी से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0 संख्या- 01)

17- ग्राम पंचायत- भीमगढ़ी, विकास खण्ड- जवां, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 20-ग्राम पंचायत भीमगढ़ी की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा दिनांक 24.08.2021 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 24.08.2021 से लेकर 31.03.2022 बार-बार पत्राचार व संपर्क करने बाद भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है न ही वर्तमान सचिव सुश्री प्रिया श्रीवास्तव व तत्कालीन प्रधान श्रीमती चन्द्रवती द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जानेकी सूचना सहायक विकास अधिकारी पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में आनलाइन प्रियासाफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 1402230.00 को व्यय का आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 के ग्राम पंचायतों में, वित्त एव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध ही नहीं कराया गया है। इसी के क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को

अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी। एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 1402230.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्रीमती चंद्रवती व तत्कालीन सचिव सुश्री प्रिया श्रीवास्तव, दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 1402230.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती चंद्रवती व तत्कालीन सचिव सुश्री प्रिया श्रीवास्तव से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(आ0 संख्या- 01)

18 ग्राम पंचायत- पड़की, विकास खण्ड- जवां, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 21-ग्राम पंचायत पड़की की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा दिनांक 28.03.2021 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 28.03.2021 से लेकर 31.03.2022 बार-बार पत्राचार व संपर्क करने बाद भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है न ही वर्तमान सचिव श्री विनोद कुमार व तत्कालीन प्रधान श्री सुरेशचन्द्र द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जानेकी सूचना सहायक विकास अधिकारी पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में आनलाइन प्रियासाफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 497699.00 को व्यय का आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 के ग्राम पंचायतों में, वित्त एव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध ही नहीं कराया गया है। इसी के क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी। एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 497699.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्री सुरेशचन्द्र व तत्कालीन सचिव श्री विनोद कुमार चौधरी, दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 497699.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्री सुरेशचन्द्र व तत्कालीन सचिव श्री विनोद कुमार चौधरी से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(आ0 संख्या- 01)

19 ग्राम पंचायत- अहक, विकास खण्ड- जवां, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 22-ग्राम पंचायत अहक की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा दिनांक 16.08.2021 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 16.08.2021 से लेकर 31.03.2022 बार-बार पत्राचार व संपर्क करने बाद भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है न ही वर्तमान सचिव श्री विनोद कुमार चौधरी व तत्कालीन प्रधान श्री राजवीर सिंह द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जानेकी सूचना सहायक विकास अधिकारी पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में आनलाइन प्रियासाफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 1063433.00 को व्यय का आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 के ग्राम पंचायतों में, वित्त एव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध ही नहीं कराया गया है। इसी के क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी। एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 1063433.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्री राजवीर सिंह व तत्कालीन सचिव श्री विनोद कुमार चौधरी, दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 1063433.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्री राजवीर व तत्कालीन सचिव श्री विनोद कुमार चौधरी से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(आ0 संख्या- 01)

20 ग्राम पंचायत- ईस्माइलपुर, विकास खण्ड- जवां, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 23-ग्राम पंचायत ईस्माइलपुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा दिनांक 24.03.2022 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 24.03.2022 से लेकर 31.03.2022 बार-बार पत्राचार व संपर्क करने बाद भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है जिसकी लिखित सूचना सचिव श्री प्रमोद चौधरी सहायक विकास अधिकारी पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में आनलाइन प्रियासाफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 6141003.00 को व्यय का आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 के ग्राम पंचायतों में, वित्त एव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के

समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध ही नहीं कराया गया है। इसी के क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी। एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 6141003.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान व तत्कालीन सचिव दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 6141003.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्री राकेश कुमार व तत्कालीन सचिव श्री प्रमोद चौधरी से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0 संख्या- 01)

21 ग्राम पंचायत- दाऊपुर, विकास खण्ड- जवां, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 24-वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव श्री पुष्पेन्द्र चौधरी द्वारा केवल कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां, कार्यपूति प्रमाण पत्र व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये, जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं होती है।

उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 की कैशबुक अनुसार निम्न विवरण अनुसार व्यय की जानी दर्शित है।

क्र०सं०	विवरण	वर्ष 2020-21
1	सामग्री	1391569
2	मस्ट्रोल	414810
3	अन्य व्यय	61739
	योग	1868118

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2020-21 में कुल व्यय ₹0 1868118.00 किय जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये तथा इसके अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2020-21 में उक्तानुसार दर्शित कुल व्यय ₹0 1868118.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम चौधरी व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री पुष्पेन्द्र चौधरी से की जानी अपेक्षित है। अतः विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 01

22 ग्राम पंचायत- तालेपुर, विकास खण्ड- जवां, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 25-ग्राम पंचायत तालेपुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा दिनांक 22.10.2021 को करना प्रस्तावित हुआ था। लेकिन 31.03.2022 तक भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है जिसकी लिखित सूचना सचिव श्री पुष्पेन्द्र चौधरी व ए0डी0ओ0 पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में आनलाइन प्रियासाफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 1342698.00 को व्यय का आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध ही नहीं कराया गया है। इसी के क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी। एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 1342698.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान व तत्कालीन सचिव दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 1342698.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्री चरन सिंह व तत्कालीन सचिव श्री पुष्पेन्द्र चौधरी से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0 संख्या- 01)

23 ग्राम पंचायत- पड़का, विकास खण्ड- जवां, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 26-ग्राम पंचायत पड़का की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा दिनांक 29.03.2021 को करना प्रस्तावित हुआ था। लेकिन 31.03.2022 तक भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है जिसकी लिखित सूचना सचिव श्री विनोद

कुमार व ए0डी0ओ0 पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में आनलाइन प्रियासाफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 1224472.00 को व्यय का आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 के ग्राम पंचायतों में, वित्त एव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध ही नहीं कराया गया है। इसी के क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी। एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 1224472.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान व तत्कालीन सचिव दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 1224472.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्री दिनेश कुमार व तत्कालीन सचिव श्री विनोद कुमार से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(आ0 संख्या- 01)

24 ग्राम पंचायत-अहरोली, विकास खण्ड- जवां, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 27-ग्राम पंचायत अहरोली की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा दिनांक 17.08.2021 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 17.08.2021 से लेकर 31.03.2022 बार-बार पत्राचार व संपर्क करने बाद भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है न ही वर्तमान सचिव श्री प्रमोद कुमार चौधरी व तत्कालीन प्रधान श्री धर्मवीर सिंह द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जानेकी सूचना सहायक विकास अधिकारी पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में आनलाइन प्रियासाफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 350365.00 को व्यय का आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 के ग्राम पंचायतों में, वित्त एव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध ही नहीं कराया गया है। इसी के क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी। एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 350365.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्री धर्मवीर सिंह व तत्कालीन सचिव श्री प्रमोद कुमार चौधरी, दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 350365.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्री धर्मवीर सिंह व तत्कालीन सचिव श्री प्रमोद कुमार चौधरी से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0 सं0- 01)

25 ग्राम पंचायत- जरोठी, विकास खण्ड- जवां, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 28-ग्राम पंचायत जरोठी की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा दिनांक 21.01.2022 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 21.01.2022 से लेकर 31.03.2022 बार-बार पत्राचार व संपर्क करने बाद भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है न ही वर्तमान सचिव सुश्री प्रिया श्रीवास्तव व तत्कालीन प्रधान श्री हरदयाल द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जानेकी सूचना सहायक विकास अधिकारी पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में आनलाइन प्रियासाफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 618648.00 को व्यय का आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 के ग्राम पंचायतों में, वित्त एव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध ही नहीं कराया गया है। इसी के क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी। एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 618648.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्री हरदयाल व तत्कालीन सचिव सुश्री प्रिया श्रीवास्तव, दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 618648.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्री हरदयाल व तत्कालीन सचिव सुश्री प्रिया श्रीवास्तव से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0 संख्या- 01)

26 ग्राम पंचायत- ढेकरा, विकास खण्ड- जवां, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 29-ग्राम पंचायत ढेकुरा की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा दिनांक 17.01.2022 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 17.01.2022 से लेकर 31.03.2022 बार-बार पत्राचार व संपर्क करने बाद भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है न ही वर्तमान सचिव श्री प्रमोद कुमार चौधरी व तत्कालीन प्रधान श्री ओमप्रकाश द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जानेकी सूचना सहायक विकास अधिकारी पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में आनलाइन प्रियासाफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 1386850.00 को व्यय का आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध ही नहीं कराया गया है। इसी के क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी। एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 1386850.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्री ओमप्रकाश व तत्कालीन सचिव श्री प्रमोद कुमार चौधरी, दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 1386850.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्री ओमप्रकाश व तत्कालीन सचिव श्री प्रमोद कुमार चौधरी से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ० सं०- 01)

27 ग्राम पंचायत- बिचौला, विकास खण्ड- इगलास, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 30-ग्राम पंचायत बिचौला की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में मात्र अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020 तक की कैशबुक पत्रावलियां एवं वाउचर प्रस्तुत किये गये। लेखा परीक्षा में माह अक्टूबर 20 से 31.03.2021 तक के कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक पासबुक के अनुसार उक्त अवधि में बैंक से राज्य वित्त एवं पन्द्रहवे वित्त खाते से कुल ₹0 551036.00 का आहरण किया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त से संबंधित कोई वाउचर एवं अन्य यथा कैशबुक, निर्माण कार्य पत्रावलियां एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8(क) के अंतर्गत अपहरण मानते हुए ₹0 551036.00 की वसूली श्री दिगविजय सिंह सचिव एवं श्री अनिल कुमार ग्राम/महेश चन्द्र प्रशासक से किया जाना अपेक्षित रहा। (आ० संख्या- 28)

28 ग्राम पंचायत-बरोठ, विकास खण्ड- इगलास, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 31-ग्राम पंचायत बरोठ की लेखा परीक्षा में वर्ष 2020-21 की कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख यथा, वाउचर, कार्यवाही पंजी, निर्माण कार्य की पत्रावलियां एवं अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये। कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त एवं पन्द्रहवे वित्त खाते से कुल ₹0 1153291.00 का आहरण किया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त से संबंधित कोई वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8(क) के अंतर्गत अपहरण मानते हुए ₹0 1153291.00 की वसूली श्री अरविन्द कुमार सिंह सचिव एवं श्री युवराज ग्राम प्रधान से किया जाना अपेक्षित (आ० संख्या- 01)

29 ग्राम पंचायत- भटोई, विकास खण्ड- इगलास, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 32-ग्राम पंचायत भटोई की लेखा परीक्षा में वर्ष 2020-21 की कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख यथा, वाउचर, कार्यवाही पंजी, निर्माण कार्य की पत्रावलियां एवं अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये। कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त एवं पन्द्रहवे वित्त खाते से कुल ₹0 673245.00 का आहरण किया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त से संबंधित कोई वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8(क) के अंतर्गत अपहरण मानते हुए ₹0 673245.00 की वसूली श्री अरविन्द कुमार सिंह सचिव एवं श्री करन सिंह ग्राम प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। (आ० संख्या- 01)

30 ग्राम पंचायत- बिदरका, विकास खण्ड- इगलास, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 33-ग्राम पंचायत बिदरका की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में मात्र अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 तक की कैशबुक पत्रावलियां एवं वाउचर प्रस्तुत किये गये। लेखा परीक्षा में माह मार्च 2021 से कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक पासबुक के अनुसार उक्त अवधि में बैंक से राज्य वित्त खाते से ₹0 14024.00 एवं पन्द्रहवें वित्त खाते से ₹0 195984.00 कुल ₹0 210008.00 का आहरण किया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त से संबंधित कोई वाउचर एवं अन्य यथा कैशबुक, निर्माण कार्य पत्रावलियां एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8(क) के अंतर्गत अपहरण मानते हुए ₹0 210008.00 की वसूली श्री दिगविजय सिंह सचिव एवं श्री रोहन सिंह ग्राम प्रधान/महेश चन्द्र प्रशासक से किया जाना अपेक्षित रहा। (आ० संख्या- 26)

31 ग्राम पंचायत- ब्योही, विकास खण्ड- इगलास, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 34-ग्राम पंचायत ब्योही की लेखा परीक्षा में वर्ष 2020-21 की कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख यथा, वाउचर, कार्यवाही पंजी, निर्माण कार्य की पत्रावलियां एवं अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये। कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त एवं पन्द्रहवे वित्त खाते से कुल ₹0 773822.00 का आहरण किया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त से संबंधित कोई वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के

प्रस्तर- 8(क) के अंतर्गत अपहरण मानते हुए ₹0 773822.00 की वसूली श्री अरविन्द कुमार सिंह सचिव एवं श्रीमती चहेती देवी ग्राम प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। (आ0 संख्या- 01)

32 ग्राम पंचायत- जौथौली, विकास खण्ड- इगलास, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 35-ग्राम पंचायत जौथौली की लेखा परीक्षा में वर्ष 2020-21 की कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख यथा, वाउचर, कार्यवाही पंजी, निर्माण कार्य की पत्रावलियां एवं अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये। आनलाइन फीडिंग के अनुसार राज्य वित्त एवं पन्द्रहवे वित्त खाते से कुल ₹0 1553157.00 का आहरण किया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त से संबंधित कोई वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8(क) के अंतर्गत अपहरण मानते हुए ₹0 1553157.00 की वसूली श्री अरविन्द कुमार सिंह सचिव एवं श्रीमती रजनी देवी ग्राम प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। (आ0 सं0- 01)

33 ग्राम पंचायत- जारौठ, विकास खण्ड- इगलास, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 36-ग्राम पंचायत जारौठ की लेखा परीक्षा में वर्ष 2020-21 की कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख यथा, वाउचर, कार्यवाही पंजी, निर्माण कार्य की पत्रावलियां एवं अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये। कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त एवं पन्द्रहवे वित्त खाते से कुल ₹0 688429.00 का आहरण किया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त से संबंधित कोई वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8(क) के अंतर्गत अपहरण मानते हुए ₹0 688429.00 की वसूली श्री अरविन्द कुमार सिंह सचिव एवं श्रीमती रीना देवी ग्राम प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा।

(आ0 संख्या- 01)

34 ग्राम पंचायत- कारस, विकास खण्ड- इगलास, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 37-ग्राम पंचायत कारस की लेखा परीक्षा में वर्ष 2020-21 की कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख यथा, वाउचर, कार्यवाही पंजी, निर्माण कार्य की पत्रावलियां एवं अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये। आनलाइन फीडिंग के अनुसार राज्य वित्त एवं पन्द्रहवे वित्त खाते से कुल ₹0 8984984.00 का आहरण किया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त से संबंधित कोई वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8(क) के अंतर्गत अपहरण मानते हुए ₹0 8984984.00 की वसूली श्री विनोद शर्मा सचिव एवं श्रीमती पुष्पा देवी ग्राम प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा।

(आ0 संख्या- 01)

35 ग्राम पंचायत- खेडिया गुरूदेव, विकास खण्ड- इगलास, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 38-ग्राम पंचायत खेडिया गुरूदेव की वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं प्रमाणकों की जांच में प्रकाश में आया कि दिनांक 19.12.2020 को प्रधान का मानदेय माह अक्टूबर से दिसम्बर 2020 तक कुल ₹0 10500.00 देना दर्शित है जबकि प्रधान का कार्यकाल 25.12.2020 तक था इस प्रकार ग्राम प्रधान को कुल 6 दिवस का ₹0 678.00 अधिक मानदेय भुगतान किया गया अतः अधिक भुगतान ₹0 678.00 की वसूली प्रधान श्री जितेन्द्र कुमार से किया जाना अपेक्षित है। (आ0 संख्या- 27)

36 ग्राम पंचायत- महुआ, विकास खण्ड- इगलास, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 39-ग्राम पंचायत महुआ की लेखा परीक्षा में वर्ष 2020-21 की कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख यथा, वाउचर, कार्यवाही पंजी, निर्माण कार्य की पत्रावलियां एवं अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये। कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त एवं पन्द्रहवे वित्त खाते से कुल ₹0 1962997.00 का आहरण किया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त से संबंधित कोई वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8(क) के अंतर्गत अपहरण मानते हुए ₹0 1962997.00 की वसूली श्री अरविन्द कुमार सिंह सचिव एवं श्रीमती पूनम ग्राम प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। (आ0 संख्या- 01)

37 ग्राम पंचायत- मनोहरपुर, विकास खण्ड- इगलास, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 40-ग्राम पंचायत मनोहरपुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में मात्र अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2020 तक की कैशबुक पत्रावलियां एवं वाउचर प्रस्तुत कये गये। लेखा परीक्षा में माह नवम्बर 2020 से 31.03.2021 तक के कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक पासबुक के अनुसार उक्त अवधि में बैंक से राज्य वित्त खाते से ₹0 458985.00 एवं पन्द्रहवे वित्त खाते से ₹0 521498.00 कुल ₹0 980483.00 का आहरण किया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त से संबंधित कोई वाउचर एवं अन्य यथा कैशबुक, निर्माण कार्य पत्रावलियां एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के प्रस्तर- 8(क) के अंतर्गत अपहरण मानते हुए ₹0 980483.00 की वसूली श्री दिगविजय सिंह सचिव एवं श्रीमती सरोज देवी ग्राम प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। (आ0 संख्या- 27)

38 ग्राम पंचायत- नगला अहिवासी, विकास खण्ड- इगलास, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 41-ग्राम पंचायत नगला अहिवासी की लेखा परीक्षा में वर्ष 2020-21 की कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख यथा, वाउचर, कार्यवाही पंजी, निर्माण कार्य की पत्रावलियां एवं अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये। कैशबुक

एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त एवं पन्द्रहवे वित्त खाते से कुल ₹0 816459.00 का आहरण किया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त से संबंधित कोई वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8(क) के अंतर्गत अपहरण मानते हुए ₹0 816459.00 की वसूली श्री अरविन्द कुमार सिंह सचिव एवं श्रीमती राजकुमारी प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। (आ0 संख्या- 01)

39 ग्राम पंचायत- नगला मोहन नहचला, विकास खण्ड- इगलास, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 42-ग्राम पंचायत नगला मोहन नहचला की लेखा परीक्षा में वर्ष 2020-21 की कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख यथा, वाउचर, कार्यवाही पंजी, निर्माण कार्य की पत्रावलियां एवं अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये। कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त एवं पन्द्रहवे वित्त खाते से कुल ₹0 980241.00 का आहरण किया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त से संबंधित कोई वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8(क) के अंतर्गत अपहरण मानते हुए ₹0 980241.00 की वसूली श्री अरविन्द कुमार सिंह सचिव एवं श्री पाल सिंह ग्राम प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा।

(आ0 संख्या- 01)

40 ग्राम पंचायत- नया बास, विकास खण्ड- इगलास, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 43-ग्राम पंचायत नया बास की वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं प्रमाणकों की जांच में प्रकाश में आया कि माह नवम्बर 2020 का प्रधान का मानदेय दिनांक 24.11.2020 को ₹0 3500.00 एवं पुनः दिनांक 08.03.2021 को प्रधान मानदेय माह नवम्बर एवं 25.12.2020 तक का ₹0 6400.00 देना दर्शित है। इस प्रकार नवम्बर 2020 का प्रधान मानदेय दो बार दिया गया है। इस प्रकार ग्राम प्रधान को किया गया अधिक मानदेय भुगतान ₹0 3500.00 की वसूली प्रधान श्री भूरी सिंह एवं सचिव श्री लाल सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

(आ0 संख्या- 27)

41 ग्राम पंचायत- तोछीगढ़, विकास खण्ड- इगलास, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 44-ग्राम पंचायत तोछीगढ़ की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में मात्र अप्रैल 2020 से 19.11.2020 तक की कैशबुक पत्रावलियां एवं वाउचर प्रस्तुत किये गये। लेखा परीक्षा में 20.11.2020 से 31.03.2021 तक के कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक पासबुक के अनुसार उक्त अवधि में बैंक से राज्य वित्त खाते से ₹0 1911010.00 एवं पन्द्रहवे वित्त खाते से ₹0 2840586.00 कुल ₹0 4751596.00 का आहरण किया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त से संबंधित कोई वाउचर एवं अन्य यथा कैशबुक, निर्माण कार्य पत्रावलियां एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8(क) के अंतर्गत अपहरण मानते हुए ₹0 4751596.00 की वसूली श्री विनोद शर्मा सचिव एवं श्रीमती नीरू सिंह एवं श्री प्रीतम सिंह ग्राम प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा।

(आ0 संख्या- 22)

42 ग्राम पंचायत- ताजपुर, विकास खण्ड- चण्डौस, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 45-ग्राम पंचायत ताजपुर की वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं प्रमाणकों की जांच में प्रकाश में आया कि प्रधान का मानदेय माह जनवरी 2021 तक का भुगतान किया गया है। जबकि प्रधान का कार्यकाल 25.12.2020 तक ही था। इस प्रकार प्रधान को एक माह 6 दिन का कुल ₹0 4085.00 का अधिक भुगतान किया गया है। अतः अधिक किये गये ₹0 4085.00 की वसूली प्रधान श्री धर्मेन्द्र कुमार एवं सचिव श्री राजकुमार से किया जाना अपेक्षित है।

(आ0 संख्या- 29)

43 ग्राम पंचायत- थानपुर, विकास खण्ड- चण्डौस, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 46-ग्राम पंचायत थानपुर की लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं प्रमाणकों की जांच में प्रकाश में आया कि दिनांक 28.12.2020 को पन्द्रहवा वित्त खाते से ₹0 12320.00 का आहरण कर व्यय पक्ष में बैंक कटौती दर्शाया गया है। सचिव द्वारा मौखिक रूप से अवगत कराया गया कि इस खाते में जो ब्याज मिला है उसे बैंक द्वारा वापस ले लिया गया है। जबकि इस खाते में कुल ब्याज ही ₹0 6493.00 ही मिला है तो 12320.00 की कटौती का क्या औचित्य है। उक्त धनराशि को आहरित कर मात्र समायोजन की दृष्टिकोण से कूटरचित कर ₹0 12320.00 का अपहरण कर लिया गया। अतः ₹0 12320.00 की वसूली श्री गोवन्द दास सचिव एवं श्री बृज किशोर प्रधान से किया जाना अपेक्षित है।

(आ0 संख्या- 29)

44 ग्राम पंचायत- महाराजपुर, विकास खण्ड- चण्डौस, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 47-ग्राम पंचायत महाराजपुर की लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 की कैश बुक एवं प्रमाणकों की जांच में प्रकाश में आया कि ग्राम पंचायत में गौशाला का निर्माण हेतु ₹0 678400.00 का स्टीमेट तैयार किया गया है। परन्तु गौशाला पर मात्र 76285.00 ही व्यय किया जाना दर्शित है कारण पूछने पर सचिव द्वारा मौखिक रूप से अवगत कराया गया कि खण्ड विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत के आस पास अन्य ग्राम पंचायतों में गौशाला होने के कारण इस गौशाला की आवश्यकता इस समय नहीं रह गई जिसके कारण निर्माण कार्य रोक दिया गया। इस संबंध में कोई आदेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। इस संबंध में लेखा परीक्षा का मत है कि गौशाला की आवश्यकता पर विचार कार्य प्रारम्भ से पूर्व ही किया जाना चाहिए। अतः ₹0 76285.00 का अनावश्यक व्यय कर अपूर्ण कार्य रखते हुए राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया। अतः ₹0 76285.00 के व्यय हेतु विभागीय जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(आ0 संख्या- 26)

45 ग्राम पंचायत- बिसारा, विकास खण्ड- चण्डौस, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 48-ग्राम पंचायत बिसारा की लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं प्रमाणकों की जांच में प्रकाश में आया कि दिनांक 04.04.2020 को ₹0 200000.00, दिनांक 07.04.2020 को ₹0 40000.00 एवं दिनांक 13.04.2020 को ₹0 10000.00 कुल ₹0 250000.00 ग्राम निधि खाते में प्राप्त दर्शित है इस प्राप्त धनराशि के संबंध में ग्राम पंचायत में वर्तमान में कार्यरत सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में कार्यरत सचिव श्री तेजबहादुर द्वारा उक्त धनराशि वर्ष 2019-20 में किसी फर्म को निर्गत किया गया था। जिसके सापेक्ष कोई सामग्री आदि प्राप्त नहीं की गई। उक्त भुगतान का कोई आधार भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिससे स्पष्ट है कि उक्त धनराशि का अपहरण का प्रयास किया गया। श्री तेजबहादुर के स्थानान्तरण हो जाने के पश्चात वर्तमान सचिव श्री चन्द्रश द्वारा संबंधित फर्म से उक्त धनराशि की वापसी कराकर खाते में जमा करा दी गई। अनावश्यक रूप से किसी फर्म या व्यक्ति के खाते में धन का हस्तान्तरण किया जाना राजकीय धन का दुरुपयोग एवं नियमों के विपरीत है। अतः उक्त के संबंध में विभागीय जांच कर सचिव के प्रति आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
(आ0 संख्या- 27)

46 ग्राम पंचायत- बड़ेडा, विकास खण्ड- चण्डीस, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 49-ग्राम पंचायत बड़ेडा की वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं प्रमाणकों की जांच में प्रकाश में आया कि दिनांक 21.12.2020 को प्रधान का मानेदय माह अगस्त से दिसम्बर 20 तक कुल ₹0 17500.00 देना दर्शित है जबकि प्रधान का कार्यकाल 25.12.2020 तक था। इस प्रकार ग्राम प्रधान को कुल 6 दिवस का ₹0 678.00 अधिक मानदेय भुगतान किया गया अतः अधिक भुगतान ₹0 678.00 की वसूली प्रधान श्री लोकेन्द्र कुमार से किया जाना अपेक्षित है। (आ0 संख्या- 28)

47 ग्राम पंचायत- रेसरी, विकास खण्ड- खैर, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 50-वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव श्री नेम सिंह द्वारा केवल कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां, कार्यपूति प्रमाण पत्र व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये, जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं होती है।

उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 की कैशबुक में निम्न विवरण अनुसार दर्शित है।

क्र०सं०	विवरण	वर्ष 2020-21
1	सामग्री	988917.00
2	मस्ट्रोल	84140.00
3	हैण्डपम्प कार्य	180451.00
4	अन्य व्यय	297124.00
	योग	1550632.00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2020-21 में कुल व्यय ₹0 1550632.00 किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये तथा इसके अलावा स्वीकृत कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष वर्ष 2020-21 में उक्तानुसार दर्शित कुल व्यय ₹0 1550632.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री नेम सिंह से की जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है। **आपत्ति संख्या- 01**

48 ग्राम पंचायत- अरनी, विकास खण्ड- खैर, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 51-वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव श्री शरद सिंह द्वारा बैंक स्टेटमेंट (केन्द्रीय वित्त) के अनुसार दिनांक 04.01.2021 को ₹0 183360.00 का आहरण किया गया है। जिसकी न तो कैशबुक के आय-व्यय पक्ष में प्रविष्टि की गयी है और न ही इससे संबंधित कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराये गये हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ₹0 183360.00 की धनराशि का सीधे अपहरण कर लिया गया है।

उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। अतः ₹0 183360.00 की धनराशि की मय ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री शरद कुमार व ग्राम प्रधान श्री श्यामवीर सिंह से करायी जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 01

प्रस्तर 52-यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 04.01.2021 को ही ग्राम निधि प्रथम के खाते से ₹0 183360.00 की धनराशि का आहरण कर कृष्णा एण्टरप्राइजेज को ग्राम पंचायत अरनी में 08 सोलर स्ट्रीट लाईट लगवाने हेतु भुगतान किया गया है। उपरोक्त कार्य ₹0 01 लाख की धनराशि से अधिक का होने के कारण इसमें निविदा प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए था। किंतु न तो निविदा प्रक्रिया का पालन किया गया है और न ही इससे संबंधित कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत किया गया है। साथ ही कितनी स्ट्रीट लाईट कहां-कहां स्थापित की गई है, इसकी भी पुष्टि हेतु कोई भी प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि सोलर स्ट्रीट लाईट का क्रय नेडा से किया जाना चाहिए था। ऐसी स्थिति में स्पष्ट होता है कि ₹0 183360.00 की धनराशि का भुगतान कृष्णा एण्टरप्राइजेज को दर्शाते हुए धनराशि का अपहरण किया गया है।

उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। अतः ₹0 183360.00 की धनराशि की मय ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री शरद कुमार व ग्राम प्रधान श्री श्यामवीर सिंह से करायी जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 02

49 ग्राम पंचायत- कोरह रूस्तमपुर, विकास खण्ड- खैर, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 53-पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 में स्पष्ट प्रावधान है- ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों/मदों से संबंधित पत्रावलियों (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्यों पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	दिनांक	दर्शित व्यय धनराशि
1	हैण्डपम्प कार्य	22.06.2020	26822.00
		22.06.2020	7200.00
		05.10.2020	10626.00
		05.10.2020	5000.00
		05.10.2020	2832.00
		06.11.2020	12000.00
		14.12.2020	13629.00
		14.12.2020	4000.00
	योग		82109.00

स्पष्ट है उक्त कार्यों को बिना प्राक्कलन तैयार किये तथा अनुमानित व्यय की बिना सक्षम स्तर से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त किये कराया गया है तथा बिना कार्य की माप किये ही काल्पनिक आधार पर उक्त भुगतान किये गये हैं। कुल व्यय ₹0 82109.00 के सापेक्ष हैण्डपम्प के लाभार्थियों के द्वारा हैण्डपम्प खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग संबंधी कोई भी प्रपत्र ऑडिटमें प्रस्तुत नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत में कितने हैण्डपम्प हैं तथा कब किस हैण्डपम्प की मरम्मत हुई तथा मरम्मत में कब कितनी धनराशि खर्च हुई, आदि विवरण का रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि नियमों व शासनादेशों की अवहेलना हुई है।

उक्ता के अलावा यहां यह भी उल्लेखनीय है कि हैण्डपम्प कार्य पर ₹0 82109.00 का व्यय दर्शित है। लेकिन हैण्डपम्प के स्क्रेप सामान की बिक्रीव स्क्रेप सामान के स्टॉक का कोई जिक्र नहीं किया गया है। साक्ष्यों सहित उक्त की स्थिति स्पष्ट करायी जाए एवं तदानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। जिस कार्य में ग्राम पंचायत का धन खर्च होता है वह ग्राम पंचायत की परिसम्पत्ति बन जाती है अतः प्रत्येक परिसम्पत्ति का लेखांकन, संबंधित पंजिका/रजिस्टर में किया जाना चाहिए। कार्यवाही अपेक्षित है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 156 के अनुसार किसी भी निर्माण कार्यों को आरम्भ करने के पूर्व योजना, मानचित्र और अनुमानित व्यय की नियमानुसार स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है एवं नियम 157 (ख) के अनुसार निर्माण कार्य कराये जाने के उपरान्त भुगतान के लिए निर्धारित अधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा कार्य की नाम-जोख/माप किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुए उक्त दर्शित धनराशि ₹0 82109.00 का भुगतान/आहरण कर व्यय दर्शित किया गया है, जो उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 256(2)-(क) के अंतर्गत अनियमित व्यय है जिसके लिए ग्राम पंचायत सचिव श्री जैनेश कुमार व ग्राम प्रधान श्रीमती दीपशिखा उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के

विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 01

50 ग्राम पंचायत- महगौरा, विकास खण्ड- खैर, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 54- वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव श्री ओमप्रकाश द्वारा केवल कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां, कार्यपूति प्रमाण पत्र व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये, जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं होती है।

उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 की कैशबुक में निम्न विवरण अनुसार दर्शित है।

क्र०सं0	विवरण	वर्ष 2020-21
1	सामग्री	2870210.00
2	मस्ट्रोल	482135.00
3	मिट्टी भराव	152900.00
4	हैण्डपम्प कार्य	62587.00
5	विविध व्यय	72957.00
6	शौचालय कार्य	417661.00
	योग	4058450.00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2020-21 में कुल व्यय रू0 4058450.00 किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये तथा इसके अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष वर्ष 2020-21 में उक्तानुसार दर्शित कुल व्यय रू0 4058450.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री देवी व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री ओमप्रकाश से की जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 01

51 ग्राम पंचायत- शिवाला, विकास खण्ड- खैर, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 55- पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 में स्पष्ट प्रावधान है- ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यो/मदों से संबंधित पत्रावलियों (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्य पूति प्रमाण पत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्यो पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्र० सं०	कार्य का नाम	सामग्री	मजदूरी	योग
1	छतर के घर से राकेश के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य	369911	56720	426631
2	माधव के घर से राधाचरण के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य	252054	39470	291524
3	फन्नु के घर से सन्तार की चौपाल तक सी0सी0 व नाली निर्माण	232185	27350	259535
4	राजेन्द्र वाल्मीकी की घर से कालू के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	255409	29370	284779
5	बारात घर बाउण्ड्रीबाल निर्माण व इण्टर लॉकिंग कार्य	416869	63370	480239
6	रंगाई पुताई व मरम्मत कार्य	-	-	240960
	योग			1983668

इस प्रकार उक्त कार्यो से संबंधित पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षामें अप्रमाणित रहे। लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रू0 1983668.00 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अंतर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है। जिसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महेश चन्द्र तथा ग्राम प्रधान श्री दुर्गेश उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि रू0 1983668.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियोंसे संयुक्त रूप से

(रू0 991834.00 ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महेश चन्द्र से तथा रू0 991834.00 ग्राम प्रधान श्री दुर्गेश से) उद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या- 01**

52 ग्राम पंचायत- मदनपुर, विकास खण्ड- खैर, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 56-मोहर सिंह से भूदेव सिंह के खेत तक चहारदीवारी के कार्य में सामग्री आपूर्ति हेतु दिनांक 21.12.2020 को रू0 131089.00 एवं दिनांक 02.01.2021 को रू0 43334.00 का भुगतान किया गया है। उक्त कार्य के प्रमाणक के रूप में कार्तिकेय कंस्ट्रक्शन का टैक्स इनवॉइस संख्या 73 एवं 74 संलग्न है जिनमें निम्न कमियां पायी गयी-

- 1- उक्त टैक्स इनवॉइस पर निर्गत तिथि, सामग्री आपूर्ति की तिथि एवं वाहन संख्या अंकित नहीं है।
- 2- टैक्स इनवॉइस 74 पर निर्गत कर्ता के हस्ताक्षर नहीं है।
- 3- उक्त भुगतान से संबंधित भुगतान प्राप्ति की रसीद उपलब्ध नहीं हुई।

उक्त के अतिरिक्त मजदूरी के मस्ट्रोल पर भुगतान तिथि 20.11.2020 से 10.12.2020 तक की अंकित है। किंतु केशबुक व स्टेटमेंट के अनुसार 31.03.2021 तक उक्त भुगतान नहीं हुआ है और न ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं कार्य पूर्ण से संबंधित एम0बी0 प्रस्तुत की गई, जिससे उक्त कार्य का कराया जाना संदेहास्पद है। अतः रू0 131089.00 एवं रू0 43334.00 कुल योग रू0 174423.00 के भुगतान को समायोजित करने हेतु आधे अधूरे प्रमाणक प्रस्तुत किये गये हैं जो मान्य नहीं है। अतः रू0 174423.00 की वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री नेम सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री उमेश कुमार से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 01

प्रस्तर 57-अंत्येष्टि स्थल विकास एवं सौंदर्यीकरण से संबंधित पत्रावली में टी0एस0 नं0 132, दिनांक 12.02.2020 अनुमानित लागत रू0 24.11 अंकित है। परंतु, प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति पत्र, प्रशासनिक स्वीकृति आदेश उपलब्ध नहीं है। विज्ञप्ति के अनुसार रू0 2411640.00 का कार्य कराने हेतु निविदा निकाली गयी, जिसके अनुसार कार्तिकेय कंस्ट्रक्शन की निविदा स्वीकृत हुई, किंतु स्वीकृत आदेश तथा कार्य आदेश पत्रावली में संलग्न नहीं है। उक्त कार्य का भुगतान केशबुक में बैंक स्टेटमेंट के अनुरूप किया गया है जो निम्न है-

दिनांक	भुगतान की गई धनराशि
08.06.2020	136500.00
08.06.2020	156400.00
23.06.2020	165400.00
14.07.2020	165200.00
04.08.2020	144500.00
05.08.2020	140200.00
08.09.2020	145800.00
16.09.2020	142500.00
03.10.2020	105400.00
09.11.2020	265300.00
04.01.2021	156400.00
योग	1723600.00

अतः रू0 1723600.00 का भुगतान सामग्री के मद में दर्शाया गया है जिसके प्रमाण स्वरूप कोई भी बिल फार्म 123/18 पर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही रनिंग एम0बी0 प्रस्तुत की गई। अतः उक्त आहरित धनराशि रू0 1723600.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं होने के कारण उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। इसके लिए ग्राम पंचायत सचिव श्री नेम सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री उमेश कुमार दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल अपुष्ट व्यय रू0 1723600.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या- 02**

प्रस्तर 58-केशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शाया गया है-

दिनांक	धनराशि	कार्य का नाम
08.06.2020	175400.00	अंकित नहीं है।
17.08.2020	138500.00	अंकित नहीं है।
21.08.2020	146100.00	अंकित नहीं है।
31.08.2020	162500.00	अंकित नहीं है।

योग	622500.00

अतः कुल रू० 622500.00 की धनराशि का आहरण कर समायोजित हेतु कैशबुक के व्यय पक्ष में उसकी प्रविष्टि तो की गई है। किन्तु भुगतान किसेव किस कार्य हेतु किया गया इससे संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार उपरोक्त धनराशि रू० 622500.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं होने के कारण उ०प्र० सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। इसके लिए ग्राम पंचायत सचिव श्री नेम सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री उमेश कुमार दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल अपुष्ट व्यय रू० 622500.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति

संख्या- 03

53 ग्राम पंचायत- रायट, विकास खण्ड- खैर, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 59-वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव श्री जैनेश कुमार द्वारा केवल कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये, जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं होती है।

उ०प्र० सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 की कैशबुक में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है।

क्र०सं०	विवरण	वर्ष 2020-21
1	सामग्री	1266138.00
2	मस्ट्रोल	230529.00
3	हैण्डपम्प कार्य	54702.00
4	हैण्डपम्प रिबोर	38240.00
5	अन्य व्यय	82630.00
	योग	1672239.00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2020-21 में कुल व्यय रू० 1672239.00 किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये तथा इसके अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष 2020-21 में उक्तानुसार दर्शित कुल व्यय रू० 1672239.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शकीला व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री जैनेश कुमार से की जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है। **आपत्ति संख्या- 01**

54 ग्राम पंचायत-एदलपुर, विकास खण्ड- खैर, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 60-वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव श्री महेश चन्द्र द्वारा केवल कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये, जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं होती है।

उ०प्र० सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 की कैशबुक में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है।

क्र०सं०	विवरण	वर्ष 2020-21
1	सामग्री	2582166.00
2	मस्ट्रोल	495735.00
3	मिट्टी भराव	72150.00
4	हैण्डपम्प कार्य	67798.00

5	रंगाई-पुताई कार्य	113873.00
6	अन्य व्यय	14031.00
	योग	3345753.00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2020-21 में कुल व्यय ₹0 3345753.00 किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये तथा इसके अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष वर्ष 2020-21 में उक्तानुसार दर्शित कुल व्यय ₹0 3345753.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री महीपाल सिंह व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रमेश चन्द्र से की जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है। **आपत्ति संख्या- 01**

55 ग्राम पंचायत- सुजानपुर, विकास खण्ड- खैर, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 61-वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव श्री नेम सिंह द्वारा केवल कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये, जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं होती है।

उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 की कैशबुक में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है।

क्र0सं0	विवरण	वर्ष 2020-21
1	सामग्री	1320338.00
2	मस्ट्रोल	195290.00
3	मिट्टी भराव	8400.00
4	हैण्डपम्प कार्य	203430.00
5	हैण्डपम्प रिबोर	142478.00
6	रंगाई-पुताई कार्य	285676.00
7	विविध व्यय	24310.00
	योग	2179922.00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2020-21 में कुल व्यय ₹0 2179922.00 किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये तथा इसके अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष वर्ष 2020-21 में उक्तानुसार दर्शित कुल व्यय ₹0 2179922.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती करूणा देवी व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री नेम सिंह से की जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है। **आपत्ति संख्या- 01**

56 ग्राम पंचायत- लोहागढ़, विकास खण्ड- खैर, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 62-पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 में स्पष्ट प्रावधान है- ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यो/मदों से संबंधित पत्रावलियों (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्यो पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	सामग्री	मजदूरी	योग
1	पंचायत घर निर्माण कार्य	313959	88250	402209
2	प्रा0वि0 नयावास में न्यू बाउण्ड्री व इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	502988	-	502988
3	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	137062	64553	201615

4	सामुदायिक भवन में कमरेका निर्माण	128588	30940	159528
5	रंगाई पुताई व मरम्मत कार्य	80108	-	80108
	योग			1346448

इस प्रकार उक्त कार्यों से संबंधित पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि ₹0 1346448.00 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अंतर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है। जिसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अभिनय सिंह तथा ग्राम प्रधान श्रीमती मैनवती देवी उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि ₹0 1346448.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (₹0 673224.00 ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अभिनय सिंह से तथा ₹0 673224.00 ग्राम प्रधान श्रीमती मैनवती देवी से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 01

प्रस्तर 63-पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 में स्पष्ट प्रावधान है- ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों/मदों से संबंधित पत्रावलियों (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्यों पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	दिनांक	दर्शित व्यय धनराशि
1	हैण्डपम्प कार्य	11.05.2020	19698.00
		24.06.2020	6000.00
		31.08.2020	14265.00
		05.09.2020	6000.00
		04.11.2020	11350.00
		18.12.2020	15624.00
		19.12.2020	11999.00
	योग		84936.00

स्पष्ट है उक्त कार्यों को बिना प्राक्कलन तैयार किये तथा अनुमानित व्यय की बिना सक्षम स्तर से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त किये कराया गया है तथा बिना कार्य की माप किये ही काल्पनिक आधार पर उक्त भुगतान किये गये हैं। कुल व्यय ₹0 84936.00 के सापेक्ष हैण्डपम्प के लाभार्थियों के द्वारा हैण्डपम्प खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग संबंधी कोई भी प्रपत्र ऑडिटमें प्रस्तुत नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत में कितने हैण्डपम्प हैं तथा कब किस हैण्डपम्प की मरम्मत हुई तथा मरम्मत में कब कितनी धनराशि खर्च हुई, आदि विवरण का रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि नियमों व शासनादेशों की अवहेलना हुई है।

उक्त के अलावा यहां यह भी उल्लेखनीय है कि हैण्डपम्प कार्य पर ₹0 84936.00 का व्यय दर्शित है। लेकिन हैण्डपम्प के स्क्रेप सामान की बिक्री व स्क्रेप सामान के स्टॉक का कोई जिक्र नहीं किया गया है। साक्ष्यों सहित उक्त की स्थिति स्पष्ट करायी जाए एवं तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। जिस कार्य में ग्राम पंचायत का धन खर्च होता है वह ग्राम पंचायत की परिसम्पत्ति बन जाती है अतः प्रत्येक परिसम्पत्ति का लेखांकन, संबंधित पंजिका/रजिस्टर में किया जाना चाहिए। कार्यवाही अपेक्षित है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 156 के अनुसार किसी भी निर्माण कार्यों को आरम्भ करने के पूर्व योजना, मानचित्र और अनुमानित व्यय की नियमानुसार स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है एवं नियम 157 (ख) के अनुसार निर्माण कार्य कराये जाने के उपरान्त भुगतान के लिए निर्धारित अधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा कार्य की नाम-जोख/माप किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुए उक्त दर्शित धनराशि ₹0 84936.00 का भुगतान/आहरण कर व्यय दर्शित किया गया है, जो उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 256(2)-(क) के अंतर्गत अनियमित व्यय है जिसके लिए ग्राम पंचायत सचिव श्री अभिनय सिंह व ग्राम प्रधान श्रीमती मैनवती देवी उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 02

57 ग्राम पंचायत- नारायणपुर, विकास खण्ड- खैर, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 64-वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव श्री नेम सिंह द्वारा केवल कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां, कार्यपूति प्रमाण पत्र व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये, जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं होती है।

उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 की कैशबुक में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है।

क्र०सं0	विवरण	वर्ष 2020-21
1	सामग्री	654617.00
2	मस्ट्रोल	186570.00
3	हैण्डपम्प कार्य	65775.00
4	अन्य व्यय	57510.00
	योग	964472.00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2020-21 में कुल व्यय रू0 964472.00 किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये तथा इसके अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष वर्ष 2020-21 में उक्तानुसार दर्शित कुल व्यय रू0 964472.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती चन्द्रवती देवी व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री नेम सिंह से की जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आ0 सं0- 01

58 ग्राम पंचायत- फतेहगढ़ी, विकास खण्ड- खैर, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 65-पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 में स्पष्ट प्रावधान है- ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यो/मदों से संबंधित पत्रावलियों (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्य पूति प्रमाण पत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्यो पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	सामग्री	मजदूरी	योग
1	पू0मा0 विद्यालय में शौचालय निर्माण कार्य	169446	42880	212326
2	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	158710	43510	202220
3	कन्या पाठशाला में रंगाई पुताई कार्य	87196	-	87196
4	पंचायत घर निर्माण कार्य	331935	-	331935
5		414534	24570	439104
	योग			1272781

इस प्रकार उक्त कार्यो से संबंधित पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रू0 1272781.00 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अंतर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है। जिसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महेश चन्द्र तथा ग्राम प्रधान श्री भगवती उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि रू0 1272781.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू0 636390.50 ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महेश चन्द्र से तथा रू0 636390.50 ग्राम प्रधान श्री भगवती से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या- 01**

59 ग्राम पंचायत- राजपुर, विकास खण्ड- खैर, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 66-कैशबुक में दर्शित व्ययों की प्रमाणकों से मिलान करने पर पाया गया कि अनेक व्ययों के प्रमाणक उपलब्ध नहीं हुए। जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं हो सकी। जिनका विवरण निम्न प्रकार है-

क्रमांक	दिनांक	व्यय की धनराशि	व्यय का मद
01	30.04.2020	77302	व्यय का मद अंकित नहीं है।

02	23.06.2020	113200	निर्माण सामग्री
03	30.06.2020	127996	निर्माण सामग्री
04	05.08.2020	88200+42900+60600	निर्माण कार्य मजदूरी
05	22.08.2020	147132	निर्माण सामग्री
06	23.08.2020	458400	सोलर लाइटें
07	06.09.2020	106680+30420+36600+31980+16400	निर्माण कार्य मजदूरी
08	09.12.2020	38880	निर्माण कार्य मजदूरी
09	17.12.2020	19665	डिजिटल डायरी
10	24.12.2020	37081+95435	निर्माण सामग्री
11	24.12.2020	26160+5780	निर्माण कार्य मजदूरी
योग		1560811	

उक्त विवरण के संबंध में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा परीक्षा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। इस प्रकार स्पष्ट कि उक्त विवरण में ₹0 1560811.00 के अपुष्ट व्ययों के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती विधा देवी तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री नेम सिंह दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः उक्त अपुष्ट व्ययों ₹0 1560811.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती विधा देवी तथा सचिव श्री नेम सिंह से करायी जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

प्रस्तर 67-ऑनलाइन दर्शित व्ययों का कैशबुक से मिलान करने पर पाया गया कि अनेक व्यय ऐसे हैं जो ऑनलाइन तो दर्शित हैं लेकिन वे व्यय कैशबुक में दर्शित नहीं हैं। जिनका विवरण निम्न प्रकार है-

क्रमांक	दिनांक	व्यय की धनराशि	व्यय का मद
01	08.09.2020	31980	मस्ट्रोल भुगतान
02	22.12.2020	1100	मिट्टी कार्य का भुगतान
03	22.12.2020	4680	मस्ट्रोल भुगतान
04	22.12.2020	247404	निर्माण सामग्री खरीद
05	22.12.2020	65122	निर्माण सामग्री खरीद
योग		350286	

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि ऑनलाइन फीडिंग व कैशबुक में अन्तर पाया गया जो कि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। इसके संबंध में ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से स्थिति स्पष्ट करायी जाय। तथा वास्तविक स्थिति के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आ10 सं0- 02

प्रस्तर 68-ऑनलाइन दर्शित व्ययों का कैशबुक से मिलान करने पर पाया गया कि अनेक व्यय ऐसे हैं जो ऑनलाइन तो दर्शित हैं लेकिन वे व्यय कैशबुक में दर्शित नहीं हैं। जिनका विवरण निम्न प्रकार है-

क्रमांक	दिनांक	व्यय की धनराशि	व्यय का मद
01	07.12.2020	13932	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री खरीद
02	07.12.2020	2835	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी
योग		16767	

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि ऑनलाइन फीडिंग व कैशबुक में अन्तर पाया गया जो कि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। इसके संबंध में ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से स्थिति स्पष्ट करायी जाय। तथा वास्तविक स्थिति के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 03

60 ग्राम पंचायत- गोमत, विकास खण्ड- खैर, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 69-कैशबुक में दर्शित व्ययों की जांच व मिलान करने पर पाया गया कि कोरोना काल में सेनेटाइजेशन, मास्क व साफ-सफाई में कुल ₹0 72160.00 का व्यय दर्शाया गया है। इस व्यय से संबंधित कोई प्रस्ताव/कार्य पुस्तिका व रजिस्टर उपलब्ध नहीं हुए। सभी व्ययों की स्वीकृति ग्राम पंचायत से होनी चाहिए। बिना स्वीकृति के दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं होती है। इस प्रति स्थिति स्पष्ट करानी अपेक्षित है। व्ययों का विवरण निम्न प्रकार है-

क्रमांक	दिनांक	व्यय की धनराशि	व्यय का मद
01	27.04.2020	18000	ब्लीचिंग पाउडर

02	04.06.2020	10400	सेनेटाइजेशन
03	04.06.2020	10400	सेनेटाइजेशन
04	26.06.2020	1360	मास्क
05	29.09.2020	10500	सेनेटाइजेशन
06	29.09.2020	10500	सेनेटाइजेशन
07	29.09.2020	11000	सेनेटाइजेशन
योग		72160	

उक्त विवरण में दर्शित व्यय अनियमित प्रतीत होते हैं। विभागीय निर्देशों/आदेशों का हवाला दिया गया है लेकिन उपलब्ध नहीं हो सके। अतः व्ययों के सत्यापन हेतु विभागीय निर्देशों व आदेशों को उपलब्ध कराया जाए अन्यथा की स्थिति में व्ययों को अनियमित मानते हुए आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। उक्त विवरण में ₹0 72160.00 के व्ययों के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री देवी तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री अनिल कुमार दिनकर दोषी व उत्तरदायी हैं। आ0 सं0- 01

61 ग्राम पंचायत- जरारा, विकास खण्ड- खैर, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 70-कैशबुक में दर्शित व्ययों की जांच व मिलान करने पर पाया गया कि कोरोना काल में सेनेटाइजेशन, मास्क व साफ-सफाई में कुल ₹0 90456.00 का व्यय दर्शाया गया है। इस व्यय से संबंधित कोई प्रस्ताव/कार्य पुस्तिका व रजिस्टर उपलब्ध नहीं हुए। सभी व्ययों की स्वीकृति ग्राम पंचायत से होनी चाहिए। बिना स्वीकृति के दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं होती है। इस प्रति स्थिति स्पष्ट करानी अपेक्षित है। व्ययों का विवरण निम्न प्रकार है-

क्रमांक	दिनांक	व्यय की धनराशि	व्यय का मद
01	26.04.2020	8000.00	सेनेटाइजेशन
02	11.06.2020	10000.00	सेनेटाइजेशन
03	24.06.2020	2720.00	मास्क
04	06.07.2020	12000.00	साफ-सफाई
05	17.07.2020	17500.00	साफ-सफाई
06	09.10.2020	2000.00	सेनेटाइजेशन
07	09.10.2020	9920.00	सफाई कार्य मजदूरी
08	23.12.2020	2216.00	सेनेटाइजेशन और साबुन
09	24.12.2020	26100.00	सेनेटाइजेशन
योग		90456.00	

उक्त विवरण में दर्शित व्यय अनियमित प्रतीत होते हैं। विभागीय निर्देशों/आदेशों का हवाला दिया गया है लेकिन उपलब्ध नहीं हो सके। अतः व्ययों के सत्यापन हेतु विभागीय निर्देशों व आदेशों को उपलब्ध कराया जाए अन्यथा की स्थिति में व्ययों को अनियमित मानते हुए आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। उक्त विवरण में ₹0 90456.00 के व्ययों के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री दिनेश कुमार शर्मा दोषी व उत्तरदायी हैं। आपत्ति संख्या- 01

62 ग्राम पंचायत- श्यामगढ़ी, विकास खण्ड- गोण्डा, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 71-ग्राम पंचायत श्यामगढ़ी की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा दिनांक 22.01.2022 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 22.01.2022 से लेकर 31.03.2022 बार-बार पत्राचार व संपर्क करने बाद भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है न ही वर्तमान सचिव श्री बिहारीलाल व तत्कालीन प्रधान श्रीमती कमलेश द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जानेकी सूचना सहायक विकास अधिकारी पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में आनलाइन प्रियासाफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 1885793.00 को व्यय का आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 के ग्राम पंचायतों में, वित्त एव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध ही नहीं कराया गया है। इसी के क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी। एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 1885793.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्रीमती कमलेश व तत्कालीन सचिव श्री बिहारीलाल, दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 1885793.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी

वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती कमलेश व तत्कालीन सचिव श्री बिहारीलाल से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(आ0 संख्या- 01)

63 ग्राम पंचायत- भैया, विकास खण्ड- गोण्डा, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 72-ग्राम पंचायत भैया की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा दिनांक 30.03.2022 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 30.03.2022 से लेकर 31.03.2022 बार-बार पत्राचार व संपर्क करने बाद भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है न ही वर्तमान सचिव श्री राजीव कुमार दीक्षित व तत्कालीन प्रधान श्रीमती शिमला कुमारी द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जानेकी सूचना सहायक विकास अधिकारी पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में आनलाइन प्रियासाफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 1892846.00 को व्यय का आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 के ग्राम पंचायतों में, वित्त एव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध ही नहीं कराया गया है। इसी के क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी। एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 1892846.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्रीमती शिमला कुमारी व तत्कालीन सचिव श्री राजीव कुमार दीक्षित, दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 1892846.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती शिमला कुमारी व तत्कालीन सचिव श्री राजीव कुमार दीक्षित से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0 संख्या- 01)

64 ग्राम पंचायत- पांयदापुर, विकास खण्ड- गोण्डा, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 73-ग्राम पंचायत पांयदापुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा दिनांक 31.03.2022 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 31.03.2022 को भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है न ही वर्तमान सचिव श्री राजीव कुमार दीक्षित व तत्कालीन प्रधान श्री ओमप्रकाश द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जानेकी सूचना सहायक विकास अधिकारी पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में आनलाइन प्रियासाफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 5805300.00 को व्यय का आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 के ग्राम पंचायतों में, वित्त एव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध ही नहीं कराया गया है। इसी के क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी। एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 5805300.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्री ओमप्रकाश व तत्कालीन सचिव श्री राजीव कुमार दीक्षित, दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 5805300.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्री ओमप्रकाश व तत्कालीन सचिव श्री राजीव कुमार दीक्षित से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0 संख्या- 01)

65 ग्राम पंचायत- रफायतपुर, विकास खण्ड- गोण्डा, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 74-ग्राम पंचायत रफायतपुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा दिनांक 29.03.2022 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 29.03.2022 से लेकर 31.03.2022 तक भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है न ही वर्तमान सचिव श्री राजीव कुमार दीक्षित व तत्कालीन प्रधान श्री रामपाल सिंह द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जानेकी सूचना सहायक विकास अधिकारी पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में आनलाइन प्रियासाफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 2532508.00 को व्यय का आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 के ग्राम पंचायतों में, वित्त एव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध ही नहीं कराया गया है। इसी के क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को

अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी। एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 2532508.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्री रामपाल सिंह व तत्कालीन सचिव श्री राजीव कुमार दीक्षित, दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 2532508.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्री रामपाल सिंह व तत्कालीन सचिव श्री राजीव कुमार दीक्षित से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0 संख्या- 01)

66 ग्राम पंचायत- रजावल, विकास खण्ड- गोण्डा, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 75-ग्राम पंचायत रजावल की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा दिनांक 22.02.2022 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 22.02.2022 से लेकर 31.03.2022 तक भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है न ही वर्तमान सचिव श्री राजीव कुमार दीक्षित व तत्कालीन प्रधान श्रीमती ममता चौधरी द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जानेकी सूचना सहायक विकास अधिकारी पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में आनलाइन प्रियासाफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 2870196.00 को व्यय का आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 के ग्राम पंचायतों में, वित्त एव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध ही नहीं कराया गया है। इसी के क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी। एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 2870196.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्रीमती ममता चौधरी व तत्कालीन सचिव श्री राजीव कुमार दीक्षित, दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 2870196.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती ममता चौधरी व तत्कालीन सचिव श्री राजीव कुमार दीक्षित से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0 संख्या- 01)

67 ग्राम पंचायत- मजुपुर सुबकरा, विकास खण्ड- गोण्डा, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 76-ग्राम पंचायत मजुपुर सुबकरा की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा दिनांक 31.03.2022 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 31.03.2022 को भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है न ही वर्तमान सचिव श्री राजीव कुमार दीक्षित व तत्कालीन प्रधान श्रीमती कल्लो द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जानेकी सूचना सहायक विकास अधिकारी पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में आनलाइन प्रियासाफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 7939160.00 को व्यय का आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 के ग्राम पंचायतों में, वित्त एव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध ही नहीं कराया गया है। इसी के क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी। एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 7939160.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्रीमती कल्लो व तत्कालीन सचिव श्री राजीव कुमार दीक्षित, दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 7939160.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती कल्लो व तत्कालीन सचिव श्री राजीव कुमार दीक्षित से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0 संख्या- 01)

68 ग्राम पंचायत- कलींजरी, विकास खण्ड- गोण्डा, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 77-ग्राम पंचायत कलींजरी की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा दिनांक 31.12.2021 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 31.12.2021 से लेकर 31.03.2022 तक भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है न ही वर्तमान सचिव श्री बिहारीलाल व तत्कालीन प्रधान श्रीमती केशरी देवी द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जानेकी सूचना सहायक विकास अधिकारी पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में आनलाइन प्रियासाफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 1197888.00 को व्यय का आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 के ग्राम पंचायतों में, वित्त एव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई

भी अभिलेख उपलब्ध ही नहीं कराया गया है। इसी के क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी। एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 1197888.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्रीमती केशरी देवी व तत्कालीन सचिव श्री बिहारीलाल, दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 1197888.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती केशरी देवी व तत्कालीन सचिव श्री बिहारीलाल से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0 संख्या- 01)

69 ग्राम पंचायत- माँती, विकास खण्ड- गोण्डा, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 78-कैशबुक में दर्शित व्ययों का मिलान ग्राम पंचायत के बैंक खातों से करने पर पाया गया कि दिनांक 22.12.2020 में 10 मजदूरों का भुगतान ₹0 29020.00 (1800+2520+2900+2900+2900+3000+3600+2900) किया गया है। जिसे कैशबुक में नहीं दर्शाया गया है। जबकि ऑनलाइन व्ययों की जांच में पाया गया कि माह दिसम्बर 2020 में व्ययों में एक वाउचर संख्या 21/पी/6 द्वारा ₹0 79406.00 का भुगतान दर्शित है जिसमें सामग्री खरीद का ₹0 50386.00 व 10 मजदूरों का भुगतान ₹0 29020.00 दर्शित है। एक ही वाउचर के द्वारा दो अलग-अलग तरह के भुगतान किये गये हैं, जो कि अनियमित है। इससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत सचिव श्री सतबन्त सिंह द्वारा कैशबुक तैयार करने व ऑनलाइन भुगतान करने में गंभीर लापरवाही की गयी है। कैशबुक में किसी भी भुगतान को न दर्शाना गंभीर वित्तीय अनियमितता का प्रकरण बनता है। अतः इस प्रति स्थिति स्पष्ट करायी जाये एवं तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (आ0 संख्या- 01)

70 ग्राम पंचायत- राजीपुर, विकास खण्ड- अकराबाद, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 79-ग्राम पंचायत राजीपुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा दिनांक 18.12.2021 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 18.12.2021 से लेकर 31.03.2022 तक भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है न ही वर्तमान सचिव श्री आलोक कुमार व तत्कालीन प्रधान श्रीमती मधुवर्षा द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जानेकी सूचना सहायक विकास अधिकारी पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में आनलाइन प्रियासाफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 1135262.00 को व्यय का आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 के ग्राम पंचायतों में, वित्त एव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध ही नहीं कराया गया है। इसी के क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी। एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 1135262.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्रीमती मधुवर्षा व तत्कालीन सचिव श्री आलोक कुमार, दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 1135262.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती मधुवर्षा व तत्कालीन सचिव श्री आलोक कुमार से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0 संख्या- 01)

71 ग्राम पंचायत- दरियापुर, विकास खण्ड- अकराबाद, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 80-ग्राम पंचायत राजीपुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा दिनांक 17.12.2021 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 17.12.2021 से लेकर 31.03.2022 तक भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है न ही वर्तमान सचिव श्री आलोक कुमार व तत्कालीन प्रधान श्री संतोष कुमार द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जानेकी सूचना सहायक विकास अधिकारी पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में आनलाइन प्रियासाफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 623434.00 को व्यय का आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 के ग्राम पंचायतों में, वित्त एव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध ही नहीं कराया गया है। इसी के क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी। एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 623434.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्री संतोष कुमार व तत्कालीन सचिव श्री आलोक कुमार, दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 623434.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्री संतोष कुमार व तत्कालीन सचिव श्री आलोक कुमार से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0 संख्या- 01)

72 ग्राम पंचायत- टुआमई, विकास खण्ड- अकराबाद, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 81-ग्राम पंचायत टुआमई की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा दिनांक 20.12.2021 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 20.12.2021 से लेकर 31.03.2022 तक भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है न ही वर्तमान सचिव श्री आलोक कुमार व तत्कालीन प्रधान श्री आनंद द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जानेकी सूचना सहायक विकास अधिकारी पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में आनलाइन प्रियासाफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 1283913.00 को व्यय का आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 के ग्राम पंचायतों में, वित्त एव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध ही नहीं कराया गया है। इसी के क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी। एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 1283913.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्री आनंद व तत्कालीन सचिव श्री आलोक कुमार, दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 1283913.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्री आनंद व तत्कालीन सचिव श्री आलोक कुमार से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0 संख्या- 01)

73 ग्राम पंचायत- गोबरा दीपपुर, विकास खण्ड- अकराबाद, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 82-ग्राम पंचायत गोबरा दीपपुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा दिनांक 21.12.2021 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 21.12.2021 से लेकर 31.03.2022 तक भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है न ही वर्तमान सचिव श्री आलोक कुमार व तत्कालीन प्रधान श्री मंगल सिंह द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जानेकी सूचना सहायक विकास अधिकारी पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में आनलाइन प्रियासाफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 611783.00 को व्यय का आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 के ग्राम पंचायतों में, वित्त एव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध ही नहीं कराया गया है। इसी के क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी। एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 611783.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्री मंगल सिंह व तत्कालीन सचिव श्री आलोक कुमार, दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 611783.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्री मंगल सिंह व तत्कालीन सचिव श्री आलोक कुमार से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0 संख्या- 01)

74 ग्राम पंचायत- गोपी, विकास खण्ड- अकराबाद, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 83-कैशबुक में दर्शित व्ययों की जांच व बैंक खातों से मिलान करने पर पाया गया कि केन्द्रीय वित्त आयोग खाते से दिनांक 09.12.2020 में ₹0 20872.00 का भुगतान तो किया गया है लेकिन इस भुगतान को कैशबुक में दर्शाया ही नहीं गया। अर्थात् उक्त भुगतान से संबंधित कोई व्यय कैशबुक में नहीं दर्शाया गया है। और न ही यह स्पष्ट किया गया कि यह भुगतान किस मद में तथा किस कार्य के लिए किया गया है। इससे स्पष्ट है कि दर्शित भुगतान से प्राप्त सामग्री अथवा सेवा का उपयोग ग्राम पंचायत के कार्यों में नहीं किया गया है। इस प्रकार दर्शित भुगतान की धनराशि का व्यय अपुष्ट रहा। जिसके लिए प्रधान श्रीमती रजनेश कुमारी व सचिव श्री भूदेव सिंह दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः उक्त के प्रति स्थिति स्पष्ट करायी जाये एवं तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (आ0 संख्या- 01)

प्रस्तर 84-कैशबुक में दर्शित व्ययों की जांच व बैंक खातों से मिलान करने पर पाया गया कि राज्य वित्त आयोग खाते से दिनांक 22.12.2020 में ₹0 13850.00 व ₹0 14600.00 का भुगतान तो किया गया है लेकिन इस भुगतान को कैशबुक में दर्शाया ही नहीं गया। अर्थात् उक्त भुगतान से संबंधित कोई व्यय कैशबुक में नहीं दर्शाया गया है। और न ही यह स्पष्ट किया गया कि यह भुगतान किस मद में तथा किस कार्य के लिए किया गया है। इससे स्पष्ट है कि दर्शित भुगतान से प्राप्त सामग्री अथवा सेवा का उपयोग ग्राम पंचायत के कार्यों में नहीं किया गया है। इस प्रकार दर्शित भुगतान की धनराशि का व्यय अपुष्ट रहा। जिसके लिए प्रधान श्रीमती रजनेश कुमारी व सचिव श्री भूदेव सिंह दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः उक्त के प्रति स्थिति स्पष्ट करायी जाये एवं तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (आ0 संख्या- 02)

75 ग्राम पंचायत- नगला केशिया, विकास खण्ड- अकराबाद, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 85-कैशबुक में दर्शित व्ययों की जांच में पाया गया कि दिनांक 28.12.2020 में ₹0 1950.00 का स्टेशनरी व्यय दर्शाया गया है, लेकिन दर्शित व्यय की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध नहीं हुआ है। इसके अलावा उक्त दर्शित व्यय का भुगतान बैंक खाता ग्राम निधि प्रथम से ₹0 19500.00 किया गया है तथा यह भुगतान स्टेशनरी फर्म या दुकान को नहीं किया गया है। उक्त ₹0 19500.00 का भुगतान प्रधान श्री सुरेन्द्र सिंह को किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त दर्शित व्यय उसका भुगतान काल्पनिक है। इस प्रकार ₹0 19500.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री भूदेव सिंह दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः ₹0 19500.00 की वसूली मय सूद के प्रधान श्री सुरेन्द्र सिंह व सचिव श्री भूदेव सिंह से कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (आ0 संख्या- 01)

76 ग्राम पंचायत- नगला सरताज, विकास खण्ड- अकराबाद, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 86-कैशबुक में दर्शित व्ययों की जांच व बैंक खातों से मिलान करने पर पाया गया कि केन्द्रीय वित्त आयोग खाते से दिनांक 28.12.2020 में ₹0 60351.00 का भुगतान तो किया गया है लेकिन इस भुगतान को कैशबुक में दर्शाया ही नहीं गया। अर्थात् उक्त भुगतान से संबंधित कोई व्यय कैशबुक में नहीं दर्शाया गया है। और न ही यह स्पष्ट किया गया कि यह भुगतान किस मद में तथा किस कार्य के लिए किया गया है। इससे स्पष्ट है कि दर्शित भुगतान से प्राप्त सामग्री अथवा सेवा का उपयोग ग्राम पंचायत के कार्यों में नहीं किया गया है। इस प्रकार दर्शित भुगतान की धनराशि का व्यय अपुष्ट रहा। जिसके लिए प्रधान श्री राहुल कुमार व सचिव श्री भूदेव सिंह दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः उक्त के प्रति स्थिति स्पष्ट करायी जाये एवं तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (आ0 संख्या- 01)

77 ग्राम पंचायत- बढौली फतेह खां, विकास खण्ड- लोधा, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 87-ग्राम पंचायत बढौली फतेह खां की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा दिनांक 27.12.2021 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 31.03.2022 तक भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये जिसकी लिखित सूचना ग्राम पंचायत सचिव श्री संजीव कुमार व ए0डी0ओ0 पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में आनलाइन प्रियासाफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 485554.00 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय को आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 के ग्राम पंचायतों में, वित्त एव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध ही नहीं कराया गया है। इसी के क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी। एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 485554.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्री खचेरपाल सिंह व तत्कालीन सचिव श्री संजीव कुमार, दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 485554.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्री खचेरपाल सिंह व तत्कालीन सचिव श्री संजीव कुमार से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0 संख्या- 01)

78 ग्राम पंचायत- भदेसी माँफी, विकास खण्ड- लोधा, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 88-ग्राम पंचायत भदेसी माँफी की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा दिनांक 29.12.2021 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 31.03.2022 तक भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये जिसकी लिखित सूचना ग्राम पंचायत सचिव श्री संजीव कुमार व ए0डी0ओ0 पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में आनलाइन प्रियासाफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 1483826.00 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय को आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 के ग्राम पंचायतों में, वित्त एव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध ही नहीं कराया गया है। इसी के क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी। एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 1483826.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्री भूपेन्द्र सिंह व तत्कालीन सचिव श्री संजीव कुमार, दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 1483826.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्री भूपेन्द्र सिंह व तत्कालीन सचिव श्री संजीव कुमार से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0 संख्या- 01)

79 ग्राम पंचायत- रूस्तमपुर सकत खां, विकास खण्ड- लोधा, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 89-ग्राम पंचायत रूस्तमपुर सकत खां की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा दिनांक 23.03.2022 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 31.03.2022 तक भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये जिसकी लिखित सूचना ग्राम पंचायत सचिव श्री संजीव कुमार व ए0डी0ओ0 पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में आनलाइन प्रियासाफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में रू0 1088791.00 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय को आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 के ग्राम पंचायतों में, वित्त एव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध ही नहीं कराया गया है। इसी के क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी। एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः दर्शित कुल व्यय रू0 1088791.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्री वीरपाल सिंह व तत्कालीन सचिव श्री संजीव कुमार, दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय रू0 1088791.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्री वीरपाल सिंह व तत्कालीन सचिव श्री संजीव कुमार से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0 संख्या- 01)

80 ग्राम पंचायत- पड़ियावली, विकास खण्ड- लोधा, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 90-ग्राम पंचायत पड़ियावली की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा दिनांक 23.03.2022 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 31.03.2022 तक भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये जिसकी लिखित सूचना ग्राम पंचायत सचिव श्री संजीव कुमार व ए0डी0ओ0 पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में आनलाइन प्रियासाफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में रू0 2092582.00 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय को आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 के ग्राम पंचायतों में, वित्त एव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध ही नहीं कराया गया है। इसी के क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी। एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः दर्शित कुल व्यय रू0 2092582.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्रीमती सरोज कुमारी व तत्कालीन सचिव श्री संजीव कुमार, दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय रू0 2092582.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती सरोज कुमारी व तत्कालीन सचिव श्री संजीव कुमार से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0 संख्या- 01)

81 ग्राम पंचायत- वाजिदपुर नादा, विकास खण्ड- लोधा, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 91-ग्राम पंचायत वाजिदपुर नादा की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा दिनांक 23.03.2022 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 31.03.2022 तक भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये जिसकी लिखित सूचना ग्राम पंचायत सचिव श्री संजीव कुमार व ए0डी0ओ0 पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में आनलाइन प्रियासाफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में रू0 520386.00 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय को आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 के ग्राम पंचायतों में, वित्त एव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध ही नहीं कराया गया है। इसी के क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी। एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः दर्शित कुल व्यय रू0 520386.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्रीमती कमलेश व तत्कालीन सचिव श्री संजीव कुमार, दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय रू0 520386.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती कमलेश व तत्कालीन सचिव श्री संजीव कुमार से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0 संख्या- 01)

82 ग्राम पंचायत- भौकरी खास, विकास खण्ड- लोधा, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 92-दिनांक 28.03.2021 को कैशबुक अनुसार रू0 15000.00 तकनीकी एवं प्रशासनिक मद में 15 वां वित्त आयोग से सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के खाते से पी0एम0एफ0एस0 द्वारा ट्रांसफर किया जाना दर्शित है। जबकि 15 वां वित्त

आयोग की गाइड लाईन के अनुसार तकनीकी एवं प्रशासनिक मद में कोई भी धनराशि के ट्रांसफर का कोई भी प्रावधान नहीं है। 14 वां वित्त की गाइड लाईन में तकनीकी एवं प्रशासनिक मद में सहायक विकास अधिकारी पंचायत के खाते में एक निश्चित प्रतिशत की व्यवस्था थी। अतः 15 वें वित्त आयोग से तकनीकी एवं प्रशासनिक मद में सहायक विकास अधिकारी पंचायत के खाते में ₹0 15000.00 ट्रांसफर कर अनियमितता की गई। जिसके उत्तरदायी प्रशासक श्री विजय कुमार सिंह ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) व ग्राम पंचायत सचिव श्री संजीव कुमार है। जिसके लिए नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(आ0 सं0- 01)

83 ग्राम पंचायत- अमरपुर कोण्डला, विकास खण्ड- लोधा, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 93-आलोच्य वर्ष में कैशबुक अनुसार ग्राम पंचायत में निम्नलिखित निर्माण कार्यों की पत्रावली एवं व्यय वाउचर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्रमांक	कार्य का नाम	सामग्री	मजदूरी	योग
1	वीरपाल के घर से रामवीर के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	316219	3000	319219
2	कृपाली के घर से देवराज के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	30434	55660	86094
3	श्रीती के घर से शिवलाल के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	-	21820	21820
4	श्रीपाल के घर से रामवती के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	48548	36930	85478
	योग	395201	117410	512611

उ0प्र0 सरकार में पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। अतः 512611.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री पप्पू व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री दिग्विजय सिंह से करायी जानी अपेक्षित है। विभागीय कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(आ0 संख्या- 01)

84 ग्राम पंचायत- हरदासपुर, विकास खण्ड- लोधा, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 94-वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव श्री यतेन्द्र सिंह द्वारा केवल कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये, जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं होती है।

उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 की कैशबुक में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है।

क्र०सं0	विवरण	वर्ष 2020-21
1	सामग्री	704065.00
2	मस्ट्रोल	77450.00
3	हैन्ड पम्प मरम्मत	61400.00
4	अन्य व्यय	11303.00
	योग	854218.00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2020-21 में कुल व्यय ₹0 854218.00 किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये तथा इसके अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष वर्ष 2020-21 में उक्तानुसार दर्शित कुल व्यय ₹0 854218.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विजेन्द्र सिंह व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री यतेन्द्र सिंह से की जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है। **आपत्ति संख्या- 01**

85 ग्राम पंचायत- खेडिया हैवत खां, विकास खण्ड- लोधा, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 95-ग्राम पंचायत खेडिया हैवत खां की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा दिनांक 22.02.2022 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 31.03.2022 तक भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये जिसकी लिखित सूचना ग्राम पंचायत सचिव श्री तनय तिवारी व ए0डी0ओ0 पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में ऑनलाइन प्रियासाफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 753681.00 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय को आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 के ग्राम पंचायतों में, वित्त एव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध ही नहीं कराया गया है। इसी के क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी। एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 753681.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्री प्रकाश चन्द्र व तत्कालीन सचिव श्री तनय तिवारी, दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 753681.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्री प्रकाश चन्द्र व तत्कालीन सचिव श्री तनय तिवारी से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0 संख्या- 01)

86- ग्राम पंचायत- अदौन, विकास खण्ड- धनीपुर, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 96- ग्राम पंचायत अदौन की ऑनलाइन लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 हेतु इंटीमेशन भेजी गई जिसे संबंधित सचिव द्वारा एक्सेप्ट किया गया परंतु कई प्रयासों के उपरान्त ऑफलाइन कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, बाउचर, कार्यवाही पंजी, निर्माण कार्य की पत्रावलियां एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। ऑनलाइन फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 4006040.00 का आहरण कर व्यय किया गया जिसके सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यथा-कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियां, कैशबुक, बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेंट, प्राकलन, एम0बी0, कार्य के प्रारम्भ, दौरान एवं अंत की फोटो, कार्ययोजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रय के बाउचर एवं मजदूरी के मस्टररोल, एवं हैण्ड पम्प कार्य के सापेक्ष हैण्ड पम्पों की स्थवार सूची, खराब हैण्ड पम्पों की स्थलवार सूची ग्राम वासियों द्वारा हैण्ड पम्प खराब होने की प्रार्थना पत्र एवं सही हो जाने का प्रमाण पत्र, जल प्रबन्धन द्वारा स्वीकृति एवं सामग्री के बाउचर व मजदूरी का मस्टररोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय पूर्णतः संदिग्ध एवं आहरित धनराशि को समायोजित कर धन का अपहरण किये जानेकी स्थिति प्रतीत होती है। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के प्रस्तर 8-क के अंतर्गत अपहरण मानते हुए ₹0 4006040.00 की वसूली मय ब्याज के सुनील कुमार सचिव एवं श्रीमती समीना बेगम प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। **आ0 सं0- 09**

87 ग्राम पंचायत- अलहदादपुर, विकास खण्ड- धनीपुर, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 97- ग्राम पंचायत अलहदादपुर की ऑनलाइन लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 हेतु इंटीमेशन भेजी गई जिसे संबंधित सचिव द्वारा एक्सेप्ट किया गया परंतु कई प्रयासों के उपरान्त ऑफलाइन कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, बाउचर, कार्यवाही पंजी, निर्माण कार्य की पत्रावलियां एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। ऑनलाइन फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 1946319.00 का आहरण कर व्यय किया गया जिसके सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यथा-कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियां, कैशबुक, बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेंट, प्राकलन, एम0बी0, कार्य के प्रारम्भ, दौरान एवं अंत की फोटो, कार्ययोजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रय के बाउचर एवं मजदूरी के मस्टररोल, एवं हैण्ड पम्प कार्य के सापेक्ष हैण्ड पम्पों की स्थवार सूची, खराब हैण्ड पम्पों की स्थलवार सूची ग्राम वासियों द्वारा हैण्ड पम्प खराब होने की प्रार्थना पत्र एवं सही हो जाने का प्रमाण पत्र, जल प्रबन्धन द्वारा स्वीकृति एवं सामग्री के बाउचर व मजदूरी का मस्टररोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय पूर्णतः संदिग्ध एवं आहरित धनराशि को समायोजित कर धन का अपहरण किये जानेकी स्थिति प्रतीत होती है। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के प्रस्तर 8-क के अंतर्गत अपहरण मानते हुए ₹0 1946319.00 की वसूली मय ब्याज के सुशील कुमार गोयल सचिव एवं श्रीमती ज्योति सिंह प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। **आ0 सं0- 09**

88- ग्राम पंचायत- बालू खेड़ा, विकास खण्ड- धनीपुर, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 98- ग्राम पंचायत बालू खेड़ा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 हेतु इंटीमेशन भेजी गई जिसे संबंधित सचिव द्वारा एक्सेप्ट किया गया परंतु कई प्रयासों के उपरान्त ऑफलाइन कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, बाउचर, कार्यवाही पंजी, निर्माण कार्य की पत्रावलियां एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। ऑनलाइन फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 1196443.00 का आहरण कर व्यय किया गया जिसके सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यथा-कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियां, कैशबुक, बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेंट, प्राकलन, एम0बी0, कार्य के प्रारम्भ, दौरान एवं अंत की फोटो, कार्ययोजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रय के बाउचर एवं मजदूरी के मस्टररोल, एवं हैण्ड पम्प कार्य के सापेक्ष हैण्ड पम्पों की स्थवार सूची, खराब हैण्ड पम्पों की स्थलवार सूची ग्राम वासियों द्वारा हैण्ड पम्प खराब होने की प्रार्थना पत्र एवं सही हो जाने का प्रमाण पत्र, जल प्रबन्धन द्वारा स्वीकृति एवं सामग्री के बाउचर व मजदूरी का मस्टररोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय पूर्णतः संदिग्ध एवं आहरित धनराशि को

की प्रार्थना पत्र एवं सही हो जाने का प्रमाण पत्र, जल प्रबन्धन द्वारा स्वीकृति एवं सामग्री के बाउचर व मजदूरी का मस्टररोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय पूर्णतः संदिग्ध एवं आहरित धनराशि को समायोजित कर धन का अपहरण किये जानेकी स्थिति प्रतीत होती है। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के प्रस्तर 8-क के अंतर्गत अपहरण मानते हुए ₹0 2005091.00 की वसूली मय ब्याज के श्री मनोज कुमार गुप्ता, सचिव एवं श्री नरसिंह पाल, प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा।

आपत्ति संख्या- 09

92 ग्राम पंचायत- रोहनिया सिंगारपुर, विकास खण्ड- धनीपुर, जनपद- अलीगढ़

93 ग्राम पंचायत- सिधौली, विकास खण्ड- धनीपर, जनपद- अलीगढ़

94- ग्राम पंचायत- सोनोठ गोकलपुर, विकास खण्ड- धनीपुर, जनपद- अलीगढ़

95- ग्राम पंचायत- खिटकरी, विकास खण्ड- धनीपुर, जनपद- अलीगढ़

आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय पूर्णतः संदिग्ध एवं आहरित धनराशि को समायोजित कर धन का अपहरण किये जाने की स्थिति प्रतीत होती है। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के प्रस्तर 8-क के अंतर्गत अपहरण मानते हुए ₹0 1436259.00 की वसूली मय ब्याज के श्री मनोज कुमार गुप्ता, सचिव एवं श्री रणवीर सिंह, प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा।

आपत्ति संख्या- 09

96- ग्राम पंचायत- इकरी, विकास खण्ड- धनीपुर, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 107 7- ग्राम पंचायत इकरी की ऑनलाइन लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 हेतु इंटीमेशन भेजी गई जिसे संबंधित सचिव द्वारा एक्सेप्ट किया गया परंतु कई प्रयासों के उपरान्त ऑफलाइन कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, बाउचर, कार्यवाही पंजी, निर्माण कार्य की पत्रावलियां एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। ऑनलाइन फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 840179.00 का आहरण कर व्यय किया गया जिसके सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यथा-कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियां, कैशबुक, बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेंट, प्राकलन, एम0बी0, कार्य के प्रारम्भ, दौरान एवं अंत की फोटो, कार्ययोजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रय के बाउचर एवं मजदूरी के मस्टररोल, एवं हैण्ड पम्प कार्य के सापेक्ष हैण्ड पम्पों की स्थवार सूची, खराब हैण्ड पम्पों की स्थलवार सूची ग्राम वासियों द्वारा हैण्ड पम्प खराब होने की प्रार्थना पत्र एवं सही हो जाने का प्रमाण पत्र, जल प्रबन्धन द्वारा स्वीकृति एवं सामग्री के बाउचर व मजदूरी का मस्टररोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय पूर्णतः संदिग्ध एवं आहरित धनराशि को समायोजित कर धन का अपहरण किये जाने की स्थिति प्रतीत होती है। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के प्रस्तर 8-क के अंतर्गत अपहरण मानते हुए ₹0 840179.00 की वसूली मय ब्याज के श्री महेश चन्द्र शर्मा, सचिव एवं श्री राकेश

97- ग्राम पंचायत- अजीमाबाद मछुआ, विकास खण्ड- धनीपुर, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 108 - ग्राम पंचायत अजीमाबाद मछुआ की ऑनलाइन लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 हेतु इंटीमेशन भेजी गई जिसे संबंधित सचिव द्वारा एक्सेप्ट किया गया परंतु कई प्रयासों के उपरान्त ऑफलाइन कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, बाउचर, कार्यवाही पंजी, निर्माण कार्य की पत्रावलियां एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। ऑनलाइन फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 1513055.00 का आहरण कर व्यय किया गया जिसके सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यथा-कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियां, कैशबुक, बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेंट, प्राकलन, एम0बी0, कार्य के प्रारम्भ, दौरान एवं अंत की फोटो, कार्ययोजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रय के बाउचर एवं मजदूरी के मस्टररोल, एवं हैण्ड पम्प कार्य के सापेक्ष हैण्ड पम्पों की स्थवार सूची, खराब हैण्ड पम्पों की स्थलवार सूची ग्राम वासियों द्वारा हैण्ड पम्प खराब होने की प्रार्थना पत्र एवं सही हो जाने का प्रमाण पत्र, जल प्रबन्धन द्वारा स्वीकृति एवं सामग्री के बाउचर व मजदूरी का मस्टररोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय पूर्णतः संदिग्ध एवं आहरित धनराशि को समायोजित कर धन का अपहरण किये जाने की स्थिति प्रतीत होती है। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के प्रस्तर 8-क के अंतर्गत अपहरण मानते हुए ₹0 1513055.00 की वसूली मय ब्याज के श्री मनोज कुमार गुप्ता, सचिव एवं श्री जीत पाल, प्रधान से किया जाना अपेक्षित

आपत्ति संख्या- 09

98- ग्राम पंचायत- शाहनगर सारौल, विकास खण्ड-टप्पल, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 109 -ग्राम पंचायत शाहनगर सारौल की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा दिनांक 22.03.2022 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 31.03.2022 तक भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये जिसकी लिखित सूचना ग्राम पंचायत सचिव श्री शशि कुमार व ए0डी0ओ0 पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में ऑनलाइन प्रियासाफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 819970.00 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय को आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 के ग्राम पंचायतों में, वित्त एव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध ही नहीं कराया गया है। इसी के क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी। एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 819970.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्रीमती सीमा व तत्कालीन सचिव श्री शशि कुमार, दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 819970.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती सीमा व तत्कालीन सचिव श्री शशि कुमार से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0 संख्या- 01)

99- ग्राम पंचायत- कंसेरा, विकास खण्ड-टप्पल, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 110 --ग्राम पंचायत कंसेरा की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा दिनांक 14.12.2021 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 31.03.2022 तक भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये जिसकी लिखित सूचना ग्राम पंचायत सचिव श्री चरण सिंह व ए0डी0ओ0 पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में

आनलाइन प्रियासाफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹00 706547.00 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय को आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

अतः दर्शित कुल व्यय रू० 706547.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्री पूरन व तत्कालीन सचिव श्री चरण सिंह, दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय रू० 706547.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्री पूरन व तत्कालीन सचिव श्री चरण सिंह से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(आ० सं०- 01)

प्रस्तर 111 -ग्राम पंचायत नरवारी की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा दिनांक 15.12.2021 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 31.03.2022 तक भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये जिसकी लिखित सूचना ग्राम पंचायत सचिव श्री चरण सिंह व ए0डी0ओ0 पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में आनलाइन प्रियासाफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹00 2262731.00 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय को आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 2262731.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्रीमती जुबैदा बेगम व तत्कालीन सचिव श्री चरण सिंह, दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 2262731.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती जुबैदा बेगम व तत्कालीन सचिव श्री चरण सिंह से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(आ0 संख्या- 01)

प्रस्तर 112 -ग्राम पंचायत जड़ाना की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा दिनांक 13.12.2021 को करना प्रस्तावित हुआ था। लेकिन 31.03.2022 तक भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये जिसकी लिखित सूचना ग्राम पंचायत सचिव श्री चरण सिंह व ए0डी0ओ0 पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में आनलाइन प्रियासाफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 551218.00 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय को आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 551218.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्रीमती सर्विस्टर व तत्कालीन सचिव श्री चरण सिंह, दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 551218.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती सर्विस्टर व तत्कालीन सचिव श्री चरण सिंह से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(आ0 संख्या- 01)

प्रस्तर 113 -ग्राम पंचायत मानपुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा दिनांक 20.03.2022 को करना प्रस्तावित हुआ था। लेकिन 31.03.2022 तक भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये जिसकी लिखित सूचना ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रियदर्शन उपाध्याय व ए0डी0ओ0 पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में आनलाइन प्रियासाफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 1210956.00 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय को आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध ही नहीं कराया गया है। इसी के क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी। एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 4265927.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्री कर्मवीर सिंह व तत्कालीन सचिव श्री दीपक शर्मा, दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय ₹0 4265927.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्री कर्मवीर सिंह व तत्कालीन सचिव श्री दीपक शर्मा से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(आ० संख्या- 01)

109 - ग्राम पंचायत- पखौदना, विकास खण्ड-टप्पल, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 120 - वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव श्री नरायण कुमार द्वारा केवल कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये, जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं होती है।

उ०प्र० सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 की कैशबुक में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है।

क्र०सं०	विवरण	वर्ष 2020-21
1	सामग्री	467270.00
2	मस्ट्रोल	118030.00
3	हैन्ड पम्प रिबोर	115772.00
4	अन्य व्यय	103987.00
	योग	805059.00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2020-21 में कुल व्यय ₹0 805059.00 किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये तथा इसके अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष वर्ष 2020-21 में उक्तानुसार दर्शित कुल व्यय ₹0 805059.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजकुमार व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री नरायण सिंह से की जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है। **आपत्ति संख्या- 01**

110 ग्राम पंचायत- नागल खर्द, विकास खण्ड-टप्पल, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 121 - वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव श्री मधुप कुमार द्वारा केवल कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये, जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं होती है।

उ०प्र० सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 की कैशबुक में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है।

क्र०सं०	विवरण	वर्ष 2020-21
1	सामग्री	765803.00
2	मस्ट्रोल	136760.00
3	हैन्ड पम्प मरम्मत	44418.00
4	अन्य व्यय	106225.00
	योग	1053206.00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2020-21 में कुल व्यय ₹0 1053206.00 किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये तथा इसके अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष वर्ष 2020-21 में उक्तानुसार दर्शित कुल व्यय ₹0 1053206.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती संतोष देवी व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री मधुप कुमार से की जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 01

111 ग्राम पंचायत- निगुना सिगुना, विकास खण्ड-टप्पल, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 122 - वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव श्री मधुप कुमार द्वारा केवल कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये, जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं होती है।

उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 की कैशबुक में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है।

क्र०सं0	विवरण	वर्ष 2020-21
1	सामग्री	398759.00
2	मस्ट्रोल	59490.00
3	हैन्ड पम्प कार्य	122042.00
4	हैन्ड पम्प रिबोर	149900.00
5	अन्य व्यय	49872.00
	योग	777063.00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2020-21 में कुल व्यय ₹0 777063.00 किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये तथा इसके अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष वर्ष 2020-21 में उक्तानुसार दर्शित कुल व्यय ₹0 777063.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अमित कुमार व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री मधुप कुमार व श्री गजेन्द्र सिंह (ए0डी0ओ0) से की जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति संख्या- 01

112 - ग्राम पंचायत- उसरहरसुलपर, विकास खण्ड-टप्पल, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 123 - वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव श्री मधुप कुमार द्वारा केवल कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये, जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं होती है।

उ0प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 की कैशबुक में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है।

क्र०सं0	विवरण	वर्ष 2020-21
1	सामग्री	185177.00
2	मस्ट्रोल	93060.00
3	हैन्ड पम्प कार्य	499066.00
4	हैन्ड पम्प रिबोर	77020.00
5	अन्य व्यय	230373.00
	योग	1084696.00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2020-21 में कुल व्यय ₹0 1084696.00 किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये तथा इसके अलावा स्वीकृति कार्य योजना, तकनीकी एवं

वित्तीय स्वीकृत, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः वर्ष वर्ष 2020-21 में उक्तानुसार दर्शित कुल व्यय रू0 1084696.00को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नीतू देवी व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री मधुप कुमार से की जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आ0 सं0- 01

113 ग्राम पंचायत- नगलिया गौरोला, विकास खण्ड-टप्पल, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 124 - पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 के ग्राम पंचायतों में, वित्त एव लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों/मदों से संबंधित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्यों पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	दिनांक	दर्शित व्यय धनराशि
1	हैन्ड पम्प कार्य एवं हैन्ड पम्प रिबोर	19.12.2020	5400.00
		19.12.2020	29212.00
		19.12.2020	12085.00
		19.12.2020	29212.00
		19.12.2020	12085.00
	योग		87994.00

स्पष्ट है उक्त कार्यों को बिना प्राक्कलन तैयार किये तथा अनुमानित व्यय की बिना सक्षम स्तर से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त किये कराया गया है तथा बिना कार्य की माप किये ही काल्पनिक आधार पर उक्त भुगतान किये गये हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 156 के अनुसार किसी भी निर्माण कार्यों को आरम्भ करने के पूर्व योजना, मानचित्र और अनुमानित व्यय की नियमानुसार स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है एवं नियम 157 (ख) के अनुसार निर्माण कार्य कराये जाने के उपरान्त भुगतान के लिए निर्धारित अधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा कार्य की नाप-जोख/ माप किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुए उक्त दर्शित धनराशि रू0 87994.00 का भुगतान/आहरण कर व्यय दर्शित किया गया है, जो उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 256(2)-(क) के अंतर्गत अनियमित व्यय है जिसके लिए ग्राम पंचायत सचिव श्री यशपाल व ग्राम प्रधान श्री डिगम्बर सिंह उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 01

114 ग्राम पंचायत- अता, विकास खण्ड-बिजौली, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 125 - व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। अतः सम्पूर्ण व्यय रूपये 861131.00 पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8(क) के अनुसार अपहरण है। उक्त की वसूली संबंधित तत्कालीन सचिव प्रेम किशोर से कर, शीघ्र ही ग्राम पंचायत कोष में जमा कराया जाना वांछित है।

आपत्ति संख्या- 01

115- ग्राम पंचायत- दीनापुर, विकास खण्ड-बिजौली, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 126 - व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। अतः सम्पूर्ण व्यय रूपये 3249299.00 पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8(क) के अनुसार अपहरण है। उक्त की वसूली संबंधित तत्कालीन सचिव प्रेम किशोर से कर, शीघ्र ही ग्राम पंचायत कोष में जमा कराया जाना वांछित है।

आपत्ति संख्या- 01

प्रस्तर 127 - व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। अतः सम्पूर्ण व्यय रूपये 1373897.00 पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8(क) के अनुसार अपहरण है। उक्त की वसूली संबंधित तत्कालीन सचिव प्रेम किशोर से कर, शीघ्र ही ग्राम पंचायत कोष में जमा कराया जाना वांछित है।

आपत्ति संख्या- 02

116- ग्राम पंचायत- भिकनपुर, विकास खण्ड-बिजौली, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 128 - व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। अतः सम्पूर्ण व्यय रूपये 2255281.00 पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8(क) के अनुसार अपहरण है। उक्त की वसूली संबंधित तत्कालीन सचिव प्रेम किशोर से कर, शीघ्र ही ग्राम पंचायत कोष में जमा कराया जाना वांछित है।

आपत्ति संख्या- 01

उक्त की वसूली संबंधित सचिव श्री जितेंद्र कुमार से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 01

159 - ग्राम पंचायत- नगला हरजी, विकास खण्ड- अतरौली, जनपद- अलीगढ़

प्रस्तर 172 - सचिव जितेंद्र कुमार द्वारा आलोच्य वर्षों के व्ययों को प्रमाणित करने वाले कोई भी अभिलेख यथा कैशबुक, कार्य पत्रावली, व्यय प्रमाणक आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। निर्माण कार्यों की पत्रावलियों/ व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में समयांतर्गत प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। अतः सम्पूर्ण व्यय ₹0 4488769.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8(क) के अनुसार उक्त सम्पूर्ण धनराशि अपहरण है। उक्त की वसूली संबंधित सचिव श्री जितेंद्र कुमार से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 01

जनपद- एटा

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 :- ग्राम पंचायतें

संस्था का नाम- ग्राम पंचायतें जनपद- एटा मण्डल- अलीगढ़

01 ग्राम पंचायत- जिरसमी, विकास खण्ड- शीतलपुर, जनपद- एटा

प्रस्तर 01- वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत में हैंडपंप मरम्मत व रिबोर में कुल व्यय ₹0 555852 का व्यय किया जाना दर्शित है परन्तु हैंडपंप के सन्दर्भ में स्थल सूची और हैंडपंप लाभार्थी के द्वारा हैंडपंप मरम्मत हेतु खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग संबंधी कोई प्रार्थना पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया विक्रेदरी कारण शासन के लिए शासनादेश संख्या 4430/33-01-99/एस0पी0आर0/99 के अनुसार 6 समितियों में जल प्रबंधन समिति का कार्य पानी से संबंधित योजना की निगरानी एवं अनुमोदन/संस्तुति करना है। परन्तु उसमें संबंधित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ना होने के कारण उक्त खर्च की पुष्टि न की जा सकी ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त धनराशि में गंभीर अनियमितता की गयी है। जिस के प्रति प्रधान श्री कप्तान सिंह व सचिव श्री राघवेन्द्र मिश्र उत्तरदायी हैं कार्यवाही अपेक्षित हैं ।

आपत्ति संख्या- 10

प्रस्तर 02- वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹0 193550/- ग्राम पंचायत में प्रकाश व्यवस्था हेतु सौर उर्जा लगवाने हेतु व्यय किया गया परन्तु लेखा परीक्षा के समय उक्त धनराशि से संबंधित बिल/वाउचर व स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जिसमें उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी इससे प्रतीत होता है कि उक्त धनराशि में गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी जिसके लिए प्रधान श्री कप्तान सिंह व सचिव श्री राघवेन्द्र मिश्र उत्तरदायी हैं कार्यवाही अपेक्षित हैं ।

आपत्ति संख्या- 11

02 ग्राम पंचायत- दुल्हापुर, विकास खण्ड- शीतलपुर, जनपद- एटा

प्रस्तर 03- वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राप्त बैंक स्टेटमेंट के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 514070/- का व्यय किया गया परन्तु लेखा परीक्षा के समय कोई भी प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। जबकि व्यय प्रमाणक, लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत किया जाना प्रधान/सचिव का दायित्व है। ऐसी स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, तो व्यय की गयी पूर्ण धनराशि को अपहरण/गबन

की श्रेणी में मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रजनीता एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अवदेश यादव से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

आपति संख्या- 10

03 ग्राम पंचायत- गढ़ी तालुका बढौली, विकास खण्ड- शीतलपुर, जनपद- एटा

प्रस्तर 04- वित्तीय वर्ष 2020-21 में ई-ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पोर्टल पर अपलोड की गयी प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 665077/- का व्यय किया गया परन्तु लेखा परीक्षा के समय कोई भी प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। जबकि व्यय प्रमाणक, लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत किया जाना प्रधान/सचिव का दायित्व है। ऐसी स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, तो व्यय की गयी पूर्ण धनराशि को अपहरण/गबन की श्रेणी में मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री शिव दयाल एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अवनीश उपाध्याय से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

आपति संख्या- 10

04 ग्राम पंचायत- सरजनपुर, विकास खण्ड- शीतलपुर, जनपद- एटा

प्रस्तर 05- वित्तीय वर्ष 2020-21 में ई-ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पोर्टल पर अपलोड की गयी प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 2302420/- का व्यय किया गया परन्तु लेखा परीक्षा के समय कोई भी प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। जबकि व्यय प्रमाणक, लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत किया जाना प्रधान/सचिव का दायित्व है। ऐसी स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, तो व्यय की गयी पूर्ण धनराशि को अपहरण/गबन की श्रेणी में मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री शैलेन्द्र कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राघवेन्द्र मिश्रा से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

आपति संख्या- 10

05 ग्राम पंचायत- कुतुकपुर, विकास खण्ड- शीतलपुर, जनपद- एटा

प्रस्तर 06- वित्तीय वर्ष 2020-21 में ई-ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पोर्टल पर अपलोड की गयी प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 1113352/- का व्यय किया गया परन्तु लेखा परीक्षा के समय कोई भी प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। जबकि व्यय प्रमाणक, लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत किया जाना प्रधान/सचिव का दायित्व है। ऐसी स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, तो व्यय की गयी पूर्ण धनराशि को अपहरण/गबन की श्रेणी में मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री ज्ञान प्रकाश एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विश्वजीत यादव से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

आपति संख्या- 10

06 ग्राम पंचायत- रारपट्टी, विकास खण्ड- शीतलपुर, जनपद- एटा

प्रस्तर 07- वित्तीय वर्ष 2020-21 में ई-ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पोर्टल पर अपलोड की गयी प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 6061182/- का व्यय किया गया परन्तु लेखा परीक्षा के समय कोई भी प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। जबकि व्यय प्रमाणक, लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत किया जाना प्रधान/सचिव का दायित्व है। ऐसी स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, तो व्यय की गयी पूर्ण धनराशि को अपहरण/गबन की श्रेणी में मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री

भूपेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विश्वजीत यादव से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

आपति संख्या- 10

07 ग्राम पंचायत- पबांस, विकास खण्ड- शीतलपुर, जनपद- एटा

प्रस्तर 08- वित्तीय वर्ष 2020-21 में ई-ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पोर्टल पर अपलोड की गयी प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 4869586/- का व्यय किया गया परन्तु लेखा परीक्षा के समय कोई भी प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। जबकि व्यय प्रमाणक, लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत किया जाना प्रधान/सचिव का दायित्व है। ऐसी स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, तो व्यय की गयी पूर्ण धनराशि को अपहरण/गबन की श्रेणी में मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विश्वजीत यादव से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

आपति संख्या- 10

08 ग्राम पंचायत- वाहनपुर, विकास खण्ड- शीतलपुर, जनपद- एटा

प्रस्तर 09- वित्तीय वर्ष 2020-21 में ई-ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पोर्टल पर अपलोड की गयी प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 740061/- का व्यय किया गया परन्तु लेखा परीक्षा के समय कोई भी प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। जबकि व्यय प्रमाणक, लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत किया जाना प्रधान/सचिव का दायित्व है। ऐसी स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, तो व्यय की गयी पूर्ण धनराशि को अपहरण/गबन की श्रेणी में मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री मुन्ना लाल एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विश्वजीत यादव से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

आपति संख्या- 10

09 ग्राम पंचायत- मजराजात एटा, विकास खण्ड- शीतलपुर, जनपद- एटा

प्रस्तर 10- वित्तीय वर्ष 2020-21 में ई-ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पोर्टल पर अपलोड की गयी प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 3696649/- का व्यय किया गया परन्तु लेखा परीक्षा के समय कोई भी प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। जबकि व्यय प्रमाणक, लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत किया जाना प्रधान/सचिव का दायित्व है। ऐसी स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, तो व्यय की गयी पूर्ण धनराशि को अपहरण/गबन की श्रेणी में मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री अशोक एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विश्वजीत यादव से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

आपति संख्या- 10

10 ग्राम पंचायत- असरौली, विकास खण्ड- शीतलपुर, जनपद- एटा

प्रस्तर 11- वित्तीय वर्ष 2020-21 में ई-ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पोर्टल पर अपलोड की गयी प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 2982918/- का व्यय किया गया परन्तु लेखा परीक्षा के समय कोई भी प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। जबकि व्यय प्रमाणक, लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत किया जाना प्रधान/सचिव का दायित्व है। ऐसी स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के प्राविधानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, तो व्यय की गयी पूर्ण धनराशि को अपहरण/गबन की श्रेणी में मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विश्वजीत यादव से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

आपति संख्या- 10

11 ग्राम पंचायत- दलशाहपुर, विकास खण्ड- आवागढ़, जनपद- एटा

प्रस्तर 12- ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त/14 वां वित्त मद से ₹0 1570847/- का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- प्रमाणित कोशबही, बैंक पासबुक, स्वीकृति योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां, कार्य की माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात ना की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गए व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्टके अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि ₹0 1570847/- में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 785423.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विनय कुमार से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 785423.50 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री राघवेन्द्र सिंह से वसूली की जानी अपेक्षित हैं ।

बैंक पासबुक तथा मूल कोशबही अनुपालन रहने से ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपति संख्या- 01

12 ग्राम पंचायत- अब्दुल हईपुर, विकास खण्ड- आवागढ़, जनपद- एटा

प्रस्तर 13- ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त/14 वां वित्त मद से ₹0 1681420.11/- का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- प्रमाणित कोशबही, बैंक पासबुक, स्वीकृति योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां, कार्य की माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात ना की जा सकी।

इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गए व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹0 1681420-60 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 840710.00

तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सहाना से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि रु0 840710.00 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री अनुराग से नियमानुसार वसूली की जानी अपेक्षित हैं ।

आपत्ति संख्या- 01

13 ग्राम पंचायत- बरई कल्याणपुर, विकास खण्ड- आवागढ़, जनपद- एटा

प्रस्तर 14- आलोच्य वर्ष में हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर पर सामग्री क्रय एवं मजदूरी पर रु0 212400 का व्यय किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में इससे संबंधित प्रमाणक एवं पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती नारायण देवी एवं सचिव श्री सुधाकर किशोर उत्तरदायी हैं। संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित हैं ।

आपत्ति संख्या- 01

14 ग्राम पंचायत- चुरथरा, विकास खण्ड- आवागढ़, जनपद- एटा

प्रस्तर 15- आलोच्य वर्ष में हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर पर सामग्री क्रय एवं मजदूरी पर रु0 149929 का व्यय किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में इससे संबंधित प्रमाणक एवं पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री संतोष कुमार एवं सचिव श्री सुधाकर किशोर उत्तरदायी हैं। संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित हैं ।

आपत्ति संख्या- 01

15 ग्राम पंचायत- मेहकी खुर्द कलां, विकास खण्ड- आवागढ़, जनपद- एटा

प्रस्तर 16- ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त/14 वां वित्त मद से रु0 1278551/- का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- प्रमाणित कोशबही, बैंक पासबुक, स्वीकृति योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां, कार्य की माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात ना की जा सकी।

इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गए व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रु0 1278551/- में से 50 प्रतिशत धनराशि रु0 639275.55 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मो0 काजिम से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि रु0 639275.55 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री अनुराग से वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित हैं ।

आपत्ति संख्या- 01

16 ग्राम पंचायत- रोहिना मिर्जापुर, विकास खण्ड- आवागढ़, जनपद- एटा

प्रस्तर 17- आलोच्य वर्ष 2020-21 में सबीर के घर से तालाब तक इंटर लॉकिंग एवं नाली निर्माण पर दिनांक 13.04.2020 को हर्ष बिल्डिंग मैटेरियल से सामग्री क्रय पर रु0 266572/- एवं मस्टर रोल पर रु0 88270/- का व्यय किया गया है परंतु लेखा परीक्षा में इससे संबंधित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये जिसके लिए प्रधान

श्रीमती हेमलता एवं सचिव श्री अनुराग उत्तरदायी हैं वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित हैं।

आपत्ति संख्या- 01

17 ग्राम पंचायत- पवरा, विकास खण्ड- जलेसर, जनपद- एटा

प्रस्तर 18- दिनांक 30.08.2020 को सी0ए0 श्री अनुराग जैन को रू0 12000/- भुगतान किया गया जो कि अनियमित एवं आपत्तिजनक है उल्लेखनीय है कि सी0ए0 द्वारा कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया न ही प्रमाणक उपलब्ध कराया गया है। इस प्रकार रू0 12000/- से ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचाई गई जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सुनील यादव से की जानी अपेक्षित है।

18 ग्राम पंचायत- मिसौली, विकास खण्ड- जलेसर, जनपद- एटा

प्रस्तर 19- दिनांक 30.09.2020 को रू0 31500/- को खाता संख्या 50521739446 से निकाला गया किन्तु कैशबुक में प्रविष्टि नहीं की गई न ही प्रमाणक मिला इस प्रकार रू0 31500/- का अपहरण किया गया जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मेघ सिंह से की जानी अपेक्षित है।

19 ग्राम पंचायत- नगवाई, विकास खण्ड- जलेसर, जनपद- एटा

प्रस्तर 20- दिनांक 27.08.2020 को सी0ए0 श्री अनुराग जैन को रू0 12000/- भुगतान किया गया जो कि अनियमित एवं आपत्तिजनक है उल्लेखनीय है कि सी0ए0 द्वारा कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया न ही प्रमाणक उपलब्ध कराया गया है। इस प्रकार रू0 12000/- से ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचाई गई जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव सुश्री सुप्रिया से की जानी अपेक्षित है।

20 ग्राम पंचायत- जैनपुरा, विकास खण्ड- जलेसर, जनपद- एटा

प्रस्तर 21- दिनांक 11.09.2020 को सी0ए0 श्री अनुराग जैन को रू0 12000/- भुगतान किया गया जो कि अनियमित एवं आपत्तिजनक है उल्लेखनीय है कि सी0ए0 द्वारा कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया न ही प्रमाणक उपलब्ध कराया गया है। इस प्रकार रू0 12000/- से ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचाई गई जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती श्री देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विल्केश बाबू से की जानी अपेक्षित है।

21 ग्राम पंचायत- मजराजात जलेसर, विकास खण्ड- जलेसर, जनपद- एटा

प्रस्तर 22- दिनांक 15.09.2020 को सी0ए0 श्री अनुराग जैन को रू0 12000/- भुगतान किया गया जो कि अनियमित एवं आपत्तिजनक है उल्लेखनीय है कि सी0ए0 द्वारा कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया न ही प्रमाणक उपलब्ध कराया गया है। इस प्रकार रू0 12000/- से ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचाई गई जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गुड्डी देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मुज्जमिल खान से की जानी अपेक्षित है।

22 ग्राम पंचायत- अकबरपुर साथा, विकास खण्ड- जलेसर, जनपद- एटा

प्रस्तर 23- दिनांक 31.08.2020 को सी0ए0 श्री अनुराग जैन को रू0 12000/- भुगतान किया गया जो कि अनियमित एवं आपत्तिजनक है उल्लेखनीय है कि सी0ए0 द्वारा कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया न ही प्रमाणक

उपलब्ध कराया गया है। इस प्रकार ₹0 12000/- से ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचाई गई जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती ममता एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री ललित कुमार से की जानी अपेक्षित है।

23 ग्राम पंचायत- भदैरा, विकास खण्ड- निधौली कलां, जनपद- एटा

प्रस्तर 24- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से ₹0 881532/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री भीष्म पाल एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री हेमन्त कुमार से की जानी अपेक्षित हैं। ताकि ग्राम पंचायत को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके। आपति

24 ग्राम पंचायत- करुआ मई, विकास खण्ड- निधौली कलां, जनपद- एटा

प्रस्तर 25- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से ₹0 1491322/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती अनुपमा देवी एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री नरेश कुमार सिंह

25 ग्राम पंचायत- बंथल कुतुबपुर, विकास खण्ड- निधौली कलां, जनपद- एटा

प्रस्तर 26- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से ₹0 5150669/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री नीरज एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री जाकिर हुसैन से की जानी

01

26 ग्राम पंचायत- बरई, विकास खण्ड- निधौली कलां, जनपद- एटा

प्रस्तर 27- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से ₹0 11509361/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित

अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री विनेश कुमार एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री जकिर हुसैन से की

01

27 ग्राम पंचायत- जितौली, विकास खण्ड- निधौली कलां, जनपद- एटा

प्रस्तर 28- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से ₹0 358943/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निमार्ण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती सरोज कुमारी एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री धीरेन्द्र सिंह से

28 ग्राम पंचायत- नगला बंदी, विकास खण्ड- निधौली कलां, जनपद- एटा

प्रस्तर 29- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से ₹0 1521166/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निमार्ण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री अभय सिंह एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री धीरेन्द्र सिंह से की

01

29 ग्राम पंचायत- भदबस, विकास खण्ड- निधौली कलां, जनपद- एटा

प्रस्तर 30- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से ₹0 3404693/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निमार्ण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री संतोष कुमार एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री विजय बहादुर सिंह से की जानी अपेक्षित रही। ताकि ग्राम पंचायत को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके। आपत्ति

30 ग्राम पंचायत- मुजफ्फरपुर हिरौंदी, विकास खण्ड- सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 31- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से रु0 1962379/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री विमलेश कुमार एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री प्रमोद कुमार से

01

31 ग्राम पंचायत- नंदपुर बेलामई, विकास खण्ड- सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 32- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से रु0 1341845/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती अर्चना देवी एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री संजनेश कुमार से

32 ग्राम पंचायत- नबादा, विकास खण्ड- सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 33- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से रु0 919849/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री प्रमोद कुमार से की

33 ग्राम पंचायत- रामनगर सोहार, विकास खण्ड- सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 34- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से रु0 2050634/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री हरिचन्द्र एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री प्रमोद कुमार से की जानी

34 ग्राम पंचायत- राजपुरा, विकास खण्ड- सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 35- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से रु0 4461178/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री मुकेश एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री बलराम यादव से की जानी

35 ग्राम पंचायत- चपरई, विकास खण्ड- सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 36- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से रु0 602597/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री अरूण कुमार एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री संजीव कुमार से की

01

36 ग्राम पंचायत- मलिगांव, विकास खण्ड- सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 37- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से रु0 1688082/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री प्रेम शंकर एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री संजीव कुमार से की

01

37 ग्राम पंचायत- नगला हम्मीर, विकास खण्ड- सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 38- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से रु0 567824/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित

आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री कल्यान सिंह एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री संजीव कुमार से की
01

38 ग्राम पंचायत- राजकोट, विकास खण्ड- सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 39- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से ₹0 1888072/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती उषा देवी एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री संजीव कुमार से की

39 ग्राम पंचायत- अहमदपुर उर्फ नगला धानू, विकास खण्ड- सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 40- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से ₹0 1387062/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री कुमारपाल एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री नवनीत सिंह से की
01

40 ग्राम पंचायत- दलेलपुर, विकास खण्ड- सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 41- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से ₹0 663505/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती शकुंतला एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री नवनीत सिंह से की
01

41 ग्राम पंचायत- पीपल खेडिया, विकास खण्ड- सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 42- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से ₹0 1954588/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित

अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री मुनेश कुमार एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री नवनीत सिंह से की

01

42 ग्राम पंचायत- घुमरिया, विकास खण्ड- सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 43- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से रु0 1007317/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा देवी एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री विकास कुमार से

01

43 ग्राम पंचायत- जैतपुर, विकास खण्ड- सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 44- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से रु0 2454457/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री रक्षपाल सिंह एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री प्रमोद कुमार से की

01

44 ग्राम पंचायत- जलालपुर संधल, विकास खण्ड- सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 45- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से रु0 1384752/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा देवी एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री प्रमोद कुमार से की

01

45 ग्राम पंचायत- कंगरौल, विकास खण्ड- सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 46- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से ₹0 1423565/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती मुला देवी एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री प्रमोद कुमार से की

01

46 ग्राम पंचायत- कुल्ला हबीबपुर, विकास खण्ड- सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 47- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से ₹0 609072/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती शशिप्रभा एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री प्रमोद कुमार से की

01

47 ग्राम पंचायत- कुबरपुर नगरिया, विकास खण्ड- सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 48- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से ₹0 851476/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री रामविलास एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री प्रमोद कुमार से की

01

48 ग्राम पंचायत- फफोटू, विकास खण्ड- सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 49- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से ₹0 2896007/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित

आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री इरशाद एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अवनीन्द्र शर्मा से की जानी

49 ग्राम पंचायत- नगला बिके, विकास खण्ड- सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 50- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से ₹0 1646863/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री राज बहादुर एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार से की

01

50 ग्राम पंचायत- नगला बाचा, विकास खण्ड- सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 51- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से ₹0 890882/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री इनाम सिंह एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार से की

01

51 ग्राम पंचायत- अंगदपुर, विकास खण्ड- सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 52- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से ₹0 331501/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती शकुंतला देवी एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अवनेन्द्र शर्मा

52 ग्राम पंचायत- गढ़िया कोंची, विकास खण्ड- सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 53- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से ₹0 1594063/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के

प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती ओम किशन एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री उपेन्द्र यादव से

53 ग्राम पंचायत- मलावन, विकास खण्ड- सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 54- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से ₹0 12761392/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती एकता यादव एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अरुणेंद्र शर्मा से

54 ग्राम पंचायत- मिश्री, विकास खण्ड- सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 55- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से ₹0 1935999/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अरुणेंद्र शर्मा से

55 ग्राम पंचायत- मुबारकपुर निबरूआ, विकास खण्ड- सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 56- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से ₹0 4189112/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन देवी एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अरुणेंद्र शर्मा से

56 ग्राम पंचायत- मुबारिकपुर छछैना, विकास खण्ड- सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 57- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से ₹0 1630797/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के

प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन देवी एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अनिल उपाध्याय

57 ग्राम पंचायत- मुबारिकपुर सराय, विकास खण्ड- सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 58- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से रु0 3172756/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती नेत्रवती एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अनिल उपाध्याय से

58 ग्राम पंचायत- नंदपुर खोदरा, विकास खण्ड- सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 59- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से रु0 925758/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती रविन्द्रा देवी एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अवनन्द्र शर्मा से

59 ग्राम पंचायत- रेवारी, विकास खण्ड- सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 60- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से रु0 2154726/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री प्रशान्त यादव एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री उपेन्द्र यादव से की

01

60 ग्राम पंचायत- भगवन्तपुर, विकास खण्ड- सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 61- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से रु0 2890449/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित

अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री अवधेश एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री बलराम यादव से की जानी

61 ग्राम पंचायत- राधेनगर, विकास खण्ड- सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 62- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से ₹0 1732710/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावल्यां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती मीना देवी एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री बलराम यादव से

01

62 ग्राम पंचायत- मन्सुखपुर, विकास खण्ड- सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 63- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से ₹0 573914/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावल्यां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमा देवी एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री नवनीत सिंह से की

63 ग्राम पंचायत- अम्बरपुर रिजोर, विकास खण्ड- सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 64- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से ₹0 1377218/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावल्यां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती सोनकली एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री नवनीत सिंह से की

64 ग्राम पंचायत- सकतपुर, विकास खण्ड- सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 65- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से ₹0 1658574/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावल्यां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण

पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती रामा देवी एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री संजीव कुमार से की

65 ग्राम पंचायत- चिलमापुर, विकास खण्ड- सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 66- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से ₹0 822972/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री सुरेश चन्द्र एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री उपेन्द्र यादव से की

01

66 ग्राम पंचायत- फतेहपुरा, विकास खण्ड- सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 67- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से ₹0 510329/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री मुनेन्द्र सिंह एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री बलराम यादव से की

67 ग्राम पंचायत- नगला हरकिशनपुर, विकास खण्ड- सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 68- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से ₹0 694475/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती शीला एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री बलराम यादव से की

69 ग्राम पंचायत- चांदपुर लोकसपुर, विकास खण्ड- सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 69- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से ₹0 825044/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निमार्ण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री राम बाबू एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री संजीव कुमार से की

70 ग्राम पंचायत- कमालपुर मई, विकास खण्ड- सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 70- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से ₹0 1047560/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निमार्ण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री प्रदीप कुमार एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री संजनेश से की जानी

71 ग्राम पंचायत- वाहिद बीबीपुर, विकास खण्ड- सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 71- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से ₹0 391281/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निमार्ण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री सुरेश सिंह एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री बलराम यादव से की जानी अपेक्षित रही। ताकि ग्राम पंचायत को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके। आपत्ति

72 ग्राम पंचायत- जीसुखपुर सानी, विकास खण्ड- सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 72- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से ₹0 1000605/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निमार्ण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित

आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री राम सिंह एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री नवनीत से की जानी

73 ग्राम पंचायत- सलेमपुर खेडिया, विकास खण्ड- सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 73- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से रु0 1522092/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती विद्योतमा एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री संजीव कुमार से की

74 ग्राम पंचायत- इशारा पश्चिमी, विकास खण्ड- सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 74- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से रु0 2219527/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती मधुबाला एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री उपेन्द्र यादव से की

75 ग्राम पंचायत- बकशीपुर खास, विकास खण्ड- सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 75- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से रु0 1749243/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती राजनिश्री एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री उपेन्द्र यादव से की

76 ग्राम पंचायत- इशारा पूरबी, विकास खण्ड- सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 76- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से रु0 2567811/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित

अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती मनीषा देवी एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री उपेन्द्र यादव से

01

77 ग्राम पंचायत- करीमपुर, विकास खण्ड- सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 77- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि खाता प्रथम से ₹0 1175534/- आहरित किए गए हैं, किंतु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निमार्ण पत्रावलियां (कार्य योजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, टेंडर/कोटेशन प्रपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से संबंधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी के पास नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी ग्राम प्रधान श्रीमती पंकी एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री संजनेश कुमार से की

01

78 ग्राम पंचायत- अंगरैया जमुनाई, विकास खण्ड- अलीगंज, जनपद- एटा

प्रस्तर 78- ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त/14 वां वित्त मद से ₹0 3951770/- का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- प्रमाणित कोशबही, बैंक पासबुक, स्वीकृति योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां, कार्य की माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात ना की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गए व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्टके अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि ₹0 3951770/- में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 1975885.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री प्यारे मियां से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 1975885.00 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री रजनीश से नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

बैंक पासबुक तथा मूल कोशबही अनुपालन रहने से ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किए जाने

के प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

आपति संख्या- 01

79 ग्राम पंचायत- बिल्सड पछाया, विकास खण्ड- अलीगंज, जनपद- एटा

प्रस्तर 79- ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त/14 वां वित्त मद से ₹0 593305/- का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- प्रमाणित कोशबही, बैंक पासबुक, स्वीकृति योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां, कार्य की माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात ना की जा सकती।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गए व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्टके अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि ₹0 593305/- में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 296652.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री चंद्रशेखर से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 296652.50 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री रजनीश से नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित हैं ।

बैंक पासबुक तथा मूल कोशबही अनुपालन रहने से ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपति संख्या- 01

80 ग्राम पंचायत- बिथरा, विकास खण्ड- अलीगंज, जनपद- एटा

प्रस्तर 80- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में दिनांक 17.10.2020 को अनन्या पेन्टस को ₹0 10037/- का भुगतान किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में इससे संबंधित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी जिसके प्रति प्रधान श्रीमती धन देवी एवं सचिव श्री हुकुम सिंह के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल पुस्तिका के अध्याय 8 के विशेष प्रस्तर 8(क) के अनुसार नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित हैं । आपति संख्या- 01

81 ग्राम पंचायत- गढ़ी ककोड़ा, विकास खण्ड- अलीगंज, जनपद- एटा

प्रस्तर 81- ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त/14 वां वित्त मद से ₹0 1486706/- का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- प्रमाणित कोशबही, बैंक पासबुक, स्वीकृति योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन

की पत्रावलि, कार्य की माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात ना की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गए व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्टके अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि ₹0 1486706/- में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 743353.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नारायण देवी से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 743353.00 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री उदयवीर चौहान से नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित हैं ।

बैंक पासबुक तथा मूल कोशबही अनुपालन रहने से ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति संख्या- 01

82 ग्राम पंचायत- हतसारी, विकास खण्ड- अलीगंज, जनपद- एटा

प्रस्तर 82 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त/14 वां वित्त मद से ₹0 2637707/- का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- प्रमाणित कोशबही, बैंक पासबुक, स्वीकृति योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलि, कार्य की माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात ना की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गए व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्टके अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि ₹0 2637707/- में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 1318853.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री ओमवीर से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 1318853.00 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री रजनीश से नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

बैंक पासबुक तथा मूल कोशबही अनुपालन रहने से ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न

है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति संख्या- 01

83 ग्राम पंचायत- जलालपुर, विकास खण्ड- अलीगंज, जनपद- एटा

प्रस्तर 83- ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त/14 वां वित्त मद से रु0 1034328/- का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- प्रमाणित कोशबही, बैंक पासबुक, स्वीकृति योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां, कार्य की माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात ना की जा सकती।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गए व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्टके अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रु0 1034328/- में से 50 प्रतिशत धनराशि रु0 517164.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रमेश बाबू से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि रु0 517164.00 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री भूप सिंह से नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित हैं ।

बैंक पासबुक तथा मूल कोशबही अनुपालन रहने से ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति संख्या- 01

84 ग्राम पंचायत- कछिया बाड़ा, विकास खण्ड- अलीगंज, जनपद- एटा

प्रस्तर 84- ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त/14 वां वित्त मद से रु0 895226/- का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- प्रमाणित कोशबही, बैंक पासबुक, स्वीकृति योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां, कार्य की माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात ना की जा सकती।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा

कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गए व्ययके संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्टके अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रु0 895226/- में से 50 प्रतिशत धनराशि रु0 447613.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शशि देवी से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि रु0 447613.00 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री विवेक से नियमानुसार वसूली अपेक्षित हैं

बैंक पासबुक तथा मूल कोशबही अनुपालन रहने से ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति संख्या- 01

85 ग्राम पंचायत- नकटई खुर्द, विकास खण्ड- अलीगंज, जनपद- एटा

प्रस्तर 85- ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त/14 वां वित्त मद से रु0 2463857/- का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- प्रमाणित कोशबही, बैंक पासबुक, स्वीकृति योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां, कार्य की माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात ना की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्टके अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रु0 2463857/- में से 50 प्रतिशत धनराशि रु0 1231928.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कान्ही लाल से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि रु0 1231928.50 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री भूप सिंह से नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

बैंक पासबुक तथा मूल कोशबही अनुपालन रहने से ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति संख्या- 01

86 ग्राम पंचायत- पहरैया, विकास खण्ड- अलीगंज, जनपद- एटा

प्रस्तर 86- ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त/14 वां वित्त मद से रु0 1355523/- का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण),

मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- प्रमाणित कोशबही, बैंक पासबुक, स्वीकृति योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां, कार्य की माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात ना की जा सकती।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्टके अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि ₹0 1355523/- में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 677761.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गंगादीन से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 677761.50 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री हुकुम सिंह से नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

बैंक पासबुक तथा मूल कोशबही अनुपालन रहने से ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति संख्या- 01

87 ग्राम पंचायत- ताजपुर अड्डा, विकास खण्ड- अलीगंज, जनपद- एटा

प्रस्तर 87- ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त/14 वां वित्त मद से ₹0 871419/- का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- प्रमाणित कोशबही, बैंक पासबुक, स्वीकृति योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां, कार्य की माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात ना की जा सकती।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्टके अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि ₹0 871419/- में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 435709.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती त्रिवेनी देवी से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 435709.50 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री उदवीर चौहान से नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। बैंक पासबुक तथा मूल कोशबही अनुपालन रहने से ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट

में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।
आपत्ति संख्या- 01

88 ग्राम पंचायत- लुहारी खेड़ा, विकास खण्ड- अलीगंज, जनपद- एटा

प्रस्तर 88- ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त/14 वां वित्त मद से ₹0 1893060/- का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- प्रमाणित कोशबही, बैंक पासबुक, स्वीकृति योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां, कार्य की माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात ना की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्टके अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि ₹0 1893060/- में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 946530.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 946530.00 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री उदवीर चौहान से नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

बैंक पासबुक तथा मूल कोशबही अनुपालन रहने से ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।
आपत्ति संख्या- 01

जनपद- हाथरस

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 :- ग्राम पंचायतें

संस्था का नाम - ग्राम पंचायत जनपद- हाथरस मण्डल- अलीगढ़

01- ग्राम पंचायत-तरफरा, विकास खण्ड- हाथरस, जनपद - हाथरस

प्रस्तर 01-वर्ष 2020-21 में लिखित पत्राचार व मौखिक सवांद के बाबजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर राज्य वित्त की राशि का अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री शिवम यादव एवं तत्कालीन प्रधान श्री महाराजुद्दीन उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 917344.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं

(आपत्ति संख्या 01)

(आपत्ति संख्या 02)

प्रस्तर 11- वर्ष 2020-21 में लिखित पत्राचार व मौखिक सवांद के बाबजूद भी लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर राज्य वित्त की राशि का अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री अरूण कुमार अग्निहोत्री एवं तत्कालीन प्रधान श्री ध्रुव कुमार उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 1282735.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं।

(आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 12- वर्ष 2020-21 में लिखित पत्राचार व मौखिक सवांद के बाबजूद भी लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर केन्द्रीय वित्त की राशि का अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री अरुण कुमार अग्निहोत्री एवं तत्कालीन प्रधान श्री ध्रुव कुमार उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹ 684421.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं

(आपत्ति संख्या 02)

प्रस्तर 13- वर्ष 2020-21 में लिखित पत्राचार व मौखिक सवांद के बाबजूद भी लेखा परीक्षा में व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक प्रस्तुत नहीं करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री अरूण कुमार अग्निहोत्री एवं तत्कालीन प्रधान श्री भूरा सिंह उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹ 612351.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

(आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 14- वर्ष 2020-21 में लिखित पत्राचार व मौखिक सवांद के बाबजूद भी लेखा परीक्षा में व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक प्रस्तुत न कर राज्य वित्त की रशि का अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री शिवम यादव एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती शशि देवी उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹ 656492.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं।

(आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 15- वर्ष 2020-21 में लिखित पत्राचार व मौखिक सवांद के बाबजूद भी लेखा परीक्षा में व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक प्रस्तुत न कर केन्द्रीय वित्त की राशि का अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री शिवम यादव एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती शशि देवी उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹ 1014961.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं

(आपत्ति संख्या 02)

प्रस्तर 16- वर्ष 2020-21 में लिखित पत्राचार व मौखिक सवांद के बाबजूद भी लेखा परीक्षा में व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक प्रस्तुत न कर राज्य वित्त की रशि का अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री शिवम यादव एवं तत्कालीन प्रधान श्री नरेश कुमार सिंह उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 1102282.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं

(आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 17- वर्ष 2020-21 में लिखित पत्राचार व मौखिक सवांद के बाबजूद भी लेखा परीक्षा में व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक प्रस्तुत न कर केन्द्रीय वित्त की राशि का अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री शिवम यादव एवं तत्कालीन प्रधान श्री नरेश कुमार सिंह उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹ 1198.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं

(आपत्ति संख्या 02)

प्रस्तर 18-वर्ष 2020-21 में लेखा परीक्षा में व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक प्रस्तुत न कर राशि का अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री गजेन्द्र पाल एवं तत्कालीन प्रधान श्री ओमप्रकाश उत्तरदायी हैं। इसलिए रु0 2919699.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

(आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 19-वर्ष 2020-21 में लेखा परीक्षा में व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक प्रस्तुत न कर राशि का अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री गजेन्द्र पाल एवं तत्कालीन प्रधान श्री चोब सिंह उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 6613119.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

20-वर्ष 2020-21 में लेखा परीक्षा में व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक प्रस्तुत न कर राशि का अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री गजेन्द्र पाल एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती कमलेश कुमारी उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 1223436.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 21-वर्ष 2020-21 में लेखा परीक्षा में व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक प्रस्तुत न कर राशि का अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री लवकेश कुमार एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती धन देवी उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 1660054.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 22-वर्ष 2020-21 में लेखा परीक्षा में व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक प्रस्तुत न कर राशि का अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री अभिषेक यादव एवं तत्कालीन प्रधान श्री अमर सिंह उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 2049682.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 23-वर्ष 2020-21 में लेखा परीक्षा में व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक प्रस्तुत न कर राशि का अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री अभिषेक यादव एवं तत्कालीन प्रधान श्री अशोक कुमार उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 399167.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

16- ग्राम पंचायत -न0 बरी पट्टी देवरी, विकास खण्ड- हसायन, जनपद - हाथरस

प्रस्तर 24-वर्ष 2020-21 में लेखा परीक्षा में व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक प्रस्तुत न कर राशि का अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री मुकेश कुमार एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती मीरा देवी उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 1197480.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 25-वर्ष 2020-21 में लेखा परीक्षा में व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक प्रस्तुत न कर राशि का अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री मुकेश कुमार एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती सुनीता देवी उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 1733978.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 26-वर्ष 2020-21 में लेखा परीक्षा में व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक प्रस्तुत न कर राशि का अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री मुकेश कुमार एवं तत्कालीन प्रधान श्री मलखान सिंह उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 1845941.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 27-वर्ष 2020-21 में लेखा परीक्षा में व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक प्रस्तुत न कर राशि का अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री मुकेश कुमार एवं तत्कालीन प्रधान श्री राजेश कुमार उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 329973.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 37-वर्ष 2020-21 में लेखा परीक्षा में व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक प्रस्तुत न कर राशि का अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री अभिषेक यादव एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती बिटठन बेगम उत्तरदायी हैं।
इसलिए ₹0 547851.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 38-वर्ष 2020-21 में लेखा परीक्षा में व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक प्रस्तुत न कर राशि का अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री अभिषेक यादव एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती गुड्डो देवी उत्तरदायी हैं।
इसलिए ₹0 379685.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 39-वर्ष 2020-21 में लेखा परीक्षा में व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक प्रस्तुत न कर राशि का अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री अभिषेक यादव एवं तत्कालीन प्रधान श्री सुशील कुमार उत्तरदायी हैं।
इसलिए ₹0 1503743.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 40-वर्ष 2020-21 में लेखा परीक्षा में व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक प्रस्तुत न कर राशि का अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री अभिषेक यादव एवं तत्कालीन प्रधान श्री खेमेन्द्र पाल उत्तरदायी हैं।
इसलिए ₹0 4561490.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 41-वर्ष 2020-21 में मानदेय में अधिक भुगतान करके राशि का अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री सतेन्द्र सिंह एवं तत्कालीन प्रधान श्री पलुआ उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 7000.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं।
(आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 42-वर्ष 2020-21 में व्यय प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावली एवं कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र इत्यादि प्रस्तुत न कर चौदहवें वित्त की राशि का अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री प्रेम चन्द्र एवं तत्कालीन प्रधान श्री पलुआ उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 73369.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं।
(आपत्ति संख्या 02)

प्रस्तर 43-वर्ष 2020-21 में लेखा परीक्षा में व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावली एवं कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र इत्यादि प्रस्तुत न कर राशि का अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री राजकुमार एवं तत्कालीन प्रधान श्री राघवेन्द्र उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 1147806.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं।
(आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 44-वर्ष 2020-21 में लेखा परीक्षा में व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावली एवं कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र इत्यादि प्रस्तुत न कर राज्य वित्त की राशि का अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री गजेन्द्र सिंह एवं तत्कालीन प्रधान श्री बिजेन्द्र सिंह उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 1180173.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं
(आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 54-वर्ष 2020-21 में अमानक कार्य करके राशि का दुरुपयोग करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव सुश्री निहारिका सिंह एवं तत्कालीन प्रधान श्री नवल सिंह उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 38003.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं।
(आपत्ति संख्या 04)

प्रस्तर 55-वर्ष 2020-21 में अमानक कार्य करके राशि का दुरुपयोग करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव सुश्री निहारिका सिंह एवं तत्कालीन प्रधान श्री नवल सिंह उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 38934.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं।
(आपत्ति संख्या 05)

प्रस्तर 56-वर्ष 2020-21 में अमानक कार्य करके राशि का दुरुपयोग करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव सुश्री निहारिका सिंह एवं तत्कालीन प्रधान श्री नवल सिंह उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 38156.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं।
(आपत्ति संख्या 06)

प्रस्तर 57-वर्ष 2020-21 में बिना वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के राशि व्यय करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव सुश्री निहारिका सिंह एवं तत्कालीन प्रधान श्री नवल सिंह उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 577436.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं।
(आपत्ति संख्या 07)

प्रस्तर 58-वर्ष 2020-21 में लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावली एवं कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र इत्यादि प्रस्तुत न कर अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री राजकुमार एवं तत्कालीन प्रधान श्री सौरन सिंह उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 859699.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 59-वर्ष 2020-21 में लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावली एवं कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र इत्यादि प्रस्तुत न कर अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री राजकुमार एवं तत्कालीन प्रधान सुश्री ओमवता देवी उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 1436770.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 60-वर्ष 2020-21 में लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावली एवं कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र इत्यादि प्रस्तुत न कर अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री राजकुमार एवं तत्कालीन प्रधान सुश्री मुन्नी देवी उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 1479413.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 61-वर्ष 2020-21 में स्वीकृत दर से अधिक दर पर भुगतान करके पंचायत के कोष को छति कारित करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री राजकुमार एवं तत्कालीन प्रधान सुश्री मुन्नी देवी उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 247.45 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं।
(आपत्ति संख्या 02)

प्रस्तर 62-वर्ष 2020-21 में स्वीकृत दर से अधिक दर पर भुगतान करके पंचायत के कोष को छति कारित करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री राजकुमार एवं तत्कालीन प्रधान सुश्री मुन्नी देवी उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 378.54 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं।
(आपत्ति संख्या 03)

प्रस्तर 63-वर्ष 2020-21 में व्यय प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावली एवं कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र इत्यादि प्रस्तुत न कर राज्य वित्त की राशि का अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री संजीव सारस्वत एवं तत्कालीन प्रधान सुश्री ज्ञानवती देवी उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 253846.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं।
(आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 64-वर्ष 2020-21 में व्यय प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावली एवं कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र इत्यादि प्रस्तुत न कर केन्द्रीय वित्त की राशि का अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री संजीव सारस्वत एवं तत्कालीन प्रधान

सुश्री जानवती देवी उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 712377.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 02)

प्रस्तर 65-वर्ष 2020-21 में व्यय प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावली एवं कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र इत्यादि प्रस्तुत न कर अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री गजेन्द्र सिंह एवं तत्कालीन प्रधान सुश्री नीता देवी उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 275885.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं

(आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 66-वर्ष 2020-21 में व्यय प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावली एवं कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र इत्यादि प्रस्तुत न कर अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री राजकुमार एवं तत्कालीन प्रधान श्री शिशुपाल उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 2641311.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

46- ग्राम पंचायत -बामौली, विकास खण्ड- मुरसान, जनपद - हाथरस

प्रस्तर 67-वर्ष 2020-21 में व्यय प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावली एवं कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र इत्यादि प्रस्तुत न कर अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री प्रेमचन्द्र एवं तत्कालीन प्रधान सुश्री शैलेन्द्र कुमारी उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 994603.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 68-वर्ष 2020-21 में व्यय प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावली एवं कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र इत्यादि प्रस्तुत न कर अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री संजीव सारस्वत एवं तत्कालीन प्रधान श्री विधि चन्द्र शर्मा उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 1576145.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं (आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 69-वर्ष 2020-21 में व्यय प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावली एवं कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र इत्यादि प्रस्तुत न कर अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव सुश्री निहारिका सिंह एवं तत्कालीन प्रधान श्री शैलेन्द्र सिंह उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 1488712.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 70-वर्ष 2020-21 में व्यय प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावली एवं कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र इत्यादि प्रस्तुत न कर राज्य वित्त की राशि का अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री राजकुमार एवं तत्कालीन प्रधान श्री भगवान सिंह उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 318209.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 71-वर्ष 2020-21 में व्यय प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावली एवं कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र इत्यादि प्रस्तुत न कर केन्द्रीय वित्त की राशि का अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री राजकुमार एवं तत्कालीन प्रधान श्री भगवान सिंह उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 347822.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 02)

प्रस्तर 72-वर्ष 2020-21 में व्यय प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावली एवं कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र इत्यादि प्रस्तुत न कर राज्य वित्त की राशि का अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री संजीव सारस्वत एवं तत्कालीन प्रधान सुश्री रूबी देवी उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 505447.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं।

(आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 73- वर्ष 2020-21 में व्यय प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावली एवं कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र इत्यादि प्रस्तुत न कर केन्द्रीय वित्त की राशि का अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री संजीव सारस्वत एवं तत्कालीन प्रधान सश्री रुबी देवी उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹ 528012.00 की मय ब्याज वसूली अर्पेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 02)

प्रस्तर 74- वर्ष 2020-21 में व्यय प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावली एवं कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र इत्यादि प्रस्तुत न कर राज्य वित्त की राशि का अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री राजकुमार एवं तत्कालीन प्रधान सुश्री अनीता देवी उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹ 684612.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 76- वर्ष 2020-21 में व्यय प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावली एवं कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र इत्यादि प्रस्तुत न कर राज्य वित्त की राशि का अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव सुश्री निहारिका सिंह एवं तत्कालीन प्रधान सुश्री रेखा देवी उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 621104.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं। (आपति संख्या 01)

प्रस्तर 78- वर्ष 2020-21 में व्यय प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावली एवं कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र इत्यादि प्रस्तुत न कर राशि का अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री राजकुमार एवं तत्कालीन प्रधान श्री जसवन्त सिंह उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 377423.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 80- वर्ष 2020-21 में व्यय प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावली एवं कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र इत्यादि प्रस्तुत न कर राज्य वित्त की राशि का अपहरण करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री संजीव सारस्वत एवं तत्कालीन प्रधान सुश्री कला देवी उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 919857.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं। (आपति संख्या 01)

56- ग्राम पंचायत -रोहई, विकास खण्ड- मुरसान, जनपद - हाथरस

प्रस्तर 83-वर्ष 2020-21 में लेखा परीक्षा में व्यय से संबंधित प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावली एवं कार्यपूति प्रमाणपत्र इत्यादि प्रस्तुत नहीं करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव सुश्री निहारिका सिंह एवं तत्कालीन प्रधान श्री महेश बाबू उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 640203.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं।

(आपति संख्या 01)

प्रस्तर 84-वर्ष 2020-21 में लेखा परीक्षा में व्यय से संबंधित प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावली एवं कार्यपूति प्रमाणपत्र इत्यादि प्रस्तुत नहीं करना। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री राजकुमार एवं तत्कालीन प्रधान श्री मुकेश कुमार उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 1919803.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं। (आपति संख्या 01)

प्रस्तर 85-वर्ष 2020-21 में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री पवन कुमार एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती सुमन देवी उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 1186206.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं। (आपति संख्या 01)

प्रस्तर 86-वर्ष 2020-21 में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री मनोज कुमार एवं तत्कालीन प्रधान श्री दारा सिंह उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 1722585.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं। (आपति संख्या 01)

प्रस्तर 87-वर्ष 2020-21 में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री पवन कुमार एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती सुशीला देवी उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 1757691.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं। (आपति संख्या 01)

प्रस्तर 88-वर्ष 2020-21 में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री मनोज कुमार एवं तत्कालीन प्रधान श्री देवेन्द्र पाल सिंह उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 2146320.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं। (आपति संख्या 01)

प्रस्तर 89-वर्ष 2020-21 में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री रवीन्द्र कुमार एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती सर्वेश देवी उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 2086826.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं। (आपति संख्या 01)

प्रस्तर 90-वर्ष 2020-21 में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री पवन कुमार एवं तत्कालीन प्रधान श्री प्रवेश कुमार उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 2623114.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं। (आपति संख्या 01)

प्रस्तर 91-वर्ष 2020-21 में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री त्रिलोकी वर्मा एवं तत्कालीन प्रधान श्री चन्द्रभान सिंह उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 798850.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं।
(आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 92-वर्ष 2020-21 में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री मनोज कुमार एवं तत्कालीन प्रधान श्री वीरपाल उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 1737530.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं।
(आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 93-वर्ष 2020-21 में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री पवन कुमार एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती किरन देवी उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 725711.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं।
(आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 94-वर्ष 2020-21 में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री मनोज कुमार एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती सुधा देवी उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 2055847.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं।
(आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 95-वर्ष 2020-21 में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री रवीन्द्र कुमार एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती मालती देवी उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 2228012.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं।
(आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 96-वर्ष 2020-21 में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री मनोज कुमार एवं तत्कालीन प्रधान श्री शशी कुमार उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 1337196.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं।
(आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 97-वर्ष 2020-21 में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री मनोज कुमार एवं तत्कालीन प्रधान श्री प्रदीप कुमार उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 2753728.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं।
(आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 98-वर्ष 2020-21 में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री चन्द्रप्रकाश एवं तत्कालीन प्रधान श्री सुन्दर सिंह उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 831847.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं।
(आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 99-वर्ष 2020-21 में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री रवीन्द्र कुमार एवं तत्कालीन प्रधान श्री जयसिंह उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 1848658.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं।
(आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 100-वर्ष 2020-21 में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री दलवीर सिंह एवं तत्कालीन प्रधान श्री राजेश कुमार उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 1525732.00 की मय ब्याज वसूली अर्पेक्षित हैं।
(आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 101-वर्ष 2020-21 में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री पवन कुमार एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती नांरगी देवी उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 1075791.00 की मय ब्याज वसूली अर्पेक्षित हैं।
(आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 102-वर्ष 2020-21 में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री चन्द्र प्रकाश एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती रामवती उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 1419024.00 की मय ब्याज वसूली अर्पेक्षित हैं।
(आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 103-वर्ष 2020-21 में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री त्रिलोकी वर्मा एवं तत्कालीन प्रधान श्री बृजेश कुमार उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 1433272.00 की मय ब्याज वसूली अर्पेक्षित हैं।
(आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 104-वर्ष 2020-21 में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री शशिकान्त एवं तत्कालीन प्रधान श्री दानवीर सिंह उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 2005307.00 की मय ब्याज वसूली अर्पेक्षित हैं।
(आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 105-वर्ष 2020-21 में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री शकील अहमद एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती लता देवी उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 7580978.00 की मय ब्याज वसूली अर्पेक्षित हैं।
(आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 106-वर्ष 2020-21 में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री त्रिलोकी वर्मा एवं तत्कालीन प्रधान श्री टेकचन्द्र राव उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 1290298.00 की मय ब्याज वसूली अर्पेक्षित हैं।
(आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 107-वर्ष 2020-21 में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री त्रिलोकी वर्मा एवं तत्कालीन प्रधान श्री नीरज सेंगर उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 1019317.00 की मय ब्याज वसूली अर्पेक्षित हैं।
(आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 108-वर्ष 2020-21 में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री त्रिलोकी वर्मा एवं तत्कालीन प्रधान श्री सवेन्द्र कुमार उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 933224.00 की मय ब्याज वसूली अर्पेक्षित हैं।
(आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 109-वर्ष 2020-21 में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन

(आपत्ति संख्या 01)

(आपत्ति संख्या 01)

(आपत्ति संख्या 01)

(आपत्ति संख्या 01)

(आपत्ति संख्या 01)

(आपत्ति संख्या 01)

(आपत्ति संख्या 01)

(आपत्ति संख्या 01)

(आपत्ति संख्या 01)

(आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर 119- वर्ष 2020-21 में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन

(आपत्ति संख्या 01)

(आपत्ति संख्या 10)

(आपत्ति संख्या 10)

(आपत्ति संख्या 10)

(आपत्ति संख्या 10)

(आपत्ति संख्या 10)

(आपत्ति संख्या 10)

(आपत्ति संख्या 10)

1827

सचिव श्री रामेन्द्र सिंह एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती सुन्नो देवी उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 1166407.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं। (आपति संख्या 10)

प्रस्तर 128-वर्ष 2020-21 में आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावली एम0 बी0 कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र मस्टररौल इत्यादि प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री प्रेम कुमार एवं तत्कालीन प्रधान श्री रोहित कुमार उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 2427129.24 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं। (आपति संख्या 10)

प्रस्तर 129-वर्ष 2020-21 में आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावली एम0 बी0 कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र मस्टररौल इत्यादि प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री रूपकिशोर गर्ग एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती सीमा उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 2659747.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं। (आपति संख्या 10)

प्रस्तर 130-वर्ष 2020-21 में आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावली एम0 बी0 कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र मस्टररौल इत्यादि प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री प्रदीप कुमार गौतम एवं तत्कालीन प्रधान श्री चितर सिंह उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 1152661.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं (आपति संख्या 10)

प्रस्तर 131-वर्ष 2020-21 में आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावली एम0 बी0 कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र मस्टररौल इत्यादि प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री प्रदीप कुमार गौतम एवं तत्कालीन प्रधान श्री हरिओम चौधरी उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 360968.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं (आपति संख्या 10)

106- ग्राम पंचायत -नगला बिहारी, विकास खण्ड- सहपऊ, जनपद - हाथरस

प्रस्तर 132-वर्ष 2020-21 में आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावली एम0 बी0 कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र मस्टररौल इत्यादि प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री रामेन्द्र सिंह एवं तत्कालीन प्रधान श्री योगेश सिंह उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 433810.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं (आपति संख्या 10)

प्रस्तर 133-वर्ष 2020-21 में आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावली एम0 बी0 कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र मस्टररौल इत्यादि प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री प्रेम कुमार एवं तत्कालीन प्रधान श्री वीरेन्द्र सिंह उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 1064667.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं (आपति संख्या 10)

प्रस्तर 134-वर्ष 2020-21 में आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावली एम0 बी0 कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र मस्टररौल इत्यादि प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री ईश्वर चन्द्र एवं तत्कालीन प्रधान श्री वासुदेव शर्मा उत्तरदायी हैं। इसलिए ₹0 1163025.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित हैं (आपति संख्या 10)

प्रस्तर 135-वर्ष 2020-21 में आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावली एम0 बी0

कार्यपूति प्रमाणपत्र मस्टररौल इत्यादि प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री ईश्वर चन्द्र एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती भगवान देवी उत्तरदायी हैं। इसलिए रु0 1540725.00 की मय ब्याज वसली अपेक्षित हैं (आपति संख्या 10)

प्रस्तर 137- वर्ष 2020-21 में आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावली एम0 बी0 कार्यपूति प्रमाणपत्र मस्टररौल इत्यादि प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री मन्जीत सिंह एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती सीमा देवी उत्तरदायी हैं। इसलिए रु0 1200657.00 की मय ब्याज वसुली अपेक्षित हैं
(आपति संख्या 01)

प्रस्तर 139- वर्ष 2020-21 में आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावली एम0 बी0 कार्यपूति प्रमाणपत्र मस्टररौल इत्यादि प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री देवेन्द्र कुमार एवं तत्कालीन प्रधान श्री दूरम सिंह उत्तरदायी हैं। इसलिए रु0 8481843.00 की मय ब्याज वसुली अपेक्षित हैं
(आपति संख्या 10)

प्रस्तर 141- वर्ष 2020-21 में आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावली एम0 बी0 कार्यपूति प्रमाणपत्र मस्टररौल इत्यादि प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री देवेन्द्र कुमार एवं तत्कालीन प्रधान श्री ढाल सिंह उत्तरदायी हैं। इसलिए रू0 1608715.00 की मय ब्याज वसली अपेक्षित हैं
(आपति संख्या 10)

प्रस्तर 143- वर्ष 2020-21 में आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावली एम0 बी0 कार्यपति प्रमाणपत्र मस्टररौल इत्यादि प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन

प्रस्तर 144- वर्ष 2020-21 में आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावली एम0 बी0 कार्यपूति प्रमाणपत्र मस्टररौल इत्यादि प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री सूरजपाल सिंह एवं तत्कालीन प्रधान श्री राजपाल उत्तरदायी हैं। इसलिए रु0 1554574.00 की मय ब्याज वसली अपेक्षित हैं
(आपति संख्या 10)

प्रस्तर 146- वर्ष 2020-21 में आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावली एम0 बी0 कार्यपूति प्रमाणपत्र मस्टररौल इत्यादि प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री सूरजपाल सिंह एवं तत्कालीन प्रधान श्री श्यामवीर उत्तरदायी हैं। इसलिए रु0 2675555.00 की मय ब्याज वसुली अपेक्षित हैं
(आपति संख्या 10)

प्रस्तर 148- वर्ष 2020-21 में आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावली एम0 बी0 कार्यपूति प्रमाणपत्र मस्टररौल इत्यादि प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री विनोद कुमार उपाध्याय एवं तत्कालीन प्रधान श्री आशीष पुंडीर उत्तरदायी हैं। इसलिए रु0 1554756.00 की मय ब्याज वसली अपेक्षित हैं (आपति संख्या 10)

प्रस्तर 150- वर्ष 2020-21 में आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावली एम0 बी0 कार्यपूति प्रमाणपत्र मस्टररौल इत्यादि प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री देवेन्द्र सिंह एवं तत्कालीन प्रधान श्री मंथन चौधरी उत्तरदायी हैं। इसलिए रु0 6369626.00 की मय ब्याज वसली अपेक्षित हैं
(आपति संख्या 10)

प्रस्तर 151- वर्ष 2020-21 में आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावली एम0 बी0 कार्यपूति प्रमाणपत्र मस्टररौल इत्यादि एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया। इस हेतु तत्कालीन सचिव श्री राजेश कुमार एवं तत्कालीन प्रधान श्री पुष्पेन्द्र सिंह उत्तरदायी हैं।
इसलिए ₹0 1088286.00 की मय ब्याज वसुली अपेक्षित हैं (आपति संख्या 10)

जनपद- कासगंज

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 :- ग्राम पंचायतें

संस्था का नाम- ग्राम पंचायत

जनपद- कासगंज मण्डल- अलीगढ़

01 ग्राम पंचायत- भिटौना, विकास खण्ड- कासगंज, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 01- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्रीमती नफीजा एवं सचिव श्री के0पी0 सिंह उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 985402.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

02 ग्राम पंचायत- बरखुरदारपुर, विकास खण्ड- कासगंज, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 02- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्रीमती सुशीला एवं सचिव श्री के0पी0 सिंह उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 269374.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

03 ग्राम पंचायत- किलौनी रफातपुर, विकास खण्ड- कासगंज, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 03- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्रीमती सर्वेश कुमारी एवं सचिव श्री नरेश उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 1561869.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

04 ग्राम पंचायत- हरसिंह सिरोली, विकास खण्ड- कासगंज, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 04- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्री पन्ना लाल एवं सचिव श्री नरेश उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 519309.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

05 ग्राम पंचायत- अहरौली, विकास खण्ड- कासगंज, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 05- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्रीमती सुशीला एवं सचिव श्री के0पी0 सिंह उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 269374.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

06 ग्राम पंचायत- ढोलना, विकास खण्ड- कासगंज, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 06- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्रीमती अनीता एवं सचिव श्री जुगेन्द्र उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 3797142.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

07 ग्राम पंचायत- इखौना, विकास खण्ड- कासगंज, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 07- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्रीमती अनीता एवं सचिव श्री जुगेन्द्र उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 46872.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 08- ग्राम पंचायत इखौना की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान आहरति धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे। इस हेतु प्रधान श्रीमती अनीता एवं सचिव श्री जुगेन्द्र उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 735396.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 02

प्रस्तर 09- ग्राम पंचायत इखौना की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे। इस हेतु प्रधान श्रीमती अनीता एवं सचिव श्री जुगेन्द्र उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 395843.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 03

प्रस्तर 10- ग्राम पंचायत इखौना की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान मस्टर रोल पर श्रमिकों के नाम व हस्ताक्षर नहीं पाये गये। इस हेतु प्रधान श्रीमती अनीता एवं सचिव श्री जुगेन्द्र उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 328071.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 04

08 ग्राम पंचायत- फिरोजपुर सिहौला अलियार खां, विकास खण्ड- कासगंज, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 11- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्रीमती मंजू एवं सचिव श्री जुगेन्द्र उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 736344.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 12- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान मस्टर रोल पर श्रमिकों के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। इस हेतु प्रधान श्रीमती मंजू एवं सचिव श्री जुगेन्द्र उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 69034.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 02

प्रस्तर 13- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान भुगतान प्रामाणिक की धनराशि अपुष्टित रही। इस हेतु प्रधान श्रीमती मंजू एवं सचिव श्री जुगेन्द्र उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 10400.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 03

09 ग्राम पंचायत- बांकरे, विकास खण्ड- कासगंज, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 14- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्री रवेन्द्र कुमार एवं सचिव श्री नरेश उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 107795.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

10 ग्राम पंचायत- मुबारिकपुर सिंगतरा, विकास खण्ड- कासगंज, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 15- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्रीमती तारारानी एवं सचिव श्री के0पी0 सिंह उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 929152.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

11 ग्राम पंचायत- कासगंज देहात, विकास खण्ड- कासगंज, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 16- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्री सुरेन्द्र सिंह एवं सचिव श्री के0पी0 सिंह उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 1124827.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

12 ग्राम पंचायत- नदरई, विकास खण्ड- कासगंज, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 17- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्री केशव पाल सिंह एवं सचिव श्री दिलीप कुमार उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 2380217.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

13 ग्राम पंचायत- पथेरकी, विकास खण्ड- कासगंज, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 18- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्री जनीत कुमार एवं सचिव श्री दिलीप कुमार उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 2084941.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

14 ग्राम पंचायत- बढ़ारी वैश्य, विकास खण्ड- कासगंज, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 19- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्रीमती गुड्डो देवी एवं सचिव श्री दिलीप कुमार उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 435217.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

15 ग्राम पंचायत- तिलसई खुर्द, विकास खण्ड- कासगंज, जनपद- कासगंज
प्रस्तर 20- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्री देशराज एवं सचिव श्री के0पी0 सिंह उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 810235.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

16 ग्राम पंचायत- मामों, विकास खण्ड- कासगंज, जनपद- कासगंज
प्रस्तर 21- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्रीमती रूबी एवं सचिव श्री के0पी0 सिंह उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 1343843.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

17 ग्राम पंचायत- नसरतपुर, विकास खण्ड- कासगंज, जनपद- कासगंज
प्रस्तर 22- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्रीमती राजकुमारी एवं सचिव श्री दिलीप कुमार उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 801665.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

18 ग्राम पंचायत- ब्राह्मपुर, विकास खण्ड- कासगंज, जनपद- कासगंज
प्रस्तर 23- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्री चन्द्रभान सिंह एवं सचिव श्री ब्रम्हप्रकाश उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 452875.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

19 ग्राम पंचायत- कानरखेड़ा, विकास खण्ड- कासगंज, जनपद- कासगंज
प्रस्तर 24- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्री तालेवर एवं सचिव श्री ब्रम्हप्रकाश उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 858395.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

20 ग्राम पंचायत- कुतुबपुर, विकास खण्ड- कासगंज, जनपद- कासगंज
प्रस्तर 25- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्रीमती कांती देवी एवं सचिव श्री ब्रम्हप्रकाश उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 1736901.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

21 ग्राम पंचायत- बेरी, विकास खण्ड- कासगंज, जनपद- कासगंज
प्रस्तर 26- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्रीमती विमलेश एवं सचिव श्री ब्रम्हप्रकाश उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 1267960.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

22 ग्राम पंचायत- सलेमपुर पिरोंदा, विकास खण्ड- कासगंज, जनपद- कासगंज
प्रस्तर 27- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्रीमती सरोज कुमारी एवं सचिव श्री ब्रम्हप्रकाश उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 1900160.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

23 ग्राम पंचायत- इटुआ हरनाठेर, विकास खण्ड- कासगंज, जनपद- कासगंज
प्रस्तर 28- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्रीमती अनीता सिंह एवं सचिव श्री जुगेन्द्र उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 1078587.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

24 ग्राम पंचायत- तारापुर नसीरपुर, विकास खण्ड- सोरों, जनपद- कासगंज
प्रस्तर 29- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।
इस हेतु प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी एवं सचिव श्री उपदेश कुमार उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 1548163.00 की
ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

25 ग्राम पंचायत- पचलाना, विकास खण्ड- सोरों, जनपद- कासगंज
प्रस्तर 30- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।
इस हेतु प्रधान श्रीमती गुड्डो देवी एवं सचिव श्री उपदेश कुमार उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 1527958.00 की
ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

26 ग्राम पंचायत- मलिकपुर, विकास खण्ड- सोरों, जनपद- कासगंज
प्रस्तर 31- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।
इस हेतु प्रधान श्रीमती नन्ही देवी एवं सचिव श्री रामनिवास वर्मा उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 923334.00 की

27 ग्राम पंचायत- बनूपुर पुख्ता, विकास खण्ड- सोरों, जनपद- कासगंज
प्रस्तर 32- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।
इस हेतु प्रधान श्री ज्वाली एवं सचिव श्री रामनिवास वर्मा उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 1648045.00 की ब्याज
सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

28 ग्राम पंचायत- हरनाथपुर उर्फ नगला मोती, विकास खण्ड- सोरों, जनपद- कासगंज
प्रस्तर 33- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।
इस हेतु प्रधान श्रीमती पूनम देवी एवं सचिव श्री रामनिवास वर्मा उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 2075338.00 की
ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

29 ग्राम पंचायत- गुरहना, विकास खण्ड- सोरों, जनपद- कासगंज
प्रस्तर 34- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।
इस हेतु प्रधान श्रीमती संतोष कुमारी एवं सचिव श्री कुंवर पाल सिंह उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 1070198.00
की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 35- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की
गयी। इस हेतु प्रधान श्रीमती सुनीता देवी एवं सचिव श्री अनिल कुमार उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 1217868.00
की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 36- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की
गयी। इस हेतु प्रधान श्रीमती राधा देवी एवं सचिव श्री अनिल कुमार उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 1120101.00
की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 37- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की
गयी। इस हेतु प्रधान श्रीमती भगवान देवी एवं सचिव श्री अनिल कुमार उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 766221.00
की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

આપત્તિ સંખ્યા- 01

આપત્તિ સંખ્યા- 01

की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

आपत्ति संख्या- 01

આપત્તિ સંખ્યા- 01

આપત્તિ સંખ્યા- 01

આપત્તિ સંખ્યા- 01

आपत्ति संख्या- 01

प्रस्तर 47- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्रीमती वीना देवी एवं सचिव श्री मुकेश वर्मा उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 1068444.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 48- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्री धर्मपाल सिंह एवं सचिव श्री मुकेश वर्मा उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 759418.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 49- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्री सुनील कुमार एवं सचिव श्री शिवाजी उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 831704.00 की ब्याज

प्रस्तर 50- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्रीमती सूरजमुखी एवं सचिव श्री मुकेश वर्मा उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 599785.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 51- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्री देव सिंह एवं सचिव श्री संदीप यादव उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 684358.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 52- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्री अजय पाल एवं सचिव श्री अजय दुबे उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 1982038.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 53- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्री सतेन्द्र कुमार एवं सचिव श्री हरिओम प्रतिहार उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 276916.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 54- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्री महावीर सिंह एवं सचिव श्री हरिओम प्रतिहार उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 2117035.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 55- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्री मनोज कुमार एवं सचिव श्री हरिओम प्रतिहार उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 1060108.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 56- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्री प्रमोद कुमार एवं सचिव श्री मंजुल कुमार उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 2747207.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 57- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्री कमलेश कुमार एवं सचिव श्री मंजुल कुमार उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 2739718.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 58- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्रीमती कविता देवी एवं सचिव श्री शिव कपूर आदर्श उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 1681531.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 59- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्रीमती शहनाज बेगम एवं सचिव श्री आर0 डी0 यादव उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 1959305.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 60- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्रीमती परबीन बेगम एवं सचिव श्री आर0 डी0 यादव उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 731484.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 61- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्री राहुल एवं सचिव श्री नीलाम्बर उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 2902560.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 62- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्रीमती उमा देवी एवं सचिव श्री नीलाम्बर उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 849554.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 63- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्री शैलेन्द्र कुमार एवं सचिव श्री नीलाम्बर उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 915479.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 64- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्रीमती तरन्नुम एवं सचिव श्री हरिओम उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 929243.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 65- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्रीमती भागवती एवं सचिव श्री हरिओम उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 501211.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 66- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्री रनवीर सिंह एवं सचिव श्री हरिओम उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 802759.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 67- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्रीमती कलावती एवं सचिव श्री हरिओम उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 570266.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 68- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्रीमती शहनाज बेगम एवं सचिव श्री हरिओम उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 505935.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 69- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्रीमती चन्द्रवती एवं सचिव श्री आर0डी0 यादव उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 683650.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 70- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्रीमती शकुंतला देवी एवं सचिव श्री मंजुल उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 4504645.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 71- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्री अवधेश कुमार एवं सचिव श्री मंजुल उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 669801.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 72- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्रीमती ममता एवं सचिव श्री सत्यप्रकाश उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 1012845.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 73- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्रीमती रामबेटी एवं सचिव श्री सत्यप्रकाश उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 2138737.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 74- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्री संजय सिंह शाक्य एवं सचिव श्री सत्यप्रकाश उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 1445709.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 75- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्री अनुज कुमार एवं सचिव श्री सत्यप्रकाश उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 3057870.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 76- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्रीमती रामलली एवं सचिव श्री सत्यप्रकाश उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 929915.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 77- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्री सतेन्द्र कुमार एवं सचिव श्री उदय पटेल उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 749319.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 78- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्रीमती गायत्री एवं सचिव श्री उदय पटेल उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 1333300.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 79- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्री नरायन सिंह एवं सचिव श्री सत्यप्रकाश उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 1442997.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 80- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी एवं सचिव श्री उदय पटेल उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 1120378.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 81- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्रीमती जावित्री एवं सचिव श्री उदय पटेल उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 770379.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 82- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इस हेतु प्रधान श्रीमती हाजिरा बेगम एवं सचिव श्री शिवप्रताप सिंह उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 3151758.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 83- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इस हेतु प्रधान श्रीमती मीरा देवी एवं सचिव श्री शिवप्रताप सिंह उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 5324213.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।
आपति संख्या- 01

प्रस्तर 84- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इस हेतु प्रधान श्री देवेन्द्र सिंह एवं सचिव श्री शिवप्रताप सिंह उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 1214205.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।
आपति संख्या- 01

प्रस्तर 85- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इस हेतु प्रधान श्रीमती कन्यावती एवं सचिव श्री अजयपाल उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 811972.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर 86- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इस हेतु प्रधान श्रीमती श्वेता एवं सचिव श्री अजयपाल उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 1584718.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।
आपति संख्या- 01

प्रस्तर 87- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इस हेतु प्रधान श्री अनवीर एवं सचिव श्री शिवप्रताप सिंह उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 1195989.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।
आपति संख्या- 01

प्रस्तर 88- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इस हेतु प्रधान श्री यासीन एवं सचिव श्री राजेश यादव उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 1880729.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।
आपति संख्या- 01

प्रस्तर 89- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इस हेतु प्रधान श्रीमती माया देवी एवं सचिव श्री रामनाथ पुष्कर उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 1779056.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।
आपति संख्या- 01

प्रस्तर 90- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इस हेतु प्रधान श्री राधेश्याम एवं सचिव श्री रामनाथ पुष्कर उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 1470079.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।
आपति संख्या- 01

प्रस्तर 91- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्रीमती नीरज देवी एवं सचिव श्री पदमेश उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 2660917.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।
आपति संख्या- 01

प्रस्तर 92- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्रीमती कुसुमा देवी एवं सचिव श्री लवनेश उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 1264715.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 93- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्री राम सिंह एवं सचिव श्री अरविन्द उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 2539058.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 94- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्री प्रदीप कुमार एवं सचिव श्री अरविन्द उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 5113305.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 95- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इस हेतु प्रधान श्री देवेन्द्र सिंह एवं सचिव श्री लवनेश उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 1100912.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 96- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इस हेतु प्रधान श्री संजय एवं सचिव श्री अमर सिंह उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 4409176.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 97- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इस हेतु प्रधान श्री दयामहेश एवं सचिव श्री स्वराष्ट्र सोनकर उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 917095.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 98- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इस हेतु प्रधान श्री मुकेश बाबू एवं सचिव श्री स्वराष्ट्र सोनकर उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 1967613.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 99- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इस हेतु प्रधान श्री सुबोध कुमार एवं सचिव श्री पदमेश कुमार उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 372463.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 100- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इस हेतु प्रधान श्री गिरजेश एवं सचिव श्री लवनेश उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 627135.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 101- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इस हेतु प्रधान श्री दुर्विजय सिंह एवं सचिव श्री पदमेश कुमार उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 1289009.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 102- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इस हेतु प्रधान श्री रामायन सिंह एवं सचिव श्री पदमेश कुमार उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 768851.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 103- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इस हेतु प्रधान श्री बलिस्टर सिंह एवं सचिव श्री चन्द्र प्रकाश उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 1405891.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रस्तर 104- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इस हेतु प्रधान श्रीमती प्रियंका एवं सचिव श्री लवनेश उत्तरदायी हैं। इस लिए रु0 1289009.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आपति संख्या- 01

प्रारूप-4

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष- 2020-21

जनपद- अम्बेडकरनगर

सम्भाग- अयोध्या

संस्था- ग्राम पंचायत

प्रस्तर-1

ग्राम पंचायत - आलमपुर अखई

विकास क्षेत्र- अकबरपुर

जनपद- अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत आलमपुर अखई के वर्ष 2020-2021 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम प्रधान को मानदेय प्रतिमाह रु०- 3500.00 की दर से दिनांक 30-07-2020 को माह जून 2020 तक का कुल बारह माह का रु०- 42000.00 प्रधान मानदेय भुगतान किया गया है पुनः दिनांक 05-11-2020 को माह अक्टूबर 2020 तक का मानदेय रु० 24500.00 दिया गया है जबकि माह जुलाई 2020 से अक्टूबर 2020 तक का चार माह का मानदेय रु०- 14000.00 ही देना था इस प्रकार मानदेय रु० 10500.00 ज्यादा दिया गया है अतः उक्त धनराशि की वसूली मय व्याज ग्राम प्रधान श्री हीरालाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी आस्था पाण्डेय से कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-2

जनपद- अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत - चाँदपुर भटपुरा

विकास क्षेत्र- अकबरपुर

जनपद- अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत चाँदपुर भटपुरा के वर्ष 2020-2021 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त मद से कुल रु० 1266115.00 बैंक ऑफ़ इंडिया खाता संख्या 2523 से पी०एफ०एम०एस० द्वारा आहरित है, परन्तु व्यय से सम्बंधित/समर्थित न तो कोई प्रमाणक एवं न ही कार्यपत्रावलिया प्राप्त रही इस प्रकार मात्र आहरण करके धनराशि का अपहरण किया जाना लेखा परीक्षा के अनुसार पाया गया है। अतः विधि सम्मत कार्यवाही व वसूली हेतु अधिभार रु० 1266115.00 का अवधारित किया जाता है, अतः उक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कमिनी सिंह एवं ग्राम पंचायत श्री सुग्रीव कुमार वर्मा से कार्यावधि के अनुसार कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-3

अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत फतेपुर के वर्ष 2020-2021 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त मद से कुल रु० 1158836.00 बैंक ऑफ़ इंडिया खाता संख्या 4976 से पी०एफ०एम०एस० द्वारा आहरित दर्शाया गया, परन्तु व्यय से सम्बंधित/समर्थित न तो कोई प्रमाणक एवं न ही कार्यपत्रावलिया प्राप्त रही इस प्रकार मात्र आहरण करके धनराशि का अपहरण किया जाना लेखा परीक्षा के अनुसार पाया गया है। अतः विधि समस्त विरुद्ध कार्यवाही व वसूली हेतु अधिभार रु० 1158836.00 का अवधारित किया जाता है, अतः जाचोपरान्त उक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अभिषेक उपाध्याय सुश्री अंशिका श्रीवास्तव से कार्यावधि के अनुसार कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-4

ग्राम पंचायत - कुर्की महमूदपुर

विकास क्षेत्र- अकबरपुर

जनपद-

अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत कुर्की महमूदपुर के वर्ष 2020-2021 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम प्रधान को मानदेय प्रतिमाह रु० 3500.00 की दर से दिनांक 24-10-2020 को माह जुलाई 2020 से माह अक्टूबर 2020 तक कुल चार माह का रु० 14000.00 का भुगतान किया गया है पुनः दिनांक 25-12-2020 को माह अक्टूबर 2020 एवं नवम्बर 2020 का मानदेय रु० 7000.00 दिया गया है इस प्रकार माह अक्टूबर का मानदेय रु० 3500.00 दोबारा कर दिया गया है अतः उक्त धनराशि रु० 3500.00 की मय ब्याज वसूली ग्राम प्रधान श्री बाबूराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चूडामणि से कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-5

ग्राम पंचायत - उम्मरपुर

विकास क्षेत्र- अकबरपुर

जनपद- अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत उम्मरपुर के वर्ष 2020-2021 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त मद से कुल रु० 295571.00 बैंक ऑफ़ इंडिया खाता संख्या 2608 से पी०एफ०एम०एस० द्वारा आहरित है परन्तु व्यय से सम्बंधित/समर्थित न तो कोई प्रमाणक एवं न ही कार्यपत्रावलिया प्राप्त रही इस प्रकार मात्र आहरण करके धनराशि का अपहरण किया जाना लेखा परीक्षा के अनुसार पाया गया है। अतः विधि सम्मत कार्यवाही व वसूली हेतु अधिभार रु० 295571.00 का अवधारित किया जाता है, अतः उक्त धनराशि रु० 295571.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती बन्दना कुमारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अतुल कुमार सिंह से कार्यावधि के अनुसार कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-6

ग्राम पंचायत - एकडंगी

विकास क्षेत्र - बसखारी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार चतुर्थ राजवित्त आयोग से विभिन्न कार्यों पर भुगतान दर्शित है:-

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि रु०	खाता	मद	व्यय प्रमाणक
1	17.08.2020	5500.00	चतुर्थ राजवित्त आयोग	आक्सीमीटर , थर्मामीटर	अनुपलब्ध
2	17.08.2020	12300.00	चतुर्थ राजवित्त आयोग	ग्रा०पं० में दवा छिडकाव	अनुपलब्ध
3	17.08.2020	9600.00	चतुर्थ राजवित्त आयोग	परिवार रजि० बाइंडिंग, फीडिंग	अनुपलब्ध
	योग-	27400.00			

अतः उक्त विवरण में दर्शित व्ययों (योग रु- 27400.00) से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी एवं कार्य की पुष्टि नहीं किया जा सकी । कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड- 8 (क) एवं (ख) के अन्तर्गत धनराशि का अपहरण माना गया है जो अधिभार योग्य है, जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है, अन्यथा कि स्थिति में रु- 27400.00 की वसूली श्री रामजतन, ग्रामप्रधान एवं श्री मनोज कुमार चौधरी, ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर हिस्सों में कराया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-7

ग्राम पंचायत - एकडंगी

विकास क्षेत्र - बसखारी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार चौदहवावित आयोग से विभिन्न कार्यों पर भुगतान दर्शित है:-

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि रु०	खाता	मद	व्यय प्रमाणक
1	17.08.2020	98105.00	चौदहवावित आयोग	शामुदायिक शौचालय में सेनेट्री कार्य	अनुपलब्ध
	योग-	98105.00			

अतः उक्त विवरण में दर्शित व्ययों (योग रु- 98105.00) से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी एवं कार्य की पुष्टि नहीं किया जा सकी । कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड- 8 (क) एवं (ख) के अन्तर्गत धनराशि का अपहरण माना गया है जो अधिभार योग्य है, जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है, अन्यथा कि स्थिति में रु- 98105.00 की वसूली श्री रामजतन, ग्रामप्रधान एवं श्री मनोज कुमार चौधरी, ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर हिस्सों में कराया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-8

ग्राम पंचायत - हरसम्हार

विकास क्षेत्र - बसखारी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार चतुर्थ राजवित्त आयोग से प्राथमिक विद्यालय में रंगाई पुताई मरम्मत कार्य पर भुगतान किया गया है:-

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि रु०	खाता	मद	व्यय प्रमाणक
1	26.03.2021	51300.00	चतुर्थ राजवित्त आयोग	प्राथमिक विद्यालय में रंगाई पुताई मरम्मत कार्य	अनुपलब्ध
	योग-	51300.00			

उक्त विवरण में दर्शित भुगतान (योग रु- 51300.00) से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उक्त कार्य पर पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड- 8 (क) एवं (ख) के अन्तर्गत गबन माना गया है, जो कि अधिभार योग्य है, जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित

है। अन्यथा कि स्थिति में रु- 51300.00 की वसूली श्री राम दुलार, तत्कालीन प्रशासक, एवं श्री विनय मिश्र, ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-9

ग्राम पंचायत - मसडा मोहनपुर

विकास क्षेत्र - बसखारी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार केन्द्रीय वित्त से व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक	व्यय विवरण	दिनांक	मटेरियल क्रय पर भुगतान
01	अरशद के घर से वादी के घर तक यू- टाइप नाली निर्माण कार्य	26.12.2020	40205.00 ईंट क्रय
02	रामचन्द्र के घर से राजेन्द्र के घर तक -----	04.01.2021 04.01.2021	6821.00 बिल्डिंग मटेरियल 46625.00 ईंट क्रय
	योग-		93651.00

1- उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2- उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान न किया जाना, उक्त क्रय सामग्री के अंकन सहित स्टॉक रजिस्टर एवं कार्यपूति प्रमाणपत्र अनुपलब्ध रहने से कार्य की पुष्टि नहीं किया जा सका इस प्रकार उक्त क्रय सामग्री पर व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना एवं ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है।

अतः उक्त विवरण में दर्शित व्ययों (योग रु- 93651.00) से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी एवं कार्य की पुष्टि नहीं किया जा सकी। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड- 8 (क) एवं (ख) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है, अन्यथा कि स्थिति में रु- 40205.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती मीना एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सतीश यादव से तथा रु- 53446.00 की वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री सतीश यादव एवं तत्कालीन प्रशासक श्री रामदुलार से बराबर हिस्सों में कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-10

ग्राम पंचायत - मसडा मोहनपुर

विकास क्षेत्र - बसखारी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार चतुर्थ राजवित्त आयोग से व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक	व्यय विवरण	दिनांक	मटेरियल क्रय पर भुगतान (रु0 में)	मजदूरी पर भुगतान (रु0 में)
01	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर सोख पिट निर्माण कार्य	07.12.2020 07.12.2020	13976.00 ईंट क्रय 45917.00 बिल्डिंग मटेरियल	शून्य
	योग-		59893.00	शून्य

1- उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2- उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान न किया जाना, उक्त क्रय सामग्री के अंकन सहित स्टॉक रजिस्टर एवं कार्यपूति प्रमाणपत्र अनुपलब्ध रहने से कार्य की पुष्टि नहीं किया जा सका इस प्रकार उक्त क्रय सामग्री पर व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना एवं ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है।

अतः उक्त विवरण में दर्शित व्ययों (योग रु- 59893.00.00) से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी एवं कार्य की पुष्टि नहीं किया जा सकी । कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड- 8 (क) एवं (ख) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है अन्यथा कि स्थिति में रु- 59893.00.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती मीना एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सतीश यादव से बराबर हिस्सों में कराया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-11

ग्राम पंचायत - पूरा वजगोती

विकास क्षेत्र - बसखारी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार चतुर्थ राजवित्त आयोग से प्राथमिक विद्यालय में रंगाई पुताई मरम्मत कार्य पर भुगतान किया गया है:-

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि रु0	खाता	मद	व्यय प्रमाणक
1	03.11.2020	67169.00	चतुर्थ राजवित्त आयोग	प्राथमिक विद्यालय में रंगाई पुताई मरम्मत कार्य	अनुपलब्ध
	योग-	67169.00			

उक्त विवरण में दर्शित भुगतान (योग रु- 67169.00) से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उक्त कार्य पर पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड- 8 (क) एवं (ख) के अन्तर्गत गबन माना गया है, जो कि अधिभार योग्य है, जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु- 67169.00 की वसूली श्रीमती विद्रावती, ग्राम प्रधान एवं श्री सतीश चन्द्र यादव, ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर हिस्सों में कराया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-12

(10) ग्राम पंचायत - साबुकपुर

विकास क्षेत्र - बसखारी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार केन्द्रीय वित्त से व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक	व्यय विवरण	दिनांक	मटेरियल क्रय पर भुगतान (रु0 में)	मजदूरी पर भुगतान (रु0 में)
01	विभिन्न स्थानों पर हैंडपम्प चौकी निर्माण कार्य	24.12.2020	63833.00	शून्य
	योग-		63833.00	शून्य

- 1- उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए/ गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

- 2- उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान न किया जाना, उक्त क्रय सामग्री के अंकन सहित स्टॉक रजिस्टर एवं कार्यपूति प्रमाणपत्र अनुपलब्ध रहने से कार्य की पुष्टि नहीं किया जा सका इस प्रकार उक्त क्रय सामग्री पर व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना एवं ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है।

अतः उक्त विवरण में दर्शित व्ययों (**योग रु- 63833.00**) से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी एवं कार्य की पुष्टि नहीं किया जा सकी । कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड- 8 (क) एवं (ख) के अन्तर्गत धनराशि का अपहरण माना गया है जो अधिभार योग्य है, जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है, अन्यथा कि स्थिति में रु- 63833.00 की वसूली श्री कुलदीप सिंह, ग्रामप्रधान एवं श्री विनय मिश्र, ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर हिस्सों में कराया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-13

ग्राम पंचायत - तरौली मुबारकपुर

विकास क्षेत्र - बसखारी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार **केन्द्रीय वित्त** से व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक	व्यय विवरण	दिनांक	मटेरियल क्रय पर भुगतान (रु0 में)	मजदूरी पर भुगतान (रु0 में)
01	राम चन्दत के घर से रामवली के घर तक यू- टाइप नाली निर्माण कार्य	06.11.2020 06.11.2020	44347.00 बिल्डिंग मटेरियल 38812.00 ईंट क्रय	शून्य
	योग-		83159.00	शून्य

- 3- उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

- 4- उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान न किया जाना, उक्त क्रय सामग्री के अंकन सहित स्टॉक रजिस्टर एवं कार्यपूति प्रमाणपत्र अनुपलब्ध रहने से कार्य की पुष्टि नहीं किया जा सका इस प्रकार उक्त क्रय सामग्री पर व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना एवं ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है।

अतः उक्त विवरण में दर्शित व्ययों (**योग रु- 83159.00**) से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी एवं कार्य की पुष्टि नहीं किया जा सकी । कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड- 8 (क) एवं (ख) के अन्तर्गत धनराशि का अपहरण माना गया है जो अधिभार योग्य है, जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है, अन्यथा कि स्थिति में रु- 83159.00 की वसूली श्री राम सेवक, ग्रामप्रधान एवं श्री सतीश चन्द्र यादव, ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर हिस्सों में कराया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-14

ग्राम पंचायत - तरौली मुबारकपुर

विकास क्षेत्र - बसखारी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार चतुर्थ राजवित्त आयोग से व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक	व्यय विवरण	दिनांक	मटेरियल क्रय पर भुगतान (रु० में)	मजदूरी पर भुगतान (रु० में)
01	खडण्जा मरम्मत कार्य	28.09.2020	53865.00 ईट क्रय	शून्य
02	नीलम मिश्रा के घर से वृजनन्दन के घर तक खडण्जा मरम्मत कार्य	06.11.2020 06.11.2020	21558.00 ईट क्रय 7800.00 मिट्टी क्रय	शून्य
	योग-		83223.00	शून्य

3- उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

4- उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान न किया जाना, उक्त क्रय सामग्री के अंकन सहित स्टॉक रजिस्टर एवं कार्यपूति प्रमाणपत्र अनुपलब्ध रहने से कार्य की पुष्टि नहीं किया जा सका इस प्रकार उक्त क्रय सामग्री पर व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना एवं ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है।

अतः उक्त विवरण में दर्शित व्ययों (**योग रु- 83223.00**) से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी एवं कार्य की पुष्टि नहीं किया जा सकी। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड- 8 (क) एवं (ख) के अन्तर्गत धनराशि का अपहरण माना गया है जो अधिभार योग्य है, जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है अन्यथा कि स्थिति में रु- **83223.00** की वसूली श्री राम सेवक, ग्रामप्रधान एवं श्री सतीश चन्द्र यादव, ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर हिस्सों कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-15

ग्राम पंचायत - तरौली मुबारकपुर

विकास क्षेत्र - बसखारी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार चौदहवाँ वित्त आयोग से मिट्टी कार्य पर भुगतान किया गया है:-

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि रु०	खाता	मद	व्यय प्रमाणक
1	28.09.2020	23989.00	चौदहवाँ वित्त आयोग	मिट्टी	अनुपलब्ध
	योग-	23989.00			

अतः उक्त विवरण में दर्शित व्ययों (**योग रु- 23989.00**) से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी एवं कार्य की पुष्टि नहीं किया जा सकी। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड- 8 (क) एवं (ख) के अन्तर्गत धनराशि का अपहरण माना गया है जो अधिभार योग्य है, जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है, अन्यथा कि स्थिति में रु- **23989.00** की वसूली श्री राम सेवक, ग्रामप्रधान एवं श्री सतीश चन्द्र यादव, ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर हिस्सों में कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-16

ग्राम पंचायत - वर्गीनजामपुर

विकास क्षेत्र - बसखारी

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत को प्राप्त अनुदान का मदवार उद्देश्यवार विवरण का अलग-अलग अंकन नहीं किया गया है, ग्राम पंचायत को वर्ष में पंचम राज्य वित्त एवं 15वाँ केंद्रीय वित्त से टाइड एवं अनटाइड मद की धनराशि प्राप्त हुई है इस धनराशि का स्वच्छता, पेयजल, पंचायत भवन निर्माण, कायाकल्प कार्य, नाली, सड़क निर्माण आदि कार्यों पर व्यय किए जाने का प्रावधान है। ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष में 15वाँ केंद्रीय वित्त से दिनांक- 21.12.2020 को रु- 42000.00 मानदेय पर भुगतान किया जाना दर्शित है जो प्रदत्त अनुदान के उद्देश्यों के विपरीत है अतः अनुदान के निहित उद्देश्यों के विपरीत व्यय करके अनुदान का अनियमित भुगतान किया गया है जो कि गम्भीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। अनियमित भुगतान के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है, अन्यथा कि स्थिति में रु- 42000.00 की वसूली **श्रीमती रेखा**, ग्राम प्रधान एवं **श्री शशांक वर्मा**, ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर हिस्सों में किए जाना अपेक्षित है,

प्रस्तर-17

ग्राम पंचायत - वर्गीनिजामपुर

विकास क्षेत्र - बसखारी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार चतुर्थ राजवित्त आयोग से मिट्टी पटाई कार्य व्यय दर्शित किया गया है:-

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि रु0	खाता	मद	व्यय प्रमाणक
1	26.06.2020	26372.00	चतुर्थ राजवित्त आयोग	मिट्टी पटाई कार्य	अनुपलब्ध
	योग-	26372.00			

उक्त विवरण में दर्शित व्ययों (**योग रु- 26372.00**) से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड- 8 (क) एवं (ख) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु- 26372.00 की वसूली **श्रीमती रेखा**, ग्राम प्रधान एवं **श्री शशांक वर्मा**, ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर हिस्सों में किए जाना अपेक्षित है,

प्रस्तर-18

ग्राम पंचायत - किछुटी

विकास क्षेत्र - भीटी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ग्राम निधि से रु0 5,37,260.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से संबंधित पत्रावलियों को लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में दर्शित संपूर्ण व्यय नियमों की अनदेखी करके किए गए प्रतीत होते हैं। इस प्रकार किया गया संपूर्ण व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत हैं। ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं एवं खंड 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शित व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली संबंधित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी।

उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, माप पुस्तिका एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की संपूर्ण धनराशि को गबन आंकलित किया जाता है, जो अधिभार

के योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन किए गए संपूर्ण व्यय ₹0 5,37,260.00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री सुशील शाह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता से बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-19

ग्राम पंचायत - केवारी परमानन्द

विकास क्षेत्र - भीटी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ग्राम निधि से ₹0 8,80,685.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से संबंधित पत्रावलियों को लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में दर्शित संपूर्ण व्यय नियमों की अनदेखी करके किए गए प्रतीत होते हैं। इस प्रकार किया गया संपूर्ण व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत हैं। ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं एवं खंड 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शित व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली संबंधित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी।

उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, माप पुस्तिका एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की संपूर्ण धनराशि को गबन आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन किए गए संपूर्ण व्यय ₹0 8,80,685.00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रवीन्द्र वर्मा एवं ग्राम प्रधान श्री अतुल सिंह से बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-20

ग्राम पंचायत - जैतुपुर

विकास क्षेत्र - भीटी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ग्राम निधि से ₹0 11,94,504.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से संबंधित पत्रावलियों को लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में दर्शित संपूर्ण व्यय नियमों की अनदेखी करके किए गए प्रतीत होते हैं। इस प्रकार किया गया संपूर्ण व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत हैं। ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं एवं खंड 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शित व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली संबंधित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी।

उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, माप पुस्तिका एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की संपूर्ण धनराशि को गबन आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन किए गए संपूर्ण व्यय ₹0 11,94,504.00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री सुशील शाह एवं ग्राम प्रधान श्री राधे श्याम से बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-21

ग्राम पंचायत - बनगांव**विकास क्षेत्र - भीटी****जनपद - अम्बेडकरनगर**

ग्राम- **बनगांव** की आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में हैंडपंप रिबोर पर निम्न प्रकार का व्यय दर्शाया गया है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	फार्म जिसको भुगतान हुआ
1-	24-06-2020	33,500.00	एम० एस० ट्रेडर्स को भुगतान किया
2-	24-06-2020	33,500.00	एम० एस० ट्रेडर्स को भुगतान किया
3-	24-06-2020	33,500.00	एम० एस० ट्रेडर्स को भुगतान किया
4-	24-06-2020	33,500.00	एम० एस० ट्रेडर्स को भुगतान किया
5-	24-06-2020	33,500.00	एम० एस० ट्रेडर्स को भुगतान किया
6-	03-08-2020	33,500.00	एम० एस० ट्रेडर्स को भुगतान किया
7-	03-08-2020	33,500.00	एम० एस० ट्रेडर्स को भुगतान किया
8-	03-08-2020	33,500.00	एम० एस० ट्रेडर्स को भुगतान किया
9-	03-08-2020	33,500.00	एम० एस० ट्रेडर्स को भुगतान किया
10-	10-08-2020	33,200.00	एम० एस० ट्रेडर्स को भुगतान किया
योग-		3,34,700.00	

उक्त के सम्बन्ध में निम्न गंभीर आपत्तिया प्रकाश में ई है:-

- 1- पंचायती राज अनुभाग -3 के शासनादेश स० 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19-06-2017 के सन्दर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची एवं मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- 2- इस सन्दर्भ में जल प्रबंधन समिति की अनुसंशा को भी कार्यवाही रजिस्टर अप्रस्तुत रहने से पुष्टि नहीं किया जा सका।
- 3- हैंडपंप रिबोर से सम्बंधित पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने से कार्य के एस्टीमेट, हैंडपंप खराब होने की सूचना जल निगम द्वारा अप्रोज्य होने का प्रमाणन पर टिप्पड़ी नहीं की जा सकी।
- 4- लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बंधित किसी प्रकार का व्यय प्रमाणन भी उपलब्ध नहीं कराया गया।

आलोच्य वर्ष में उपरोक्त विवरणानुसार रिबोर मरम्मत पर व्यय केशबुक में दर्शित है जिसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणन, ग्राम सभा का प्रस्ताव, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति प्रस्तुत नहीं कराया गया है। अतः उपरोक्त व्यय फर्जी व अवास्तविक है फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशी का अपहरण किया गया है जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 एवं 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उ० प्र० पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत अपहरण है जो अधिभार योग्य है। उक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला एवं पंचायत सचिव श्री मनीष कुमार सिंह से संयुक्त रूप से अध्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-22**ग्राम पंचायत - बासुपुर बनियानी****विकास क्षेत्र - भीटी****जनपद - अम्बेडकरनगर**

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ग्राम निधि से ₹ 5,42,116.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से संबंधित पत्रावलियों को लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में दर्शित संपूर्ण व्यय नियमों की अनदेखी करके किए गए प्रतीत होते हैं। इस प्रकार किया गया संपूर्ण व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत हैं। ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं एवं खंड 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शित व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली संबंधित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी।

उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, माप पुस्तिका एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की संपूर्ण धनराशि को गबन आंकलित किया जाता है, जो अधिभार

के योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन किए गए संपूर्ण व्यय ₹0 5,42,116.00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री सुशील शाह एवं ग्राम प्रधान श्री राम सुन्दर यादव से बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-23

ग्राम पंचायत - रनीवाँ रुदऊ

विकास क्षेत्र - भीटी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ग्राम निधि से ₹0 8,65,860.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से संबंधित पत्रावलियों को लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में दर्शित संपूर्ण व्यय नियमों की अनदेखी करके किए गए प्रतीत होते हैं। इस प्रकार किया गया संपूर्ण व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत हैं। ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं एवं खंड 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शित व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली संबंधित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी।

उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, माप पुस्तिका एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की संपूर्ण धनराशि को गबन आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन किए गए संपूर्ण व्यय ₹0 8,65,860.00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रवीन्द्र वर्मा एवं ग्राम प्रधान श्री ओंकर नाथ से बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-24

ग्राम पंचायत - भुजगी

विकास क्षेत्र - भियांव

जनपद - अम्बेडकरनगर

पंचायत राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षा दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी०, मस्टर रोल, टेंडर पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उनपर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वैध बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। टेंडर पत्रावली/जी० एस० टी० रजिस्ट्रेशन अप्राप्त रहने से यह अज्ञात रहा कि फर्म सम्बंधित कार्य करने में सक्षम हैं कि नहीं एवं अपना जी० एस० टी० समय से जमा कर रहा है कि नहीं। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा

क्र.सं.	कार्य का नाम (राज्य एवं केन्द्रीय वित्त आयोग से)	भुगतान फर्म / मजदूरी	दिनांक	धनराशि(₹०)
1-	राहुल मिश्रा के घर से आदित्य मिश्रा के घर तक खडंजा मरम्मत	1-मिश्रा ट्रेडर्स(ईटा) 2-मिश्रा ट्रेडर्स(ईटा) 3-मजदूरी कुल योग	05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020	23737.00 67630.00 5400.00 96767.00
2-	प्रा० विद्यालय भुजगी में टोटी, टंकी मरम्मत	मै० श्रीकांत मिश्रा ट्रेडर्स कुल योग	16/10/2020	8300.00 8300.00
3-	दिव्यांग शौचालय (स्थान नहीं)	1-मिश्रा ट्रेडर्स(बिल्डिंग मैटे०) 2-मिश्रा ट्रेडर्स(टोटी, टंकी आदि) 3-मिश्रा ट्रेडर्स(टाइल्स कार्य) कुल योग	26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	34989.00 23278.00 23826.00 82093.00

4-	सामुदायिक शौचालय निर्माण	1-मिश्रा ट्रेडर्स(बिल्डिंग मैटे०)	22/09/2020	171922.00
		2-मिश्रा ट्रेडर्स(बिल्डिंग मैटे०)	22/09/2020	35025.00
		3-मिश्रा ट्रेडर्स(जलापूर्ति सामग्री)	22/09/2020	38660.00
		4-मिश्रा ट्रेडर्स(सामग्री)	23/09/2020	12500.00
		कुल योग		258107.00
5-	इंटरलॉकिंग कार्य (प्राइमरी विद्यालय भुजगी)	मिश्रा ट्रेडर्स(सामग्री)	28/09/2020	98427.00
		कुल योग		98427.00
6-	बालक/बालिका शौचालय निर्माण(प्रा०विद्या०भुजगी),बरामदा एवं जलापूर्ति कार्य	1-मिश्रा ट्रेडर्स(सामग्री)	26/02/2021	5412.00
		2-मिश्रा ट्रेडर्स(सामग्री)	26/02/2021	71127.00
		3-मिश्रा ट्रेडर्स(सामग्री)	26/02/2021	37609.00
		4-मिश्रा ट्रेडर्स(सामग्री)	26/02/2021	54800.00
		कुल योग		168948.00
		महायोग		712642.00

इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बंधित कार्य पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक/बाउचर प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये व्यय अप्रमाणित रहे। लेखापरीक्षा में सम्बंधित कार्य पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी०, आदि) अप्राप्त रहने से उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम -156 एवं 157(ख) के विपरीत है। पुनः उक्त किसी भी कार्य पर मजदूरी पर व्यय नहीं है और कार्य सं०-3,4,5, एवं 6 पर तो ईटा पर भी व्यय नहीं है। अतः बिना ईटा एवं मजदूरी के वास्तव में कार्य हुआ ही व्यय के सम्बन्ध में कोई वैध बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन रू०- 712642.00 वित्तीय अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रू०-712642.0 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू० -356321.00 ग्राम प्रधान श्रीमती भावना से तथा रू०-356321.00 सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री बृजेश सिंह से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-25

ग्राम पंचायत - भुजगी

विकास क्षेत्र - भियांव

जनपद - अम्बेडकरनगर

पंचायत राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षा दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी०, मस्टररोल, टैंडर पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उनपर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वैध बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। टैंडर/कोटेशन पत्रावली/जी० एस० टी० रजिस्ट्रेशन अप्राप्त रहने से यह अज्ञात रहा कि फर्म सम्बंधित कार्य करने में सक्षम है कि नहीं एवं अपना जी० एस० टी० समय से जमा कर रहा है कि नहीं। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निम्न कार्यों पर निम्नानुसार भुगतान किया गया है -

क्र.सं.	कार्य का नाम (राज्य एवं केन्द्रीय वित्त आयोग से)	भुगतान फर्म	दिनांक	धनराशि(रू०)
1-	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य (स्थान नहीं)	मै० मिश्रा ट्रेडर्स	04/07/2020	17200.00
		मै० मिश्रा ट्रेडर्स	04/09/2020	16500.00
		मै० मिश्रा ट्रेडर्स	18/09/2020	16000.00

		में० मिश्रा ट्रेडर्स	24/09/2020	22100.00
		में० मिश्रा ट्रेडर्स	04/11/2020	15120.00
		कुल योग		86920.00
2-	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	में० मिश्रा ट्रेडर्स(भोलाराम के घर)	04/07/2020	30736.00
		में० मिश्रा ट्रेडर्स(महेंद्र के घर)	16/10/2020	30500.00
		कुल योग		61236.00
3-	ह्यूमपाईप लगवाई (स्थान नहीं)	में० मिश्रा ट्रेडर्स	04/07/2020	39000.00
4-	हवाइटबोर्ड क्रय(प्रा०वि०भुजगी)	में० मिश्रा ट्रेडर्स	04/11/2020	22500.00
5-	कुर्सी, मेज, आलमारी ,(पंचायत भवन)	में० मिश्रा ट्रेडर्स	24/11/2020	36460.00
		क्रम सं०-3,4,एवं5 का योग		97960.00
		महायोग		246116.00

इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बंधित कार्य पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक/बाउचर प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये व्यय अप्रमाणित रहे। लेखापरीक्षा में सम्बंधित कार्य पत्रावलियां (प्राक्कलन,तकनीकी स्वीकृति,वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी०,आदि)अप्राप्त रहने से उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम -156 एवं 157(ख) के विपरीत है। पुनः जल निगम की प्रतीक्षा सुची,मरम्मत हेतु प्रर्थनापत्र एवं डेड स्टॉक रजिस्टर,क्रय सामग्री के इन्द्राज हेतु स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। पंचायत लेखा बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम है तथा अधिभार के योग्य है जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु०-246116.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु० -123058.00 ग्राम प्रधान श्रीमती भावना से तथा रु०-123058.00 सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री बृजेश सिंह से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-26

ग्राम पंचायत - भुजगी

विकास क्षेत्र - भियांव

जनपद - अम्बेडकरनगर

आयकर अधिनियम 1961 (यथा संसोधित की धारा 194 सी) के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौती किये जाने के उपरांत ही भुगतान किया जाने का प्रावधान है। आयकर की कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित . समयांतर्गत प्रत्येक तिमाही अंतिम तिथि को लेखाशीर्ष 21 में जमा किये जाने के लिए संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे। 1 अप्रैल 2009 से आयकर की कटौती 2.26%की दर से सुनिश्चित की गयी है। लेखा परीक्षा वर्ष में कैशबुक के अनुसार निम्न सामग्रियां क्रय की गयी हैं जिनपर आयकर की बिना कटौती किये ही फार्मों को धनराशि का भुगतान किया गया है -

क्र०सं०	नाम क्रय सामग्री	धनराशि(रु०)
1-	हैण्डपम्प मरम्मत	86920.00
2-	हैण्डपम्प रिबोर	61239.00
3-	ह्यूमपाईप	22500.00
4-	हवाइटबोर्ड	39000.00
5-	कुर्सी, मेज, आलमारी	36460.00
6-	ईटा	91367.00
7-	बिल्डिंग मैटेरिअल	241936.00

8-	टाइल्स	23826.00
9-	जलापूर्ति सामग्री (टोटी ,पाइप,टंकी आदि)	251686.00
10-	इंटरलॉकिंग हेतु रबरमोल्ड ईट	98427.00
	कुल योग	953361.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा कुल ₹-953361.00 की सामग्री क्रय का भुगतान किया गया है। इस सामग्री धनराशि पर नियमानुसार 2.26% आयकर कटौती की दर से ₹-21546.00 आयकर अवधारित होता है जिसे ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार समान मात्रा में आधा-आधा राजकोष में सम्बंधित लेखा शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित रहा।

प्रस्तर-27

ग्राम पंचायत - भुजगी

विकास क्षेत्र - भियांव

जनपद - अम्बेडकरनगर

वर्ष लेखा परीक्षा में प्रधान का मानदेय मद में कुल रूपया- 65000.00 व्यय किया गया है। लेखा परीक्षा में गतवर्ष की कोशबही एवं मानदेय रजिस्टर अप्राप्त रहने से यह अज्ञात रहा की दिया गया मानदेय किस अवधि का था तथा किस अवधि का मानदेय बकाया रहा। कैशबुक में निम्नानुसार मानदेय दिया गया है -

1-दिनांक 17/04/2020को ₹- 21000.00

2-दिनांक 23/04/2020को ₹ 16000.00

3-दिनांक 04/09/2020को ₹ 10500.00

4-दिनांक 26/02/2021को ₹ 17500.00

कुल योग 65000.00

इस पर निम्न आपत्तियाँ हैं -

1-दिनांक 23/04/2020 को दिया गया मानदेय ₹ -16000.00 मासिक मानदेय ₹ -3500 .00 का गुणक नहीं है। अतः दिया गया मानदेय औचित्यहीन है।

2-दिनांक 01/04/2020 से 25/12/2020 तक का कुल मानदेय ₹ 30825.00 अवधारित होता है जबकि वर्ष में कुल ₹ 65000.00 मानदेय दिया गया है। बकाया मानदेय की स्थिति अज्ञात रही। अतः वर्ष में कुल ₹-34175.00 अधिक मानदेय दिया गया है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती भावना एवं सेक्रेटरी श्री बृजेश सिंह से समान मात्रा में आधा-आधा करके ग्राम निधि खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित रहा।

प्रस्तर-28

ग्राम पंचायत - बेरगा

विकास क्षेत्र - भियांव

जनपद - अम्बेडकरनगर

उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-पांच वर्ग एक पैरा-27अ एवं उ० प्र० पंचा० राज नियमावली के नियम-199 के अनुसार एक कैशबुक(रूपपत्र-6) बनायीं जाएगी जिसमें वर्ष में प्राप्त एवं व्यय समस्त धनराशि का विवरण अंकित किया जायेगा।

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 25/02/2021 से 31/03/2021 तक राज्य वित्त आयोग खाते के आय -व्यय का विवरण कैशबुक में अंकित नहीं किया गया है जबकि इस अवधि में ₹-121394.00

इस पर निम्न आपत्तियाँ हैं -

1-कैशबुक में कोई कार्य न लिखा होने से स्पष्ट है की धन का मनमाने ढंग से आहरण करके वित्तीय अपहरण किया गया है।

2-इस व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन,तकनीकी स्वीकृति,वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी०,मस्टररोल ,टैंडर पत्रावली,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि)एवं उनपर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वैध बाउचर/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे ।

इस प्रकार उक्त आहरण से सम्बन्धित कार्य पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक/बाउचर प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये व्यय अप्रमाणित रहे। लेखापरीक्षा में सम्बन्धित कार्य पत्रावलियां (प्राक्कलन,तकनीकी स्वीकृति,वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी०,आदि)अप्राप्त रहने से उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम -156 एवं 157(ख) के विपरीत है । पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 (क) एवं(ख) के अनुसार “यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वैध बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी,ग्राम पंचायतसे की जाएगी ।”इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रू०- 121394.00 वित्तीय अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है जिसके लिए प्रशासक एवं सेक्रेटरी उत्तरदायी हैं ।अतः उक्त धनराशि रू०-121394.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू० -60697.00 प्रशासक श्री शैलेन्द्र सिंह (सहा0 विकास अधिकारी आई एस बी) से तथा रू०-60697.00 सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री प्रदीप तिवारी से)अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-29

ग्राम पंचायत - भिठौरा दक्षिण

विकास क्षेत्र - भियांव

जनपद - अम्बेडकरनगर

वर्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक के अनुसार प्रधान का मानदेय मद में कुल रूपया- 129500.00(27/04/2020 को रू०-42000.00 (अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक)एवं 26/02/2021 को रू०-87500.00(अप्रैल 2019 से फरवरी 2021 तक) व्यय किया गया है । इसपर निम्न आपत्तियाँ हैं -

गत वर्ष की लेखा परीक्षित कैशबुक के अनुसार प्रधान को अक्टूबर 2018 तक मानदेय दिया जा चुका था फिर भी आलोच्य वर्ष में अप्रैल 2018 से अक्टूबर 2018 तक का मानदेय रू०-24500.00 दोबारा दिया गया है ।

आलोच्य वर्ष 2020-21 में अप्रैल 2019 से फरवरी 2021 तक का कुल मानदेय रू०-87500.00 दिया गया है जबकि प्रधानों का कार्यकाल 25 दिसम्बर 2020 को ही समाप्त हो गया था ।अतः रू०-14677.00 मानदेय अधिक दे दिया गया है (अप्रैल2019 से 25 दिसम्बर2020 तक का मानदेय रू०-72823.00 होता है) इस प्रकार कुल रू०39177 .00 (24500+14677) मानदेय अधिक दिया गया है जिसकी वसूली प्रधान श्री संजय सिंह एवं सचिव श्री शिव प्रकाश मिश्रा से आधी -आधी करके ग्राम निधि खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-30

ग्राम पंचायत - करीमनगर

विकास क्षेत्र - भियांव

जनपद -

अम्बेडकरनगर प्रस्तर-1

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत को प्राप्त अनुदान का मदवार /उद्देश्यवार विवरण अलग अलग अंकन नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत को वर्ष में पंचम राज्य वित्त एवं 15 वें केन्द्रीय वित्त (टाइड एवं अन्टाइड मद) की धनराशि प्राप्त हुई है । इस धनराशि का स्वच्छता ,पेयजल, पंचायत भवन निर्माण, कायाकल्प कार्य , नाली ,सड़क निर्माण,आदि कार्यों पर किये जाने का प्राविधानान है ।

ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष में कुल र 15500.00 राशन आपूर्ति कार्य परश्री विजय पाल को दिनांक04/04/2020 को दिया जाना दर्शित है जो प्रदत्त अनुदान के उद्देश्यों के विपरीत है। अतः अनुदान के निहित उद्देश्यों के विपरीत व्यय करके अनुदान का दुरुपयोग किया गया है अतः र 15500.00 की वसूली आधा -आधा ग्राम प्रधान श्री संजय कुमार एवं सचिव श्री प्रदीप तिवारी से किया जाना अपेक्षित रहा ।

प्रस्तर-31

ग्राम पंचायत - महमूदपुर ओदरपुर

विकास क्षेत्र - भियांव

जनपद - अम्बेडकरनगर

पंचायत राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है - "ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षा दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। परन्तु लेखा परीक्षा में निम्नलिखित कतिपय कार्यों/मदों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी०, मस्टररोल, टेंडर पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उनपर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वैध बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। टेंडर पत्रावली/जी० एस० टी० रजिस्ट्रेशन अप्राप्त रहने से यह अज्ञात रहा कि फर्म सम्बन्धित कार्य करने में सक्षम है कि नहीं एवं अपना जी० एस० टी० समय से जमा कर रहा है कि नहीं। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निम्न कार्यों पर निम्नानुसार भुगतान किया गया है -

क्र.सं.	कार्य का नाम	दिनांक	मद/फर्म का नाम	धनराशि (रु०)
1-	सामुदायिक शौचालय निर्माण	27/10/2020 31/10/2020 31/10/2020 31/10/2020	ईट/लोचन ईट भटठा मजदूरी मजदूरी जलापूर्ति सामग्री/आशुतोष ट्रेडर्स कुल योग	52000.00 17355.00 9534.00 84000.00 162889.00
2-	पंचायत भवन निर्माण	31/10/2020 31/10/2020 11/12/2020 11/12/2020	बि० मेटेरिअल/सिंह बिल्डिंग मेटेरिअल बि० मेटेरिअल/सिंह बिल्डिंग मेटेरिअल ईट/लोचन ईट भटठा बि० मेटेरिअल/सिंह बिल्डिंग मेटेरिअल कुल योग	48000.00 71920.00 11780.00 81220.00 212920.00
			महायोग	375809.00

इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बन्धित कार्य पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक/बाउचर प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये व्यय अप्रमाणित रहे। लेखा परीक्षा में सम्बन्धित कार्य पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी०, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, आदि) अप्राप्त रहने से उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम -156 एवं 157(ख) के विपरीत है। पुनः कार्य सं० (1) बिना बिल्डिंग मेटेरिअल के एवं कार्य सं० (2) बिना मजदूरी के कैसे किया गया? स्पष्टीकरण अपेक्षित रहा। पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 (क) एवं (ख) के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वैध बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत से की जाएगी।" इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु०- 375809.00 वित्तीय अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु०-375809.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु० - 187905.00 ग्राम प्रधान श्रीमती रीता दूबे से तथा रु०-187905.00 सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री प्रदीप तिवारी से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-32

ग्राम पंचायत - महमूदपुर ओदरपुर

विकास क्षेत्र - भियांव

जनपद - अम्बेडकरनगर

पंचायत राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है - "ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षा दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु लेखा परीक्षा में निम्नलिखित कतिपय कार्यों/मदों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी०, मस्टररोल, टैंडर पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उनपर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वैध बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। टैंडर पत्रावली/जी० एस० टी० रजिस्ट्रेशन अप्राप्त रहने से यह अज्ञात रहा कि फर्म सम्बंधित कार्य करने में सक्षम है कि नहीं एवं अपना जी० एस० टी० समय से जमा कर रहा है कि नहीं। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निम्न कार्यों पर निम्नानुसार भुगतान किया गया है -

क्र.सं.	कार्य का नाम	दिनांक	मद/फर्म का नाम	धनराशि (रु०)
1-	हैण्डपम्प रिबोर (स्थापना स्थान कैशबुक में नहीं)	12/11/2020 12/11/2020 12/11/2020 12/11/2020 12/11/2020	आशुतोष ट्रेडर्स आशुतोष ट्रेडर्स आशुतोष ट्रेडर्स आशुतोष ट्रेडर्स आशुतोष ट्रेडर्स कुल योग	30281.00 30281.00 30600.00 30564.00 28274.00 150000.00
2-	हैण्डपम्प मरम्मत (मरम्मत स्थान कैशबुक में नहीं)	28/10/2020 12/11/2020 09/12/2020	जय हनुमान ट्रेडर्स आशुतोष ट्रेडर्स ओम प्रकाश सिंह कुल योग	26900.00 33100.00 19860.00 79860.00
3-	स्टेशनरी क्रय		गोयल स्टेशनरी मार्ट कुल योग	24990.00 24990.00
			महायोग	254850.00

इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बंधित कार्य पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक/बाउचर प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये व्यय अप्रमाणित रहे। लेखा परीक्षा में सम्बंधित कार्य पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी०, आदि) अप्राप्त रहने से उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम -156 एवं 157(ख) के विपरीत है। पुनः हैण्डपम्प रिबोर के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा में जल निगम की प्रतीक्षा सुची, जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति का पर्यवेक्षण व निरीक्षण पत्रावली, जल प्रबंधन समिति की संस्तुति, परिसंपत्ति रजिस्टर एवं अप्रयुक्त पुरानी सामग्री का डेड स्टॉक रजिस्टर एवं उसकी नीलामी की कार्यवाही आदि अप्रस्तुत रही। पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 (क) एवं (ख) के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वैध बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत से की जाएगी।" इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु०- 254850.00 वित्तीय अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु०-254850.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु० - 127425.00 ग्राम प्रधान श्रीमती रीता दूबे से तथा रु०-127425.00 सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री प्रदीप तिवारी से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-33

ग्राम पंचायत - महमूदपुर ओदरपुर

विकास क्षेत्र - भियांव

जनपद - अम्बेडकरनगर

उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-पांच वर्ग एक पैरा-27अ एवं उ० प्र० पंचा० राज नियमावली के नियम-199 के अनुसार एक कैशबुक(रूपपत्र-6) बनायीं जाएगी जिसमें वर्ष में प्राप्त एवं व्यय समस्त धनराशि का विवरण अंकित किया जायेगा ।

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 18/02/2021 से 31/03/2021 तक राज्य वित्त आयोग एवं 15/02/2021 से 31/03/2021 तक केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आय -व्यय का विवरण कैशबुक में अंकित नहीं किया गया है जबकि इस अवधि में दोनों खातों से निम्नानुसार धनराशि का आहरण किया गया है -

1-केंद्रीय वित्त आयोग से - ₹० -65098.00

2-राज्य वित्त आयोग से ₹० -64739.00

कुल योग 129837.00

इस पर निम्न आपत्तियां हैं -

1-कैशबुक में कोई कार्य न लिखा होने से स्पष्ट है की धन का मनमाने ढंग से आहरण करके वित्तीय अपहरण किया गया है ।

2-इस व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन,तकनीकी स्वीकृति,वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी०,मस्टररोल ,टैंडर पत्रावली,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि)एवं उनपर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वैध बाउचर/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे ।

इस प्रकार उक्त आहरण से सम्बन्धित कार्य पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक/बाउचर प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये व्यय अप्रमाणित रहे। लेखापरीक्षा में सम्बन्धित कार्य पत्रावलियां (प्राक्कलन,तकनीकी स्वीकृति,वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी०,आदि)अप्राप्त रहने से उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम -156 एवं 157(ख) के विपरीत है । पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 (क) एवं(ख) के अनुसार “यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वैध बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली प्रशासक एवं सेक्रेटरी,ग्राम पंचायत से की जाएगी ।”इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि ₹०- 129837.00 वित्तीय अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है जिसके लिए प्रशासक एवं सेक्रेटरी उत्तरदायी हैं ।अतः उक्त धनराशि ₹०-129837.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (₹० -64919.00 प्रशासक श्री शैलेन्द्र सिंह(एडीओआईएसबी) से तथा ₹०-64919.00 सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री प्रदीप तिवारी से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-34

ग्राम पंचायत - मसोढ़ा

विकास क्षेत्र - भियांव

जनपद - अम्बेडकरनगर

1-पंचायत राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है -“ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ,ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षा दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें ।”परन्तु लेखा परीक्षा में निम्नलिखित कतिपय कार्यो/मदों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन,तकनीकी स्वीकृति,वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी०,मस्टररोल ,टैंडर पत्रावली,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि)एवं उनपर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वैध बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे ।टैंडर पत्रावली/जी० एस० टी० रजिस्ट्रेशन अप्राप्त रहने से यह अज्ञात रहा कि फर्म सम्बन्धित कार्य करने में सक्षम है कि नहीं एवं अपना जी० एस०टी० समय से जमा कर रहा है कि नहीं।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निम्न कार्यो पर निम्नानुसार भुगतान किया गया है -

क्र.सं	कार्य का नाम	दिनांक	मद/फर्म का नाम	धनराशि (₹०)
1-	अज्ञात(कैशबुक में कार्य का अंकन नहीं)	11/05/2020 09/07/2020 09/07/2020	ईट/निषाद ईट भट्ठा ईट/जय ट्रेडर्स ईट/जय ट्रेडर्स	51300.00 46045.00 58415.00

		09/07/2020	ईट/जय ट्रेडर्स	190540.00
		16/07/2020	बिल्डिंग	52413.00
		02/09/2020	मैटेरिअल/आशुतोष ट्रेडर्स	110000.00
			सामग्री/आशुतोष ट्रेडर्स	508713.00
			कुल योग	
2-	सामुदायिक शौचालय निर्माण	03/09/2020	मजदूरी	21462.00
		14/09/2020	बिल्डिंग	9920.00
		14/09/2020	मैटेरिअल/आशुतोष ट्रेडर्स	5280.00
		30/10/2020	मजदूरी	52000.00
			ईट/सुरेश कुमार ईट भट्ठा	88662.00
			कुल योग	
3-	पंचायत भवन निर्माण	25/09/2020	आयरन राड/आशुतोष	40000.00
		25/09/2020	ट्रेडर्स	80000.00
		25/09/2020	बालू एवं सीमेंट/आशुतोष	80000.00
			ट्रेडर्स	200000.00
			गिट्टी एवं	
			सीमेंट/आशुतोष ट्रेडर्स	
			कुल योग	
4-	जलापूर्ति सामग्री(स्थान अज्ञात)	07/12/2020	ओम प्रकाश सिंह	84000.00
	मल्टीपल हैण्डवाश(स्थान अज्ञात)	11/12/2020	आशुतोष ट्रेडर्स	69805.00
		11/12/2020	आशुतोष ट्रेडर्स	69805.00
			कुल योग	223610.00
			महायोग	1020985.00

इस प्रकार उक्त कार्यो से सम्बंधित कार्य पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक/बाउचर प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये व्यय अप्रमाणित रहे। लेखापरीक्षा में सम्बंधित कार्य पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी०, टेंडर एवं कोटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, स्टॉक रजिस्टर आदि) अप्राप्त रहने से उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम -156 एवं 157(ख) के विपरीत है। पुनः कार्य सं० 1, 3 एवं 4 में केवल सामग्री पर व्यय है मजदूरी पर कोई व्यय नहीं है। अतः वास्तव में कार्य तो हुआ नहीं, फलतः सामग्री पर दर्शित व्यय वित्तीय अपहरण है। अज्ञात कार्य पर किया गया व्यय भी वित्तीय अपहरण है। पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 (क) एवं (ख) के अनुसार “यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वैध बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत से की जाएगी।” इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु०-1020985.00 वित्तीय अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु०-1020985.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु० -510493.00 ग्राम प्रधान श्री छोटेलाल से तथा रु०-510493.00 सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री प्रदीप तिवारी से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-35

ग्राम पंचायत - मसोढ़ा

विकास क्षेत्र - भियांव

जनपद - अम्बेडकरनगर

2-पंचायत राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है -"ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ,ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा किये सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षा दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें ।"परन्तु लेखा परीक्षा में निम्नलिखित कतिपय कार्यों/मदों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन,तकनीकी स्वीकृति,वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी०,मस्टररोल ,टैंडर पत्रावली,कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि)एवं उनपर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वैध बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे ।टैंडर पत्रावली/जी० एस० टी० रजिस्ट्रेशन अप्राप्त रहने से यह अज्ञात रहा कि फर्म सम्बंधित कार्य करने में सक्षम है कि नहीं एवं अपना जी० एस० टी० समय से जमा कर रहा है कि नहीं।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निम्न कार्यों पर निम्नानुसार भुगतान किया गया है

क्र.सं.	कार्य का नाम	दिनांक	मद/फर्म का नाम	धनराशि (रू०)
1-	दिव्यांग शौचालय निर्माण(प्रा० वि० मसोढ़ा-प्रथम)	23/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 30/03/2021	बिल्डिंग मैटे०/पब्लिक बिल्डिंग मैटे० बिल्डिंग मैटे०/पब्लिक बिल्डिंग मैटे० बिल्डिंग मैटे०/पब्लिक बिल्डिंग मैटे० बिल्डिंग मैटे०/पब्लिक बिल्डिंग मैटे० सामग्री(नाम नहीं)/आशुतोष ट्रेडर्स कुल योग	23998.00 24139.00 24287.00 24223.00 19324.00 115971.00
2-	दिव्यांग शौचालय निर्माण(प्रा० वि० मसोढ़ा-द्वितीय)	23/03/2021 23/03/2021 30/03/2021	ईट/सुदामा ब्रिक फील्ड ईट/सुदामा ब्रिक फील्ड सामग्री(नाम नहीं)/आशुतोष ट्रेडर्स कुल योग	21577.00 21577.00 19129.00 62283.00
3-	दिव्यांग शौचालय निर्माण(जू० वि० मसोढ़ा)	30/03/2021	सामग्री(नाम नहीं)/आशुतोष ट्रेडर्स कुल योग	19129.00 19129.00
4-	दिव्यांग शौचालय निर्माण(स्थान का कैशबुक में अंकन नहीं)	23/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 23/03/2021	ईट/सुदामा ब्रिक फील्ड ईट/सुदामा ब्रिक फील्ड ईट/सुदामा ब्रिक फील्ड बिल्डिंग मैटे०/पब्लिक बिल्डिंग मैटे० कुल योग	21577.00 21577.00 21577.00 24223.00 88954.00
5-	दिव्यांग शौचालय निर्माण(प्रा० वि० हिजुर, मसोढ़ा)	30/03/2021	सामग्री(नाम नहीं)/आशुतोष ट्रेडर्स कुल योग	19129.00 19129.00
6-	दिव्यांग शौचालय निर्माण(प्रा० वि० दुल्हूपुर)	30/03/2021	सामग्री(नाम नहीं)/आशुतोष ट्रेडर्स कुल योग	19129.00 19129.00
			महायोग	324595.00

इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बंधित कार्य पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक/बाउचर प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये व्यय अप्रमाणित रहे। लेखापरीक्षा में सम्बंधित कार्य पत्रावलियां (प्राक्कलन,तकनीकी स्वीकृति,वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी०,कोटेशन, कार्यपूति प्रमाणपत्र ,स्टाक रजिस्टर आदि)अप्राप्त रहने से उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम -156 एवं 157(ख) के विपरीत है । पुनः उक्त सभी छवो कार्य में मजदूरी पर व्यय नहीं दर्शित है ,अतः वास्तव में कार्य किये बिना ही सामग्री के नाम पर धन का अहरण करके वित्तीय अपहरण किया गया है ।कार्य सं०-1 बिना ईटा के ,कार्य सं०-3,5,एवं 6 बिना ईटा एवं बिल्डिंग मैटेरिअल के कैसे किया गया ?अतः इन कार्यों पर किया गया अहरण फर्जी एवं मनमाना है जो वित्तीय अपहरण

है। पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 (क) एवं(ख) के अनुसार “यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वैध बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली प्रशासक एवं सेक्रेटरी,ग्राम पंचायत से की जाएगी।”इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रू०- 324595.00 वित्तीय अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है जिसके लिए प्रशासक एवं सेक्रेटरी उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रू०-324595.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू० -162298.00 प्रशासक श्री शैलेन्द्र सिंह(ए0डी0ओ0 आई0एस0बी0) से तथा रू०-162298.00 सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री प्रदीप तिवारी से)अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-36

ग्राम पंचायत - मसोढ़ा

विकास क्षेत्र - भियांव

जनपद - अम्बेडकरनगर

3-पंचायत राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है -“ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी,ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षा दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।”परन्तु लेखा परीक्षा में निम्नलिखित कतिपय कार्यों/मदों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन,तकनीकी स्वीकृति,वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी०,मस्टररोल,टैंडर पत्रावली,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उनपर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वैध बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। टैंडर पत्रावली/जी० एस० टी० रजिस्ट्रेशन अप्राप्त रहने से यह अज्ञात रहा कि फर्म सम्बन्धित कार्य करने में सक्षम है कि नहीं एवं अपना जी0 एस0टी0 समय से जमा कर रहा है कि नहीं।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निम्न कार्यों पर निम्नानुसार भुगतान किया गया है -

क्र.सं.	कार्य का नाम	दिनांक	मद/फर्म का नाम	धनराशि (रू०)
1-	हैण्डपम्प मरम्मत	12/11/2020 08/12/2020	आशुतोष ट्रेडर्स आशुतोष ट्रेडर्स कुल योग	15638.00 19870.00 35508.00
2-	हैण्डपम्प रिबोर(स्थान अज्ञात)	27/07/2020 29/10/2020	आशुतोष ट्रेडर्स निखिल ट्रेडर्स	29300.00 30281.00
	हैण्डपम्प रिबोर(स्थान अज्ञात)	07/11/2020 10/11/2020	गोयल पाइप एंड फिटिंग	30281.00 30281.00
	हैण्डपम्प रिबोर(अनिल सिंह के घर)	10/11/2020 12/11/2020	ओम प्रकाश सिंह ओम प्रकाश सिंह	30281.0 30564.00
	हैण्डपम्प रिबोर(स्थान अज्ञात)	08/12/2020 11/12/2020	आशुतोष ट्रेडर्स निखिल ट्रेडर्स	30330.00 30864.00
	हैण्डपम्प रिबोर(स्थान अज्ञात)	11/12/2020 11/12/2020	आशुतोष ट्रेडर्स शुभम सेनेटरी एंड	30281.00 30281.00
	हैण्डपम्प रिबोर(प्रदीप तिवारी के घर)		पेंट हाँउस शुभम सेनेटरी एंड	302747.00
	हैण्डपम्प रिबोर(लालबहादुर के घर)		पेंट हाँउस कुल योग	
	हैण्डपम्प रिबोर(मुन्नार के घर)			
	हैण्डपम्प रिबोर(प्रा०वि० दुलहपुर)			

	हैण्डपम्प रिबोर(इन्द्रजीत के घर)			
3-	सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव	10/06/2020	बिनायक ट्रेडिंग कंपनी कुल योग	68440.00 68440.00
4-	डेस्क-बैच (प्रा० वि० एवं उ० प्रा० वि०)	16/07/2020 16/07/2020 16/07/2020 16/07/2020	आशुतोष ट्रेडर्स आशुतोष ट्रेडर्स आशुतोष ट्रेडर्स आशुतोष ट्रेडर्स कुल योग	75500.00 75500.00 91800.00 108000.00 350800.00
5-	स्टेशनरी/प्रशासनिक व्यय	13/11/2020	गोयल स्टेशनरी कुल योग	24990.00 24990.00
			महायोग	782485.00

इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बंधित कार्य पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक/बाउचर प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये व्यय अप्रमाणित रहे। लेखापरीक्षा में सम्बंधित कार्य पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी०, टेंडर/कोटेशन पत्रावली, कार्यपूति प्रमाणपत्र, स्टाक रजिस्टर आदि) अप्राप्त रहने से उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम -156 एवं 157(ख) के विपरीत है। पुनः हैण्डपम्प रिबोर के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा में जल निगम की प्रतीक्षा सुची, जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति का पर्यवेक्षण व निरीक्षण पत्रावली, जल प्रबंधन समिति की संस्तुति, परिसंपत्ति रजिस्टर एवं अप्रयुक्त पुरानी सामग्री का डेड स्टाक रजिस्टर एवं उसकी नीलामी की कार्यवाही आदि अप्रस्तुत रही। पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 (क) एवं (ख) के अनुसार “यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वैध बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी, ग्राम पंचायतसे की जाएगी।” इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु०- 782485.00 वित्तीय अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु०-782485.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु० -391243.00 ग्राम प्रधान श्री छोटेलाल से तथा रु०-391243.00 सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री प्रदीप तिवारी से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-37

ग्राम पंचायत - पैकौली

विकास क्षेत्र - भियांव

जनपद - अम्बेडकरनगर

1-पंचायत राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है -“ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षा दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।” परन्तु लेखा परीक्षा में निम्नलिखित कतिपय कार्यों/मदों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी०, मस्टररोल, टेंडर पत्रावली, कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि) एवं उनपर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वैध बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। टेंडर पत्रावली/जी० एस० टी० रजिस्ट्रेशन अप्राप्त रहने से यह अज्ञात रहा कि फर्म सम्बंधित कार्य करने में सक्षम है कि नहीं एवं अपना जी० एस० टी० समय से जमा कर रहा है कि नहीं। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा

क्र.सं.	कार्य का नाम	दिनांक	मद/फर्म का नाम	धनराशि (रु०)
.				

1-	डेस्क-बेंच क्रय(प्रावि०पैकोली)	27/07/2020	आशुतोष ट्रेडर्स	225000.00
2-	अज्ञात मद(कैशबुक में कार्य का अंकन नहीं)	27/07/2020	आशुतोष ट्रेडर्स	24000.00
			कुल योग	249000.00

इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बंधित कार्य पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक/बाउचर प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये व्यय अप्रमाणित रहे। लेखापरीक्षा में सम्बंधित कार्य पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी०, आदि) अप्राप्त रहने से उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम -156 एवं 157(ख) के विपरीत है। चूंकि एक लाख से ऊपर की सामग्री टेंडर से क्रय की जाती है, ग्राम पंचायत द्वारा डेस्क-बेंच बिना टेंडर की प्रक्रिया पालन किये ही मनमाने ढंग से क्रय करके वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया है। पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 (क) एवं(ख) के अनुसार “यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वैध बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत से की जाएगी।” इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु०- 249000.00 वित्तीय अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु०-249000.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु० - 124500.00 ग्राम प्रधान श्रीमती रीता देवी से तथा रु०-124500.00 सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री प्रदीप तिवारी से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-38

ग्राम पंचायत - पैकोली

विकास क्षेत्र - भियांव

जनपद - अम्बेडकरनगर

2-उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-पांच वर्ग एक पैरा-27अ एवं 30 प्र० पंचा० राज नियमावली के नियम-199 के अनुसार एक कैशबुक(रूपपत्र-6) बनायीं जाएगी जिसमें वर्ष में प्राप्त एवं व्यय समस्त धनराशि का विवरण अंकित किया जायेगा।

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 19/02/2021 से 31/03/2021 तक राज्य वित्त आयोग एवं 16/02/2021 से 31/03/2021 तक केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आय -व्यय का विवरण कैशबुक में अंकित नहीं किया गया है जबकि इस अवधि में दोनों खातों से निम्नानुसार धनराशि का आहरण किया गया है -

1-केंद्रीय वित्त आयोग से - रु० -32000.00(20/03/2021)

2-राज्य वित्त आयोग से - रु० -96787.00 (रु० 32000.00(20/03/2021), रु०24062.00(23/03/2021), रु०21596.00(23/03/2021) एवं रु० 19129.00(31/03/2021)

कुल योग- रु०-128787.00

इस पर निम्न आपत्तियां हैं -

1-कैशबुक में कोई कार्य न लिखा होने से स्पष्ट है की धन का मनमाने ढंग से आहरण करके वित्तीय अपहरण किया गया है।

2-इस व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी०, मस्टररोल, टेंडर पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उनपर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वैध बाउचर/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे।

इस प्रकार उक्त आहरण से सम्बंधित कार्य पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक/बाउचर प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये व्यय अप्रमाणित रहे। लेखापरीक्षा में सम्बंधित कार्य पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी०, आदि) अप्राप्त रहने से उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम -156 एवं 157(ख) के विपरीत है। पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 (क) एवं(ख) के अनुसार “यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वैध बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली प्रशासक/प्रधान एवं सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत से की जाएगी

।"इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु०- 128787.00 वित्तीय अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है जिसके लिए प्रशासक एवं सेक्रेटरी उत्तरदायी हैं |अतः उक्त धनराशि रु०-128787.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु० -64394.00 प्रशासक श्री शैलेन्द्र सिंह(ए डी ओ आई एस बी) से तथा रु०-64394.00 सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री प्रदीप तिवारी से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है |

प्रस्तर-39

ग्राम पंचायत - सेहरी

विकास क्षेत्र - भियांव

जनपद - अम्बेडकरनगर

पंचायत राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है -"ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ,ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा किये सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षा दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें |"परन्तु लेखा परीक्षा में निम्नलिखित कतिपय कार्यो/मदों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन,तकनीकी स्वीकृति,वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी०,मस्टररोल ,टैंडर पत्रावली,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि)एवं उनपर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वैध बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे |टैंडर पत्रावली/जी० एस० टी० रजिस्ट्रेशन अप्राप्त रहने से यह अज्ञात रहा कि फर्म सम्बंधित कार्य करने में सक्षम है कि नहीं एवं अपना जी० एस०टी० समय से जमा कर रहा है कि नहीं|लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा को निम्न कार्यो पर निम्नानुसार भुगतान किया गया है -

क्र.सं	कार्य का नाम	दिनांक	मद/फर्म का नाम	धनराशि
1-	1-हैण्डपम्प रिबोर(राजबहादुर के घर)	05/11/2020	आशुतोष ट्रेडर्स	30281.00
		05/11/2020	आशुतोष ट्रेडर्स	30281.00
	2-हैण्डपम्प रिबोर(राजबहादुर के घर)	12/11/2020	आशुतोष ट्रेडर्स	30564.00
		30/12/2020	ओम प्रकाश सिंह	30281.00
	3-हैण्डपम्प रिबोर(हीरालाल के घर)		कुल योग	121407.00
	4-हैण्डपम्प रिबोर(स्थान अज्ञात)			
2-	हयूमपाईप क्रय(स्थापना का स्थान अज्ञात)	28/05/2020	आशुतोष ट्रेडर्स	65000.00
		30/11/2020	आशुतोष ट्रेडर्स	67200.00
			कुल योग	132200.00
3-	डेस्क-बेंच क्रय(आपूर्ति स्थान अज्ञात)	03/10/2020	आशुतोष ट्रेडर्स	135000.00
			कुल योग	135000.00
			महायोग	388607.00

इस प्रकार उक्त कार्यो से सम्बंधित कार्य पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक/बाउचर प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये व्यय अप्रमाणित रहे| लेखापरीक्षा में सम्बंधित कार्य पत्रावलियां (प्राक्कलन,तकनीकी स्वीकृति,वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी०,आदि)अप्राप्त रहने से उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम -156 एवं 157(ख) के विपरीत है | पुनः हैण्डपम्प रिबोर के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा में जल निगम की प्रतीक्षा सुची , जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति का पर्यवेक्षण व निरीक्षण पत्रावली,जल प्रबंधन समिति की संस्तुति ,परिसंपत्ति रजिस्टर एवं अप्रयुक्त पुरानी सामग्री का डेड स्टॉक रजिस्टर एवं उसकी नीलामी की कार्यवाही आदि अप्रस्तुत रही| पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 (क) एवं(ख) के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वैध बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी,ग्राम पंचायत से की जाएगी |"इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु०- 388607.00 वित्तीय अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी उत्तरदायी हैं |अतः उक्त धनराशि रु०-388607.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु० - 194304.00 ग्राम प्रधान श्री लालबहादुर से तथा रु०-194304.00 सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री प्रदीप तिवारी से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है |

प्रस्तर-40**ग्राम पंचायत - जोलहापुर****विकास क्षेत्र - भियांव****जनपद - अम्बेडकरनगर**

वर्ष लेखा परीक्षा में प्रधान का मानदेय मद में कुल रूपया- 91000.00 (18/08/2020को रू०3500.00(जून-2019),15/01/2021को रू०-10500.00(अवधि अज्ञात),26/02/2021को रू०-38500.00(जून 2019 से अप्रैल 2020 तक),06/03/2021को रू०-38500.00(मई 2020 से मार्च 2021 तक) व्यय किया गया है। इस पर निम्न आपत्तियां हैं -

1-कैशबुक के अनुसार दिनांक 18/08/2020 एवं15/01/2021 को जून 2019 से अज्ञात अवधि के लिए कुल रू० 14000.00(लेखा परीक्षा गणना के अनुसार जून 2019 से सितम्बर 2019 तक) प्रधान को मानदेय दिया गया | पुनः दिनांक 26/02/2021 को रू०-38500.00 (जून 2019 से अप्रैल 2020 तक) मानदेय दिया गया | इस प्रकार जून 2019 से सितम्बर 2019 तक का कुल मानदेय रू० -14000.00 दोबारा दे दिया गया |

2-दिनांक 06/03/2021को रू०-38500.00 मानदेय मई 2020 से मार्च 2021 तक की अवधि के लिए दिया गया है जबकि प्रधानों का कार्यकाल 25 दिसम्बर 2020 को ही समाप्त हो गया था |इस प्रकार 26 दिसम्बर से मार्च 2021 तक का कुल रू०-11178.00 मानदेय अधिक दे दिया गया है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा कुल रू०-25178.00 अधिक मानदेय दे दिया गया है जो वित्तीय अपहरण है |इसकी समान रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती सवित्री देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री शिव प्रकाश मिश्रा से वसूली करके ग्राम निधि खाते में जमा कराया जाना चाहिए |

प्रस्तर-41**ग्राम पंचायत - मिर्जापुर****विकास क्षेत्र - भियांव****जनपद - अम्बेडकरनगर**

पंचायत राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षा दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये स्वीकृति,वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी०,मस्टररोल ,टेंडर पत्रावली,कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि)एवं उनपर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वैध बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे |टेंडर पत्रावली/जी० एस० टी० रजिस्ट्रेशन अप्राप्त रहने से यह अज्ञात रहा कि फर्म सम्बंधित कार्य करने में सक्षम है कि नहीं एवं अपना जी० एस०टी० समय से जमा कर रहा है कि नहीं|लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निम्न कार्यों पर निम्नानुसार भुगतान किया गया है -

क्र.सं.	कार्य का नाम	दिनांक	मद/फर्म का नाम	धनराशि(रू०)
1-	अज्ञात(कैशबुक में नहीं अंकित)	11/05/2020 11/05/2020 19/05/2020	मजदूरी ईंट क्रय(श्री उमा माताजी ईंट उद्योग) मजदूरी कुल योग	15288.00 42493.00 7644.00 65425.00
2-	अज्ञात(कैशबुक में नहीं अंकित)	19/06/2020 22/06/2020	अज्ञात(आनन्द ट्रेडर्स) अज्ञात(जय हनुमान ट्रेडर्स) कुल योग	20343.00 154086.00 174429.00
3-	अज्ञात(कैशबुक में नहीं अंकित)	21/07/2020 21/07/2020	अज्ञात(जय हनुमान ट्रेडर्स)	31000.00 30000.00 61000.00

			अज्ञात(जय हनुमान ट्रेडर्स) कुल योग	
4-	अज्ञात(कैशबुक में नहीं अंकित)	21/09/2020	ईंट क्रय (श्री उमा माताजी	52000.00
		21/09/2020	ईंट उद्योग)	21261.00
		21/09/2020	मजदूरी	17083.00
		21/09/2020	सेनेटरी (आशुतोष ट्रेडर्स)	5628.00
			मजदूरी	95972.00
			कुल योग	
			महायोग	396826.00

इस प्रकार उक्त अज्ञात(कैशबुक में नहीं अंकित) कार्यों से सम्बंधित कार्य पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक/बाउचर प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये व्यय अप्रमाणित रहे। लेखापरीक्षा में सम्बंधित कार्य पत्रावलियां (प्राक्कलन,तकनीकी स्वीकृति,वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी०,आदि)अप्राप्त रहने से उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम -156 एवं 157(ख) के विपरीत है। पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 (क) एवं(ख) के अनुसार “यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वैध बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी,ग्राम योग्य है जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रू०-396826.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू० -198413.00 ग्राम प्रधान श्री इन्द्रसेन से तथा रू०-198413.00 सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री प्रदीप तिवारी से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-42

ग्राम पंचायत - मिर्जापुर

विकास क्षेत्र - भियांव

जनपद - अम्बेडकरनगर

2-पंचायत राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षा दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें स्वीकृति,वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी०,मस्टररोल ,टैंडर पत्रावली,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि)एवं उनपर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वैध बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। टैंडर पत्रावली/जी० एस० टी० रजिस्ट्रेशन अप्राप्त रहने से यह अज्ञात रहा कि फर्म सम्बंधित कार्य करने में सक्षम है कि नहीं एवं अपना जी० एस० टी० समय से जमा कर रहा है कि नहीं।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निम्न कार्यों पर निम्नानुसार भुगतान किया गया है -

क्र.सं.	कार्य का नाम	दिनांक	मद/फर्म का नाम	धनराशि(रू०)
1-	हैण्डपम्प रिबोर(स्थान अज्ञात)	15/10/2020	आशुतोष ट्रेडर्स	30281.00
2-	हवाइट बोर्ड क्रय(स्थान अज्ञात)	15/10/2020	आशुतोष ट्रेडर्स	21000.00
3-	डेस्क-बेंच क्रय(स्थान अज्ञात)	15/10/2020	आशुतोष ट्रेडर्स	108000.00
4-	आंगनबाड़ी कार्य हेतु	15/10/2020	आशुतोष ट्रेडर्स	198000.00
			कुल योग	357281.000

इस प्रकार उक्त कार्यो से सम्बंधित कार्य पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक/बाउचर प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये व्यय अप्रमाणित रहे। लेखापरीक्षा में सम्बंधित कार्य पत्रावलियां (प्राक्कलन,तकनीकी स्वीकृति,वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी०,टेंडर पत्रावली,आदि)अप्राप्त रहने से उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम -156 एवं 157(ख) के विपरीत है । पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 (क) एवं(ख) के अनुसार “यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वैध बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी,ग्राम पंचायतसे की लिए ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी उत्तरदायी हैं |अतः उक्त धनराशि रू०-357281.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू० -178641.00 ग्राम प्रधान श्री इन्द्रसेन से तथा रू०-178641.00 सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री प्रदीप तिवारी से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-43

ग्राम पंचायत - मिर्जापुर

विकास क्षेत्र - भियांव

जनपद - अम्बेडकरनगर

उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-पांच वर्ग एक पैरा-27अ एवं उ० प्र० पंचा० राज नियमावली के नियम-199 के अनुसार एक कैशबुक(रूपपत्र-6) बनयीं जाएगी जिसमें वर्ष में प्राप्त एवं व्यय समस्त धनराशि का विवरण अंकित किया जायेगा ।

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त आयोग खाते से आहरित निम्न धनराशि का अंकन कैशबुक में नहीं किया गया है -

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि
1-	17/04/2020	10500.00
2-	11/05/2020	2548.00
3-	10/06/2020	99710.00
	कुल योग	112758.00

इस पर निम्न आपत्तियां हैं -

1-कैशबुक में कोई कार्य न लिखा होने से स्पष्ट है की धन का मनमाने ढंग से आहरण करके वित्तीय अपहरण किया गया है ।

2-इस व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन,तकनीकी स्वीकृति,वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी०,मस्टररोल ,टेंडर पत्रावली,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि)एवं उनपर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वैध बाउचर/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे ।

इस प्रकार उक्त आहरण से सम्बंधित कार्य पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक/बाउचर प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये व्यय अप्रमाणित रहे। लेखापरीक्षा में सम्बंधित कार्य पत्रावलियां (प्राक्कलन,तकनीकी स्वीकृति,वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी०,आदि)अप्राप्त रहने से उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम -156 एवं 157(ख) के विपरीत है । पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 (क) एवं(ख) के अनुसार “यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वैध बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रू०- 112758.00 वित्तीय अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी उत्तरदायी हैं |अतः उक्त धनराशि रू०-112758.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू० -56379.00 ग्राम प्रधान श्री इन्द्रसेन से तथा रू०-56379.00 सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री प्रदीप तिवारी से)अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-44

ग्राम पंचायत - नोनहर

विकास क्षेत्र - भियांव

जनपद - अम्बेडकरनगर

पंचायत राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षा दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी०, मस्टररोल, टेंडर पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उनपर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वैध बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। टेंडर पत्रावली/जी० एस० टी० रजिस्ट्रेशन अप्राप्त रहने से यह अज्ञात रहा कि फर्म सम्बंधित कार्य करने में सक्षम है कि नहीं एवं अपना जी० एस० टी० समय से जमा कर रहा है कि नहीं। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आशुतोष ट्रेडर्स को निम्न कार्य पर निम्नानुसार भुगतान किया गया है -

क्र.सं .	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
1-	हैण्डपम्प रिबोर (स्थान नहीं)	12/11/2020	31864.00
2-	हैण्डपम्प रिबोर(स्थान नहीं)	12/11/2020	29698.00
	कुल योग		61562.00

इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बंधित कार्य पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक/बाउचर प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये व्यय अप्रमाणित रहे। लेखापरीक्षा में सम्बंधित कार्य पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वितीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी०, आदि) अप्राप्त रहने से उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम -156 एवं 157(ख) के विपरीत है। लेखा परीक्षा में जल निगम की प्रतीक्षा सुची, जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति का पर्यवेक्षण व निरीक्षण पत्रावली, जल प्रबंधन समिति की संस्तुति, परिसंपत्ति रजिस्टर एवं अप्रयुक्त पुरानी सामग्री का डेड स्टॉक रजिस्टर एवं उसकी नीलामी की कार्यवाही आदि अप्रस्तुत रही। पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 (क) एवं (ख) के अनुसार “यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वैध बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम है तथा अधिभार के योग्य है जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि ₹०-61562.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (₹० -30781.00 ग्राम प्रधान श्री विनोद यादव से तथा ₹०-30781.00 सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री प्रदीप तिवारी से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-45

ग्राम पंचायत - नोनहर

विकास क्षेत्र - भियांव

जनपद - अम्बेडकरनगर

उत्तर प्रदेश सरकार की वितीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-पांच वर्ग एक पैरा-27अ एवं उ० प्र० पंचा० राज नियमावली के नियम-199 के अनुसार एक कैशबुक(रूपपत्र-6) बनायीं जाएगी जिसमें वर्ष में प्राप्त एवं व्यय समस्त धनराशि का विवरण अंकित किया जायेगा।

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 18/02/2021 से 31/03/2021 तक राज्य वित्त आयोग एवं 15/02/2021 से 31/03/2021 तक केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आय -व्यय का विवरण कैशबुक में अंकित नहीं किया गया है जबकि इस अवधि में दोनों खातों से निम्नानुसार धनराशि का आहरण किया गया है -

1-केंद्रीय वित्त आयोग से - ₹० -110903.00

2-राज्य वित्त आयोग से ₹० -27858.00

कुल योग 138761.00

इस पर निम्न आपत्तियां हैं -

1-कैशबुक में कोई कार्य न लिखा होने से स्पष्ट है की धन का मनमाने ढंग से आहरण करके वितीय अपहरण किया गया है।

2-इस व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन,तकनीकी स्वीकृति,वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी०,मस्टररोल ,टैंडर पत्रावली,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि)एवं उनपर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वैध बाउचर/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे ।

इस प्रकार उक्त आहरण से सम्बंधित कार्य पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक/बाउचर प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये व्यय अप्रमाणित रहे। लेखापरीक्षा में सम्बंधित कार्य पत्रावलियां (प्राक्कलन,तकनीकी स्वीकृति,वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी०,आदि)अप्राप्त रहने से उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम -156 एवं 157(ख) के विपरीत है । पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 (क) एवं(ख) के अनुसार “यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वैध बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु०- 138761.00 वित्तीय अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी उत्तरदायी हैं |अतः उक्त धनराशि रु०-138761.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु० -69381.00 ग्राम प्रधान श्री विनोद यादव से तथा रु०-69381.00 सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री प्रदीप तिवारी से)अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-46

ग्राम पंचायत - हैदराबाद

विकास क्षेत्र - जलालपुर

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत हैदराबाद की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर आपत्ति प्रकाश में आयी। ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में निम्न खड़जा निर्माण कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक बार-बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए है।

क्रम	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	10.11.2020	185440.00	राजेन्द्र के बाग से नाटे साव के घर तक ख0 नि0 पर ईट क्रय
2	05.12.2020	55111.00	राजेन्द्र के बाग से नाटे साव के घर तक ख0 नि0 पर ईट क्रय
3	09.10.2020	161415.00	बैचू मौर्य के घर से भवानीभीख के घर तक ख0 नि0 पर ईट क्रय
4	09.10.2020	28140.00	बैचू मौर्य के घर से भवानीभीख के घर तक ख0 नि0 पर एम आर
5	09.10.2020	27939.00	बैचू मौर्य के घर से भवानीभीख के घर तक ख0 नि0 पर एम आर
6	09.10.2020	56259.00	मथुरापुर खड़जा से अवधेश सिंह के घर तक ख0 नि0 पर ईट क्रय
7	09.10.2020	9849.00	मथुरापुर खड़जा से अवधेश सिंह के घर तक ख0 नि0 पर एम आर
8	09.10.2020	9648.00	मथुरापुर खड़जा से अवधेश सिंह के घर तक ख0 नि0 पर एम आर
योग		533801.00	

ग्राम पंचायत के द्वारा उक्त व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, बिल / बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र,कार्य पत्रावली, स्टॉक पंजिका आदि अभिलेख नहीं प्रस्तुत किए गए है। कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ भी नहीं है। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चौदहवें वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण किया गया है. इस दशा में दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति / फर्म को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी जोकि पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि रु0 533801.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री अशोक यादव व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राजित राम यादव से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-47

ग्राम पंचायत - जलालपुर देहात
अम्बेडकरनगर

विकास क्षेत्र - जलालपुर

जनपद -

ग्राम पंचायत जलालपुर देहात की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट व प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। वास्तव में ग्राम पंचायत द्वारा चौदहवें वित्त से व्यय धनराशि रुपये 1179267.00 के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण व्यय धनराशि रुपये 1179267.00 के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, कैशबुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, बैंक समाधान विवरण, टेन्डर /कोटेशन, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल संपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है। तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चौदहवें वित्त योग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस दशा में किए गए व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 09 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा”, उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 1179267.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी धनराशि ग्राम प्रधान श्रीमती गुलनाज खातून से रुपया 589633.50 एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री देवेन्द्र मिश्र से रुपया 589633.50 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-48

ग्राम पंचायत - जीवत

विकास क्षेत्र - जलालपुर

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत जीवत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर आपत्ति प्रकाश में आयी। ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में औघड़ बाबा के स्थान पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य कराया जाना दर्शाया गया है किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक बार-बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए हैं।

क्रम	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	27.10.2020	145794.00	मैटीरियल पर शिव दर्शन बिल्डिंग मैटीरियल को
2	29.10.2020	75676.00	ईंट क्रय पर भारत ब्रिक फील्ड को
3	21.12.2020	28092.00	मजदूरी
योग		249562.00	

ग्राम पंचायत के द्वारा उक्त व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, बिल / बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, कार्य पत्रावली, स्टॉक पंजिका आदि अभिलेख नहीं प्रस्तुत किए गए हैं। कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ भी नहीं है। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चौदहवें वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण किया गया है।

सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति / फर्म को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी जॉकि पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि रु0 249562.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती पंकज देवी व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप कुमार दुबे से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-49

ग्राम पंचायत - जीवत

विकास क्षेत्र - जलालपुर

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत जीवत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर आपत्ति प्रकाश में आयी। ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष की कोषबही में विभिन्न कार्यों पर व्यय दर्शाया गया है किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक बार-बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए हैं।

क्रम	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	30.03.2021	130636.00	रघुनाथ यादव के घर से राम दुलार वर्मा के घर तक नाली निर्माण विजय कॉन्स्ट्रक्शन
2	30.03.2021	108158.00	जोखन के घर से बट्टी के घर तक खड़जा निर्माण भारत ब्रिक फील्ड
3	30.03.2021	170300.00	रघुनाथ यादव के घर से राम दुलार वर्मा के घर तक खड़जा निर्माण भारत ब्रिक फील्ड
4	31.03.2021	184161.00	वंशराज के चक से फूलचंद के चक तक खड़जा निर्माण ईट पर उग्रसेन कॉन्स्ट्रक्शन
5	31.03.2021	104748.00	अजीत के चक से बिदेशी के घर तक खड़जा निर्माण ईट पर उग्रसेन कॉन्स्ट्रक्शन
योग		698003.00	

ग्राम पंचायत के द्वारा उक्त व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, बिल / बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, कार्य पत्रावली, स्टॉक पंजिका आदि अभिलेख नहीं प्रस्तुत किए गए हैं। कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ भी नहीं है। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और केन्द्रीय वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण किया गया है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति / फर्म को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी जॉकि पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि रु0 698003.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रशासक सुश्री प्रियंका मिश्रा व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप कुमार दुबे से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-50

ग्राम पंचायत - करमिसिरपुर

विकास क्षेत्र - जलालपुर

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत करमिसिरपुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर आपत्ति प्रकाश में आयी। ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में उत्तरी खड़जा से राजेन्द्र पाल के घर तक खड़जा निर्माण कराया गया है किन्तु ग्राम

पंचायत द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक बार-बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए हैं।

क्रम	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	05.05.2020	34802.00	ईट क्रय पर हरिराम ईट भट्ठा को
2	05.05.2020	10738.00	मजदूरी
योग		45540.00	

ग्राम पंचायत के द्वारा उक्त व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, बिल / बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, कार्य पत्रावली, स्टॉक पंजिका आदि अभिलेख नहीं प्रस्तुत किए गए हैं। कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ भी नहीं है। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चौदहवें वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण किया गया है। इस दशा में दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति / फर्म को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी जोकि पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि रु0 45540.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री दुष्यंत यादव व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री ओंकार नाथ यादव से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-51

ग्राम पंचायत - करमिसिरपुर

विकास क्षेत्र - जलालपुर

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत करमिसिरपुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर आपत्ति प्रकाश में आयी। ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष की कोषबही में कोरोना वायरस पर व्यय दर्शाया गया है किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक बार-बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए हैं।

क्रम	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	05.05.2020	18500.00	कोरोना वायरस पर व्यय
योग		18500.00	

ग्राम पंचायत के द्वारा उक्त व्यय धनराशि के सम्बन्ध में बिल / बाउचर, कार्य पत्रावली, स्टॉक पंजिका आदि अभिलेख नहीं प्रस्तुत किए गए । उक्त व्यय के संबंध में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि व्यय प्रवासियों के रहने-खाने, खाद्य सामग्री, चिकित्सा अथवा चिकित्सकीय सामग्री की खरीद पर किया गया है। e-gramswaraj पर उक्त भुगतान विजय कॉन्स्ट्रक्शन को किया गया दर्शित है। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चौदहवें वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण किया गया है। इस दशा में दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति / फर्म को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी जोकि पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि रु0 18500.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी

वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री दुष्यंत यादव व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री ओंकार नाथ यादव से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-52

ग्राम पंचायत - करमिसिरपुर

विकास क्षेत्र - जलालपुर

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में प्रा0 पा0 करमिसिरपुर में अवशेष टाइल्स का भुगतान दर्शाया गया है किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक बार-बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। गत वर्ष में भी इसी कार्य पर 10.03.2020 को ₹0 182287.00 का भुगतान किया गया था।

क्रम	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	09.04.2020	167375.00	प्रा0 पा0 करमिसिरपुर में अवशेष टाइल्स का भुगतान
योग		167375.00	

ग्राम पंचायत के द्वारा उक्त व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, बिल / बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, कार्य पत्रावली, स्टॉक पंजिका आदि अभिलेख नहीं प्रस्तुत किए गए हैं। कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ भी नहीं है। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चौदहवे वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण किया गया है। इस दशा में दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति / फर्म को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी जोकि पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि ₹0 167375.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री दुष्यंत यादव व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री ओंकार नाथ यादव से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-53

ग्राम पंचायत - नगपुर

विकास क्षेत्र - जलालपुर

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत नगपुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में चतुर्थ राज्य वित्त से ₹0 1185957.00 व्यय दर्शाया गया है किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक बार-बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। ग्राम पंचायत के द्वारा उक्त व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, बिल / बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, कार्य पत्रावली, स्टॉक पंजिका आदि अभिलेख नहीं प्रस्तुत किए गए हैं। कार्य के त्रिस्तरीय फोटोग्राफ भी नहीं है। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चौदहवे वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण किया गया है। इस दशा में दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति / फर्म को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी जोकि पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि ₹0 1185957.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती दुखतरी बानो /

प्रशासक- सुश्री प्रियंका मिश्रा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री दुर्गा प्रसाद पाण्डेय से कालक्रमानुसार किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-54

ग्राम पंचायत - नगपुर

विकास क्षेत्र - जलालपुर

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत नगपुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पंचम राज्य वित्त से ₹0 497758.00 व्यय दर्शाया गया है किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक बार-बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। ग्राम पंचायत के द्वारा उक्त व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, बिल / बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, कार्य पत्रावली, स्टॉक पंजिका आदि अभिलेख नहीं प्रस्तुत किए गए हैं। कार्य के त्रिस्तरीय फोटोग्राफ भी नहीं है। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चौदहवें वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण किया गया है। इस दशा में दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति / फर्म को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी जोकि पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि ₹0 497758.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती दुखतरी बानो / प्रशासक- सुश्री प्रियंका मिश्रा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री दुर्गा प्रसाद पाण्डेय से कालक्रमानुसार किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-55

ग्राम पंचायत - नगपुर

विकास क्षेत्र - जलालपुर

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत नगपुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में चौदहवें वित्त से ₹0 1990838.00 व्यय दर्शाया गया है किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक बार-बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। ग्राम पंचायत के द्वारा उक्त व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, बिल / बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, कार्य पत्रावली, स्टॉक पंजिका आदि अभिलेख नहीं प्रस्तुत किए गए हैं। कार्य के त्रिस्तरीय फोटोग्राफ भी नहीं है। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चौदहवें वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण किया गया है। इस दशा में दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति / फर्म को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी जोकि पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि ₹0 1990838.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन

व्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती दुखतरी बानो / प्रशासक- सुश्री प्रियंका मिश्रा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री दुर्गा प्रसाद पाण्डेय से कालक्रमानुसार किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-56

ग्राम पंचायत - नगपुर

विकास क्षेत्र - जलालपुर

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत नगपुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में 15 वें वित्त से ₹0 4212545.00 व्यय दर्शाया गया है किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक बार-बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। ग्राम पंचायत के द्वारा उक्त व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, बिल / बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, कार्य पत्रावली, स्टॉक पंजिका आदि अभिलेख नहीं प्रस्तुत किए गए हैं। कार्य के त्रिस्तरीय फोटोग्राफ भी नहीं है। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चौदहवें वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण किया गया है। इस दशा में दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकती। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति / फर्म को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकती जोकि पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि ₹0 4212545.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती दुखतरी बानो / प्रशासक- सुश्री प्रियंका मिश्रा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री दुर्गा प्रसाद पाण्डेय से कालक्रमानुसार किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-57

ग्राम पंचायत - कोठीभार

विकास क्षेत्र - जलालपुर

जनपद - अम्बेडकरनगर

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्सियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल ₹0 2292000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक / पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्ष०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय ₹. 2292000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकती। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में ₹.. 2292000.00 की वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश वर्मा एवं ग्राम प्रधान श्री नन्द लाल से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-58

ग्राम पंचायत - मालीपुर

विकास क्षेत्र - जलालपुर

जनपद -

अम्बेडकरनगर

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्सियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल ₹० 963000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक / पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्ष०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय ₹.963000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकती।

मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 963000.00 की वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री उदय राज एवं ग्राम प्रधान श्री सुभाष यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-59

ग्राम पंचायत - पटोहा गानेपुर

विकास क्षेत्र - जलालपुर

जनपद -

अम्बेडकरनगर

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्सियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु0 2529000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक / पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 2529000.00की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 2529000.00 की वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री प्रवीण कुमार वर्मा एवं ग्राम प्रधान श्री दीप किरन कान्त से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-60

ग्राम पंचायत - रामपुर दूबे

विकास क्षेत्र - जलालपुर

जनपद -

अम्बेडकरनगर

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्सियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु0 436000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक / पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 436000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 436000.00 की वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री उदय राज एवं ग्राम प्रधान श्रीमती भीला देवी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-61

ग्राम पंचायत - सुल्तानपुर गोइथा

विकास क्षेत्र - जलालपुर

जनपद -

अम्बेडकरनगर

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्सियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु० 876000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक / पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प० ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 876000.00 की पुष्टि नहीं की

जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 876000.00 की वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश एवं ग्राम प्रधान श्री राम नयन से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर-62

ग्राम पंचायत - ताहापुर

विकास क्षेत्र - जलालपुर

जनपद - अम्बेडकरनगर

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु0 208000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक / पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 208000.00की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 208000.00 की वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्रीमती मिथिलेश यादव एवं ग्राम प्रधान श्री दयाराम वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-63

ग्राम पंचायत - टिकरी

विकास क्षेत्र - जलालपुर

जनपद - अम्बेडकरनगर

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु० 1604000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक / पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 1604000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 1604000.00 की वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश वर्मा एवं ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-64

ग्राम पंचायत - दरियापुर

विकास क्षेत्र - जलालपुर

जनपद -

अम्बेडकरनगर

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु0 1506000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक / पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 1506000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 1506000.00 की वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार यादव एवं ग्राम प्रधान श्री ओम प्रकाश से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-65

अम्बेडकरनगर

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्सियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु० 1185000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक / पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101 (43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 1185000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 1185000.00 की वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार यादव एवं ग्राम प्रधान श्री शिव पूजन से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-66

ग्राम पंचायत - धवरुआ

विकास क्षेत्र - जलालपुर

जनपद - अम्बेडकरनगर

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्सियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु० 992000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक / पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 992000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 992000.00 की वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद पाण्डेय एवं ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-67

ग्राम पंचायत - बीबीपुर भुसौली

विकास क्षेत्र - जलालपुर

जनपद -

अम्बेडकरनगर

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्सियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु० 1731000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक / पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 1731000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 1731000.00 की वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-68

ग्राम पंचायत - महेशपुर नेमपुर

विकास क्षेत्र - जलालपुर

जनपद -

अम्बेडकरनगर

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्सियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु० 1109000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक / पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम

विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 1109000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमा, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 1109000.00 की वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार यादव एवं ग्राम प्रधान श्री विमल कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-69

ग्राम पंचायत - मंसूरपुर

विकास क्षेत्र - जलालपुर

जनपद - अम्बेडकरनगर

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्सियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु० 995000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक / पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 995000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 995000.00 की वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री शशि कपूर एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रीता से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-70

ग्राम पंचायत - रुकुनपुर

विकास क्षेत्र - जलालपुर

जनपद -

अम्बेडकरनगर

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्सियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु० 1157000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक / पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 1157000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमा, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 1157000.00 वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री शशि कपूर एवं ग्राम प्रधान श्रीमती केवला से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-71

ग्राम पंचायत - सैरपुर उमरन

विकास क्षेत्र - जलालपुर

जनपद -

अम्बेडकरनगर

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्सियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु० 556000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक / पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 556000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमा, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण

अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 556000.00 की वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री सुनील कुमार सोनकर एवं ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-72

ग्राम पंचायत - अवधना इस्माइलपुर

विकास क्षेत्र - जलालपुर

जनपद -

अम्बेडकरनगर

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्सियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु0 1429000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक / पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 1429000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 1429000.00 की वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्रीमती रीमा यादव एवं ग्राम प्रधान श्री मो. सलीम से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-73

ग्राम पंचायत - भिसवा चितौना

विकास क्षेत्र - जलालपुर

जनपद -

अम्बेडकरनगर

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्सियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु0 1429000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक / पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 1429000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 1429000.00 की वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्रीमती रीमा यादव एवं ग्राम प्रधान श्री मो. सलीम से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-74

ग्राम पंचायत - हाजीपुर

विकास क्षेत्र - जलालपुर

जनपद -

अम्बेडकरनगर

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्सियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु० 865000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक / पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 865000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 865000.00 की वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्रीमती रीमा यादव एवं ग्राम प्रधान श्री राम सोचन से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-75

अम्बेडकरनगर

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु० 1311000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक / पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 1311000.00की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 1311000.00 की वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्रीमती रीमा यादव एवं ग्राम प्रधान श्री राम आसरे से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-76

ग्राम पंचायत - जगतपुर बिलटई

विकास क्षेत्र - जलालपुर

जनपद -

अम्बेडकरनगर

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु० 368000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक / पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 368000.00की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 368000.00 की वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश वर्मा एवं ग्राम प्रधान श्री धर्मेन्द्र कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-77

ग्राम पंचायत - ज्योतिपुर समैसा

विकास क्षेत्र - जलालपुर

जनपद -

अम्बेडकरनगर

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु० 1306000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक / पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 1306000.00की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 1306000.00की वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री जयप्रकाश वर्मा एवं ग्राम प्रधान श्री अमरजीत से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-78

ग्राम पंचायत - खजुरी करौंदी

विकास क्षेत्र - जलालपुर

जनपद -

अम्बेडकरनगर

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु० 1988000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि

में कोई व्यय प्रमाणक / पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 1988000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 1988000.00 की वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्रीमती रीमा यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रीता से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-79

ग्राम पंचायत - खालिसपुर भटौली

विकास क्षेत्र - जलालपुर

जनपद -

अम्बेडकरनगर

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु0 597000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक / पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु.597000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 597000.00 की वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश वर्मा एवं ग्राम प्रधान श्रीमती बन्दना से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-80

ग्राम पंचायत - भदोई

विकास क्षेत्र - जलालपुर

जनपद - अम्बेडकरनगर

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु० 1836000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक / पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 1836000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 1836000.00 की वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद पाण्डेय एवं ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-81

ग्राम पंचायत - सलाहपुर अकबालपुर

विकास क्षेत्र - जलालपुर

जनपद -

अम्बेडकरनगर

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु० 1565000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक / पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं

संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु. 1565000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 1565000.00 की वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद पाण्डेय ग्राम प्रधान श्री राजेश एवरोजगार सेवक श्री नन्दलाल से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-82

ग्राम पंचायत - बैरागल

विकास क्षेत्र - जलालपुर

जनपद - अम्बेडकरनगर

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु0 2418000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक / पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु.2418000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 2418000.00 की वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री शशि कुमार, ग्राम प्रधान श्री यशवन्त सिंह एव रोजगार सेवक श्रीमती श्याम कुमारी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-83

ग्राम पंचायत - बीबीपुर

विकास क्षेत्र - जलालपुर

जनपद - अम्बेडकरनगर

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु० 1979000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक / पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु.1979000.00की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 1979000.00 की वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री राजेश कुमार सिंह, ग्राम प्रधान श्री जनार्दन सिंह एव रोजगार सेवक श्री नन्दलाल से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-84

ग्राम पंचायत - गुवावा जमालपुर

विकास क्षेत्र - जलालपुर

जनपद -

अम्बेडकरनगर

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु० 1085000.00व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक / पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु.1085000.00की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 1085000.00 की वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री फिरदौस

आलम, ग्राम प्रधान श्री महेन्द्र प्रताप, एव रोजगार सेवक श्री बृजेश यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-85

ग्राम पंचायत - थट्टा

विकास क्षेत्र - जलालपुर

जनपद - अम्बेडकरनगर

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु० 1085000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक / पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंतः उक्त कुल व्यय रु.726000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 726000.00 की वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-86

ग्राम पंचायत - अकथरा नारायनपुर

विकास क्षेत्र - जहांगीरगंज

जनपद -

अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त खाते से निम्न विवरणानुसार विभिन्न मद में भुगतान दर्शित है:-

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि रु०	खाता	मद	व्यय प्रमाणक
.1	16.03.2021	50895.00	केन्द्रीय वित्त आयोग	सामग्री	अनुपलब्ध
.2	16.03.2021	83940.00	केन्द्रीय वित्त आयोग	सामग्री	अनुपलब्ध
.3	16.03.2021	4812.00	केन्द्रीय वित्त आयोग	मजदूरी	अनुपलब्ध
	योग-	139647.00			

उक्त व्यय योग रु०-139647.00 की पुष्टि व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है जो अधिभार योग्य है, व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 139647.00 की वसूली तत्कालीन प्रशासक एवं ग्राम पंचायत सचिव से से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-87

ग्राम पंचायत - अकथरा नारायनपुर

विकास क्षेत्र - जहांगीरगंज

जनपद - अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में विभिन्न तिथियों में निम्न विवरणानुसार विभिन्न मद में भुगतान दर्शित है:-

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	खाता	मद	व्यय प्रमाणक
.1	21.04.2020	4186.00	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	कैशबुक मे व्यय विवरण का अंकन नहीं है।	अनुपलब्ध
.2	29.03.2021	129426.00	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	कैशबुक मे व्यय विवरण का अंकन नहीं है।	अनुपलब्ध

	योग	133612.00		

उक्त व्यय योग रु0-133612.00 की पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है जो अधिभार योग्य है, व्यय पत्रावली / व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 4186.00 की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर हिस्सों में तथा रु० 129426.00 की वसूली तत्कालीन प्रशासक एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-88

ग्राम पंचायत - अकथरा नारायनपुर

विकास क्षेत्र - जहांगीरगंज

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है:-

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	ईग्राम स्वराज के अनुसार -	कैशबुक के अनुसार	व्यय प्रमाणक
1	02.11.2020	15000.00	डैश बोर्ड हेतु भुगतान	प्रधान मानदेय हेतु भुगतान	अनुपलब्ध
	योग	15000.00			

इस प्रकार उक्त व्यय की प्रमाणिकता फर्जी प्रतीत होता है उक्त व्यय रु० 15000.00 की पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका जो कि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है जो अधिभार योग्य है, व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 15000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री देवव्रत एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री कमलेश कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-89

ग्राम पंचायत - ऐनवा

विकास क्षेत्र - जहांगीरगंज

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त से व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक	व्यय विवरण	दिनांक	कुल मटेरियल क्रय	मजदूरी पर व्यय
01	प्रामें टाइल्स वि० ० कार्य	20.03.2021	174137.00	शून्य
02	अज्ञात	03.10.2020	18000.00	शून्य
03	अज्ञात	28.10.2020	66430.00	शून्य
04	अज्ञात	21.12.2020	12670.00	शून्य
	योग		271237.00	शून्य

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों, योग रु० 271237.00 से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान न किया जाना क्रय सामग्री अथवा व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना एवं ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

अन्यथा कि स्थिति में रु० 97100.00 की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से एवं रु० 174137.00 की वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री रवि प्रकाश श्रीवास्तव एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री कमलेश कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-90

ग्राम पंचायत - बैरी बुजुर्ग

विकास क्षेत्र - जहांगीरगंज

जनपद - अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त खाते से निम्न विवरणानुसार विभिन्न मद में भुगतान दर्शित है।

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	खाता	मद	व्यय प्रमाणक
1	16.06.2020	16270.00	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	प्रशासनिक मद	अनुपलब्ध
2	21.10.2020	30949.00	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	डैशबोर्ड क्रय	अनुपलब्ध
3	02.11.2020	30000.00	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	मास्क वितरण	अनुपलब्ध
	योग	77219.00			

उक्त व्यय योग रु० 77219.00 की पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है जो अधिभार योग्य है, व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 19475 के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम-प्रधान श्री रामचंद्र एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विपुल सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-91

ग्राम पंचायत - भरतपुर

विकास क्षेत्र - जहांगीरगंज

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार राज्य वित्त से व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक	व्यय विवरण	दिनांक	कुल मटेरियल क्रय	मजदूरी पर व्यय
01	पंचायत भवन पर व्यय	26.02.2021	231398.00	शून्य
	ग्राम टाइल्स कार्य वि० ०	25.03.2021	220423.00	शून्य
	योग		451821.00	शून्य

1-उक्त विवरण में दर्शित व्यय योग रु० 451821.00 से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान न किया जाना क्रय सामग्री अथवा व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना एवं ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में इसकी वसूली तत्कालीन प्रशासक

श्री रवि कुमार श्रीवास्तव एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जय नारायण यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-92

ग्राम पंचायत - भरतपुर

विकास क्षेत्र - जहांगीरगंज

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार राज्य वित्त से व्यय दर्शित किया गया है:-

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	इ ग्राम स्वराज के - अनुसार	कैशबुक के अनुसार	व्यय प्रमाणक
1.	18.09.2020	34319.00	डैश बोर्ड क्रय	कोरोना किट क्रय	अनुपलब्ध
	योग	34319.00			

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत की कैशबुक के अनुसार दिनांक 18.09.2020 को फुटप्रिंट कारपोरेशन को कोरोना किट क्रय एवं इ- ग्राम स्वराज के अनुसार डैशबोर्ड क्रय हेतु भुगतान दर्शित है इस प्रकार उक्त व्यय की प्रमाणिकता फर्जी प्रतीत होता है उक्त व्यय रु० 34319.00 की पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका जो कि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है जो अधिभार योग्य है, व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती जानकी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जय नारायण यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-93

ग्राम पंचायत - दशवतपुर इटहिया

विकास क्षेत्र - जहांगीरगंज

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत की कोषवही में निम्न विवरण के अनुसार प्रधान मानदेय दर्शित है :-

क्रमांक	दिनांक	अवधि	कुल माह	देय मानदेय	धनराशि	अन्तर/अधिक भुगतान
1	30.07.2020	मार्च 2020 से जून तक 2020	माह 04	14000.00	17500.00	3500.00
2	16.12.2020	जुलाई 2020 से दिसम्बर तक 2020	दिन 25 माह 05	20400.00	21000.00	600.00
		योग	दिन 25 माह 09	34400.00	38500.00	4100.00

उपरोक्त के अनुसार आलोच्य वर्ष में प्रधान मानदेय मद में रु 4100.00 का अधिक भुगतान किया गया है जो कि अनियमित है जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है जो अधिभार योग्य है, व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में रु० 4100.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्री जिलाजीत सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विपुल सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-94

ग्राम पंचायत - दुबौली

विकास क्षेत्र - जहांगीरगंज

जनपद - अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में विभिन्न तिथियों में निम्न विवरणानुसार विभिन्न मद में भुगतान दर्शित है:-

क्र० सं०	दिनांक	धनराशि	खाता	मद	व्यय प्रमाणक
.1	10.06.2020	46761.00	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	कैशबुक में व्यय विवरण का अंकन नहीं है।	अनुपलब्ध
.2	10.06.2020	28574.00	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	कैशबुक में व्यय विवरण का अंकन नहीं है।	अनुपलब्ध
.3	29.03.2021	46270.00	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	कैशबुक में व्यय विवरण का अंकन नहीं है।	अनुपलब्ध
.4	29.03.2021	39320.00	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	कैशबुक में व्यय विवरण का अंकन नहीं है।	अनुपलब्ध
	योग	160925.00			

उक्त व्यय योग **₹ 160925.00** की पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम/) 8 के खण्ड 8 पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्यायक के अन्तर्गत गबन माना (व्यय पत्रावली ,गया है जो अधिभार योग्य है व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ पंचायत 0प्र0 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित 256 के नियम 1947 राज नियमावली है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में **₹ 75335.00** की वसूली ग्राम- प्रधान श्रीमती दुर्बली एवंग्राम पंचायत सचिव श्री जयनारायण यादव से बराबर हिस्सों में तथा **₹ 85590.00** की वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री रवि प्रकाश श्रीवास्तव एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जयनारायण यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-95

ग्राम पंचायत - दुर्गोचितपुर

विकास क्षेत्र - जहांगीरगंज

जनपद - अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में विभिन्न तिथियों में निम्न विवरणानुसार विभिन्न मद में भुगतान दर्शित है।

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	खाता	मद	व्यय प्रमाणक
.1	11.05.2020	132837.00	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	कैशबुक में व्यय विवरण का अंकन नहीं है।	अनुपलब्ध
.2	25.03.2021	9669.00	केन्द्रीय वित्त आयोग	कैशबुक में व्यय विवरण का अंकन नहीं है।	अनुपलब्ध
.3	25.03.2021	62725.00	केन्द्रीय वित्त आयोग	कैशबुक में व्यय विवरण का अंकन नहीं है।	अनुपलब्ध
	योग	205231.00			

उक्त व्यय योग **₹ 205231.00** की पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली व्यय प्रमाणक विहीन/व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय) 8 के खण्ड 8 के अन्तर्गत गबन माना गया है जो (व्यय पत्रावली ,अधिभार योग्य है पंचायत राज व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0/ के अन्तर्गत न 256 के नियम 1947 नियमावली निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में **₹ 132837.00** की वसूली ग्राम- **72394.00** प्रधान श्री रामानुज एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अजय कुमार से बराबर हिस्सों में तथा **₹** की वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री रवि प्रकाश श्रीवास्तव एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अजय कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-96

ग्राम पंचायत - खरुवांव

विकास क्षेत्र - जहांगीरगंज

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की अडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार राज्य वित्त से व्यय दर्शित किया गया है:-

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि रु	ई ग्राम स्वराज के - अनुसार	कैशबुक के अनुसार	व्यय प्रमाणक
1	20.11.2020	5000.00	निविदा शुल्क	स्टेशनरी	अनुपलब्ध
2	15.09.2020	19800.00	प्रशासनिक मद	हैंड पंप मरम्मत	अनुपलब्ध
	योग	24800.00			

इस प्रकार उक्त व्यय की प्रमाणिकता फर्जी प्रतीत होता है उक्त व्यय रु०-24800 की पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका जो कि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है जो अधिभार योग्य है, व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 24800.00 वसूली ग्राम-प्रधान श्री राम एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री कमलेश कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-97

ग्राम पंचायत - खरूवांव

विकास क्षेत्र - जहांगीरगंज

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है:-

क्र०सं	दिनांक	धनराशि	ई ग्राम स्वराज के -अनुसार	कैशबुक के अनुसार	व्यय प्रमाणक
1.	06.11.2020	19880.00	यशोदा इंटर प्राइजेज को भुगतान	माँ वैष्णव ट्रेडर्स को भुगतान	अनुपलब्ध
2.	20.02.2021	87649.00	यशोदा इंटर प्राइजेज को भुगतान	यश राज ट्रेडर्स को भुगतान	अनुपलब्ध
	योग	107529.00			

इस प्रकार उक्त व्यय की प्रमाणिकता फर्जी प्रतीत होता है उक्त व्यय रु० 107529.00 की पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका जो कि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है जो अधिभार योग्य है, व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 19880.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्री राम एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री कमलेश कुमार से बराबर हिस्सों में तथा रु० 87649.00 की वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री रवि प्रकाश श्रीवास्तव एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री कमलेश कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-98

ग्राम पंचायत - खरूवांव

विकास क्षेत्र - जहांगीरगंज

जनपद - अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में विभिन्न तिथियों में निम्न विवरणानुसार विभिन्न मद में भुगतान दर्शित है।

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	मद	व्यय प्रमाणक
1.	20.02.2021	19750.00	कैश बुक में व्यय विवरण अंकित नहीं है।	अनुपलब्ध
2.	26.02.2021	39859.00	कैश बुक में व्यय विवरण अंकित नहीं है।	अनुपलब्ध

3.	26.02.2021	38954.00	कैश बुक में व्यय विवरण अंकित नहीं है।	अनुपलब्ध
4.	26.03.2021	42069.00	कैश बुक में व्यय विवरण अंकित नहीं है।	अनुपलब्ध
	योग-	140632.00		

उक्त व्यय योग रु० 140632.00 की पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में एवं कैश बुक में व्यय विवरण के अंकन के अभाव में नहीं किया जा सका। व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली / व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है जो अधिभार योग्य है, व्यय पत्रावली / व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 140632.00 की वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री रवि प्रकाश श्रीवास्तव एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री कमलेश कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-99

ग्राम पंचायत - कुरांव

विकास क्षेत्र - जहांगीरगंज

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार राज्य वित्त से व्यय दर्शित किया .

-गया है:

क्रमांक	व्यय विवरण	दिनांक	कुल मटेरियल क्रय	मजदूरी पर व्यय
01	कैशबुक में व्यय विवरण का अंकन नहीं है।	18.06.2020	59696.00	शून्य
02	कैशबुक में व्यय विवरण का अंकन नहीं है।	18.06.2020	120615.00	शून्य
03	कैशबुक में व्यय विवरण का अंकन नहीं है।	26.11.2020	111743.00	शून्य
04	कैशबुक में व्यय विवरण का अंकन नहीं है।	16.12.2020	118663.00	शून्य
	योग		410717.00	

1-उक्त विवरण में दर्शित व्यय योग रु० 410717.00 से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान न किया जाना क्रय सामग्री अथवा व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना एवं ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 410717.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जयराम एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री कमलेश कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-100

ग्राम पंचायत - कुरांव

विकास क्षेत्र - जहांगीरगंज

जनपद - अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में विभिन्न तिथियों में निम्न विवरणानुसार विभिन्न मद में भुगतान दर्शित है:-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि	खाता	मद	व्यय प्रमाणक
1	20.02.2021	15473.00	केन्द्रीय वित्त	कैशबुक में व्यय विवरण का अंकन नहीं है।	अनुपलब्ध
2	20.03.2021	155000.00	केन्द्रीय वित्त	कैशबुक में व्यय विवरण का अंकन नहीं है।	अनुपलब्ध
	योग	170473.00			

उक्त व्यय योग रु० 170473.00 की पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है जो अधिभार योग्य है, व्यय पत्रावली / व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में रु- 170473.00 की वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री रवि प्रकाश श्रीवास्तव एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री कमलेश कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-101

ग्राम पंचायत - कुरांव

विकास क्षेत्र - जहांगीरगंज

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की ऑडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि रु०	ई ग्राम स्वराज के - अनुसार	कैशबुक के अनुसार	व्यय प्रमाणक
1	14.08.2020	30760.00	डैश बोर्ड हेतु भुगतान	कोविड सामग्री	अनुपलब्ध
	योग	30760.00			

इस प्रकार उक्त व्यय की प्रमाणिकता फर्जी प्रतीत होता है उक्त व्यय रु० 30760.00 की पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका जो कि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है जो अधिभार योग्य है, व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 30760.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम-प्रधान श्री जयराम एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री कमलेश कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-102

ग्राम पंचायत - हरिहरपुर

विकास क्षेत्र - जहांगीरगंज

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त से व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक	व्यय विवरण	दिनांक	कुल मटेरियल क्रय	मजदूरी पर व्यय
01	अज्ञात	20.11.2020	51306.00	शून्य
02	अज्ञात	20.03.2021	85000.00	शून्य
	योग-		136306.00	शून्य

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों, योग रु० 136306.00 से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान न किया जाना क्रय सामग्री अथवा व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना एवं ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु 51306.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राम प्रताप एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री कमलेश कुमार से एवं रु 85000.00 की वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री रवि प्रकाश श्रीवास्तव एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री कमलेश कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-103

ग्राम पंचायत - हरिहरपुर

विकास क्षेत्र - जहांगीरगंज

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार राज्य वित्त से व्यय दर्शित किया गया है:-

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि रु०	ई ग्राम स्वराज के - अनुसार	कैशबुक के अनुसार	व्यय प्रमाणक
1	02.11.2020	38184.00	डैश बोर्ड हेतु भुगतान	कोविड सामग्री	अनुपलब्ध
	योग	38184.00			

इस प्रकार उक्त व्यय की प्रमाणिकता फर्जी प्रतीत होता है उक्त व्यय रु० 38184.00 की पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका जो कि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है जो अधिभार योग्य है, व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 38184.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्री राम प्रताप एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री कमलेश कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-104

ग्राम पंचायत - कादीपुर फरीदपुर

विकास क्षेत्र - जहांगीरगंज

जनपद -

अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक	व्यय विवरण	दिनांक	कुल मटेरियल क्रय	मजदूरी पर व्यय
01	कतवारु के घर से पूरव बाग तक खडंजा मरम्मत कार्य	26.02.2021	ईट 59850.00 क्रय	शून्य

	योग		59850.00	

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान न किया जाना क्रय सामग्री अथवा व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना एवं ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 59850.00 की वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री रवि प्रकाश श्रीवास्तव एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री नीरज कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-105

ग्राम पंचायत - कम्हरिया

विकास क्षेत्र - जहांगीरगंज

जनपद - अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में विभिन्न तिथियों में निम्न विवरणानुसार विभिन्न मद में भुगतान दर्शित है:-

क्र०सं	दिनांक	धनराशि	खाता	मद	व्यय प्रमाणक
0					
1	02.05.2020	68960.00	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	कैशबुक में व्यय विवरण का अंकन नहीं है।	अनुपलब्ध
2	02.05.2020	81234.00	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	कैशबुक में व्यय विवरण का अंकन नहीं है।	अनुपलब्ध
3	01.08.2020	7190.00	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	कैशबुक में व्यय विवरण का अंकन नहीं है।	अनुपलब्ध
4	30.10.2020	2500.00	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	कैशबुक में व्यय विवरण का अंकन नहीं है।	अनुपलब्ध
5	16.10.2020	7200.00	केन्द्रीय वित्त आयोग	कैशबुक में व्यय विवरण का अंकन नहीं है।	अनुपलब्ध
6	16.10.2020	5628.00	केन्द्रीय वित्त आयोग	कैशबुक में व्यय विवरण का अंकन नहीं है।	अनुपलब्ध
7	16.10.2020	8442.00	केन्द्रीय वित्त आयोग	कैशबुक में व्यय विवरण का अंकन नहीं है।	अनुपलब्ध
8	16.10.2020	171934.00	केन्द्रीय वित्त आयोग	कैशबुक में व्यय विवरण का अंकन नहीं है।	अनुपलब्ध
	योग	353093.00			

उक्त व्यय योग रु० 353093.00 की पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है जो अधिभार योग्य है, व्यय पत्रावली / व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 353093.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्री सुक्खू एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री कमलेश कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-106

ग्राम पंचायत - कम्हरिया**विकास क्षेत्र - जहांगीरगंज****जनपद - अम्बेडकरनगर**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है:-

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	ई ग्राम स्वराज के - अनुसार	कैशबुक के अनुसार	व्यय प्रमाणक
1	14.08.2020	34496.00	डैशबोर्ड हेतु भुगतान	बिलीचिंग पाउडर आदि हेतु भुगतान	अनुपलब्ध
2	02.11.2020	4000.00	मास्क हेतु भुगतान	टैंडर हेतु भुगतान	अनुपलब्ध
3	15.02.2021	16500.00	बिजली बिल हेतु भुगतान	हैंडवाश हेतु भुगतान	अनुपलब्ध
	योग-	54996.00			

इस प्रकार उक्त व्यय की प्रमाणिकता फर्जी प्रतीत होता है उक्त व्यय रु० 54996.00 की पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका जो कि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है जो अधिभार योग्य है, व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 38496.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्री सुखू एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री कमलेश कुमार से बराबर हिस्सों में तथा रु० 16500.00 की वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री रवि प्रकाश श्रीवास्तव एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री कमलेश कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-107**ग्राम पंचायत - करौली लाठौरी****विकास क्षेत्र - जहांगीरगंज****जनपद - अम्बेडकरनगर**

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार केन्द्रीय वित्त से व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक	व्यय विवरण	दिनांक	कुल मटेरियल क्रय	मजदूरी पर व्यय
01	पंचायत भवन	22.09.2020	165454.00	शून्य
02	अज्ञात	28.09.2020	162960.00	शून्य
			328414.00	शून्य

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों, योग रु० 328414.00 से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान न किया जाना क्रय सामग्री अथवा व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना एवं ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 328414.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री हरिश्चाम एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जय नारायण यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-108**ग्राम पंचायत - कस्तूरीपुर****विकास क्षेत्र - जहांगीरगंज****जनपद - अम्बेडकरनगर**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में विभिन्न तिथियों में निम्न विवरणानुसार विभिन्न मद में भुगतान दर्शित है।

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	खाता	मद
1.	21.10.2020	52536.00	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	कैशबुक में व्यय विवरण का अंकन नहीं है।
2.	21.10.2020	8320.00	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	कैशबुक में व्यय विवरण का अंकन नहीं है।
3.	29.03.2021	45000.00	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	कैशबुक में व्यय विवरण का अंकन नहीं है।
4.	29.03.2021	22080.00	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	कैशबुक में व्यय विवरण का अंकन नहीं है।
	योग	127936.00		

उक्त व्यय योग रु० 127936.00 की पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली / व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है जो अधिभार योग्य है, व्यय पत्रावली / व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु०-60856.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रामदुलारी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जय नारायण यादव से बराबर हिस्सों में तथा रु० 67080.00 की वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री रवि प्रकाश श्रीवास्तव एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जय नारायण यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-109

ग्राम पंचायत - नरवा पीतांबरपुर

विकास क्षेत्र - जहांगीरगंज

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक	व्यय विवरण	दिनांक	कुल ईट क्रय
01	प्रधानमंत्री सड़क से संतोष कुमार के घर तक खडंजा निर्माण कार्य		शून्य
	योग		

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान किया जाना एवं ईट क्रय न किया जाना अथवा व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना एवं ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 30912.00 वसूली ग्राम-प्रधान श्री अश्विनी कुमार एवं ग्राम सचिव श्री नीरज कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-110

ग्राम पंचायत - नसीरपुर छितौना

विकास क्षेत्र - जहांगीरगंज

जनपद - अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त खाते से निम्न विवरणानुसार विभिन्न मद में भुगतान दर्शित है:-

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	खाता	मद	व्यय प्रमाणक

1	15.06.2020	16270.00	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	प्रशासनिक मद	अनुपलब्ध
3	22.10.2020	53600.00	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	डैशबोर्ड क्रय	अनुपलब्ध
	योग	69870.00			

उक्त व्यय योग रु० 69870.00 की पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है जो अधिभार योग्य है, व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 69870.00 वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती उषा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विपुल सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-111

ग्राम पंचायत - नसीरपुर छितौना

विकास क्षेत्र - जहांगीरगंज

जनपद - अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त खाते से निम्न विवरणानुसार आक्सीमीटर एवं थर्मामीटर क्रय मद में भुगतान दर्शित है:-

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	खाता	मद	व्यय प्रमाणक
1	19.08.2020	6010.00	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	आक्सीमीटर एवं थर्मामीटर क्रय	अनुपलब्ध
2	26.08.2020	19175.00	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	आक्सीमीटर एवं थर्मामीटर क्रय	अनुपलब्ध
	योग	25185.00			

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत की कैशबुक के अनुसार दिनांक 19.08.2020 को आक्सीमीटर एवं थर्मामीटर क्रय हेतु निर्यात गुप को एवं दिनांक 26.08.2020 को डैशबोर्ड क्रय हेतु फुटप्रिंट कारपोरेशन को क्रमश रु 6010.00 एवं रु 19175.00 का भुगतान दर्शित है जबकि उक्त दोनों भुगतान वास्तव में आक्सी मीटर एंड थर्मामीटर हेतु ही दोनों फर्म क्रमशः निर्यात गुप एवं फुटप्रिंट कारपोरेशन को किया गया है इस प्रकार उक्त दोनों व्यय की प्रमाणिकता फर्जी प्रतीत होता है उक्त व्यय योग रु० 25185.00 की पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका जो कि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है जो अधिभार योग्य है, व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 25185.00 वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती उषा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विपुल सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-112

ग्राम पंचायत - नयागाँव

विकास क्षेत्र - जहांगीरगंज

जनपद -

अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार केन्द्रीय वित्त से व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक	व्यय का विवरण	दिनांक	कुल मटेरियल क्रय	मजदूरी पर व्यय

01	भुल्लर के घर से मुराद के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	16.02.2021	सीमेंट 92049.00 ईट क्रय	शून्य
02	अज्ञात	16.02.2021	74920.00	शून्य
03	अज्ञात	15.03.2021	67679.00	शून्य
	योग		234648.00	00

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों, योग रु० 234648.00 से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान न किया जाना क्रय सामग्री अथवा व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना एवं ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 234648.00 वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री रवि प्रकाश श्रीवास्तव एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-113

ग्राम पंचायत - नयागाँव

विकास क्षेत्र - जहांगीरगंज

जनपद - अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त खाते से निम्न विवरणानुसार विभिन्न मद में भुगतान दर्शित है।

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	खाता	मद	व्यय प्रमाणक
1	16.07.2020	49825.00	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	सोलर लाइट मरम्मत	अनुपलब्ध
2	21.08.2020	48600.00	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	सोलर लाइट मरम्मत	अनुपलब्ध
3	15.03.2021	202778.00	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	अज्ञात	अनुपलब्ध
	योग	301203.00			

उक्त व्यय योग रु० 301203.00 की पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है जो अधिभार योग्य है, व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 98425.00 की वसूली ग्राम-प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर हिस्सों में तथा रु० 202778.00 की वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री रवि प्रकाश श्रीवास्तव एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश वर्मा से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-114

ग्राम पंचायत - शंकरपुर टप्पा हवेली

विकास क्षेत्र - जहांगीरगंज

जनपद -

अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है:-

क्रमांक	व्यय विवरण	दिनांक	कुल मटेरियल क्रय

01	पंचायत भवन निर्माण कार्य	विभिन्न तिथियों में	ईट 157542.00/ टुकड़ी क्रय सामग्री 106829.00 निविदा 3250.00
	योग		267621.00

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक अडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान न किया जाना क्रय सामग्री अथवा व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना एवं ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 267621.00 वसूली ग्राम-प्रधान श्री प्रदीप कुमार एवं ग्राम सचिव श्री नीरज कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-115

ग्राम पंचायत - शंकरपुर वर्जी

विकास क्षेत्र - जहांगीरगंज

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत की कोषवही में निम्न विवरण के अनुसार प्रधान मानदेय दर्शित है:-

क्र०सं०	दिनांक	अवधि	कुल माह	धनराशि रु०
.1	29.04.2020	अप्रैल तक 2020 से मार्च 2019	माह 12	42000.00
.2	21.09.2020	अप्रैल से 2020अगस्त 2020 तक	माह 5	17500.00
.3	21.09.2020	मार्च तक 2020 से मार्च 2019	माह 13	45500.00
.4	19.12.2020	सितम्बर से नवम्बर 2020 तक 2020	माह 3	10500.00
.5	08.03.2021	दिसम्बर 2020	दिवस 25	2900.00
		योग	दिन 25 माह 33	118400.00

उपरोक्त के अनुसार दिनांक 21.09.2020 को मार्च 2019 से मार्च 2020 तक कुल 13 माह का रुपया-45500.00 प्रधान मानदेय का अतिरिक्त / पुनः भुगतान किया गया है जो कि अनियमित है जो कि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है जो अधिभार योग्य है। उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 45500.00 वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती मधुलता मिश्रा एवं ग्राम सचिव श्री अवनीश कुमार यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-116

ग्राम पंचायत - श्यामपुर अलऊपुर

विकास क्षेत्र - जहांगीरगंज

जनपद -

अम्बेडकरनगर

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में विभिन्न तिथियों में चतुर्थ राज्य वित्त खाते से निम्न विवरणानुसार विभिन्न मद में भुगतान दर्शित है:-

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	खाता	मद	व्यय प्रमाणक
1	16.06.2020	16270.00	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	प्रशासनिक मद	अनुपलब्ध

2	21.11.2020	40000.00	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	मास्क निर्माण एवं वितरण	अनुपलब्ध
	योग	56270.00			

उक्त व्यय योग रु० की पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। व्यय प्रमाणक 56270.00 व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली के अन्तर्गत गबन माना गया है जो (क) 8 के खण्ड 8 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय पंचायत राज व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में 30/04/20 व्यय पत्रावली, अधिभार योग्य है के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित 256 के नियम 19475 नियमावली है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 56270.00 वसूली ग्राम-प्रधान श्री विनय कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विपुल सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-117

ग्राम पंचायत - अंगवल

विकास क्षेत्र - कटेहरी

जनपद - अम्बेडकरनगर

1 ग्राम पंचायत अंगवल की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न दिनांकों को किए गए व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई।

क्र०	दिनांक	धनराशि	विवरण	प्राप्तकर्ता
1	18.10.2020	17980.00	हैन्डपम्प मरम्मत	ए के ट्रेडर्स
2	18.10.2020	17020.00	हैन्डपम्प मरम्मत	ए के ट्रेडर्स
3	18.10.2020	38150.00	हैन्डपम्प रीबोर	दीपक हार्डवेयर
4	18.10.2020	29100.00	हैन्डपम्प रीबोर	दीपक हार्डवेयर
5	09.11.2020	9670.00	हैन्डपम्प मरम्मत	दीपक हार्डवेयर
6	09.11.2020	17770.00	हैन्डपम्प मरम्मत	दीपक हार्डवेयर
7	09.11.2020	18560.00	हैन्डपम्प मरम्मत	दीपक हार्डवेयर
8	17.11.2020	18510.00	हैन्डपम्प मरम्मत	अज्ञात
9	17.11.2020	15590.00	हैन्डपम्प मरम्मत	अज्ञात
10	26.03.2021	34100.00	हैन्डपम्प रीबोर	दीपक हार्डवेयर
11	26.03.2021	34100.00	हैन्डपम्प रीबोर	दीपक हार्डवेयर
12	27.03.2021	19930.00	हैन्डपम्प मरम्मत	अज्ञात
13	27.03.2021	19930.00	हैन्डपम्प मरम्मत	अज्ञात
14	27.03.2021	12680.00	हैन्डपम्प मरम्मत	अज्ञात
योग		303090.00		

हैन्डपम्प मरम्मत / रीबोर मद पर उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी, एमबी पुस्तिका, बिल / बाउचर, कार्यपुर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावलियाँ, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियाँ जैसे- नियोजन समिति, जल समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, हैन्डपम्प खराब होने की सूचना और इस संबंध में तकनीकी रिपोर्ट आदि अभिलेख नहीं हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ व कोषबही में संबंधित स्थलों का उल्लेख भी नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30/04 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में

ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 303090.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती शीला मौर्या से रु0 91175.00, तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रशासक श्री लालजी शुक्ला से रु0 60370.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री चंचल रेड्डी से रु0 151545.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-118

ग्राम पंचायत - अंगवल

विकास क्षेत्र - कटेहरी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत अंगवल की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न दिनांकों को किए गए व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई।

क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण	प्राप्तकर्ता
1	26.03.2021	51300.00	ह्यूमपाइप स्थापना पर व्यय	अज्ञात

ह्यूमपाइप स्थापना मद पर उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0 पुस्तिका, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावली, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति आदि अभिलेख नहीं है। कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ व कोषबही में संबंधित स्थलों का उल्लेख भी नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 51300.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रशासक श्री लालजी शुक्ला से रु0 25650.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री चंचल रेड्डी से रु0 25650.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-119

ग्राम पंचायत - अंगवल

विकास क्षेत्र - कटेहरी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत अंगवल की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न दिनांक को किए गए व्यय के संबंध में गंभीर आपत्तियाँ पाई गई।

क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण	प्राप्तकर्ता	वर्क आई0 डी0
1	22.04.2020	19800.00	प्रशासनिक व्यय	सिंह कॉन्स्ट्रक्शन	20327131

दिनांक 22.04.2020 को रु0 19800.00 का भुगतान सिंह कॉन्स्ट्रक्शन को प्रशासनिक मद में किया जाना दर्शित है जिसके सापेक्ष रु0 3500.00 प्रधान पद के एक माह के मानदेय और रु0 4000.00 ग्राम पंचायत एवं अन्य द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में दान किया जाना, तथा शेष 12300.00 प्रशासनिक व्यय का भुगतान किया गया है। उक्त क्रय के सापेक्ष न तो कार्य पत्रावली प्रस्तुत की गई और न ही कोई बिल / प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया। ध्यातव्य है कि मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान के अंतिम प्राप्तकर्ता सिंह कॉन्स्ट्रक्शन रहे। इस प्रकार दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम

पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 19800.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती शीला मौर्या व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री चंचल रेड्डी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-120

ग्राम पंचायत - आदमपुर तिंदौली

विकास क्षेत्र - कटेहरी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न दिनांकों को किए गए व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई।

क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण	प्राप्तकर्ता
1	30.05.2020	19980.00	हैन्डपम्प मरम्मत	शशांक ट्रेडर्स
2	30.05.2020	19865.00	हैन्डपम्प मरम्मत	शशांक ट्रेडर्स
3	08.06.2020	5550.00	हैन्डपम्प मरम्मत	एम के ट्रेडर्स
4	27.06.2020	31591.00	हैन्डपम्प रीबोर	ओम ट्रेडर्स
5	31.07.2020	14560.00	हैन्डपम्प मरम्मत	एम के ट्रेडर्स
6	03.09.2020	16885.00	हैन्डपम्प मरम्मत	खुशी इन्टरप्राइजेज
7	24.09.2020	4540.00	हैन्डपम्प मरम्मत	अज्ञात
8	24.09.2020	19860.00	हैन्डपम्प मरम्मत	ज्ञान ट्रेडर्स
9	21.11.2020	33650.00	हैन्डपम्प रीबोर	खुशी इन्टरप्राइजेज
10	25.12.2020	19580.00	हैन्डपम्प मरम्मत	खुशी इन्टरप्राइजेज
योग		186061.00		

हैन्डपम्प मरम्मत / रीबोर मद पर उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0 पुस्तिका, बिल / बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावलियाँ, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति, जल समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, हैन्डपम्प खराब होने की सूचना और इस संबंध में तकनीकी रिपोर्ट आदि अभिलेख नहीं हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ व कोषबही में संबंधित स्थलों का उल्लेख भी नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 186061.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री बद्री प्रसाद सिंह से रु0 93030.50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विश्वनाथ पटेल से रु0 93030.50 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-121

ग्राम पंचायत - आदमपुर तिंदौली

विकास क्षेत्र - कटेहरी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न दिनांकों को किए गए व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई।

क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	05.08.2020	77625.00	ह्यूमपाइप स्थापना पर व्यय

ह्यूमपाइप स्थापना मद पर उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आर्डर, एम0बी0 पुस्तिका, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावली, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ व कोषबही में संबंधित स्थलों का उल्लेख भी नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 77625.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री बट्टी प्रसाद सिंह से रु0 38812.50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विश्वनाथ पटेल से रु0 38812.50 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-122

ग्राम पंचायत - औरंगनगर

विकास क्षेत्र - कटेहरी

जनपद -

अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत औरंगनगर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में चतुर्थ राज्य वित्त से किए गए व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं।

क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण / प्राप्तकर्ता	वर्क आर्डर डी0
1	01.07.2020	5710.00	टायपिंग, फोटोकापी, स्टेशनरी भूषण टाइप एण्ड इलेक्ट्रोस्टेट	43055157
2	02.12.2020	14829.00	नाली निर्माण अच्छेलाल यादव के घर से मुन्नी यादव के घर तक बिल्डिंग मैटीरियल महादेव ट्रेडर्स	44495981
3	02.12.2020	30597.00	नाली निर्माण अच्छेलाल यादव के घर से मुन्नी यादव के घर तक पर ईट क्रय वर्मा ब्रिक फील्ड	44495981
4	02.12.2020	12444.00	नाली निर्माण अच्छेलाल यादव के घर से मुन्नी यादव के घर तक पर मजदूरी भुगतान	44495981
5	03.10.2020	18108.00	नाली निर्माण इस्माइल के घर से पिच रोड तक पर बिल्डिंग मैटीरियल ए के ट्रेडर्स	44495957
6	03.10.2020	10871.00	नाली निर्माण इस्माइल के घर से पिच रोड तक पर ईट क्रय वर्मा ब्रिक फील्ड	44495957
7	03.10.2020	78161.00	ट्रैक्टर से मिट्टी पटाई हयातू के घर से ठेकिया के घर तक जिया उल हक को	44496105
8	04.10.2020	32150.00	हैन्ड पम्प रीबोर ए के ट्रेडर्स	43037729
9	04.12.2020	16215.00	नाली निर्माण बैचू के घर से पीर मोहम्मद के घर तक पर बिल्डिंग मैटीरियल महादेव ट्रेडर्स	44495778 *
10	04.12.2020	16600.00	नाली निर्माण बैचू के घर से पीर मोहम्मद के घर तक पर ईट क्रय वर्मा ब्रिक फील्ड	44495778
11	04.12.2020	6816.00	नाली निर्माण बैचू के घर से पीर मोहम्मद के घर तक पर मजदूरी भुगतान	44495778

12	04.12.2020	1972.00	नाली निर्माण हरिराम तिवारी के घर से रिकू तिवारी के घर तक पर ईट क्रय वर्मा ब्रिक फील्ड	44495778 *
13	04.12.2020	2304.00	नाली निर्माण हरिराम तिवारी के घर से रिकू तिवारी के घर तक पर बिल्डिंग मैटीरियल महादेव ट्रेडर्स	44495778
14	04.12.2020	3207.00	नाली निर्माण हरिराम तिवारी के घर से रिकू तिवारी के घर तक पर मजदूरी भुगतान	44495778
15	05.08.2020	16275.00	प्राथमिक स्कूल भैरोपुर में बाउन्ड्री वाल निर्माण कार्य पर ईट क्रय रमा ईट उद्योग	43122879
16	05.08.2020	18235.00	प्राथमिक स्कूल भैरोपुर में बाउन्ड्री वाल निर्माण कार्य पर बिल्डिंग मैटीरियल ए के ट्रेडर्स	43122879
17	05.08.2020	3442.00	नाली निर्माण बाबूराम पाण्डेय के घर से जियाराम के घर तक पर बिल्डिंग मैटीरियल ए के ट्रेडर्स	43041277
18	05.08.2020	6184.00	नाली निर्माण बाबूराम पाण्डेय के घर से जियाराम के घर तक पर ईट क्रय वर्मा ब्रिक फील्ड	43041277
19	05.12.2020	61478.00	नाली निर्माण हरिराम तिवारी के घर से रिकू तिवारी के घर तक पर बिल्डिंग मैटीरियल वी के ट्रेडर्स	44495778 *
20	05.12.2020	18390.00	हैन्ड पम्प मरम्मत वी के ट्रेडर्स	44496196
21	06.09.2020	4500.00	पेंटिंग कार्य सौरभ आर्ट	43055157
22	06.09.2020	78837.00	विभिन्न स्थलों पर ह्यूमपाइप कार्य ए के ट्रेडर्स	43038405
23	06.09.2020	29126.00	हैन्ड पम्प रीबोर संजु दुबे के घर के पास ए के ट्रेडर्स	43037630
24	07.11.2020	18683.00	नाली निर्माण राकेश शर्मा के घर से तालाब तक पर ईट क्रय वर्मा ब्रिक फील्ड	43036236
25	07.11.2020	10935.00	नाली निर्माण राकेश शर्मा के घर से तालाब तक पर मैटीरियल सर्वमंगला बिल्डिंग मैटीरियल	43036236
26	07.11.2020	7620.00	नाली निर्माण राकेश शर्मा के घर से तालाब तक पर मजदूरी भुगतान	43036236
27	07.11.2020	12695.00	ट्रैक्टर से मिट्टी ढुलाई भूलेसर के खेत से इल्लिजा के घर तक जिया उल हक को	44496177
28	07.11.2020	13467.00	ट्रैक्टर से मिट्टी ढुलाई भूलेसर के खेत से इल्लिजा के घर तक पर मजदूरी भुगतान	44496177
29	09.09.2020	19950.00	हैन्ड पम्प मरम्मत एम के ट्रेडर्स	43037444
30	09.09.2020	2800.00	पल्स ऑक्सीमीटर क्रय मनीष ट्रेडर्स	43055157
31	09.09.2020	6000.00	300 डबल लेयर मास्क क्रय प्रकाश प्रेरणा महिला संगठन	43055157
32	09.10.2020	24738.00	राघवेंद्र तिवारी के बाग में कूप मरम्मत पर ईट क्रय वर्मा ब्रिक फील्ड	43040100
33	09.10.2020	11526.00	राघवेंद्र तिवारी के बाग में कूप मरम्मत पर बिल्डिंग मैटीरियल ए के ट्रेडर्स	43040100
34	09.10.2020	6816.00	राघवेंद्र तिवारी के बाग में कूप मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	43040100
35	12.11.2020	6100.00	स्टेशनरी, फोटोकॉपी, टायपिंग पर व्यय भूषण टाइप एण्ड इलेक्ट्रोस्टेट	43055157
36	12.11.2020	19900.00	हैन्ड पम्प मरम्मत महादेव ट्रेडर्स	43037848
37	18.09.2020	31059.00	नाली निर्माण गुलाम अली के घर से चाँद अली के घर तक पर बिल्डिंग मैटीरियल ए के ट्रेडर्स	43041426

38	18.09.2020	11496.00	नाली निर्माण गुलाम अली के घर से चाँद अली के घर तक पर ईट क्रय वर्मा ब्रिक फील्ड	43041426
39	18.09.2020	9697.00	नाली निर्माण दयाशंकर दुबे के घर से पिच रोड तक पर बिल्डिंग मैटीरियल ए के ट्रेडर्स	44495928
40	18.09.2020	2304.00	नाली निर्माण दयाशंकर दुबे के घर से पिच रोड तक पर ईट क्रय वर्मा ब्रिक फील्ड	44495928
41	18.12.2020	6646.00	संतोष मिश्र के घर से राहुल मिश्र के घर तक खड़जा निर्माण पर मिट्टी कार्य जिया उल हक को	44496124
42	18.12.2020	71820.00	संतोष मिश्र के घर से राहुल मिश्र के घर तक खड़जा निर्माण पर ईट क्रय ब्रिक फील्ड	44496124
43	18.12.2020	12060.00	संतोष मिश्र के घर से राहुल मिश्र के घर तक खड़जा निर्माण पर मजदूरी भुगतान	44496124
44	18.12.2020	18721.00	डब्लू के घर से मस्जिद तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर बिल्डिंग मैटीरियल ए के ट्रेडर्स	43033398 *
45	18.12.2020	16558.00	डब्लू के घर से मस्जिद तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर ईट क्रय वी के ट्रेडर्स	43033398
46	18.12.2020	5112.00	डब्लू के घर से मस्जिद तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर मजदूरी भुगतान	43033398
47	18.12.2020	5684.00	बेंचू के घर से मस्जिद तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर ईट क्रय वर्मा ब्रिक फील्ड	43032743
48	18.12.2020	2556.00	बेंचू के घर से मस्जिद तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर मजदूरी भुगतान	43032743
49	19.10.2020	12330.00	गुलाम के घर से चनक के घर तक नाली निर्माण पर मजदूरी भुगतान	43041426
50	19.10.2020	2106.00	केवलापुर में दयाशंकर के घर से पिच रोड तक नाली निर्माण पर मजदूरी भुगतान	44495928
51	19.10.2020	7371.00	इस्माइल के घर से पिच रोड तक नाली निर्माण पर मजदूरी भुगतान	44495957
52	19.10.2020	8376.00	प्राथमिक स्कूल भैरोपुर में बाउन्ड्री वाल निर्माण कार्य पर मजदूरी भुगतान	43122879
53	25.03.2021	19910.00	एम के ट्रेडर्स को भुगतान अज्ञात पर	43037444
54	25.03.2021	19370.00	एम के ट्रेडर्स को भुगतान अज्ञात पर	43037444
55	25.10.2020	82812.00	हयातू के घर से ठेकिया के घर तक मिट्टी पटाई पर मजदूरी भुगतान	44496105
56	27.08.2020	19870.00	हैन्ड पम्प मरम्मत आर्यन ट्रेडर्स	43037326
57	29.11.2020	3312.00	राम प्रसाद के घर से संजय के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर मजदूरी भुगतान	43030889 *
58	29.11.2020	56855.00	कृष्ण कुमार के घर से शिवजी दुबे के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर इन्टरलॉकिंग क्रय महादेव ट्रेडर्स	43033576
59	29.11.2020	4556.00	कृष्ण कुमार के घर से शिवजी दुबे के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर बिल्डिंग मैटीरियल ए के ट्रेडर्स	43033576
60	29.11.2020	12593.00	कृष्ण कुमार के घर से शिवजी दुबे के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर ईट क्रय वर्मा ब्रिक फील्ड	43033576
61	29.11.2020	6366.00	कृष्ण कुमार के घर से शिवजी दुबे के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर मजदूरी भुगतान	43033576

62	29.11.2020	105257.00	हौसिला के घर से राम प्रसाद के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर इन्टरलॉकिंग क्रय महादेव ट्रेडर्स	43030641
63	29.11.2020	6187.00	हौसिला के घर से राम प्रसाद के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर बिल्डिंग मैटीरियल ए के ट्रेडर्स	43030641
64	29.11.2020	17308.00	हौसिला के घर से राम प्रसाद के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर ईट क्रय वर्मा ब्रिक फील्ड	43030641
65	29.11.2020	10787.00	हौसिला के घर से राम प्रसाद के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर मजदूरी भुगतान	43030641
66	29.11.2020	56815.00	राम प्रसाद के घर से संजय के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर इन्टरलॉकिंग क्रय महादेव ट्रेडर्स	43030889 *
67	29.11.2020	2965.00	राम प्रसाद के घर से संजय के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर बिल्डिंग मैटीरियल ए के ट्रेडर्स	43030889
68	29.11.2020	7952.00	राम प्रसाद के घर से संजय के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर ईट क्रय वर्मा ब्रिक फील्ड	43030889
69	29.11.2020	1350.00	राम प्रसाद के घर से संजय के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर मजदूरी भुगतान	43030889
70	30.06.2020	19950.00	हैन्ड पम्प मरम्मत ज्ञान ट्रेडर्स	43037109
71	30.06.2020	19050.00	हैन्ड पम्प मरम्मत ज्ञान ट्रेडर्स	43037213
72	31.07.2020	9000.00	ठेला क्रय ए के ट्रेडर्स	43038242
योग		1353842.00		

संस्था द्वारा उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0 पुस्तिका, बिल / बाउचर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावलियाँ, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र, प्राप्तियाँ व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति एवं भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति, जल समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, हैन्डपम्प खराब होने की सूचना और इस संबंध में तकनीकी रिपोर्ट आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ व कोषबही में संबंधित स्थलों का उल्लेख भी नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 1353842.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती कहकशां नाहिद से रु0 657281.00, तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रशासक श्री लालजी शुक्ला से रु0 19640.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री साधू सरन से रु0 676921.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-123

ग्राम पंचायत - औरंगनगर

विकास क्षेत्र - कटेहरी

जनपद -

अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत औरंगनगर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में 14 वें वित्त आयोग से किए गए व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई।

क्र 0	दिनांक	धनराशि	विवरण / प्राप्तकर्ता	वर्क आई0 डी0
1	03.06.2020	4200.00	राम आसरे के घर से बैचू राम के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर ईट क्रय सब्बार इन्टरलॉकिंग ब्रिक	20845678
2	03.06.2020	52983.00	राम आसरे के घर से बैचू राम के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर ईट क्रय वर्मा ब्रिक फील्ड	20845678
3	03.06.2020	22204.00	राम आसरे के घर से बैचू राम के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर बिल्डिंग मैटीरियल ए के ट्रेडर्स	20845678
4	04.09.2020	19780.00	विभिन्न स्थलों पर राबिश कार्य वर्मा ब्रिक फील्ड	44495753
5	04.09.2020	105154.00	मिश्रीलाल के घर से जियाराम के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर इन्टरलॉकिंग क्रय ए के ट्रेडर्स	44495876
6	04.09.2020	28747.00	मिश्रीलाल के घर से जियाराम के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर बिल्डिंग मैटीरियल ए के ट्रेडर्स	44495876
7	04.09.2020	8706.00	मिश्रीलाल के घर से जियाराम के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर मजदूरी भुगतान 1497	44495876
8	08.08.2020	63826.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण पर बिल्डिंग मैटीरियल क्रय	20972671 *
9	08.08.2020	41496.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण पर बिल्डिंग मैटीरियल क्रय रमा ईट उद्योग	20972671
10	08.08.2020	22045.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण पर दरवाजा, पी वी सी पाइप, पेंट क्रय ए के ट्रेडर्स	20972671
11	09.08.2020	14780.00	सफाई मैटीरियल क्रय एम के ट्रेडर्स	43055001
12	09.08.2020	19320.00	दवा छिड़काव और श्रमांश पर व्यय आर्यन ट्रेडर्स	43055001
13	19.10.2020	5514.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण पर मजदूरी भुगतान	43053107 *
14	19.10.2020	3159.00	अखिन्द मिश्र के घर से कक्कू मिश्र के घर तक नाली निर्माण पर मजदूरी भुगतान	44495849
15	19.10.2020	9936.00	एजाज मौलाना के घर से बदरुद्दीन के घर तक नाली निर्माण पर मजदूरी भुगतान	44495804
16	21.12.2020	23073.00	पीर मोहम्मद के घर से मसलहुद्दीन के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर मैटीरियल क्रय महादेव ट्रेडर्स	20845677
17	21.12.2020	19740.00	पीर मोहम्मद के घर से मसलहुद्दीन के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर ईट क्रय वर्मा ब्रिक फील्ड	20845677
18	22.10.2020	19870.00	हैन्डपम्प मरम्मत आर्यन ट्रेडर्स	43037997
19	23.10.2020	121869.00	दरगाही के घर से मुनीराम के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर बिल्डिंग मैटीरियल क्रय ए के ट्रेडर्स	44496085
20	23.10.2020	2473.00	दरगाही के घर से मुनीराम के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर ईट क्रय वर्मा ब्रिक फील्ड	44496085
21	25.10.2020	11078.00	दरगाही के घर से मुनीराम के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर मजदूरी भुगतान	44496085
22	27.08.2020	15912.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण पर बिल्डिंग मैटीरियल क्रय ए के ट्रेडर्स	43053107
23	27.08.2020	35326.00	सामुदायिक शौचालय पर हैन्डपम्प स्थापना ए के ट्रेडर्स	43053107

2 4	27.08.2020	90455.00	सामुदायिक शौचालय पर इन्टरलॉकिंग कार्य पर इन्टरलॉकिंग क्रय ए के ट्रेडर्स	43053107
2 5	29.06.2020	27924.00	राम आसरे के घर से बैचू राम के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर मजदूरी भुगतान	20845678
2 6	30.06.2020	24710.00	प्राथमिक स्कूल में टाइल्स स्थापना पर मजदूरी भुगतान	20845671
2 7	30.06.2020	24346.00	प्राथमिक स्कूल अतिरिक्त कक्ष टाइल्स में स्थापना पर मजदूरी भुगतान	20945672
2 8	30.06.2020	13216.00	प्राथमिक स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र में टाइल्स स्थापना पर मजदूरी भुगतान	20945673
2 9	30.08.2020	7619.00	अरविन्द मिश्र के घर से कक्कू मिश्र के घर तक नाली निर्माण पर बिल्डिंग मैटीरियल क्रय ए के ट्रेडर्स	44495849
3 0	30.08.2020	12909.00	अरविन्द मिश्र के घर से कक्कू मिश्र के घर तक नाली निर्माण पर ईट क्रय वर्मा ब्रिक फील्ड	44495849
31	30.08.2020	6575.00	एजाज मौलाना के घर से बदरुद्दीन के घर तक नाली निर्माण पर ईट क्रय वर्मा ब्रिक फील्ड	44495804
3 2	30.08.2020	71798.00	एजाज मौलाना के घर से बदरुद्दीन के घर तक नाली निर्माण पर बिल्डिंग मैटीरियल क्रय आर्यन ट्रेडर्स	44495804
योग		950743.00		

ग्राम पंचायत द्वारा उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र, प्राप्तियाँ व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति एवं भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल संपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है। तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चौदहवें वित्त योग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस दशा में दर्शित किए गए व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 950743.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी धनराशि ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती कहकशां नाहिद व ग्राम पंचायत सचिव श्री साधू सरन से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-124

ग्राम पंचायत - औरंगनगर

विकास क्षेत्र - कटेहरी

जनपद -

अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत औरंगनगर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में 15 वें वित्त आयोग से किए गए व्यय के संबंध में निम्न आप्तियाँ पाई गईं।

क्र०	दिनांक	धनराशि	विवरण / प्राप्तकर्ता	वर्क आई0 डी0

1	05.11.2020	13890.00	प्राथमिक स्कूल द्वितीय प्रांगण में इन्टरलॉकिंग कार्य पर मजदूरी भुगतान	43122081
2	05.11.2020	156430.00	प्राथमिक स्कूल द्वितीय प्रांगण में इन्टरलॉकिंग कार्य पर इन्टरलॉकिंग क्रय ए के ट्रेडर्स	43122081
3	05.11.2020	23394.00	प्राथमिक स्कूल द्वितीय प्रांगण में इन्टरलॉकिंग कार्य पर ईट क्रय वर्मा ब्रिक फील्ड	43122081
4	12.03.2021	10425.00	प्राथमिक स्कूल भैरोपुर में मल्टिपल हैन्डवॉश स्थापना पर मजदूरी भुगतान	49780311
5	12.03.2021	19865.00	प्राथमिक स्कूल भैरोपुर में मल्टिपल हैन्डवॉश स्थापना पर आर्यन ट्रेडर्स	49780311
6	12.03.2021	3071.00	प्राथमिक स्कूल भैरोपुर में मल्टिपल हैन्डवॉश स्थापना पर सर्वमंगला बिल्डिंग मैटीरियल	49780311
7	12.03.2021	9726.00	प्राथमिक स्कूल कन्या औरंगनगर में मल्टिपल हैन्डवॉश पर मजदूरी भुगतान	49780266 *
8	12.03.2021	30627.00	प्राथमिक स्कूल कन्या औरंगनगर में मल्टिपल हैन्डवॉश पर आर्यन ट्रेडर्स	49780266
9	12.03.2021	3071.00	प्राथमिक स्कूल कन्या औरंगनगर में मल्टिपल हैन्डवॉश पर सर्वमंगला बिल्डिंग मैटीरियल	49780266
10	12.03.2021	8424.00	प्राथमिक स्कूल भैरोपुर में शौचालय मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	49780175
11	12.03.2021	17691.00	प्राथमिक स्कूल भैरोपुर में शौचालय मरम्मत पर आर्यन ट्रेडर्स	49780175
12	12.03.2021	13017.00	प्राथमिक स्कूल भैरोपुर में शौचालय मरम्मत पर सर्वमंगला बिल्डिंग मैटीरियल	49780175
13	12.03.2021	9123.00	प्राथमिक स्कूल औरंगनगर प्रथम में मल्टिपल हैन्डवॉश पर मजदूरी भुगतान	49780223
14	12.03.2021	20510.00	प्राथमिक स्कूल औरंगनगर प्रथम में मल्टिपल हैन्डवॉश पर आर्यन ट्रेडर्स	49780223
15	12.03.2021	4740.00	प्राथमिक स्कूल औरंगनगर प्रथम में मल्टिपल हैन्डवॉश पर सर्वमंगला बिल्डिंग मैटीरियल	49780223
16	17.03.2021	13802.00	प्राथमिक स्कूल भैरोपुर में शौचालय मरम्मत पर ईट क्रय रमा ईट उद्योग	49780175
17	17.03.2021	2540.00	प्राथमिक स्कूल कन्या औरंगनगर द्वितीय में मल्टिपल हैन्डवॉश पर ईट क्रय रमा ईट उद्योग	49780266 *
18	17.03.2021	2539.00	प्राथमिक स्कूल भैरोपुर में मल्टिपल हैन्डवॉश स्थापना पर ईट क्रय रमा ईट उद्योग	49780311
19	17.03.2021	2930.00	प्राथमिक स्कूल औरंगनगर में मल्टिपल हैन्डवॉश स्थापना पर ईट क्रय रमा ईट उद्योग	49780223
20	17.12.2020	17978.00	प्राथमिक स्कूल प्रथम में शौचालय निर्माण कार्य वर्मा ब्रिक फील्ड	44495903 *
21	17.12.2020	16529.00	प्राथमिक स्कूल प्रथम में शौचालय निर्माण कार्य पर बिल्डिंग मैटीरियल	44495903
22	17.12.2020	41175.00	प्राथमिक स्कूल प्रथम में शौचालय निर्माण कार्य पर शौचालय मैटीरियल ए के ट्रेडर्स	44495903

23	17.12.2020	6915.00	प्राथमिक स्कूल प्रथम में शौचालय निर्माण कार्य पर मजदूरी भुगतान	44495903
24	17.12.2020	17144.00	प्राथमिक स्कूल प्रथम में शौचालय निर्माण कार्य पर ईट क्रय वर्मा ब्रिक फील्ड	44495903
25	17.12.2020	16583.00	प्राथमिक स्कूल द्वितीय में विकलांग शौचालय निर्माण कार्य पर बिल्डिंग मैटीरियल	44495903 *
26	17.12.2020	53543.00	प्राथमिक स्कूल द्वितीय में विकलांग शौचालय निर्माण कार्य पर बिल्डिंग मैटीरियल	44495903
27	17.12.2020	1125.00	प्राथमिक स्कूल द्वितीय में विकलांग शौचालय निर्माण कार्य पर मजदूरी भुगतान	44495903
28	17.12.2020	17144.00	प्राथमिक स्कूल भैरोपुर में विकलांग शौचालय निर्माण कार्य पर ईट क्रय	44495903 *
29	17.12.2020	16588.00	प्राथमिक स्कूल भैरोपुर में विकलांग शौचालय निर्माण कार्य पर ईट क्रय	44495903
30	17.12.2020	38509.00	प्राथमिक स्कूल भैरोपुर में विकलांग शौचालय निर्माण कार्य पर बिल्डिंग मैटीरियल	44495903
31	17.12.2020	7074.00	प्राथमिक स्कूल भैरोपुर में विकलांग शौचालय निर्माण कार्य पर मजदूरी भुगतान	44495903
32	17.12.2020	17144.00	जूनियर हाई स्कूल में विकलांग शौचालय निर्माण कार्य पर ईट क्रय वर्मा ब्रिक फील्ड	44495903 *
33	17.12.2020	48968.00	जूनियर हाई स्कूल में विकलांग शौचालय निर्माण कार्य पर बिल्डिंग मैटीरियल ए के ट्रेडर्स	44495903
34	17.12.2020	16583.00	जूनियर हाई स्कूल में विकलांग शौचालय निर्माण कार्य पर बिल्डिंग मैटीरियल ए के ट्रेडर्स	44495903
35	17.12.2020	7074.00	जूनियर हाई स्कूल में विकलांग शौचालय निर्माण कार्य पर मजदूरी भुगतान	44495903
36	18.10.2020	4000.00	पंचायत भवन नेम प्लेट मनीष कुमार को	44685117
37	18.12.2020	2466.00	शिवजी दुबे के घर से हौसिला के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर बिल्डिंग मैटीरियल क्रय ए के ट्रेडर्स	43030464 *
38	18.12.2020	8475.00	शिवजी दुबे के घर से हौसिला के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर ईट क्रय वर्मा ब्रिक फील्ड	43030464
39	18.12.2020	37166.00	शिवजी दुबे के घर से हौसिला के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर इन्टरलॉकिंग क्रय महादेव ट्रेडर्स	43030464
40	18.12.2020	4059.00	शिवजी दुबे के घर से हौसिला के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर मजदूरी भुगतान	43030464
41	18.12.2020	4467.00	डब्लू के घर से मस्जिद तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर बिल्डिंग मैटीरियल ए के ट्रेडर्स	43030464 *
42	18.12.2020	11508.00	डब्लू के घर से मस्जिद तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर ईट क्रय वर्मा ब्रिक फील्ड	43030464
43	18.12.2020	46620.00	डब्लू के घर से मस्जिद तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर इन्टरलॉकिंग क्रय महादेव ट्रेडर्स	43030464
44	18.12.2020	6320.00	डब्लू के घर से मस्जिद तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर मजदूरी भुगतान	43030464

45	19.12.2020	9335.00	सालिक राम की आबादी से पिच रोड तक इन्टरलॉकिंग कार्य मिट्टी पर व्यय जिया उल हक को	44496153 *
46	22.12.2020	4824.00	सालिक राम की आबादी से पिच रोड तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर मजदूरी भुगतान	44496153
47	23.09.2020	91877.00	पंचायत भवन प्रांगण में इन्टरलॉकिंग कार्य पर बिल्डिंग मैटीरियल प्रगति कॉन्स्ट्रक्शन	44685132
48	23.12.2020	67032.00	सालिक राम की आबादी से पिच रोड तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर ईट क्रय रमा ईट उद्योग	44685135 *
49	23.12.2020	7236.00	सालिक राम की आबादी से पिच रोड तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर मजदूरी भुगतान	44685135 *
50	23.12.2020	19300.00	हैन्ड पम्प मरम्मत ए के ट्रेडर्स	43038719 *
51	23.12.2020	19200.00	हैन्ड पम्प मरम्मत ए के ट्रेडर्स	43038719
52	23.12.2020	18900.00	स्ट्रीट लाइट मरम्मत ए के ट्रेडर्स	43038719 *
योग		1068676.00		

ग्राम पंचायत द्वारा उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आर्डर, एमबीओ, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र, प्राप्तियाँ व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति एवं भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल संपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है। तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चौदहवें वित्त योग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस दश में दर्शित किए गए व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 1068676.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती कहकशां नाहिद से रु० 448242.50, तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रशासक श्री लालजी शुक्ला से रु० 86095.50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री साधू सरन से रु० 534338.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-125

ग्राम पंचायत - कुड़िया चितौना

विकास क्षेत्र - कटेहरी

जनपद - अम्बेडकरनगर

1 ग्राम पंचायत कुड़िया चितौना की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न दिनांकों को किए गए व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई।

क्र०	दिनांक	धनराशि	विवरण	प्राप्तकर्ता
1	18.06.2020	51970.00	हैन्डपम्प मरम्मत	एम के ट्रेडर्स
2	24.09.2020	15860.00	हैन्डपम्प मरम्मत	ओम शिव शांभवी ट्रेडर्स
योग		67830.00		

हैन्डपम्प मरम्मत / रीबोर मद पर उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0 पुस्तिका, बिल / बाउचर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्य से संबंधित कार्य पत्रावलियाँ, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति, जल समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, हैन्डपम्प खराब होने की सूचना और इस संबंध में तकनीकी रिपोर्ट आदि अभिलेख नहीं हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ व कोषबही में संबंधित स्थलों का उल्लेख भी नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 67830.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री दल सिंगार वर्मा से रु० 33915.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल कुमार सिंह से रु० 33915.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-126

ग्राम पंचायत - कुड़िया चितौना

विकास क्षेत्र - कटेहरी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत कुड़िया चितौना की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न दिनांकों को किए गए व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई।

क्र०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	09.11.2020	35375.00	सामु० शौचा० में वाटर सप्लाई, बोरिंग व टाइल्स कार्य पर शिव कॉन्स्ट्रक्शन
2	09.11.2020	41185.00	सामु० शौचा० में वाटर सप्लाई, बोरिंग व टाइल्स कार्य पर शिव कॉन्स्ट्रक्शन
3	09.11.2020	18416.00	सामु० शौचा० में वाटर सप्लाई, बोरिंग व टाइल्स कार्य पर शिव कॉन्स्ट्रक्शन
योग		94976.00	

सामुदायिक शौचालय में वाटर सप्लाई, बोरिंग व टाइल्स कार्य मद पर उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0 पुस्तिका, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्य से संबंधित कार्य पत्रावली, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति व कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अभिलेख नहीं हैं जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 94976.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री दल सिंगार वर्मा से रु० 47488.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल कुमार सिंह से रु० 47488.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-127

ग्राम पंचायत - कुड़िया चितौना

विकास क्षेत्र - कटेहरी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत कुड़िया चितौना की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न दिनांक को किए गए व्यय के संबंध में गंभीर आपत्तियाँ पाई गई।

क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	09.11.2020	8884.00	प्रा0 वि0 से फ़ारुख के घर तक ख0 नि0 पर मिट्टी पटाई पर शिव कॉन्स्ट्रक्शन
2	09.11.2020	88578.00	उक्त कार्य पर ईट क्रय राहुल ब्रिक फ़िल्ड
3	09.11.2020	12500.00	उक्त कार्य पर शिव कॉन्स्ट्रक्शन
4	09.11.2020	15276.00	मुकेश, संतराम,ओम प्रकाश, शकुंतला, चंद्र शेखर को मजदूरी भुगतान
योग		125238.00	

प्राथमिक विद्यालय से फ़ारुख के घर तक खड़जा निर्माण पर उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0 पुस्तिका, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्य से संबंधित कार्य पत्रावली, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ़ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति व उक्त कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अभिलेख नहीं हैं जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 125238.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री दल सिंगार वर्मा व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल कुमार सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-128

ग्राम पंचायत - चंदैनी

विकास क्षेत्र - कटेहरी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न दिनांकों को किए गए व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई।

क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण	प्राप्तकर्ता	वर्क आई0 डी0
1	05.03.2021	19885.00	हैन्डपम्प मरम्मत	खुशी इन्टरप्राइजेज	21092773
2	06.08.2020	19100.00	हैन्डपम्प मरम्मत	एम के ट्रेडर्स	21092773
3	08.06.2020	19980.00	हैन्डपम्प मरम्मत	एम के ट्रेडर्स	21092773
4	09.09.2020	16550.00	हैन्डपम्प मरम्मत	अन्नू ट्रेडर्स	4124761
5	11.03.2021	6010.00	हैन्डपम्प मरम्मत	खुशी इन्टरप्राइजेज	21092773
6	24.12.2020	19970.00	हैन्डपम्प मरम्मत	खुशी इन्टरप्राइजेज	4124761
7	04.11.2020	4460.00	हैन्डपम्प मरम्मत	अन्नू ट्रेडर्स	21092773
8	14.11.2020	18990.00	हैन्डपम्प मरम्मत	एम के ट्रेडर्स	18576355
9	21.10.2020	18680.00	हैन्डपम्प मरम्मत	खुशी इन्टरप्राइजेज	18576355
10	29.10.2020	33450.00	हैन्डपम्प रीबोर	खुशी इन्टरप्राइजेज	37191823
योग		177075.00			

हैन्डपम्प मरम्मत / रीबोर मद पर वर्ष भर में 5 वर्क आई0 डी0 द्वारा उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0 पुस्तिका, बिल / बाउचर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावलि, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति, जल समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, हैन्डपम्प खराब होने की सूचना और इस संबंध में तकनीकी रिपोर्ट आदि अभिलेख नहीं हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ व कोषबही में संबंधित स्थलों का उल्लेख भी नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 177075.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री सत्य नारायण से रु० 75590.00 , तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विश्वनाथ पटेल से रु० 88537.50 व प्रशासक श्री लालजी शुक्ला से रु० 12947.50 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-129

ग्राम पंचायत - चंदैनी

विकास क्षेत्र - कटेहरी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न दिनांकों को किए गए व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई।

क्र०	दिनांक	धनराशि	विवरण	प्राप्तकर्ता	वर्क आई0 डी0
1	06.08.2020	100224.00	पंचा० भवन निर्माण	अमर ट्रेडिंग कंपनी	42274430
2	06.08.2020	126500.00	पंचा० भवन निर्माण	अमर ट्रेडिंग कंपनी	42274430
3	06.08.2020	250626.00	पंचा० भवन निर्माण	अमर ट्रेडिंग कंपनी	42274430
4	06.08.2020	201836.00	पंचा० भवन निर्माण	ओम प्रकाश ईट भट्ठा	42274430
5	07.09.2020	110100.00	पंचा० भवन निर्माण	अमर ट्रेडिंग कंपनी	42274430
6	07.09.2020	120300.00	पंचा० भवन निर्माण	अमर ट्रेडिंग कंपनी	42274430
7	14.08.2020	56250.00	पंचा० भवन निर्माण पर मजदूरी		42274430
8	14.08.2020	25125.00	पंचा० भवन निर्माण पर मजदूरी		42274430
9	14.08.2020	25125.00	पंचा० भवन निर्माण पर मजदूरी		42274430
10	14.08.2020	25125.00	पंचा० भवन निर्माण पर मजदूरी		42274430
11	14.08.2020	4824.00	पंचा० भवन निर्माण पर मजदूरी		42274430
12	20.03.2021	38766.00	पंचा० भवन पर हैन्डपम्प स्थापना	खुशी इन्टरप्राइजेज	42274430
13	25.03.2021	347894.00	पंचा० भवन निर्माण	अमर ट्रेडिंग कंपनी	42274430
14	25.03.2021	30301.00	पंचा० भवन निर्माण	अमर ट्रेडिंग कंपनी	42274430
15	25.03.2021	29722.00	पंचा० भवन निर्माण	ओम प्रकाश ईट भट्ठा	42274430

16	25.03.2021	59834.00	पँचा0 भवन निर्माण	खुशी इन्टरप्राइजेज	42274430
17	25.03.2021	104469.00	पँचा0 भवन निर्माण पर मजदूरी		42274430
18	25.03.2021	41718.00	पँचा0 भवन निर्माण पर मजदूरी		42274430
19	26.03.2021	34000.00	पँचा0 भवन निर्माण पर कार्टेज	रूपेश मिश्रा	42274430
20	27.03.2021	10550.00	पँचा0 भवन निर्माण पर इलेक्ट्रिक कार्य	खुशी इन्टरप्राइजेज	42274430
योग		1743289.00			

उक्त पंचायत भवन निर्माण पर 1743289.00 रुपये का भुगतान अमर ट्रेडिंग कंपनी, खुशी इन्टरप्राइजेज, ओम प्रकाश ईट भट्ठा व कार्टेज के लिए RGSA मद से वर्क आई0 डी0 42274430 द्वारा किया गया है। उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0 पुस्तिका, बिल / बाउचर, डिलीवरी चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावली, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो अथवा बिना कार्य हुए या एम0 बी0 कराए ही धनराशि का आहरण कर लिया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 1743289.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री सत्य नारायण से रु0 523017.50, प्रशासक श्री लालजी शुक्ला से रु0 348627.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विश्वनाथ पटेल से रु0 871644.50 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-130

ग्राम पंचायत - चिउटीपारा

विकास क्षेत्र - कटेहरी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत चिउटीपारा की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न दिनांकों को किए गए व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई।

क्र०	दिनांक	धनराशि	कार्य का विवरण
1	18.06.2020	46080.00	बृजलाल के घर से पूरब खड़जा तक खड़जा निर्माण पर मिट्टी पटाई पर सुभाष तिवारी को
2	25.06.2020	12060.00	उक्त मिट्टी पटाई पर तहरुननिशा, अनिल कुमार, राजकुमार, सभाजीत व विमलेश को मस्टर रोल
3	29.06.2020	16884.00	मिट्टी पटाई पर राम किशोर, घनश्याम, लालता, पवन, बिजलू, बालगोविंद, धर्मराज को मस्टर रोल
4	30.06.2020	10452.00	मिट्टी पटाई पर फूल कुमारी, सहज राम, दया शंकर, देवीदीन को मस्टर रोल
5	30.06.2020	4824.00	मिट्टी पटाई पर अंकित और छैल बिहारी को मस्टर रोल
6	01.08.2020	68229.00	उक्त खड़जा निर्माण पर ईट क्रय राहुल ब्रिक फील्ड

7	01.08.2020	10854.00	उक्त पर विमलेश, बालगोविंद, राजकुमार, अनिल, अजय, सहज राम व पवन को मस्टर रोल
8	01.08.2020	8040.00	उक्त पर सभाजीत, घनश्याम, बिजलू, धर्मराज, राम किशोर को मस्टर रोल
9	01.08.2020	15781.00	उक्त खड़जा निर्माण पर पुनः मिट्टी पटाई पर सुभाष तिवारी को
10	07.08.2020	35910.00	उक्त खड़जा निर्माण पर ईंट क्रय राहुल ब्रिक फील्ड
योग		229114.00	

बृजलाल के घर से पूरब खड़जा तक खड़जा निर्माण पर उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0 पुस्तिका, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्य से संबंधित कार्य पत्रावली, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वार्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति व उक्त कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अभिलेख नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 229114.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती सरोज गोस्वामी से रु0 114557.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल कुमार सिंह से रु0 114557.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-131

ग्राम पंचायत - चिउटीपारा

विकास क्षेत्र - कटेहरी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत चिउटीपारा की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न दिनांकों को किए गए व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई।

दिनांक	धनराशि	कार्य का विवरण
07.08.2020	31250.00	हयूमपाइप स्थापना पर ओम शिव शाम्भवी ट्रेडर्स
योग	31250.00	

हयूमपाइप स्थापना पर पर उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0 पुस्तिका, बिल / बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्य से संबंधित कार्य पत्रावलियाँ, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वार्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति, जल समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, हैन्डपम्प खराब होने की सूचना और इस संबंध में तकनीकी रिपोर्ट आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ व कोषबही में संबंधित स्थलों का उल्लेख भी नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 31250.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती सरोज गोस्वामी से रु० 15625.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल कुमार सिंह से रु० 15625.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-132

ग्राम पंचायत - जगदीशपुर

विकास क्षेत्र - कटेहरी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न दिनांकों को किए गए व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई।

क्र०	दिनांक	धनराशि	विवरण	प्राप्तकर्ता
1	22.04.2020	19450.00	हैन्डपम्प मरम्मत	बलराम ट्रेडर्स
2	29.05.2020	18170.00	हैन्डपम्प मरम्मत	बलराम ट्रेडर्स
3	29.05.2020	15810.00	हैन्डपम्प मरम्मत	बलराम ट्रेडर्स
4	25.06.2020	5280.00	हैन्डपम्प मरम्मत	बलराम ट्रेडर्स
5	31.07.2020	17680.00	हैन्डपम्प मरम्मत	शिव कॉन्सट्रक्शन्स
6	31.07.2020	18905.00	हैन्डपम्प मरम्मत	शिव कॉन्सट्रक्शन्स
7	28.09.2020	17685.00	हैन्डपम्प मरम्मत	शिव कॉन्सट्रक्शन्स
8	09.11.2020	11980.00	हैन्डपम्प मरम्मत	शिव कॉन्सट्रक्शन्स
9	25.11.2020	19970.00	हैन्डपम्प मरम्मत	महादेवी ट्रेडर्स
10	25.11.2020	19985.00	हैन्डपम्प मरम्मत	महादेवी ट्रेडर्स
11	18.12.2020	18100.00	हैन्डपम्प मरम्मत	उमंग इन्टरप्राइजेज
12	18.12.2020	15010.00	हैन्डपम्प मरम्मत	उमंग इन्टरप्राइजेज
13	24.12.2020	19500.00	हैन्डपम्प चौकी मरम्मत	शिव कॉन्सट्रक्शन्स
14	24.12.2020	13500.00	हैन्डपम्प मरम्मत	शिव कॉन्सट्रक्शन्स
15	11.03.2021	19985.00	अज्ञात	ए के ट्रेडर्स
16	11.03.2021	19860.00	अज्ञात	ए के ट्रेडर्स
17	26.03.2021	19930.00	हैन्डपम्प मरम्मत	ए के ट्रेडर्स
योग		290800.00		

हैन्डपम्प मरम्मत मद पर उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0 पुस्तिका, बिल / बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावलियाँ, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति, जल समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, हैन्डपम्प खराब होने की सूचना और इस संबंध में तकनीकी रिपोर्ट आदि अभिलेख नहीं हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ व कोषबही में संबंधित स्थलों का उल्लेख भी नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में

ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 290800.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री संत प्रसाद से रु0 115512.50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री चंचल रेड्डी से रु0 145400.00 व प्रशासक श्री लालजी शुक्ला से रु0 29887.50 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-133

ग्राम पंचायत - जगदीशपुर

विकास क्षेत्र - कटेहरी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न दिनांकों को किए गए व्यय के संबंध में निम्न आपतियाँ पाई गई।

क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण	प्राप्तकर्ता
1	23.12.2020	32000.00	ह्यूमपाइप स्थापना पर व्यय	उमंग इन्टरप्राइजेज

ह्यूमपाइप स्थापना मद पर उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0 पुस्तिका, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावली, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ व कोषबही में संबंधित स्थलों का उल्लेख भी नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 32000.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री संत प्रसाद से रु0 16000.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री चंचल रेड्डी से रु0 16000.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-134

ग्राम पंचायत - जगदीशपुर

विकास क्षेत्र - कटेहरी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न दिनांकों को किए गए व्यय के संबंध में निम्न आपतियाँ पाई गई।

क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण	प्राप्तकर्ता
1	27.08.2020	5500.00	मास्क व सैनिटाइजर क्रय	शिव कॉन्सट्रक्शन्स
2	27.08.2020	5500.00	मास्क व सैनिटाइजर क्रय	शिव कॉन्सट्रक्शन्स
योग		11000.00		

मास्क व सैनिटाइजर क्रय मद पर एक ही तिथि को दो बार 5500.00 का भुगतान शिव कॉन्सट्रक्शन्स को किया गया है। उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0 पुस्तिका, बिल / बाउचर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावली, स्टॉक पंजिका आदि अभिलेख नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 11000.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री संत प्रसाद से रु0 5500.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री चंचल रेड्डी से रु0 5500.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-135

ग्राम पंचायत - टीकमपारा

विकास क्षेत्र - कटेहरी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत टीकमपारा की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न दिनांकों को किए गए व्यय के संबंध में गंभीर आपत्तियाँ पाई गई।

क्र0	दिनांक	वाउचर सं0	धनराशि	कोषबही के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता	मद
1	26.09.2020	एक्स वी एफ सी /पी 24	37731.00	राम नायक वर्मा	बबलू सिंह के घर से प्रमोद सिंह के घर तक खड़जा निर्माण पर मिट्टी पटाई
2	05.10.2020	एक्स वी एफ सी /पी 35	37731.00	राम नायक वर्मा	बबलू सिंह के घर से प्रमोद सिंह के घर तक खड़जा निर्माण पर मिट्टी पटाई

बबलू सिंह के घर से प्रमोद सिंह के घर तक खड़जा निर्माण पर मिट्टी पटाई कराने के लिए राम नायक वर्मा को एक ही कार्य के लिए क्रमशः दिनांक 26.09.2020 व 05.10.2020 को 37731.00 रु 0 का भुगतान किया जाना दर्शित है। उक्त पुनः भुगतान की गई धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कोई साक्ष्य / बिल / वाउचर नहीं प्रस्तुत किया गया।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त पुनः भुगतान की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 37731.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री विजय बहादुर व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अमरजीत से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-136

ग्राम पंचायत - डोमनेपुर

विकास क्षेत्र - कटेहरी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत डोमनेपुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियाँ पाई गई।

क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण / प्राप्तकर्ता	वर्क आई0 डी0
1	08.11.2020	11751.00	संतराम के घर से राम बहादुर के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर ईंट क्रय	45068979
2	08.11.2020	4815.00	संतराम के घर से राम बहादुर के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर मजदूरी भुगतान	45068979
3	08.11.2020	44583.00	दूधनाथ के घर से गड़हिया तक नाली निर्माण पर बिल्डिंग मैटीरियल गांधी बिल्डिंग मैटीरियल	45068923
4	08.11.2020	95880.00	दूधनाथ के घर से गड़हिया तक नाली निर्माण पर श्री राम बिहारी इन्टरप्राइजेज	45068923
5	08.11.2020	45454.00	दूधनाथ के घर से गड़हिया तक नाली निर्माण पर ईंट क्रय आर बी ब्रिक फील्ड	45068923

6	08.11.2020	37848.00	दूधनाथ के घर से गड़हिया तक नाली निर्माण पर मजदूरी भुगतान	45068923
7	08.11.2020	74453.00	बब्बन सिंह के खेत से पक्की सड़क तक खड़जा मरम्मत पर ईट क्रय आर डी ब्रिक फील्ड	45068957
8	08.11.2020	40200.00	बब्बन सिंह के खेत से पक्की सड़क तक खड़जा मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	45068957
9	08.11.2020	4464.00	संतराम के घर से राम बहादुर के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर बिल्डिंग मैटीरियल गांधी बिल्डिंग मैटीरियल	45068979
10	08.11.2020	51618.00	संतराम के घर से राम बहादुर के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर श्री राम बिहारी इन्टरप्राइजेज	45068979
11	09.11.2020	3015.00	नाली निर्माण के मस्टर रोल में भीम को रिजेक्ट कर संतोष कुमार को भुगतान	45068923
12	09.11.2020	2412.00	खड़जा मरम्मत के मस्टर रोल में भीम को रिजेक्ट कर संतोष कुमार को भुगतान	45068957
		416493.00		

चतुर्थ राज्य वित्त से उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0 पुस्तिका, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्य से संबंधित कार्य पत्रावली, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वक्र्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति व उक्त कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अभिलेख नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 416493.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री अजय कुमार साहू से रु० 208246.50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री चंचल रेड्डी से रु० 208246.50 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-137

ग्राम पंचायत - डोमनेपुर

विकास क्षेत्र - कटेहरी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत डोमनेपुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियाँ पाई गई।

क्र०	दिनांक	धनराशि	विवरण / प्राप्तकर्ता	वर्क आई० डी०
1	13.03.2021	26640.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण पर मजदूरी भुगतान	44712262
2	13.03.2021	11037.00	दिव्यान्ग शौचालय निर्माण पर मजदूरी भुगतान	50000781
3	27.03.2021	8000.00	सामुदायिक शौचालय व पंचायत भवन पर सौरभ आर्ट को भुगतान	37226957 *
4	29.03.2021	28625.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण पर अवध कॉन्सट्रक्शन्स	44712262
5	30.11.2020	610.00	स्टेशनरी, फोटोकापी पर अमित कम्प्यूटर्स	37226957 *
		74912.00		

पंचम राज्य वित्त से उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0 पुस्तिका, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्य से संबंधित कार्य पत्रावली, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वार्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति व उक्त कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अभिलेख नहीं हैं जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 74912.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री अजय कुमार साहू से रु0 305.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री चंचल रेड्डी से रु0 37456.00 व प्रशासक श्री लालजी शुक्ला से रु0 37151.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-138

ग्राम पंचायत - डोमनेपुर

विकास क्षेत्र - कटेहरी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत डोमनेपुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियाँ पाई गई।

क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण / प्राप्तकर्ता	वर्क आई0 डी0
1	02.08.2020	21860.00	अन्त्येष्टि स्थल के विकास हेतु प्रशासनिक व्यय गोयल स्टेशनर्स	32408370
2	07.07.2020	47110.00	अन्त्येष्टि स्थल के विकास पर त्रिपाठी इंडस्ट्रीज़	32408370
3	07.07.2020	31500.00	अन्त्येष्टि स्थल के विकास पर मजदूरी भुगतान	32408370
4	07.07.2020	40404.00	अन्त्येष्टि स्थल के विकास पर मजदूरी भुगतान	32408370
5	07.07.2020	14994.00	सियारम पाण्डेय के घर से राम निहोर के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर ईट क्रय विजय ब्रिक फील्ड	26583112
6	07.07.2020	19650.00	हैन्ड पम्प मरम्मत पर साहू हार्डवेयर	19198950
7	07.07.2020	18850.00	हैन्ड पम्प मरम्मत पर साहू हार्डवेयर	19198950
8	08.11.2020	4000.00	मास्क क्रय प्रकाश प्रेरणा महिला संगठन	19198951
9	12.07.2020	10920.00	अन्त्येष्टि स्थल के विकास पर मजदूरी भुगतान	32408370
10	13.03.2021	64504.00	पंचायत भवन निर्माण पर एस पी बाबा कॉन्सट्रक्शन्स	44712256
11	15.06.2020	127686.00	अन्त्येष्टि स्थल के विकास पर रंगाई-पुताई हेतु अवध कॉन्सट्रक्शन्स	32408370
12	15.06.2020	14080.00	अन्त्येष्टि स्थल के विकास पर सीमेंट क्रय हेतु अवध कॉन्सट्रक्शन्स	32408370
13	15.06.2020	57036.00	अन्त्येष्टि स्थल के विकास पर ईट क्रय हेतु अवध कॉन्सट्रक्शन्स	32408370
14	15.06.2020	4410.00	अन्त्येष्टि स्थल के विकास पर मोरंग क्रय हेतु अवध कॉन्सट्रक्शन्स	32408370
15	15.06.2020	17105.00	अन्त्येष्टि स्थल के विकास पर बालू क्रय हेतु अवध कॉन्सट्रक्शन्स	32408370

16	15.06.2020	83970.00	अन्त्येष्टि स्थल के विकास पर गिट्टी, ईट क्रय हेतु अवध कॉन्सट्रक्शन्स	32408370
17	16.06.2020	166492.00	अन्त्येष्टि स्थल के विकास पर रबरमोल्ड ईट क्रय हेतु अवध कॉन्सट्रक्शन्स	32408370
18	16.06.2020	85470.00	अन्त्येष्टि स्थल के विकास पर ईट क्रय हेतु अवध कॉन्सट्रक्शन्स	32408370
19	17.06.2020	56197.00	अन्त्येष्टि स्थल के विकास पर रबरमोल्ड ईट क्रय हेतु अवध कॉन्सट्रक्शन्स	32408370
20	17.06.2020	60000.00	अन्त्येष्टि स्थल के विकास पर सीमेंट बेंच हेतु अवध कॉन्सट्रक्शन्स	32408370
21	17.06.2020	10000.00	अन्त्येष्टि स्थल के विकास पर ट्री प्लैन्टिंग हेतु अवध कॉन्सट्रक्शन्स	32408370
22	21.07.2020	16250.00	व्हाइट बोर्ड स्थापना पर गोयल मार्ट एण्ड स्टेशनर्स	35435218
23	21.07.2020	4510.00	स्टेशनरी, फोटोकापी पर अमित कम्प्यूटर्स	35435218
24	23.12.2020	10800.00	पंचायत भवन निर्माण पर आर डी ब्रिक फील्ड	44712256
25	23.12.2020	19519.00	पंचायत भवन निर्माण पर गांधी बिल्डिंग मैटीरियल	44712256
26	23.12.2020	10048.00	पंचायत भवन निर्माण पर गांधी बिल्डिंग मैटीरियल	44712256
27	23.12.2020	10500.00	पंचायत भवन निर्माण पर गांधी बिल्डिंग मैटीरियल	44712256
28	23.12.2020	8400.00	पंचायत भवन निर्माण पर गांधी बिल्डिंग मैटीरियल	44712256
29	24.12.2020	59250.00	पंचायत भवन निर्माण पर एम के इलेक्ट्रिक	44712256
30	24.12.2020	14250.00	हैन्ड पम्प मरम्मत पर सिद्धिदात्री कृषि उद्योग	19198950
योग		1109765.00		

14 वें वित्त आयोग से उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0 पुस्तिका, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्य से संबंधित कार्य पत्रावली, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति व उक्त कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अभिलेख नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 1109765.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री अजय कुमार साहू से रु0 522630.50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री चंचल रेड्डी से रु0 554882.50 व प्रशासक श्री लालजी शुक्ला से रु0 32252.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-139

ग्राम पंचायत - डोमनेपुर

विकास क्षेत्र - कटेहरी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत डोमनेपुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियाँ पाई गई।

क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण / प्राप्तकर्ता	वर्क आई0 डी0

1	08.11.2020	26199.00	राम चंद्र के घर से महेंद्र गुप्ता के घर तक नाली निर्माण पर मजदूरी भुगतान	45068933
2	08.11.2020	30507.00	राम चंद्र के घर से महेंद्र गुप्ता के घर तक नाली निर्माण पर गांधी बिल्डिंग मैटीरियल	45068933
3	08.11.2020	67680.00	राम चंद्र के घर से महेंद्र गुप्ता के घर तक नाली निर्माण पर श्री राम बिहारी इन्टरप्राइजेज	45068933
4	08.11.2020	31285.00	राम चंद्र के घर से महेंद्र गुप्ता के घर तक नाली निर्माण पर आर डी ब्रिक फील्ड	45068933
5	08.11.2020	2709.00	रघुवीर के घर के सामने सोकपिट निर्माण पर मजदूरी भुगतान	45069086
6	08.11.2020	5356.00	रघुवीर के घर के सामने सोकपिट निर्माण पर गांधी बिल्डिंग मैटीरियल	45069086
7	08.11.2020	9989.00	रघुवीर के घर के सामने सोकपिट निर्माण पर आर डी ब्रिक फील्ड	45069086
8	09.11.2020	2010.00	नाली निर्माण के मस्टर रोल में भीम को रिजेक्ट कर संतोष कुमार को भुगतान	45069086
9	13.03.2021	108267.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण पर बिल्डिंग मैटीरियल क्रय गांधी बिल्डिंग मैटीरियल	44712262
10	13.03.2021	16289.00	दिव्यान्ग शौचालय निर्माण पर आर डी ब्रिक फील्ड	50000781
11	23.12.2020	15598.00	पंचायत भवन निर्माण पर आर डी ब्रिक फील्ड	44712256
12	23.12.2020	3990.00	पंचायत भवन निर्माण पर गांधी बिल्डिंग मैटीरियल	44712256
13	24.12.2020	4125.00	पंचायत भवन निर्माण पर एस पी बाबा कॉन्सट्रक्शन्स	44712256
14	25.09.2020	51254.00	पंचायत भवन निर्माण पर त्रिपाठी इंडस्ट्रीज	44712256
15	25.09.2020	61622.00	पंचायत भवन निर्माण पर त्रिपाठी इंडस्ट्रीज	44712256
16	29.03.2021	1008.00	दिव्यान्ग शौचालय निर्माण पर आर डी ब्रिक फील्ड	50000781
17	29.03.2021	59234.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण पर आर डी ब्रिक फील्ड	44712262
18	29.03.2021	2772.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण पर आर डी ब्रिक फील्ड	44712262
19	29.03.2021	20995.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण पर जय बजरंग बिल्डिंग मैटीरियल	44712262
योग		520889.00		

15 वें केन्द्रीय वित्त आयोग से उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0 पुस्तिका, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्य से संबंधित कार्य पत्रावली, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति व उक्त कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अभिलेख नहीं हैं जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 520889.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री अजय कुमार साहू से रु0 156162.00 व तत्कालीन

ग्राम पंचायत सचिव श्री चंचल रेड्डी से रु0 260444.50 व प्रशासक श्री लालजी शुक्ला से रु0 104282.50 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-140

ग्राम पंचायत - पतौना

विकास क्षेत्र - कटेहरी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 07.04.2020 से 22.05.2020 के बीच निम्न दिनांकों को किए गए व्यय के संबंध में कोषबही में मदों का अंकन ईग्रामस्वराज पर कराई गई फीडिंग से नितांत भिन्न है। लेखा परीक्षा में उक्त से संबंधित अभिलेख अप्रस्तुत रहने से यह नहीं ज्ञात हो सका कि उक्त व्यय कोषबही के अनुसार अंकित मद पर किए गए हैं अथवा ईग्रामस्वराज पर दर्शित मदों के सापेक्ष किए गए हैं या किए ही नहीं गए हैं। विवरण निम्नवत हैं-

क्र0	दिनांक	धनराशि	कोषबही के अनुसार विवरण	ईग्रामस्वराज के अनुसार विवरण
1	07.04.2020	16300.00	नंदलाल के घर से बौहारी के घर तक खड़जा मरम्मत पर मजदूरी भुगतान	हैन्डपम्प मरम्मत पर ए के ट्रेडर्स
2	07.04.2020	17700.00	शराफत, बिनचू और हरिराम के घर के पास सोलर मरम्मत	सामु0 शौचा0 पर 3000 ईट क्रय पर जय बजरंग ब्रिक फील्ड
3	07.04.2020	17700.00	6 नग ह्यूमपाइप क्रय	सामु0 शौचा0 पर 3000 ईट क्रय पर जय बजरंग ब्रिक फील्ड
4	07.04.2020	19300.00	रवि पाण्डेय और रामानंद पाण्डेय के घर के पास सोलर मरम्मत	सामु0 शौचा0 पर मजदूरी भुगतान
5	15.04.2020	12500.00	गया प्रसाद, दुर्गा प्रसाद और संदीप के घर के पास सोलर मरम्मत	हैन्डपम्प मरम्मत पर ए के ट्रेडर्स
6	02.05.2020	10300.00	रामशब्द, गंगाराम, कन्हैया, गुड्डू आदि के घर के पास स्ट्रीट लाइट मरम्मत	सामु0 शौचा0 पर मजदूरी भुगतान
7	02.05.2020	4500.00	स्टेशनरी क्रय	सामु0 शौचा0 पर मजदूरी भुगतान
8	02.05.2020	4500.00	हैन्डपम्प मरम्मत	सामु0 शौचा0 पर मजदूरी भुगतान
9	22.05.2020	11690.00	दिनेश सिंह, शराफत अली के घर के पास सोलर मरम्मत	हैन्डपम्प मरम्मत कार्य
10	22.05.2020	16590.00	सत्य प्रकाश पाण्डेय के घर से भगौती दीन के घर तक नाली निर्माण पर मस्टर रोल	ह्यूमपाइप स्थापना पर ए के ट्रेडर्स
योग		131080.00		

उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0 पुस्तिका, बिल / बाउचर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावलियाँ, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति, जल समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, हैन्डपम्प खराब होने की सूचना और इस संबंध में तकनीकी रिपोर्ट आदि अभिलेख नहीं हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ भी नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 131080.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री विनोद सिंह से रु० 65540.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अखिलेश कुमार गौड़ से रु० 65540.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-141

ग्राम पंचायत - पतौना

विकास क्षेत्र - कटेहरी

जनपद - अम्बेडकरनगर _ग्राम

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न दिनांकों को किए गए व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई।

क्र०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	03.09.2020	135022.00	सामुदायिक शौचालय पर बिल्डिंग मैटीरियल
2	03.09.2020	39060.00	सामुदायिक शौचालय पर ईंट क्रय पर जय बजरंग ब्रिक फील्ड
3	03.09.2020	43953.00	सामुदायिक शौचालय पर ईंट क्रय पर जान ब्रिक फील्ड
4	05.09.2020	29484.00	सामुदायिक शौचालय पर मजदूरी
5	09.09.2020	50385.00	सामुदायिक शौचालय पर प्लम्बरिंग
		297904.00	

सामुदायिक शौचालय निर्माण मद पर उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी, एमबीओ पुस्तिका, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावली, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति आदि अभिलेख नहीं हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ व कोषबही में संबंधित स्थलों का उल्लेख भी नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 297904.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री विनोद सिंह से रु० 148952.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रवींद्र कुमार चौधरी से रु० 148952.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-142

ग्राम पंचायत - पतौना

विकास क्षेत्र - कटेहरी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न दिनांक को किए गए व्यय के संबंध में गंभीर आपत्तियाँ पाई गई।

क्र०	दिनांक	धनराशि	विवरण	प्राप्तकर्ता
1	09.09.2020	29126.00	हैन्डपम्प रीबोर	ए के ट्रेडर्स
2	22.09.2020	33229.00	हैन्डपम्प रीबोर	ए के ट्रेडर्स
3	19.10.2020	6250.00	हैन्डपम्प मरम्मत	ए के ट्रेडर्स

4	04.11.2020	33100.00	हैन्डपम्प रीबोर	ए के ट्रेडर्स
5	12.11.2020	18140.00	हैन्डपम्प मरम्मत	माधव ट्रेडर्स
6	25.11.2020	29100.00	हैन्डपम्प रीबोर	माधव ट्रेडर्स
योग		148945.00		

हैन्डपम्प रीबोर/मरम्मत मद पर उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0 पुस्तिका, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावली, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति आदि अभिलेख नहीं हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ व कोषबही में संबंधित स्थलों का उल्लेख भी नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 148945.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री विनोद सिंह से रु० 74472.50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रवींद्र कुमार चौधरी से रु० 74472.50 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-143

ग्राम पंचायत - पतौना

विकास क्षेत्र - कटेहरी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न दिनांक को किए गए व्यय के संबंध में गंभीर आपत्तियाँ पाई गई।

क्र०	दिनांक	धनराशि	विवरण	प्राप्तकर्ता
1	17.02.2021	180960.00	प्राथमिक विद्यालय पतौना में टाइल्स स्थापना	ए के ट्रेडर्स
2	20.02.2021	10220.00	प्राथमिक विद्यालय पतौना में टाइल्स स्थापना मस्टर रोल	ए के ट्रेडर्स
योग		191180.00		

प्राथमिक विद्यालय पतौना में टाइल्स स्थापना मद पर उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0 पुस्तिका, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावली, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति आदि अभिलेख नहीं हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ भी नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 191180.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रशासक श्री लालजी शुक्ला से रु० 95590.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रवींद्र कुमार चौधरी से रु० 95590.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-144

ग्राम पंचायत - पतौना**विकास क्षेत्र - कटेहरी****जनपद - अम्बेडकरनगर**

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न दिनांक को किए गए व्यय के संबंध में गंभीर आपत्तियाँ पाई गई।

क्र०	दिनांक	धनराशि	विवरण	प्राप्तकर्ता
1	17.09.2020	49160.00	पंचायत भवन मरम्मत	ए के ट्रेडर्स
2	01.10.2020	29120.00	पंचायत भवन मरम्मत	ए के ट्रेडर्स
योग		78280.00		

पंचायत भवन मरम्मत मद पर उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आर्डर, एमबी0 पुस्तिका, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावली, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ व कोषबही में संबंधित स्थलों का उल्लेख भी नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 78280.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री विनोद सिंह से रु० 39140.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रवींद्र कुमार चौधरी से रु० 39140.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-145**ग्राम पंचायत - बंदनडीह****विकास क्षेत्र - कटेहरी****जनपद - अम्बेडकरनगर**

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न दिनांकों को किए गए व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई।

क्र०	दिनांक	धनराशि	विवरण	वर्क आर्डर डी०
1	19.09.2020	38500.00	पंचायत भवन के पास हैन्डपम्प स्थापना पर आर्यन ट्रेडर्स	37166667
2	10.03.2021	18870.00	हैन्डपम्प मरम्मत एम के ट्रेडर्स	37166637
3	10.03.2021	19365.00	हैन्डपम्प मरम्मत एम के ट्रेडर्स	42614961
4	29.03.2021	31391.00	सामुदायिक शौचालय के पास हैन्डपम्प स्थापना पर आर्यन ट्रेडर्स	11109590
5	29.03.2021	30893.00	प्राथमिक विद्यालय बंदनडीह में हैन्डपम्प रीबोर पर आर्यन ट्रेडर्स	44623373
योग		139019.00		

ग्राम पंचायत बंदनडीह की आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ई ग्रामस्वराज से आंकड़ों का मिलान करने पर पाया गया कि उक्त पाँच कार्य हर बार एक नई आर्डर डी० से कराये गये हैं। क्रम संख्या 2 पर हैन्डपम्प मरम्मत के लिए जिस वर्क आर्डर डी० का प्रयोग दिनांक 10.03.2021 को किया गया है, उसी वर्क आर्डर डी० से दिनांक 16.09.2020 को चतुर्थ राज्य वित्त से पंचायत भवन के पास हैन्डपम्प स्थापना पर आर्यन ट्रेडर्स को रु० 38500.00 का भुगतान प्रारंभ किया गया किन्तु 17.09.2020 को रिफण्ड ऑफ एक्सेस पेमेंट कर के वापस लिया गया और पुनः 19.09.2020 को 15 वें केन्द्रीय वित्त से नई वर्क आर्डर डी० का प्रयोग करते हुए भुगतान पूर्ण किया गया और यही कोषबही में दर्ज किया गया जोकि वित्तीय संव्यवहार में कर्मचारियों की मनमानी एवं उदासीनता का द्योतक है।

हैन्डपम्प मरम्मत / रीबोर मद पर उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0 पुस्तिका, बिल / बाउचर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावलियाँ, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति, जल समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, हैन्डपम्प खराब होने की सूचना और इस संबंध में तकनीकी रिपोर्ट आदि अभिलेख नहीं हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ व हैन्डपम्प मरम्मत के संबंध में कोषबही में संबंधित स्थलों का उल्लेख भी नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 139019.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती आशा देवी से रु० 19250.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री साधू सरन से रु० 69509.50 व प्रशासक श्री लालजी शुक्ला से रु० 50259.50 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-146

ग्राम पंचायत - पतौना

विकास क्षेत्र - कटेहरी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न दिनांक को किए गए व्यय के संबंध में आपतियाँ पाई गई।

क्र०	दिनांक	धनराशि	विवरण	प्राप्तकर्ता
1	18.09.2020	22772.00	अन्त्येष्टि स्थल पर सामान क्रय	ग्राम प्रधान सीता राम
योग		22772.00		

अन्त्येष्टि स्थल पर सामान क्रय मद पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष स्टीमेट, एम0बी0 पुस्तिका, बिल / बाउचर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका आदि अभिलेख नहीं हैं। लेखा परीक्षा में मौखिक रूप से बताया गया कि उक्त राशि के सापेक्ष प्रधान द्वारा किए गए क्रय का भुगतान प्रधान को किया गया है जोकि नकद सामान न क्रय किए जाने के वित्तीय नियम का उल्लंघन है।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 22772.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री सीता राम से रु० 11386.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राकेश कुमार सिंह से रु० 11386.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-147

ग्राम पंचायत - बेनीपुर

विकास क्षेत्र - कटेहरी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न दिनांकों को इन्टर लॉकिंग निर्माण पर किए गए व्यय के संबंध में निम्न आपतियाँ पाई गई।

क्र०	दिनांक	धनराशि	विवरण / प्राप्तकर्ता	वर्क आई० डी०

1	03.04.2020	186920.00	राम सुंदर के घर से भगेलूराम मास्टर के घर तक इन्टरलॉकिंग पर मयूर इंडस्ट्रीज चतुर्थ राज्य वित्त	20693922
2	03.04.2020	28832.00	राम सुंदर के घर से भगेलूराम मास्टर के घर तक इन्टरलॉकिंग पर राम सुंदर वर्मा को चतुर्थ राज्य वित्त	20693922
3	03.04.2020	10155.00	राम सुंदर के घर से भगेलूराम मास्टर के घर तक इन्टरलॉकिंग पर RKY ब्रिक फील्ड चतुर्थ राज्य वित्त	20693922
4	03.04.2020	5166.00	राम सुंदर के घर से भगेलूराम मास्टर के घर तक इन्टरलॉकिंग पर राहुल ब्रिक फील्ड चतुर्थ राज्य वित्त	20693922
5	26.05.2020	16100.00	राम सुंदर के घर से भगेलूराम मास्टर के घर तक इन्टरलॉकिंग पर मजदूरी भुगतान चतुर्थ राज्य वित्त	20693922
योग		247173.00		
1	24.03.2021	17748.00	भगेलूराम मास्टर के घर से इन्टरलॉकिंग तक इन्टरलॉकिंग पर मजदूरी भुगतान पंचम राज्य वित्त	50805699
2	24.03.2021	116274.00	भगेलूराम मास्टर के घर से इन्टरलॉकिंग तक इन्टरलॉकिंग पर माँ शारदा इन्टरप्राइजेज पंद्रहवाँ केन्द्रीय वित्त	50805699
योग		134022.00		
1	24.03.2021	130604.00	अजय के घर से भगेलूराम मास्टर के घर तक इन्टरलॉकिंग पर माँ शारदा इन्टरप्राइजेज पंचम राज्य वित्त	44685896
2	24.03.2021	12299.00	अजय के घर से भगेलूराम मास्टर के घर तक इन्टरलॉकिंग पर माँ शारदा इन्टरप्राइजेज पंचम राज्य वित्त	44685896
3	24.03.2021	17949.00	अजय के घर से भगेलूराम मास्टर के घर तक इन्टरलॉकिंग पर मजदूरी भुगतान पंचम राज्य वित्त	44685896
योग		160852.00		
महायोग		542047.00		

राम सुंदर के घर से भगेलूराम मास्टर के घर तक इन्टरलॉकिंग निर्माण पर ईंट क्रय के लिए आर के वाई ब्रिक फील्ड एवं राहुल ब्रिक फील्ड को भुगतान किया गया है। अभिलेख उपलब्ध न कराए जाने कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि दो ईंट भट्टों को भुगतान ईंट क्रय के लिए ही किया गया है या किसी अन्य मद पर। भगेलूराम मास्टर के घर से इन्टरलॉकिंग तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर पंचम राज्य वित्त से वर्क आइ0 डी0 50805699 द्वारा दिनांक 24.03.2021 को मजदूरी पर 17748.00 व 15 वें केन्द्रीय वित्त से इसी वर्क आइ0 डी0 50805699 द्वारा दिनांक 24.03.2021 को ही इन्टरलॉकिंग पर माँ शारदा इन्टरप्राइजेज को 116274.00 का भुगतान किया गया है। भगेलूराम मास्टर के घर से इन्टरलॉकिंग तक व अजय के घर से भगेलूराम मास्टर के घर तक इन्टरलॉकिंग पर वर्षपर्यंत ईंट व अन्य निर्माण सामग्री क्रय पर भुगतान नहीं किया गया है।

इस प्रकार राम सुंदर वर्मा के घर से भगेलूराम मास्टर के घर तक, भगेलूराम मास्टर के घर से इन्टरलॉकिंग तक व अजय के घर से भगेलूराम मास्टर के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर व्यय के सापेक्ष उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0 पुस्तिका, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावली, स्टॉक पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति आदि अभिलेख नहीं हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ भी नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम

256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 542047.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती शारदा देवी से रु0 123586.50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल कुमार सिंह से रु0 271023.50 व प्रशासक श्री लालजी शुक्ला से रु0 147437.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-148

ग्राम पंचायत - मरथुआ सरैया

विकास क्षेत्र - कटेहरी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत मरथुआ सरैया की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न दिनांकों को ह्यूमपाइप क्रय पर किए गए व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई।

क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण / प्राप्तकर्ता	वर्क आई0डी0
1	14.07.2020	70767.00	ह्यूमपाइप क्रय पर अवध कॉन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स	43314043
2	23.12.2020	83700.00	ह्यूमपाइप क्रय पर अवध कॉन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स	43313433
योग		154467.00		

क्रम संख्या 1 पर अंकित व्यय चतुर्थ राज्य वित्त से एवं क्रम संख्या 2 पर अंकित व्यय 14 वें वित्त आयोग द्वारा अनुदानित राशि से किया गया है। उक्त दोनों व्यय धनराशि के समर्थन में वर्षपर्यंत कोई मजदूरी भी नहीं व्यय की गई है। ह्यूमपाइप क्रय के सापेक्ष उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0 पुस्तिका, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावली, स्टॉक पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ व कोषबही में संबंधित स्थलों का उल्लेख भी नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 154467.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती रीना यादव से रु0 77233.50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री साधू सरन से रु0 77233.50 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-149

ग्राम पंचायत - मरथुआ सरैया

विकास क्षेत्र - कटेहरी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत मरथुआ सरैया की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न दिनांकों को जू0 हाई स्कूल मरथुआ सरैया में टाइल्स कार्य पर किए गए व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई।

क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण / प्राप्तकर्ता	वर्क आई0डी0
1	20.03.2021	169928.00	जू0 हाई स्कूल मरथुआ सरैया में टाइल्स कार्य पर मंगल बिल्डिंग मैटिरीयल्स	49483541
2	20.03.2021	52332.00	जू0 हाई स्कूल मरथुआ सरैया में टाइल्स कार्य पर मजदूरी	49483541
3	20.03.2021	17476.00	जू0 हाई स्कूल मरथुआ सरैया में टाइल्स कार्य पर ईंट क्रय आर बी वी ब्रिक फील्ड	49483541
योग		239736.00		

उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0 पुस्तिका, बिल / बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्य से संबंधित कार्य पत्रावली आदि अभिलेख नहीं हैं। कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ भी नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 239736.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रशासक श्री लालजी शुक्ला से रु0 119868.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री साधू सरन से रु0 119868.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-150

ग्राम पंचायत - मरथुआ सरैया

विकास क्षेत्र - कटेहरी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत मरथुआ सरैया की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न दिनांकों को इन्टर लॉकिंग निर्माण पर किए गए व्यय के संबंध में निम्न आपतियाँ पाई गई।

क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण / प्राप्तकर्ता	वर्क आई0डी0
1	07.07.2020	47915.00	अवधेश सिंह के घर से लाला सिंह के घर तक इन्टरलॉकिंग पर श्री राम बिहारी इन्टरप्राइजेज	43246083
2	07.07.2020	2994.00	अवधेश सिंह के घर से लाला सिंह के घर तक इन्टरलॉकिंग पर ईट क्रय आर बी वी ब्रिक फील्ड	43246083
3	07.07.2020	11502.00	अवधेश सिंह के घर से लाला सिंह के घर तक बिल्डिंग मैटीरियल पर मंगल बिल्डिंग मैटीरियल	43246083
4	07.07.2020	4662.00	अवधेश सिंह के घर से लाला सिंह के घर तक इन्टरलॉकिंग पर मजदूरी भुगतान	43246083
योग		67073.00		

इस प्रकार अवधेश सिंह के घर से लाला सिंह के घर तक इन्टरलॉकिंग पर व्यय के सापेक्ष उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0 पुस्तिका, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावली, स्टॉक पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति आदि अभिलेख नहीं हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ व कोषबही में संबंधित स्थलों का उल्लेख भी नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 67073.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन

व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती रीना यादव से रु0 33536.50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री साधू सरन से रु0 33536.50 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-151

ग्राम पंचायत - महरुआ गोला

विकास क्षेत्र - कटेहरी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न दिनांकों को किए गए व्यय के संबंध में गंभीर आपत्तियाँ पाई गई।

क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण	प्राप्तकर्ता	वर्क आई0 डी0
1	27.06.2020	17105.00	अज्ञात	जय भैरव जी ट्रेडर्स	42368232
2	27.06.2020	16480.00	अज्ञात	जय भैरव जी ट्रेडर्स	42368232
3	25.03.2021	19985.00	अज्ञात	एम के ट्रेडर्स	19194547
4	25.03.2021	24208.00	अज्ञात	एम के ट्रेडर्स	42368232
5	25.03.2021	24816.00	अज्ञात	एम के ट्रेडर्स	42368232
योग		102594.00			

क्रम संख्या 1 से 5 तक अंकित व्यय के सापेक्ष मद का अंकन न कोषबही में है न ही ई ग्रामस्वराज पर। उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0 पुस्तिका, बिल / बाउचर, डिलीवरी चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावली, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 102594.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती कोमल पाण्डेय से रु0 16792.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री साधू सरन से रु0 51297.00 व प्रशासक श्री लालजी शुक्ला से रु0 34504.50 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-152

ग्राम पंचायत - महरुआ गोला

विकास क्षेत्र - कटेहरी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न दिनांकों को किए गए व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई।

क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण / प्राप्तकर्ता
1	05.08.2020	10500.00	हैन्डपम्प मरम्मत पर प्रगति कॉन्स्ट्रक्शनस
2	05.08.2020	11370.00	हैन्डपम्प मरम्मत पर प्रगति कॉन्स्ट्रक्शनस
3	06.09.2020	16500.00	हैन्डपम्प मरम्मत पर प्रगति कॉन्स्ट्रक्शनस
4	20.09.2020	19930.00	हैन्डपम्प मरम्मत पर प्रगति कॉन्स्ट्रक्शनस

5	12.11.2020	19310.00	हैन्डपम्प मरम्मत पर प्रगति कॉन्स्ट्रक्शनस
योग		77610.00	

हैन्डपम्प मरम्मत मद पर उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0 पुस्तिका, बिल / बाउचर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावलियाँ, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति, जल समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, हैन्डपम्प खराब होने की सूचना और इस संबंध में तकनीकी रिपोर्ट आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ व कोषबही में संबंधित स्थलों का उल्लेख भी नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 77610.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती कोमल पाण्डेय से रु० 38805.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री साधू सरन से रु० 38805.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-153

ग्राम पंचायत - महरुआ गोला

विकास क्षेत्र - कटेहरी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न दिनांकों को किए गए व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई।

क्र०	दिनांक	धनराशि	विवरण	प्राप्तकर्ता	वर्क आई० डी०
1	06.09.2020	50000.00	सामु० शौचा० पर पानी की टंकी की स्थापना	प्रगति कॉन्स०	42727910
योग		50000.00			

उक्त विवरणानुसार वर्ष में सामुदायिक शौचालय निर्माण पर पानी की टंकी की स्थापना पर व्यय किया जाना दर्शित है। उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0 पुस्तिका, बिल / बाउचर, डिलीवरी चालान, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावलियाँ, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति आदि अभिलेख नहीं है। उक्त कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 50000.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती कोमल पाण्डेय से रु० 25000.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री साधू सरन से रु० 25000.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-154

ग्राम पंचायत - महरुआ गोला

विकास क्षेत्र - कटेहरी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न दिनांकों को किए गए व्यय के संबंध में निम्न आपतियाँ पाई गई।

क्र 0	दिनांक	धनराशि	विवरण / प्राप्तकर्ता	वर्क आई0 डी0
1	24.09.2020	150000.00	पँचा0 भवन पर मिट्टी पटाई व दरवाजा / प्रगति कॉन्स्ट्रक्शनस	44607515
2	24.09.2020	155000.00	पँचा0 भवन पर टाइल्स और बालू क्रय / प्रगति कॉन्स्ट्रक्शनस	44607515
योग		305000.00		

उक्त पंचायत भवन निर्माण उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0 पुस्तिका, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, डिलीवरी चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावली, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो अथवा बिना कार्य हुए या एम0 बी0 कराए ही धनराशि का आहरण कर लिया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 305000.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती कोमल पाण्डेय व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री साधू सरन से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-155

ग्राम पंचायत - महरुआ गोला

विकास क्षेत्र - कटेहरी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न दिनांकों को किए गए व्यय के संबंध में निम्न आपतियाँ पाई गई।

क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण	प्राप्तकर्ता	वर्क आई0 डी0
1	08.12.2020	122931.00	लुददुर के घर से मुन्ना की दुकान तक इंटरलॉकिंग कार्य	प्रगति कॉन्स्ट्रक्शनस	42736389
2	17.12.2020	69750.00	असदुल्ला के घर से मस्जिद तक नाली निर्माण पर ह्यूमपाइप क्रय	प्रगति कॉन्स्ट्रक्शनस	45307006
3	17.12.2020	2211.00	असदुल्ला के घर से मस्जिद तक नाली निर्माण पर	मजदूरी भुगतान	अज्ञात
4	17.12.2020	109272.00	मुक्ति के घर से लुददुर के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	प्रगति कॉन्स्ट्रक्शनस	45299638
5	24.12.2020	105035.00	सुबराती के घर से रमजान के घर तक नाली निर्माण पर बिल्डिंग मैटीरियल	प्रगति कॉन्स्ट्रक्शनस	45299657
6	24.12.2020	13475.00	सुबराती के घर से रमजान के घर तक नाली निर्माण पर ईट क्रय	वर्मा ब्रिक फील्ड	45299657

योग	422674.00			

ग्राम पंचायत में इन्टरलॉकिंग व नाली निर्माण पर उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0 पुस्तिका, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, डिलीवरी चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावली, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वार्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति आदि अभिलेख नहीं हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो अथवा बिना कार्य हुए या एम0 बी0 कराए ही धनराशि का आहरण कर लिया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 422674.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती कोमल पाण्डेय व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री साधू सरन से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-156

ग्राम पंचायत - मूसेपुर गिरण्ट

विकास क्षेत्र - कटेहरी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न दिनांकों को किए गए व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई।

क्र०	दिनांक	धनराशि	विवरण	प्राप्तकर्ता
1	02.09.2020	17540.00	हैन्डपम्प मरम्मत	सिंह कॉन्सट्रक्शन
2	03.10.2020	18500.00	हैन्डपम्प मरम्मत	जान ट्रेडर्स
3	14.10.2020	16850.00	हैन्डपम्प मरम्मत	जान ट्रेडर्स
4	23.11.2020	19980.00	हैन्डपम्प मरम्मत	माधव ट्रेडर्स
5	23.11.2020	19985.00	हैन्डपम्प मरम्मत	जान ट्रेडर्स
6	26.12.2020	12500.00	हैन्डपम्प मरम्मत	जान ट्रेडर्स
7	12.03.2021	19970.00	हैन्डपम्प मरम्मत	जान ट्रेडर्स
8	12.03.2021	9500.00	हैन्डपम्प मरम्मत	शिव कॉन्सट्रक्शन
9	12.03.2021	6000.00	हैन्डपम्प मरम्मत	शिव कॉन्सट्रक्शन
10	25.03.2021	18650.00	हैन्डपम्प मरम्मत	शिव कॉन्सट्रक्शन
11	25.03.2021	16250.00	हैन्डपम्प मरम्मत	शिव कॉन्सट्रक्शन
योग		175725.00		

हैन्डपम्प मरम्मत मद पर उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0 पुस्तिका, बिल / बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावलियाँ, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वार्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति, जल समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, हैन्डपम्प खराब होने की सूचना और इस संबंध में तकनीकी रिपोर्ट आदि अभिलेख नहीं हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ व कोषबही में संबंधित स्थलों का उल्लेख भी नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड

8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 175725.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री मदन लाल से रु0 52677.50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सरिता शुक्ला से रु0 87862.50 एवं प्रशासक श्री लालजी शुक्ला से रु0 35185.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-157

ग्राम पंचायत - मूसेपुर गिरण्ट

विकास क्षेत्र - कटेहरी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न दिनांकों को किए गए व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई।

क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण	प्राप्तकर्ता
1	01.08.2020	34125.00	हयूमपाइप स्थापना पर व्यय	सिंह कॉन्सट्रक्शन
2	08.09.2020	31250.00	हयूमपाइप स्थापना पर व्यय	जान ट्रेडर्स
3	14.10.2020	17200.00	हयूमपाइप स्थापना पर व्यय	जान ट्रेडर्स
योग		82575.00		

हयूमपाइप स्थापना मद पर उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0 पुस्तिका, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावली, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति आदि अभिलेख नहीं हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ व कोषबही में संबंधित स्थलों का उल्लेख भी नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 82575.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री मदन लाल से रु0 41287.50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सरिता शुक्ला से रु0 41287.50 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-158

ग्राम पंचायत - रानीपुर मोहन

विकास क्षेत्र - कटेहरी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न दिनांकों को किए गए व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई।

क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण	प्राप्तकर्ता
1	14.09.2020	12800.00	हैन्डपम्प मरम्मत	ओम शिव शांभवी ट्रेडर्स
2	14.09.2020	18760.00	हैन्डपम्प मरम्मत	ओम शिव शांभवी ट्रेडर्स
3	03.10.2020	19350.00	हैन्डपम्प मरम्मत	ओम शिव शांभवी ट्रेडर्स
4	14.10.2020	18350.00	हैन्डपम्प मरम्मत	ओम शिव शांभवी ट्रेडर्स
5	23.11.2020	19810.00	हैन्डपम्प मरम्मत	एम के ट्रेडर्स

6	23.11.2020	18615.00	हैन्डपम्प मरम्मत	एम के ट्रेडर्स
7	05.12.2020	11730.00	हैन्डपम्प मरम्मत	एम के ट्रेडर्स
8	29.12.2020	22500.00	हैन्डपम्प मरम्मत	ओम शिव शांभवी ट्रेडर्स
9	29.12.2020	23500.00	हैन्डपम्प मरम्मत	ओम शिव शांभवी ट्रेडर्स
योग		165415.00		

हैन्डपम्प मरम्मत मद पर उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0 पुस्तिका, बिल / बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावलियाँ, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वार्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति, जल समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, हैन्डपम्प खराब होने की सूचना और इस संबंध में तकनीकी रिपोर्ट आदि अभिलेख नहीं हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ व कोषबही में संबंधित स्थलों का उल्लेख भी नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 165415.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान शेषनाथ त्रिपाठी से रु0 82707.50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सरिता शुक्ला से रु0 82707.50 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-159

ग्राम पंचायत - रानीपुर मोहन

विकास क्षेत्र - कटेहरी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न दिनांकों को किए गए व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई।

क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण	प्राप्तकर्ता
1	14.10.2020	15050.00	ह्यूमपाइप स्थापना पर व्यय	ओम शिव शांभवी ट्रेडर्स
2	05.12.2020	57500.00	ह्यूमपाइप स्थापना पर व्यय	एम के ट्रेडर्स
3	29.12.2020	6231.00	ह्यूमपाइप स्थापना पर व्यय	मजदूरी भुगतान
योग		78781.00		

ह्यूमपाइप स्थापना मद पर उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0 पुस्तिका, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावली, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वार्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति आदि अभिलेख नहीं हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ व कोषबही में संबंधित स्थलों का उल्लेख भी नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 78781.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज

सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान शेषनाथ त्रिपाठी से रु0 39390.50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सरिता शुक्ला से रु0 39390.50 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-160

ग्राम पंचायत - रानीपुर मोहन

विकास क्षेत्र - कटेहरी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न दिनांक को किए गए व्यय के संबंध में गंभीर आपत्तियाँ पाई गई।

क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण	प्राप्तकर्ता	वर्क आई0 डी0
1	03.10.2020	17500.00	सफाईकमी कित क्रय	ओम शिव शांभवी ट्रेडर्स	
2	29.12.2020	23500.00	सफाईकमी कित क्रय	ओम शिव शांभवी ट्रेडर्स	
योग		41000.00			

सफाईकमी कित क्रय पर उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टैमेट, बिल / बाउचर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावली, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका आदि अभिलेख नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 41000.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान शेषनाथ त्रिपाठी से रु0 20500.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सरिता शुक्ला से रु0 20500.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-161

ग्राम पंचायत - रानीपुर मोहन

विकास क्षेत्र - कटेहरी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न दिनांकों को किए गए व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई।

क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण	प्राप्तकर्ता
1	14.09.2020	12800.00	सीताराम के घर के सामने कूप मरम्मत	ओम शिव शांभवी ट्रेडर्स
2	14.09.2020	18760.00	सीताराम के घर के सामने कूप मरम्मत	ओम शिव शांभवी ट्रेडर्स
3	03.10.2020	19350.00	सीताराम के घर के सामने कूप मरम्मत	ओम शिव शांभवी ट्रेडर्स
4	14.10.2020	18350.00	सीताराम के घर के सामने कूप मरम्मत	ओम शिव शांभवी ट्रेडर्स
योग		68553.00		

सीताराम के घर के सामने कूप मरम्मत मद पर उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टैमेट, एम0बी0 पुस्तिका, बिल / बाउचर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावलियाँ, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति, जल समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, हैन्डपम्प खराब होने की सूचना और इस संबंध में तकनीकी रिपोर्ट आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ व कोषबही में संबंधित स्थलों का उल्लेख भी नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 68553.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान शेषनाथ त्रिपाठी से रु० 34276.50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सरिता शुक्ला से रु० 34276.50 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-162

ग्राम पंचायत - शाहपुर परासी

विकास क्षेत्र - कटेहरी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न दिनांकों को किए गए व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई।

क्र०	दिनांक	धनराशि	विवरण	प्राप्तकर्ता
1	07.08.2020	14000.00	मानदेय अप्रैल से जुलाई 2020	आशीष कुमार पाण्डेय
2	20.12.2020	21000.00	मानदेय 6 माह के लिए	आशीष कुमार पाण्डेय

उक्त विवरणानुसार माह अप्रैल से जुलाई 2020 का 4 माह का मानदेय दिनांक 07.08.2020 को किया गया है, दिनांक 20.12.2020 को 6 माह का मानदेय रु० 21000.00 दिया गया। उक्त 6 माह का अर्थ अगस्त से जनवरी 2021 का मानदेय है जबकि प्रधान पद का कार्यकाल दिसंबर 2020 में ही समाप्त हो गया था, इस प्रकार एक माह का मानदेय अग्रिम / अनियमित रहा और एक माह का मानदेय अतिरिक्त दे दिया गया। लेखा परीक्षा में प्रधान मानदेय पंजिका के साथ साथ 20.12.2020 को प्रदत्त मानदेय की प्राप्ति रसीद व अन्य संगत अभिलेख भी नहीं प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त अधिक भुगतानित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 7000.00 में से रु० 3500.00 अनियमितता एवं रु० 3500.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री आशीष कुमार पाण्डेय से रु० 3500.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रवींद्र कुमार वर्मा से रु० 3500.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-163

ग्राम पंचायत - सरखने किसुनीपुर

विकास क्षेत्र - कटेहरी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न दिनांकों को किए गए व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई।

क्र०	दिनांक	धनराशि	विवरण	प्राप्तकर्ता
1	30.07.2020	7600.00	हैन्डपम्प मरम्मत	अन्नू ट्रेडर्स
2	20.10.2020	19980.00	हैन्डपम्प मरम्मत	खुशी इंटरप्राइजेज
3	20.10.2020	19860.00	हैन्डपम्प मरम्मत	खुशी इंटरप्राइजेज
4	14.11.2020	19990.00	हैन्डपम्प मरम्मत	एम के ट्रेडर्स
5	18.11.2020	19870.00	हैन्डपम्प मरम्मत	रुद्र ट्रेडर्स
6	22.11.2020	33650.00	हैन्डपम्प रीबोर	खुशी इंटरप्राइजेज
7	22.11.2020	12650.00	हैन्डपम्प मरम्मत	खुशी इंटरप्राइजेज
8	22.11.2020	16350.00	हैन्डपम्प मरम्मत	खुशी इंटरप्राइजेज
9	24.11.2020	15250.00	हैन्डपम्प मरम्मत	खुशी इंटरप्राइजेज

10	11.03.2021	19980.00	हैन्डपम्प मरम्मत	खुशी इन्टरप्राइजेज
11	11.03.2021	19965.00	हैन्डपम्प मरम्मत	खुशी इन्टरप्राइजेज
योग		205145.00		

हैन्डपम्प मरम्मत / रीबोर मद पर उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0 पुस्तिका, बिल / बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावलियाँ, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति, जल समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, हैन्डपम्प खराब होने की सूचना और इस संबंध में तकनीकी रिपोर्ट आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ व कोषबही में संबंधित स्थलों का उल्लेख भी नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 205145.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री वीरेंद्र प्रताप पाठक से रु० 82600.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विश्वनाथ पटेल से रु० 102572.50 व प्रशासक श्री लालजी शुक्ला से रु० 19972.50 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-164

ग्राम पंचायत - हारीपुर

विकास क्षेत्र - कटेहरी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न दिनांक को किए गए व्यय के संबंध में गंभीर आपत्तियाँ पाई गई।

क्र०	दिनांक	धनराशि	विवरण	प्राप्तकर्ता	वर्क आई0 डी0
1	22.04.2020	12130.00	प्रशासनिक व्यय	अमित कम्प्यूटर्स	44492910

दिनांक 22.04.2020 को रु० 12130.00 का भुगतान अमित कम्प्यूटर्स को प्रशासनिक मद में किया जाना दर्शित है जिसके सापेक्ष रु० 3500.00 प्रधान पद के एक माह के मानदेय को मुख्यमंत्री राहत कोष में, तथा शेष 8630.00 प्रशासनिक खर्च व स्टेशनरी क्रय किया गया। उक्त क्रय के सापेक्ष न तो कार्य पत्रावली प्रस्तुत की गई और न ही कोई बिल / प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया। ध्यातव्य है कि मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान के अंतिम प्राप्तकर्ता अमित कम्प्यूटर्स रहे। इस प्रकार दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 12130.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती फूलकुमारी व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री चंचल रेड्डी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-165**ग्राम पंचायत - हारीपुर****विकास क्षेत्र - कटेहरी****जनपद - अम्बेडकरनगर**

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न दिनांकों को किए गए व्यय के संबंध में निम्न आपतियाँ पाई गई।

क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण	प्राप्तकर्ता	वर्क आई0 डी0
1	09.11.2020	7000.00	मानदेय सितंबर अक्टूबर 2020	फूलकुमारी	19194685
2	22.12.2020	7000.00	मानदेय सितंबर अक्टूबर 2020	फूलकुमारी	19194685

उक्त विवरणानुसार माह सितंबर व अक्टूबर 2020 का दो माह का मानदेय एक ही वर्क आई0 डी0 से दो बार क्रमशः दिनांक 09.11.2020 व 22.12.2020 को किया गया है। लेखा परीक्षा में प्रधान मानदेय पंजिका के साथ साथ 22.12.2020 को प्रदत्त मानदेय की प्राप्ति रसीद व अन्य संगत अभिलेख भी नहीं प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त पुनः भुगतानित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 7000.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती फूलकुमारी व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री चंचल रेड्डी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-166**ग्राम पंचायत - हारीपुर****विकास क्षेत्र - कटेहरी****जनपद - अम्बेडकरनगर**

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न दिनांकों को किए गए व्यय के संबंध में निम्न आपतियाँ पाई गई।

क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण	प्राप्तकर्ता	वर्क आई0 डी0
1	05.09.2020	10500.00	हैन्डपम्प मरम्मत	अजय फर्निचर	37281281
2	05.09.2020	11370.00	हैन्डपम्प मरम्मत	अजय फर्निचर	37281281
3	22.12.2020	16500.00	हैन्डपम्प मरम्मत	बलराम ट्रेडर्स	37281281
4	26.03.2021	19930.00	हैन्डपम्प मरम्मत	अज्ञात	37281281
5	26.03.2021	19310.00	हैन्डपम्प मरम्मत	अज्ञात	37281281
6	29.05.2020	15150.00	हैन्डपम्प मरम्मत	सिद्धिदात्री कृषि उद्योग	20284506
योग		92760.00			

हैन्डपम्प मरम्मत मद पर उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0 पुस्तिका, बिल / बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावलियाँ, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति, जल समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, हैन्डपम्प खराब होने की सूचना और इस संबंध में तकनीकी रिपोर्ट आदि अभिलेख नहीं हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ व कोषबही में संबंधित स्थलों का उल्लेख भी नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256

एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 92760.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती फूलकुमारी से रु0 26760.00 , तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री चंचल रेड्डी से रु0 46380.00 व प्रशासक श्री लालजी शुक्ला से रु0 19620.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-167

ग्राम पंचायत - हारीपुर

विकास क्षेत्र - कटेहरी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न दिनांकों को किए गए व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई।

क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण	प्राप्तकर्ता	वर्क आई0 डी0
1	06.11.2020	32210.00	सामु0 शौचा0 पर प्लमबरिंग	अजय फर्निचर	44492910
2	23.12.2020	38950.00	सामु0 शौचा0 पर प्लमबरिंग	अजय फर्निचर	44492910
3	27.03.2021	8000.00	सामु0 शौचा0 व पँचा0 भवन पर	सौरभ आर्ट	37281240
4	08.03.2021	30500.00	सामु0 शौचा0 निर्माण पर	जय किसान बिल्डिंग मैटीरियल्स	44593302
5	08.03.2021	48880.00	सामु0 शौचा0 पर प्लमबरिंग	सिंह कॉन्सट्रक्शन्स	44492910
6	13.09.2020	53413.00	सामु0 शौचा0 निर्माण पर	सिंह कॉन्सट्रक्शन्स	44593319
7	13.09.2020	23980.00	सामु0 शौचा0 निर्माण पर	अजय फर्निचर	44593319
8	14.09.2020	72587.00	सामु0 शौचा0 निर्माण पर	जय किसान बिल्डिंग मैटीरियल्स	44593319
9	24.03.2021	53600.00	सामु0 शौचा0 निर्माण पर	रेउली ब्रिक फील्ड	44593302
10	30.09.2020	30585.00	सामु0 शौचा0 निर्माण पर	मस्टर रोल	44593302
योग		392705.00			

उक्त विवरणानुसार वर्ष भर में चार वर्क आई0 डी0 द्वारा सामुदायिक शौचालय निर्माण पर व्यय किया जाना दर्शित है। सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0 पुस्तिका, बिल / बाउचर, डिलीवरी चालान, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावलि, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 392705.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती फूलकुमारी रु0 125862.50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री चंचल रेड्डी रु0 196352.50 व प्रशासक श्री लालजी शुक्ला से रु0 70490.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-168

ग्राम पंचायत - हारीपुर

विकास क्षेत्र - कटेहरी

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न दिनांकों को किए गए व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई।

क्र०	दिनांक	धनराशि	विवरण	प्राप्तकर्ता	वर्क आई० डी०
1	24.09.2020	49600.00	पँचा० भवन पर खिड़की, दरवाजा, जंगला	बलराम ट्रेडर्स	44704214
2	24.09.2020	39500.00	पँचा० भवन पर हैन्डपम्प स्थापना	बलराम ट्रेडर्स	44704214
3	24.09.2020	14500.00	पँचा० भवन पर सबमर्सिबल स्थापना	बलराम ट्रेडर्स	44704214
4	16.12.2020	130200.00	पँचा० भवन निर्माण	रेउली ब्रिक फील्ड	45408108
5	16.12.2020	65100.00	पँचा० भवन निर्माण	रेउली ब्रिक फील्ड	45408108
6	16.12.2020	123012.00	पँचा० भवन निर्माण	चौधरी बिल्डिंग मैटीरियल्स	45408108
7	16.12.2020	194610.00	पँचा० भवन निर्माण	चौधरी बिल्डिंग मैटीरियल्स	45408108
8	17.12.2020	104000.00	पँचा० भवन निर्माण	चौधरी बिल्डिंग मैटीरियल्स	45408108
9	17.12.2020	145625.00	पँचा० भवन निर्माण	चौधरी बिल्डिंग मैटीरियल्स	45408108
10	17.12.2020	57260.00	पँचा० भवन निर्माण	चौधरी बिल्डिंग मैटीरियल्स	45408108
11	20.12.2020	45130.00	पँचा० भवन निर्माण	कार्टेज	45408108
12	22.12.2020	130200.00	पँचा० भवन निर्माण	रेउली ब्रिक फील्ड	45408108
13	22.12.2020	53100.00	पँचा० भवन निर्माण	बलराम ट्रेडर्स	45408108
योग		1151837.00			

उक्त पंचायत भवन निर्माण पर 15 वें वित्त द्वारा दिनांक 24.09.2020 को क्रमशः 49600, 39500 व 14500.00 रुपये का भुगतान वर्क आई० डी० 44704214 द्वारा खिड़की, दरवाजा, जंगला, हैन्डपम्प स्थापना, सबमर्सिबल स्थापना पर बलराम ट्रेडर्स एवं शेष 1048237.00 रुपये का भुगतान रेउली ब्रिक फील्ड, चौधरी बिल्डिंग मैटीरियल्स, बलराम ट्रेडर्स व कार्टेज के लिए आर जी एस ए मद से वर्क आई० डी० 45408108 द्वारा किया गया है। उक्त सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई०डी०, एम०बी० पुस्तिका, बिल / बाउचर, डिलीवरी चालान, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावली, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो अथवा बिना कार्य हुए या एम० बी० कराए ही धनराशि का आहरण कर लिया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 1151837.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती फूलकुमारी व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री चंचल रेड्डी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-169

ग्राम पंचायत - आमा दरवेशपुर

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की अडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैन्डपम्प रिबोर-मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया हैः/

क्र०सं०	दिनांक	व्यय का विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि

.1	26.06.20	हैंडपंप मरम्मत	प्रकाश मशीनरी स्टोर	10000.00
.2	26.06.20	हैंडपंप मरम्मत	प्रकाश मशीनरी स्टोर	10000.00
.3	24.09.20	हैंडपंप मरम्मत	प्रकाश मशीनरी स्टोर	9349.00
.4	24.09.20	हैंडपंप मरम्मत	प्रकाश मशीनरी स्टोर	9700.00
.5	24.09.20	हैंडपंप मरम्मत	प्रकाश मशीनरी स्टोर	9949.00
.6	27.11.20	हैंडपंप मरम्मत	प्रकाश मशीनरी स्टोर	9119.00
7.	27.11.20	हैंडपंप रिबोर	प्रकाश मशीनरी स्टोर	12508.00
8.	05.12.20	हैंडपंप रिबोर	प्रकाश मशीनरी स्टोर	10608.00
9.	07.12.20	हैंडपंप मरम्मत	प्रकाश मशीनरी स्टोर	10113.00
.10	07.12.20	हैंडपंप मरम्मत	प्रकाश मशीनरी स्टोर	10535.00
		योग		101881.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

- 1- हैंडपंप मरम्मत व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2- उक्त वेडर/फर्म हैंडपंप मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी०एस०टी० पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।
- 3- एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है।

व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 101881.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती संतरा देवी एवं ग्राम सचिव श्री प्रदीप कुमार गुप्ता से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-170

ग्राम पंचायत - आमा दरवेशपुर

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद -

अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष विवरण ,में ग्राम पंचायत आमादरवेशपुर में सोखपिट निर्माण पर व्यय दर्शित है 21-2020
-:निम्नवत है

क्र०सं	दिनांक	व्यय का विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
.1	20.06.20	सोख पिट निर्माण हेतु बिल्डिंग मटेरियल	प्रकाश मशीनरी स्टोर	45114.00
.2	20.06.20	सोखपिट निर्माण हेतु ईट	कृष्णा ब्रिक फील्ड	42798.00
.3	20.06.20	मजदूरी	अज्ञात	14904.00
		योग		102816.00

उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में धनराशि रु० 102816.00 वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती संतरा देवी एवं ग्राम सचिव श्री प्रदीप कुमार गुप्ता से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-171**ग्राम पंचायत - आमा दरवेशपुर
अम्बेडकरनगर****विकास क्षेत्र - रामनगर****जनपद -**

आलोच्य वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत में खडंजा मार्ग से आरम्भ होकर नसीरपुर सीमा तक खडंजा कार्य पर दिनांक 26.06.2020 को रु० 122393.00 मटेरियल हेतु कृष्णा ब्रिक फील्ड को एवं रु० 27135.00 मस्टररोल पर कुल रु० 149528.00 का भुगतान कर कैशबुक में दर्शित किया गया है, किन्तु इसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी. व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में धनराशि रु० 149528.00 वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती संतरा देवी एवं ग्राम सचिव श्री प्रदीप कुमार गुप्ता से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-172**ग्राम पंचायत - अमोला बुजुर्ग****विकास क्षेत्र - रामनगर****जनपद - अम्बेडकरनगर**

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत अमोला बुजुर्ग में अनुरुद्ध के घर से हरीराम के घर तक नाली निर्माण 21-2020 -:-विवरण निम्नवत है ,पर व्यय दर्शित है

क्र०स०	दिनांक	व्यय का विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
.1	12.11.20	हयुम पाइप	ओम साई ट्रेडर्स	125999.00
.2	12.11.20	मस्टररोल	मस्टररोल	14805.00
		योग		140804.00

उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया गया है. जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी. व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में इस धनराशि रु० 140804.00 वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती इशरत जहां एवं ग्राम सचिव श्री प्रदीप कुमार गुप्ता से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-173**ग्राम पंचायत - अमोला बुजुर्ग****विकास क्षेत्र - रामनगर****जनपद - अम्बेडकरनगर**

आलोच्य वर्ष 2020-21 दर्शित में ग्राम पंचायत अमोला बुजुर्ग में रामदास के घर से हीरालाल के घर तक नाली निर्माण पर व्यय :- विवरण निम्नवत है ,

क्र०सं०	दिनांक	व्यय का विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
.1	12.11.20	हयुम पाइप	ओम साईं ट्रेडर्स	159819.00
.2	12.11.20	मस्टररोल	मस्टररोल	19137.00
		योग		178956.00

उक्त धनराशि रु० 178956.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में इस धनराशि रु० 178956.00 वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती इशरत जहां एवं ग्राम सचिव श्री प्रदीप कुमार गुप्ता से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-174**ग्राम पंचायत - अमोला बुजुर्ग****विकास क्षेत्र - रामनगर****जनपद - अम्बेडकरनगर**

उक्त ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर-मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

क्र०सं०	दिनांक	व्यय का विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
.1	07.07.20	हैंडपंप रिबोर	अवध ट्रेडर्स	31752.00
.2	08.09.20	हैंडपंप मरम्मत	अवध ट्रेडर्स	12540.00
.3	02.11.20	हैंडपंप मरम्मत	अवध ट्रेडर्स	16560.00
.4	22.12.20	हैंडपंप मरम्मत	अवध ट्रेडर्स	18360.00
.5	26.03.21	हैंडपंप मरम्मत	अवध ट्रेडर्स	16675.00
		योग		95887.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

- 1- हैण्डपम्प मरम्मत व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2- उक्त वैडर/फर्म हैण्डपम्प मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी०एस०टी० पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।
- 3- एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है

व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 79212.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती

इशरत जहां एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप कुमार गुप्ता से बराबर हिस्सों में तथा रु० 16675.00 की वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री हरिश्चंद्र कौशिक एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप कुमार गुप्ता से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-175

ग्राम पंचायत - अमोला बुजुर्ग

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत अमोला बुजुर्ग 20-2019में विभिन्न तिथियों में प्रधान मानदेय भुगतान कर कैशबुक में व्यय दर्शित है--:विवरण निम्नवत है ,

क्र०सं०	दिनांक	व्यय का विवरण	धनराशि
.1	07.07.20	प्रधान मानदेय	10500.00
.2	08.07.20	प्रधान मानदेय	42000.00
.3	22.12.20	प्रधान मानदेय	17500.00
		योग	70000.00

पंचायतराज अनुभाग-1 के आदेश सख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिंदु 2अ के अनुसारग्राम प्रधान का मानदेय रुपये 3500/-मासिक किया गया जिसके अनुसार एक वर्ष का मानदेय रु० 42000.00 होता है. किन्तु उक्त ग्राम पंचायत में एक वर्ष में मानदेय का भुगतान रु० 7000.00 किया गया. मानदेय के मासिक भुगतान हेतु वेतन पंजिका का निर्माण नहीं किया गया है. जिसके कारण, मानदेय का कब से कब तक का भुगतान किया गया, की जाँच नहीं की जा सकी. उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत वेतन पंजिका / मानदेय रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया है, अतः उक्त व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती इशरत जहां एवं ग्राम सचिव श्री प्रदीप कुमार गुप्ता से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-176

ग्राम पंचायत - अन्नापुर

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

उक्त ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर-मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:/

क्र०सं०	दिनांक	व्यय का विवरण	धनराशि	अन्य
.1	23.04.20	हैंडपंप रिबोर	28165.00	तहसील परिसर में
.2	04.05.20	हैंडपंप मरम्मत	4500.00	
.3	25.06.20	हैंडपंप मरम्मत	19600.00	
.4	01.07.20	हैंडपंप मरम्मत	5250.00	
.5	04.07.20	हैंडपंप मरम्मत	19200.00	
.6	04.07.20	हैंडपंप मरम्मत	19200.00	
7.	17.07.20	हैंडपंप रिबोर	24860.00	तहसील प्रांगण में
8.	17.07.20	हैंडपंप मरम्मत	19200.00	
9.	18.07.20	हैंडपंप मरम्मत	19200.00	
.10	18.07.20	हैंडपंप रिबोर	24860.00	
.11	18.03.21	हैंडपंप स्थापना	40036.00	प्रा० वि० में
.12	26.03.21	हैंडपंप स्थापना	37044.00	सीओ आवास के सामने

.13	29.03.21	हैंडपंप मरम्मत	9095.00	
.14	29.03.21	हैंडपंप मरम्मत	7680.00	तहसील परिसर में मरम्मत
		योग	260190.00	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

- 1- हैंडपंप मरम्मत पर कुल रु० 260190.00 का व्यय किया है, जो अत्यधिक प्रतीत होता है, इसके सापेक्ष कोई व्यय विवरण / व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक एवं कार्यवाही पुस्तिका आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे किसी भी व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2- उक्त वेंडर/फर्म हैंडपंप मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी०एस०टी० पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।
- 3- एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है।

व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु० 166335.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री वीरेंद्र बहादुर एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोज कुमार यादव से बराबर हिस्सों में तथा रु० 93855.00 की वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री हरिश्चंद्र कौशिक एवं ग्राम पंचायत सचिव से श्री मनोज कुमार यादव बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-177

ग्राम पंचायत - अन्नापुर

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत अन्नापुर में विभिन्न तिथियों में प्रधान मानदेय भुगतान कर कैशबुक में --:विवरण निम्नवत है, व्यय दर्शित है

क्र०सं	दिनांक	व्यय का विवरण	धनराशि
.1	24.04.20	प्रधान मानदेय	52500.00
.2	02.09.20	प्रधान मानदेय	17500.00
		योग	70000.00

पंचायतराज अनुभा के आदेश सख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिंदु 2अ के अनुसारग्राम प्रधान का मानदेय रुपये 3500/- मासिक किया गया जिसके अनुसार एक वर्ष का मानदेय रु० 42000.00 होता है। किन्तु उक्त ग्राम पंचायत में एक वर्ष में मानदेय का भुगतान रु० 7000.00 किया गया. मानदेय के मासिक भुगतान हेतु वेतन पंजिका का निर्माण नहीं किया गया है. जिसके कारण, मानदेय का कब से कब तक का भुगतान किया गया, की जाँच नहीं की जा सकी. उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत वेतन पंजिका / मानदेय रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया है, अतः उक्त व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण न प्रस्तुत करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम-प्रधान श्री वीरेंद्र बहादुर एवं ग्राम सचिव श्री मनोज कुमार यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर-178**ग्राम पंचायत - अरमा****विकास क्षेत्र - रामनगर****जनपद - अम्बेडकरनगर**

उक्त ग्राम पंचायत की अडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

क्र०सं	दिनांक	व्यय का विवरण	धनराशि	अन्य
.1	16.04.20	हैंडपंप मरम्मत	9325.00	5राज्य वित्त
.2	11.06.20	हैंडपंप मरम्मत	19700.00	4राज्य वित्त
.3	23.06.20	हैंडपंप मरम्मत	18325.00	4राज्य वित्त
.4	19.07.20	हैंडपंप मरम्मत	9850.00	4राज्य वित्त
.5	19.07.20	हैंडपंप मरम्मत	9702.00	4राज्य वित्त
.6	07.08.20	हैंडपंप मरम्मत	12410.00	4राज्य वित्त
7.	21.08.20	हैंडपंप मरम्मत	6210.00	4राज्य वित्त
8.	09.09.20	हैंडपंप मरम्मत	17210.00	4राज्य वित्त
9.	01.10.20	हैंडपंप मरम्मत	6280.00	4राज्य वित्त
.10	01.10.20	हैंडपंप मरम्मत	12210.00	4राज्य वित्त
.11	14.10.20	हैंडपंप मरम्मत	19600.00	4राज्य वित्त
.12	14.10.20	हैंडपंप मरम्मत	8050.00	4राज्य वित्त
.13	11.11.20	हैंडपंप मरम्मत	6210.00	4राज्य वित्त
.14	29.11.20	हैंडपंप मरम्मत	5210.00	4राज्य वित्त
15.	20.12.20	हैंडपंप मरम्मत	18210.00	4राज्य वित्त
16.	20.12.20	हैंडपंप मरम्मत	19210.00	4राज्य वित्त
17.	23.12.20	हैंडपंप मरम्मत	19680.00	4राज्य वित्त
18.	25.03.21	हैंडपंप मरम्मत	13210.00	5राज्य वित्त
		योग	230602.00	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

- 1- हैंडपंप मरम्मत पर कुल रु० 230602.00 का व्यय किया है, जो अत्यधिक प्रतीत होता है, इसके सापेक्ष कोई व्यय विवरण / व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक एवं कार्यवाही पुस्तिका अडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे किसी भी व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2- उक्त वेंडर/फर्म हैण्डपम्प मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी०एस०टी० पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।
- 3- एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु० 217392.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्री रामरीत एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री आलोक उपाध्याय से बराबर हिस्सों में तथा रु० 13210.00 की वसूली तत्कालीन प्रशासक श्री हरिश्चंद्र कौशिक एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री आलोक उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-179**ग्राम पंचायत - अरमा****विकास क्षेत्र - रामनगर****जनपद - अम्बेडकरनगर**

आलोच्य वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री रोड से काली जी के स्थान तक खडंजा मरमम्त कार्य पर चतुर्थ राज्य वित्त से दिनांक 10.10.2020 को रु० 31753.00 मटेरियल एवं रु० 12261.00 मस्टररोल पर कुल रु० 44014.00 का भुगतान कर कैशबुक में दर्शित किया गया है, उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है. जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी. व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 44014.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्री रामरीत एवं ग्राम सचिव श्री आलोक उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-180**ग्राम पंचायत - अरमा****विकास क्षेत्र - रामनगर****जनपद - अम्बेडकरनगर**

आलोच्य वर्ष में उक्त ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में प्रा० वि० में टाइल्स कार्य हेतु 21-2020 -विवरण निम्नवत है, व्यय दर्शित है

क्र० सं०	दिनांक	कार्य का विवरण	मद	धनराशि
.1	8.05.20	प्रा० वि० में टाइल्स कार्य	मस्टररोल	25480.00
.2	25.12.20	प्रा० वि० में टाइल्स कार्य	मटेरियल	36799.00
		योग		62279.00

उक्त धनराशि रु० 62279.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है. जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी. व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 62279.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्री रामरीत एवं ग्राम सचिव श्री आलोक उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-181**ग्राम पंचायत - अरमा****विकास क्षेत्र - रामनगर****जनपद - अम्बेडकरनगर**

आलोच्य वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत में प्रा० वि० में प्लम्बरिंग कार्य हेतु चौदहवें वित्त से दिनांक 18.08.20 को रु० 55210.00 का भुगतान कर कैशबुक में दर्शित किया गया है, उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है. जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी. व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 55210.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री रामरीत एवं ग्राम सचिव श्री आलोक उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-182**ग्राम पंचायत - अरमा****विकास क्षेत्र - रामनगर****जनपद - अम्बेडकरनगर**

आलोच्य वर्ष में उक्त ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में पंचायत भवन में मरम्मत कार्य हेतु व्यय 21-2020 -विवरण निम्नवत है, दर्शित है

क्र० सं०	दिनांक	कार्य का विवरण	मद	धनराशि
.1	27.10.20	पंचायत भवन में मरम्मत	मेटेरिअल	137850.00
.2	02.11.20	पंचायत भवन में मरम्मत	मटेरियल	31073.00
		योग		168923.00

उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 168923.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री रामरीत एवं ग्राम सचिव श्री आलोक उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-183**ग्राम पंचायत - अरमा****विकास क्षेत्र - रामनगर****जनपद - अम्बेडकरनगर**

आलोच्य वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत में पंचायत भवन में हैंडपंप लगवाई हेतु पंद्रहवें वित्त से दिनांक 11.11.20 को रु० 44216.00 का भुगतान कर कैशबुक में दर्शित किया गया है, किन्तु इसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरान्त व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे व्यय अपुष्ट रहा है। अतः फर्जी व्यय दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के संज्ञान में प्रकरण लाया किया गया है, आवश्यक कार्यवाही कर वसूली अपेक्षित है, उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि 44216.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्री रामरीत एवं ग्राम सचिव श्री आलोक उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-184**ग्राम पंचायत - अशरफाबाद****विकास क्षेत्र - रामनगर****जनपद - अम्बेडकरनगर**

आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत अशरफाबाद में दिनांक 02.05.20 को देवेन्द्र सिंह के घर से चकरोड तक मेट्टी खड्जा मरम्मत कार्य पर रु० 46071.00 का भुगतान किया कर कैशबुक में दर्शित है, उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के

सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 46071.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्री राधेश्याम एवं ग्राम सचिव श्री अनूप कुमार मिश्र से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-185

ग्राम पंचायत - अशरफाबाद

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत अशरफाबाद में दिनांक 10.06.20 को पंचायत भवन में इंटरलॉकिंग कार्य पर रु० 150406.00 का भुगतान किया कर कैशबुक में दर्शित है, उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी, स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी, व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 150406.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्री राधेश्याम एवं ग्राम सचिव श्री अनूप कुमार मिश्र से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-186

ग्राम पंचायत - अशरफाबाद

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत अशरफाबाद में विभिन्न तिथियों में इजरायल के घर से 21-2020 ,विवेक सिंह के घर होते हुए रामनारायण के घर तक खडंजा मरमम्त कार्य पर कैशबुक में व्यय दर्शित है -:विवरण निम्नवत है

क्र०स०	दिनांक	कार्य का विवरण	अन्य	धनराशि
.1	30.06.20	खडंजा मरमम्त	मटेरियल	53441.00
.2	18.07.20	खडंजा मरमम्त	मस्टररोल	23517.00
		योग		76958.00

उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी, स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 76958.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राधेश्याम एवं ग्राम सचिव श्री अनूप कुमार मिश्र से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-187

ग्राम पंचायत - अशरफाबाद

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत अशरफाबाद में दिनांक 18.02.21 को प्रा० वि० अशरफाबाद में कमरों में टाइल्स कार्य पर रु० 188552.00 का भुगतान किया कर कैशबुक में दर्शित है, उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम बी, स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र०

पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 188552.00 की वसूली प्रशासक श्री हरिश्चंद्र कौशिक एवं ग्राम सचिव श्री अनूप कुमार मिश्र से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-188

ग्राम पंचायत - बहरामपुर

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत बहरामपुर में एक ही तिथि में सोखपिट 21-2020 निर्माण पर कैशबुक में व्यय दर्शित है:-विवरण निम्नवत है ,

क्र०सं०	दिनांक	कार्य का विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता	मजदूरी	सामग्री पर भुगतान
.1	27.08.20	सोखपिट निर्माण	जय ईट भट्टा	शून्य	48020.00
.2	27.08.20	सोखपिट निर्माण	अभिनव कांटेक्टर	शून्य	46160.00
		योग			94180.00

उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान न किया जाना शासन के मजदूरी सृजन उद्देश्य के विपरीत तथा क्रय सामग्री अथवा व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना एवं ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है।

अतः उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 94180.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सरोजा देवी एवं ग्राम सचिव श्रीमती पूजा चौरसिया से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-189

ग्राम पंचायत - बहरामपुर

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार स्ट्रीट लाइट क्रय मरम्मत/-पर व्यय दर्शित किया गया है:

क्र०सं०	दिनांक	विवरण	धनराशि
1.	23.12.20	सोलर लाइट हेतु माँ लक्ष्मी इंटरप्राइजेज को भुगतान	16730.00
2.	23.12.20	सोलर लाइट हेतु माँ लक्ष्मी इंटरप्राइजेज को भुगतान	17120.00
		योग	33850.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

01-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलि/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

02-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्मत/स्ट्रीट लाइट मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।

03-उक्त स्ट्रीट लाइटों क्रय शासनादेश संख्या 51/2018/1701/33-3-2018-48/2018, दिनांक 13 जून 2018 के विपरीत किया गया है।

04-शासनादेश संख्या 33/2017/977/45-वि (अ०उ०सो०वि)-2017, दिनांक 29 अगस्त 2017 के प्रस्तर 3 के अनुसार उक्त सोलर मरम्मत की जिम्मेदारी 5 साल तक शासन द्वारा निर्धारित/अनुसूचित किए गए सम्बन्धित वेंडर/फर्म/नेडा की होती है। अतः उक्त व्यय अनियमित एवं व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन हैं।

05-शासनादेश के अनुसार स्ट्रीट लाइट का क्रय एवं स्थापना बिजली संयोजन के पश्चात ही लिया जाय परंतु इससे सम्बन्धित प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे बिजली संयोजन लिए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः उक्त कार्य शासनादेश के विपरीत तथा व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती सरोजा देवी एवं ग्राम सचिव श्रीमती पूजा चौंसिया से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-190

ग्राम पंचायत - बहरामपुर

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष ग्राम पंचायत बहरामपुर में एक ही तिथि में प्रा० विद्यालय में टाइल्स कार्य पर कैशबुक में व्यय दर्शित है विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	दिनांक	कार्य का विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता	मजदूरी	सामग्री पर भुगतान
.1	27.08.20	प्रा० वि० टाइल्स कार्य	--	शून्य	80422.00
.2	27.08.20	प्रा० वि० टाइल्स कार्य	अभिनव कांटेक्टर	शून्य	46160.00
		योग			126582.00

उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान न किया जाना शासन के मजदूरी सृजन उद्देश्य के विपरीत तथा क्रय सामग्री अथवा व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना एवं ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है।

अतः उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 126582.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती सरोजा देवी एवं ग्राम सचिव श्रीमती पूजा चौंसिया से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-191

ग्राम पंचायत - भगवानपुर मंझरिया

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत भगवानपुर मंझरिया में विभिन्न तिथियों में हैंडपंप मरम्मत एवं हैंडपंप 21-2020 :-विवरण निम्नवत है ,रिबोर पर व्यय दर्शित है

क्र०सं०	दिनांक	व्यय का विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
.1	04.04.20	हैंडपंप मरम्मत	अभिनव कांटेक्टर	10690.00
.2	04.04.20	हैंडपंप मरम्मत	अक्ष ट्रेडर्स	17000.00
.3	22.04.20	हैंडपंप मरम्मत	अभिनव कांटेक्टर	12800.00
.4	22.04.20	हैंडपंप मरम्मत	अक्ष ट्रेडर्स	20000.00
.5	26.07.20	हैंडपंप मरम्मत	अक्ष ट्रेडर्स	12790.00
.6	29.09.20	हैंडपंप मरम्मत	अक्ष ट्रेडर्स	13500.00
.7	29.09.20	हैंडपंप मरम्मत	अक्ष ट्रेडर्स	12500.00

.8	.07.10.20	हैंडपंप मरम्मत	अक्ष ट्रेडर्स	6500.00
.9	13.10.20	हैंडपंप मरम्मत	माँ लक्ष्मी इंटरप्राइजेज	2800.00
.10	19.03.21	हैंडपंप मरम्मत	अक्ष ट्रेडर्स	14116.00
.11	19.03.21	हैंडपंप मरम्मत	अक्ष ट्रेडर्स	19436.00
.12	23.10.20	हैंडपंप रिबोर	मिश्र बिल्डिंग मटेरियल	20120.00
.13	16.12.20	हैंडपंप रिबोर	अक्ष ट्रेडर्स	37080.00
.14	16.12.20	हैंडपंप रिबोर	अक्ष ट्रेडर्स	37035.00
		योग		236367.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

- 1- हैंडपंप मरम्मत पर कुल रु० 236367.00 का व्यय किया है, जो अत्यधिक प्रतीत होता है, इसके सापेक्ष कोई व्यय विवरण/व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक एवं कार्यवाही पुस्तिका आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे किसी भी व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2- उक्त वेंडर/फर्म हैंडपंप मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी०एस०टी० पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।
- 3- एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 236367.00 वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती कुशलावती देवी एवं ग्राम सचिव श्री कुलदीप त्रिपाठी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-192

ग्राम पंचायत - भगवानपुर मंझरिया

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत भगवानपुर मंझरिया में दिनांक 26.10.2020 को भगवानपुर मंझरिया में मुख्य खडंजा से पूरब माध्यमिक स्कूल तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य (रबर मोल्ड) पर रु० 123635.00 का विराट इंटरप्राइजेज को भुगतान कर कैशबुक में दर्शित किया गया है, उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 123635.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कुशलावती देवी एवं ग्राम सचिव सचिव श्री कुलदीप त्रिपाठी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-193**ग्राम पंचायत - भगवानपुर मँझरिया****विकास क्षेत्र - रामनगर****जनपद - अम्बेडकरनगर**

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत भगवानपुर मँझरिया में विभिन्न तिथियों में सोखपिट निर्माण पर व्यय 21-2020 विवरण दर्शित है निम्नवत है:-

क्र०सं०	दिनांक	व्यय का विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
.1	26.12.20	सोख पिट निर्माण	अक्ष ट्रेडर्स	51682.00
.2	28.12.20	सोखपिट निर्माण	मिश्रा बिल्डिंग मटेरियल	39750.00
		योग		91432.00

उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 91432.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती कुशलावती देवी एवं ग्राम सचिव श्री कुलदीप त्रिपाठी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-194**ग्राम पंचायत - बिड़हर खास****विकास क्षेत्र - रामनगर****जनपद - अम्बेडकरनगर**

आलोच्य वर्ष हैंडपंप रिबोर/में ग्राम पंचायत बिड़हर खास में विभिन्न तिथियों में हैंडपंप मरम्मत 21-2020 पर व्यय कर कैशबुक में दर्शित है:-विवरण निम्नवत है ,

क्र०सं०	दिनांक	व्यय का विवरण	अन्य	धनराशि
.1	12.06.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	19810.00
.2	12.06.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	19540.00
.3	11.09.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	19450.00
.4	11.09.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	13780.00
.5	11.09.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	7065.00
.6	30.09.20	हैंडपंप मरम्मत	चौदहवां वित्त	15010.00
7.	17.10.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	2240.00
8.	20.12.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	19640.00
9.	20.12.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	18210.00
10.	25.12.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	19250.00
11.	12.03.21	हैंडपंप मरम्मत	पंद्रहवां वित्त	19240.00
		योग		179235.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

- 1- हैंडपंप मरम्मत पर कुल रु० 179235.00 का व्यय किया है, जो अत्यधिक प्रतीत होता है, इसके सापेक्ष कोई व्यय विवरण/व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक एवं कार्यवाही पुस्तिका आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे किसी भी व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2- उक्त वेंडर/फर्म हैंडपंप मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी०एस०टी० पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।
- 3- एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल

के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 159995.00 वसूली ग्राम-प्रधान श्री जितेन्द्र कुमार एवं ग्राम सचिव श्री आलोक उपाध्याय से एवं रु० 19240.00 की वसूली ग्राम सचिव श्री आलोक उपाध्याय एवं प्रशासक श्री हरिश्चंद्र कौशिक से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-195

ग्राम पंचायत - बिड़हर खास

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत बिड़हर खास में दिनांक 16.06.20 को भूमिगत नाली निर्माण कार्य पर रु 96048.00 का भुगतान अभिनव कांटेक्टर को कर कैशबुक में दर्शित है। जबकि कैशबुक की लेखा परीक्षा में मजदूरी शून्य पाई गयी। इसकी जाँच एवं पुष्टि हेतु बिल / वाउचर प्रस्तुत नहीं रहे। अतः व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती। उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान न किया जाना शासन के मजदूरी सृजन उद्देश्य के विपरीत तथा क्रय सामग्री अथवा व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना एवं ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है।

अतः उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 96048.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्री जितेन्द्र कुमार एवं ग्राम सचिव श्री आलोक उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-196

ग्राम पंचायत - बिड़हर खास

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत बिड़हर खास में एक ही तिथि में सोखपिट निर् 21-2020माण पर कैशबुक में व्यय दर्शित है:-विवरण निम्नवत है ,

क्र०सं०	दिनांक	कार्य का विवरण	मजदूरी	सामग्री पर भुगतान
.1	28.10.20	सोखपिट निर्माण	शून्य	56007.00
.2	28.10.20	सोखपिट निर्माण	शून्य	56007.00
		योग		112014.00

उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान न किया जाना शासन के मजदूरी सृजन उद्देश्य के विपरीत तथा क्रय सामग्री अथवा व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना एवं ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है।

अतः उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 112014.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्री जितेन्द्र कुमार एवं ग्राम सचिव श्री आलोक उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-197**ग्राम पंचायत - बिड़हर खास****विकास क्षेत्र - रामनगर****जनपद - अम्बेडकरनगर**

आलोच्य वर्ष 21-2020 में ग्राम पंचायत बिड़हर खास में विभिन्न तिथियों में प्रा० वि० पर कैशबुक ।
 -:विवरण निम्नवत है ,में व्यय दर्शित है

क्र०सं०	दिनांक	कार्य का विवरण	मजदूरी	सामग्री पर भुगतान
.1	27.10.20	टाइल्स कार्य	शून्य	237037.00
.2	22.12.20	समरसेबुलटंकी ,प्लुम्बरिंग ,	शून्य	66800.00
		योग		303837.00

उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान न किया जाना शासन के मजदूरी सृजन उद्देश्य के विपरीत तथा क्रय सामग्री अथवा व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना एवं ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है।
 अतः उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 303837.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्री जितेन्द्र कुमार एवं ग्राम सचिव श्री आलोक उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-198**ग्राम पंचायत - चक बसहिया****विकास क्षेत्र - रामनगर****जनपद - अम्बेडकरनगर**

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत चक बसहिया में विभिन्न तिथियों में हैंडपंप मरम्मत 21-2020 पर व्यय दर्शित है ,
 -:विवरण निम्नवत है

क्र०सं०	दिनांक	व्यय का विवरण	अन्य	धनराशि
.1	25.09.20.	हैंडपंप मरम्मत	पन्द्रहवां वित्त	19540.00
.2	13.10.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	19880.00
.3	31.10.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	19200.00
.4	11.11.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	19800.00
.5	24.12.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	19120.00
6.	19.02.21	हैंडपंप मरम्मत	पांचवां वित्त	34043.00
7.	25.03.21	हैंडपंप मरम्मत	पांचवां वित्त	18600.00
		योग		150183.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

- 1- हैंडपंप मरम्मत पर कुल रु० 150183.00 का व्यय किया है, जो अत्यधिक प्रतीत होता है, इसके सापेक्ष कोई व्यय विवरण/व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक एवं कार्यवाही पुस्तिका आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे किसी भी व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2- उक्त वेंडर/फर्म हैंडपंप मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी०एस०टी० पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।
- 3- एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज

नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु० 97540.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्री राजेंद्र यादव एवं ग्राम सचिव श्री अग्निवेश मौर्य एवं रु० 52643.00 की वसूली प्रशासक श्री हरिश्चंद्र कौशिक एवं ग्राम सचिव श्री अग्निवेश मौर्य से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-199

ग्राम पंचायत - चक बसहिया

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत चक बसहिया में दिनांक 03.10.20 को पिच रोड से पंचू के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य पर रु 22336.00 भुगतान किया कर कैशबुक में दर्शित है। अतः उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 22336.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्री राजेंद्र यादव एवं ग्राम सचिव श्री अग्निवेश मौर्य से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-200

ग्राम पंचायत - चक बसहिया

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत चक बसहिया में विभिन्न तिथियों में प्रधान मानदेय भुगतान कर --:विवरण निम्नवत है, कैशबुक में व्यय दर्शित है

क्र०सं०	दिनांक	अवधि (कब से कब तक)	कुल माह	किया गया भुगतान
.1	07.09.20	जून 2020 से अगस्त 2019	14	49000.00
.2	24.12.20	सितम्बर 2020 से नव० 20	03	10500.00
.3	03.02.21	सितम्बर 25 एवं 20 से नवम्बर 20 2020 दिन दिसम्बर	दिन 25 माह 03	13322.00
		योग	दिन 25 माह 20	72822.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि दिनांक 03.02.21 को माह सितम्बर 2020 से नवम्बर 2020 तक का रु० 10500.00 प्रधान मानदेय का अतिरिक्त / पुनः भुगतान कर कैशबुक में दर्शित किया गया है, जो कि अनियमित है एवं जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 एवं खंड-8(क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है, अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 10500.00 की वसूली प्रशासक श्री हरिश्चन्द्र कौशिक एवं ग्राम सचिव श्री अग्निवेश मौर्य से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-201

ग्राम पंचायत - चक बसहिया

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत चक बसहिया में दिनांक 06.05.20 को जूनियर विद्यालय में मिट्टी पटाई कार्य पर रु० 85000.00 का भुगतान कर कैशबुक में दर्शित है। अतः उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो

सकी. व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 85000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेंद्र यादव एवं ग्राम सचिव श्री अग्निवेश मौर्य से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-202

ग्राम पंचायत - चक बसहिया

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत चक बसहिया में दिनांक 03.04.20 को प्राथमिक विद्यालय चक बसहिया में टाली द्वारा मिट्टी पटाई कार्य पर रु० 65000.00 का भुगतान कर कैशबुक में दर्शित है। अतः उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी. व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 65000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेंद्र यादव एवं ग्राम सचिव श्री अग्निवेश मौर्य से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-203

ग्राम पंचायत - गोहनारपुर

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

उक्त ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर-मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

क्र०सं०	दिनांक	व्यय का विवरण	अन्य	धनराशि
.1	16.04.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	9250.00
.2	16.04.20	हैंडपंप मरम्मत	" "	8215.00
.3	07.06.20	हैंडपंप मरम्मत	" "	19210.00
.4	19.06.20	हैंडपंप मरम्मत	" "	18620.00
.5	12.07.20	हैंडपंप मरम्मत	" "	6320.00
.6	12.07.20	हैंडपंप मरम्मत	" "	8541.00
.7	21.08.20	हैंडपंप मरम्मत	" "	7210.00
.8	19.09.20	हैंडपंप मरम्मत	" "	18523.00
.9	11.11.20	हैंडपंप मरम्मत	" "	17520.00
.10	25.12.20	हैंडपंप मरम्मत	" "	18500.00
		योग		131909.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

- 1- हैंडपंप मरम्मत पर कुल रु० 131909.00 का व्यय किया है, जो अत्यधिक प्रतीत होता है, इसके सापेक्ष कोई व्यय विवरण/व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक एवं कार्यवाही पुस्तिका आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे किसी भी व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2- उक्त वेंडर/फर्म हैण्डपम्प मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी०एस०टी० पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।
- 3- एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा

मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 131909.00 वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती गायत्री एवं ग्राम सचिव श्री आलोक उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-204

ग्राम पंचायत - गोहनारपुर

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत 21-2020 गोहनारपुर में सोखपिट निर्माण पर व्यय दर्शित है विवरण ,
-: निम्नवत है

क्र०सं०	दिनांक	व्यय का विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
.1	03.10.20	सोख पिट निर्माण	मटेरियल	43623.00
.2	15.10.20	सोखपिट निर्माण	मटेरियल	42569.00
.3	15.10.20	मजदूरी	मस्टररोल	5760.00
		योग		91952.00

उक्त धनराशि रु० 91952.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 91952.00 वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री एवं ग्राम सचिव श्री आलोक उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-205

ग्राम पंचायत - गोहनारपुर

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत गोहनारपुर 21-2020 में विभिन्न तिथियों में कमलेश के घर से मेन खंडजा तक इंटरलॉकिंग कार्य हेतु व्यय दर्शित है -विवरण निम्नवत है ,

क्र० सं०	दिनांक	कार्य का विवरण	अन्य	धनराशि
.1	16.04.20	इंटर लॉकिंग	मटेरियल	30753.00
.2	16.04.20	इंटर लॉकिंग	मस्टररोल	24414.00
.3	17.04.20	इंटर लॉकिंग	टैंडर	3460.00
		योग		58627.00

उक्त धनराशि रु० 58627.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 58627.00 वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती गायत्री एवं ग्राम सचिव श्री आलोक उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-206**ग्राम पंचायत - जमलपुर****विकास क्षेत्र - रामनगर****जनपद - अम्बेडकरनगर**

आलोच्य वर्ष विवरण ,में ग्राम पंचायत जमलपुर में विभिन्न तिथियों में हैंडपंप मरम्मत पर व्यय दर्शित है
-:निम्नवत है

क्र०सं०	दिनांक	व्यय का विवरण	अन्य	धनराशि
.1	04.04.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	19990.00
.2	25.04.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	19570.00
.3	17.07.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	19980.00
.4	31.07.20	हैंडपंप रिबोर	चतुर्थ वित्त	35085.00
.5	31.07.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	19850.00
.6	29.08.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	19410.00
7.	11.09.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	18210.00
8.	11.09.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	17205.00
9.	13.10.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	19960.00
10.	04.11.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	12500.00
11.	11.11.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	47470.00
12.	25.12.20	हैंडपंप मरम्मत	चौदहवे वित्त	19850.00
13.	24.03.21	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	18355.00
14.	24.03.21	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	19430.00
15.	25.03.21	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	10520.00
		योग		317385.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

1- हैंडपंप मरम्मत पर कुल रु० 317385.00 का व्यय किया है, जो अत्यधिक प्रतीत होता है, इसके सापेक्ष कोई व्यय विवरण/व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक एवं कार्यवाही पुस्तिका आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे किसी भी व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2- उक्त वेंडर/फर्म हैंडपंप मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी०एस०टी० पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3- एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है।

व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 269080.00 वसूली ग्राम प्रधान श्री सत्येन्द्र प्रताप सिंह एवं ग्राम सचिव श्री अरुण कुमार एवं रु० 48305.00 की वसूली प्रशासक श्री हरिश्चन्द्र कौशिक एवं ग्राम सचिव श्री अरुण कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-207**ग्राम पंचायत - जमलपुर****विकास क्षेत्र - रामनगर****जनपद - अम्बेडकरनगर**

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत जमलपुर में प्रा० वि० मरम्मत कार्य हेतु व्यय दर्शित है विवरण ,
-निम्नवत है

क्र० सं०	दिनांक	कार्य का विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
.1	04.04.20	प्रा० वि० में मरम्मत	शमा ट्रेडर्स	64980.00
.2	04.04.20	प्रा० वि० में मरम्मत	यादव ब्रिक फील्ड	25903.00
		योग		90883.00

अतः उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है. जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी. व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 90883.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्री सत्येन्द्र प्रताप सिंह एवं ग्राम सचिव श्री अरुण कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-208**ग्राम पंचायत - करौंदी लाला****विकास क्षेत्र - रामनगर****जनपद - अम्बेडकरनगर**

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत करौंदीलाला में विभिन्न तिथियों में हैंडपंप मरम्मत पर व्यय दर्शित है विवरण ,
-:निम्नवत है

क्र०सं०	दिनांक	व्यय का विवरण	अन्य	धनराशि
.1	23.04.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	19560.00
.2	11.09.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	9862.00
.3	11.09.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	9231.00
.4	02.11.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	19380.00
.5	03.12.20	हैंडपंप मरम्मत	पन्द्रहवां वित्त	19950.00
.6	03.12.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	3664.00
7.	03.12.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	19250.00
8.	03.12.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	920.00
9.	03.12.20	हैंडपंप मरम्मत	पन्द्रहवां वित्त	19220.00
10.	03.12.20	हैंडपंप रिबोर	चतुर्थ वित्त	38210.00
11.	24.12.20	हैंडपंप रिबोर	चतुर्थ वित्त	36570.00
12.	05.03.21	हैंडपंप मरम्मत	चौदहवे वित्त	10510.00
		योग		206327.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

- 1- हैंडपंप मरम्मत पर कुल रु० 206327.00 का व्यय किया है, जो अत्यधिक प्रतीत होता है, इसके सापेक्ष कोई व्यय विवरण/व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक एवं कार्यवाही पुस्तिका आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे किसी भी व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2- उक्त वेंडर/फर्म हैंडपंप मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी०एस०टी० पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3- एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में धनराशि रु० 195817.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री बुद्धि राम एवं ग्राम सचिव श्री अरुण कुमार एवम् रु० 10510.00 की वसूली प्रशासक श्री हरिश्चन्द्र कौशिक एवं ग्राम सचिव श्री अरुण कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-209

ग्राम पंचायत - करौंदी लाला

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत में दिनांक 11.11.20 को सोखपिट निर्माण कार्य पर रु० 96716.00 का भुगतान कर कैशबुक में दर्शित किया गया है, उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 96716.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री बुद्धि राम एवं ग्राम सचिव श्री अरुण कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-210

ग्राम पंचायत - लडिलापुर

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में हैंडपंप मरम्मत 21-2020 पर व्यय दर्शित हैविवरण , निम्नवत है:-

क्र०सं०	दिनांक	व्यय का विवरण	अन्य	धनराशि
.1	19.06.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	10085.00
.2	03.07.20	हैंडपंप मरम्मत	चौदहवां वित्त	19610.00
.3	14.07.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	8116.00
.4	14.07.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	7525.00
.5	07.08.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	12230.00
.6	21.08.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	5931.00
7.	09.09.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	12633.00
8.	13.11.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	17240.00
9.	23.12.20	हैंडपंप मरम्मत	चौदहवां वित्त	37420.00
10.	24.12.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	18210.00
		योग		149000.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

- 1- हैंडपंप मरम्मत पर कुल रु० 149000.00 का व्यय किया है, इसके सापेक्ष कोई व्यय विवरण/व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक एवं कार्यवाही पुस्तिका आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे किसी भी व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2- उक्त वेंडर/फर्म हैंडपंप मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी०एस०टी० पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3- एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 149000.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्री ज्ञान चंद एवं ग्राम सचिव श्री आलोक उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-211

ग्राम पंचायत - लडिलापुर

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत लडिलापुर में दिनांक 20.04.20 को प्रा० विद्यालय में पेंटिंग-पुट्टी मरम्मत कार्य पर रु 192464.00 का भुगतान कर केशबुक में दर्शित है। उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः ॥ है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 192464.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री ज्ञान चंद एवं ग्राम सचिव श्री आलोक उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-212

ग्राम पंचायत - लडिलापुर

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत लडिलापुर में विभिन्न तिथियों में रामतीर्थ गुप्ता के घर से सोनार पूरा तक खंडजा मरम्मत पर केशबुक में व्यय दर्शित है:-विवरण निम्नवत है ,

क्र०सं०	दिनांक	व्यय का विवरण	अन्य	धनराशि
.1	14.07.20	खंडजा मरम्मत	मटेरियल	58533.00
.2	14.07.20	खंडजा मरम्मत	मस्टररोल	26532.00
.3	30.07.20	खंडजा मरम्मत	मस्टररोल	23357.00
		योग		108422.00

उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 108422.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्री ज्ञान चंद एवं ग्राम सचिव श्री आलोक उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-213**ग्राम पंचायत - लडिलापुर****विकास क्षेत्र - रामनगर****जनपद - अम्बेडकरनगर**

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत लडिलापुर में विभिन्न तिथियों में प्रधान मानदेय भुगतान कर कैशबुक
 --:विवरण निम्नवत है ,में व्यय दर्शित है

क्र०सं०	दिनांक	अवधि (कब से कब तक)	कुल माह	क्रिया गया भुगतान
.1	20.04.20	जनवरी 20 से मार्च 20	माह 3	10500.00
.2	09.09.20	अप्रैल 20 से अगस्त 20	माह 5	17500.00
.3	23.12.20	अगस्त 20 से नवम्बर 20	माह 4	14000.00
.4	12.02.21	अगस्त 20 से नवम्बर 20	माह 4	14000.00
		योग		72822.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि दिनांक 23.12.20 को अगस्त 20 का मानदेय रु० 3500.00 तथा 12.02.21 को माह अगस्त 2020 से नवम्बर 2020 तक का रु० 14000.00 प्रधान मानदेय (कुल रु०17500.00) का अतिरिक्त / पुनः भुगतान कर कैशबुक में दर्शित किया गया है, जो कि अनियमित है एवं जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः मानदेय रजिस्टर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 3500.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री ज्ञान चंद एवं ग्राम सचिव से श्री आलोक उपाध्याय तथा रु० 14000.00 की वसूली प्रशासक श्री हरिश्चन्द्र कौशिक एवं ग्राम सचिव श्री आलोक उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-214**ग्राम पंचायत - लखनीपट्टी****विकास क्षेत्र - रामनगर****जनपद - अम्बेडकरनगर**

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत लखनीपट्टी में 21-2020 विभिन्न तिथियों में हैंडपंप मरम्मत पर व्यय दर्शित है ,
 --:विवरण निम्नवत है

क्र०सं०	दिनांक	व्यय का विवरण	अन्य	धनराशि
.1	07.06.20	हैंडपंप मरम्मत	चौदहवे वित्त	18720.00
.2	25.06.20	हैंडपंप मरम्मत	चौदहवे वित्त	19120.00
.3	08.07.20	हैंडपंप रिबोर	चौदहवे वित्त	37200.00
.4	21.08.20	हैंडपंप मरम्मत	चौदहवे वित्त	5420.00
.5	03.09.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	18520.00
.6	29.09.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	18210.00
7.	06.11.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	18210.00
8.	11.11.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	18230.00
9.	21.11.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	19280.00
10.	20.12.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	21420.00
11.	23.12.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	19850.00
12.	25.12.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	19250.00
13.	23.02.21	हैंडपंप मरम्मत	पांचवां वित्त	14850.00
		योग		248280.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

1- हैंडपंप मरम्मत पर कुल रु० 248280.00 का व्यय किया है, जो अत्यधिक प्रतीत होता है, इसके सापेक्ष कोई व्यय विवरण / व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक एवं कार्यवाही पुस्तिका आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे किसी भी व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2- उक्त वेंडर/फर्म हैंडपम्प मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी०एस०टी० पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3- एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 233430.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती बिंदु कला एवं ग्राम सचिव श्री आलोक उपाध्याय से एवं रु० 14850.00 की वसूली प्रशासक श्री हरिश्चन्द्र कौशिक एवं ग्राम सचिव श्री आलोक उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-215

ग्राम पंचायत - लखनीपट्टी

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष में उक्त ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में पंचायत भवन में मरम्मत एवं 21-2020 -विवरण निम्नवत है ,टाइल्स कार्य हेतु व्यय दर्शित है

क्र० सं०	दिनांक	कार्य का विवरण	मद	धनराशि
.1	31.10.20	पंचायत भवन में मरम्मत एवं टाइल्स कार्य	मटेरियल	109995.00
.2	31.10.20	पंचायत भवन में मरम्मत एवं टाइल्स कार्य	मटेरियल	100000.00
.3	31.10.20	पंचायत भवन में मरम्मत एवं टाइल्स कार्य	मस्टररोल	20640.00
		योग		230635.00

अतः उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 230635.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती बिंदु कला एवं ग्राम सचिव श्री आलोक उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-216

ग्राम पंचायत - लखनीपट्टी

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष में उक्त ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में प्रा० वि० में पेंटिंग एवं टाइल्स 21-2020 -विवरण निम्नवत है ,कार्य हेतु व्यय दर्शित है

क्र० सं०	दिनांक	कार्य का विवरण	मद	धनराशि
.1	03.12.20	प्रा० वि० में पेंटिंग एवं टाइल्स कार्य	मटेरियल	199260.00

.2	25.12.20	प्रा० वि० में पेंटिंग एवं टाइल्स कार्य	टाइल्स	28200.00
		योग		227460.00

अतः उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 227460.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती बिंदु कला एवं ग्राम सचिव श्री आलोक उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-217

ग्राम पंचायत - माडरमऊ

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

विवरण, हैडपंप रिबोर पर व्यय दर्शित है /में ग्राम पंचायत माडरमऊ में विभिन्न तिथियों में हैडपंप मरम्मत :- निम्नवत है

क्र०सं०	दिनांक	व्यय का विवरण	अन्य	धनराशि
.1	06.04.20	हैडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	17860.00
.2	04.07.20	हैडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	18970.00
.3	04.07.20	हैडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	19670.00
.4	23.07.20	हैडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	19989.00
.5	28.07.20	हैडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	15320.00
.6	19.10.20	हैडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	19995.00
7.	19.10.20	हैडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	19990.00
8.	16.11.20	हैडपंप मरम्मत	पन्द्रहवां वित्त	19250.00
9.	10.12.20	हैडपंप मरम्मत	पांचवां वित्त	12510.00
10.	23.12.20	हैडपंप रिबोर	चौदहवां वित्त	39210.00
11.	23.12.20	हैडपंप रिबोर	चतुर्थ वित्त	37420.00
12.	25.12.20	हैडपंप रिबोर	चौदहवां वित्त	37571.00
13.	25.12.20	हैडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	18375.00
14.	24.02.21	हैडपंप मरम्मत	पांचवां वित्त	5215.00
.15	05.03.21	हैडपंप मरम्मत	पांचवां वित्त	10675.00
.16	24.03.21	हैडपंप मरम्मत	पांचवां वित्त	18915.00
.17	25.03.21	हैडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	18750.00
		योग		349685.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

- 1- हैडपंप मरम्मत पर कुल रु० 349685.00 का व्यय किया है, जो अत्यधिक प्रतीत होता है। इसके सापेक्ष कोई व्यय विवरण/व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक एवं कार्यवाही पुस्तिका अडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे किसी भी व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2- उक्त वेंडर/फर्म हैडपंप मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी०एस०टी० पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।
- 3- एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल

के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु० 53555.00 की वसूली प्रशासक श्री हरिश्चन्द्र कौशिक एवं ग्राम सचिव श्री अरुण कुमार से एवं रु० 296130.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शीला एवं ग्राम सचिव श्री अरुण कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-218

ग्राम पंचायत - माडरमऊ

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष व ,में ग्राम पंचायत माडरमऊ में सोखपिट निर्माण पर व्यय दर्शित है 21-2020 विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	दिनांक	व्यय का विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
.1	02.09.20	सोख पिट निर्माण	मटेरियल	16604.00
.2	02.09.20	सोखपिट निर्माण	मटेरियल	23101.00
		योग		39705.00

सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी, स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 39705.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शीला एवं ग्राम सचिव श्री अरुण कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-219

ग्राम पंचायत - माडरमऊ

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत माडरमऊ में विभिन्न तिथियों में प्रधान मानदेय भुगतान कर कैशबुक --:विवरण निम्नवत है ,में व्यय दर्शित है

क्र०सं०	दिनांक	व्यय का विवरण	धनराशि
.1	01.09.20	प्रधान मानदेय	38500.00
.2	05.09.20	प्रधान मानदेय	10500.00
.3	26.11.20	प्रधान मानदेय	10500.00
.4	20.02.20	प्रधान मानदेय	2800.00
		योग	62300.00

पंचायतराज अनुभाग-1 के आदेश सख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिंदु 2अ के र ग्राम प्रधान रुपये 3500/- मासिक किया गया जिसके अनुसार एक वर्ष का मानदेय रु० 42000.00 होता है। किन्तु ग्राम पंचायत में एक वर्ष में मानदेय का भुगतान रु० 62300.00 किया गया। मानदेय के मासिक भुगतान हेतु वेतन का निर्माण नहीं किया गया है। जिसके कारण, मानदेय का कब से कब तक का भुगतान किया गया, की जाँच नहीं सकी। उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत वेतन पंजिका / मानदेय रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 एवं खंड-8 (क) एवं 8 (ख) उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की -27 के अंतर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। आवश्यक

कार्यवाही कर उक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शीला एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अरुण कुमार से संयुक्त रूप से किया अपेक्षित है.

प्रस्तर-220

ग्राम पंचायत - माडरमऊ

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष पुताई के-में उक्त ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में प्रा० वि० में रंगाई 21-2020 -विवरण निम्नवत है ,कार्य हेतु व्यय दर्शित है

क्र० सं०	दिनांक	कार्य का विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
.1	15.04.20	प्रा० वि० में रंगाई- पुताई	गुप्ता मशीनरी स्टोर	194050.00
.2	15.04.20	प्रा० वि० में रंगाई- पुताई	मस्टररोल	37702.00
		योग		231752.00

उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है. जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी. व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 39705.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती शीला एवं ग्राम सचिव श्री अरुण कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-221

ग्राम पंचायत - महेशपुर मंडप

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत महेशपुर मण्डप 21-2020में विभिन्न तिथियों में हैंडपंप मरम्मत पर व्यय दर्शित है:-विवरण निम्नवत है ,

क्र०सं०	दिनांक	व्यय का विवरण	अन्य	धनराशि
.1	08.04.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	19840.00
.2	18.04.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	16500.00
.3	23.06.20	हैंडपंप मरम्मत	चौदहवां वित्त	19600.00
.4	02.07.20	हैंडपंप मरम्मत	चौदहवां वित्त	15600.00
.5	28.09.20	हैंडपंप मरम्मत	चौदहवां वित्त	8525.00
.6	30.10.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	19350.00
7.	09.11.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	34620.00
8.	05.12.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	18720.00
		योग		152755.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

1- हैंडपंप मरम्मत पर कुल रु० 152755.00 का व्यय किया है, इसके सापेक्ष कोई व्यय विवरण / व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक एवं कार्यवाही पुस्तिका आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे किसी भी व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2- उक्त वेंडर/फर्म हैंडपंप मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी०एस०टी० पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3- एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 152755.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री चन्द्र प्रकाश निषाद एवं ग्राम सचिव श्री अग्निवेश मौर्य से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-222

ग्राम पंचायत - महेशपुर मंडप

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत महेशपुर मण्डप में दिनांक 10.06.20 को आनंद के चक से अशोक के घर तक खड्जा कार्य पर रु 74349.00 भुगतान किया कर कैशबुक में दर्शित है। अतः उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक /व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 74349.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्री चन्द्र प्रकाश निषाद एवं ग्राम सचिव श्री अग्निवेश मौर्य से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-223

ग्राम पंचायत - महेशपुर मंडप

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत महेशपुर मण्डप में विभिन्न तिथियों में महेंद्र के घर से प्रा० 21-2020 :-विवरण निम्नवत है, वि० तक इंटरलॉकिंग कार्य पर व्यय दर्शित है

क्र०स०	दिनांक	व्यय का विवरण	अन्य	धनराशि
.1	09..1120	इंटरलॉकिंग कार्य	मटेरियल	10473.00
.2	09..1120	इंटरलॉकिंग कार्य	मटेरियल	87998.00
		योग		98471.00

अतः उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 98471.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्री चन्द्र प्रकाश निषाद एवं ग्राम सचिव श्री अग्निवेश मौर्य से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-224

ग्राम पंचायत - महेशपुर मंडप

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत महेशपुर मण्डप में विभिन्न तिथियों में पंचायत भवन 21-2020 पर व्यय कर कैशबुक में दर्शित है:-विवरण निम्नवत है ,

क्र०स०	दिनांक	व्यय का विवरण	अन्य	धनराशि
.1	08.09.20	मटेरियल	5 th वित्त	234960.00

.2	09.09.20	मिस्त्री को भुगतान	5 th वित्त	18720.00
.3	24.09.20	मिस्त्री को भुगतान	5 th वित्त	5280.00
.4	28.09.20	मिट्टी पटाई	4 th वित्त	12000.00
.5	05.10.20	मिस्त्री को भुगतान	4 th वित्त	14400.00
.6	19.10.20	सबमरसिबुल कार्य	15 th वित्त	39518.00
.7	22.10.20	मिस्त्री को भुगतान	4 th वित्त	16320.00
.8	03.11.20	मिस्त्री को भुगतान	4 th वित्त	7880.00
.9	09.11.20	मिस्त्री को भुगतान	4 th वित्त	12200.00
.10	17.11.20	मिस्त्री को भुगतान	4 th वित्त	14400.00
.11	29.11.20	वाल पुट्टी ,पेंट ,प्राइमर आदि	15 th वित्त	84876.00
.12	02.12.20	मिस्त्री को भुगतान	4 th वित्त	7680.00
.13	05.12.20	टेंडर	5 th वित्त	4050.00
.14	06.12.20	सबमरसिबुल ,प्लम्बरिंग , प्रेषर स्टार्टर ,दरवाजा	15 th वित्त	95984.00
.15	16.12.20	सबमरसिबुल मोटर स्टार्टर लोहे , कादरवाजा आदि	15 th वित्त	84984.00
.16	24.12.20	लोहे का दरवाजा खिड़की आदि ,	4 th वित्त	54865.00
.17	05.03.21	लोहे का दरवाजा खिड़की फिटिंग , सहित	15 th वित्त	38336.00
.18	19.03.21	मटेरियल कास्ट	15 th वित्त	24690.00
.19	20.03.21	मटेरियल कास्ट	15 th वित्त	183567.00
.20	26.03.21	टेंडर	5 th वित्त	4050.00
.21	26.03.21	मटेरियल कास्ट	4 th वित्त	21472.00
.22	26.03.21	मजदूरी	4 th वित्त	2880.00
		योग		983112.00

उपर्युक्त दर्शित विवरण से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत भवन निर्माण पर कुल रु० 983112.00 व्यय कर कैशबुक में दर्शित किया गया है, जिसकी जाँच में निम्न आपत्तियां पायी गयी हैं:-

1. उक्त व्ययों से सम्बन्धित बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये.
2. कैशबुक के अनुसार मटेरियल का क्रय 08.09.20 को किया गया है, जबकि मिस्त्री को भुगतान 09.09.20 में रु० 18720.00 का किया गया है. एक दिन के अन्दर मिस्त्री को इतना अधिक भुगतान किये जाने का औचित्य स्पष्ट नहीं रहा. बिल/वाउचर की अनुपलब्धता के कारण इसकी पुष्टि एवं गहन जाँच भी नहीं की जा सकी.
3. विवरण से स्पष्ट है कि मिस्त्री को भुगतान पुनः विवरण क्रमांक 3 पर रु० 5280.00, क्रमांक 5, 7, 8, 9, 10 एवं 12 पर क्रमशः रु० 14400.00, 16320.00, 7880.00, 12200.00, 14400.00 एवं 7680.00, कुल रु० 96880.00 केवल मिस्त्री को भुगतान किया जाना कैशबुक में दर्शित है. इतना अधिक भुगतान केवल मिस्त्री को किया जाना काल्पनिक प्रतीत होता है.
4. विवरण से स्पष्ट है कि क्रमांक 22 पर दिनांक 26.03.21 को रु० 2880.00 का मजदूरी पर भुगतान कैशबुक में दर्शित है, जो अत्यंत ही कम एवं मटेरियल तथा मिस्त्री को भुगतान की धनराशि की अपेक्षा अनौचित्यपूर्ण है.
5. उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि दिनांक 19.12.20 को "सबमरसिबुल कार्य" दर्शा कर रु० 39518.00 तथा दिनांक 06.12.20 में रु० 95984.00 सबमरसिबुल एवं प्लम्बरिंग दर्शाकर कैशबुक में खारिज किया गया है. जिसके सापेक्ष कोई बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया. कैशबुक में भी उक्त. सबमरसिबुल कार्य पर कितनी धनराशि सबमरसिबुल मशीन क्रय पर, कितनी बोरिंग पर, कितनी इस हेतु क्रय सामान आदि पर खर्च की गयी है, उसकी दर, मात्रा, लम्बाई क्या थी, इसका विवरण अंकित नहीं किया गया है. इसकी जाँच एवं पुष्टि हेतु बिल / वाउचर प्रस्तुत नहीं रहे. अतः व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती.

6. उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि दिनांक 16.12.20 को सबमरसिबुल मोटर स्टार्टर, "लोहे का दरवाजा" दर्शाकर रु० 84984.00, दिनांक 24.12.20 को लोहे का दरवाजा, खिड़की दर्शाकर रु० 54865.00 एवं पुनः दिनांक 05.03.21 को लोहे का दरवाजा, खिड़की फिटिंग सहित दर्शाकर रु० 38336.00 का भुगतान किया जाना कैशबुक में दर्शित है, जिसके सापेक्ष कोई बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। कैशबुक में भी उक्त लोहे के दरवाजे पर कितनी धनराशि, खिड़की क्रय पर कितनी, कितनी इस हेतु अन्य सामान पर खर्च की गयी है, 'उसकी दर, मात्रा, लम्बाई क्या थी, इसका विवरण अंकित नहीं किया गया है। इसकी जाँच एवं पुष्टि हेतु बिल / वाउचर प्रस्तुत नहीं रहे। अतः व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती।

अतः उक्त व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 274995.00 की वसूली प्रशासक श्री हरिश्चन्द्र कौशिक एवं ग्राम सचिव श्री अग्निवेश मौर्य से एवं रु० 708117.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्री चन्द्र प्रकाश निषाद एवं ग्राम सचिव श्री अग्निवेश मौर्य से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-225

ग्राम पंचायत - न्योरी

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर मरम्मत / -पर व्यय दर्शित किया गया है:-

क्र०सं०	दिनांक	व्यय का विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
.1	23.04.20	हैंडपंप मरम्मत	अवध ट्रेडर्स	15350.00
.2	07.08.20	हैंडपंप मरम्मत	अवध ट्रेडर्स	12480.00
.3	19.08.20	हैंडपंप मरम्मत	अवध ट्रेडर्स	9820.00
.4	08.09.20	हैंडपंप मरम्मत	अवध ट्रेडर्स	16663.00
.5	26.10.20	हैंडपंप मरम्मत	अवध ट्रेडर्स	18700.00
.6	02.11.20	हैंडपंप मरम्मत	अवध ट्रेडर्स	16320.00
7.	02.11.20	हैंडपंप रिबोर	अवध ट्रेडर्स	29756.00
8.	02.11.20	हैंडपंप रिबोर	अवध ट्रेडर्स	29855.00
9.	26.12.20	हैंडपंप मरम्मत	अवध ट्रेडर्स	17680.00
.10	26.03.21	हैंडपंप मरम्मत	अवध ट्रेडर्स	10255.00
		योग		176879.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

- 1- हैण्डपम्प मरम्मत से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2- उक्त वेंडर/फर्म हैण्डपम्प मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी०एस०टी० पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।
- 3- एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 166624.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती तसलिमुन्निशा एवं ग्राम सचिव से श्री प्रदीप कुमार

गुप्ता तथा रु० 10255.00 की वसूली प्रशासक श्री हरिश्चंद्र कौशिक एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप कुमार गुप्ता से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-226

ग्राम पंचायत - परसौना

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष ,में ग्राम पंचायत परसौना में विभिन्न तिथियों में हैंडपंप मरम्मत पर व्यय दर्शित है 21-2020
-:विवरण निम्नवत है

क्र०सं०	दिनांक	व्यय का विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
.1	23.06.20	हैंडपंप मरम्मत	माँ लक्ष्मी इंटरप्राइजेज	7650.00
.2	23.06.20	हैंडपंप मरम्मत	माँ लक्ष्मी इंटरप्राइजेज	8230.00
.3	07.08.20	हैंडपंप मरम्मत	माँ लक्ष्मी इंटरप्राइजेज	15230.00
.4	17.08.20	हैंडपंप मरम्मत	अभिनव कांटेक्टर	9710.00
.5	17.08.20	हैंडपंप मरम्मत	अभिनव कांटेक्टर	10210.00
.6	05.09.20	हैंडपंप मरम्मत	माँ लक्ष्मी इंटरप्राइजेज	18300.00
7.	05.10.20	हैंडपंप मरम्मत	माँ लक्ष्मी इंटरप्राइजेज	15210.00
8.	26.03.21	हैंडपंप मरम्मत	अभिनव कांटेक्टर	12080.00
9.	29.03.21	हैंडपंप मरम्मत	अभिनव कांटेक्टर	11230.00
		योग		107300.00

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार है:-

- 1- हैंडपंप मरम्मत पर कुल रु० 107300.00 का व्यय किया है, इसके सापेक्ष कोई व्यय विवरण / व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक एवं कार्यवाही पुस्तिका आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे किसी भी व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2- उक्त वेंडर/फर्म हैंडपंप मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी०एस०टी० पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।
- 3- एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 23310.00 की वसूली प्रशासक श्री हरिश्चंद्र कौशिक एवं ग्राम सचिव श्री प्रवेश कुमार एवं रु० 83990.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती धिराजी एवं ग्राम सचिव श्री प्रवेश कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-227

ग्राम पंचायत - परसौना

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत परसौना में विभिन्न तिथियों में प्रधान मानदेय भुगतान कर 20-2019
-:विवरण निम्नवत है ,कैशबुक में व्यय दर्शित है

क्र०सं०	दिनांक	व्यय का विवरण	धनराशि
.1	14.07.20	प्रधान मानदेय	24500.00
.2	17.08.20	प्रधान मानदेय	24500.00
.3	17.02.21	प्रधान मानदेय	16800.00
		योग	65800.00

पंचायतराज अनुभाग-1 के आदेश सख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिंदु 2अ के अनुसारग्राम प्रधान का मानदेय 2500/- रुपये से बढ़ा कर रुपये 3500/-मासिक किया गया जिसके अनुसार एक वर्ष का मानदेय रु० 42000.00 होता है. किन्तु उक्त ग्राम पंचायत में एक वर्ष में मानदेय का भुगतान रु० 65800.00 किया गया. मानदेय के मासिक भुगतान हेतु वेतन पंजिका का निर्माण नहीं किया गया है. जिसके कारण, मानदेय का कब से कब तक का भुगतान किया गया, की जाँच नहीं की जा सकी. उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत वेतन पंजिका / मानदेय रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड-7 एवं खंड-8(क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है. जिसके सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के संज्ञान में प्रकरण लाया जाता है. आवश्यक कार्यवाही कर उक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती धिराजी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रवेश कुमार से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है.

प्रस्तर-228

ग्राम पंचायत - सरैया हरदो

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत सरैया हरदो में 21-2020 विभिन्न तिथियों में हैंडपंप मरम्मत पर व्यय दर्शित है ,
-:विवरण निम्नवत है

क्र०स०	दिनांक	व्यय का विवरण	अन्य	धनराशि
.1	29.04.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	18230.00
.2	12.05.20	हैंडपंप मरम्मत	चौदहवां वित्त	14230.00
.3	15.05.20	हैंडपंप मरम्मत	चौदहवां वित्त	8230.00
.4	12.06.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	16253.00
.5	12.07.20	हैंडपंप मरम्मत	चौदहवां वित्त	6110.00
.6	12.07.20	हैंडपंप मरम्मत	चौदहवां वित्त	5230.00
7.	17.07.20	हैंडपंप मरम्मत	चौदहवां वित्त	11322.00
8.	07.08.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	11510.00
9.	21.08.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	5923.00
10.	11.09.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	15240.00
11.	15.10.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	11924.00
12.	19.10.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	4510.00
13.	19.10.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	7640.00
14.	11.11.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	17230.00
15.	21.11.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	6250.00
16.	20.12.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	19210.00
17.	20.12.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	18230.00
18.	25.12.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	19260.00
		योग		16532.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1- हैंडपंप मरम्मत पर कुल रु० 216532.00 का व्यय किया है, जो अत्यधिक प्रतीत होता है, इसके सापेक्ष कोई व्यय विवरण / व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक एवं कार्यवाही पुस्तिका आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे किसी भी व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2- उक्त वेंडर/फर्म हैंडपंप मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी०एस०टी० पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3- एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु० 216532.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्री द्वारिका प्रसाद एवं ग्राम सचिव श्री आलोक उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-229

ग्राम पंचायत - सरैया हरदो

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत सरैया हरदो में दिनांक 28.09.20 को नहर से पूरब रामजीत के घर तक खंडजा मरमम्त पर रु 65800.00 मटेरियल पर भुगतान किया कर कैशबुक में दर्शित है, जबकि कैशबुक की परीक्षा में मजदूरी पर व्यय शून्य पाया गया। उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 एवं खंड-8(क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। जिसके सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के संज्ञान में प्रकरण लाया जाता है। आवश्यक कार्यवाही कर उक्त की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है एवं स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में धनराशि रु० 65800.00 वसूली ग्राम-प्रधान श्री द्वारिका प्रसाद एवं ग्राम सचिव श्री आलोक उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-230

ग्राम पंचायत - सरैया हरदो

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

में ग्राम पंचायत सरैया हरदो में विभिन्न तिथियों में सोखपिट निर्माण पर व्यय 21-2020 आलोच्य वर्ष दर्शिविवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	दिनांक	व्यय का विवरण	मद	धनराशि
.1	21.08.20	सोख पिट निर्माण	मटेरियल	16160.00
.2	25.08.20	सोखपिट निर्माण	मटेरियल	42387.00
.3	26.08.20	सोख पिट निर्माण	मस्टररोल	6633.00
.4	08.09.20	सोख पिट निर्माण	मस्टररोल	4710.00
		योग		69890.00

उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 एवं खंड-8(क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। जिसके सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के संज्ञान में प्रकरण लाया जाता है। आवश्यक कार्यवाही कर उक्त की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से आद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है एवं स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में धनराशि रु० 69890.00 वसूली ग्राम-प्रधान श्री द्वारिका प्रसाद एवं ग्राम सचिव श्री आलोक उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-231**ग्राम पंचायत - सरैया हरदो****विकास क्षेत्र - रामनगर****जनपद - अम्बेडकरनगर**

आलोच्य वर्ष -में ग्राम पंचायत सरैया हरदो में विभिन्न तिथियों में जूनियर विद्यालय में पेंटिंग 21-2020
 -:विवरण निम्नवत है ,पुट्टी मरमम्त कार्य पर कैशबुक में व्यय दर्शित है

क्र०सं०	दिनांक	व्यय का विवरण	अन्य	धनराशि
.1	02.05.20	जू० वि० में पेंटिंग पुट्टी-मरमम्त	मटेरियल	135451.00
.2	10.05.20	जू० वि० में पेंटिंग पुट्टी-मरमम्त	मस्टररोल	9080.00
		योग		144531.00

उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 एवं खंड-8(क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है. जिसके सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के संज्ञान में प्रकरण लाया जाता है. आवश्यक कार्यवाही कर उक्त की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से आद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है एवं स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में धनराशि रु० 144531.00 वसूली ग्राम-प्रधान श्री द्वारिका प्रसाद एवं ग्राम सचिव श्री आलोक उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-232**ग्राम पंचायत - सरैया हरदो****विकास क्षेत्र - रामनगर****जनपद - अम्बेडकरनगर**

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत सरैया हरदो में विभिन्न तिथियों में जूनियर विद्यालय बाउंड्री 21-2020
 -:विवरण निम्नवत है ,वाल निर्माण पर कैशबुक में व्यय दर्शित है

क्र०सं०	दिनांक	व्यय का विवरण	अन्य	धनराशि
.1	23.09.20	बाउंड्री वाल निर्माण	मटेरियल	102339.00
.2	23.09.20	बाउंड्री वाल निर्माण	मटेरियल	100000.00
.3	29.09.20	बाउंड्री वाल निर्माण	मस्टररोल	8640.00
		योग		210979.00

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि मटेरियल पर कुल व्यय रु० 202339.00 एवं रु० 8640.00 का मजदूरी पर भुगतान कैशबुक में दर्शित है, जो अत्यंत ही कम एवं मटेरियल पर भुगतान की धनराशि की अपेक्षा अनौचित्यपूर्ण है. कैशबुक में सामग्री का विवरण भी अंकित नहीं किया है, जिसके सापेक्ष कोई बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती.

उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 एवं खंड-8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है. जिसके सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के संज्ञान में प्रकरण लाया जाता है. आवश्यक कार्यवाही कर उक्त की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है एवं स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में धनराशि रु० 210979.00 वसूली ग्राम-प्रधान श्री द्वारिका प्रसाद एवं ग्राम सचिव श्री आलोक उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-233**ग्राम पंचायत - रामनगर महुअर****विकास क्षेत्र - रामनगर****जनपद - अम्बेडकरनगर**

आलोच्य वर्ष /में ग्राम पंचायत रामनगर महुअर में विभिन्न तिथियों में हैंडपंप मरम्मत 21-2020 हैंडपंप रिबोर पर व्यय दर्शित है:- विवरण निम्नवत है ,

क्र०सं०	दिनांक	व्यय का विवरण	अन्य	धनराशि
.1	25.08.20	हैंडपंप मरम्मत	चौदहवां वित्त	37120.00
.2	25.08.20	हैंडपंप मरम्मत	चौदहवां वित्त	13400.00
.3	24.09.20	हैंडपंप रिबोर	पन्द्रहवां वित्त	31470.00
.4	16.10.20	हैंडपंप मरम्मत	चौदहवां वित्त	19545.00
.5	06.11.20	हैंडपंप मरम्मत	चौदहवां वित्त	36450.00
.6	05.12.20	हैंडपंप मरम्मत	चौदहवां वित्त	15110.00
7.	05.12.20	हैंडपंप मरम्मत	चौदहवां वित्त	14560.00
8.	05.12.20	हैंडपंप मरम्मत	चौदहवां वित्त	14770.00
9.	05.12.20	हैंडपंप मरम्मत	चौदहवां वित्त	19830.00
10.	06.03.21	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	17210.00
11.	06.03.21	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	14140.00
12.	23.03.21	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	19750.00
		योग		253355.00

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार है:-

- 1- हैंडपंप मरम्मत पर कुल रु० 253355.00 का व्यय किया है, जो अत्यधिक प्रतीत होता है, इसके सापेक्ष कोई व्यय विवरण / व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक एवं कार्यवाही पुस्तिका आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे किसी भी व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2- उक्त वेंडर/फर्म हैंडपंप मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी०एस०टी० पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।
- 3- एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 202255.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती कैलाशी देवी एवं ग्राम सचिव श्री अनूप कुमार मिश्र तथा रु० 51100.00 की वसूली ग्राम सचिव श्री अनूप कुमार मिश्र एवं प्रशासक श्री हरिश्चन्द्र कौशिक से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-234**ग्राम पंचायत - रामनगर महुअर****विकास क्षेत्र - रामनगर****जनपद - अम्बेडकरनगर**

आलोच्य वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत में दिनांक 23.06.20 को प्रा० वि० रामनगर महुअर। में पेंटिंग एवं पुट्टी मरम्मत कार्य पर रु० 325301.00 का भुगतान कर कैशबुक में दर्शित किया गया है, किन्तु उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक/ व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों

सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 325301.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती कैलाशी एवं ग्राम सचिव श्री अनूप कुमार मिश्र से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-235

ग्राम पंचायत - रामनगर महुअर

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत में दिनांक 08.09.20 को प्रा० वि० रामनगर केवटाही में फर्श मरमन्त एवं टाइल्स कार्य पर रु० 276867.00 का भुगतान कर कैशबुक में दर्शित किया गया है, किन्तु उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक/ व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 276867.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कैलाशी देवी एवं ग्राम सचिव श्री अनूप कुमार मिश्र से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-236

ग्राम पंचायत - रामनगर महुअर

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत में दिनांक 24.09.20 को प्रा० वि० रामनगर महुवर ॥ में फर्श मरमन्त एवं टाइल्स कार्य पर रु० 229816.00 का भुगतान कर कैशबुक में दर्शित किया गया है, किन्तु उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 229816.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कैलाशी देवी एवं ग्राम सचिव श्री अनूप कुमार मिश्र से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-237

ग्राम पंचायत - रामनगर महुअर

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत रामनगर महुवर में दिनांक 06.10.20 को रामदास के घर से मो० अली के घर तक खडंजा निर्माण कार्य पर रु० 98475.00 की ईट क्रय पर एवं रु० 6654.00 मस्टररोल पर, कुल 105129.00 भुगतान किया कर कैशबुक में दर्शित है। उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 105129.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कैलाशी देवी एवं ग्राम सचिव श्री अनूप कुमार मिश्र से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-238

ग्राम पंचायत - रामनगर महुअर

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत रामनगर महुअर में दिनांक 12.10.20 को पिच रोड से फुर्तीलाल के खेत तक मिट्टी खडंजा निर्माण कार्य पर रु० 178741.00 भुगतान किया कर कैशबुक में दर्शित है। उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक/ व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 178741.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कैलाशी देवी एवं ग्राम सचिव श्री अनूप कुमार मिश्र से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-239

ग्राम पंचायत - रामनगर महुअर

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत रामनगर महुअर में दिनांक 15.12.20 को पिच रोड से हीरालाल के घर तक खडेजा मरम्मत कार्य पर रु० 60565.00 भुगतान किया कर कैशबुक में दर्शित है। उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक/ व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 60565.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कैलाशी देवी एवं ग्राम सचिव श्री अनूप कुमार मिश्र से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-240

ग्राम पंचायत - रामनगर महुअर

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत रामनगर महुअर में दिनांक 04.12.20 को सोखपिट निर्माण कार्य पर रु० 143481.00 भुगतान किया कर कैशबुक में दर्शित है। उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 143481.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कैलाशी देवी एवं ग्राम सचिव श्री अनूप कुमार मिश्र से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-241**ग्राम पंचायत - रामनगर महुअर****विकास क्षेत्र - रामनगर****जनपद - अम्बेडकरनगर**

आलोच्य वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत में दिनांक 15.12.20 को जूनियर विद्यालय में फर्श मरभूत एवं टाइल्स कार्य पर रु० 276867.00 का भुगतान कर कैशबुक में दर्शित किया गया है, उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक/ व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है. जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी. व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 276867.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कैलाशी देवी एवं ग्राम सचिव श्री अनूप कुमार मिश्र से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-242**ग्राम पंचायत - रामनगर महुअर****विकास क्षेत्र - रामनगर****जनपद - अम्बेडकरनगर**

आलोच्य वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत में दिनांक 17.11.20 को प्रा० वि० रामनगर केवटाही में पुट्टी पेंटिंग कार्य पर रु० 217165.00 का भुगतान कर कैशबुक में दर्शित किया गया है, उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है. जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी. व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 217165.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कैलाशी देवी एवं ग्राम सचिव श्री अनूप कुमार मिश्र से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-243**ग्राम पंचायत - मगनपुर महिमापुर****विकास क्षेत्र - रामनगर****जनपद - अम्बेडकरनगर**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में विभिन्न तिथियों में चौदहवां राज्य वित्त आयोग निम्न विवरणानुसार विभिन्न मद में भुगतान दर्शित है:-

क्र०	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	मद	व्यय प्रमाणक
.1	07.05.2020	19750.00	माँ लक्ष्मी इंटरप्राइजेज	कैशबुक में व्यय विवरण का अंकन नहीं है।	अनुपलब्ध
.2	09.05.2020	3382.00	जनचर्चा	कैशबुक में व्यय विवरण का अंकन नहीं है।	अनुपलब्ध
.3	11.06.2020	24837.00	काशमी ईट भट्टा	कैशबुक में व्यय विवरण का अंकन नहीं है।	अनुपलब्ध
.4	11.06.2020	7198.00	विराट इंटरप्राइजेज	कैशबुक में व्यय विवरण का अंकन नहीं है।	अनुपलब्ध
.5	11.06.2020	10050.00	मजदूरी	कैशबुक में व्यय विवरण का अंकन नहीं है।	अनुपलब्ध
.6	11.06.2020	17290.00	माँ लक्ष्मी इंटरप्राइजेज	कैशबुक में व्यय विवरण का अंकन नहीं है।	अनुपलब्ध
.7	17.06.2020	4000.00	नारी चेतना	कैशबुक में व्यय विवरण का अंकन नहीं है।	अनुपलब्ध
.8	09.08.2020	8100.00	शांति देवी (मजदूरी)	कैशबुक में व्यय विवरण का अंकन नहीं है।	अनुपलब्ध
.9	09.08.2020	18570.00	मजदूरी	कैशबुक में व्यय विवरण का अंकन नहीं है।	अनुपलब्ध
.10	09.08.2020	2500.00	आनंद ट्रेडर्स	कैशबुक में व्यय विवरण का अंकन नहीं है।	अनुपलब्ध
.11	09.08.2020	45794.00	यादव ब्रिक फील्ड	कैशबुक में व्यय विवरण का अंकन नहीं है।	अनुपलब्ध
.12	09.08.2020	40436.00	गुप्ता मशीनरी स्टोर	कैशबुक में व्यय विवरण का अंकन नहीं है।	अनुपलब्ध

.13	09.08.2020	16035.00	मजदूरी	कैशबुक में व्यय विवरण का अंकन नहीं है।	अनुपलब्ध
.14	19.08.2020	2500.00	आनंद ट्रेडर्स	कैशबुक में व्यय विवरण का अंकन नहीं है।	अनुपलब्ध
	योग	220442.00			

उक्त व्यय योग रु० 220442.00 की पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है जो अधिभार योग्य है, व्यय पत्रावली /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 220442.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्री मोहन लाल एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अरुण कुमार यादव से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-244

ग्राम पंचायत - सिपाह

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत सिपाह में लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगोपरान्त कोई भी अभिलेख (कार्ययोजना, स्टीमेट, एम०बी०, कैशबुक, पास बुक/बैंक स्टेटमेंट, मस्टररोल, बिल/बाउचर एवं निर्माण से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख) प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि ई-ग्राम स्वराज पर आलोच्य वर्ष में दर्शित आंकड़ों के अनुसार रु० 1428693.00 का व्यय किया है; विवरण निम्नवत् है:-

क्रमांक	वित्त	धनराशि
.1	चौदहवां वित्त आयोग	688468.00
.2	पन्द्रहवां वित्त आयोग	377704.00
.3	चतुर्थ राज्य वित्त	232356.00
.4	पंचम राज्य वित्त	130165.00
	योग	1428693.00

अतः उक्त व्यय योग रु० 1428693.00 की पुष्टि में कार्य पत्रावली एवं सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है, क्योंकि कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है जो अधिभार योग्य है, व्यय पत्रावली / व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 1428693.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती लालमती सिंह / प्रशासक श्री हरिश्चंद्र कौशिक एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अनूप कुमार मिश्र से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-245

ग्राम पंचायत - सेमरा मानापुर

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष हैंडपंप/में ग्राम पंचायत सेमरा मानापुर में विभिन्न तिथियों में हैंडपंप मरम्मत 21-2020 रिबोर पर व्यय कर कैशबुक में दर्शित है:-विवरण निम्नवत् है ,

क्र०सं०	दिनांक	व्यय का विवरण	अन्य	धनराशि
.1	23.04.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	7692.00
.2	23.04.20	हैंडपंप मरम्मत	चौदहवां वित्त	11530.00
.3	12.06.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	7530.00
.4	12.06.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	8523.00
.5	12.06.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	16230.00
.6	23.06.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	19820.00

7.	11.07.20	हैंडपंप रिबोर	चतुर्थ वित्त	37200.00
8.	31.08.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	7230.00
9.	04.09.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	18790.00
10.	09.10.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	18210.00
.11	23.10.20	हैंडपंप लगवाई	पन्द्रहवां वित्त	53216.00
.12	30.10.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	15230.00
.13	12.11.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	17809.00
.14	24.12.20	हैंडपंप मरम्मत	चौदहवां वित्त	34700.00
		योग		273710.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1- हैंडपंप मरम्मत पर कुल रु० 273710.00 का व्यय किया है, जो अत्यधिक प्रतीत होता है, इसके सापेक्ष कोई व्यय विवरण /व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक एवं कार्यवाही पुस्तिका आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे किसी भी व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2- उक्त वेंडर/फर्म हैंडपंप मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी०एस०टी० पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3- एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 273710.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती चंद्रमणि एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री आलोक उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-246

ग्राम पंचायत - सेमरा मानापुर

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

में ग्राम पंचायत सेमरा मानापुर में विभिन्न तिथियों में प्रा० विद्यालय में कमरों की 21-2020 आलोच्य वर्ष मरम्मत व रंगापुताई कार्य पर केशबुक में व्यय दर्शित है:-विवरण निम्नवत है ,

क्र०सं०	दिनांक	व्यय का विवरण	अन्य	धनराशि
.1	02.05.20	प्रा० वि० में पेंटिंग पुट्टी-मरम्मत	मटेरियल	169396.00
.2	10.05.20	प्रा० वि० में पेंटिंग पुट्टी-मरम्मत	मस्टररोल	21864.00
		योग		191260.00

उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 एवं खंड-8(क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। जिसके सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के संज्ञान में प्रकरण लाया जाता है। आवश्यक कार्यवाही कर उक्त की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है एवं स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में धनराशि रु० 191260.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती चंद्रमणि एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री आलोक उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-247**ग्राम पंचायत - सेमरा मानापुर****विकास क्षेत्र - रामनगर****जनपद - अम्बेडकरनगर**

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत सेमरा मानापुर में विभिन्न तिथियों में कार्यों पर कैशबुक में 21-2020
-:विवरण निम्नवत है ,व्यय दर्शित है

क्र०सं०	दिनांक	कार्य का विवरण	मजदूरी	धनराशि
.1	20.03.21	अमरजीत के घर से श्रीनाथ के घर तक खडंजा निर्माण	शून्य	13462.00
.2	20.03.21	हरिवंश के चक से जयनारायण के घर तक खडंजा निर्माण	शून्य	20229.00
		योग		33691.00

उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान न किया जाना शासन के मजदूरी सृजन उद्देश्य के विपरीत तथा क्रय सामग्री अथवा व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना एवं ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है अतः उक्त अनियमित कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (ख) के विपरीत है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 33691.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती चंद्रमणि एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री आलोक उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-248**ग्राम पंचायत - सेमरा मानापुर****विकास क्षेत्र - रामनगर****जनपद - अम्बेडकरनगर**

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत सेमरा मानापुर में विभिन्न तिथियों में सामुदायिक शौचालय 21-2020
-:विवरण निम्नवत है ,निर्माण कार्य पर कैशबुक में व्यय दर्शित है

क्र०सं०	दिनांक	व्यय का विवरण	अन्य	धनराशि
.1	24.09.20	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	मटेरियल मस्टररोल &	185591.00
.2	17.03.21	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	बोर्ड	3500.00
.3	25.03.21	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	बोर्ड	3500.00
		योग		192591.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि बोर्ड पर दो बार रु० 3500.00 का भुगतान कर कैशबुक में दर्शित किया गया है। बिल/वाउचर की अनुपलब्धता के कारण इसकी पुष्टि एवं गहन जाँच भी नहीं की जा सकी।

2. उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 एवं खंड-8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत अपहरण है, जो अधिभार योग्य है। जिसके सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के संज्ञान में प्रकरण लाया जाता है एवं स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 7000.00 की वसूली प्रशासक श्री हरिश्चंद्र कौशिक एवं ग्राम सचिव श्री आलोक उपाध्याय से एवं रु० 185591.00 वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती चंद्रमणि एवं ग्राम सचिव श्री आलोक उपाध्याय से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-249**ग्राम पंचायत - विमावल****विकास क्षेत्र - रामनगर****जनपद - अम्बेडकरनगर**

आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत विमावल में लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगोपरान्त कोई भी अभिलेख (कार्ययोजना, स्टीमेट, एम०ची०, कैशबुक, पास बुक/बैंक स्टेटमेंट, मस्टररोल, बिल/बाउचर एवं निर्माण से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख) प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि ई-ग्राम स्वराज पर आलोच्य वर्ष में दर्शित आंकड़ों के अनुसार रु० 1623616.00 का व्यय किया है; विवरण निम्नवत् है:-

क्रमांक	वित्त	धनराशि
.1	चौदहवां वित्त आयोग	1190046.00
.2	पन्द्रहवां वित्त आयोग	212024.00
.3	चतुर्थ राज्य वित्त	134776.00
.4	पंचम राज्य वित्त	86770.00
	योग	1623616.00

अतः उक्त व्यय योग रु० 1623616.00 की पुष्टि में कार्य पत्रावली एवं सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है, क्योंकि कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है जो अधिभार योग्य है, व्यय पत्रावली / व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 1623616.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्री राधेश्याम / प्रशासक श्री हरिश्चंद्र कौशिक एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अनूप कुमार मिश्र से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-250**ग्राम पंचायत - शाहपुर औरावं****विकास क्षेत्र - रामनगर****जनपद - अम्बेडकरनगर**

आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत शाहपुर औरावं में लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगोपरान्त कोई भी अभिलेख (कार्ययोजना, स्टीमेट, एम०बी०, कैशबुक, पास बुक/बैंक स्टेटमेंट, मस्टररोल, बिल/बाउचर एवं निर्माण से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख) प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि ई-ग्राम स्वराज पर आलोच्य वर्ष में दर्शित आंकड़ों के अनुसार रु० 1299026.00 का व्यय किया है; विवरण निम्नवत् है:-

क्रमांक	वित्त	धनराशि
.1	चौदहवां वित्त आयोग	354210.00
.2	पन्द्रहवां वित्त आयोग	341429.00
.3	चतुर्थ राज्य वित्त	152324.00
.4	पंचम राज्य वित्त	451063.00
	योग	1299026.00

अतः उक्त व्यय योग रु० 1299026.00 की पुष्टि में कार्य पत्रावली एवं सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है, क्योंकि कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है जो अधिभार योग्य है, व्यय पत्रावली / व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 1299026.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्री राधेश्याम यादव / प्रशासक श्री हरिश्चंद्र कौशिक एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अनूप कुमार मिश्र से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-251**ग्राम पंचायत - सैदपुर लेडुवाडीह****विकास क्षेत्र - रामनगर****जनपद - अम्बेडकरनगर**

आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत सैदपुर लेडुवाडीह में लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगोपरान्त कोई भी अभिलेख (कार्ययोजना, स्टीमेट, एम०बी०, कैशबुक, पास बुक/बैंक स्टेटमेंट, मस्टररोल, बिल/बाउचर एवं निर्माण से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख) प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि ई-ग्राम स्वराज पर आलोच्य वर्ष में दर्शित आंकड़ों के अनुसार रु० 1073162.00 का व्यय किया है; विवरण निम्नवत् है:-

क्रमांक	वित्त	धनराशि
.1	चौदहवां वित्त आयोग	315462.00
.2	पन्द्रहवां वित्त आयोग	421269.00
.3	चतुर्थ राज्य वित्त	72730.00
.4	पंचम राज्य वित्त	263701.00
	योग	1073162.00

अतः उक्त व्यय योग रु० 1073162.00 की पुष्टि में कार्य पत्रावली एवं सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है, क्योंकि कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है जो अधिभार योग्य है, व्यय पत्रावली / व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 1073162.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती मंजू देवी / प्रशासक श्री हरिशचंद्र कौशिक एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अनूप कुमार मिश्र से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-252**ग्राम पंचायत - परमेश्वरपुर****विकास क्षेत्र - रामनगर****जनपद - अम्बेडकरनगर**

आलोच्य वर्ष हैंडपंप रिबोर पर /में ग्राम पंचायत परमेश्वरपुर में विभिन्न तिथियों में हैंडपंप मरम्मत 21-2020 :-विवरण निम्नवत् है ,व्यय दर्शित है

क्र०स०	दिनांक	व्यय का विवरण	अन्य	धनराशि
.1	23.04.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	19600.00
.2	23.04.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	9900.00
.3	28.08.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	34971.00
.4	01.09.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	35280.00
.5	09.10.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	35731.00
.6	09.10.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	15510.00
.7	09.10.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	14950.00
.8	29.10.20	हैंडपंप रिबोर	चतुर्थ वित्त	34815.00
.9	29.10.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	30125.00
.10	24.12.20	हैंडपंप रिबोर	चतुर्थ वित्त	35029.00
.11	24.12.20	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	31100.00
.12	06.02.21	हैंडपंप मरम्मत	चतुर्थ वित्त	1230.00
.13	11.02.21	हैंडपंप मरम्मत	पांचवां वित्त	19865.00
.14	11.02.21	हैंडपंप मरम्मत	पांचवां वित्त	11850.00
.15	24.02.21	हैंडपंप मरम्मत	पांचवां वित्त	6150.00

.16	13.03.21	हैंडपंप मरम्मत	पांचवां वित्त	14920.00
.17	13.03.21	हैंडपंप मरम्मत	पांचवां वित्त	10115.00
18.	13.03.21	हैंडपंप रिबोर	चतुर्थ वित्त	35151.00
		योग		396292.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

- 1- हैंडपंप मरम्मत पर कुल रु० 396292.00 का व्यय किया है, जो अत्यधिक प्रतीत होता है, इसके सापेक्ष कोई व्यय विवरण/व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक एवं कार्यवाही पुस्तिका अडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे किसी भी व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2- उक्त वेंडर/फर्म हैंडपंप मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी०एस०टी० पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।
- 3- एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है।

व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 297011.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्री अभिषेक चौधरी एवं ग्राम सचिव श्री अरुण कुमार तथा रु० 99281.00 ग्राम सचिव श्री अरुण कुमार एवं प्रशासक श्री हरिश्चंद्र कौशिक से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-253

ग्राम पंचायत - परमेश्वरपुर

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत परमेश्वरपुर में दिनांक 29.10.20 को कूप मरम्मत कार्य पर रु० 60000.00 का भुगतान कर कैशबुक में दर्शित किया गया है, किन्तु उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 60000.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्री अभिषेक चौधरी एवं ग्राम सचिव श्री अरुण कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-254

ग्राम पंचायत - परमेश्वरपुर

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत परमेश्वरपुर में दिनांक 08.04.20 को राजमन उपाध्याय के चक से भौरा पिच तक खंडजा मरम्मत कार्य पर रामप्यारे ईट भट्टा से रु 26932.00 की ईट क्रय की गयी किन्तु इस कार्य का मस्टररोल खारिज न होने से स्पष्ट हो रहा है कि ईट क्रय कर रख दी गयी, खंडजा मरम्मत का कार्य नहीं हुआ ही है। इससे इस धनराशि का दुरुपयोग किया गया है एवं उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज

नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 26932.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्री अभिषेक चौधरी एवं ग्राम सचिव श्री अरुण कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-255

ग्राम पंचायत - परमेश्वरपुर

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत परमेश्वरपुर में दिनांक 08.04.20 को देवेन्द्र सिंह के घर से ठाकुर नाऊ के घर तक खंडजा मरमम्त कार्य पर रामप्यारे ईट भट्टा से रु 30985.00 की ईट क्रय की गयी किन्तु इस कार्य का मस्टररोल खारिज न होने से स्पष्ट हो रहा है कि ईट क्रय कर रख दी गयी, खंडजा मरमम्त का कार्य नहीं हुआ ही है। इससे इस धनराशि का दुरुपयोग किया गया है एवं उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड ४ (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 30985.00 की वसूली की वसूली ग्राम-प्रधान श्री अभिषेक चौधरी एवं ग्राम सचिव श्री अरुण कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-256

ग्राम पंचायत - परमेश्वरपुर

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत परमेश्वरपुर में दिनांक 08.04.20 को प्रमोद मिश्र के घर से चतुरभुजी मिश्रा के घर तक खंडजा निर्माण कार्य पर रामप्यारे ईट भट्टा से रु 52069.00 की ईट क्रय की गयी किन्तु इस कार्य का मस्टररोल खारिज न होने से स्पष्ट हो रहा है कि ईट क्रय कर रख दी गयी, खंडजा मरमम्त का कार्य नहीं हुआ ही है। इससे इस धनराशि का दुरुपयोग किया गया है एवं उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक/ व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड ४ (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 52069.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्री अभिषेक चौधरी एवं ग्राम सचिव श्री अरुण कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-257

ग्राम पंचायत - परमेश्वरपुर

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत विभिन्न तिथियों में सोखपिट निर्माण पर व्यय द 21-2020 र्शित है ,
-:विवरण निम्नवत है

क्र०स०	दिनांक	व्यय का विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
.1	14.09.20	सोख पिट निर्माण	मटेरियल	41036.00
.2	15.09.20	सोखपिट निर्माण	मटेरियल	10550.00
.3	15.09.20	सोख पिट निर्माण	मस्टररोल	9600.00
.4	17.09.20	सोख पिट निर्माण	मटेरियल	6500.00
		योग		67686.00

उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक/ व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 67686.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्री अभिषेक चौधरी एवं ग्राम सचिव श्री अरुण कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-258

ग्राम पंचायत - परमेश्वरपुर

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत में दिनांक 10.03.21 को प्रा० वि० में टाइल्स लगवाई कार्य पर रु० 191280.00 का भुगतान कर कैशबुक में दर्शित किया गया है, किन्तु उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक/ व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 191280.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री अभिषेक चौधरी एवं प्रशासक श्री हरिश्चन्द्र कौशिक से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-259

ग्राम पंचायत - परमेश्वरपुर

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत परमेश्वरपुर में दिनांक 31.03.21 को प्रमोद मिश्र के घर से ओम मिश्रा के घर तक खडंजा निर्माण कार्य पर रामप्यारे ईट भट्टा से रु० 60900.00 की ईट क्रय पर एवं रु० 4800.00 मस्टररोल पर, कुल 65700.00 भुगतान किया कर कैशबुक में दर्शित है। उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक/ व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 65700.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्री अभिषेक चौधरी एवं प्रशासक श्री हरिश्चन्द्र कौशिक से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-260

ग्राम पंचायत - परमेश्वरपुर

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष विवरण में ग्राम पंचायत परमेश्वरपुर विभिन्न तिथियों में वाइट बोर्ड पर व्यय दर्शित है 21-2020 :- निम्नवत है

क्र०सं०	दिनांक	व्यय का विवरण	धनराशि
.1	09.11.20	वाइट बोर्ड	35000.00
.2	15.12.20	वाइट बोर्ड	37594.00
		योग	72594.00

वाइट बोर्ड पर कुल रु० 72594.00 का व्यय किया है, जो अत्यधिक प्रतीत होता है, इसके सापेक्ष कोई व्यय विवरण / व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे किसी भी व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में धनराशि रु० 72594.00 वसूली ग्राम-प्रधान श्री अभिषेक चौधरी एवं ग्राम सचिव श्री अरुण कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-261

ग्राम पंचायत - संदहा मझगावां

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत संदहा मझगावां में विभिन्न तिथियों में हैंडपंप मरम्मत एवं 21-2020 हैंडपंप रिबोर पर व्यय दर्शित है:-विवरण निम्नवत है ,

क्र०सं०	दिनांक	व्यय का विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
.1	24.04.20	हैंडपंप रिबोर	अवध ट्रेडर्स	35200.00
.2	04.05.20	हैंडपंप रिबोर	अक्ष ट्रेडर्स	74000.00
.3	12.05.20	हैंडपंप मरम्मत	अक्ष ट्रेडर्स	20000.00
.4	11.06.20	हैंडपंप मरम्मत	अक्ष ट्रेडर्स	13120.00
.5	08.07.20	हैंडपंप मरम्मत	अग्रहरि मशीनरी	14000.00
.6	08.07.20	हैंडपंप मरम्मत	अक्ष ट्रेडर्स	11000.00
.7	07.10.20	हैंडपंप मरम्मत	मंगल ट्रेडर्स	3400.00
.8	13.10.20	हैंडपंप मरम्मत	अक्ष ट्रेडर्स	7500.00
.9	13.10.20	हैंडपंप मरम्मत	मंगल ट्रेडर्स	7620.00
.10	13.10.20	हैंडपंप मरम्मत	अक्ष ट्रेडर्स	6000.00
.11	12.11.20	हैंडपंप रिबोर	दयाल ट्रेडर्स	20000.00
.12	06.11.20	हैंडपंप मरम्मत	दयाल ट्रेडर्स	13159.00
.13	02.12.20	हैंडपंप मरम्मत	दयाल ट्रेडर्स	10855.00
14.	02.12.20	हैंडपंप मरम्मत	अक्ष ट्रेडर्स	14022.00
15.	02.12.20	हैंडपंप मरम्मत	अग्रहरि मशीनरी	12240.00
16.	26.12.20	हैंडपंप मरम्मत	अग्रहरि मशीनरी	11370.00
17.	31.12.20	हैंडपंप मरम्मत	अक्ष ट्रेडर्स	11000.00
.18	31.12.20	हैंडपंप रिबोर	दयाल ट्रेडर्स	35260.00
.19	31.12.20	हैंडपंप रिबोर	दयाल ट्रेडर्स	35340.00
		योग		355086.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-हैंडपंप मरम्मत पर कुल रु० 355086.00 का व्यय किया है, जो अत्यधिक प्रतीत होता है, इसके सापेक्ष कोई व्यय विवरण / व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक एवं कार्यवाही पुस्तिका आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे किसी भी व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जी०एस०टी० पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

2- उक्त वेंडर/फर्म हैंडपंप मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके

3- एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल

के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में धनराशि रु० 262116.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती विद्यावती देवी एवं ग्राम सचिव श्री कुलदीप त्रिपाठी तथा रु० 92970.00 की वसूली प्रशासक श्री हरिश्चन्द्र कौशिक एवं ग्राम सचिव श्री कुलदीप त्रिपाठी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-262

ग्राम पंचायत - संदहा मझगवां

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत संदहा मझगवां दिनांक 04.04.20 को पिच रोड से दयाराम व अशोक यादव के घर ताज खडंजा निर्माण कार्य पर मो० मोहसिन खान से रु 50200.00 की ईट क्रय की गयी किन्तु इस कार्य का मस्टररोल खारिज न होने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ईट क्रय रख दी गयी, खडंजा निर्माण कार्य नहीं हुआ है। इससे इस धनराशि का दुरुपयोग किया गया है एवं किन्तु उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक/ व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 50200.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती विद्यावती देवी एवं ग्राम सचिव श्री कुलदीप त्रिपाठी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-263

ग्राम पंचायत - संदहा मझगवां

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत संदहा मझगवां दिनांक 21.12.20 को बिसई डाड में मायाराम के घर के सामने खडंजा निर्माण कार्य पर भारत ब्रिक फील्ड से रु 22410.00 की ईट क्रय की गयी किन्तु इस कार्य का मस्टररोल खारिज न होने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ईट क्रय रख दी गयी, खडंजा निर्माण कार्य नहीं हुआ है। इससे इस धनराशि का दुरुपयोग किया गया है एवं किन्तु उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक/ व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 22410.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती विद्यावती देवी एवं ग्राम सचिव श्री कुलदीप त्रिपाठी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-264

ग्राम पंचायत - संदहा मझगवां

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत संदहा मझगवां 21-2020 में विभिन्न तिथियों में प्रा० वि० बिसई डाड में टाइल्स कार्य हेतु व्यय दर्शित है -विवरण निम्नवत है ,

क्र० सं०	दिनांक	कार्य का विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
.1	28.12.20	प्रा० वि० बिसई डाड में टाइल्स कार्य	राम नवल यादव	99525.00

.2	31.12.20	प्रा० वि० बिसई डाड में टाइल्स कार्य	राम नवल यादव	118265.00
		योग		217790.00

उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक/ व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 99525.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती विद्यावती देवी एवं ग्राम सचिव श्री कुलदीप त्रिपाठी से एवं ग्राम सचिव श्री कुलदीप त्रिपाठी एवं प्रशासक श्री हरिश्चंद्र कौशिक से रु० 118265.00 बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-265

ग्राम पंचायत - संदहा मझगवां

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कुल रु० 3252000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक / पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांक: 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रु० 3252000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी वसूली ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री कुलदीप त्रिपाठी, रोजगार सेवक एवं ग्राम प्रधान श्रीमती विद्यावती देवी से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-266

ग्राम पंचायत - बहिगवां जोगीपुर

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष हैंडपंप रिबोर / में ग्राम पंचायत बहिगवां जोगीपुर में विभिन्न तिथियों में हैंडपंप मरम्मत 21-2020 पर व्यय कर कैशबुक में दर्शित है, विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	दिनांक	व्यय का विवरण	अन्य	धनराशि
.1	08.04.20	हैंडपंप रिबोर		37935.00
.2	08.04.20	हैंडपंप रिबोर		34847.00
.3	21.09.20	हैंडपंप मरम्मत		39520.00
.4	31.10.20	हैंडपंप मरम्मत		19600.00
.5	11.11.20	हैंडपंप मरम्मत		19800.00
.6	27.11.20	हैंडपंप मरम्मत		19230.00
.7	05.12.20	हैंडपंप मरम्मत		18750.00
.8	17.12.20	हैंडपंप मरम्मत		19430.00
.9	17.12.20	हैंडपंप मरम्मत		19430.00
.10	24.12.20	हैंडपंप मरम्मत		19200.00
		योग		247742.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

1- हैंडपंप मरम्मत पर कुल रु० 247742.00 का व्यय किया है, जो अत्यधिक व्यय है. इसके सापेक्ष कोई व्यय विवरण / व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक एवं कार्यवाही पुस्तिका आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे किसी भी व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2- उक्त वेंडर/फर्म हैंडपंप मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी०एस०टी० पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3- एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 247742.00 वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती इसरावती एवं ग्राम सचिव श्री अग्निवेश मौर्य से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-267

ग्राम पंचायत - बहिगवां जोगीपुर

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत बहिगवां जोगीपुर में विभिन्न तिथियों में प्रा० वि० में मरम्मत पुट्टी 21-2020

:-विवरण निम्नवत है ,व पेंटिंग कार्य पर कैशबुक में व्यय दर्शित है

क्र०सं०	दिनांक	कार्य का विवरण	अन्य	धनराशि
.1	14.06.20	प्रा० वि० मरमम्त पुट्टी एवं पेंटिंग	मटेरियल	120137.00
.2	27.06.20	प्रा० वि० मरमम्त पुट्टी एवं पेंटिंग	मस्टररोल	46350.00
.3		योग		166487.00

उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है. जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी. व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 166487.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती इसरावती एवं ग्राम सचिव श्री अग्निवेश मौर्य से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-268

ग्राम पंचायत - बहिगवां जोगीपुर

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत बहिगवां जोगीपुर में विभिन्न तिथियों में प्रा० वि० बहिगवां जोगीपुर में 21-2020

:-विवरण निम्नवत है ,बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य पर कैशबुक में व्यय दर्शित है

क्र०सं०	दिनांक	कार्य का विवरण	अन्य	धनराशि
.1	14.06.20	प्रा० वि० बाउण्ड्रीवाल	मटेरियल	201963.00
.2	27.06.20	प्रा० वि० बाउण्ड्रीवाल	मस्टररोल	33306.00
.3		योग		235269.00

उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है. जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी. व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित

अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 235269.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती इसरावती एवं ग्राम सचिव श्री अग्निवेश मौर्य से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-269

ग्राम पंचायत - बहिगवां जोगीपुर

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत बहिगवां जोगीपुर में दिनांक 14.06.20 को प्रा० वि० में टाइटल्स लगवाई कार्य पर रु० 160436.00 का सामग्री पर भुगतान किया कर कैशबुक में दर्शित है, उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान न किया जाना शासन के मजदूरी सृजन उद्देश्य के विपरीत तथा क्रय सामग्री अथवा व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना एवं ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है।

अतः उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 160436.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती इसरावती एवं ग्राम सचिव श्री अग्निवेश मौर्य से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-270

ग्राम पंचायत - बहिगवां जोगीपुर

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष मे 21-2020ं ग्राम पंचायत बहिगवां जोगीपुर में विभिन्न तिथियों में विभिन्न कार्यों पर व्यय कर कैशबुक में दर्शित है:-विवरण निम्नवत है ,

क्र०सं	दिनांक	कार्य का विवरण	मजदूरी	सामग्री पर भुगतान
1	14.06.20	कादिर के घर के पास नाली से पूरब होते हुए यासीन के घर तक खडंजा निर्माण	शून्य	44342.00
2	26.03.21	मो० इजहार के घर से दक्षिण नाली तक नाली निर्माण	शून्य	31635.00
3		योग		75977.00

उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान न किया जाना शासन के मजदूरी सृजन उद्देश्य के विपरीत तथा क्रय सामग्री अथवा व्यय धनराशि का अपहरण किया जाना एवं ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है। अतः उक्त अनियमित कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (ख) के विपरीत है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 44342.00 की वसूली ग्राम-प्रधान ग्राम-प्रधान श्रीमती इसरावती एवं ग्राम सचिव श्री अग्निवेश मौर्य से एवं 31635.00 की वसूली ग्राम सचिव श्री अग्निवेश मौर्य एवं प्रशासक श्री हरिश्चंद्र कौशिक से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-271**ग्राम पंचायत - धनुकारा****विकास क्षेत्र - रामनगर****जनपद - अम्बेडकरनगर**

ग्राम पंचायत धनुकारा की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

क्र०स०	दिनांक	व्यय का विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1.	29.04.2020	हैंडपंप मरम्मत	मैसर्स रामाजा आयरन स्टोर	9325.00
2.	29.04.2020	हैंडपंप मरम्मत	मैसर्स रामाजा आयरन स्टोर	8210.00
3.	08.06.2020	हैंडपंप मरम्मत	माँ लक्ष्मी इंटरप्राइजेज	17800.00
4.	08.06.2020	हैंडपंप मरम्मत	माँ लक्ष्मी इंटरप्राइजेज	16700.00
5.	15.07.2020	हैंडपंप मरम्मत	मैसर्स अभिनव कांटेक्टर	8512.00
6.	16.07.2020	हैंडपंप मरम्मत	मैसर्स अभिनव कांटेक्टर	9110.00
7.	05.09.2020	हैंडपंप मरम्मत	मैसर्स अग्रहरि मशीनरी स्टोर	8400.00
8.	16.09.2020	हैंडपंप मरम्मत	माँ लक्ष्मी इंटरप्राइजेज	12200.00
9.	13.10.2020	हैंडपंप मरम्मत	माँ लक्ष्मी इंटरप्राइजेज	15275.00
10.	06.11.2020	हैंडपंप मरम्मत	माँ लक्ष्मी इंटरप्राइजेज	7729.00
11.	11.11.2020	हैंडपंप मरम्मत	माँ लक्ष्मी इंटरप्राइजेज	16280.00
12.	11.11.2020	हैंडपंप मरम्मत	माँ लक्ष्मी इंटरप्राइजेज	13260.00
13.	23.12.2020	हैंडपंप मरम्मत	मैसर्स अग्रहरि मशीनरी स्टोर	17230.00
14.	26.12.2020	हैंडपंप रिबोर	मैसर्स अग्रहरि मशीनरी स्टोर	39700.00
15.	09.03.2021	हैंडपंप मरम्मत	माँ लक्ष्मी इंटरप्राइजेज	8600.00
16.	24.03.2021	हैंडपंप मरम्मत	मैसर्स रामाजा आयरन स्टोर	8300.00
17.	29.03.2021	हैंडपंप मरम्मत	मैसर्स अभिनव कांटेक्टर	16210.00
		योग		232841.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1- हैंडपंप मरम्मत पर कुल रु० 232841.00 का व्यय किया है, जो अत्यधिक प्रतीत होता है, इसके सापेक्ष कोई व्यय विवरण / व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक एवं कार्यवाही पुस्तिका आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे किसी भी व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2- उक्त वेंडर/फर्म हैण्डपम्प मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी०एस०टी० पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3- एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 160031.00 वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी एवं ग्राम सचिव श्री प्रवेश कुमार से तथा रु० 72810.00 की वसूली प्रशासक श्री हरिश्चंद्र कौशिक एवं ग्राम-सचिव श्री प्रवेश कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-272**ग्राम पंचायत - धनुकारा****विकास क्षेत्र - रामनगर****जनपद - अम्बेडकरनगर**

आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत धनुकारा की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में सामुदायिक शौचालय पर निम्न व्यय दर्शित किया गया है:-

क्र०सं०	दिनांक	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1.	19.10.2020	सामग्री	40560.00
2.	20.10.2020	रामहरी को मजदूरी	9600.00
3.	20.10.2020	आशाराम को मजदूरी	7200.00
4.	26.10.2020	सबमर्सिबल	10500.00
5.	05.11.2020	मजदूरी	7680.00
6.	18.12.2020	मै० रामाज्ञाआयरन स्टोर	58276.00
7.	18.12.2020	मै० रामाज्ञाआयरन स्टोर	64755.00
8.	19.12.2020	साकेत ईट भट्टा	14930.00
9.	24.12.2020	सुंदर लाल एंड संस	22789.00
10.	09.03.2021	शिलापट्ट	3500.00
11.	06.10.2020	सुन्दरलाल एंड संस	87270.00
12.	06.10.2020	साकेत ईट	114135.00
13.	06.10.2020	आशाराम को मजदूरी	7200.00
14.	13.10.2020	मै० रामाज्ञा आयरन स्टोर	58084.00
15.	23.12.2020	रामजीत को मजदूरी	7200.00
16.	05.08.2020	टैंडर जनचर्चा	4260.00
17.	09.03.2021	मानदेय	9000.00
		योग	526939.00

उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक/ व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 526939.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी एवं ग्राम सचिव श्री प्रवेश कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-273**ग्राम पंचायत - धनुकारा****विकास क्षेत्र - रामनगर****जनपद - अम्बेडकरनगर**

आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत धनुकारा की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में विभिन्न स्थानों पर कूप मरम्मत पर निम्न व्यय दर्शित किया गया है:-

क्र०सं०	दिनांक	भुगतान प्राप्तकर्ता	ईग्राम स्वराज के अनुसार-	धनराशि
1.	16.09.2020	रामाज्ञा आयरन स्टोर	सुन्दर लाल & संस	43625.00
2.	25.09.2020	जय माँ संतोष ईट भट्टा	-----	15625.00
3.	16.09.2020	मजदूरी	-----	8198.00

		योग	67448.00

उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक/ व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बो., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 67448.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी एवं ग्राम सचिव श्री प्रवेश कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-274

ग्राम पंचायत - धनुकारा

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत धनुकारा की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में पंचायत भवन निर्माण पर निम्न व्यय दर्शित किया गया है:-

क्र०सं०	दिनांक	भुगतान प्राप्तकर्ता	अन्य	धनराशि
1.	06.10.2020	मजदूरी	--	9600.00
2.	06.10.2020	मजदूरी	--	7200.00
3.	13.10.2020	सामग्री	रामाज्ञा आयरन स्टोर	58084.00
4.	13.10.2020	ईट	साकेत ईट उद्योग	125942.00
5.	13.10.2020	हैंडपंप	अग्रहरि मशीनरी स्टोर	39900.00
6.	14.12.2020	मजदूरी	--	7680.00
7.	14.10.2020	मजदूरी	--	7200.00
8.	23.12.2020	गिट्टी	माँ लक्ष्मी इंटरप्राइजेज	21000.00
9.	23.12.2020	टेंडर	जनचर्चा	4050.00
		योग		280656.00

उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक/ व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बो., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 280656.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी एवं ग्राम सचिव श्री प्रवेश कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-275

ग्राम पंचायत - धनुकारा

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत धनुकारा में दिनांक 29.12.20 को प्रा० वि० में सबमर्सिबुल एवं प्लम्बरिंग कार्य पर रु० 43800.00 का मैसर्स अभिनव कांटेक्टर को भुगतान कर कैशबुक में दर्शित है, उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक/ व्यय पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत

करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 43800.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी एवं ग्राम सचिव श्री प्रवेश कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-276

ग्राम पंचायत - धनुकारा

विकास क्षेत्र - रामनगर

जनपद - अम्बेडकरनगर

आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत धनुकारा की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में कोविड-19 बचाव हेतु निम्न व्यय दर्शित किया गया है:-

क्र०सं०	दिनांक	भुगतान प्राप्तकर्ता	अन्य	धनराशि
1.	25.06.2020	नारी चेतना SHG	मास्क, सेनेटाइजर	58000.00
2.	31.07.2020	माँ लक्ष्मी इंटरप्राइजेज	थर्मल स्कैनर, प्लस ओक्सिमिटर	19000.00
				77000.00

उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक/ व्यय पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 77000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी एवं ग्राम सचिव श्री प्रवेश कुमार से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-277

ग्राम पंचायत - आसोपुर

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि बैंच क्रय स्थापना पर व्यय धनराशि रु० / के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। विवरण 618800.00 निम्नानुसार है

क्र०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	01.09.2020	46800.00	बैंच स्थापना वाउचर अप्राप्त
2	01.09.2020	41600.00	बैंच स्थापना वाउचर अप्राप्त
3	05.09.2020	57200.00	बैंच स्थापना वाउचर अप्राप्त
4	05.09.2020	62400.00	बैंच स्थापना वाउचर अप्राप्त
5	05.09.2020	46800.00	बैंच स्थापना वाउचर अप्राप्त
6	05.09.2020	46800.00	बैंच स्थापना वाउचर अप्राप्त
7	05.09.2020	46800.00	बैंच स्थापना वाउचर अप्राप्त
8	05.09.2020	41600.00	बैंच स्थापना वाउचर अप्राप्त
9	05.09.2020	41600.00	बैंच स्थापना वाउचर अप्राप्त
10	05.09.2020	41600.00	बैंच स्थापना वाउचर अप्राप्त
11	21.03.2021	98800.00	बैंच स्थापना वाउचर अप्राप्त
12	21.03.2021	93600.00	बैंच स्थापना वाउचर अप्राप्त
योग		618800.00	

ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि रुपया 618800.00 के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टैटमेंट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल / वाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव

व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि ₹0 618800.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री विक्रान्त राव से ₹0 309400.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप कुमार वर्मा से ₹0 309400.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-278

ग्राम पंचायत - आसोपुर

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष रीबोर पर व्यय धनराशि / की लेखा परीक्षा में पाया गया कि हैन्डपम्प मरम्मत 21-2020 के सापेक्ष कोई भी अभ 510242.00 ₹0 लिख और प्रमाणक बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। विवरण निम्नानुसार है

क्र०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	01.06.2020	15000.00	हैन्डपम्प मरम्मत वाउचर अप्राप्त
2	02.07.2020	29655.00	हैन्डपम्प रीबोर वाउचर अप्राप्त
3	17.02.2021	29640.00	हैन्डपम्प रीबोर वाउचर अप्राप्त
4	18.12.2020	29650.00	हैन्डपम्प रीबोर वाउचर अप्राप्त
5	18.12.2020	19902.00	हैन्डपम्प मरम्मत वाउचर अप्राप्त
6	18.12.2020	19205.00	हैन्डपम्प मरम्मत वाउचर अप्राप्त
7	18.12.2020	19920.00	हैन्डपम्प मरम्मत वाउचर अप्राप्त
8	18.12.2020	19760.00	हैन्डपम्प मरम्मत वाउचर अप्राप्त
9	18.12.2020	19600.00	हैन्डपम्प मरम्मत वाउचर अप्राप्त
10	19.09.2020	21500.00	हैन्डपम्प मरम्मत वाउचर अप्राप्त
11	20.02.2021	29650.00	हैन्डपम्प रीबोर वाउचर अप्राप्त
12	20.02.2021	18300.00	हैन्डपम्प मरम्मत वाउचर अप्राप्त
13	24.10.2020	19920.00	हैन्डपम्प मरम्मत वाउचर अप्राप्त
14	24.10.2020	19820.00	हैन्डपम्प मरम्मत वाउचर अप्राप्त
15	24.10.2020	29650.00	हैन्डपम्प रीबोर वाउचर अप्राप्त
16	24.10.2020	29640.00	हैन्डपम्प रीबोर वाउचर अप्राप्त
17	29.06.2020	19910.00	हैन्डपम्प मरम्मत वाउचर अप्राप्त
18	30.11.2020	29640.00	हैन्डपम्प रीबोर वाउचर अप्राप्त
19	30.11.2020	19800.00	हैन्डपम्प मरम्मत वाउचर अप्राप्त
20	19.09.2020	10700.00	हैन्डपम्प मरम्मत वाउचर अप्राप्त
21	24.06.2020	19780.00	हैन्डपम्प मरम्मत वाउचर अप्राप्त
22	24.06.2020	19680.00	हैन्डपम्प मरम्मत वाउचर अप्राप्त
23	24.06.2020	19920.00	हैन्डपम्प मरम्मत वाउचर अप्राप्त
योग		510242.00	

ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि रुपया 510242.00 के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम०बी०, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर,

कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, हैन्ड पम्प के खराब होने की सूचना / मरम्मत का मांग पत्र, स्थलों की सूची, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि ₹0 510242.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री विक्रान्त राव से ₹0 255121.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप कुमार वर्मा से ₹0 255121.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-279

ग्राम पंचायत - आसोपुर

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष स्थापना पर व्यय धनराशि / की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ह्यूमपाइप क्रय 21-2020 के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। 200846.00 ₹0 विवरण निम्नानुसार है

क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	21.10.2020	62690.00	ह्यूम पाइप क्रय वाउचर अप्राप्त
2	30.11.2020	40020.00	ह्यूम पाइप क्रय वाउचर अप्राप्त
3	30.11.2020	19860.00	ह्यूम पाइप क्रय वाउचर अप्राप्त
4	12.03.2021	78276.00	ह्यूम पाइप क्रय वाउचर अप्राप्त
योग		200846.00	

ग्राम पंचायत द्वारा व्यय विवरणविहीन धनराशि रुपया 200846.00 के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि ₹0 200846.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री विक्रान्त राव से ₹0 100423.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप कुमार वर्मा से ₹0 100423.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-280**ग्राम पंचायत - आसोपुर****विकास क्षेत्र - टांडा****जनपद - अम्बेडकरनगर**

ग्राम पंचायत की वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि 21-2020 सोलर लाइट एवं स्ट्रीट लाइट मरम्मत पर व्यय धनराशि रु के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं 96700.00 0 किए गए। विवरण निम्नानुसार है

क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	20.03.2021	96700.00	सोलर लाइट स्ट्रीट लाइट मरम्मत वाउचर /अप्राप्त
योग		96700.00	

ग्राम पंचायत द्वारा व्यय विवरणविहीन धनराशि रुपया 96700.00 के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, लाइट के खराब होने की सूचना / मरम्मत का मांग पत्र, स्थलों की सूची, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 96700.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री विक्रान्त राव से रु0 48350.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप कुमार वर्मा से रु0 48350.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-281**ग्राम पंचायत - अमिया बावनपुर****विकास क्षेत्र - टांडा****जनपद - अम्बेडकरनगर**

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 409910.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री राणा सिंह से रु0 204955.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव सुश्री मांडवी उपाध्याय से रु0 204955.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-282

ग्राम पंचायत - अमिया बावनपुर

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा पंचम राज्य वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और पंचम राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 90000.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री राणा सिंह से रु0 45000.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव सुश्री मांडवी उपाध्याय से रु0 45000.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-283

ग्राम पंचायत - अमिया बावनपुर

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा 14 वें राज्य वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत

सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और 14 वें राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 81680.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री राणा सिंह से रु0 40840.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव सुश्री मांडवी उपाध्याय से रु0 40840.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-284

ग्राम पंचायत - अमिया बावनपुर

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा 15 वें केन्द्रीय वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और 15 वें केन्द्रीय वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 728408.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री राणा सिंह से रु0 364204.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव सुश्री मांडवी उपाध्याय से रु0 364204.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-285

ग्राम पंचायत - आलमपुर धनौरा

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में / कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल बाउचर /, मस्टर रोल, प्रशासनिक-वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन टेन्डर/, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र-, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे - नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचल संपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7) एवं खंड 8 (क व 8) (ख-एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली (1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 311326.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री गंगाराम वर्मा से रु0 155663.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव सुश्री मांडवी उपाध्याय से रु0 155663.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-286

ग्राम पंचायत - आलमपुर धनौरा

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा पंचम राज्य वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में / कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल बाउचर /, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन टेन्डर/, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र-, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे - नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और पंचम राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7) एवं खंड 8 (क व 8 (ख-एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली (1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 139726.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री गंगाराम वर्मा से रु0 69863.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव सुश्री मांडवी उपाध्याय से रु0 69863.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-287

ग्राम पंचायत - आलमपुर धनौरा

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा 14 वें राज्य वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही / पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल बाउचर /, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन टेन्डर/, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र-, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन - समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और 14 वें राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7) एवं खंड 8 (क व 8 (ख-एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली (1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 73160.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री गंगाराम वर्मा से रु0 36580.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव सुश्री मांडवी उपाध्याय से रु0 36580.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-288

ग्राम पंचायत - आलमपुर धनौरा

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा 15 वें केन्द्रीय वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही / पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल बाउचर /, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन टेन्डर/, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र-, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत

सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन - समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और 15 वें केन्द्रीय वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7) एवं खंड 8 (क व 8 (ख-एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली (1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 607758.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री गंगाराम वर्मा से रु0 303879.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव सुश्री मांडवी उपाध्याय से रु0 303879.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-289

ग्राम पंचायत - बलरामपुर

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में / कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल बाउचर /, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन टेन्डर/, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र-, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे - नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7) एवं खंड 8 (क व 8 (ख-एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली (1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 427991.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती पूनम पाण्डेय से रु0 213995.50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रवींद्र देव यादव से रु0 213995.50 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-290

ग्राम पंचायत - बलरामपुर

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा पंचम राज्य वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में / कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल बाउचर /, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन टेन्डर/, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र-, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे - नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और पंचम राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7) एवं खंड 8 (क व 8) (ख-एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली (1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 301572.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती पूनम पाण्डेय से रु0 150786.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रवींद्र देव यादव से रु0 150786.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-291

ग्राम पंचायत - बलरामपुर

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा 14 वें वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही / पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल बाउचर /, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन टेन्डर/, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र-, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन - समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और 14 वें वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि

का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकती। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7) एवं खंड 8 (क व 8 (ख एवं (उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 277030.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती पूनम पाण्डेय से रु0 138515.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रवींद्र देव यादव से रु0 138515.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-292

ग्राम पंचायत - बलरामपुर

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा 15 वें केन्द्रीय वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यव /ाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल बाउचर /, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन टेन्डर/, कार्यपूति प्रमाणपत्र-, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन - समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और 15 वें केन्द्रीय वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकती। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकती। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7) एवं खंड 8 (क व 8 (ख-एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली (1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 352653.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती पूनम पाण्डेय से रु0 176326.50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रवींद्र देव यादव से रु0 176326.50 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-293

ग्राम पंचायत - खैरपुर

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम

पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में / कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल बाउचर /, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन टेन्डर/, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र-, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे - नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7) एवं खंड 8 (क व 8 (ख-एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली (1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 480441.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती विद्यावती से रु0 240220.50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय कुमार वर्मा से रु0 240220.50 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-294

ग्राम पंचायत - खैरपुर

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा 14 वॉ वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में / कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल बाउचर /, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन टेन्डर/, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र-, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे - नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और 14 वॉ वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7) एवं खंड 8 (क व 8 (ख-एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली (1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 6650.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज

सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती विद्यावती से रु0 3325.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय कुमार वर्मा से रु0 3325.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-295

ग्राम पंचायत - खैरपुर

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा 15 वाँ केन्द्रीय वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में / कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल बाउचर /, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन टेन्डर/, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे - नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और 15 वाँ केन्द्रीय वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7) एवं खंड 8 (क व 8 (ख-एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली (1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 416540.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती विद्यावती से रु0 208270.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय कुमार वर्मा से रु0 208270.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-296

ग्राम पंचायत - बदरुद्दीनपुर

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि बैंच क्रय स्थापना पर व्यय धनराशि रु0 / के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। विवरण 150800.00 निम्नानुसार है

क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	02.07.2020	36400.00	बैंच स्थापना वाउचर अप्राप्त
2	02.07.2020	41600.00	बैंच स्थापना वाउचर अप्राप्त
3	02.07.2020	36400.00	बैंच स्थापना वाउचर अप्राप्त
4	02.07.2020	36400.00	बैंच स्थापना वाउचर अप्राप्त
योग		150800.00	

ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका 150800.00, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल बाउचर /, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति,

कोटेशन टेन्डर/, कार्यपूति प्रमाणपत्र-, उपभोग प्रमाण पत्र नियोजन समिति व निर्माण -विभिन्न समितियों जैसे , स्टॉक पंजिका ,समिति की संस्तुति, अचलसंपति पंजिका व चल संपति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए । किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 150800.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती जाहिदा से रु0 75400.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप कुमार वर्मा से रु0 75400.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-297

ग्राम पंचायत - बदरुद्दीनपुर

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष की लेखा पर 21-2020ीक्षा में पाया गया कि हैन्डपम्प मरम्मत रीबोर पर व्यय / के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए 213220.00 धनराशि रु0 गए। विवरण निम्नानुसार है

क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	02.07.2020	19920.00	हैन्डपम्प मरम्मत वाउचर अप्राप्त
2	03.11.2020	19950.00	हैन्डपम्प मरम्मत वाउचर अप्राप्त
3	09.04.2020	19500.00	हैन्डपम्प मरम्मत वाउचर अप्राप्त
4	22.12.2020	16500.00	हैन्डपम्प मरम्मत वाउचर अप्राप्त
5	24.08.2020	19920.00	हैन्डपम्प मरम्मत वाउचर अप्राप्त
6	28.08.2020	19850.00	हैन्डपम्प मरम्मत वाउचर अप्राप्त
7	01.03.2021	29715.00	हैन्डपम्प रीबोर वाउचर अप्राप्त
8	01.03.2021	18400.00	हैन्डपम्प मरम्मत वाउचर अप्राप्त
9	22.03.2021	29640.00	हैन्डपम्प रीबोर वाउचर अप्राप्त
10	22.03.2021	19825.00	हैन्डपम्प मरम्मत वाउचर अप्राप्त
11	22.03.2021	11250.00	हैन्डपम्प मरम्मत वाउचर अप्राप्त
योग		213220.00	

ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका 213220.00, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल बाउचर /, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन टेन्डर/, कार्यपूति प्रमाणपत्र-, उपभोग प्रमाण पत्र, हैन्ड पम्प के खराब होने की सूचना ,मरम्मत का मांग पत्र / स्थलों की सूची, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए । किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम

256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 213220.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती जाहिदा से रु0 106610.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप कुमार वर्मा से रु0 106610.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-298

ग्राम पंचायत - बदरुद्दीनपुर

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष स्थापना पर व्यय धनराशि / की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ह्यूमपाइप क्रय 21-2020 के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। 175797.00 रु0 विवरण निम्नानुसार है

क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	12.03.2021	85025.00	ह्यूम पाइप क्रय वाउचर अप्राप्त
2	22.12.2020	47500.00	ह्यूम पाइप क्रय वाउचर अप्राप्त
3	03.11.2020	32022.00	ह्यूम पाइप क्रय वाउचर अप्राप्त
योग		175797.00	

ग्राम पंचायत द्वारा व्यय विवरणविहीन धनराशि रुपया के सम्बन्ध में 175797.00 कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, केशबुक, पास बुक, बिल बाउचर /, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशनटेन्डर/, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र-, उपभोग प्रमाण पत्र, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति - व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 175797.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती जाहिदा से रु0 87898.50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप कुमार वर्मा से रु0 87898.50 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-299

ग्राम पंचायत - बदरुद्दीनपुर

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दवा छिड़काव और डस्टबिन क्रय पर व्यय 21-2020 के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक बार बार मा 140360.00 धनराशि रु0ंग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। विवरण निम्नानुसार है

क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	18.04.2020	15000.00	फ़िनाइल और दवा छिड़काव वाउचर अप्राप्त
2	18.04.2020	10000.00	फ़िनाइल और दवा छिड़काव वाउचर अप्राप्त
3	22.03.2021	23072.00	डस्टबिन क्रय वाउचर अप्राप्त
4	24.09.2020	46144.00	डस्टबिन क्रय वाउचर अप्राप्त
5	24.09.2020	46144.00	डस्टबिन क्रय वाउचर अप्राप्त
योग		140360.00	

ग्राम पंचायत द्वारा व्यय विवरणविहीन धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका 140360.00, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल बाउचर /, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर/, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र-, उपभोग प्रमाण पत्र, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति - व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि ₹0 140360.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती जाहिदा से ₹0 70180.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप कुमार वर्मा से ₹0 70180.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-300

ग्राम पंचायत- मुजाहिदपुर

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम०बी०, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि ₹0 201830.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री लालमन से ₹0 100915.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रवींद्र देव यादव से ₹0 100915.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-301

ग्राम पंचायत- मुजाहिदपुर

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा पंचम राज्य वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम०बी०, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और पंचम राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 105592.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री लालमन से रु0 52796.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रवींद्र देव यादव से रु0 52796.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-302

ग्राम पंचायत- मुजाहिदपुर

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा पंचम राज्य वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम०बी०, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और 14 वें वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का

आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकती। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 18050.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री लालमन से रु0 9025.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रवींद्र देव यादव से रु0 9025.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-303

ग्राम पंचायत- मुजाहिदपुर

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है।। अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा 15 वें केन्द्रीय वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम०बी०, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/ टेन्डर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और 15 वें केन्द्रीय वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकती। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकती। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 381078.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री लालमन से रु0 190539.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रवींद्र देव यादव से रु0 190539.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-304

ग्राम पंचायत- पूरा बक्सराय

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है।। अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम०बी०, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 259269.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री राज कुमार भट्ट से रु0 129634.50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रवींद्र देव यादव से रु0 129634.50 किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर-305

ग्राम पंचायत- पूरा बक्सराय

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा पंचम राज्य वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम०बी०, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और पंचम राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 19520.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री राज कुमार भट्ट से रु0 9760.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रवींद्र देव यादव से रु0 9760.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-306

ग्राम पंचायत- पूरा बक्सराय

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा 14 वें वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम०बी०, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/ टेन्डर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और 14 वें वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 11200.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री राज कुमार भट्ट से रु0 5600.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रवींद्र देव यादव से रु0 5600.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-307

ग्राम पंचायत- पूरा बक्सराय

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा 15 वें केन्द्रीय वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम०बी०, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/ टेन्डर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और 15 वें केन्द्रीय वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 193430.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री राज कुमार भट्ट से रु0 96715.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रवींद्र देव यादव से रु0 96715.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-308

ग्राम पंचायत- खूखूतारा

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम०बी०, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 379745.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री आनंद सिंह से रु0 189872.50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रवींद्र देव यादव से रु0 189872.50 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-309

ग्राम पंचायत- खूखूतारा

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा पंचम राज्य वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम०बी०, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और पंचम राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 6170.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री आनंद सिंह से रु0 3085.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रवींद्र देव यादव से रु0 3085.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-310

ग्राम पंचायत- खूखूतारा

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा 14 वें वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम०बी०, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और 14 वें वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 4000.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित

उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री आनंद सिंह से ₹0 2000.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रवींद्र देव यादव से ₹0 2000.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-311

ग्राम पंचायत- खूखूतारा

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा 15 वें केन्द्रीय वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम०बी०, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और 15 वें केन्द्रीय वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि ₹0 339633.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री आनंद सिंह से ₹0 169816.50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रवींद्र देव यादव से ₹0 169816.50 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-312

ग्राम पंचायत- पिपरी सैदपुर

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम०बी०, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन

क्रिए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 296902.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती शालिनी से रु0 148451.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव सुश्री मांडवी उपाध्याय से रु0 148451.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-313

ग्राम पंचायत- पिपरी सैदपुर

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा पंचम राज्य वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और पंचम राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 70216.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती शालिनी से रु0 35108.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव सुश्री मांडवी उपाध्याय से रु0 35108.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-314

ग्राम पंचायत- पिपरी सैदपुर

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम

पंचायत द्वारा 15 वाँ केन्द्रीय वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और 15 वाँ केन्द्रीय वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 367121.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती शालिनी से रु० 183560.50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव सुश्री मांडवी उपाध्याय से रु० 183560.50 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-315

ग्राम पंचायत- इस्माइलपुर बेलदहा

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम०बी०, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 574638.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी बसूली अद्यतन

व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री लक्ष्मी नारायण वर्मा से ₹0 287319.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय कुमार वर्मा से ₹0 287319.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-316

ग्राम पंचायत- इस्माइलपुर बेलदहा

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा 14 वॉ वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम०बी०, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और 14 वॉ वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि ₹0 14558.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री लक्ष्मी नारायण वर्मा से ₹0 7279.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय कुमार वर्मा से ₹0 7279.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-317

ग्राम पंचायत- इस्माइलपुर बेलदहा

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा 15 वॉ केन्द्रीय वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम०बी०, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत

सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और 15 वॉ केन्द्रीय वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र०० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि ₹0 609581.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री लक्ष्मी नारायण वर्मा से रूप 304790.50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय कुमार वर्मा से ₹0 304790.50 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-318

ग्राम पंचायत- जनार्दनपुर

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि ₹0 264400.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री मिठाई लाल से ₹0 132200.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव सुश्री मांडवी उपाध्याय से ₹0 132200.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-319

ग्राम पंचायत- जनार्दनपुर

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा

परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा पंचम राज्य वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और पंचम राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 112738.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री मिठाई लाल से रु0 56369.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव सुश्री मांडवी उपाध्याय से रु0 56369.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-320

ग्राम पंचायत- जनार्दनपुर

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा 14 वें राज्य वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और 14 वें राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम

पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 73115.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री मिठाई लाल से रु0 36557.50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव सुश्री मांडवी उपाध्याय से रु0 36557.50 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-321

ग्राम पंचायत- जनार्दनपुर

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा 15 वें केन्द्रीय वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और 15 वें केन्द्रीय वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 471465.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री मिठाई लाल से रु0 235732.50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव सुश्री मांडवी उपाध्याय से रु0 235732.50 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-322

ग्राम पंचायत- जनार्दनपुर

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा RGSA मद से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम

पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और RGSA मद की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 1042050.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री मिठाई लाल से रु0 521025.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव सुश्री मांडवी उपाध्याय से रु0 521025.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-323

ग्राम पंचायत- सैदपुर रज्जीपुर

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 681189.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री कृष्णानन्द चौधरी से रु0 340594.50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रवींद्र देव यादव से रु0 340594.50 किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर-324

ग्राम पंचायत- सैदपुर रज्जीपुर

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न 21-2020 2020 अप्रैल 1 की गई है। से तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम 2021 मार्च 31 और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद

लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा पंचम राज्य वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध / ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकितध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल बाउचर /, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन टेन्डर/, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र-, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे - नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और पंचम राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30प्र 8 एवं खंड (7) के खंड 8 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 0 (क) 8 व (ख 1947-एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली (के नियम के विपरीत तथा नियम 205 व 204 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में 27 एवं अधिनियम की धारा 256 179173.00 ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री कृष्णानन्द चौधरी से रु व 89586.50 0 किया जाना अपेक्षित है। 89586.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रवींद्र देव यादव से रु0

प्रस्तर-325

ग्राम पंचायत- सैदपुर रज़ीपुर

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा 14 वें वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और 14 वें वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम

पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 9000.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री कृष्णानन्द चौधरी से रु0 4500.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रवींद्र देव यादव से रु0 4500.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-326

ग्राम पंचायत- सैदपुर रज्जीपुर

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा 15 वें केन्द्रीय वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और 15 वें केन्द्रीय वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 321597.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री कृष्णानन्द चौधरी से रु0 160798.50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रवींद्र देव यादव से रु0 160798.50 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-327

ग्राम पंचायत- दौलतपुर महमूदपुर

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि बैंच क्रय स्थापना पर व्यय धनराशि रु0 / के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। विवरण 120000.00 निम्नानुसार है

क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	02.11.2020	24000.00	बैंच स्थापना वाउचर अप्राप्त
2	08.11.2020	48000.00	बैंच स्थापना वाउचर अप्राप्त
3	13.10.2020	48000.00	बैंच स्थापना वाउचर अप्राप्त
योग		120000.00	

ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि रुपया 120000.00 के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण

समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि ₹0 120000.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती निर्मला देवी से ₹0 60000.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय कुमार वर्मा से ₹0 60000.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-328

ग्राम पंचायत- दौलतपुर महमूदपुर

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष रीबोर पर व्यय धनराशि / की लेखा परीक्षा में पाया गया कि हैन्डपम्प मरम्मत 21-2020 के सापेक्ष कोई भी अभिलेख 172490.00 ₹0ख और प्रमाणक बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। विवरण निम्नानुसार है

क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	10.12.2020	8650.00	हैन्डपम्प मरम्मत वाउचर अप्राप्त
2	11.12.2020	7560.00	हैन्डपम्प मरम्मत वाउचर अप्राप्त
3	17.06.2020	17550.00	हैन्डपम्प मरम्मत वाउचर अप्राप्त
4	18.10.2020	20500.00	हैन्डपम्प मरम्मत वाउचर अप्राप्त
5	23.04.2020	29470.00	हैन्डपम्प रीबोर वाउचर अप्राप्त
6	26.04.2020	29560.00	हैन्डपम्प रीबोर वाउचर अप्राप्त
7	28.08.2020	29750.00	हैन्डपम्प मरम्मत वाउचर अप्राप्त
8	02.03.2021	29450.00	हैन्डपम्प रीबोर वाउचर अप्राप्त
योग		172490.00	

ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि रुपया 172490.00 के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, हैन्ड पम्प के खराब होने की सूचना / मरम्मत का मांग पत्र, स्थलों की सूची, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि ₹0 172490.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती निर्मला देवी से ₹0 86245.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय कुमार वर्मा से ₹0 86245.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-329**ग्राम पंचायत- दौलतपुर महमूदपुर****विकास क्षेत्र - टांडा****जनपद - अम्बेडकरनगर**

ग्राम पंचायत की वर्ष स्थापना पर व्यय धनराशि / की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ह्यूमपाइप क्रय 21-2020 के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। 48700.00 रु0 विवरण निम्नानुसार है

क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	02.09.2020	48700.00	ह्यूम पाइप क्रय वाउचर अप्राप्त
योग		48700.00	

ग्राम पंचायत द्वारा व्यय विवरणविहीन धनराशि रुपया 48700.00 के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 48700.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती निर्मला देवी से रु0 24350.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय कुमार वर्मा से रु0 24350.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-330**ग्राम पंचायत- खासपुर****विकास क्षेत्र - टांडा****जनपद - अम्बेडकरनगर**

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि रसूलपुर आंगनवाड़ी परिसर में इन्टरलॉकिंग पर व्यय धनराशि रु के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत 328116.00 0 नहीं किए गए। विवरण निम्नानुसार है

क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	07.05.2020.	30761400.	रसूलपुर आंगनवाड़ी परिसर में इन्टरलॉकिंग वाउचर अप्राप्त
2	07.05.2020	2050200.	उक्त इन्टरलॉकिंग पर मस्टर रोल अप्राप्त
योग		328116.00	

ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि रुपया 328116.00 के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु 328116.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती चक्रवर्ती वर्मा से रु 164058.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विमल कुमार वर्मा से रु 164058.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-331

ग्राम पंचायत- खासपुर

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष रीबोर पर व्यय धनराशि / की लेखा परीक्षा में पाया गया कि हैन्डपम्प मरम्मत 21-2020 के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। 372795.00 रु 0 विवरण निम्नानुसार है

क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	10.06.2020	29640.00	हैन्डपम्प मरम्मत वाउचर अप्राप्त
2	10.06.2020	29890.00	हैन्डपम्प मरम्मत वाउचर अप्राप्त
3	10.06.2020	29550.00	हैन्डपम्प मरम्मत वाउचर अप्राप्त
4	13.09.2020	29650.00	हैन्डपम्प रीबोर वाउचर अप्राप्त
5	13.09.2020	29350.00	हैन्डपम्प रीबोर वाउचर अप्राप्त
6	13.09.2020	29550.00	हैन्डपम्प रीबोर वाउचर अप्राप्त
7	13.09.2020	30020.00	हैन्डपम्प रीबोर वाउचर अप्राप्त
8	11.03.2021	29850.00	हैन्डपम्प रीबोर वाउचर अप्राप्त
9	11.03.2021	29650.00	हैन्डपम्प रीबोर वाउचर अप्राप्त
10	15.03.2021	12495.00	हैन्डपम्प मरम्मत वाउचर अप्राप्त
11	16.02.2021	16460.00	हैन्डपम्प मरम्मत वाउचर अप्राप्त
12	16.02.2021	17640.00	हैन्डपम्प मरम्मत वाउचर अप्राप्त
13	05.11.2020	29550.00	हैन्डपम्प रीबोर वाउचर अप्राप्त
14	05.11.2020	29500.00	हैन्डपम्प रीबोर वाउचर अप्राप्त
योग		372795.00	

ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि रुपया 372795.00 के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, हैन्ड पम्प के खराब होने की सूचना / मरम्मत का मांग पत्र, स्थलों की सूची, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु 372795.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन

व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती चक्रवर्ती वर्मा से रु0 186397.50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विमल कुमार वर्मा से रु0 186397.50 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-332

ग्राम पंचायत- खासपुर

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया क 21-2020 ि ह्यूमपाइप क्रय स्थापना पर व्यय धनराशि / के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। 20400.00 रु0 विवरण निम्नानुसार है

क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	17.07.2020	20400.00	ह्यूम पाइप क्रय वाउचर अप्राप्त
योग		20400.00	

ग्राम पंचायत द्वारा व्यय विवरणविहीन धनराशि रुपया 20400.00 के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 20400.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती चक्रवर्ती वर्मा से रु0 10200.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विमल कुमार वर्मा से रु0 10200.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-333

ग्राम पंचायत- खासपुर

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में त 21-2020रल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर व्यय धनराशि रु के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक बार बार मांग के बाद 92280.00 0 भी प्रस्तुत नहीं किए गए। विवरण निम्नानुसार है

क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	26.09.2020	92280.00	ग्राम पंचायत में तरल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर व्यय वाउचर अप्राप्त
योग		92280.00	

ग्राम पंचायत द्वारा व्यय विवरणविहीन धनराशि रुपया 92280.00 के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, लाइट के खराब होने की सूचना / मरम्मत का मांग पत्र, स्थलों की सूची, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और वित्त आयोग की गाइडलाइन का

पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 92280.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती चक्रवर्ती वर्मा से रु0 46140.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विमल कुमार वर्मा से रु0 46140.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-334

ग्राम पंचायत- खासपुर

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि नाला सफाई और कूड़ा ढुलाई पर व्यय 21-2020 के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं 203990.00 धनराशि रु0 किए गए। विवरण निम्नानुसार है

13	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	25.10.2020	77999.00	विभिन्न जगहों पर इकट्ठा कूड़ा ढुलाई पर व्यय वाउचर अप्राप्त
2	04.11.2020	39900.00	नाला सफाई पर व्यय वाउचर अप्राप्त
3	04.11.2020	33630.00	नाला सफाई पर व्यय वाउचर अप्राप्त
4	04.11.2020	52461.00	नाला सफाई पर व्यय वाउचर अप्राप्त
योग		203990.00	

ग्राम पंचायत द्वारा व्यय विवरणविहीन धनराशि रुपया 203990.00 के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम०बी०, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 203990.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती चक्रवर्ती वर्मा से रु0 101995.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विमल कुमार वर्मा से रु0 101995.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-335**ग्राम पंचायत- नसरुल्लाहपुर****विकास क्षेत्र - टांडा****जनपद -****अम्बेडकरनगर**

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 507103.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री मिथिलेश वर्मा से रु0 253551.50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रवींद्र देव यादव से रु0 253551.50 किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर-336**ग्राम पंचायत- नसरुल्लाहपुर****विकास क्षेत्र - टांडा****जनपद -****अम्बेडकरनगर**

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा पंचम राज्य वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख

प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और पंचम राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 341470.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री मिथिलेश वर्मा से रु० 170735.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रवींद्र देव यादव से रु० 170735.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-337

ग्राम पंचायत- नसरुल्लाहपुर

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद -

अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा 14 वें वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम०बी०, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और 14 वें वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 49590.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री मिथिलेश वर्मा से रु० 24795.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रवींद्र देव यादव से रु० 24795.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-338

ग्राम पंचायत- नसरुल्लाहपुर

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद -

अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और

मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा 15 वें केन्द्रीय वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और 15 वें केन्द्रीय वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 863787.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री मिथिलेश वर्मा से रु० 431893.50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रवींद्र देव यादव से रु० 431893.50 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-339

ग्राम पंचायत- पियारेपुर द्वितीय

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम०बी०, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 224927.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली

अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री राम लाल से ₹0 112463.50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय कुमार वर्मा से ₹0 112463.50 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-340

ग्राम पंचायत- पियारेपुर द्वितीय विकास क्षेत्र - टांडा जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा 14 वें राज्य वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम०बी०, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और 14 वें राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि ₹0 105890.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री राम लाल से ₹0 52945.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय कुमार वर्मा से ₹0 52945.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-341

ग्राम पंचायत- पियारेपुर द्वितीय विकास क्षेत्र - टांडा जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा 15 वें केन्द्रीय वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम०बी०, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत

सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और 15 वें केन्द्रीय वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 235696.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री राम लाल से रु0 117848.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय कुमार वर्मा से रु0 117848.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-342

ग्राम पंचायत- घूरनपुर

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 494660.00.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती निर्मला से रु0 247330.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रवींद्र देव यादव से रु0 247330.00 किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर-343

ग्राम पंचायत- घूरनपुर

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा

परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा पंचम राज्य वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और पंचम राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 42000.00.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती निर्मला से रु0 21000.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रवींद्र देव यादव से रु0 21000.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-344

ग्राम पंचायत- घूरनपुर

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा 14 वें वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और 14 वें वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम

पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 27640.00.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती निर्मला से रु0 13820.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रवींद्र देव यादव से रु0 13820.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-345

ग्राम पंचायत- धूरनपुर

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा 15 वें केन्द्रीय वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और 15 वें केन्द्रीय वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 315294.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती निर्मला से रु0 157647.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रवींद्र देव यादव से रु0 157647.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-346

ग्राम पंचायत- मोहिउद्दीनपुर

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन

क्रिए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 515599.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री चंद्रशेखर से रु0 257799.50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव सुश्री मांडवी उपाध्याय से रु0 257799.50 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-347

ग्राम पंचायत- मोहिउद्दीनपुर

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा पंचम राज्य वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और पंचम राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 70216.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री चंद्रशेखर से रु0 35108.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव सुश्री मांडवी उपाध्याय से रु0 35108.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-348

ग्राम पंचायत- मोहिउद्दीनपुर

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा 14 वें राज्य वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और 14 वें राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 36780.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री चंद्रशेखर से रु0 18390.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव सुश्री मांडवी उपाध्याय से रु0 18390.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-349

ग्राम पंचायत- मोहिउद्दीनपुर

विकास क्षेत्र - टांडा

जनपद - अम्बेडकरनगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा 15 वें केन्द्रीय वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर सम्पूर्ण अंकित / व्यय धनराशि रुपया के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल / बाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और 15 वें केन्द्रीय वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 587365.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री चंद्रशेखर से रु0 293682.50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव सुश्री मांडवी उपाध्याय से रु0 293682.50 किया जाना अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जनपद - अमेठी

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

जनपद-अमेठी

मण्डल-अयोध्या

ग्राम पंचायत का नाम -सादीपुर

विकास खण्ड- मुसाफिरखाना वर्ष 2020-21

जनपद - अमेठी

प्रस्तर संख्या-1

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ग्राम निधि से रु. 3659246.00 और मनरेगा से रु. 5844000.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में दर्शित सम्पूर्ण व्यय नियमों की अनदेखी करके किये गये प्रतीत होते हैं। इस प्रकार किया गया सम्पूर्ण व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। “ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्रपत्र, टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 एवं रायल्टी कटौती एवं जमा के विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रपत्र व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उपरोक्त प्रकार से अप्रमाणित सम्पूर्ण व्यय धनराशि रु. 9503246.00 की वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री नरेन्द्र कुमार यादव एवं ग्राम प्रधान श्री राम प्रकाश से बराबर-बराबर भाग में अद्यावधि व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम -मयास

विकास खण्ड- जामों

वर्ष 2020-21

जनपद-अमेठी

प्रस्तर संख्या-2

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ग्राम निधि से रु. 1679483.70 और मनरेगा से रु. 3561000.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में दर्शित सम्पूर्ण व्यय नियमों की अनदेखी करके किये गये प्रतीत होते हैं। इस प्रकार किया गया सम्पूर्ण व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। “ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ग्राम पंचायत की कार्यवाही

रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्रपत्र, टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 एवं रायल्टी कटौती एवं जमा के विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रपत्र व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उपरोक्त प्रकार से अप्रमाणित सम्पूर्ण व्यय धनराशि रु. 5240483.70 की वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री सुनील कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी से बराबर-बराबर भाग में अद्यावधि व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम -घोसियान विकास खण्ड- जामों वर्ष 2020-21 जनपद-अमेठी
प्रस्तर संख्या-3

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ग्राम निधि से रु. 1019341.70 और मनरेगा से रु. 8187000.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में दर्शित सम्पूर्ण व्यय नियमों की अनदेखी करके किये गये प्रतीत होते हैं। इस प्रकार किया गया सम्पूर्ण व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। “ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्रपत्र, टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 एवं रायल्टी कटौती एवं जमा के विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रपत्र व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उपरोक्त प्रकार से अप्रमाणित सम्पूर्ण व्यय धनराशि रु. 9206341.70 की वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री सुनील कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती गुड्डा देवी से बराबर-बराबर भाग में अद्यावधि व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - नदियावाँ विकास खण्ड- जामों वर्ष 2020-21 जनपद-अमेठी
प्रस्तर संख्या-4

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ग्राम निधि से रु. 2293833.70 और मनरेगा से रु. 7125000.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में दर्शित सम्पूर्ण व्यय नियमों की अनदेखी करके किये गये प्रतीत होते हैं। इस प्रकार किया गया सम्पूर्ण व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। “ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्रपत्र, टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 एवं रायल्टी कटौती एवं जमा के विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रपत्र व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उपरोक्त प्रकार से अप्रमाणित सम्पूर्ण व्यय धनराशि रु. 9418833.70 की वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री सुनील कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री राज बहादुर सिंह से बराबर-बराबर भाग में अद्यावधि व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-5

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ग्राम निधि से रु. 1455894.00 और मनरेगा से रु. 1002000.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में दर्शित सम्पूर्ण व्यय नियमों की अनदेखी करके किये गये प्रतीत होते हैं। इस प्रकार किया गया सम्पूर्ण व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। “ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्रपत्र, टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 एवं रायल्टी कटौती एवं जमा के विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रपत्र व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उपरोक्त प्रकार से अप्रमाणित सम्पूर्ण व्यय धनराशि रु. 2457894.00 की वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री आशीष रंजन एवं ग्राम प्रधान श्री जंग बहादुर से बराबर-बराबर भाग में अद्यावधि व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम -बीरीपुर विकास खण्ड- जामों वर्ष 2020-21 जनपद-अमेठी प्रस्तर संख्या-6

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ग्राम निधि से रु. 1258379.00 और मनरेगा से रु. 4448000.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में दर्शित सम्पूर्ण व्यय नियमों की अनदेखी करके किये गये प्रतीत होते हैं। इस प्रकार किया गया सम्पूर्ण व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। “ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता

है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्रपत्र, टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 एवं रायल्टी कटौती एवं जमा के विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रपत्र व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उपरोक्त प्रकार से अप्रमाणित सम्पूर्ण व्यय धनराशि रु. 5706379.00 की वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री आशीष रंजन एवं ग्राम प्रधान श्री शैलेन्द्र पाण्डेय से बराबर-बराबर भाग में अद्यावधि व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम -हरदों विकास खण्ड- जामों वर्ष 2020-21 जनपद-अमेठी
प्रस्तर संख्या-7

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ग्राम निधि से रु. 1912097.00 और मनरेगा से रु. 6482000.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में दर्शित सम्पूर्ण व्यय नियमों की अनदेखी करके किये गये प्रतीत होते हैं। इस प्रकार किया गया सम्पूर्ण व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। “ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्रपत्र, टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 एवं रायल्टी कटौती एवं जमा के विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रपत्र व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उपरोक्त प्रकार से अप्रमाणित सम्पूर्ण व्यय धनराशि रु. 8394097.00 की वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री आशीष रंजन एवं ग्राम प्रधान श्री राकेश पाण्डेय से बराबर-बराबर भाग में अद्यावधि व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।
ग्राम पंचायत का नाम -नीमी विकास खण्ड- जामों वर्ष 2020-21 जनपद-अमेठी
प्रस्तर संख्या-8

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ग्राम निधि से रु. 1107392.50 और मनरेगा से रु. 997000.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में दर्शित सम्पूर्ण व्यय नियमों की अनदेखी करके किये गये प्रतीत होते हैं। इस प्रकार किया गया सम्पूर्ण व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। “ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता

है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्रपत्र, टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 एवं रायल्टी कटौती एवं जमा के विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रपत्र व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उपरोक्त प्रकार से अप्रमाणित सम्पूर्ण व्यय धनराशि रु. 2104392.50 की वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री आशीष रंजन एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शीला से बराबर-बराबर भाग में अद्यावधि व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम -रामपुर नौरंगाबाद विकास खण्ड- जामों वर्ष 2020-21 जनपद-अमेठी प्रस्तर संख्या-9

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ग्राम निधि से रु. 1611229.00 और मनरेगा से रु. 9448000.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में दर्शित सम्पूर्ण व्यय नियमों की अनदेखी करके किये गये प्रतीत होते हैं। इस प्रकार किया गया सम्पूर्ण व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। “ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्रपत्र, टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 एवं रायल्टी कटौती एवं जमा के विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रपत्र व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उपरोक्त प्रकार से अप्रमाणित सम्पूर्ण व्यय धनराशि रु. 11059229.00 की वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शकीला बानों से बराबर-बराबर भाग में अद्यावधि व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम -लालपुर विकास खण्ड- जामों वर्ष 2020-21 जनपद-अमेठी प्रस्तर संख्या-10

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ग्राम निधि से रु. 2621419.70 और मनरेगा से रु. 4117000.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में दर्शित सम्पूर्ण व्यय नियमों की अनदेखी करके किये गये प्रतीत होते हैं। इस प्रकार किया गया सम्पूर्ण व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। “ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता

है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्रपत्र, टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 एवं रायल्टी कटौती एवं जमा के विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रपत्र व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उपरोक्त प्रकार से अप्रमाणित सम्पूर्ण व्यय धनराशि रु. 6738419.00 की वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता से बराबर-बराबर भाग में अद्यावधि व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम -टिकरा विकास खण्ड- जामों वर्ष 2020-21 जनपद-अमेठी प्रस्तर संख्या-11

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ग्राम निधि से रु. 987601.70 और मनरेगा से रु. 1734000.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में दर्शित सम्पूर्ण व्यय नियमों की अनदेखी करके किये गये प्रतीत होते हैं। इस प्रकार किया गया सम्पूर्ण व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। " ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्रपत्र, टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 एवं रायल्टी कटौती एवं जमा के विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रपत्र व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उपरोक्त प्रकार से अप्रमाणित सम्पूर्ण व्यय धनराशि रु. 2721601.70 की वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री चन्दन कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रामा से बराबर-बराबर भाग में अद्यावधि व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रारूप 4

जनपद- अयोध्या

प्रस्तर 01- ग्राम पंचायतचौरेचन्दौलीवर्ष 2020-21की लेखापरीक्षा में पाया गया किग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर हैंडपंप मरम्मत एवंहैंडपंपरिबोर कार्य हेतु कैशबुक में दर्शित व्यय धनराशि रु० 185295.00 है ,जिसका विवरण इस प्रकार है-

क्र.	दिनांक	आहरण / व्ययधनराशि(रु० में)	फर्म / व्यक्ति कानाम		कार्य / मद / सामग्री आपूर्ति	व्यय प्रमाणक
			कैशबुक में	बैंक स्टेटमेंट में		
1	07-08-2020	38751.00	प्रियांशूट्रेडर्स	पी एफ एम एस	हैंडपंप मरम्मत	व्यय प्रमाणक विहीन

2	07-08-2020	39780.00	अभिनव ट्रेडर्स	पी एफ एम एस	हैंडपंप मरम्मत	व्यय प्रमाणक विहीन
3	03-09-2020	28749.00	प्रियांशूट्रेडर्स	पी एफ एम एस	हैंडपंपपरिबोर	व्यय प्रमाणक विहीन
4	29-09-2020	28849.00	प्रियांशूटाइल्स मशीनरी	पी एफ एम एस	हैंडपंपपरिबोर	व्यय प्रमाणक विहीन
5	03-11-2020	29216.00	प्रियांशूट्रेडर्स	पी एफ एम एस	हैंडपंप मरम्मत	व्यय प्रमाणक विहीन
6	23-11-2020	19950.00	अभिनव ट्रेडर्स	पी एफ एम एस	हैंडपंप मरम्मत	व्यय प्रमाणक विहीन

योग-185295.00

लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित उक्त व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं- उपरोक्त कार्य हेतु भुगतान के सापेक्षवर्क आई डी, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, एम0बी0, स्थलों की सूची, कार्यपूति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7, खण्ड-8 (क) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 152, नियम 156 का उल्लंघन किया गया है।

अतः दर्शित व्यय धनराशि रु० 185295.00 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 (क) तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के अध्याय-13 के नियम 256 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण के रूप में आंकलित की जाती है एवं अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि रु० 185295.00 की उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती राजकुमारी ग्राम प्रधान (रु० 92647.50), श्री चन्द्रिका चौबेग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव (रु० 92647.50) से संयुक्तरूप से अद्यावधि व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 02- ग्राम पंचायत चौरैचन्दौली वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में चबूतरा निर्माण कार्य हेतु कैशबुक में दर्शित व्यय धनराशि रु० 135018.00 है, जिसका विवरण इस प्रकार है-

क्र.	दिनांक	आहरण/व्यय धनराशि(रु० में)	फर्म / व्यक्ति कानाम		कार्य / मद / सामग्री आपूर्ति	व्यय प्रमाणक
			कैशबुक में	बैंक स्टेटमेंट में		
1	04-12-2020	25434.00	माँ शारदा कंस्ट्रक्शन	पी एफ एम एस	निर्माण सामग्री क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
2	04-12-2020	24977.00	जायसवाल ब्रिकफील्ड	पी एफ एम एस	ईट आपूर्ति	व्यय प्रमाणक विहीन
3	04-12-2020	19325.00	जायसवाल ब्रिकफील्ड	पी एफ एम एस	ईट आपूर्ति	व्यय प्रमाणक विहीन
4	04-12-2020	27851.00	माँ शारदा कंस्ट्रक्शन	पी एफ एम एस	निर्माण सामग्री क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
5	05-12-2020	11748.00	माँ शारदा कंस्ट्रक्शन	पी एफ एम एस	निर्माण सामग्री क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
6	04/05-12-2020	25683.00		पी एफ एम एस	चबूतरा निर्माण मजदूरी	मस्टररोल विहीन

लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित उक्त व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं- उपरोक्तकार्य हेतु भुगतान के सापेक्षवर्क आई डी, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशनसम्बंधित प्रपत्र, व्यय प्रमाणक, डिलेवरी चालान, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, त्रिस्तरीय फोटोग्राफलेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 केखण्ड-7, खण्ड-8 (क) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 152, नियम 156 का उल्लंघन किया गया है।

अतः दर्शित व्यय धनराशि रु० 135018.00 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के अध्याय-13 के नियम 256 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण के रूप में आंकलित की जाती है एवं अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि रु० 135018.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती राजकुमारी ग्राम प्रधान (रु० 67509.00), श्री चन्द्रिका चौबे ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव (रु० 67509.00) से संयुक्त रूप से अद्यावधि व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 03- ग्राम पंचायत चौरैचन्दौली वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में इंटरलार्किंग एवं खंडजा मरम्मत कार्य हेतु कैशबुक में दर्शित व्यय धनराशि रु० 141541.00 है, जिसका विवरण इस प्रकार है-

क्र.	दिनांक	आहरण / व्यय धनराशि (रु० में)	फर्म / व्यक्ति कानाम		कार्य / मद / सामग्री आपूर्ति	व्यय प्रमाणक
			कैशबुक में	बैंक स्टेटमेंट में		
1	05-12-2020	65705.00	माँशारदाकंस्ट्रक्शन	पी एफ एम एस	इंटरलार्किंग ईट क्रय	व्यय प्रमाणक विहीन
2	05-12-2020	7017.00		पी एफ एम एस	इंटरलार्किंग मजदूरी	मस्टररोल विहीन
3	07-12-2020	68819.00	एस डी एस ट्रेडर्स	पी एफ एम एस	ईट आपूर्ति (खंडजा मरम्मत)	व्यय प्रमाणक विहीन

योग-141541.00

लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित उक्त व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं- उपरोक्तकार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष वर्क आई डी, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन सम्बंधित प्रपत्र, व्यय प्रमाणक, डिलेवरी चालान, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 केखण्ड-7, खण्ड-8 (क) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 152, नियम 156 का उल्लंघन किया गया है।

अतः दर्शित व्यय धनराशि रु० 141541.00 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के अध्याय-13 के नियम 256 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण के रूप में आंकलित की जाती है एवं अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि रु० 141541.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती राजकुमारी ग्राम प्रधान (रु० 70770.50), श्री चन्द्रिका चौबे ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव (रु० 70770.50) से संयुक्त रूप से अद्यावधि व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

2 - ग्राम पंचायत पालीपूरब, विकास खण्ड बीकापुर वर्ष 2020-21

प्रस्तर 04- ग्राम पंचायत पाली पूरब वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में त्रिभुवन के घर से कृपाल के घर तक नाली निर्माण कार्य हेतु कैशबुक में दर्शित व्यय धनराशि रु० 143585.00 है, जिसका विवरण इस प्रकार है-

क्र.	दिनांक	आहरण / व्यय धनराशि (रूपये में)	फर्म / व्यक्ति कानाम		कार्य / मद / सामग्री आपूर्ति	व्यय प्रमाणक
			कैशबुक में	बैंक स्टेटमेंट में		

1	26-12-2020	29083.00	शिवपूजन ठेकेदार	पी एफ एम एस- आर122003607229	सामग्री आपूर्ति	व्यय प्रमाणकविहीन
2	28-12-2020	23908.00	शिवपूजन ठेकेदार	पी एफ एम एस- आर122003717786	सामग्री आपूर्ति	व्यय प्रमाणकविहीन
3	28-12-2020	74712.00	शिवपूजन ठेकेदार	पी एफ एम एस	सामग्री आपूर्ति	व्यय प्रमाणकविहीन
4		15882.00	मजदूरी	पी एफ एम एस	मजदूरी	व्यय प्रमाणक(मस्टररोल) विहीन

लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित उक्त व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं

उपरोक्त कार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष वर्क आई डी, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन सम्बंधित प्रपत्र, व्यय प्रमाणक, डिलेवरी चालान, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, विस्तरीय फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7, खण्ड-8 (क) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 152, नियम 156 का उल्लंघन किया गया है।

अतः दर्शित व्यय धनराशि रु० 143585.00 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के अध्याय-13 के नियम 256 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण के रूप में आंकलित की जाती है एवं अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि रु० 143585.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीरवीन्द्र कुमार ग्राम प्रधान (रु० 71792.50), श्री विनोद कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव (रु० 71792.50) से संयुक्त रूप से अद्यावधि व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 05- ग्राम पंचायत पालीपूरव वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर हैंडपंप रिबोर कार्य हेतु कैशबुक में दर्शित व्यय धनराशि रु० 57901.00 है, जिसका विवरण इस प्रकार है-

क्र.	दिनांक	आहरण/ व्ययधनराशि(रूपयेमें)	फर्म / व्यक्ति कानाम		कार्य / मद / सामग्री आपूर्ति	व्यय प्रमाणक
			कैशबुक में	बैंक स्टेटमेंट में		
1	09-06-2020	29091.00	शिवपूजन ठेकेदार	पी एफ एम एस- आर062000100096	सामग्री आपूर्ति	व्यय प्रमाणक विहीन
2	09-06-2020	28810.00	शिवपूजन ठेकेदार	पी एफ एम एस- आर062000170261	सामग्री आपूर्ति	व्यय प्रमाणक विहीन

योग - 57901.00

लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित उक्त व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं-

उपरोक्त कार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष वर्क आई डी, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, एम0बी0, स्थलों की सूची, कार्यपूति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7, खण्ड-8 (क) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 152, नियम 156 का उल्लंघन किया गया है।

अतः दर्शित व्यय धनराशि रु० 57901.00 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 (क) तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के अध्याय-13 के नियम 256 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण के रूप में आंकलित की जाती है एवं अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि रु० 57901.00 की उत्तरदायी व्यक्तियों श्री रवीन्द्र कुमार ग्राम प्रधान (रु० 28950.50), एवं श्री विनोद कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सचिव (रु० 28950.50) से संयुक्त रूप से अद्यावधि व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

3 - ग्राम पंचायत शंकरपुर, विकास खण्ड हैरिंगटनगंज वर्ष 2020-21

प्रस्तर 06- विवरणहीन मद पर व्यय :- लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में विवरणहीन मद पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रम संख्या	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	अभ्युक्ति
1	30-10-20	पी एफ एम एस	182984.00	के0जी0एन0 इंटरप्राइजेज
2	7-3-21	पी एफ एम एस	159217.00	के0जी0एन0 इंटरप्राइजेज
		योग-	342201.00	

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं -

(क) विवरणहीन मद से संबन्धित कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36, नियम 218 (क) का उल्लंघन किया गया।

(ख) लेखा परीक्षा में विवरणहीन मद का स्टीमेट, वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152, नियम 156 का उल्लंघन किया गया।

(ग) सामाग्री क्रय हेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07 के खण्ड (4), खण्ड 5(4), खण्ड 5(2), खण्ड 5(5) एवं शासनादेश संख्या-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितंबर 2008 का उल्लंघन किया गया।

(घ) क्रय सामाग्री का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान, मस्टर रोल एम० बी०, कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7, खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उल्लंघन किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु०-342201.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि व्याज सहित बराबर हिस्से में श्री विनोद कुमार सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी) से रु. 171100.50 एवं श्री राजा राम (ग्राम प्रधान) से रु. 171100.50 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 07- ह्यूम पाइप क्रय :- ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह ज्ञात हुआ कि दिनांक 7-7-20 को रुपया रु०-94607.00 के के इंटरप्राइजेज एवं रु०-55640.00 नवदुर्गा ट्रेडर्स को ह्यूम पाइप क्रय हेतु भुगतान किया गया।

इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं -

(क) ह्यूम पाइप क्रय की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36, नियम 218 (क) का उल्लंघन किया गया।

(ख) लेखा परीक्षा में ह्यूम पाइप का स्टीमेट, वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152, नियम 156 का उल्लंघन किया गया।

(ग) ह्यूम पाइप क्रय हेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07 के खण्ड (4), खण्ड 5(4), खण्ड 5(2), खण्ड 5(5) एवं शासनादेश संख्या-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितंबर 2008 का उल्लंघन किया गया।

(घ) ह्यूम पाइप क्रय का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान, एम० बी०, कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7, खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उल्लंघन किया गया।

(ड) ह्यूम पाइप की स्थापना किन स्थानों पर किया गया इसकी सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु०-150247 ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्से मे श्री विनोद कुमार सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी) से रु० 75123.50 एवं श्री राजा राम (ग्राम प्रधान) से रु० 75123.50 किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति 22)

4- ग्राम पंचायत रुरुखास विकास खण्ड हैरिंगटनगंज वर्ष 2020-21

प्रस्तर 08- हैंडपंप मरम्मत पर व्यय :- लेखा परीक्षा मे यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा कतिपय तिथियो मे हैंडपंप मरम्मत पर व्यय दिखाया गया है जैसे –

क्रम	दिनांक	चेक	धनराशि	फर्म का नाम
1	29-6-20	पी एफ एम एस	16151.00	वैष्णवी इंटरप्राइजेज
2	29-6-20	पी एफ एम एस	18603.00	वैष्णवी इंटरप्राइजेज
3	29-6-20	पी एफ एम एस	19641.00	वैष्णवी इंटरप्राइजेज
4	29-6-20	पी एफ एम एस	18880.00	आर एन ट्रेडर्स
5	29-6-20	पी एफ एम एस	18995.00	आर एन ट्रेडर्स
6	23-7-20	पी एफ एम एस	35600.00	वैष्णवी इंटरप्राइजेज
7	28-7-20	पी एफ एम एस	46470.00	आर एन ट्रेडर्स
8	22-8-20	पी एफ एम एस	51266.00	आर एन ट्रेडर्स
9	17-10-20	पी एफ एम एस योग	19427.00 245033.00	वैष्णवी इंटरप्राइजेज

लेखा परीक्षा मे दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ है

(क) हैंडपंप मरम्मत के पूर्व उसके खराब होने की रिपोर्ट किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है। हैंडपंप रिबोर कार्य को ग्राम सभा मे अनुमोदन प्राप्त करके ग्राम पंचायत विकास योजना मे शामिल नहीं किया गया। हैंडपंप रिबोर कार्य को मरम्मत मानकर प्लान प्लस एवं एक्शन सॉफ्ट पर न तो वर्क आईडी जनरेट करायी गयी और न ही एम एसेट पर फोटो एवं जियो टैगिंग करायी गयी है। अतः हैंडपंप मरम्मत / रिबोर मे जल निगम कि मार्गदर्शिका का अनुपालन नहीं किया गया जो शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015 दिनांक 28 सितंबर 2017 का निर्देशांक -4 एवं निर्देशांक -05 का उल्लंघन है।

(ख) ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानो पर हैंडपंप मरम्मत / रिबोर का स्टीमेट, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृत, व्यय प्रमाणक एवं एमबी लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7, खण्ड 8(क), का उल्लंघन किया गया।

(ग) मरम्मत / रिबोर कराये गए हैंडपंपो सूची लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत मे विगत वर्षों मे मरम्मत की गई हैंडपंप की सूची प्रस्तुत नहीं की गई जिससे व्यय की पुष्टि एवं एक ही व्यय का पुनर्व्ययन की जांच नहीं हो सकी। हैंडपंप मरम्मत की कार्यदायी संस्थाओ का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र, उनकी वैधता प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे तत्सम्बंधी समीक्षा नहीं हो पाई।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु०-245033.00 ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 05(5) एवं अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड), एवं शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015 दिनांक 28 सितंबर 2017 का निर्देशांक - 4 एवं निर्देशांक -05 के अंतर्गत अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्से मे श्रीमती रीता देवी (ग्राम प्रधान) से रु० 122516.50 एवं श्री विनोद कुमार सिंह (सचिव) से रु० 122516.50

प्रस्तर 09- विभिन्न स्थानों पर चबूतरा निर्माण कार्य पर व्यय :- लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर चबूतरा निर्माण कार्य पर व्यय दिखाया गया है जैसे –

क्रम संख्या	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	अभ्युक्ति
1	6-8-20	पी एफ एम एस	48296.00	अमन ट्रेडर्स ।
2	6-8-20	पी एफ एम एस	31684.00	आदर्श ब्रिक फील्ड।
		योग-	80980.00	

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं -

(क) चबूतरा निर्माण कार्य से संबंधित कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36,नियम 218 (क) का उल्लंघन किया गया।

(ख) लेखा परीक्षा में चबूतरा निर्माण कार्य का स्टीमेट, वित्तीय ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152,नियम 156 का उल्लंघन किया गया।

(ग) चबूतरा निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामाग्री क्रय हेतु निविदा /कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07के खण्ड (4),खण्ड5(4),खण्ड 5(2) ,खण्ड 5(5)एवं शासनादेश संख्या-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक23 सितंबर 2008 का उल्लंघन किया गया।

(घ) चबूतरा निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामाग्री का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान ,मस्टर रोल एम० बी० ,कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उल्लंघन किया गया।

(ङ) चबूतरा निर्माण कार्य किन-2 स्थानों पर किया गया इसकी सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 80980.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ङ) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि व्याज सहित बराबर हिस्से में श्री विनोद कुमार सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी) से रु०40490.00 एवं श्रीमती रीता देवी (ग्राम प्रधान) से रु० 40490.00 किया जाना अपेक्षित है।

5- ग्राम पंचायत साल्हीपुर विकास खण्ड हैरिंगटनगंज वर्ष 2020-21

प्रस्तर 10- हैंडपंप मरम्मत पर व्यय :- लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा कतिपय तिथियों में हैंडपंप मरम्मत पर व्यय दिखाया गया है जैसे –

क्रम संख्या	दिनांक	चेक	धनराशि	फर्म का नाम
1	9-7-20	पी एफ एम एस	19732.00	अर्पित कान्सट्रक्शन
2	9-7-20	पी एफ एम एस	19268.00	अर्पित कान्सट्रक्शन
3	1-10-20	पी एफ एम एस	50080.00	वैष्णवी इंटरप्राइजेज
4	17-12-20	पी एफ एम एस	48608.00	नवदुर्गा ट्रेडर्स
5	17-12-20	पी एफ एम एस	29806.00	वैष्णवी इंटरप्राइजेज
		योग-	167494.00	

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं

(क) हैंडपंप मरम्मत के पूर्व उसके खराब होने की रिपोर्ट किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है। हैंडपंप रिबोर कार्य को ग्राम सभा में अनुमोदन प्राप्त करके ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल नहीं किया गया। हैंडपंप रिबोर कार्य को मरम्मत मानकर प्लान प्लस एवं एक्शन सॉफ्ट पर न तो वर्क आईडी जनरेट करायी गयी और न ही एम एसेट पर फोटो एवं जियो टैगिंग करायी गयी है। अतः हैंडपंप मरम्मत /रिबोर में जल निगम कि मार्गदर्शिका का अनुपालन नहीं किया गया जो शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015 दिनांक 28 सितंबर 2017 का निर्देशांक -4 एवं निर्देशांक -05 का उल्लंघन है।

(ख) ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर हैंडपंप मरम्मत/ रिबोर का स्टीमेट, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृत, व्यय प्रमाणक एवं एमबी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7, खण्ड 8(क), का उल्लंघन किया गया।

(ग) मरम्मत /रिबोर कराये गए हैंडपंपों सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत में विगत वर्षों में मरम्मत की गई हैंडपंप की सूची प्रस्तुत नहीं की गई जिससे व्यय की पुष्टि एवं एक ही व्यय का पुनर्व्ययन की जांच नहीं हो सकी। हैंडपंप मरम्मत की कार्यदायी संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र, उनकी वैधता प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे तत्सम्बंधी समीक्षा नहीं हो पाई।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु०-167494.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 05(5) एवं अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड), एवं शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015 दिनांक 28 सितंबर 2017 का निर्देशांक - 4 एवं निर्देशांक -05 के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि व्याज सहित बराबर हिस्से में श्रीमती रूपा (ग्राम प्रधान) से रु० 83747.00 एवं श्री विनोद कुमार सिंह (सचिव) से रु० 83747.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 11- विवरणहीन मद पर व्यय :- लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में विवरणहीन मद पर व्यय दिखाया गया है जैसे –

क्रम संख्या	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	अभ्युक्ति
1	5-9-20	पी एफ एम एस	103079.00	नवदुर्गा ट्रेडर्स।
2	17-12-20	पी एफ एम एस	111092.00	वैष्णवी इंटरप्राइजेज
		योग-	214171.00	

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं -

(क) विवरणहीन मद से संबन्धित कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36, नियम 218 (क) का उल्लंघन किया गया।

(ख) लेखा परीक्षा में विवरणहीन मद का स्टीमेट, वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152, नियम 156 का उल्लंघन किया गया।

(ग) सामाग्री क्रय हेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07 के खण्ड (4), खण्ड 5(4), खण्ड 5(2), खण्ड 5(5) एवं शासनादेश संख्या-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितंबर 2008 का उल्लंघन किया गया।

(घ) क्रय सामाग्री का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान, मस्टर रोल एम० बी०, कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7, खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उल्लंघन किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु०-214171.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि व्याज सहित बराबर हिस्से में श्री विनोद कुमार सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी) से रु०107085.50 एवं श्रीमती रूपा (ग्राम प्रधान) से रु०107085.50 किया जाना अपेक्षित है।

6-ग्राम पंचायत रजपलिया, विकास खण्ड मयाबाजार वर्ष-2020-21

. प्रस्तर 12- वर्ष 2020-21 की लेखापरीक्षा में कैशबुक की जाँच में पाया गया कि हैंडपंप मरम्मत एवं रिबोर हेतु विभिन्न तिथियों में धनराशि का व्यय किया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र०	दिनांक	चेक सं०	विवरण	धनराशि
1.	11/06/2020	पी एफ एम एस	सक्षम इंटरप्राइजेज को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान	17800.00
2.	11/06/2020	पी एफ एम एस	सक्षम इंटरप्राइजेज को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान	17600.00
3.	28/10/2020	पी एफ एम एस	अमर जनरल आर्डर सप्लायर को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान	11500.00
4.	26/12/2020	पी एफ एम एस	अन्या ट्रेडर्स को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान	12200.00
			योग-	59100.00

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं-

1-मरम्मत कराये गए हैंडपम्पो की सूची लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई।

2-उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।" साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रु० 59100.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीराम अछैवर से रु० 29550.00 एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री विष्णु कुमार से रु० 29550.00 संयुक्त रूप से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 13- वर्ष 2020-21 में ह्यूम पाइप क्रय कर भुगतान किया जाना दर्शित किया गया है विवरण निम्न प्रकार है-

(i) दिनांक	विवरण	धनराशि
12/06/2020	सक्षम इंटरप्राइजेज से ह्यूम पाइप क्रय	71165.00

विवरण से स्पष्ट है कि दि० 12/06/2020 को सक्षम इंटरप्राइजेज से ह्यूम पाइप क्रय कर रु० 71165.00 का भुगतान कर कार्यवाही पुस्तिका एवं ह्यूम पाइप कहाँ लगना है आदि कुछ भी व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में प्रमाणक नहीं उपलब्ध कराये गये जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः किया गया व्यय पूर्णतया काल्पनिक एवं अपहृत प्रतीत होता है। व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक न उपलब्ध कराया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं 8(क) एवं 8-(ख) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 व्यय की गयी धनराशि रु० 71165.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री विष्णु कुमार ग्राम सचिव से रु० 35582.50 एवं ग्राम प्रधान श्री राम अछैवर से रु० 35582.50 की वसूली बराबर 2 हिस्सों में संयुक्त रूप से- अद्यावधि मय व्याज सहित वसूल

प्रस्तर 14- वर्ष 2020-21 के लेखा परीक्षा में कैशबुक की जाँच में पाया गया कि अनिल पाण्डेय के घर से तालाब तक नाली निर्माण पर विभिन्न तिथियों में धनराशि व्यय की गई है जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

- (i) दिनांक 15/12/2020 को उक्त कार्य हेतु ईट क्रयसाई ब्रिक फिल्ड से रु० 18807.00 व्यय किया गया |
- (ii) दिनांक 15/12/2020 को उक्त कार्य हेतु मैटेरियल क्रय पर व्यय रु० 15470.00 अजय बिल्डिंग मैटेरियल से किया गया |
- (iii) दिनांक 15/12/2020 को उक्त कार्य पर मजदूरी 3618.00+4800.00+3618.00 = 12036.00 व्यय दर्शित किया गया है |

उक्त कार्य पर दर्शित व्यय कुल रु० 18807.00+15470.00+12036.00 = रु० 46313.00 है व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में कोई भी बिल, वाउचर, पत्रावली, कार्य का स्टीमेट, एम.बी., कार्यपूति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत है | उक्त मैनुअल के खण्ड-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी |" साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है | अतः धनराशि रु० 46313.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीराम अछैवर से रु० 23156.50 एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री विष्णु कुमार से रु० 23156.50 संयुक्त रूप से

प्रस्तर 15- वर्ष 2020-21 के लेखा परीक्षा में कैशबुक की जाँच में पाया गया कि शिव नायक के घर से तालाब तक नाली निर्माण पर विभिन्न तिथियों में धनराशि व्यय की गई है जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

- (i) दिनांक 15/12/2020 को उक्त कार्य हेतु ईट क्रयसाई ब्रिक फिल्ड से रु० 22144.00 व्यय किया गया |
- (ii) दिनांक 15/12/2020 को उक्त कार्य हेतु मैटेरियल क्रय पर व्यय रु० 11954.00 सक्षम इंटरप्राइजेज से किया गया |
- (iii) दिनांक 15/12/2020 को उक्त कार्य हेतु मैटेरियल क्रय पर व्यय रु० 29015.00 अजय बिल्डिंग मैटेरियल से किया गया

उक्त कार्य पर दर्शित व्यय कुल रु० 22144.00+11954.00+29015.00 = रु० 63113.00 है व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में कोई भी बिल, वाउचर, पत्रावली, कार्य का स्टीमेट, एम.बी., कार्यपूति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक की जाँच में उक्त कार्य पर सामग्री क्रय तो हुआ है परन्तु मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया जिससे कार्य काल्पनिक प्रतीत होता है। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत है | उक्त मैनुअल के खण्ड-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी |" साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है | अतः धनराशि रु० 63113.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीराम अछैवर से रु० 31556.50 एवं सचिव ग्राम पंचायत श्रीविष्णु कुमार से

7-ग्राम पंचायत हरदी, विकास खण्ड मयाबाजार वर्ष-2020-21

प्रस्तर 16.- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में कैशबुक की जाँच में पाया गया कि हैंडपंप मरम्मत एवं रिबोर हेतु विभिन्न तिथियों में धनराशि का व्यय किया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र०	दिनांक	चेक सं०	विवरण	धनराशि
1.	11/06/2020	पी एफ एम एस	अभिनव ट्रेडर्स को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान	24800.00

2.	27/07/2020	पी एफ एम एस	प्रताप मशीनरी स्टोर को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान	18100.00
3.	26/10/2020	पी एफ एम एस	प्रताप मशीनरी स्टोर को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान	25700.00
4.	17/12/2020	पी एफ एम एस	अन्या ट्रेडर्स को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान	25200.00
5.	03/03/2021	पी एफ एम एस	प्रताप मशीनरी स्टोर को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान	27865.00
			योग-	121665.00

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं-

(1) मरम्मत कराये गए हैंडपम्पो की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई।

(2) उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।" साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रु० 121665.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री रमेश कुमार से रु० 60832.50 एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री रवी कुमार से रु० 60832.50 संयुक्त रूप से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 17- वर्ष 2020-21 के लेखा परीक्षा में कैशबुक की जाँच में पाया गया कि आर.आर.सी. रोड से राम सिंगार के घर तक खड्जा निर्माण पर विभिन्न तिथियों में धनराशि व्यय की गई है जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

(i) दिनांक 15/06/2020 को उक्त कार्य हेतु ईट क्रय रु० 65416.00 व्यय किया गया।

(ii) दिनांक 23/06/2020 को उक्त कार्य हेतु मिट्टी का भुगतान रु० 4320.00+रु० 3840.00 = कुल 8160.00 व्यय किया गया।

(iii) दिनांक 23/06/2020 को उक्त कार्य हेतु मिट्टी का भुगतान रु० 7000.00 व्यय किया गया।

उक्त कार्य पर दर्शित व्यय कुल रु० 65416.00+8160.00+7000.00= 80576.00 है व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में कोई भी बिल, वाउचर, पत्रावली, कार्य का स्टीमेट, एम.बी., कार्यपूति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।" साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रु० 80576.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री रमेश कुमार से रु० 40288.00 एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री रवी कुमार से रु०

8-ग्राम पंचायत अमारी, विकास खण्ड मयाबाजार वर्ष-2020-21

प्रस्तर 18- मूल आपत्ति संख्या 05] ग्राम पंचायत अमारी की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ट्रीगार्ड क्रय पर कैशबुक में दिनांक 24-04-2020 को रु० 31250.00 भुगतान डी.के.इन्टरप्राइजेज को किया गया है।

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं -

(क) लेखा परीक्षा में कैशबुक में पौध रोपण से सम्बंधित कोई भुगतान दर्शित नहीं है और न ही कोई पत्रावली प्रस्तुत की गई।

[ख] लेखा परीक्षा में ट्रीगार्ड क्रय पर व्यय का स्टीमेट, वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत; व्यय वाउचर, डिलेवरी चालान, एम० बी०, कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र; टेंडर /कोटेशन प्रपत्र; भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या; त्रिस्तरीय फोटो; स्टाकरजिस्टर; डेड स्टाक रजिस्टर अप्राप्त रहा; अतः ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7, खण्ड 8(क) एवं उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 का उल्लंघन किया गया।

(ग) ट्रीगार्ड की स्थापना किन स्थानों पर किया गया इसकी सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन ट्रीगार्ड क्रय पर व्यय रु० 31250.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः रु० 31250.00 वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्से में ग्राम प्रधान श्री ओमनाथ सिंह से रु० 16625.00 एवं ग्राम सचिव श्री रजत दिवेदी से रु० 16625.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 19 - [मूल आपत्ति संख्या 06] ग्राम पंचायत अमारी की लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक में कतिपय तिथियों में हैंडपंप मरम्मत /रिबोर पर व्यय रु० 78870.00 दिखाया गया है जैसे -

क्रमसंख्या	दिनांक	चेक संख्या/पी एफ एम एस संख्या	धनराशि	फर्म का नाम
1	04-04-2020	100536	19870.00	अभिनव पीयूष ट्रेडर्स
2	15-09-2020	624117	44500.00	अभिनव पीयूष ट्रेडर्स
3	29-12-2020	-	14500.00	अभिनव पीयूष ट्रेडर्स
			योग 78870.00	

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं -

(क) लेखा परीक्षा में विभिन्न स्थानों पर हैंडपंप मरम्मत /रिबोर कार्य का स्टीमेट, वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत, व्यय प्रमाणक एवं एमबी, कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र; टेंडर /कोटेशन, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण आख्या; त्रिस्तरीय फोटो इत्यादि प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7, खण्ड 8(क), एवं उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 का उल्लंघन किया गया।

(ख) हैंडपंप मरम्मत के पूर्व उसके खराब होने की रिपोर्ट किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी नहीं दिया गया है। हैंडपंप रिबोर कार्य को ग्राम सभा में अनुमोदन प्राप्त करके ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल नहीं किया गया। हैंडपंप रिबोर कार्य को मरम्मत मानकर प्लान प्लस एवं एक्शन सॉफ्ट पर न तो वर्क आई०डी० जनरेट करायी गयी और न ही एम एसेट पर फोटो एवं जियो टैगिंग करायी गयी है। अतः हैंडपंप मरम्मत /रिबोर में जल निगम कि मार्गदर्शिका का अनुपालन नहीं किया गया जो शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015 दिनांक 28 सितंबर 2017 का निर्देशांक -4 एवं निर्देशांक -05 का उल्लंघन है।

(ग) मरम्मत /रिबोर कराये गए हैंडपंपों की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत में विगत वर्षों में मरम्मत की गई हैंडपंप की सूची प्रस्तुत नहीं की गई जिससे व्यय की पुष्टि एवं एक ही व्यय का पुनर्व्ययन की जांच नहीं हो सकी। हैंडपंप मरम्मत की कार्यदायी संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र, उनकी वैधता प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे तत्सम्बंधी समीक्षा नहीं हो पाई।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 78870.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 एवं शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017- 46/2015 दिनांक 28 सितंबर 2017 का निर्देशांक -4 एवं निर्देशांक -05 के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः रु० 78870.00 की वसूली अद्यावधि व्याज सहित बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान श्री ओमनाथ सिंह से रु० 39435.00 एवं ग्राम सचिव श्री रजत दिवेदी से रु० 39435.00 किया जाना अपेक्षित है।

9-ग्राम पंचायत सारंगपुर, विकास खण्ड मयाबाजार वर्ष-2020-21

अनियमितता एवं अपहरण का प्रकरण लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है, जिसकी वसूली के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, आपत्ति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है ---

लेखा परीक्षा में कैशबुक, कार्य पत्रावलिया, स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर तथा अन्य पुष्टि परक प्रपत्र यथा ---व्यय प्रमाणक मस्टररोल, स्टीमेट, एम.बी., कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, त्रि स्तरीय फोटो, भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण आख्या इत्यादिकोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020--2021 में धनराशि रु 717659.00 का व्यय किया गया है, उक्त व्यय धनराशि विवरण हीन तथा प्रमाणक विहीन होने के कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहा। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के खंड --- 7 की "ग्राम -प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये "के विपरीत है उक्त मैनुअल के खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम -प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम -पंचायत से की जाएगी "साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रु० 717659.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री समीर कुमार दुबे से रु० 358829.50 एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री मुक्तिनाथ से रु० 358829.50 संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

10-ग्राम पंचायत केशवपुर,

विकास खण्ड मयाबाजार

वर्ष-2020-21

प्रस्तर 21-(मूल आपत्ति संख्या 02) ग्राम पंचायत केशवपुर की लेखा परीक्षा में धनराशि रु 1423479.00 की गंभीर अनियमितता एवं अपहरण का प्रकरण लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है, जिसकी वसूली के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, आपत्ति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है ---

लेखा परीक्षा में कैशबुक, कार्य पत्रावलिया, स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर तथा अन्य पुष्टि परक प्रपत्र यथा ---व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, स्टीमेट, एम.बी., कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, त्रि स्तरीय फोटो, भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण आख्या इत्यादिकोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020--21 में धनराशि रु 1423479.00 का व्यय किया गया है, उक्त व्यय धनराशि विवरण हीन तथा प्रमाणक विहीन होने के कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहा। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायत में का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अधिभार योग्य है अतः धनराशि रु० 1423479.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री रामचंद्र सिंह से रु० 711739.50 एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री मुक्तिनाथ से रु० 711739.50 संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

11 ग्राम पंचायत मेदनीपुर

विकास खण्ड मयाबाजार

वर्ष-2020-21

प्रस्तर 22- ग्राम पंचायत मेदनीपुर की लेखा परीक्षा में धनराशि रु० 1010778.00 की गंभीर अनियमितता एवं अपहरण का प्रकरण लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है, जिसकी वसूली के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है-

लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियाँ तथा अन्य पुष्टिपरक प्रपत्र यथा-बिल वाउचर, मस्टररोल, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित आंकड़ों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में धनराशि ₹0 1010778.00 का व्यय किया गया है। उक्त व्यय धनराशि विवरणहीन तथा प्रमाणक विहीन होने के कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 कि "ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत से की जायेगी।" साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल धनराशि ₹0 1010778.00 में से धनराशि ₹0 505389.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री अवधेश कुमार से एवं धनराशि ₹0 505389.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री मुक्तिनाथ से किया जाना अपेक्षित है।

2-ग्राम पंचायत शान्तीपुर,

विकास खण्ड पूराबाजार

वर्ष-2020-21

प्रस्तर 23- आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा गया प्रसाद के घर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य कराया है जिसकी पुष्टि में एस्टीमेट, एम.बी, सामग्री खरीद वाउचर, मस्टररोल कार्य पूति प्रमाण -पत्र इत्यादि प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे संबंधित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी विवरण निम्न प्रकार है --

विवरण	दिनांक	धनराशि	कांटेक्टर का नाम
निर्माण सामग्री	14-04-2020	14835-00	शिव स्टील सेल्स
ईंट क्रय	10-04-2020	18747-00-	महादेव ब्रिक फील्ड
मजदूरी	10-04-2020	14154-00	श्रमिकों के खाते में भुगतान
	कुल योग	47736-00	

अतः उपरोक्त कार्य पर वाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 47736-00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री तालुकदार सिंह से ₹0 23868.00 एवं

प्रस्तर 24 -आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा सुल्तानपुर स्पन पाइप से दिनांक 14-4 -2020 को रुपया 38766-00 के ह्यूम पाइप क्रय किए गए परंतु इसका खरीद वाउचर एस्टीमेट एम० बी० इत्यादि लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किए गए । अतः खरीद की पुष्टि न की जा सकी तथा इनकी डलवाई मजदूरी पर कोई भी धनराशि व्यय नहीं की गई है जो कि खरीद को संदिग्ध बनाता है अतः .उपरोक्त कार्य पर वाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 38766-00-00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री तालुकदार सिंह से ₹0 19383.00 एवं तत्कालीन सचिव श्री गोरखनाथ मिश्रा से ₹0 19383.00 बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है **मूल आपत्ति संख्या -09**

प्रस्तर 25- ग्राम पंचायत द्वारा आर ० जे० एस० वाई० मद से पंचायत भवन मरम्मत का कार्य कराया गया है जिसकी पुष्टि में लेखा परीक्षा के समय निर्माण पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके कारण उपरोक्त कार्य की पुष्टि न की जा सकी। विवरण निम्नवत है

दिनांक	विवरण	धनराशि	फर्म का नाम जिसे भुगतान किया गया
16-11-2020	निर्माण सामग्री क्रय	39469-00	बीआर इंटरप्राइजेज
16-11-2020	निर्माण सामग्री क्रय	87984-00	पी एस कंस्ट्रक्शन
16-11-2020	टाइल्स क्रय	92493-00	बीआर इंटरप्राइजेज
19-11-2020	मजदूरी	17097-00	----
03-12-2020	मजदूरी	45825-00	-----
03-12-2020	विवरण विहीन व्यय	47532-00	-----
03-12-2020	मजदूरी	64095-00	-----
		394495-00	

उपरोक्त कार्य पर बाउचर विहीन एवं विवरण विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 394495-00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि रु० 394495-00 अधिभार योग्य है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री तालुकदार सिंह से रु० 197247.50 एवं तत्कालीन सचिव श्री गोरख नाथ मिश्रा से रु० 197247.50 बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या -10

13- ग्राम पंचायत नारा,

विकास खण्ड पूराबाजार

वर्ष-2020-21

प्रस्तर 26- ग्राम पंचायत नारा की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में माह 01-04- 2020 से 31-08 -2020 तक निम्नलिखित विवरण के अनुसार कैश बुक में विवरण विहीन व्यय दर्शित किया गया है तथा पुष्टि में स्टीमेट, एम. बी. खरीद बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण- पत्र, मस्टरोल, इत्यादि प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जिसके कारण उक्त अवधि में दर्शित व्यय धनराशि की पुष्टि ना की जा सकी। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार विवरण निम्नलिखित है-

दिनांक	विवरण	धनराशि
17-04-2020	विवरण विहीन	42000-00
04-06-2020	विवरण विहीन	192000-00
20-06-2020	विवरण विहीन	46200-00
20-06-2020	विवरण विहीन	46200-00
30-06-2020	विवरण विहीन	63280-00
17-08-2020	विवरण विहीन	11000-00
	कुल योग	400680-00

अतः उपरोक्त आहरित धनराशि का बाउचर विहीन व्यय किया गया कुल भुगतान रु० 400680.00 पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उ०प्र० सरकार द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) पृष्ठ संख्या 36,37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है। जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में की जायेगी के अन्तर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हैं अन्यथा की स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि रु० 400680.00 अधिभार योग्य है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री रूपम सिंह से रु० 200340.00 एवं तत्कालीन सचिव श्री अनिल सिंह से रु० 200340.00 बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

14- ग्राम पंचायत रामपुर हलवारा, विकास खण्ड पूराबाजार वर्ष-2020-21

प्रस्तर 27 - ग्राम पंचायत रामपुर हलवारा में लेखा परीक्षा में वर्ष 2020 -21 में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट खाता संख्या 414601010500103 के अनुसार 01-04-2020 से 31-07-2020 तक कुल आहरित धनराशि रु० 560040.00 का व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में लेखा परीक्षा में माह 01-04-2020 से 31-07-2020 तक की कैश बुक में निम्नलिखित विवरण के अनुसार विवरण विहीन व्यय दर्शित किया गया है तथा उसकी पुष्टि में स्टीमेट, एम०बी०, खरीद बाउचर, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, मस्टर रोल, इत्यादि प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जिसके कारण उक्त अवधि में दर्शित व्यय धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। विवरण निम्नलिखित है

दिनांक	विवरण	धनराशि	फर्म का नाम जिसे भुगतान किया गया
02-04-2020	टाइल्स क्रय	38940-00	शीतला प्रसाद टाइल्स
02-04-2020	टाइल्स क्रय	38940-00	शीतला प्रसाद टाइल्स
02-04-2020	मस्टर रोल	21904-00	
07-04-2020	विवरण विहीन	25275-00	आर० पी० कंस्ट्रक्शन
07-04-2020	विवरण विहीन	19186-00	सोना ब्रिक फील्ड
07-04-2020	विवरण विहीन	38940-00	शीतला प्रसाद टाइल्स
07-04-2020	विवरण विहीन	41016-00	शीतला प्रसाद टाइल्स
08-06-2020	मस्टर रोल	24388-00	
08-06-2020	विवरण विहीन	162821-00	शीतला प्रसाद टाइल्स
08-06-2020	विवरण विहीन	28816-00	सोना ब्रिक फील्ड
08-06-2020	विवरण विहीन	19114-00	आर० पी० कंस्ट्रक्शन
29-06-2020	विवरण विहीन	11000-00	उत्कर्ष मोबाइल सेंटर
29-06-2020	विवरण विहीन	42860-00	गुप्ता हार्डवेयर
29-06-2020	विवरण विहीन	46840-00	गुप्ता हार्डवेयर
	कुल योग	560040-00	

अतः उपरोक्त कार्यों पर बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 560040-00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। अतः रु० 560040.00 जिसकी वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती जुगरा से रु० 280020.00 एवं तत्कालीन सचिव श्री अनिल सिंह से रु० 280020.00 बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

15 - ग्राम पंचायत, जलालुद्दीननगर विकास खण्ड पूराबाजार वर्ष-2020-21

प्रस्तर 28- ग्राम पंचायत जलालुद्दीन नगर में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल सिंह द्वारा दिनांक 01/04/2020 से 31/08/2020 तक खाता संख्या 0654010018797 से रु० 1536350.00 का आहरण किया गया है उक्त धनराशि से सम्बन्धित मूल कैशबुक निर्माण पत्रावलिया बार-बार अनुरोध के पश्चात भी उपलब्ध नहीं करायी गयी। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त अवधि की कैशबुक बनायी ही नहीं गयी है अथवा भारी अनियमितता की गयी है। अतः उक्त धनराशि रु० 1536350.00 की अनियमितता से इन्कार नहीं

किया जा सकता। बिना कैशबुक के उक्त धनराशि की जांच न की जा सकी। अतः उपरोक्त आहरित धनराशि का वाउचर विहीन व्यय किया गया कुल भुगतान रु० 1536350.00 पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उ०प्र० सरकार द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा) प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) पृष्ठ संख्या 36,37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है। जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में की जायेगी के अन्तर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हैं अन्यथा की स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री डिगई राम से रु० 768175.00 एवं तत्कालीन सचिव श्री अनिल सिंह से रु० 768175.00 बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

16- ग्राम पंचायत, सनेथू

विकास खण्ड पूराबाजार

वर्ष-2020-21

प्रस्तर 29- ग्राम पंचायत सनेथू की वर्ष 2020 -21 की लेखा परीक्षा में माह 01-04-2020 से 31-08-2020 तक की मूल कैश बुक तथा निर्माण पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके कारण उक्त अवधि में बैंक स्टेटमेंट खाता संख्या 8254000100019640 राज्य वित्त से आहरित धनराशि रुपये 1166222. 00 की पुष्टि में स्टीमेट, एम०बी०, खरीद वाउचर, कार्य पूर्ति प्रमाण -पत्र, मस्टर रोल, इत्यादि प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जिसके कारण उक्त अवधि में आहरित धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। उपरोक्त कार्यों पर वाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 1166222-00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क), पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि रुपये 1166222-00 अधिभार योग्य है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सरोज सिंह से रु० 583111.00 तथा तत्कालीन सचिव श्री अनिल सिंह से रु० 583111.00 बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **मूल आपत्ति संख्या- 15**

17-ग्राम पंचायत अलावलपुर,

विकास खण्ड पूराबाजार

वर्ष-2020-21

प्रस्तर 30- ग्राम पंचायत अलावलपुर की वर्ष 2020 -21 की लेखा परीक्षा में कैश बुक में जंग बहादुर वर्मा के घर से पंचायत घर तक नाली निर्माण कार्य कराया जाना दर्शित है जिसकी पुष्टि में स्टीमेट, एम०बी०, खरीद वाउचर, कार्य पूर्ति प्रमाण -पत्र, मस्टर रोल, इत्यादि प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जिसके कारण उक्त अवधि में दर्शित व्यय धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। विवरण निम्नलिखित है

	विवरण	धनराशि	फर्म का नाम जिसे भुगतान किया गया
11-04-2020	निर्माण सामग्री	90584-00	आरडी ट्रेडर्स
11-04-2020	मस्टर रोल	16912-00	
	कुल योग	107496-00	

अतः उपरोक्त कार्य पर वाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 107496-00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क), पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि रुपये 107496-00 अधिभार योग्य है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री योगेश मिश्र से रु०

53748.00 एवं तत्कालीन सचिव श्री सुनील कुमार से रु० 53748.00 बराबर -बराबर किया जाना अपेक्षित है। मूल आपत्ति संख्या-7

प्रस्तर 31- -ग्राम पंचायत अलावलपुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में कैश बुक में आंगनवाड़ी भवन निर्माण पर निम्नलिखित विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है तथा उसकी पुष्टि में स्टीमेट, एम०बी०, खरीद वाउचर, कार्य पूर्ति प्रमाण -पत्र, मस्टर रोल, इत्यादि प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जिसके कारण उक्त कार्य पर दर्शित व्यय धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। विवरण निम्नलिखित है

दिनांक	विवरण	धनराशि	फर्म का नाम जिसे भुगतान किया गया
29-04-2020	मस्टर रोल	910+2250+728+910+728 +728+910=7164-00	
29-04-2020	मिट्टी पटाई ट्राली भाड़ा	10837-00	राम पूरन वर्मा
06-06-2020	मस्टर रोल	4950+2184+4500+2250= 13884-00	-
18-06-2020	निर्माण सामग्री क्रय	50806-00	रोशनी बिल्डिंग मटेरियल
19-06-2020	निर्माण सामग्री क्रय	13484-00	श्याम बिल्डिंग मटेरियल
19-06-2020	मस्टर रोल	2184+5400+5400+5400+ 5400+5400=29184.00	-
19-06-2020	ईट क्रय	23346-00	बी ० के० ब्रिक फील्ड
19-06-2020	निर्माण सामग्री क्रय	18448-00	रोशनी बिल्डिंग मटेरियल
19-06-2020	निर्माण सामग्री क्रय	23890-00	श्याम बिल्डिंग मटेरियल
19-06-2020	निर्माण सामग्री क्रय	12524-00	श्याम बिल्डिंग मटेरियल
19-06-2020	शटरिंग पर व्यय	10500-00	रामचन्द्र तिवारी
	कुल योग	214067-00	

उपरोक्त कार्य पर वाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 214067-00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क), पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि 214067-00 अधिभार योग्य है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री योगेश मिश्र से रु० 107033.50 एवं तत्कालीन सचिव श्री सुनील कुमार से रु० 107033.50 बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है। मूल आपत्ति संख्या-8

प्रस्तर 32- ग्राम पंचायत अलावलपुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में कैश बुक में रामनारायन मिश्र के घर से राजतिलक के घर तक खंडजा कार्य पर निम्नलिखित विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है तथा उसकी पुष्टि में स्टीमेट, एम०बी०, खरीद वाउचर, कार्य पूर्ति प्रमाण -पत्र, मस्टर रोल, इत्यादि प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जिसके कारण उक्त कार्य पर दर्शित व्यय धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। विवरण निम्नलिखित है

दिनांक	विवरण	धनराशि	फर्म का नाम जिसे भुगतान किया गया
19-06-2020	निर्माण सामग्री क्रय	64859-00	आर ० डी० ट्रेडर्स

उपरोक्त कार्य पर वाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 64859-00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क), पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति

में उक्त व्यय दर्शित धनराशि 64859-00 अधिभार योग्य है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री योगेश मिश्र से रु० 32429.50 एवं

प्रस्तर 33 -ग्राम पंचायत अलावलपुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में कैश बुक में पंचायत भवन एवं आंगनबाड़ी केंद्र पर मिट्टी पटाई पर 178912-00 व्यय दर्शित किया गया है तथा उसकी पुष्टि में स्टीमेट, एम०बी०, खरीद वाउचर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, इत्यादि प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जिसके कारण उक्त कार्य पर दर्शित व्यय धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। उपरोक्त कार्य पर वाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 178912-00 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विधिष्ठियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क), पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। जिसकी वसूली प्रशासक श्री संजय कुमार सिंह से रु० 89456.00 एवं

18- ग्राम पंचायत, इटौजा विकास खण्ड अमानीगंज वर्ष-2020-21

प्रस्तर 34- ग्राम पंचायत इटौजा की लेखा परीक्षा में धनराशि रु० 825129.00 की गम्भीर अनियमितता एवं अपहरण का प्रकरण लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है, जिसकी वसूली के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है-

लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियाँ तथा अन्य पुष्टि परक प्रपत्र यथा-बिलवाउचर, मस्टररोल, स्टीमेट, एम०बी०, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित आंकड़ों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में धनराशि रु० 825129.00 का व्यय किया गया है। उक्त व्यय धनराशि विवरणहीन तथा प्रमाणक विहीन होने के कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।" साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रु० 825129.00 की वसूली ग्राम प्रधान मो० इलियास से रु० 412564.00 एवं सचिव ग्राम पंचायत प्रवीण कुमार से रु० 412564.00 संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

19- ग्राम पंचायत कंदईकला विकास खण्ड अमानीगंज वर्ष-2020-21

प्रस्तर 35- ग्राम पंचायत कंदई कला की लेखा परीक्षा में धनराशि रु० 444409.00 की गम्भीर अनियमितता एवं अपहरण का प्रकरण लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है, जिसकी वसूली के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है-

लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियाँ तथा अन्य पुष्टि परक प्रपत्र यथा- बिलवाउचर, मस्टररोल, स्टीमेट, एम० बी०, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र आदि कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित आंकड़ों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में धनराशि रु० 444409.00 का व्यय किया गया है। उक्त व्यय धनराशि विवरणहीन तथा प्रमाणक विहीन होने के कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की “ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।” साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रु० 444409.00 की वसूली ग्राम प्रधान राजकुमार से रु० 222204.50 एवं सचिव ग्राम पंचायत धर्मराज से रु० 222204.50 संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

20- ग्राम पंचायत किठावां

विकास खण्ड अमानीगंज

वर्ष-2020-21

प्रस्तर 36- ग्राम पंचायत किठावां की लेखा परीक्षा में धनराशि रु० 634683.00 की गम्भीर अनियमितता एवं अपहरण का प्रकरण लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है, जिसकी वसूली के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार हैं-

लेखा परीक्षा में कार्य पत्रावलियाँ तथा अन्य पुष्टि परक प्रपत्र यथा-बिल वाउचर, मस्टररोल, स्टीमेट, एम0बी0, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में धनराशि रु० 634683.00 का व्यय किया गया है। उक्त व्यय धनराशि विवरण हीन तथा प्रमाणक विहीन होने के कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की “ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।” साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रु० 634683.00 की वसूली ग्राम प्रधान मुनन्वर से रु० 317341.50 एवं सचिव ग्राम पंचायत अरुण वर्मा से रु० 317341.50 संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

21- ग्राम पंचायत कुन्दर्खाकला

विकास खण्ड अमानीगंज

वर्ष-2020-21

प्रस्तर 37- ग्राम पंचायत कुन्दर्खा कला की लेखा परीक्षा में धनराशि रु० 917203.50 की गम्भीर अनियमितता एवं अपहरण का प्रकरण लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है, जिसकी वसूली के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार हैं-

लेखा परीक्षा में कार्य पत्रावलियाँ तथा अन्य पुष्टि परक प्रपत्र यथा-बिल वाउचर, मस्टररोल, स्टीमेट, एम0बी0, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में धनराशि रु० 917203.50 का व्यय किया गया है। उक्त व्यय धनराशि विवरण हीन तथा प्रमाणक विहीन होने के कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की “ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।” साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27

के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि ₹0 917203.50 की वसूली ग्राम प्रधान सावित्री देवी से ₹0 458601.75 एवं सचिव ग्राम पंचायत अरुण वर्मा से ₹0 458601.75 संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

22- ग्राम पंचायत खंडासा

विकास खण्ड अमानीगंज

वर्ष-2020-21

प्रस्तर 38 ग्राम पंचायत खंडासा की लेखा परीक्षा में धनराशि ₹0 1433411.00 की गम्भीर अनियमितता एवं अपहरण का प्रकरण लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है, जिसकी वसूली के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है-

लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियाँ तथा अन्य पुष्टि परक प्रपत्र यथा-बिल वाउचर, मस्टररोल, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित आंकड़ों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में धनराशि ₹0 1433411.00 का व्यय किया गया है। उक्त व्यय धनराशि विवरणहीन तथा प्रमाणक विहीन होने के कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की “ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षणदल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।” साथही उक्त व्यय उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तरप्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि ₹0 1433411.00 की वसूली ग्रामप्रधान श्रीमती शशिकला से ₹0 716705.50 एवं सचिव ग्राम पंचायत भगवानदीन से ₹0 716705.50 संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

23- ग्राम पंचायत गडौली

विकास खण्ड अमानीगंज

वर्ष-2020-21

प्रस्तर 39 ग्राम पंचायत गडौली की लेखा परीक्षा में धनराशि ₹0 1381576.00 की गम्भीर अनियमितता एवं अपहरण का प्रकरण लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है, जिसकी वसूली के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है-

लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियाँ तथा अन्य पुष्टिपरक प्रपत्र यथा-बिल वाउचर, मस्टररोल, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित आंकड़ों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में धनराशि ₹0 1381576.00 का व्यय किया गया है। उक्त व्यय धनराशि विवरण हीन तथा प्रमाणक विहीन होने के कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की “ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।” साथही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि ₹0 1381576.00 की वसूली ग्राम प्रधान महेंद्र प्रताप सिंह से ₹0 690788.00 एवं सचिव ग्राम पंचायत लालजी चौरसिया से ₹0 690788.00 संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 40 ग्राम पंचायत घटौली की लेखा परीक्षा में धनराशि ₹0 1502556.00 की गम्भीर अनियमितता एवं अपहरण का प्रकरण लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है, जिसकी वसूली के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार हैं-

लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियाँ तथा अन्य पुष्टि परक प्रपत्र यथा-बिल वाउचर, मस्टररोल, स्टीमेट, एम0बी0, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित आंकड़ों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में धनराशि ₹0 1502556.00 का व्यय किया गया है। उक्त व्यय धनराशि विवरणहीन तथा प्रमाणक विहीन होने के कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की “ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायीगयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।” साथही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि ₹0 1502556.00 की वसूली ग्राम प्रधान रामकली से ₹0 751278.00 एवं सचिव ग्राम पंचायत लालजी चौरसिया से ₹0 751278.00 संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

25- ग्राम पंचायत मंझनपुर विकास खण्ड अमानीगंज वर्ष-2020-21

प्रस्तर 41- ग्राम पंचायत मंझनपुर की लेखा परीक्षा में धनराशि ₹0 795761.00 की गम्भीर अनियमितता एवं अपहरण का प्रकरण लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है, जिसकी वसूली के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार हैं-

लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियाँ तथा अन्य पुष्टि परक प्रपत्र यथा-बिल वाउचर, मस्टररोल, स्टीमेट, एम0बी0, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र आदि कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित आंकड़ों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में धनराशि ₹0 795761.00 का व्यय किया गया है। उक्त व्यय धनराशि विवरणहीन तथा प्रमाणक विहीन होने के कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की “ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायीगयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।” साथही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि ₹0 795761.00 की वसूली ग्राम प्रधान अनुराग से ₹0 397880.50 एवं सचिव ग्रामपंचायत कर्मराज से ₹0 397880.50 संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

26- ग्राम पंचायत माझगाँव

विकास खण्ड अमानीगंज वर्ष-2020-21

प्रस्तर 42 ग्राम पंचायत मांझ गाँव की लेखा परीक्षा में धनराशि ₹0 1047147.40 की गम्भीर अनियमितता एवं अपहरण का प्रकरण लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है, जिसकी वसूली के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार हैं-

लेखा परीक्षा में कार्य पत्रावलियाँ तथा अन्य पुष्टि परक प्रपत्र यथा-बिल वाउचर, मस्टररोल, स्टीमेट, एम0बी0, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र आदि कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में धनराशि ₹0 1047147.00 का व्यय किया गया है। उक्त व्यय धनराशि विवरणहीन तथा प्रमाणकविहीन होने के कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहा। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की “ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।” साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि ₹0 1047147.40 की वसूली ग्राम प्रधान प्रेमचंद्र से ₹0 523573.70 एवं सचिव ग्राम पंचायत विमल कुमार से ₹0 523573.70 संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

27- ग्राम पंचायत मेवापुर मुतालिका रसूलपुर लिलहा विकास खण्ड अमानीगंज वर्ष-2020-21

प्रस्तर 43- ग्राम पंचायत मेवापुर मुतालिका रसूलपुर लिलहा की लेखा परीक्षा में धनराशि ₹0 1203763.00 की गम्भीर अनियमितता एवं अपहरण का प्रकरण लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है, जिसकी वसूली के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार हैं-

लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियाँ तथा अन्य पुष्टि परक प्रपत्र यथा-बिल वाउचर, मस्टररोल, स्टीमेट, एम0बी0, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित आंकड़ों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में धनराशि ₹0 1203763.00 का व्यय किया गया है। उक्त व्यय धनराशि विवरणहीन तथा प्रमाणक विहीन होने के कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की “ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।” साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि ₹0 1203763.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती किस्मता से ₹0 601881.50 एवं सचिव ग्राम पंचायत भगवानदीन से ₹0 601881.50 संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

28- ग्राम पंचायत अख्तियारपुर विकास खण्ड रुदौली वर्ष-2020-21

प्रस्तर 44- ग्राम पंचायत अख्तियारपुर की लेखा परीक्षा में धनराशि ₹0 1617325.00 की गम्भीर अनियमितता एवं अपहरण का प्रकरण लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है, जिसकी वसूली के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार हैं-

ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा में मात्र कैशबुक तथा बैंक स्टेटमेंट (वर्ष 2020-21) प्रस्तुत किये गए। लेखा परीक्षा में इनके अतिरिक्त कोई अन्य अभिलेख, कार्य पत्रावलियाँ तथा अन्य पुष्टिपरक प्रपत्र यथा-बिल वाउचर, मस्टररोल, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। कैशबुक तथा बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में धनराशि ₹0 1617325.00 (खाता संख्या- 3100951280 से धनराशि ₹0 676088.00 तथा खाता संख्या-

3832594814 से धनराशि ₹0 941237.00) का व्यय किया गया है। उक्त व्यय धनराशि विवरणहीन तथा प्रमाणकविहीन होने के कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 कि “ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत से की जायेगी।” साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल धनराशि ₹0 1617325.00 में से धनराशि ₹0 808662.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अनारकली से एवं धनराशि ₹0 808662.50 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री हेमंत कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

29- ग्राम पंचायत बिड़हार विकास खण्ड रुदौली वर्ष-2020-21

प्रस्तर 45- ग्राम पंचायत बिड़हार की लेखा परीक्षा में धनराशि ₹0 49681.00 की गम्भीर अनियमितता एवं अपहरण का प्रकरण लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है, जिसकी वसूली के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार हैं-

1. कैशबुक (ग्राम निधि- प्रथम) के अनुसार दिनांक 15.12.2020 को आर0एन0 ट्रेडर्स को इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत हेतु ₹0 49,681.00 का भुगतान दर्शित है। उक्त व्यय के सम्बन्ध में आपत्तियाँ निम्नवत् हैं-

1. मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पों की संख्या एवं सम्बन्धित स्थलों की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

2. उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई पत्रावली तथा पुष्टिपरक अभिलेख यथा- सामग्री क्रय से सम्बन्धित बिल वाउचर, मस्टररोल, प्राप्ति रसीद, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की “ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत से की जायेगी।” साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल धनराशि ₹0 49681.00 में से ₹0 24840.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राजकिशोर से एवं ₹0 24840.50 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री राकेश चौधरी से किया जाना अपेक्षित है।

30- ग्राम पंचायत करीमपुर विकास खण्ड रुदौली वर्ष-2020-21

प्रस्तर 46- ग्राम पंचायत करीमपुर की लेखा परीक्षा में धनराशि ₹0 1191381.00 की गम्भीर अनियमितता एवं अपहरण का प्रकरण लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है, जिसकी वसूली के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार हैं-

ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा में मात्र बैंक स्टेटमेंट (वर्ष 2020-21) प्रस्तुत किये गए स लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त कोई अन्य अभिलेख यथा कैशबुक , कार्य पत्रावलियाँ तथा अन्य पुष्टिपरक प्रपत्र यथा-बिल वाउचर, मस्टररोल, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में धनराशि ₹0 1191381.00(खाता संख्या-3100575677 से धनराशि ₹0 552927.00 तथा खाता संख्या- 3832590467 से धनराशि ₹0 638454.00) का व्यय किया गया है। उक्त व्यय धनराशि विवरणहीन तथा प्रमाणकविहीन होने के कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 कि “ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस

धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत से की जायेगी।" साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल धनराशि ₹0 1191381.00 में से धनराशि ₹0 595690.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कंचन से एवं धनराशि ₹0 595690.50 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री हेमंत कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

31- ग्राम पंचायत पुरांय विकास खण्ड रुदौली वर्ष-2020-21

प्रस्तर 47 -उक्त विवरण में अंकित ग्राम पंचायत के अधिभार प्रतिवेदन में सन्निहित धनराशि ₹0 348781.00 की गम्भीर अनियमितता एवं अपहरण का प्रकरण लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है, जिसकी वसूली के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्तियों का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है-

1. कैशबुक (ग्राम निधि- प्रथम) के अनुसार काली माता मन्दिर से राम सजीवन के घर तक सी0सी रोड निर्माण कार्य पर निम्न विवरणानुसार. व्यय दर्शित है-

क्र0सं0	दिनांक	फर्म/मद	धनराशि
1.	19.12.2020	मजदूरी	39,099.00
2.	19.12.2020	डान ब्रिक फील्ड	28,276.00
3.	19.12.2020	मोहित टेडर्स	1,27,766.00

योग- 1,95,141.00

इस प्रकार उक्त कार्य पर कुल धनराशि ₹0 1,95,141.00 का व्यय किया गया। उक्त कार्य के सम्बन्ध में आपत्तियाँ निम्नवत् है-

1. मोहित टेडर्स से क्रीत सामग्री एवं डान ब्रिक फील्ड से क्रय ईट की मात्रा का कोई विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

2. उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई पत्रावली तथा पुष्टिपरक अभिलेख यथा- सामग्री क्रय से सम्बन्धित बिल वाउचर, मस्टररोल, प्राप्ति रसीद, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की "ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत से की जायेगी।" साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल धनराशि ₹0 1,95,141.00 में से ₹0 97,570.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी से एवं ₹0 97,570.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री राकेश चौधरी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 48- कैशबुक (ग्राम निधि- केन्द्रीय वित्त) के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर कार्य पर निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है-

क्र0सं0	दिनांक	फर्म	मद	धनराशि
1.	25.12.2020	लक्ष्मी इन्टरप्राइजेज	हैण्डपम्प मरम्मत	41,088.00
2.	25.12.2020	लक्ष्मी इन्टरप्राइजेज	हैण्डपम्प रिबोर	35,410.00
3.	25.12.2020	लक्ष्मी इन्टरप्राइजेज	हैण्डपम्प रिबोर	24,880.00
4.	25.12.2020	हृदयलाल गवर्नमेंट कान्ट्रैक्टर	हैण्डपम्प रिबोर	52,262.00

योग- 1,53,640.00

इस प्रकार उक्त कार्य पर कुल धनराशि ₹0 1,53,640.00 का व्यय किया गया। उक्त कार्य के सम्बन्ध में आपत्तियाँ निम्नवत् है-

1-मरम्मत एवं रिबोर कराये गये हैण्डपम्पों की संख्या एवं सम्बन्धित स्थलों की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई पत्रावली तथा पुष्टिपरक अभिलेख यथा- सामग्री क्रय से सम्बन्धित बिल वाउचर, मस्टररोल, प्राप्ति

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत से की जायेगी। साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल धनराशि ₹0 153640.00 में से ₹0 76820.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी से एवं ₹0 76820.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री राकेश चौधरी से किया जाना अपेक्षित है।

32- ग्राम पंचायत सराय हामिद विकास खण्ड रुदौली वर्ष-2020-21

प्रस्तर 49- कैशबुक (ग्राम निधि- प्रथम) के अनुसार अय्यूब के दरवाजे से इस्लाम के दरवाजे तक इंटरलॉकिंग कार्य पर निम्न विवरणानुसार. व्यय दर्शित है-

क्र०सं०	दिनांक	फर्म/मद	धनराशि
1.	17.12.2020	न्यू कृष्णा कान्स्ट्रक्शन	52,000.00
2.	17.12.2020	शिवान्या ट्रेडर्स	25,466.96
3.	17.12.2020	मजदूरी भुगतान	29,442.00
4.	18.12.2020	श्री कृष्णा ब्रिक फील्ड	35,746.00
5.	21.12.2020	न्यू कृष्णा कान्ट्रैक्टर	56,680.00
योग-			1,99,334.00

इस प्रकार उक्त कार्य पर कुल धनराशि ₹0 1,99,334.00 का व्यय किया गया। उक्त कार्य के सम्बन्ध में आपत्तियाँ निम्नवत् है-

1. न्यू कृष्णा कान्स्ट्रक्शन, शिवान्या ट्रेडर्स से क्रीत सामग्री एवं श्री कृष्णा ब्रिक फील्ड से क्रय ईट की मात्रा का कोई विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. न्यू कृष्णा कान्ट्रैक्टर को ₹ 56,680.00 का भुगतान क्यों किया गया? यह भुगतान सामग्री हेतु किया गया अथवा मजदूरी हेतु, कैशबुक में इसका उल्लेख नहीं किया गया है।
3. उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई पत्रावली तथा पुष्टिपरक अभिलेख यथा- सामग्री क्रय से सम्बन्धित बिल वाउचर, मस्टररोल, प्राप्ति रसीद, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की “ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत से की जायेगी।” साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल धनराशि ₹0 1,99,334.00 में से ₹0 99,667.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री नौमान से एवं ₹0 99,667.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री राकेश चौधरी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 50 -कैशबुक (ग्राम निधि- केन्द्रीय वित्त) के अनुसार रघई के घर से निमरू के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य पर निम्न विवरणानुसार. व्यय दर्शित है-

क्र०सं०	दिनांक	फर्म/मद	धनराशि
1.	22.12.2020	शुभम ट्रेडर्स	27,560.00
2.	22.12.2020	मजदूरी भुगतान	11,232.00
3.	24.12.2020	सनराईज इन्टरप्राइजेज	12,006.00
4.	24.12.2020	श्री कृष्णा ब्रिक फील्ड	16,611.00
योग-			67,409.00

इस प्रकार उक्त कार्य पर कुल धनराशि ₹0 67,409.00 का व्यय किया गया। उक्त कार्य के सम्बन्ध में आपत्तियाँ निम्नवत् है-

1. शुभम ट्रेडर्स एवं सनराईज इन्टरप्राइजेज से क्रीत सामग्री एवं श्री कृष्णा ब्रिक फील्ड से क्रय ईट की मात्रा का कोई विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई पत्रावली तथा पुष्टिपरक अभिलेख यथा- सामग्री क्रय से सम्बन्धित बिल वाउचर, मस्टररोल, प्राप्ति रसीद, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की "ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत से की जायेगी।" साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल धनराशि ₹0 67,409.00 में से ₹0 33,704.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्री नौमान से एवं ₹0 33,704.50 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री राकेश चौधरी से किया जाना अपेक्षित है।

33- ग्राम पंचायत टांडा सूफी विकास खण्ड रुदौली वर्ष 2020-21

प्रस्तर 51 -लेखा परीक्षा के दौरान दिनांक 03-08-2020 को 50540.00 ह्यूम पाइप क्रय हेतु पाठक इंटरप्राइजेज का भुगतान-योग-51510.00

उपरोक्त व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई, ऑडिट के समय पत्राचार के बावजूद लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाना, जोकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) एवं 8(ख) उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत अपहरण है, जो कि अधिभार योग्य है।

अतः उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री हेमंत कुमार ग्राम विकास अधिकारी से ₹० 25255.00 तथा ग्राम प्रधान श्री अंजुम से ₹० 25255.00 से कुल धनराशि रूपया 50510.00 की वसूली संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। (सा० आपत्ति संख्या-20)

प्रस्तर 52 -लेखा परीक्षा 2020-21 के हैंड पंप मरम्मत/रिबोर पर भुगतान किया गया,विवरण निम्न प्रकार है।

- 1- दिनांक 11-11-2020 को रूपया 32190.00 विजय ट्रेडर्स को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान।
- 2- दिनांक 18-06-2020 को रूपया 38500.00 विजय ट्रेडर्स को हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान।
- 3- दिनांक 18-06-2020 को 27500.00 हैंडपंप रिबोर पर व्यय भुगतान।

योग 98190-00

उपरोक्त कार्य पर बिल बाउचर एवं कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई कैशबुक में हैंडपंप रिबोर किस फर्म को भुगतान किया गया है। फर्म का नाम भी अंकित नहीं है। इस प्रकार व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया जोकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 07 एवं खण्ड 8(क) एवं 8(ख) उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा - 27 के अंतर्गत अपहरण है, जो कि अधिभार योग्य है।

अतः उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री हेमंत कुमार ग्राम विकास अधिकारी से ₹० 49095.00 तथा ग्राम प्रधान श्री अंजुम से ₹० 49095.00 से कुल धनराशि रूपया 981 90.00 की वसूली संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। (सा० आपत्ति संख्या-21)

प्रस्तर 53 - लेखा परीक्षा में पंचायत भवन निर्माण पर भुगतान किया गया, विवरण निम्न प्रकार है।

- 1- दिनांक 04-12-2020 को रूपया 96791.00 पंचायत भवन निर्माण कार्य पर रुदौली ट्रेडर्स को भुगतान।
- 2- दिनांक 05-12-2020 को रूपया 75000.00 पंचायत भवन निर्माण कार्य पर विजय ट्रेडर्स को भुगतान।
- 3- दिनांक 22-12-2020 को रूपया 48421.00 पंचायत भवन निर्माण कार्य पर रुदौली ट्रेडर्स को भुगतान।

योग ₹० 220212.00

उपरोक्त कार्य की बाउचर एवं पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं करने के साथ-साथ उक्त कार्य को कोटेशन/टेंडर प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया गया। जो कि नियमों की अवहेलना है ऑडिट के समय पत्राचार के बावजूद लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया जोकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय-

8 के खण्ड 07 एवं खण्ड 8(क) एवं 8(ख) उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य नियमावली-1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है। तथा नियम 256 एवं अधिनियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। जो कि अधिभार योग्य है।

अतः उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री हेमंत कुमार ग्राम विकास अधिकारी से रु० 110106.00 तथा ग्राम प्रधान श्री अंजुम से रु० 110106.00 से कुल धनराशि रूपया 220212.00 की वसूली संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

34- ग्राम पंचायत कोटरा विकास खण्ड रुदौली वर्ष 2020-21

प्रस्तर 54- लेखा परीक्षा के दौरान विभिन्न तिथियों में ह्यूम पाइप क्रय किए गए, परंतु उक्त फर्मों से प्राप्त व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया विवरण निम्न प्रकार है:-

- 1 -दिनांक 14-08-2020 को रु० 50270.00 ह्यूम पाइप क्रय हेतु विजय ट्रेडर्स एवं सप्लायर से क्रय हेतु भुगतान।
- 2 -दिनांक 28-12-2020 को रु० 40721.00 ह्यूम पाइप क्रय हेतु लक्ष्मी इंटरप्राइजेज को भुगतान।

योग:- 90991.00

उपरोक्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए साथ ही डिलीवरी चालान, बिल, आर०सी० रेट, कैश मेमो, सेल टैक्स, कटौती का विवरण एम०बी० प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया, बार-बार पत्राचार करने के बावजूद कार्य पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के

अध्याय-8 क खंड 07 एवं खंड 8 (क) एवं 8 (ख) उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली- 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा- 27 के अंतर्गत अपहरण है, जो कि अधिभार योग्य है।

अतः उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री राकेश चौधरी ग्राम विकास अधिकारी से रु० 45495.50 तथा ग्राम प्रधान श्री अंजुम से रु० 45495.50 से कुल धनराशि रु० 90991.00 की वसूली संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **सा० आपत्ति संख्या-20**

प्रस्तर 55- दिनांक 23-12-2020 रु० 31987.00 सामुदायिक शौचालय हेतु मिट्टी पटाई पर भुगतान।

योग:-31987.00

उपरोक्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए तथा ट्रैक्टर ट्राली नंबर भी नहीं प्रस्तुत किया गया ना तो एम०बी० एस्टीमेट ही प्रस्तुत किया गया, जिससे यह प्रमाणित नहीं होता कि कितने घन मिट्टी डाली गई बार-बार पत्राचार करने के बावजूद कोई भी मिट्टी पटाई से सम्बंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 क खंड 07 एवं खंड 8 (क) एवं 8 (ख) उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली- 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा- 27 के अंतर्गत अपहरण है, जो कि अधिभार योग्य है।

अतः उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री राकेश चौधरी ग्राम विकास अधिकारी से रु० 15993.50 तथा ग्राम प्रधान श्री अंजुम से रु० 15993.50 से कुल धनराशि रु० 31987.00 की वसूली संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **सा० आपत्ति संख्या-21**

प्रस्तर 56- लेखा परीक्षा के दौरान विभिन्न तिथियों में हैंड पम्प रिबोर पर सामग्री क्रय की गई परंतु उक्त फर्मों से प्राप्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

दिनांक 16-12-2020 रु० 59328.00 लक्ष्मी लक्ष्मी इंटरप्राइजेज को भुगतान।

दिनांक 16-12-2020 रु० 28140.00 लक्ष्मी लक्ष्मी इंटरप्राइजेज को भुगतान।

योग:- 87468.00

उपरोक्त हैंड पंप रिबोर से संबंधित व्यय प्रमाणक सहित अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया लक्ष्मी इंटरप्राइजेज की कैश मेमो, कोटेशन, एम०बी०, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख उपलब्ध नहीं किया गया जो कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 क खंड 07 एवं खंड 8 (क) एवं 8 (ख) उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-

1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा- 27 के अंतर्गत अपहरण है, जोकि अधिभार योग्य है।

अतः उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री राकेश चौधरी ग्राम विकास अधिकारी से रु० 43234.00 तथा ग्राम प्रधान श्री अंजुम से रु० 43234.00 से कुल धनराशि रु० 87468.00 की वसूली संयुक्त रूप से अद्यावधि व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। सा० आपत्ति संख्या-22

प्रस्तर 57- लेखा परीक्षा के विभिन्न तिथियों में टाईल्स क्रय पर लक्ष्मी इंटरप्राइजेज को जो भुगतान किया गया है।

दिनांक 29-03-2021 रु० 75641.00 लक्ष्मी लक्ष्मी इंटरप्राइजेज को भुगतान।

दिनांक 29-03-2021 रु० 39384.00 लक्ष्मी लक्ष्मी इंटरप्राइजेज को भुगतान।

योग:- 115025.00

उपरोक्त व्यय प्रमाणक लक्ष्मी इंटरप्राइजेज को भुगतान दर्शित है परंतु डिलीवरी चालान, आर०सी० रेट, कैश मेमो, एम०बी० प्रमाणपत्र, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 क खंड 07 एवं खंड 8 (क) एवं 8 (ख) उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली- 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा- 27 के अंतर्गत अपहरण है, जो कि अधिभार योग्य है।

अतः उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री राकेश चौधरी ग्राम विकास अधिकारी से रु० 57512.50 तथा ग्राम प्रधान श्री अंजुम से रु० 57512.50 से कुल धनराशि रु० 115025.00 की वसूली संयुक्त रूप से अद्यावधि व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। सा० आपत्ति संख्या-23

35- ग्राम पंचायत विहारा, विकास खण्ड मवाई वर्ष 2020-21

प्रस्तर 58 - हैंडपंप मरम्मत पर व्यय :- लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा कतिपय तिथियों में पीएफएमएस द्वारा हैंडपंप मरम्मत पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रम संख्या	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम
1	22/05/20	30000.00	आर्यन कांटेक्टर एवं सप्लायर्स को हैंडपंप मरम्मत का भुगतान ।
2	02/06/20	60032.00	लक्ष्मी इंटर प्राइजेज को हैंडपंप मरम्मत का भुगतान ।
3	02/06/20	20000.00	आर्यन कांटेक्टर एवं सप्लायर्स को हैंडपंप मरम्मत का भुगतान ।
4	02/06/20	63384.00	लक्ष्मी इंटर प्राइजेज को हैंडपंप मरम्मत/रिबोर का भुगतान ।
5	02/09/20	100286.00	प्रकाश इंटर प्राइजेज को हैंडपंप रिबोर का भुगतान ।
6	02/09/20	27000.00	आर्यन कांटेक्टर एवं सप्लायर्स को हैंडपंप मरम्मत का भुगतान ।

योग 300702.00

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं -

(क) हैंडपंप मरम्मत के पूर्व उसके खराब होने की रिपोर्ट किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है। हैंडपंप रिबोर कार्य को ग्राम सभा में अनुमोदन प्राप्त करके ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल नहीं किया गया। हैंडपंप रिबोर कार्य को मरम्मत मानकर प्लान प्लस एवं एक्शन सॉफ्ट पर न तो वर्क आई०डी० जनरेट करायी गयी और न ही एम एसेट पर फोटो एवं जियो टैगिंग करायी गयी है। अतः हैंडपंप मरम्मत /रिबोर में जल निगम कि मार्गदर्शिका का अनुपालन नहीं किया गया जो शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015 दिनांक 28 सितंबर 2017 का निर्देशांक - 4 एवं निर्देशांक -05 का उल्लंघन है।

(ख) ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर हैंडपंप मरम्मत/ रिबोर का स्टीमेट, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृत, व्यय प्रमाणक एवं एमबी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 खण्ड 8(क), का उल्लंघन किया गया।

(ग) मरम्मत /रिबोर करायें गए हैंडपंपों सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत में विगत वर्षों में मरम्मत की गई हैंडपंप की सूची प्रस्तुत नहीं की गई जिससे व्यय की पुष्टि एवं एक ही व्यय का पुनर्व्ययन की जांच नहीं हो सकी। हैंडपंप मरम्मत की कार्यदायी संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र, उनकी वैधता प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे तत्सम्बंधी समीक्षा नहीं हो पाई।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु 300702.00 ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 05(5) एवं अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256(2) के (क) से (ड), एवं शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015 दिनांक 28 सितंबर 2017 का निर्देशांक -4 एवं निर्देशांक -05 के अंतर्गत अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्से मे श्री ललित कुमार (ग्राम पंचायत अधिकारी) से रुपया 150351.00 एवं श्रीमती जानावती (ग्राम प्रधान) से रुपया 150351.00 किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या 20)

प्रस्तर 59- सामुदायिक शौचालय निर्माण पर व्यय :- लेखा परीक्षा मे यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियो मे सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रम संख्या	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम
1-	07/11/20	20000.00	आर्यन कांटेक्टर एवं सप्लायर्स को सामुदायिक शौचालय निर्माण मे सामाग्री आपूर्ति का भुगतान
2-	06/09/20	74960.00	मान्या इंटर प्राइजेज को सामुदायिक शौचालय निर्माण मे सामाग्री आपूर्ति का भुगतान।
3-	06/09/20	276235.00	प्रकाश इंटर प्राइजेज को सामुदायिक शौचालय निर्माण मे सामाग्री आपूर्ति का भुगतान।
4-	04/02/21	39039.00	रवि ट्रेडर्स को सामुदायिक शौचालय निर्माण मे सामाग्री आपूर्ति का भुगतान।
5-	04/02/21	83105.00	लक्ष्मी ईंटरप्राइजेज को सामुदायिक शौचालय निर्माण मे सामाग्री आपूर्ति का भुगतान।

योग 493339.00

लेखा परीक्षा मे दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ है -

(क) सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36, नियम 218 (क) का उल्लंघन किया गया।

(ख) लेखा परीक्षा मे सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य का स्टीमेट, वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152, नियम 156 का उल्लंघन किया गया।

(ग) सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य मे क्रय सामाग्री हेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07 के खण्ड (4), खण्ड 5(4), खण्ड 5(2), खण्ड 5(5) एवं शासनादेश संख्या-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितंबर 2008 का उल्लंघन किया गया।

(घ) सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य मे क्रय सामाग्री का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान, एम० बी०, कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7, खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उल्लंघन किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 493339.00 ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित ललित कुमार (ग्राम पंचायत अधिकारी) से 246669.50, विकास चन्द्र दुबे (ए० डी० ओ० पंचायत) से रुपया 61072.00 एवं जानावती (ग्राम प्रधान) से रुपया 185597.50 किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या 21)

प्रस्तर 60 -पंचायत भवन निर्माण पर व्यय :- लेखा परीक्षा मे यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियो मे पंचायत भवन निर्माण कार्य पर रुपया 338047.00 बालाजी इंटर प्राइजेज एवं रुपया 144373.00 मान्या इंटर प्राइजेज को बिल्डिंग मैटेरियल आपूर्ति का भुगतान पर व्यय दिखाया गया है -

क्रमसंख्या	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम
1-	01/10/20	144373.00	मान्या इंटर प्राइजेज पंचायत भवन निर्माण मे सामाग्री आपूर्ति का भुगतान।
2-	16/02/21	197065.00	बालाजी इंटर प्राइजेज को पंचायत भवन मे सामाग्री आपूर्ति का भुगतान।
3-	19/02/21	140982.00	बालाजी इंटर प्राइजेज को पंचायत भवन मे सामाग्री आपूर्ति का भुगतान।

योग 482420.00

लेखा परीक्षा मे दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ है -

(क) पंचायत भवन निर्माण कार्य की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36,नियम 218 (क) का उल्लंघन किया गया।
 (ख) लेखा परीक्षा में पंचायत भवन निर्माण कार्य का स्टीमेट, वित्तीय ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152,नियम 156 का उल्लंघन किया गया।
 (ग) पंचायत भवन निर्माण कार्य में क्रय सामाग्री हेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07के खण्ड (4),खण्ड5(4),खण्ड 5(2) ,खण्ड 5(5)एवं शासनादेश संख्या-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक23 सितंबर 2008 का उल्लंघन किया गया।

(घ) पंचायत भवन निर्माण कार्य में क्रय सामाग्री का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान ,एम० बी० ,कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उल्लंघन किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 482420.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित ललित कुमार (ग्राम पंचायत अधिकारी) से रुपया 241210.00 ज्ञानावती (ग्राम प्रधान) से रुपया 241210.00 किया जाना अपेक्षित है।
 (सामान्य आपत्ति संख्या22)

प्रस्तर 61- शमशान घाट निर्माण पर व्यय:- लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा शमशान घाट निर्माण कार्य पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रम संख्या	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम
1-	04/06/2020	30000.00	अमन ईट निर्माण उधयोग को शमशान घाट निर्माण में ईट आपूर्ति का भुगतान ।
2-	04/06/20	87180.00	जय कामाख्या ब्रिक फील्ड शमशान घाट निर्माण में ईट आपूर्ति का भुगतान ।
3-	04/06/20	38400.00	प्रकाश इंटर प्राइजेज़ शमशान घाट निर्माण कार्य में सामाग्री आपूर्ति का भुगतान ।
		49400.00	
4-	06/07/20	38715.00	अतुल ट्रेडर्स को शमशान घाट निर्माण में बिल्डिंग मैटेरियल आपूर्ति का भुगतान ।
5-	06/07/20	593045.00	प्रकाश इंटर प्राइजेज़ शमशान घाट निर्माण कार्य में सामाग्री आपूर्ति का भुगतान ।
6-	06/07/20	80000.00	शुभम ट्रेडर्स शमशान घाट निर्माण में कार्य में सामाग्री आपूर्ति का भुगतान ।
7-	06/07/20	45372.00	हिन्द ट्रेडर्स शमशान घाट निर्माण में बिल्डिंग मैटेरियल आपूर्ति का भुगतान।
8-	06/07/20	101163.00	ज्ञानावती को मस्टर रोल का भुगतान ।,
9-	24/08/20	115000.00	ज्ञानावती को मस्टर रोल का भुगतान ।,
10-	24/08/20	130765.00	प्रकाश इंटर प्राइजेज़ शमशान घाट निर्माण कार्य में सामाग्री आपूर्ति का भुगतान ।

योग 1309040.00

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं -

(क) शमशान घाट निर्माण कार्य की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36,नियम 218 (क) का उल्लंघन किया गया।
 (ख) शमशान घाट निर्माण कार्य का स्टीमेट, वित्तीय ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152,नियम 156 का उल्लंघन किया गया।
 (ग) सामाग्री आपूर्ति हेतु टेंडर आमंत्रण की पुष्टि में कोई प्रपत्र जैसे - टेण्डर नोटिस ,दैनिक समाचार पत्र की कटिंग ,पंजीकृत फर्मों/ ठेकेदारों द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र एवं आवश्यक अन्य संलग्नको सहित पूर्ण भरे गए टेण्डर फार्म , धरोहर धनराशि की रसीद(उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 में निर्धारित प्रपत्र रूप पत्र -7) ,फर्मों के तुलनात्मक चार्ट ,स्वीकृत फर्म को सामाग्री आपूर्ति का आदेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि सामाग्री क्रय में पारदर्शी क्रय नियमों का पालन नहीं

किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07 के खण्ड (4), खण्ड 5(4), खण्ड 5(2), खण्ड 5(5) एवं शासनादेश संख्या-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितंबर 2008 का उल्लंघन किया गया।
(घ) शमशान घाट निर्माण कार्य हेतु सामाग्री का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान, मस्टररोल, एम० बी०, कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7, खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उल्लंघन किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 1309040.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित ललित कुमार (ग्राम पंचायत अधिकारी) से रुपया 654520.00 एवं ज्ञानावती (ग्राम प्रधान) से रुपया 654520.00 किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या 23)

प्रस्तर 62- विविध व्यय :- लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विविध व्यय पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रम संख्या	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम
1-	25/05/20	89889.00	रवि ट्रेडर्स को विद्यालय कार्याकल्प कार्य में बिलडिंग मैटेरियल आपूर्ति का भुगतान।
2-	25/05/20	63636.00	ज्ञानावती को मस्टर रोल का भुगतान।
3-	25/05/20	30000.00	आर्यन कांट्रैक्टर एवं सप्लायर्स को सामाग्री आपूर्ति का भुगतान।
योग 183525.00			

(क) उपरोक्त व्यय संबंधी कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36, नियम 218 (क) का उल्लंघन किया गया।

(ख) उपरोक्त व्यय संबंधी का स्टीमेट, वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152, नियम 156 का उल्लंघन किया गया।

(घ) उपरोक्त व्यय संबंधी व्यय वाउचर, डिलवरी चालान, मस्टररोल, एम० बी०, कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7, खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उल्लंघन किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 183525.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित ललित कुमार (ग्राम पंचायत अधिकारी) से रुपया 91762.50 एवं ज्ञानावती (ग्राम प्रधान) से रुपया 91762.50 किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या 24)

36- ग्राम पंचायत सड़वा विकास खण्ड मवई वर्ष 2020-21

प्रस्तर 63- पंचायत भवन निर्माण पर व्यय :- लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में पंचायत भवन निर्माण कार्य पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रमसंख्या	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम
1-	26/06/20	195000.00	हया ट्रेडर्स को बिलडिंग मैटेरियल आपूर्ति का भुगतान।
2-	14/09/20	70800.00	गुफरन ट्रेडर्स को बिलडिंग मैटेरियल आपूर्ति का भुगतान।
3-	08/02/21	104592.00	जय अम्बे इंटर प्राइजेज को बिलडिंग मैटेरियल आपूर्ति का भुगतान।
4-	26/02/21	113763.00	संजय सीमेंट एजेन्सी को बिलडिंग मैटेरियल आपूर्ति का भुगतान।
योग 484155.00			

(क) पंचायत भवन निर्माण की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36, नियम 218 (क) का उल्लंघन किया गया।

(ख) पंचायत भवन निर्माण का स्टीमेट, वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृतपत्र, एम० बी०, कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152, नियम 156 का उल्लंघन किया गया।

(ग) सामाग्री आपूर्ति हेतु टेंडर आमंत्रण की पुष्टि में कोई प्रपत्र जैसे - टेण्डर नोटिस, दैनिक समाचार पत्र की कटिंग, पंजीकृत फर्मों/ ठेकेदारों द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र एवं आवश्यक अन्य संलग्नकों सहित पूर्ण भरे गए टेण्डर फार्म, धरोहर धनराशि की रसीद (उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 में निर्धारित प्रपत्र रूप पत्र -7), फर्मों के तुलनात्मक चार्ट, स्वीकृत फर्म को सामाग्री आपूर्ति का आदेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि सामाग्री क्रय में पारदर्शी क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07 के खण्ड (4), खण्ड 5(4), खण्ड 5(2), खण्ड 5(5) एवं शासनादेश संख्या-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितंबर 2008 का उल्लंघन किया गया।

अतः उपरोक्त व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन अनियमित भुगतान रु० 484155.00 की वसूली अद्यावधि ब्याज सहित ललित कुमार (ग्राम पंचायत अधिकारी) से रुपया 242077.50 एवं निषाद खाँ (ग्राम प्रधान) से रुपया 132900.00 श्री विकास चन्द्र दूबे (प्रशासक) से रुपया 109177.50 किया जाना अपेक्षित है।

37- ग्राम पंचायत रसीदपट्टी विकास खण्ड मवई वर्ष 2020-21

प्रस्तर 64- पंचायत भवन निर्माण पर व्यय :- लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में ग्राम पंचायत के पंचायत भवन निर्माण पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रमसंख्या	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	अभ्युक्ति
1-	06/10/2020	पीएफएमएस द्वारा	137450.00	पंचायत भवन निर्माण में बिलडिंग मैटेरियल आपूर्ति का गरीब नेवाज़ ट्रेडर्स को भुगतान।
2-	18/10/2020	पीएफएमएस द्वारा	117851.00	पंचायत भवन निर्माण में बिलडिंग मैटेरियल आपूर्ति का गरीब नेवाज़ ट्रेडर्स को भुगतान।
3-	18/10/2020	पीएफएमएस द्वारा	85680.00	पंचायत भवन निर्माण में ईट आपूर्ति का बीबीएफ़ ब्रिक फील्ड को भुगतान
4-	18/10/2020	पीएफएमएस द्वारा	44934.00	पंचायत भवन निर्माण में बिलडिंग मैटेरियल आपूर्ति का गरीब नेवाज़ ट्रेडर्स को भुगतान।
5-	06/10/2020	पीएफएमएस द्वारा	83040.00	पंचायत भवन निर्माण में बिलडिंग मैटेरियल आपूर्ति का गरीब नेवाज़ ट्रेडर्स को भुगतान।

योग 468955.00

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं -

(क) पंचायत भवन निर्माण की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36, नियम 218 (क) का उल्लंघन किया गया।

(ख) पंचायत भवन निर्माण का स्टीमेट, वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152, नियम 156 का उल्लंघन किया गया।

(ग) सामाग्री आपूर्ति हेतु टेंडर आमंत्रण की पुष्टि में कोई प्रपत्र जैसे - टेण्डर नोटिस, दैनिक समाचार पत्र की कटिंग, पंजीकृत फर्मों/ ठेकेदारों द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र एवं आवश्यक अन्य संलग्नकों सहित पूर्ण भरे गए टेण्डर फार्म, धरोहर धनराशि की रसीद (उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 में निर्धारित प्रपत्र रूप पत्र -7), फर्मों के तुलनात्मक चार्ट, स्वीकृत फर्म को सामाग्री आपूर्ति का आदेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि सामाग्री क्रय में पारदर्शी क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07 के खण्ड (4), खण्ड 5(4), खण्ड 5(2), खण्ड 5(5) एवं शासनादेश संख्या-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितंबर 2008 का उल्लंघन किया गया।

(घ) पंचायत भवन निर्माण कार्य हेतु क्रय सामाग्री का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान, मस्टररोल, एम० बी०, कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उल्लंघन किया गया। अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 468955.00 ग्राम

पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बिहारीलाल (ग्राम पंचायत अधिकारी) से रु० 234477.50 एवं सहनुमा (ग्राम प्रधान) से रु० 234477.50 समान हिस्सो मे किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या 19)

38- ग्राम पंचायत गनेशपुर विकास खण्ड मवई वर्ष 2020-21

प्रस्तर 65 -हैंडपंप मरम्मत पर व्यय :- लेखा परीक्षा मे यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा कतिपय तिथियो मे पीएफएमएस द्वारा हैंडपंप मरम्मत पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रमसंख्या	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम
1-	16/06/20	71906.00	विनोद ट्रेडर्स को हैंडपंप मरम्मत का भुगतान।
2-	14/08/20	68014.00	विनोद ट्रेडर्स को हैंडपंप मरम्मत का भुगतान।
3-	14/08/20	58460.00	विनोद ट्रेडर्स को हैंडपंप मरम्मत का भुगतान।
4-	14/08/20	133200.00	विनोद ट्रेडर्स को हैंडपंप मरम्मत का भुगतान।
5-	21/11/20	108119.00	विनोद ट्रेडर्स को हैंडपंप मरम्मत का भुगतान।

योग 439699.00

(क) हैंडपंप मरम्मत के पूर्व उसके खराब होने की रिपोर्ट किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है। हैंडपंप रिबोर कार्य को ग्राम सभा मे अनुमोदन प्राप्त करके ग्राम पंचायत विकास योजना मे शामिल नहीं किया गया। हैंडपंप रिबोर कार्य को मरम्मत मानकर प्लान प्लस एवं एक्शन सॉफ्ट पर न तो बर्क आई०डी० जनरेट करायी गयी और न ही एम एसेट पर फोटो एवं जियो टैगिंग करायी गयी है। अतः हैंडपंप मरम्मत /रिबोर मे जल निगम कि मार्गदर्शिका का अनुपालन नहीं किया गया जो शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015 दिनांक 28 सितंबर 2017 का निर्देशांक -4 एवं निर्देशांक -05 का उल्लंघन है।

(ग) ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानो पर हैंडपंप मरम्मत / रिबोर का स्टीमेट, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृत, व्यय प्रमाणक एवं एमबी लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7, खण्ड 8(क), का उल्लंघन किया गया।

(घ) मरम्मत /रिबोर कराये गए हैंडपंपो सूची लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत मे विगत वर्षो मे मरम्मत की गई हैंडपंप की सूची प्रस्तुत नहीं की गई जिससे व्यय की पुष्टि एवं एक ही व्यय का पुनर्व्ययन की जांच नही हो सकी। हैंडपंप मरम्मत की कार्यदायी संस्थाओ का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र ,उनकी वैधता प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया ,जिससे तत्सम्बन्धी समीक्षा नही हो पाई।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 439699.00 ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 05(5) एवं अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256(2) के (क) से (ड), एवं शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015 दिनांक 28 सितंबर 2017 का निर्देशांक - 4 एवं निर्देशांक -05 के अंतर्गत अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सो मे श्री बिहारी लाल (ग्राम पंचायत अधिकारी) , से रुपया 219849.50 एवं श्रीमती हाशिरुल निशा (ग्राम प्रधान) से रुपया 219849.50 किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या 19)

प्रस्तर 66- पंचायत भवन निर्माण पर व्यय :- लेखा परीक्षा मे यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियो मे पंचायत भवन निर्माण कार्य पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रमसंख्या	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम
1-	29/09/2020	255442.00	शादाब ट्रेडर्स को पंचायत भवन निर्माण मे बिल्डिंग मैटेरियल आपूर्ति का भुगतान।
2-	03/02/2021	45660.00	विनोद ट्रेडर्स को पंचायत भवन निर्माण मे बिल्डिंग मैटेरियल आपूर्ति का भुगतान।
3-	03/02/2021	337949.00	शादाब ट्रेडर्स को पंचायत भवन निर्माण मे बिल्डिंग मैटेरियल आपूर्ति का भुगतान।

योग 639051.00

लेखा परीक्षा मे दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ है -

(क) पंचायत भवन निर्माण कार्य की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36,नियम 218 (क) का उल्लंघन किया गया।

(ख) लेखा परीक्षा में पंचायत भवन निर्माण कार्य का स्टीमेट, वित्तीय ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152,नियम 156 का उल्लंघन किया गया।

(ग) सामुदायिक पंचायत भवन निर्माण कार्य में क्रय सामाग्री हेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07के खण्ड (4),खण्ड5(4),खण्ड 5(2) ,खण्ड 5(5)एवं शासनादेश संख्या-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितंबर 2008 का उल्लंघन किया गया।

(घ) पंचायत भवन निर्माण कार्य में क्रय सामाग्री का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान ,एम० बी० ,कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उल्लंघन किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 639051.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बिहारीलाल (ग्राम पंचायत अधिकारी) से रुपया 319525.00 एवं हाशिरुल निशा (ग्राम प्रधान) से रुपया 127721.00 श्री विकास चन्द्र दूवे (प्रशासक) से रुपया 191804.50 किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या 20)

प्रस्तर 67- सामुदायिक शौचालय निर्माण पर व्यय :- लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रमसंख्या दिनांक धनराशि फर्म का नाम

- 1- 11/09/2020 80126.00 शादाब ट्रेडर्स स्टोर को सामुदायिक शौचालय निर्माण में सामाग्री आपूर्ति का भुगतान ।
- 2- 11/09/2020 80160.00 संतराम ट्रेडर्स को सामुदायिक शौचालय निर्माण में सामाग्री आपूर्ति का भुगतान ।
- 3- 11/09/2020 42840.00 यस ब्रिक फील्ड को सामुदायिक शौचालय निर्माण में ईट आपूर्ति का भुगतान ।
- 4- 11/09/2020 39060.00 यस ब्रिक फील्ड को सामुदायिक शौचालय निर्माण में ईट आपूर्ति का भुगतान ।
- 5- 09/10/2020 5280.00 मुस्तफा को सामुदायिक शौचालय निर्माण में मजदूरी का भुगतान ।
- 6- 09/10/2020 4800.00 राम करन को सामुदायिक शौचालय निर्माण में मजदूरी का भुगतान ।
- 5- 17/11/2020 60544.00 विनोद ट्रेडर्स को सामुदायिक शौचालय निर्माण में सामाग्री आपूर्ति का भुगतान ।
- 6- 17/11/2020 141748.00 शादाब ट्रेडर्स को सामुदायिक शौचालय निर्माण में सामाग्री आपूर्ति का भुगतान ।
- 7- 17/11/2020 13905.00 यस ब्रिक फील्ड को सामुदायिक शौचालय निर्माण में ईट आपूर्ति का भुगतान ।

योग 468463.00

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं -

(क) सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36,नियम 218 (क) का उल्लंघन किया गया।

(ख) लेखा परीक्षा में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य का स्टीमेट, वित्तीय ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152,नियम 156 का उल्लंघन किया गया।

(ग) सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य में क्रय सामाग्री हेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07के खण्ड (4),खण्ड5(4),खण्ड 5(2) ,खण्ड 5(5)एवं शासनादेश संख्या- ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक23 सितंबर 2008 का उल्लंघन किया गया।

(घ) सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य में क्रय सामाग्री का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान ,एम० बी० ,कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क),खण्ड -11 का उल्लंघन किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 468463.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बिहारीलाल (ग्राम

पंचायत अधिकारी) से 234231.50 एवं हाशिरुल निशा (ग्राम प्रधान) से रुपया 234231.50 किया जाना अपेक्षित है (सामान्य आपत्ति संख्या 21)

प्रस्तर 68- ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय :- दिनांक 14/08/2020 को पीएफएमएस ट्रांजेक्सन द्वारा रुपया 61524.00 आलोक इंटर प्राइजेज को ह्यूम पाइपक्रय हेतु भुगतान किया गया। लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं -

(क) ह्यूम पाइप स्थापना कार्य की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36, नियम 218 (क) का उल्लंघन किया गया।

(ख) लेखा परीक्षा में ह्यूम पाइप स्थापना कार्य का स्टीमेट, वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152, नियम 156 का उल्लंघन किया गया।

(ग) ह्यूम पाइप स्थापना कार्य में क्रय सामग्री हेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07 के खण्ड (4), खण्ड 5(4), खण्ड 5(2), खण्ड 5(5) एवं शासनादेश संख्या-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितंबर 2008 का उल्लंघन किया गया।

(घ) ह्यूम पाइप स्थापना कार्य में क्रय सामग्री का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान, एम० बी०, कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7, खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उल्लंघन किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 61524.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बिहारीलाल (ग्राम पंचायत अधिकारी) से 30762.00 एवं हाशिरुल निशा (ग्राम प्रधान) से रुपया 30762.00 किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या 22)

प्रस्तर 69- विद्यालय कार्याकल्प पर व्यय :- लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में ग्राम पंचायत

के विद्यालय कार्याकल्प कार्य पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रमसंख्या दिनांक धनराशि फर्म का नाम

- 1- 03/02/2021 21258.00 सिकन्दर को विद्यालय कार्याकल्प कार्य पर मजदूरी हेतु भुगतान।
- 2- 07/02/2021 183898.0 विनोद ट्रेडर्स को विद्यालय कार्याकल्प कार्य पर मैटेरियल आपूर्ति का भुगतान।
- 3- 26/02/2021 38163.00 संतराम ट्रेडर्स को विद्यालय कार्याकल्प कार्य पर मैटेरियल आपूर्ति का भुगतान।

योग 243319.0

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं -

(क) विद्यालय कार्याकल्प की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36, नियम 218 (क) का उल्लंघन किया गया।

(ख) विद्यालय कार्याकल्प का स्टीमेट, वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152, नियम 156 का उल्लंघन किया गया।

(ग) सामग्री आपूर्ति हेतु टेंडर आमंत्रण की पुष्टि में कोई प्रपत्र जैसे - टेण्डर नोटिस, दैनिक समाचार पत्र की कटिंग, पंजीकृत फर्मों/ठेकेदारों द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र एवं आवश्यक अन्य संलग्नकों सहित पूर्ण भरे गए टेण्डर फार्म, धरोहर धनराशि की रसीद (उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 में निर्धारित प्रपत्र रूप पत्र -7), फर्मों के तुलनात्मक चार्ट, स्वीकृत फर्म को सामग्री आपूर्ति का आदेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि सामग्री क्रय में पारदर्शी क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07 के खण्ड (4), खण्ड 5(4), खण्ड 5(2), खण्ड 5(5) एवं शासनादेश संख्या-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितंबर 2008 का उल्लंघन किया गया।

(घ) विद्यालय कार्याकल्प कार्य हेतु क्रय सामग्री का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान, मस्टररोल, एम० बी०, कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उल्लंघन किया गया। अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 243319.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली

अद्यावधि ब्याज सहित बिहारीलाल (ग्राम पंचायत अधिकारी) से रुपया 121659.50 एवं श्री विकास चन्द्र दूबे (प्रशासक) से रुपया 121659.00 किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या 23)

39- ग्राम पंचायत चन्द्रामऊ मंगा विकास खण्ड मवई वर्ष 2020-21

प्रस्तर 70- हैंडपंप मरम्मत पर व्यय :- लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा कतिपय तिथियों में पीएफएमएस द्वारा हैंडपंप मरम्मत पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रमसंख्या	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम
1-	14/08/2020	43754.00	हृदय लाल गवर्नमेंट कांटेक्टर को हैंडपंप मरम्मत का भुगतान। (पीएफएमएस द्वारा)
2-	06/10/2020	39238.00	संतराम ट्रेडर्स को हैंडपंप मरम्मत का भुगतान। (पीएफएमएस द्वारा)
3-	22/10/2020	128713.00	रवि ट्रेडर्स को हैंडपंप मरम्मत का भुगतान। (पीएफएमएस द्वारा)
4-	22/10/2020	120064.00	रवि ट्रेडर्स को हैंडपंप मरम्मत का भुगतान। (पीएफएमएस द्वारा)
5-	29/10/2020	128713.00	रवि ट्रेडर्स को हैंडपंप मरम्मत का भुगतान (पीएफएमएस द्वारा 15वें वित्त आयोग से भुगतान।)

योग 460482.00

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं -

(क) हैंडपंप मरम्मत के पूर्व उसके खराब होने की रिपोर्ट किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है। हैंडपंप रिबोर कार्य को ग्राम सभा में अनुमोदन प्राप्त करके ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल नहीं किया गया। हैंडपंप रिबोर कार्य को मरम्मत मानकर प्लान प्लस एवं एक्शन सॉफ्ट पर न तो वर्क आईडी जनरेट करायी गयी और न ही एम एसेट पर फोटो एवं जियो टैगिंग करायी गयी है। अतः हैंडपंप मरम्मत /रिबोर में जल निगम कि मार्गदर्शिका का अनुपालन नहीं किया गया जो शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015 दिनांक 28 सितंबर 2017 का निर्देशांक -4 एवं निर्देशांक -05 का उल्लंघन है।

(ग) ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर हैंडपंप मरम्मत / रिबोर का स्टीमेट, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृत, व्यय प्रमाणक एवं एमबीलेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7, खण्ड 8(क), का उल्लंघन किया गया।

(घ) मरम्मत /रिबोर कराये गए हैंडपंपों सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत में विगत वर्षों में मरम्मत की गई हैंडपंप की सूची प्रस्तुत नहीं की गई जिससे व्यय की पुष्टि एवं एक ही व्यय का पुनर्व्ययन की जांच नहीं हो सकी। हैंडपंप मरम्मत की कार्यदायी संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र, उनकी वैधता प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे तत्सम्बंधी समीक्षा नहीं हो पाई। अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 460482.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 05(5) एवं अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड), एवं शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015 दिनांक 28 सितंबर 2017 का निर्देशांक -4 एवं निर्देशांक -05 के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्से में श्री बिहारी लाल (ग्राम पंचायत अधिकारी), से रुपया 230241.00 श्रीमती सैकुन निशा (ग्राम प्रधान) से रुपया 230241.00 किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या 20)

प्रस्तर 71- सामुदायिक शौचालय निर्माण पर व्यय :- लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रमसंख्या	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम
1-	06/10/2020	153204.00	अवध इंटर प्राइजेज़ को सामुदायिक शौचालय निर्माण में सामग्री आपूर्ति का भुगतान।
2-	06/10/2020	87391.00	सीएमएम ब्रिक फील्ड को सामुदायिक शौचालय निर्माण में ईट आपूर्ति का भुगतान। (विभिन्न

पीएफएमएस द्वारा)

योग 1+2 240595.00

3-	08/03/2021	20832.00	अवध इंटर प्राइजेज़ को सामुदायिक शौचालय निर्माण में सामग्री आपूर्ति का भुगतान।
4-	08/03/2021	111580.00	अवध इंटर प्राइजेज़ को सामुदायिक शौचालय निर्माण में सामग्री आपूर्ति का भुगतान।

योग 3+4 132412.00

सम्पूर्ण योग 373007.00

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं -

(क) सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36, नियम 218 (क) का उल्लंघन किया गया।

(ख) लेखा परीक्षा में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य का स्टीमेट, वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152, नियम 156 का उल्लंघन किया गया।

(ग) सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य में क्रय सामग्री हेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07 के खण्ड (4), खण्ड 5(4), खण्ड 5(2), खण्ड 5(5) एवं शासनादेश संख्या- ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितंबर 2008 का उल्लंघन किया गया।

(घ) सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य में क्रय सामग्री का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान, एम० बी०, कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7, खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उल्लंघन किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 373007.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 05(5) एवं अध्याय - 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड), एवं शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015 दिनांक 28 सितंबर 2017 का निर्देशांक -4 एवं निर्देशांक -05 के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्से में श्री बिहारी लाल (ग्राम पंचायत अधिकारी) से रुपया 186503.50, श्रीमती सैकुन निशा (ग्राम प्रधान) से रुपया 120297.50 एवं विकास चन्द्र दूबे (प्रशासक) से रुपया 66206.00 किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या 21)

प्रस्तर 72- पंचायत भवन निर्माण पर व्यय :- लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में पंचायत भवन निर्माण कार्य पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रमसंख्या दिनांक धनराशि फर्म का नाम

1- 28/10//2020 157978.00 अवध इंटरप्राइजेज़ को पंचायत भवन निर्माण में बिलडिंग मैटेरियल आपूर्ति का भुगतान ।

2- 08/03/2021 190443.00 अवध इंटरप्राइजेज़ को पंचायत भवन निर्माण में बिलडिंग मैटेरियल आपूर्ति का भुगतान ।

3- योग 348421.00

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं -

(क) पंचायत भवन निर्माण कार्य की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36, नियम 218 (क) का उल्लंघन किया गया।

(ख) लेखा परीक्षा में पंचायत भवन निर्माण कार्य का स्टीमेट, वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152, नियम 156 का उल्लंघन किया गया।

(ग) सामुदायिक पंचायत भवन निर्माण कार्य में क्रय सामग्री हेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07 के खण्ड (4), खण्ड 5(4), खण्ड 5(2), खण्ड 5(5) एवं शासनादेश संख्या-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितंबर 2008 का उल्लंघन किया गया।

(घ) पंचायत भवन निर्माण कार्य में क्रय सामग्री का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान, एम० बी०, कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7, खण्ड 8(क), खण्ड - 11 का उल्लंघन किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 348421.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 05(5) एवं अध्याय - 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड), एवं शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015 दिनांक 28 सितंबर 2017 का निर्देशांक -4 एवं निर्देशांक -05 के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्से में श्री बिहारी लाल (ग्राम पंचायत अधिकारी) से रुपया 281724.50, श्रीमती सैकुन निशा (ग्राम प्रधान) से रुपया 78986.50 एवं विकास चन्द्र दूबे (प्रशासक) से रुपया 95221.50 किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या 22)

40- ग्राम पंचायत नेवाज़पुर विकास खण्ड मवई वर्ष 2020-21

प्रस्तर 73- ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि विभिन्न तिथियों में विभिन्न पीएफ़एमएस अंतरण द्वारा ग्राम प्रधान श्रीमती विजय कुमारी के बजाय व्यक्ति विशेष राधेश्याम को फर्जी तरीके से ग्राम प्रधान दिखाकर समस्त मस्टर रोल एवं प्रधान मानदेय का भुगतान करके राजकीय धनराशि का सीधा अपहरण कर लिया गया। जिसका विवरण निम्न है।

क्रमसंख्या तिथि चेक संख्या धनराशि रूपये फर्म का नाम

- 1- 03/06/2020 पीएफ़एमएस 42000.00 राधेश्याम के खाते में अंतरण द्वारा प्रधान मानदेय का भुगतान।
- 2- 06/06/2020 ,, 84420.0 राधेश्याम के खाते में अंतरण द्वारा मजदूरी का भुगतान।
- 3- 29/06/2020 ,, 48776.00 राधेश्याम के खाते में अंतरण द्वारा मजदूरी का भुगतान।
- 4- 29/06/2020 ,, 21826.00 राधेश्याम के खाते में अंतरण द्वारा मजदूरी का भुगतान।
- 5- 29/06/2020 ,, 32200.00 राधेश्याम के खाते में अंतरण द्वारा मजदूरी का भुगतान।
- 6- 24/12/2020 ,, 31500.00 राधेश्याम के खाते में अंतरण द्वारा प्रधान मानदेय का भुगतान।

योग 260722.00

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं -

(क) ग्राम पंचायत की कुल धनराशि रुपया 260722.00 का एक हिस्सा रुपया 73500.00 ग्राम प्रधान का मानदेय श्रीमती विजय

कुमारी के बजाय राधेश्याम को कर दिया गया है। मस्टर रोल मद की धनराशि रुपया 187222.00 का भुगतान मजदूरी के बजाय राधेश्याम को कर दिया गया।

(ख) ग्राम पंचायत की कुल व्यय धनराशि रुपया 260722.00 के व्यय संबंधी व्यय वाउचर, मस्टर रोल, एम० बी०, कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7, खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उल्लंघन किया गया।

(ग) राधेश्याम न तो ग्राम निधि का कस्टोडियन है और न ही किसी सामाग्री का आपूर्ति कर्ता अथवा ठेकेदार है। ग्राम पंचायत को प्राप्त राजकीय अनुदान का अनधिकृत तरीके से राधेश्याम को ग्राम प्रधान दिखाते हुए भुगतान करके ग्राम पंचायत में क्रय एवं कार्यों पर व्यय में वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 05 (3) का उल्लंघन करके राजकीय धन का अपहरण किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 260722.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित विकास रावत (ग्राम पंचायत अधिकारी) से रु० 130361.00 एवं विजय कुमारी (ग्राम प्रधान) से रु० 130361.00 समान हिस्से में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 74- सामुदायिक शौचालय निर्माण पर व्यय :- लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रमसंख्या दिनांक धनराशि फर्म का नाम

- 1- 15/09/2020 206792.00 जय अम्बे इंटर प्राइजेज़ को सामुदायिक शौचालय निर्माण में बिलडिंग मैटेरियल आपूर्ति का भुगतान
- 2- 15/09/2020 78120.00 साई ब्रिक फील्ड को सामुदायिक शौचालय निर्माण में ईट आपूर्ति का भुगतान
- 3- 19/11/2020 23344.00 डीबीएफ़ ब्रिक फील्ड को सामुदायिक शौचालय निर्माण में ईट आपूर्ति का भुगतान
- 4- 19/11/2020 55385.00 जय अम्बे इंटर प्राइजेज़ को सामुदायिक शौचालय निर्माण में बिलडिंग मैटेरियल आपूर्ति का भुगतान

योग 363641.00

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं -

(क) सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36, नियम 218 (क) का उल्लंघन किया गया।

(ख) लेखा परीक्षा में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य का स्टीमेट, वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152, नियम 156 का उल्लंघन किया गया।

(ग) सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य मे क्रय सामाग्री हेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07 के खण्ड (4), खण्ड 5(4), खण्ड 5(2), खण्ड 5(5) एवं शासनादेश संख्या- ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितंबर 2008 का उल्लंघन किया गया।

(घ) सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य मे क्रय सामाग्री का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान, एम० बी०, कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7, खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उल्लंघन किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 363641.00 ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित विकास रावत (ग्राम पंचायत अधिकारी) से रु० 181820.50 एवं विजय कुमारी (ग्राम प्रधान) से रु० 181820.50 समान हिस्से मे किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 75- चाइल्ड फ्रेंडली शौचालय निर्माण पर व्यय :- लेखा परीक्षा मे यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियो मे चाइल्ड फ्रेंडली शौचालय निर्माण कार्य पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रमसंख्या दिनांक धनराशि फर्म का नाम

1- 01/03/2021 65372.00 जय अम्बे इंटर प्राइजेज को चाइल्ड फ्रेंडली शौचालय निर्माण मे बिल्टिंग मैटेरियल आपूर्ति का भुगतान।

2- 01/03/2021 40000.00 डीबीएफ़ ब्रिक फील्ड को चाइल्ड फ्रेंडली शौचालय निर्माण मे ईट आपूर्ति का भुगतान योग - 105372.00

(क) चाइल्ड फ्रेंडली शौचालय निर्माण कार्य की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36, नियम 218 (क) का उल्लंघन किया गया।

(ख) लेखा परीक्षा मे चाइल्ड फ्रेंडली शौचालय निर्माण कार्य का स्टीमेट, वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152, नियम 156 का उल्लंघन किया गया।

(ग) चाइल्ड फ्रेंडली शौचालय निर्माण कार्य मे क्रय सामाग्री हेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07 के खण्ड (4), खण्ड 5(4), खण्ड 5(2), खण्ड 5(5) एवं शासनादेश संख्या-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितंबर 2008 का उल्लंघन किया गया।

(घ) चाइल्ड फ्रेंडली निर्माण कार्य मे क्रय सामाग्री का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान, एम० बी०, कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7, खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उल्लंघन किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 105372.00 ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित विकास रावत (ग्राम पंचायत अधिकारी) से रु० 52686.00 एवं विकास चन्द्र दूबे (प्रशासक) से रु० 52686.00 समान हिस्से मे किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 76- विद्यालय कायाकल्प पर व्यय :- लेखा परीक्षा मे यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियो मे ग्राम पंचायत के विद्यालय कायाकल्प कार्य पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रमसंख्या दिनांक धनराशि फर्म का नाम

1- 11/06/2020 109436.0 जयसवाल ट्रेडर्स को विद्यालय कायाकल्प कार्य पर मैटेरियल आपूर्ति का भुगतान।

2- 10/08/2020 4240.00 अवध इंटर प्राइजेज को विद्यालय कायाकल्प कार्य पर मैटेरियल आपूर्ति का भुगतान।

योग 113676.00

लेखा परीक्षा मे दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ है -

(क) विद्यालय कायाकल्प निर्माण कार्य की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36, नियम 218 (क) का उल्लंघन किया गया।

(ख) लेखा परीक्षा मे विद्यालय कायाकल्प निर्माण कार्य का स्टीमेट, वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152, नियम 156 का उल्लंघन किया गया।

(ग) विद्यालय कायाकल्प कार्य में क्रय सामाग्री हेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07 के खण्ड (4), खण्ड 5(4), खण्ड 5(2), खण्ड 5(5) एवं शासनादेश संख्या-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितंबर 2008 का उल्लंघन किया गया।

(घ) विद्यालय कायाकल्प कार्य में क्रय सामाग्री का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान, एम० बी०, कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7, खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उल्लंघन किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 113676.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित विकास रावत (ग्राम पंचायत अधिकारी) से रु० 56838.00 एवं विजय कुमारी (ग्राम प्रधान) से रु० 56838.00 समान हिस्से में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 77- नाली निर्माण पर व्यय :- लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर नाली निर्माण कार्य पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रमसंख्या	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम
1-	21/12/2020	19103.00	उफी ब्रिक फील्ड को नाली निर्माण में ईट आपूर्ति का भुगतान।
2-	21/12/2020	9678.00	राधेश्याम को मस्टर रोल का भुगतान।
3-	21/12/2020	14489.00	साकेत मिल स्टोर को नाली निर्माण में बिल्डिंग मैटेरियल आपूर्ति का भुगतान।
योग		43270.00	

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं -

(क) नाली निर्माण निर्माण कार्य की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36, नियम 218 (क) का उल्लंघन किया गया।

(ख) नाली निर्माण कार्य का स्टीमेट, वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152, नियम 156 का उल्लंघन किया गया।

(ग) सामाग्री आपूर्ति हेतु टेंडर आमंत्रण की पुष्टि में कोई प्रपत्र जैसे - टेण्डर नोटिस, दैनिक समाचार पत्र की कटिंग, पंजीकृत फर्मों/ ठेकेदारों द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र एवं आवश्यक अन्य संलग्नकों सहित पूर्ण भरे गए टेण्डर फार्म, धरोहर धनराशि की रसीद (उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 में निर्धारित प्रपत्र रूप पत्र -7), फर्मों के तुलनात्मक चार्ट, स्वीकृत फर्म को सामाग्री आपूर्ति का आदेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि सामाग्री क्रय में पारदर्शी क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07 के खण्ड (4), खण्ड 5(4), खण्ड 5(2), खण्ड 5(5) एवं शासनादेश संख्या-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितंबर 2008 का उल्लंघन किया गया।

(घ) नाली निर्माण कार्य हेतु क्रय सामाग्री का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान, मस्टर रोल, एम० बी०, कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7, खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उल्लंघन किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 43270.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित विकास रावत (ग्राम पंचायत अधिकारी) से रु० 21635.00 एवं विजय कुमारी (ग्राम प्रधान) से 21635.00 समान हिस्से में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 78 -सोलिंग निर्माण पर व्यय :- लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर सोलिंग निर्माण कार्य पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रमसंख्या	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम
1-	21/12/2020	50634.00	उफी ब्रिक फील्ड को नाली निर्माण में ईट आपूर्ति का भुगतान।
2-	21/12/2020	19698.00	राधेश्याम को मस्टर रोल का भुगतान।
योग		70332.00	

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं -

(क) सोलिंग निर्माण कार्य की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36, नियम 218 (क) का उल्लंघन किया गया।

(ख) सोलिंग निर्माण कार्य का स्टीमेट, वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152, नियम 156 का उल्लंघन किया गया।

(ग) सामाग्री आपूर्ति हेतु टेंडर आमंत्रण की पुष्टि में कोई प्रपत्र जैसे - टेण्डर नोटिस, दैनिक समाचार पत्र की कटिंग, पंजीकृत फर्मों/ठेकेदारों द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र एवं आवश्यक अन्य संलग्नकों सहित पूर्ण भरे गए टेण्डर फार्म, धरोहर धनराशि की रसीद (उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 में निर्धारित प्रपत्र रूप पत्र -7), फर्मों के तुलनात्मक चार्ट, स्वीकृत फर्म को सामाग्री आपूर्ति का आदेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि सामाग्री क्रय में पारदर्शी क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07 के खण्ड (4), खण्ड 5(4), खण्ड 5(2), खण्ड 5(5) एवं शासनादेश संख्या-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितंबर 2008 का उल्लंघन किया गया।

(घ) सोलिंग निर्माण कार्य हेतु क्रय सामाग्री का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान, मस्टररोल, एम० बी०, कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उल्लंघन किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 70332.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित विकास रावत (ग्राम पंचायत अधिकारी) से रु० 35161.00 एवं विजय कुमारी (ग्राम प्रधान) से रु० 35161.00 समान हिस्से में किया जाना अपेक्षित है।

41- ग्राम पंचायत उमापुर विकास खण्ड मवाई वर्ष 2020-21

प्रस्तर 79 - हैंडपंप मरम्मत पर व्यय :- लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा कतिपय तिथियों में पीएफएमएस द्वारा

हैंडपंप मरम्मत पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रमसंख्या दिनांक धनराशि फर्म का नाम

1- 09/09/2020 226328.00 प्रकाश इंटर प्राइजेज को हैंडपंप मरम्मत का भुगतान।

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं -

(क)- हैंडपंप मरम्मत के पूर्व उसके खराब होने की रिपोर्ट किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है। हैंडपंप रिबोर कार्य को ग्राम सभा में अनुमोदन प्राप्त करके ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल नहीं किया गया। हैंडपंप रिबोर कार्य को मरम्मत मानकर प्लान प्लस एवं एक्शन सॉफ्ट पर न तो वर्क आई०डी० जनरेट करायी गयी और न ही एम एसेट पर फोटो एवं जियो टैगिंग करायी गयी है। अतः हैंडपंप मरम्मत /रिबोर में जल निगम कि मार्गदर्शिका का अनुपालन नहीं किया गया जो शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015 दिनांक 28 सितंबर 2017 का निर्देशांक -4 एवं निर्देशांक -05 का उल्लंघन है।

(ख) ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर हैंडपंप मरम्मत / रिबोर का स्टीमेट, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृत, व्यय प्रमाणक एवं एमबी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7, खण्ड 8(क), का उल्लंघन किया गया। उपरोक्त अभिलेखों की मांग बार -2 लगाए गए आडिट कार्यक्रम के द्वारा भी की गयी।

(ग) मरम्मत /रिबोर कराये गए हैंडपंपों सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत में विगत वर्षों में मरम्मत की गई हैंडपंप की सूची प्रस्तुत नहीं की गई जिससे व्यय की पुष्टि एवं एक ही व्यय का पुनर्व्ययन की जांच नहीं हो सकी। हैंडपंप मरम्मत की कार्यदायी संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र, उनकी वैधता प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे तत्सम्बंधी समीक्षा नहीं हो पाई।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 226328.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड), एवं शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015 दिनांक 28 सितंबर 2017 का निर्देशांक -4 एवं निर्देशांक -05 के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित विकास रावत (ग्राम विकास अधिकारी) से रुपया 113164.00 एवं देवता प्रसाद (ग्राम प्रधान) से रुपया 113164.00 किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या 19)

प्रस्तर 80- सामुदायिक शौचालय निर्माण पर व्यय :- लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रमसंख्या दिनांक धनराशि फर्म का नाम

- 1- 27/08/20 182430.00 जय माँ अम्बे इंटर प्राइजेज़ को सामुदायिक शौचालय निर्माण में सामग्री आपूर्ति का भुगतान ।
- 2- 27/08/20 91140.00 माँ शेवाली ईट उद्योग को सामुदायिक शौचालय निर्माण में ईट आपूर्ति का भुगतान ।
- 3- 09/10/20 158877.00 प्रकाश इंटर प्राइजेज़ को सामुदायिक शौचालय निर्माण में सामग्री आपूर्ति का भुगतान ।
7660.00 शौरभ सीमेंट स्टोर को भुगतान ।

- 4- 27/02/2021 49685.00 प्रकाश इंटर प्राइजेज़ को सामुदायिक शौचालय निर्माण में सामग्री आपूर्ति का भुगतान ।
योग- 489812.00

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं -

- (क) सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36, नियम 218 (क) का उल्लंघन किया गया।
- (ख) लेखा परीक्षा में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य का स्टीमेट, वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152, नियम 156 का उल्लंघन किया गया।
- (ग) सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य में क्रय सामग्री हेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07 के खण्ड (4), खण्ड 5(4), खण्ड 5(2), खण्ड 5(5) एवं शासनादेश संख्या- ए-1-864 /दस-08- 15(1)/86 दिनांक 23 सितंबर 2008 का उल्लंघन किया गया।
- (घ) सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य में क्रय सामग्री का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान, एम० बी०, कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7, खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उल्लंघन किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 489812.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 07 एवं 8 (क) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित विकास रावत (ग्राम विकास अधिकारी) से 244906.00 एवं देवता प्रसाद (ग्राम प्रधान) से रुपया 220064.00 श्री विकास चन्द्र दूबे (प्रशासक) से रुपया 24842.50 किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या 20)

प्रस्तर 81-पंचायत भवन निर्माण पर व्यय :- लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में पंचायत भवन निर्माण कार्य पर रुपया 1075879.00 विभिन्न फर्मों को बिलडिंग मैटेरियल आपूर्ति का भुगतान पर व्यय दिखाया गया है -

क्रमसंख्या दिनांक धनराशि फर्म का नाम

- 1- 23/04/20 33405.00 माँ शिवाली ईट उद्योग पंचायत भवन निर्माण में ईट आपूर्ति का भुगतान।
- 2- 23/04/20 60856.00 संजय सीमेंट स्टोर पंचायत भवन निर्माण में बिलडिंग मैटेरियल आपूर्ति का भुगतान।
- 3- 23/04/20 97376.00 राकेश कुमार यादव को पंचायत भवन निर्माण में मजदूरी का भुगतान।
- 4- 26/10/20 34500.00 देवता प्रसाद को पंचायत भवन निर्माण में मजदूरी का भुगतान।
- 5- 26/10/20 233051.00 प्रकाश इंटर प्राइजेज़ को पंचायत भवन निर्माण में बिलडिंग मैटेरियल आपूर्ति का भुगतान।
- 6- 29/10/20 57575.00 प्रकाश इंटर प्राइजेज़ को पंचायत भवन निर्माण में बिलडिंग मैटेरियल आपूर्ति का भुगतान।
- 7- 24/11/20 112454.00 प्रकाश इंटर प्राइजेज़ को पंचायत भवन निर्माण में बिलडिंग मैटेरियल आपूर्ति का भुगतान।
- 8- 23/12/20 86939.00 प्रकाश इंटर प्राइजेज़ को पंचायत भवन निर्माण में बिलडिंग मैटेरियल आपूर्ति का भुगतान।
- 9- 06/02/21 87723.00 प्रकाश इंटर प्राइजेज़ को पंचायत भवन निर्माण में बिलडिंग मैटेरियल आपूर्ति का भुगतान।
- 10- 12/02/21 149500.00 प्रकाश इंटर प्राइजेज़ को पंचायत भवन निर्माण में बिलडिंग मैटेरियल आपूर्ति का भुगतान।
- 11- 13/02/21 122500.00 प्रकाश इंटर प्राइजेज़ को पंचायत भवन निर्माण में बिलडिंग मैटेरियल आपूर्ति का भुगतान।

योग 1075879.00

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं -

(क) पंचायत भवन निर्माण की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36,नियम 218 (क) का उल्लंघन किया गया।

(ख) पंचायत भवन निर्माण का स्टीमेट, वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152,नियम 156 का उल्लंघन किया गया।

(ग) सामाग्री आपूर्ति हेतु टेंडर आमंत्रण की पुष्टि में कोई प्रपत्र जैसे - टेण्डर नोटिस, दैनिक समाचार पत्र की कटिंग, पंजीकृत फर्मों/ठेकेदारों द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र एवं आवश्यक अन्य संलग्नकों सहित पूर्ण भरे गए टेण्डर फार्म, धरोहर धनराशि की रसीद(उ०प्र०पंचायत राज नियमावली 1947 में निर्धारित प्रपत्र रूप पत्र -7), फर्मों के तुलनात्मक चार्ट, स्वीकृत फर्म को सामाग्री आपूर्ति का आदेशलेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि सामाग्री क्रय में पारदर्शी क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07 के खण्ड (4), खण्ड 5(4), खण्ड 5(2), खण्ड 5(5) एवं शासनादेश संख्या-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितंबर 2008 का उल्लंघन किया गया।

(घ) पंचायत भवन निर्माण कार्य हेतु क्रय सामाग्री का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान, मस्टररोल, एम० बी०, कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -08 के खण्ड 7, खण्ड 8 (क), खण्ड -11 का उल्लंघन किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 1075879.0 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित विकास रावत (ग्राम विकास अधिकारी) से रुपया 537939.50 एवं देवता प्रसाद (ग्राम प्रधान) से रुपया 358078.0 एवं श्री विकास चन्द्र दूबे (प्रशासक से) रुपया 179861.50 किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या 21)

प्रस्तर 82- विद्यालय कायाकल्प पर व्यय :- लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में ग्राम पंचायत के विद्यालय कायाकल्प कार्य पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रमसंख्या दिनांक धनराशि फर्म का नाम

1- 27/02/2021 186343.0 प्रकाश इंटर प्राइजेज़ को विद्यालय कायाकल्प कार्य पर मैटेरियल आपूर्ति का भुगतान।

परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं -

(क) विद्यालय कायाकल्प की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36,नियम 218 (क) का उल्लंघन किया गया।

(ख) विद्यालय कायाकल्प का स्टीमेट, वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152,नियम 156 का उल्लंघन किया गया।

(ग) सामाग्री आपूर्ति हेतु टेंडर आमंत्रण की पुष्टि में कोई प्रपत्र जैसे - टेण्डर नोटिस, दैनिक समाचार पत्र की कटिंग, पंजीकृत फर्मों/ठेकेदारों द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र एवं आवश्यक अन्य संलग्नकों सहित पूर्ण भरे गए टेण्डर फार्म, धरोहर धनराशि की रसीद(उ०प्र०पंचायत राज नियमावली 1947 में निर्धारित प्रपत्र रूप पत्र -7), फर्मों के तुलनात्मक चार्ट, स्वीकृत फर्म को सामाग्री आपूर्ति का आदेशलेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि सामाग्री क्रय में पारदर्शी क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07 के खण्ड (4), खण्ड 5(4), खण्ड 5(2), खण्ड 5(5) एवं शासनादेश संख्या-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितंबर 2008 का उल्लंघन किया गया।

(घ) विद्यालय कायाकल्प कार्य हेतु क्रय सामाग्री का व्यय वाउचर, डिलवरी चालान, मस्टररोल, एम० बी०, कार्य पूर्ति एवं उपभोग

प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7, खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उल्लंघन किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 186343.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित विकास रावत (ग्राम विकास अधिकारी) से रुपया 93171.50 एवं विकास चन्द्र दूबे (प्रशासक) से रुपया 93171.50 किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या 22)

42- ग्राम पंचायत डिलवल विकास खण्ड मवई वर्ष 2020-21

प्रस्तर 83- विद्यालय कायाकल्प पर व्यय :- लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में ग्राम पंचायत के विद्यालय कायाकल्प कार्य पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रम संख्या दिनांक धनराशि फर्म का नाम

1- 06/03/2021 134828.00 फुरकान ट्रेडर्स को विद्यालय कायाकल्प कार्य पर मैटेरियल आपूर्ति का भुगतान।

2- 08/03/2021 124634.00 पुत्तन हार्डवेयर को विद्यालय कायाकल्प कार्य पर मैटेरियल आपूर्ति का भुगतान।
योग 259462.00

परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं -

(क) विद्यालय कायाकल्प कार्य में प्रयुक्त सामग्री का एम० बी० , कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 , खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उल्लंघन किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 259462.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया जाता है। अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित नरेंद्र वर्मा (ग्राम पंचायत अधिकारी) से रुपया 129731.00 एवं श्री विकास चन्द्र दूवे (प्रशासक) से रुपया 129731.00 किया जाना अपेक्षित है।

43 - ग्राम पंचायत गयासपुर, विकास खण्ड तारुन वर्ष 2020-21

प्रस्तर 84- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि केंद्रीय वित्त के खाता सं० 3832145280 से विभिन्न तिथियों में धनराशि का आहरण कर व्यय किया जाना दर्शित है जिसका विवरण निम्न है-

क्र०	दिनांक	चेक सं०	विवरण	धनराशि
1.	30/09/2020	पी एफ एम एस	अज्ञात व्यय	116422.00
2.	30/09/2020	पी एफ एम एस	अज्ञात व्यय	143290.00
3.	08/12/2020	पी एफ एम एस	अज्ञात व्यय	150394.00
4.	11/12/2020	पी एफ एम एस	अज्ञात व्यय	67502.00
5.	19/03/2021	पी एफ एम एस	अज्ञात व्यय	168199.00
			योग-	645807.00

विवरण से स्पष्ट है की विभिन्न तिथियों में पी एफ एम एस द्वारा क्रमांक 1 से 5 तक कुल रु० 645807.00 की धनराशि का आहरण कर व्यय किया गया। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार उक्त धनराशियाँ विभिन्न तिथियों में आहरित है आहरित धनराशि कहाँ - कहाँ किस मद पर व्यय की गई विवरण लेखा परीक्षा के दौरान अप्राप्त रहा।

आहरण की गई धनराशि का विवरण न दिया जाना लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराया जाना ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।" साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रु० 645807.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमतीकुसुम से रु० 322903.50 एवं सचिव ग्राम पंचायत श्रीभूपेंद्र सिंह से रु० 322903.50 संयुक्त रूप से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

44- ग्राम पंचायत बेलगरा विकास खण्ड तारुन वर्ष 2020-21

प्रस्तर 85-ग्राम पंचायत बेलगारा की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य

19.06.2020	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	19066.00	
08.07.2020	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	19108.00	
03.09.2020	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	19067.00	
03.09.2020	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	19086.00	
10.09.2020	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	19052.00	
10.09.2020	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	19044.00	
23.09.2020	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय	26787.00	

योग- 141210.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

1. हैण्डपम्प मरम्मत व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
2. उक्त वेंडर/फर्म हैण्डपम्प मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।
3. एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के मरम्मत कराकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्रामपंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी वसूली ग्राम-प्रधान श्री रामधारी से रु० 70605.00 एवं ग्राम सचिव श्री भूपेन्द्र सिंह से रु० 70605.00 बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

45 -ग्राम पंचायत केवलापुर विकास खण्ड तारुन वर्ष 2020-21

प्रस्तर 86-ग्राम पंचायत केवलापुर की आडिट वर्ष 2020-21 में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0

10.09.2020	ह्यूम पाइप क्रय हेतु श्री राघव इंटरप्राइजेज	90600.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार है:-

- 1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 2-उक्त वेंडर/फर्म सोलर मरम्मत/स्ट्रीट लाइट मरम्मत/ ह्यूम पाइप बिक्री आदि का कार्य एक साथ करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 3-बिना किसी कार्य योजना पर आवश्यकता के उक्त प्रकार के क्रय पर शासन द्वारा लगाई गई रोक के बावजूद विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु एक साथ ह्यूम पाइप क्रय किया जाना अनियमित एवं वसूली योग्य है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती सावित्री से रु० 45300.00 एवं ग्राम सचिव श्री भूपेन्द्र सिंह से रु० 45300.00 बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 87- लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत हैदरगंज की कैश बुक में दिनांक-17.03.2021 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 23818.00 दर्शित किया गया है। इसी प्रकार दिनांक 18.03.2021 को स्टेशनरी व्यय दर्शित कर रु. 18500.00 व्यय किए गए हैं। कुल धनराशि रु. 42318.00 की पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती पुष्पा से रु. 21159.00 एवं ग्राम सचिव श्री अतुल वर्मा से रु. 21159.00 बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

47- ग्राम पंचायत थरियाकला

विकास खण्ड तारुन

वर्ष 2020-21

प्रस्तर 88- ग्राम पंचायत थरियाकला की आडिट 2020-21 में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक विवरण धनराशि रु0

11.11.2020 ह्यूम पाइप क्रय 70503.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-बिना किसी कार्य योजना पर आवश्यकता के उक्त प्रकार के क्रय पर शासन द्वारा लगाई गई रोक के बावजूद विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु एक साथ ह्यूम पाइप क्रय किया जाना अनियमित एवं वसूली योग्य है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती सावित्री से रु. 35251.50 एवं ग्राम सचिव श्री माताप्रसाद से रु. 35251.50 बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 89- लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक-25.12.2020 को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु. 82060.00 दर्शित किया गया है। इसकी पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित बैंक खाता स्टेटमेंट/उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती सावित्री से रु. 41030.00 एवं ग्राम सचिव श्री माताप्रसाद से रु. 41030.00 बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

48- ग्राम पंचायत सुरवारी विकास खण्ड सोहावल वर्ष 2020-21

प्रस्तर 90- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में कैशबुक की जाँच में पाया गया कि हैंडपंप मरम्मत एवं रिबोर हेतु विभिन्न तिथियों में धनराशि का व्यय किया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र०	दिनांक	चेक सं०	विवरण	धनराशि
1.	26/05/2020	पी एफ एम एस	हंस मशीनरी इलेक्ट्रानिक्स एंड सेनेट्री स्टोर को हैंडपंप मरम्मत हेतु वावत भुगतान	36858.00

2.	05/06/2020	पी एफ एम एस	हंस मशीनरी स्टोर को समर सेबुल व प्लाम्बरिंग कार्य वावत भुगतान	31552.00
3.	05/06/2020	पी एफ एम एस	हंस मशीनरी इलेक्ट्रानिक्स एंड सेनेट्री स्टोर को समर सेबुल व प्लाम्बरिंग कार्य वावत भुगतान	29366.00
4.	15/06/2020	पी एफ एम एस	हंस मशीनरी इलेक्ट्रानिक्स एंड सेनेट्री स्टोर को हैंडपंपमरम्मत वावत भुगतान	57812.00
5.	15/07/2020	पी एफ एम एस	हंस मशीनरी इलेक्ट्रानिक्स एंड सेनेट्री स्टोर को हैंडपंपरिबोर वावत भुगतान	28455.00
6.	05/09/2020	पी एफ एम एस	शेर दिल इंटर प्राइजेज को समर सेबुल एवं प्लाम्बरिंग कार्य वावत भुगतान	44995.00
7.	05/09/2020	पी एफ एम एस	शेर दिल इंटर प्राइजेज को हैंडपंपरिबोर वावत भुगतान	30199.00
			योग-	259237.00

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि विभिन्न तिथियों में हंस मशीनरी इलेक्ट्रानिक्स एंड सेनेट्री स्टोर एवं शेर दिल इंटर प्राइजेज द्वारा गया | नल मरम्मत के कंडम पार्ट का कोई विवरण भी नहीं प्रस्तुत किया गया। डेड स्टॉक रजिस्टर, कार्यवाही पंजिका, एवं कार्य कराये गए कार्य की पुष्टि में ग्राम पंचायत समिति सदस्यों द्वारा प्रमाण पत्र आदि व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में कोई प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे व्यय की धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी | अतः किया गया/ व्यय पूर्णतया काल्पनिक एवं अपहरित प्रतीत होता है। व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत किया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं 8(क) एवं 8 (ख) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली -1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत राजकुमार यादव ग्राम सचिव से रु० 129618.50 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता देवी से रु० 129618.50 की वसूली बराबर - बराबर हिस्सों में संयुक्त रूप से अद्यावधि मय व्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 91- वर्ष 2020-21 में ह्यूम पाइप क्रय कर भुगतान किया जाना दर्शित किया गया है विवरण निम्न प्रकार है-

दिनांक	विवरण	धनराशि
17/06/2020	साईं ट्रेडर्स को भुगतान वावत ह्यूम पाइप क्रय	56010.00

विवरण से स्पष्ट है कि दि० 17/06/2020 को साईं ट्रेडर्स से ह्यूम पाइप क्रय कर रु० 56010.00 का भुगतान कर कैशबुक में पुस्तिका एवं ह्यूम पाइप कहाँ - कहाँ लगना है आदि कुछ भी व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में प्रमाणक नहीं उपलब्ध कराये गये जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी | अतः किया गया व्यय पूर्णतया काल्पनिक एवं अपहरित प्रतीत होता है। व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक न उपलब्ध कराया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैन्युअल अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त व्यय की गयी धनराशि रु० 56010.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री राजकुमार यादव ग्राम सचिव से रु० 28005.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता देवी से रु० 28005.00 की वसूली बराबर हिस्सों में संयुक्त रूप से मय व्याज सहित वसूल किया

प्रस्तर 92- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि केंद्रीय वित्त के खाता सं० 00700100040879 से विभिन्न तिथियों में धनराशि का आहरण कर व्यय किया जाना दर्शित है जिसका विवरण निम्न है-

क्र०	दिनांक	चेक सं०	विवरण	धनराशि
1.	14/09/2020	पी एफ एम एस	अज्ञात व्यय	24815.00
2.	14/09/2020	पी एफ एम एस	अज्ञात व्यय	24445.00

3.	18/09/2020	पी एफ एम एस	अज्ञात व्यय	28895.00
4.	23/09/2020	पी एफ एम एस	अज्ञात व्यय	24087.00
5.	23/09/2020	पी एफ एम एस	अज्ञात व्यय	24930.00
6.	25/09/2020	पी एफ एम एस	अज्ञात व्यय	30199.00
7.	17/10/2020	पी एफ एम एस	अज्ञात व्यय	44005.00
			योग-	201376.00

विवरण से स्पष्ट है की विभिन्न तिथियों में पी एफ एम एस द्वारा क्रमांक 1 से 7 तक कुल रु० 201376.00 की धनराशि का आहरण कर व्यय किया गया। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार उक्त धनराशियाँ विभिन्न तिथियों में आहरित है आहरित धनराशि कहाँ - कहाँ किस मद पर व्यय की गई विवरण लेखा परीक्षा के दौरान अप्राप्त रहा। आहरित धनराशि की पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से होती है लेकिन व्यय विवरण पूर्णतया अज्ञात रहा, अप्राप्त रहा अतः आहरित धनराशि अपहरण की श्रेणी के अंतर्गत रही। आहरण की गई धनराशि का विवरण न दिया जाना या लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं 8(क) एवं 8(ख) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः आहरित धनराशि रु० 201376.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम सचिव श्री राजकुमार यादव से रु० 100688.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता देवी से रु० 100688.00 की वसूली बराबर- बराबर हिस्सों में संयुक्त रूप से मय व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

49- ग्राम पंचायत लहरापुर विकास खण्ड सोहावल वर्ष 2020-21

प्रस्तर 93 वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में भिन्न-२ प्रकार से व्यय किया जाना दर्शित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

(i) दिनांक 29/03/2021 पी एफ एम एस रवि इंटर प्राइजेज को भुगतान रु० 28000.00

(ii) दिनांक 29/03/2021 पी एफ एम एस शेर दिल इंटर प्राइजेज को भुगतान रु० 136792.00

योग- रु० 164792.00

विवरण से स्पष्ट है कि दिनांक 29/03/2021 को पी एफ एम एस द्वारा रवि इंटर प्राइजेज को रु० 28000.00 एवं 29/03/2021 को पी एफ एम एस द्वारा शेर दिल इंटर प्राइजेज को रु० 136792.00 पंचायत भवन निर्माण कार्य वावत धनराशि का आहरण कर कैशबुक में व्यय किया जाना दर्शित किया गया है व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में कोई बिल/ अभिलेख लेखा परीक्षा में व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः किया गया व्यय पूर्णतया काल्पनिक एवं अपहरित प्रतीत होता है व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक न उपलब्ध कराया जाना ग्राम पंचायत के वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है अतः व्यय की गयी धनराशि रु० 164792.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री आदेश चौधरी ग्राम सचिव से रु० 82396.00 एवं प्रशासक श्री सौरभ कुमार से रु० 82396.00 की वसूली बराबर-बराबर हिस्सों में संयुक्त

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष- 2020-21

जनपद-बाराबंकी

जनपद-बाराबंकी

संभाग - अयोध्या

प्रारूप - 04

1-ग्राम पंचायत- लालूपुर

विकासखंड-रामनगर

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर- 1 आलोच्य वर्ष 2020-21 में प्रियासॉफ्ट के अनुसार राज्य वित्त/ केन्द्रीय वित्त से रु० 3,45,594.00 आहरित करके व्यय दर्शाया गया है, किन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक ऑडिट ऑनलाइन इन्टीमेशन द्वारा तथा मौखिक एवं लिखित रूप से तथा बार बार सहायक विकास अधिकारी(पंचायत)एवं ग्राम विकास अधिकारी/सचिव से मांगें जाने के उपरांत भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण व्यय प्रमाणक विहीन रहा। लेखा परीक्षा में अन्य कोई भी पूरक अभिलेख नहीं पाया गया जिससे वर्ष में कृत व्यय की पुष्टि होती हो।

पत्रावली /और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्रामप्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए “के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत एवं ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से की जाएगी “ के अंतर्गत अधिभार योग्य है । और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा ।

उपरोक्त नियम के आलोक में एतद् द्वारा रु० 3,45,594.00 की उक्त उत्तरदाई व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती बीनू तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्ञान प्रकाश सिन्हा से बराबर मात्रा में अर्थात् प्रत्येक से रु० 172797.00 की वसूली की अपेक्षा की जाती है ।

मूल आपति संख्या 09 धनराशि रु० 3,45,594.00

2 - ग्राम पंचायत - मंडना

विकास खंड - रामनगर

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर- 2 आलोच्य वर्ष 2020-21 में प्रियासॉफ्ट/ईग्रामस्वराज के अनुसार राज्य वित्त/ केन्द्रीय वित्त से रु० 714025.00 आहरित करके व्यय दर्शाया गया है, किन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक ऑडिट ऑनलाइन इन्टीमेशन द्वारा तथा मौखिक एवं लिखित रूप से तथा बार बार सहायक विकास अधिकारी(पंचायत)एवं ग्राम विकास अधिकारी/सचिव से मांगें जाने के उपरांत भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण व्यय प्रमाणक विहीन रहा। लेखा परीक्षा में अन्य कोई भी पूरक अभिलेख नहीं पाया गया जिससे वर्ष में कृत व्यय की सत्यता की पुष्टि होती हो।

पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्रामप्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए “के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत एवं ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से की जाएगी “ के अंतर्गत अधिभार योग्य है । और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा ।

उपरोक्त नियम के आलोक में एतद् द्वारा रु० 7,14,025.00 की उक्त उत्तरदाई व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्ञान प्रकाश सिन्हा से बराबर मात्रा में अर्थात् प्रत्येक से रु० 357012.50 की वसूली की अपेक्षा की जाती है ।

मूल आपति संख्या 09 धनराशि रु० 7,14,025.00

3 - ग्राम पंचायत - चंदनापुर**विकास खंड - रामनगर****जनपद - बाराबंकी**

प्रस्तर- 3 आलोच्य वर्ष 2020-21 में प्रियासॉफ्ट/ईग्रामस्वराज के अनुसार राज्य वित्त/ केन्द्रीय वित्त से रु० 8,67,568.00 आहरित कर व्यय दर्शाया गया है। दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक ऑडिट ऑनलाइन इन्टीमेशन द्वारा तथा मौखिक एवं लिखित रूप से तथा बार बार सहायक विकास अधिकारी(पंचायत)एवं ग्राम विकास अधिकारी /सचिव से मांगें जाने के उपरांत भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया तथा प्रस्तुत कोशबही अपूर्ण थी जिसके कारण व्यय प्रमाणक विहीन रहा। लेखा परीक्षा में अन्य कोई भी पूरक अभिलेख यथा कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0, टेण्डर/कोटेशन, कार्य स्वीकृति एवं उनके उपभोग प्रमाण-पत्र, तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणक/वाउचर के साथ-साथ कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र भी नहीं प्रस्तुत किया गया अतः किसी भी अभिलेख से उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नहीं होती। अतः प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर कुल धनराशि रु० 8,67,568.00 का अपहरण किया गया है।

पत्रावली /और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्रामप्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए “के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार “यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत एवं ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से की जाएगी “ के अंतर्गत अधिभार योग्य है । और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा ।

अतः इसकी अधिभार की कार्यवाही कर ग्राम प्रधान श्री गजराज एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ज्ञान प्रकाश सिन्हा से समान रूप से अर्थात् प्रत्येक से रु० 433784.00 की वसूली की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या 19 धनराशि रु० 8,67,568.00

4 - ग्राम पंचायत - उतखरा**विकास खंड - रामनगर****जनपद - बाराबंकी**

प्रस्तर- 4 आलोच्य वर्ष 2020-21 में प्रियासॉफ्ट/ईग्रामस्वराज के अनुसार राज्य वित्त/ केन्द्रीय वित्त से रु० 921292.00 आहरित करके व्यय दर्शाया गया है एवं 15 वें केन्द्रीय वित्त से रु० 271609.00 आहरित करके व्यय दर्शाया है। इस तरह दोनों योजनाओं के अंतर्गत कुल रु० 11,92,901.00 आहरित कर व्यय दर्शाया गया है। किन्तु दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, ऑनलाइन ऑडिट इंटिमेशन द्वारा एवं मौखिक एवं लिखित रूप से ग्राम विकास अधिकारी/सचिव एवं ए0डी0ओ0 पंचायत से बार बार मांगे जाने के उपरांत भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया तथा प्रस्तुत कोशबही अपूर्ण थी । लेखा परीक्षा में अन्य कोई भी अभिलेख यथा कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0,टेण्डर/कोटेशन, कार्य स्वीकृति एवं उनके उपभोग प्रमाण-पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र नहीं पाया गया जिससे वर्ष में कृत व्यय की पुष्टि होती हो।

पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्रामप्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए “के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत एवं ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से की जाएगी “ के अंतर्गत अधिभार योग्य है । और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा । अतः इसकी अधिभार की कार्यवाही कर ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ज्ञान प्रकाश सिन्हा से समान रूप से अर्थात् प्रत्येक से रु० 596450.50 की वसूली की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या 16 धनराशि रु० 11,92,901.00

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-5 आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत शाहपुर सिदवी की कोशबही में 15 वें / केंद्र वित्त द्वारा निम्नांकित विवरणानुसार कार्यो पर व्यय किया जाना दर्शाया गया था -

क्र०	कार्य का नाम	व्यय विवरण	दिनांक	धनराशि	फर्म / आहरणकर्ता
1	ग्राम पंचायत में सामुदायिकमजदूरी शौचालय का निर्माण	मजदूरी	25/10/20	4000.00	सियाराम
		ईंट क्रय	25/10/20	2000.00	राम सिंह
		मजदूरी	26/10/20	90101.00	कन्हैया ब्रिकफील्ड
		मजदूरी	26/10/20	4000.00	अखिलेश कुमार
		सामग्री	26/10/20	91423.00	पॉल ट्रेडर्स
		मजदूरी	08/11/20	4000.00	मो० मुकीम
		मजदूरी	10/11/20	4000.00	मो० मुकीम
		मजदूरी	19/12/20	1200.00	अखिलेश कुमार
		ईंट क्रय	23/12/20	2849.00	कन्हैया ब्रिकफील्ड
		सामग्री	23/12/20	20351.00	पॉल ट्रेडर्स
		मजदूरी	23/12/20	1000.00	सियाराम
		मजदूरी	23/12/20	2000.00	सियाराम
		मजदूरी	23/12/20	6800.00	अखिलेश कुमार
		सामग्री	23/12/20	55100.00	आकाश इंटरप्राइजेज
		सामग्री	04/02/21	47486.00	पॉल ट्रेडर्स
2	पंचायत भवन का निर्माण	सामग्री	23/02/21	71384.00	पॉल ट्रेडर्स
		दरवाजा क्रय	16/03/21	16497.00	सुरेश कुमार
		सटरिंग	16/03/21	25000.00	सुरेश कुमार
		सामग्री	16/03/21	101852.00	पॉल ट्रेडर्स
		मिट्टी ढुलाई	16/03/21	4830.00	सुरेश कुमार
		योग		555873.00	

उक्त कराये गए कार्यो के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयीं-

1 - उपरोक्त कार्यो के सापेक्ष क्रय की गयी सामग्रियों के बिल बाउचर तथा मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यो की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण उपरोक्त क्रीत सामग्रियों तथा मजदूरी भुगतान से व अन्य व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यो पर बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 555873.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथास्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

2 - उपरोक्त कार्यो से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में रुपये 20000.00 से अधिक मूल्य की सामग्रियों का क्रय किया गया था , किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या

ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक २३ सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी। कोटेशन / टेंडर से सम्बंधित पत्रावलियों को सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

3 -उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा । मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4 --उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा, जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण/ संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

उपरोक्त आपतियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 555873.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः ऐसी स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात् प्रत्येक से रुपये 277936.50 वसूल किया जाना अपेक्षित होगा । अतः रुपये 144412.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सरला देवी से व रुपये 133524.50 की वसूली श्री प्रमोद श्रीवास्तव (प्रशासक) से तथा रुपये 99762.00 की वसूली श्री वीरेंद्र कुमार(सचिव) व रुपये 178174.50 की वसूली श्री उत्तम कुमार (सचिव) तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिवों, से की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपति संख्या - 23 धनराशि - 555873.00

प्रस्तर -6 आलोच्य वर्ष 2020-21 मे ग्राम पंचायत शाहपुर सिदवी की कोशबही मे 5 वें राज्य वित्त द्वारा निम्नांकित विवरणानुसार कार्यों पर व्यय किया जाना दर्शाया गया था -

क्र०	कार्य का नाम	व्यय विवरण	दिनांक	धनराशि	फर्म / आहरणकर्ता
1	हैंडपम्प मरम्मत	मजदूरी	14/08/20	5100.00	सत्यनाम
		सामग्री	14/08/20	15450.00	आकाश इंटरप्रा०
		मजदूरी	14/08/20	4500.00	सत्यनाम
		सामग्री	14/08/20	14820.00	आकाश इंटरप्रा०
		सामग्री	18/09/20	16100.00	आकाश इंटरप्रा०
		मजदूरी	18/09/20	3900.00	सत्यनाम
		सामग्री	12/11/20	13250.00	आकाश इंटरप्रा०
		मजदूरी	12/11/20	6500.00	सत्यनाम
		मजदूरी	23/11/20	6500.00	सत्यनाम
		सामग्री	30/11/20	15200.00	पटेल लोहा भंडार
		मजदूरी	30/11/20	4800.00	सत्यनाम
		सामग्री	05/12/20	15150.00	आकाश इंटरप्रा०
		मजदूरी	05/12/20	4500.00	सत्यनाम
		सामग्री	05/12/20	12150.00	आकाश इंटरप्रा०
		मजदूरी	05/12/20	6500.00	सत्यनाम
		सामग्री	21/12/20	15080.00	वर्मा इंटरप्रा०
		मजदूरी	21/12/20	4800.00	सत्यनाम
		सामग्री	21/12/20	15010.00	आकाश इंटरप्रा०
		मजदूरी	21/12/20	4800.00	सत्यनाम
		सामग्री	17/02/21	15050.00	वर्मा इंटरप्रा०
		मजदूरी	17/02/21	4500.00	सत्यनाम
		सामग्री	23/03/21	15075.00	वर्मा इंटरप्रा०

		मजदूरी	23/03/21	4500.00	चेतराम
		सामग्री	23/03/21	15010.00	वर्मा इंटरप्रा०
		मजदूरी	23/03/21	4500.00	चेतराम
2	हैंडपम्प रिबोर	सामग्री	12/11/20	45310.00	आकाश इंटरप्रा०
		मजदूरी	12/11/20	22570.00	सत्यनाम
3	हैंडपम्प रिबोर	सामग्री	16/03/21	12128.00	वर्मा इंटरप्रा०
	(राकेश के दरवाजे)	मजदूरी	16/03/21	20231.00	चेतराम
4	विजय के घर से	सामग्री	23/11/20	20223.00	पाल ट्रेडर्स
	इंटरलॉकिंग तक नाली	मजदूरी	23/11/20	12040.00	अखिलेश कुमार
	निर्माण	ईट क्रय	23/11/20	27776.00	कन्हैया ब्रिकफील्ड
5	फूलचंद के घर से	सामग्री	23/11/20	19826.00	पाल ट्रेडर्स
	इंटरलॉकिंग तक नाली	मजदूरी	23/11/20	10432.00	मो० मुकीम
	निर्माण	ईट क्रय	23/11/20	20832.00	कन्हैया ब्रिकफील्ड
6	सामुदायिक शौचालय	शटरिंग पर	21/12/20	5000.00	अज्ञात
	का निर्माण	व्यय			
		समरसेबल	02/02/21	7500.00	सत्यनाम
		बोरिंग			
7	कंटीजेन्सी व्यय	कंटीजेन्सी व्यय	21/12/20	18225.00	वर्मा इंटरप्रा०
		योग		484838.00	

उक्त कराये गए कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयीं-

1 - उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष क्रय की गयी सामग्रियों के बिल बाउचर तथा मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यों की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण उपरोक्त क्रीत सामग्रियों तथा मजदूरी भुगतान से व अन्य व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों पर बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 484838.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथास्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

2 - उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में रुपये 20000.00 से अधिक मूल्य की सामग्रियों का क्रय किया गया था ,किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक २३ सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी। कोटेशन / टेंडर से सम्बंधित पत्रावलियों को सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

3 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4--उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्यों का कार्यपूति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा , जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण/ संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

उपरोक्त आपतियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 484838.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः ऐसी स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात प्रत्येक से रुपये 242419.00 वसूल किया जाना अपेक्षित होगा। अतः रुपये 193172.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सरला देवी से व रुपये 49247.00 की वसूली श्री प्रमोद श्रीवास्तव (प्रशासक) से तथा रुपये 142564.50 की वसूली श्री वीरेंद्र कुमार(सचिव) व रुपये 99854.50 की वसूली श्री उत्तम कुमार(सचिव) तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिवों, से की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपति संख्या - 22 धनराशि - 484838.00

6- ग्राम पंचायत - मकनपुर

विकास खंड - त्रिवेदीगंज

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर -7 आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत मकनपुर की कोशबही में 15 वें / केंद्र वित्त द्वारा निम्नलिखित विवरणानुसार कार्यों पर व्यय किया जाना दर्शाया गया था -

क्र०	कार्य का नाम	व्यय विवरण	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम / आहरणकर्ता
1	ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय का निर्माण	ईंट क्रय	15/10/20	94032.00	रामशंकरब्रिकफील्ड
		सामग्री	15/10/20	75127.00	पॉल ट्रेडर्स
		सामग्री	15/10/20	21996.00	पॉल ट्रेडर्स
		मजदूरी	10/12/20	6400.00	सुनील कुमार (राजगीर)
		मजदूरी	10/12/20	6400.00	सगीर(राजगीर)
		सामग्री	14/12/20	54779.00	पॉल ट्रेडर्स
		वाल पेंटिंग	14/12/20	4800.00	संजय जगदीश/
		सामग्री	14/12/20	7531.00	पटेल लोहा भंडार
		ईंट क्रय	27/03/21	2165.00	रामशंकरब्रिकफील्ड
		सामग्री	27/03/21	56040.00	पटेल लोहा भंडार
		मजदूरी	27/03/21	34800.00	संजय (राजगीर)
		फोटो कॉपी	28/03/21	5850.00	रमाकांत तिवारी
2	हैंडपम्प मरम्मत कार्य	मजदूरी	14/12/20	4800.00	सत्यनाम
		सामग्री	08/03/21	16000.00	पटेल लोहा भंडार
		सामग्री	08/03/21	16000.00	पटेल लोहा भंडार
		सामग्री	22/03/21	15330.00	पटेल लोहा भंडार

		मजदूरी	22/03/21	4500.00	सत्यनाम
		सामग्री	27/03/21	13250.00	सत्यनाम
		मजदूरी	27/03/21	6500.00	सत्यनाम
		मजदूरी	28/03/21	3900.00	सत्यनाम
3	सोलर लाइट मरम्मत कार्य	सामग्री मजदूरी /	18/12/20	84000.00	वंदेश्वरी कान्हेसान एंड सुपीरियन्ट वैशाली / कान्स्ट्रक्टर एंड सप्लायर
			योग	534200.00	

उक्त कराये गए कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयीं---

1-उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष क्रय की गयी सामग्रियों के बिल बाउचर तथा मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यों की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण उपरोक्त क्रीत सामग्रियों तथा मजदूरी भुगतान से व अन्य व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों पर बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 534200.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथास्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

2 -उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में रुपये 20000.00 से अधिक मूल्य की सामग्रियों का क्रय किया गया था ,किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी। कोटेशन / टेंडर से सम्बंधित पत्रावलियों को सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

3 -उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा । मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4 --उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा, जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण/ संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

6- क्रम संख्या 3 पर अंकित कार्य सोलर लाइट मरम्मत कार्य हेतु कोश बही के अनुसार दिनांक 18/12/2020 को रू० 84000.00 का भुगतान वंदेश्वरी कान्हेसान एंड सुपीरियन्ट नामक फर्म को किया गया था जबकि अग्रामस्वराज पोर्टल पर अंकित व्यय विवरण के अनुसार उक्त भुगतान वैशाली कान्स्ट्रक्टर एंड सप्लायर को किया

गया था | स्पष्टतः यहाँ कूटरचित ढंग से विवरण अंकित कर उक्त व्यय दर्शित धनराशि रु० 84000.00 का ग्राम पंचायत सचिव / ग्राम प्रधान द्वारा मिलकर अपहरण कर लिया गया |

उपरोक्त आपतियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 534200.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः ऐसी स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात् प्रत्येक से रुपये 267100.00 वसूल किया जाना अपेक्षित होगा | अतः रुपये 179932.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती नगमा बानो से व रुपये 87167.50 की वसूली श्री प्रमोद श्रीवास्तव (ए.डी.ओ. पंचायत / प्रशासक 26/12/2020 से 31/03/2021 तक) से तथा रुपये 267100.00 की वसूली श्री वीरेंद्र कुमार तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव, से की जानी अपेक्षित है |

मूल आपति संख्या - 3 धनराशि -

534200.00

प्रस्तर -8 आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत मकनपुर की कोशबही में राज्य वित्त / पंचम वित्त द्वारा निम्नोक्त विवरणानुसार कार्यो पर व्यय किया जाना दर्शाया गया था -

क्र०	कार्य का नाम	व्यय विवरण	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम / आहरणकर्ता
01	हैंडपम्प मरम्मत	सामग्री	23/07/20	14840.00	आकाश इंटरप्रा०
		मजदूरी	23/07/20	4500.00	सत्यनाम
		सामग्री	01/08/20	15350.00	आकाश इंटरप्रा०
		मजदूरी	01/08/20	5100.00	सत्यनाम
		सामग्री	30/09/20	13250.00	पटेल लोहा भंडार
		मजदूरी	29/09/20	6500.00	सत्यनाम
		सामग्री	01/10/20	15200.00	आकाश इंटरप्रा०
		मजदूरी	01/10/20	4800.00	सत्यनाम
		सामग्री	01/10/20	15150.00	आकाश इंटरप्रा०
		मजदूरी	01/10/20	4800.00	सत्यनाम
		सामग्री	31/10/20	15100.00	पटेल लोहा भंडार
		मजदूरी	31/10/20	4800.00	सत्यनाम
		सामग्री	11/11/20	15150.00	पटेल लोहा भंडार
		मजदूरी	11/11/20	4500.00	सत्यनाम
		सामग्री	11/11/20	15400.00	पटेल लोहा भंडार
		मजदूरी	11/11/20	4800.00	सत्यनाम
02	हैंडपम्प मरम्मत	सामग्री	14/12/20	16000.00	सत्यनाम
		मजदूरी	14/12/20	3900.00	सत्यनाम
		सामग्री	14/12/20	16000.00	पटेल लोहा भंडार

		मजदूरी	14/12/20	3900.00	सत्यनाम
		सामग्री	23/12/20	15250.00	सत्यनाम
		मजदूरी	23/12/20	4800.00	सत्यनाम
		मजदूरी	08/02/21	4550.00	सत्यनाम
		सामग्री	17/02/21	15860.00	सत्यनाम
		सामग्री	17/02/21	15330.00	पटेल लोहा भंडार
		सामग्री	17/02/21	15350.00	सत्यनाम
		मजदूरी	17/02/21	3900.00	सत्यनाम
		मजदूरी	17/02/21	4500.00	सत्यनाम
03	हैंडपम्प रिबोर प्रार्थविद्यालय) (मकनपुर मे	सामग्री	17/12/20	40832.00	पटेल लोहा भंडार
		मजदूरी	22 12/20/	1773500.	अशोक मिस्त्री
04	विक्रम के घर से कल्लन के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	सामग्री	09/05/20	23768.00	पाल ट्रेडर्स
		मजदूरी	09/05/20	13410.00	नगमा बानो
		ईंट क्रय	09/05/20	38640.00	रामशंकरब्रिकफील्ड
		इंटरलॉकईंटक्र य	09/05/20	74340.00	कृष्णा इंटरप्राइजेज
		सामग्री	02/06/20	32968.00	पाल ट्रेडर्स
		मजदूरी	02/06/20	17808.00	नगमा बानो
		ईंट क्रय	02/06/20	19335.00	रामशंकरब्रिकफील्ड
		इंटरलॉकईंटक्र य	02/06/20	21682.00	कृष्णा इंटरप्राइजेज
		फोटो	02/06/20	300.00	रमाकांत तिवारी
05	राजकुमार के घर से सुंदर काली तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	सामग्री	02/06/20	26778.00	पाल ट्रेडर्स
		मजदूरी	02/06/20	18486.00	नगमा बानो
		ईंट क्रय	02/06/20	28128.00	रामशंकरब्रिकफील्ड
		इंटरलॉकईंटक्र य	02/06/20	85317.00	कृष्णा इंटरप्राइजेज
		फोटो	02/06/20	500.00	रमाकांत तिवारी

06	नेशनल हाइवे से गजप्फरपुरवा रोड तक इंटरलॉकिंग कार्य	सामग्री	14/09/20	41927.00	पाल ट्रेडर्स
		मजदूरी	15/09/20	27286.00	गुलफाम जहीर / दिलशाद // जफरल / संजय / सुनील / सगीर
		ईट क्रय	14/09/20	41272.00	जयमाँदुर्गेब्रिकफील्ड
		इंटरलॉकईटक्रय	14/09/20	125337.00	कृष्णा इंटरप्राइजेज
07	कंटीजेन्सी	कुर्सी, मेज आदि क्रय	23/09/20	12950.00	संजय कुमार
		प्रशासनिक व्यय	20/03/21	5380.00	श्रीराधे इन्फोटेक
8	ह्यूम पाइप क्रय	ह्यूम पाइप क्रय	22/12/20	63996.00	उजाला इंडस्ट्रीज
		योग		1056755.00	

उक्त कराये गए कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयीं-

1 - उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष क्रय की गयी सामग्रियों के बिल बाउचर तथा मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यों की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण उपरोक्त क्रीत सामग्रियों तथा मजदूरी भुगतान से व अन्य व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों पर बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 1056755.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्रविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथास्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

2 - उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में रुपये 20000.00 से अधिक मूल्य की सामग्रियों का क्रय किया गया था , किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक २३ सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी। कोटेशन / टेंडर से सम्बंधित पत्रावलियों को सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

3 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4 --उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्यों का कार्यपूति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा, जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण / संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

उपरोक्त आपतियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 1056755.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः ऐसी स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात् प्रत्येक से रुपये 528377.50 वसूल किया जाना अपेक्षित होगा। अतः रुपये 495942.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती नगमा बानो से व रुपये 32435.00 की वसूली श्री प्रमोद श्रीवास्तव (ए.डी.ओ. पंचा./प्रशासक 26/12/2020 से 31/03/2021 तक) से तथा रुपये 528377.50 की वसूली श्री वीरेंद्र कुमार तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव, से की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपति संख्या - 5 धनराशि -

1056755.00

7 - ग्राम पंचायत - मोहम्मदपुर विकास खंड - त्रिवेदीगंज जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-9 आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर की कोशबही में 15 वें / केंद्र वित्त द्वारा निम्नांकित विवरणानुसार कार्यों पर व्यय किया जाना दर्शाया गया था -

क्र०	कार्य का नाम	व्यय विवरण	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम / आहरणकर्ता
1	हैंडपम्प मरम्मत	सामग्री	30/10/20	15470.00	वर्मा हार्डवेयर
		मजदूरी	30/10/20	4500.00	अशोक कुमार
		सामग्री	30/10/20	15440.00	वर्मा हार्डवेयर
		मजदूरी	30/10/20	4500.00	अशोक कुमार
		मजदूरी	19/12/20	4500.00	अशोक कुमार
		मजदूरी	17/03/21	4500.00	अशोक कुमार
		सामग्री	20/03/21	15310.00	अशोक कुमार
		सामग्री	20/03/21	15380.00	वर्मा हार्डवेयर
		सामग्री	28/03/21	15310.00	वर्मा हार्डवेयर
		मजदूरी	28/03/21	4500.00	अशोक कुमार
2	हैंडपम्प रिबोर कार्य	सामग्री	28/03/21	7000.00	कृष्णा इंटरप्राइजेज
		सामग्री	28/03/21	11186.00	वर्मा हार्डवेयर
		मजदूरी	28/03/21	11585.00	अशोक कुमार
			योग	129181.00	

उक्त कराये गए हैंडपम्प मरम्मत / रिबोर कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपतियां पायी गयीं---

1- उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष क्रय की गयी सामग्रियों के बिल बाउचर तथा मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यों की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण उपरोक्त क्रीत सामग्रियों तथा मजदूरी भुगतान से व अन्य व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त हैंडपम्प मरम्मत / रिबोर कार्यों पर बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 129181.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ",

के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथास्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

2 - उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में सामग्रियों का क्रय किया गया था ,किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी। कोटेशन / टेंडर से सम्बंधित पत्रावलियों को सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

3 -उपरोक्त कराये गए कार्यों का प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा । मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4 --उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा, जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण/ संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

उपरोक्त आपतियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 129181.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः ऐसी स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात् से रुपये 64590.50 वसूल किया जाना अपेक्षित होगा । अतः रुपये 22205.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री अभय प्रताप सिंह से व रुपये 42385.50 की वसूली श्री प्रमोद श्रीवास्तव (ए.डी.ओ. पंचायत / प्रशासक 26/12/2020 से 31/03/2021 तक) से तथा रुपये 64590.50 की वसूली श्री वीरेंद्र कुमार तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव, से की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपति संख्या - 2 धनराशि - 129181.00

प्रस्तर -10 आलोच्य वर्ष 2020-21 मे ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर की कोशबही मे राज्य वित्त / पंचम वित्त द्वारा निम्नांकित विवरणानुसार कार्यों पर व्यय किया जाना दर्शाया गया था -

क्र०	कार्य का नाम	व्यय विवरण	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम / आहरणकर्ता
01	छोटेलाब के घर से तालाब तक नाली निर्माण	मजदूरी	30/04/20	1892.00	---
		सामग्री	30/04/20	3446.00	कृष्णा इंटरप्राइजेज
		ईट क्रय	30/04/20	5634.00	रामशंकर ब्रिकफील्ड
02	देवस्थान पर चबूतरा निर्माण	सामग्री	30/04/20	32026.00	कृष्णा इंटरप्राइजेज
		मजदूरी	30/04/20	20366.00	---
		ईट क्रय	30/04/20	20685.00	रामशंकर ब्रिकफील्ड
03	अभय के नाभदान से कोल्हू तक नाली निर्माण	ईट क्रय	01/09/20	18033.00	रामशंकर ब्रिकफील्ड
		सामग्री	01/09/20	18718.00	कृष्णा इंटरप्राइजेज
		मजदूरी	01/09/20	8040.00	सुरेन्द्र प्रताप सिंह

04	विवरण विहीन कार्य	ईट क्रय	19/12/20	10147.00	रामशंकर ब्रिकफील्ड
		सामग्री	19/12/20	28371.00	कृष्णा इंटरप्राइजेज
		मजदूरी	19/12/20	8800.00	सुरेन्द्र प्रताप सिंह
05	नाइब के घर से साइफन तक नाली निर्माण	मजदूरी	04/03/21	12840.00	अभय प्रताप सिंह
		सामग्री	04/03/21	28407.00	कृष्णा इंटरप्राइजेज
		ईट क्रय	04/03/21	30199.00	रामशंकरब्रिकफील्ड
		सामग्री	28/03/21	15250.00	कृष्णा इंटरप्राइजेज
		मजदूरी	28/03/21	4500.00	सुरेन्द्र प्रताप सिंह
06	अज्ञात कार्य हेतु ऑनलाइन भुगतान	ऑनलाइन भुगतान	30/04/20	25000.00	अज्ञात
		ऑनलाइन भुगतान	02/06/20	44900.00	अज्ञात
		ऑनलाइन भुगतान	30/10/20	15000.00	अभय प्रताप सिंह
		ऑनलाइन भुगतान	27/02/21	4545.00	श्री राधे इन्फोटेक
07	हैंडपम्प मरम्मत	सामग्री	15/07/20	15450.00	वर्मा हार्डवेयर
		मजदूरी	15/07/20	4500.00	अशोक कुमार
		सामग्री	16/07/20	16270.00	वर्मा हार्डवेयर
		मजदूरी	16/07/20	3600.00	अशोक कुमार
		सामग्री	16/07/20	15390.00	वर्मा हार्डवेयर
		मजदूरी	16/07/20	4500.00	अशोक कुमार
		मजदूरी	19/02/21	4200.00	अशोक कुमार
		सामग्री	19/02/21	15475.00	वर्मा हार्डवेयर
		सामग्री	28/03/21	15310.00	वर्मा हार्डवेयर
		मजदूरी	28/03/21	4500.00	कृष्णा इंटरप्राइजेज
8	ह्यूम पाइप क्रय	ह्यूम पाइप क्रय	19/12/20	21712.00	बरौली ह्यूम पाइप
9	हैंडपम्प रिबोर - संतलाल के दरवाजे	मजदूरी	01/09/20	12821.00	अशोक कुमार
		सामग्री	01/09/20	7050.00	कृष्णा इंटरप्राइजेज
		सामग्री	01/09/20	12238.00	वर्मा हार्डवेयर
10	हैंडपम्प रिबोर - काशी प्रसाद के दरवाजे	मजदूरी	01/09/20	12881.00	अशोक कुमार
		सामग्री	01/09/20	12338.00	वर्मा हार्डवेयर
10	हैंडपम्प रिबोर - काशी प्रसाद के दरवाजे	मजदूरी	01/09/20	12881.00	अशोक कुमार
		सामग्री	01/09/20	12338.00	वर्मा हार्डवेयर
		सामग्री	01/09/20	7000.00	कृष्णा इंटरप्राइजेज
			योग	566913.00	

उक्त कराये गए कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयीं-

1-उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष क्रय की गयी सामग्रियों के बिल बाउचर तथा मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यों की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण उपरोक्त क्रीत सामग्रियों तथा मजदूरी भुगतान से व अन्य व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों पर बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 567313.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथास्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

2 -उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में रुपये 20000.00 से अधिक मूल्य की सामग्रियों का क्रय किया गया था ,किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक २३ सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी। कोटेशन / टेंडर से सम्बंधित पत्रावलियों को सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

3 -उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4 --उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा , जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण/ संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 56913.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव में पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः ऐसी स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात् प्रत्येक से रुपये 283656.50 वसूल किया जाना अपेक्षित होगा। अतः रुपये 216043.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्री अभय प्रताप सिंह से व रुपये 67213.00 की वसूली श्री प्रमोद श्रीवास्तव (ए.डी.ओ. पंचा।/प्रशासक 26/12/2020 से 31/03/2021 तक) से तथा रुपये 283656.50 की वसूली श्री वीरेंद्र कुमार तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव, से की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या - 1 धनराशि

- 566913.00

8- ग्राम पंचायत - अलादादपुर

विकास खंड - त्रिवेदीगंज

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर -11 आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत अलादादपुर की कोशबही में 15 वें / केंद्र वित्त द्वारा निम्नलिखित विवरणानुसार कार्यों पर व्यय किया जाना दर्शाया गया था -

क्र०	कार्य का नाम	व्यय विवरण	दिनांक	धनराशि	फर्म / आहरणकर्ता
1	ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय का निर्माण	कार्टरेज	08/10/20	1190.00	अमित ट्रेडर्स
		ईट क्रय	08/10/20	22543.00	माया ब्रिकफील्ड
		सामग्री	08/10/20	45211.00	अमित ट्रेडर्स
		मजदूरी	09/10/20	4800.00	संतोष कुमार

		मजदूरी	30/10/20	6400.00	संतोष कुमार
		सामग्री	30/10/20	31732.00	अमित ट्रेडर्स
		ईट क्रय	30/10/20	16600.00	माया ब्रिकफील्ड
		शटरिंग	30/10/20	5000.00	राजा बाबू
		ईट क्रय	29/11/20	21157.00	माया ब्रिकफील्ड
		बिजली सामग्री	29/11/20	5200.00	कृष्णा इले0
		मजदूरी	29/11/20	7600.00	राजा बाबू
		सामग्री	29/11/20	32545.00	वर्मा हार्डवेयर
		मजदूरी	29/11/20	7200.00	राजा बाबू
		सामग्री	19/12/20	20860.00	पाल ट्रेडर्स
		सामग्री	19/12/20	14571.00	पाल ट्रेडर्स
		सामग्री	19/12/20	15360.00	पाल ट्रेडर्स
2	पंचायत भवाण निर्माण	सामग्री	27/03/21	46917.00	अमित ट्रेडर्स
3	कँटीजेन्सी	सामग्री	27/03/21	11260.00	सुभाष गुप्ता
4	हैंडपम्प मरम्मत	सामग्री	27/03/21	16040.00	वर्मा हार्डवेयर
		मजदूरी	27/03/21	3900.00	लक्ष्मीनारायन
		योग	योग	336086.00	

उक्त कराये गए कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयीं---

1 - उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष क्रय की गयी सामग्रियों के बिल बाउचर तथा मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यों की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण उपरोक्त क्रीत सामग्रियों तथा मजदूरी भुगतान से व अन्य व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों पर बाउचर विहीन क्रिया गया कुल भुगतान रुपये 336086.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथास्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

2 - उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में रुपये 20000.00 से अधिक मूल्य की सामग्रियों का क्रय किया गया था ,किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी। कोटेशन / टेंडर से सम्बंधित पत्रावलियों को सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

3 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा । मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4 --उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्यों का कार्यपूति प्रमाण-पत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा, जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण/ संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

उपरोक्त आपतियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 336086.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः ऐसी स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात् प्रत्येक से रुपये 168043.00 वसूल किया जाना अपेक्षित होगा । अतः रुपये 128984.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी से व रुपये 39058.50 की वसूली श्री प्रमोद श्रीवास्तव (ए.डी.ओ. पंचायत / प्रशासक 26/12/2020 से 31/03/2021 तक) से तथा रुपये 168043.00 की वसूली श्री वीरेंद्र कुमार तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव, से की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपति संख्या - 3 धनराशि - 336086.00

प्रस्तर -12 आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत अलादादपुर की कोशबही में राज्य वित्त / पंचम वित्त द्वारा निम्नांकित विवरणानुसार कार्यों पर व्यय किया जाना दर्शाया गया था -

क्र०	कार्य का नाम	व्यय विवरण	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम / आहरणकर्ता
01	हैंडपम्प मरम्मत	सामग्री	31/08/20	16190.00	पटेल लोहा भंडार
		मजदूरी	31/08/20	3500.00	लक्ष्मीनारायन
		सामग्री	11/09/20	16450.00	वर्मा हार्डवेयर
		मजदूरी	12/09/20	3600.00	लक्ष्मीनारायन
		मजदूरी	12/09/20	3300.00	लक्ष्मीनारायन
		सामग्री	12/09/20	16450.00	वर्मा हार्डवेयर
		सामग्री	16/10/20	16450.00	वर्मा हार्डवेयर
		मजदूरी	16/10/20	3300.00	लक्ष्मीनारायन
		सामग्री	31/10/20	17300.00	वर्मा हार्डवेयर
		सामग्री	31/10/20	16000.00	वर्मा हार्डवेयर
		मजदूरी	31/10/20	3900.00	लक्ष्मीनारायन
		मजदूरी	31/10/20	2700.00	लक्ष्मीनारायन
		सामग्री	18/02/21	17145.00	पटेल लोहा भंडार
		मजदूरी	18/02/21	2700.00	अशोक कुमार
		मजदूरी	19/02/21	3900.00	लक्ष्मीनारायन
		सामग्री	20/02/21	16090.00	वर्मा हार्डवेयर
		सामग्री	04/03/21	15870.00	वर्मा हार्डवेयर
		मजदूरी	04/03/21	3900.00	लक्ष्मीनारायन
02	हैंडपम्प रिबोर (अशोक के दरवाजे)	सामग्री	15/10/20	10650.00	वर्मा हार्डवेयर
		मजदूरी	15/10/20	17869.00	लक्ष्मीनारायन
03	प्राथमिक विद्यालय अलादादपुर में मरम्मत कार्य	सामग्री	25/08/20	99120.00	अज्ञात
		सामग्री	31/08/20	23879.00	अमित ट्रेडर्स
04	आरिफ के नल से फकीर मोहम्मद के घर तक नाली निर्माण	सामग्री	04/03/21	21032.00	अमित ट्रेडर्स
		मजदूरी	04/03/21	6000.00	राजा बाबू
		ईट क्रय	04/03/21	30045.00	पवन ब्रिकफील्ड
		मजदूरी	04/03/21	5829.00	संदीप कुमार
			योग	393169.00	

उक्त कराये गए कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपतियां पायी गयीं-

1-उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष क्रय की गयी सामग्रियों के बिल बाउचर तथा मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यों की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण उपरोक्त क्रीत सामग्रियों तथा मजदूरी भुगतान से व अन्य व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों पर बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 393169.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथास्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

2 - उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में रुपये 20000.00 से अधिक मूल्य की सामग्रियों का क्रय किया गया था , किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक २३ सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी। कोटेशन / टेंडर से सम्बंधित पत्रावलियों को सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

3 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4 --उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्यों का कार्यपूति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा , जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण/ संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 393169.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः ऐसी स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात् प्रत्येक से रुपये 196584.50 वसूल किया जाना अपेक्षित होगा। अतः रुपये 135329.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी से व रुपये 61255.50 की वसूली श्री प्रमोद श्रीवास्तव (ए.डी.ओ. पंचायत / प्रशासक 26/12/2020 से 31/03/2021 तक) से तथा रुपये 196584.50 की वसूली श्री वीरेंद्र कुमार तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव, से की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या - 5 धनराशि - 393169.00

9- ग्राम पंचायत - पलिया

विकास खंड - निन्दूरा

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर -13 आलोच्य वर्ष 2020-21 मे ग्राम पंचायत पलिया की कोशबही मे 15 वें / केंद्र वित्त द्वारा निम्नकित विवरणानुसार कार्यों पर व्यय किया जाना दर्शाया गया था -

क्र०	कार्य का नाम	व्यय विवरण	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम / आहरणकर्ता
1	ग्राम पंचायत मे सामुदायिक शौचालय का निर्माण	ईट क्रय	25/12/20	102600.00	मो हाजीशाद ब्रिक. फील्ड
		निर्माणसामग्री	25/12/20	46428.00	सावित्रीदेवीकंश.

		निर्माणसामग्री	25/12/20	182845.00	गुप्ता ट्रेडर्स
2	हैंडपम्प मरम्मत	सामग्री व मजदूरी	11/02/21	22010.00	सुंदरलाल कंश एंड कंपनी
3	हैंडपम्प मरम्मत	सामग्री व मजदूरी	27/03/21	59850.00	सावित्रीदेवीकंश
4	ग्राम पंचायत मे हैंडवाश यूनिट का निर्माण	सामग्री	28/03/21	122000.00	सावित्रीदेवीकंश
		मजदूरी	28/03/21	34053.00	सावित्रीदेवीकंश
			योग	569786.00	

उक्त कराये गए कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयीं-

1-उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष क्रय की गयी सामग्रियों के बिल बाउचर तथा मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यों की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण उपरोक्त क्रीत सामग्रियों तथा मजदूरी भुगतान से व अन्य व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों पर बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 569786.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथास्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

2 -उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में रुपये 20000.00 से अधिक मूल्य की सामग्रियों का क्रय किया गया था ,किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक २३ सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी। कोटेशन / टेंडर से सम्बंधित पत्रावलियों को सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

3 -उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4 --उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा , जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण/ संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 569786.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त कराये गए कार्यों की पत्रावलियों को दर्शित व्ययों की पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात् प्रत्येक से रुपये 284893.00 किया जाना अपेक्षित होगा। अतः रुपये 165936.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्री कामेश्वर गुप्ता से व रुपये 118956.50 की वसूली श्री अशोक कुमार (प्रशासक दिनांक 25/12/2020 से 31 मार्च 2021 तक) तथा रुपये 284893.00 की वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती पूजा सिंह से की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या - 4 धनराशि - 569786.00

प्रस्तर -14 आलोच्य वर्ष 2020-21 मे ग्राम पंचायत पालिया की कोशबही मे राज्य वित्त / पंचम वित्त द्वारा निम्नोक्त विवरणानुसार कार्यो पर व्यय किया जाना दर्शाया गया था -

क्रम	कार्य का नाम	व्यय विवरण	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम / आहरणकर्ता
1	पूर्व माध्यमिक विद्यालय पालिया मे बाउंड्रीवाल निर्माण	मजदूरी	08/06/20	32040.00	गुप्ता ट्रेडर्स
		सामग्री	08/06/20	190258.00	गुप्ता ट्रेडर्स
		सामग्री	08/06/20	65646.00	कामेश्वर गुप्ता
		मिट्टी पटाई	08/06/20	8400.00	कामेश्वर गुप्ता
2	राधे के घर से मनोज पाण्डेय के घर तक खड़जा मरम्मत कार्य	ईट क्रय	19/09/20	72900.00	सुंदरलाल कंशरुंड कंपनी
		मिट्टी पटाई	19/09/20	8050.00	सावित्रीदेवीकंश.
		मजदूरी	22/09/20	28302.00	
3	प्राथमिक विद्यालय बडखेरिया मे मरम्मत कार्य	सामग्री	08/10/20	47060.00	सावित्रीदेवीकंश.
		मजदूरी	08/10/20	16292.00	गुप्ता ट्रेडर्स
4	प्राथमिक विद्यालय भवन मरम्मत कार्य	मजदूरी तथा सामग्री	27/03/21	179025.00	सुंदरलाल कंशरुंड कंपनी .
5	हैंडपम्प मरम्मत	सामग्री	03/10/20	19760.00	विनोद मशीनरी
		मजदूरी तथा सामग्री	03/10/20	20000.00	विनोद मशीनरी
		मजदूरी तथा सामग्री	08/10/20	20000.00	विनोद मशीनरी
		मजदूरी तथा सामग्री	28/12/20	20000.00	विनोद मशीनरी
6	हैंडपम्प रिबोर	सामग्री	11/12/20	88305.00	रविप्रकाश
		मजदूरी	11/12/20	22264.00	सावित्रीदेवीकंश.
		सामग्री	15/12/20	133584.00	आजाद स्टोर
		मजदूरी	06/02/21	12615.00	सावित्रीदेवीकंश.
		सामग्री	06/02/21	22264.00	सावित्रीदेवीकंश.
7	प्रशासनिक कार्य पर व्यय	सामग्री	30/11/20	50000.00	सावित्रीदेवीकंश.
		सामग्री	28/12/20	32000.00	सावित्रीदेवीकंश.

8	ग्राम पंचायत में स्वच्छता पर व्यय	अज्ञात	06/03/21	53080.00	सवित्रीदेवीकंश.
			योग	114184500.	

उक्त कराये गए कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयीं-

1-उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष क्रय की गयी सामग्रियों के बिल बाउचर तथा मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यों की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण उपरोक्त क्रीत सामग्रियों तथा मजदूरी भुगतान से व अन्य व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों पर बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 1141845.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथास्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

2 -उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में रुपये 20000.00 से अधिक मूल्य की सामग्रियों का क्रय किया गया था ,किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक २३ सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी। कोटेशन / टेंडर से सम्बंधित पत्रावलियों को सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

3 -उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा । मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4--उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्यों का कार्यपूति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा , जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण/ संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

6- पुनः किए भुगतानों की जांच करने पर पाया गया कि क्रम संख्या 1 पर अंकित कार्य पूर्व माध्यमिक विद्यालय पलिया मे बाउंड्रीवाल निर्माण हेतु दिनांक 08/06/20 को मजदूरी भुगतान रुपये 32040.00 जहाँ गुप्ता ट्रेडर्स के खाते मे किया गया था वहीं सामग्री हेतु दिनांक 08/06/20 को रुपये 65646.00 का भुगतान ग्राम प्रधान श्री कामेश्वर गुप्ता के खाते मे किया गया था जो कि आपत्तिजनक था । इसी प्रकार क्रम संख्या 3 के कार्य प्राथमिक विद्यालय बडखेरिया मे मरम्मत कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान दिनांक 08/10/20 को रुपये 47060.00 गुप्ता ट्रेडर्स को किया गया था , पुनः क्रम संख्या 6 पर अंकित कार्य हैंडपम्प रिबोर हेतु दिनांक 11/12/20 को सामग्री हेतु रुपये 88305.00 का भुगतान खिप्रकाश को व मजदूरी हेतु रुपये 22264.00 का भुगतान तथा दिनांक 11/12/20 को मजदूरी हेतु रुपये 12615.00 का भुगतान सवित्रीदेवीकंश. को किया गया था । इस प्रकार ग्राम पंचायत मे ग्राम प्रधान तथा सचिव द्वारा मनमाने ढंग से धनराशियों का भुगतान करके व्यापक अनियमितता की गई ।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 1141845.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त कराये गए कार्यों की पत्रावलियों को दर्शित व्ययों की पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है । अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान

तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात् प्रत्येक से रुपये 570922.50 किया जाना अपेक्षित होगा। अतः रुपये 411430.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्री कामेश्वर गुप्ता से व रुपये 159492.00 की वसूली श्री अशोक कुमार (प्रशासक दिनांक 25/12/2020 से 31 मार्च 2021 तक) तथा रुपये 570922.50 की वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती पूजा सिंह से की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपति संख्या - 5 धनराशि - 1141845.00

10 - ग्राम पंचायत - अटहरा

विकास खंड - निन्दूरा

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-15 आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत अटहरा की कोशबही में 15 वें / केंद्र वित्त द्वारा निम्नांकित विवरणानुसार कार्यों पर व्यय किया जाना दर्शाया गया था -

क्र०	कार्य का नाम	व्यय विवरण	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम / आहरणकर्ता
1	पंचायत भवन मरम्मत कार्य	निर्माणसामग्री	09/11/20	198974.00	भूपेन्द्र यादव ट्रेडर्स
		निर्माणसामग्री	10/11/20	68418.00	सवित्रीदेवीकंश
		निर्माणसामग्री	15/02/21	9600.00	अतीक एंड संस
		मजदूरी	15/02/21	71958.00	नीलेश कुमार
2	हैंडपम्प रिबोर	सामग्री	19/03/21	118400.00	अतीक एंड संस
		सामग्री	27/03/21	56445.00	अतीक एंड संस
			योग	523795.00	

उक्त कराये गए कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपतियां पायी गयीं-

1- उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष क्रय की गयी सामग्रियों के बिल बाउचर तथा मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यों की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण उपरोक्त क्रीत सामग्रियों तथा मजदूरी भुगतान से व अन्य व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों पर बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 523795.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथास्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

2 - उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में रुपये 20000.00 से अधिक मूल्य की सामग्रियों का क्रय किया गया था , किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक २३ सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी। कोटेशन / टेंडर से सम्बंधित पत्रावलियों को सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

3 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा । मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4--उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्यों का कार्यपूति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा , जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण / संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है ।

उपरोक्त आपतियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 523795.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त कराये गए कार्यों की पत्रावलियों को दर्शित व्ययों की पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात् प्रत्येक से रुपये 261897.50 किया जाना अपेक्षित होगा। अतः रुपये 133696.00 की वसूली ग्राम प्रधान आसमां खान से व रुपये 128201.50 की वसूली श्री अशोक कुमार (प्रशासक दिनांक 25/12/2020 से 31 मार्च 2021 तक) तथा रुपये 261897.50 की वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री आकिब जमाल से की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपति संख्या - 3 धनराशि - 523795.00

प्रस्तर-16 आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत अटहरा की कोशबही में राज्य वित्त / पंचम वित्त द्वारा निम्नांकित विवरणानुसार कार्यों पर व्यय किया जाना दर्शाया गया था -

क्र०	कार्य का नाम	व्यय विवरण	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम / आहरणकर्ता
1	पूर्व माध्यमिक विद्यालय अटहरा में मरम्मत कार्य	अज्ञात	23/05/20	95186.00	आसमां खान
		सामग्री	23/05/20	188314.00	विश्वनाथ ट्रेडर्स
		सामग्री	23/05/20	56330.00	सावित्रीदेवीकंश
		सामग्री	04/06/20	29000.00	अतीक एंड संस
		सामग्री	17/09/20	24000.00	सावित्रीदेवीकंश
		सामग्री	17/09/20	73961.00	भूपेन्द्र यादव ट्रेडर्स
2	प्राथमिक विद्यालय अटहरा में शौचालय निर्माण कार्य	सामग्री	05/05/20	5000.00	अतीक एंड संस
		ईट क्रय	05/05/20	11495.00	हाजी मो०शाद ब्रिक
		अज्ञात	05/05/20	630.00	आसमां खान
		सामग्री	05/05/20	18332.00	अतीक एंड संस
		सामग्री	05/05/20	47950.00	भूपेन्द्र यादव ट्रेडर्स
		अज्ञात	05/05/20	34034.00	आसमां खान
		मजदूरी	07/10/20	20496.00	मजदूरों को
3	दरोगा के घर से छोटू के घर तक नाली निर्माण	मिट्टी पटाई	23/05/20	3850.00	आसमां खान
		मजदूरी	23/05/20	2861600.	आसमां खान
		सामग्री	23/05/20	67782.00	भूपेन्द्र यादव ट्रेडर्स
		ईट क्रय	23/05/20	59600.00	हाजी मो०शाद ब्रिक

4	तनवीर के घर से सहावा तालाब तक नाली निर्माण	मजदूरी	23/05/20	2861600.	आसमां खान
		सामग्री	23/05/20	82590.00	भूपेन्द्र यादव ट्रेडर्स
		ईंट क्रय	23/05/20	74000.00	हाजी मो०शाद ब्रिक
5	पूर्व माध्यमिक विद्यालय अटहरा की छत मरम्मत एवं फर्श पर टाइल्स कार्य	सामग्री	23/05/20	123468.00	भूपेन्द्र यादव ट्रेडर्स
		सामग्री	04/06/20	187590.00	खान मशीनरी स्टोर
		मजदूरी	23/05/20	66850.00	आसमां खान
6	पूर्व माध्यमिक विद्यालय अटहरा में शौचालय निर्माण कार्य	सामग्री	04/06/20	54120.00	भूपेन्द्र यादव ट्रेडर्स
		सामग्री	04/06/20	16200.00	सावित्रीदेवीकंश
		ईंट क्रय	04/06/20	19195.00	हाजी मो०शाद ब्रिक
		सामग्री	04/06/20	30017.00	अतीक एंड संस
		मजदूरी	04/06/20	41930.00	आसमां खान
7	ओम प्रकाश के घर से अवधेश के घर तक इंटरलॉकिंग	सामग्री	04/06/20	63832.00	भूपेन्द्र यादव ट्रेडर्स
		सामग्री	04/06/20	95403.00	सुंदरलाल कंश
		ईंट क्रय	04/06/20	17300.00	हाजी मो०शाद ब्रिक
		मजदूरी	04/06/20	24682.00	आसमां खान
		मिट्टी कार्य	04/06/20	700.00	आसमां खान
8	कुँवारे के घर से तालाब तक नाली निर्माण	सामग्री	17/09/20	74587.00	भूपेन्द्र यादव ट्रेडर्स
		सामग्री	17/09/20	52000.00	सुंदरलाल कंश
		सामग्री	23/09/20	9400.00	सुंदरलाल कंश
		सामग्री	23/09/20	23921.00	सुंदरलाल कंश
		मिट्टी कार्य	07/10/20	603.00	आसमां खान
		मजदूरी	07/10/20	24024.00	आसमां खान
9	मुनेश्वर के घर से रंजीत के घर तक आरसीसी निर्माण	सामग्री	28/11/20	62100.00	भूपेन्द्र यादव ट्रेडर्स
		ईंट क्रय	04/12/20	19400.00	हाजी मो०शाद ब्रिक
		सामग्री	28/11/20	98660.00	भूपेन्द्र यादव ट्रेडर्स
		मजदूरी	17/12/20	17316.00	आसमां खान
10	रामबिलास के घर से बिमलेश के घर तक आरसीसी निर्माण	सामग्री	28/11/20	154400.00	भूपेन्द्र यादव ट्रेडर्स
		ईंट क्रय	04/12/20	19400.00	हाजी मो०शाद ब्रिक
		सामग्री	26/12/20	20580.00	भूपेन्द्र यादव ट्रेडर्स

		मजदूरी	17/12/20	14904.00	आसमां खान
		मजदूरी	28/12/20	52692.00	आसमां खान
11	पंचायत भवन मरम्मत कार्य	ईट क्रय	17/11/20	116100.00	हाजी मो०शाद ब्रिक
		सामग्री	28/12/20	26100.00	अतीक एंड संस
		मजदूरी	02/03/21	11832.00	आसमां खान
		सामग्री	03/03/21	53772.00	सावित्रीदेवीकंश
12	हैंडपम्प मरम्मत	सामग्री	23/05/20	29650.00	अतीक एंड संस
		सामग्री	10/11/20	29600.00	अतीक एंड संस
		सामग्री	24/11/20	29560.00	अतीक एंड संस
		सामग्री	02/03/21	29550.00	अतीक एंड संस
13	ह्यूम पाइप क्रय	ह्यूम पाइप	09/11/20	189540.00	सुंदरलाल कंश
14	प्रशासनिक व्यय	सामग्री अज्ञात	05/10/20	45650.00	नव्या चौधरी इंटरप्राइजेज
		सामग्री अज्ञात	04/02/21	57950.00	सावित्रीदेवीकंश
				2953910.00	

उक्त कराये गए कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां पायीं गयीं-

1 - उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष क्रय की गयी सामग्रियों के बिल बाउचर तथा मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यों की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण उपरोक्त क्रीत सामग्रियों तथा मजदूरी भुगतान से व अन्य व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों पर बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये **2953910.00** पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथास्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

2 - उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में रुपये 20000.00 से अधिक मूल्य की सामग्रियों का क्रय किया गया था , किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक २३ सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी। कोटेशन / टेंडर से सम्बंधित पत्रावलियों को सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

3 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4 --उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5--कराये गए कार्यों का कार्यपूति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा , जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण/ संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

6- क्रम संख्या 9 पर राज्य वित्त से कराए गए कार्य मुनेश्वर के घर से रंजीत के घर तक आरसीसी निर्माण पर दिनांक 28/11/2020 को रुपये 98660.00 का भुगतान केंद्र वित्त द्वारा किया गया था जबकि उक्त डिवर्शन स्वीकृति से संबंधित सक्षम प्राधिकारी का कोई आदेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जा सका जो कि आपत्तिजनक था ।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये **2953910.00** की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त कराये गए कार्यों की पत्रावलियों को दर्शित व्ययों की पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात् प्रत्येक से रुपये 1477180.00 किया जाना अपेक्षित होगा। अतः रुपये 1350492.00 की वसूली ग्राम प्रधान आसमां खान से व रुपये 126238.00 की वसूली श्री अशोक कुमार (प्रशासक दिनांक 25/12/2020 से 31 मार्च 2021 तक) तथा रुपये 1477180.00 की वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री अकिब जमाल से की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या - 2 धनराशि - 2953910.00

11- ग्राम पंचायत - मोहम्मदपुर खाला विकास खंड - सूरतगंज जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-17 ग्राम पंचायत - मोहम्मदपुर खाला की वित्तीय वर्ष- 2020-2021 में प्रियसोफ्ट फीडिंग / एसवारज फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 1891730.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है । परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल/अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए । जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा । प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 1891730.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है ।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256(2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क)पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्रविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी । वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 1891730.00 अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सयुंक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया ग्राम प्रधान श्री श्यामलाल रु. 945865.00 एवं रुपया 945865.00 ग्राम पंचायत सचिव अमन श्रीवास्तव से वसूल किया जाना अपेक्षित है । **मूल आपत्ति संख्या - 5 धनराशि - 1891730.00**

12- ग्राम पंचायत - उमरी द्वितीय विकास खंड - सूरतगंज जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-18 ग्राम पंचायत- उमरी द्वितीय की वित्तीय वर्ष- 2020-2021 प्रियसोफ्ट फीडिंग / एसवारज फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 527635.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है । परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए । जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा ।

प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 527635.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256(2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क)पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी । वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 527635.00 अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है ।

अतः समान रूप से रु. 263817.5 ग्राम प्रधान श्री संकेत कुमार से एवं रु० 263817.5 ग्राम पंचायत सचिव अमन श्रीवास्तव से वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपति संख्या - 5 धनराशि - 527635.00

13- ग्राम पंचायत - टाण्डा

विकास खंड - सूरतगंज

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-19 ग्राम पंचायत- टांडा की वित्तीय वर्ष- 2020-2021 में प्रियसोफ्ट फीडिंग / एसवारज फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 1108024.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है । परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए । जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा । प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 1108024.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256(2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क)पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी । वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 1108024.00 अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया ग्राम प्रधान श्रीमती मधू देवी रु. 554012.00 एवं रुपया 554012.00 ग्राम पंचायत सचिव अमन श्रीवास्तव से वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपति संख्या - 5 धनराशि - 1108024.00

14- ग्राम पंचायत - सुरजनपुर

विकास खंड - सूरतगंज जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-20 ग्राम पंचायत- सुरजनपुर की वित्तीय वर्ष- 2020-2021 में प्रियसोफ्ट फीडिंग / एसवारज फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 481579.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है । परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए । जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा ।

प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 481579.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256(2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 481579.00 अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सयुंक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया ग्राम प्रधान श्रीमती चंदना रु. 240789.50 एवं रुपया 240789.50 ग्राम पंचायत सचिव अमन श्रीवास्तव से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या - 5 धनराशि - 481579.00

15- ग्राम पंचायत - तासीपुर

विकास खंड - दरियाबाद

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-21 लेखा परीक्षा में मॉगोपरान्त वर्ष (2020-21) की मात्र कैशबुक तथा बैंक सटैटमेंट ही प्रस्तुत किया गया, अन्य कोई भी वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। वर्ष (2020-21) की कैशबुक में अंकित विभिन्न तिथियों में समस्त व्यय विवरण की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जिसका मदवार विवरण निम्नवत है।

(1) मेवालाल के दरवाजे से जानकी प्रसाद के घर तक खडंजा निरमाण :

(i) सामाग्री -> 87,160.00

(ii) मजदूरी -> 13,065.00

योग-> 1,00,225.00

(2) आर०सी०सी० रोड से गुलाब सिंह के दरवाजे तक खडंजा निरमाण:

(i) सामाग्री -> 92,145.00

(ii) मजदूरी -> 20,424.00

योग-> 1,12,569.00

(3) प्रधान मानदेय: 28,000.00

(4) हैण्ड पम्प: 19,200.00

(5) प्रशासनिक व्यय: 37,625.00

(6) हैण्ड पम्प रिबोर:

(i) सामाग्री-> 64,645.00

(ii) मजदूरी -> 34,875.00

योग-> 99,520.00

(7) खडंजा निर्माण :

(i) सामाग्री- 48,001.00

(ii) मजदूरी - 18,429.00

योग- 66,430.00

(8) सामुदायिक शौचालय:

सामाग्री- ₹2,11,749

वित्तीय वर्ष (2020-21) में कुलव्यय : 6,75,318.00

उक्त निर्माण कार्यों की पुष्टि में एस्टीमेट, एम०बी०,स्टाक रजिस्टर, कार्यवाही(प्रस्ताव स० हेतु), निर्माण सामग्री क्रय हेतु कोटेशन, टेण्डर आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो वांछित है।

उपरोक्त प्रमाणकविहीन व्यय, वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0 204 एवं 205 के अधीन तथा नियम सं0 256 एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण, गबन एवं अधिभार के योग्य है। अतः आपति में अंकित कुल प्रमाणकविहीन व्यय की धनराशि 6,75,318.00 को उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री आलोक भास्कर तथा प्रधान श्री रमेश से समान रूप से प्राशासनिक अधिकारी (डी पी आर ओ) द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुए अविलम्ब प्रत्येक से समान रूप से रु0 337659.00 वसूल कराया जाना अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या -15 धनराशि - 6,75,318.00

16- ग्राम पंचायत - मल्लू लालपुर

विकास खंड - दरियाबाद

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-22 लेखा परीक्षा में माँगोपरान्त वर्ष (2020-21) की मात्र कैशबुक तथा बैंक स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया, अन्य कोई भी वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। वर्ष (2020-21) की कैशबुक में अंकित विभिन्न तिथियों में समस्त व्यय विवरण की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जिसका मदवार विवरण निम्नवत है।

- (1) सफाई किट आपूर्ति: 43,450.00
- (2) अम्बिका के घर से समीर सिंह के घर तक खडंजा निर्माण:
 - (i) सामग्री -> 1,45,932.00
 - (ii) मजदूरी -> 29,484
 - योग-> 1,75,416
- (3) प्राथमिक विद्यालय, मल्लू लालपुर के बाउन्ड्रीवाल का निर्माण:
 - (i) सामग्री -> 3,63,625.00
 - (ii) मजदूरी -> 70,779.00
 - योग-> 4,34,404.00
- (4) बँचू के घर से तालाब तक नाली:
 - (i) सामग्री -> 1,75,631.00
 - (ii) मजदूरी -> 28,882.00
 - योग-> 2,04,513.00
- (5) टेण्डर विज्ञापन: 5,250.00
- (6) विज्ञापन: 4,999.00
- (7) रंजीत के घर से पेंटेड रोड तक खडंजा निर्माण:
 - (i) सामग्री-> 48,972.00
 - (ii) मजदूरी -> 32,007.00
 - योग-> 80,979.00
- (8) जोखू के घर से तालाब तक पक्की नाली: 9,350.00
- (9) डिजिटल फोटोग्राफी तथा स्टेशनरी आदि पर व्यय: 24,925.00
- (10) प्रधान मानदेय: 45,500
- (11) मन्झार पुलिया से रामनारायण के खेत तक खडंजा निर्माण:
 - (i) सामग्री -> 1,52,250.00
 - (ii) मजदूरी -> 53,526.00
 - योग-> 2,05,776.00
- (12) हैंड पम्प मरम्मत: 39,900.00
- (13) धनीराम के घर से अबादी तक नाली निर्माण:
 - (i) सामग्री -> 99,857.00
 - (ii) मजदूरी -> 17,901.00
 - योग-> 1,17,758.00

वित्तीय वर्ष (2020-21) में कुल व्यय: 13,92,220.00

उक्त निर्माण कार्यों की पुष्टि में एस्टीमेट, एम०बी०,स्टाक रजिस्टर, कार्यवाही(प्रस्ताव स० हेतु), निर्माण सामग्री क्रय हेतु कोटेशन, टेण्डर आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो वांछित है।

उपरोक्त प्रमाणकविहीन व्यय, वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं० 204 एवं 205 के अधीन तथा नियम सं० 256 एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण, गबन एवं अधिभार के योग्य है। अतः आपत्ति में अंकित कुल प्रमाणकविहीन व्यय की धनराशि 13,92,220.00 को उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम पंचायत सचिव श्री आलोक भास्कर तथा प्रधान श्रीमती कुंती देवी से सामान रूप से प्राशासनिक अधिकारी (डी पी आर ओ) द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुए अविलम्ब प्रत्येक से समान रूप से रु० 696110.00 वसूल कराया जाना आर्पक्षित है। **मूल आपत्ति संख्या -15 धनराशि - 13,92,220.00**

17- ग्राम पंचायत - चमरौली

विकास खंड - दरियाबाद

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-23 लेखा परीक्षा में माँगोपरान्त वर्ष (2020-21) की मात्र कैशबुक तथा बैंक स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया, अन्य कोई भी वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। वर्ष (2020-21) की कैशबुक में अंकित विभिन्न तिथियों में समस्त व्यय विवरण की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जिसका मदवार विवरण निम्नवत है।

(1) सहज के घर से उमाशंकर के घर तक खडंजा निर्माण:

(i)सामाग्री -> 22,218.00

(ii) मजदूरी -> 1,13,595.00

योग-> 1,35,813.00

(2) प्रधान मानदेय: 42,000.00

(3) टेण्डर प्रकाशन: 4,999.00

(4) प्रकाश कार्य पर व्यय: 15,550.00

(5) हैंड पम्प मरम्मत: 35,260.00

(6) ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय निर्माण:

(i)सामाग्री -> 3,92,825

(ii) मजदूरी -> 59,600.00

योग-> 4,52,425.00

(7) छेदन के घर से कफील के घर तक:

(i)सामाग्री-> 82,388.00

(ii) मजदूरी -> 16,587.00

योग-> 98,975.00

(8) जोखू के घर से तालाब तक पक्की नाली:

(i)सामाग्री-> 1,87,822.00

(ii) मजदूरी -> 31,749.00

योग-> 2,19,571.00

(9) ग्राम पंचायत खडंजा क्रास पर पानी निकासी हेतु हयूम पाइप भुगतान: 94,250.00

(10) हैण्डपम्प रिबोर पर:

(i)सामाग्री-> 1,30,888.00

(ii) मजदूरी -> 48,963.00

योग-> 1,79,851.00

(11) अंसार के घर से जुरार के घर तक खडंजा मरम्मत: 1,70,293.00

वित्तीय वर्ष (2020-21) में कुल व्यय: 14,48,987.00

उक्त निर्माण कार्यों की पुष्टि में एस्टीमेट, एम०बी०,स्टाक रजिस्टर, कार्यवाही(प्रस्ताव सं० हेतु), निर्माण सामग्री क्रय हेतु कोटेशन, टेण्डर आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो वांछित है।

उपरोक्त प्रमाणकविहीन व्यय, वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं० 204 एवं 205 के अधीन तथा नियम सं० 256 एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण, गबन एवं अधिभार के योग्य है। अतः आपत्ति में अंकित कुल प्रमाणकविहीन व्यय की धनराशि 14,48,987.00 को उत्तरदायी व्यक्ति सचिव श्री राजेश निगम तथा प्रधान श्री श्यामा यादव से समान रूप से प्राशासनिक अधिकारी (डी पी आर ओ) द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुए अविलम्ब प्रत्येक से समान रूप से रु० 724493.50 वसूल कराया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या -15 धनराशि - 14,48,987.00

18- ग्राम पंचायत - असन्द्रा

विकास खंड - सिद्धौर

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-24 ग्राम पंचायत- असन्द्रा की वित्तीय वर्ष- 2020-21में प्रियसोफ्ट / इग्रामस्वराज फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम (1) के राज्य वित्त से संबन्धित बैंक खाते से रुपया 809918.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 809918.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256(2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 809918.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया 404959.00 ग्राम प्रधान मोहम्मद अकील से एवं रुपया 404959.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री बलराम से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या- 4 धनराशि - 809918.00

प्रस्तर-25 ग्राम पंचायत- असन्द्रा की वित्तीय वर्ष- 2020-21 में प्रियसोफ्ट / इग्रामस्वराज फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम(1)के केन्द्रीय वित्त आयोग से संबन्धित के बैंक खाते से रुपया 389951.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 389951.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256(2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से

की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 389951.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया 194975.50 ग्राम प्रधान मोहम्मद अकीलसे एवं रुपया 194975.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री बलराम से वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपति संख्या- 5 धनराशि - 389951.00

19- ग्राम पंचायत - कादिरपुर

विकास खंड - सिद्धौर

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-26 ग्राम पंचायत कादिरपुर की वित्तीय वर्ष- 2020-21 में ग्रामनिधि प्रथम (1) के राज्य वित्त से संबन्धित बैंक खाता संख्या- 751110210000032 बैंक आफ इण्डिया सिद्धौर ,बाराबंकी से रुपया 1508480.00 धनराशि आहरित करके कोषवही में व्यय दर्शाया गया है | लेखा परीक्षा में केवल कोषवही एवं बैंक पासबुक ही प्रस्तुत की गई | परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में अन्य अभिलेख जैसे- व्यय प्रमाणक ,व्यय पत्रावली ,वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए | जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 1508480.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है। विवरण निम्नवत है -

क्र.स.	कार्य का नाम	प्रयुक्त वाउचर	ईट /टाइल्स क्रय	सामग्री क्रय	मजदूरी/भाड़ा भुगतान	अन्य/ बोर्ड/फोटो	योग
1	कार्य योजना बालपेंटिंग भुगतान	1	-	-	-	-	5760.00
2	हैण्डपंप मरम्मत	8	-	215135.00	24000.00	-	239135.00
3	ह्यूमपाइप क्रय	2	-	-	-	-	267500.00
4	प्राथमिक वि.कादिरपुर में भवन मरम्मत	4	103929.00	239432.00	110476.00	-	453837.00
5	पंचायत भवन मरम्मत	5	75403.00	163918.00	79668.00	500.00	319489.00
6	ठेला क्रय	2	-	-	-	-	21000.00
7	खड्गजा मरम्मत - डामररोड से भोला के घर तक	3	128468.00	-	61183.00	-	189651.00
8	सफाई सामग्री क्रय	1	-	-	-	-	12108.00
	वृहद योग	26					1508480.00

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियमसंख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्टविशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 1508480.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। अतः समान रूप

से रुपया 754240.00 ग्राम प्रधान सुशील कुमार से एवं रुपया 754240.00 ग्रामपंचायत सचिव श्री बलराम से वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपति संख्या-9 धनराशि - 1508480.00

प्रस्तर-27 ग्राम पंचायत- कादिरपुर की वित्तीय वर्ष- 2020-21 में ग्रामनिधि प्रथम(1) के केन्द्रीय वित्त आयोग(14वां/15वां वित्त) से संबन्धित के बैंक खाता सख्या-751110210000032(14वां वित्त से संबन्धित) एवं खाता सख्या- 7526102100000514 (15वां वित्त से संबन्धित) बैंक आफ इण्डिया सिद्धौर ,बाराबंकी से रुपया1310828.00 धनराशि आहरित करके कोषवही में व्यय दर्शाया गया है । लेखा परीक्षा में केवल कोषवही एवं बैंक पासबुक ही प्रस्तुत की गई । परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में अन्य अभिलेख जैसे- व्यय प्रमाणक ,व्यय पत्रावली ,वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए । जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा । प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 1310828.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।विवरण निम्नवत है -

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्रयुक्त वाउचर	ईट/टाइल्स क्रय	सामग्री क्रय	मजदूरी/ भाड़ा भुगतान	अन्य/ बोर्ड/फोटो	योग
1	प्राथमिक वि. कादिरपुर में भवन मरम्मत	1	-	-	-	-	500.00
2	कोविड-19 हेतु सामग्री (कैशबुक में अंकित नहीं)	1	-	-	-	-	2800.00
3	सामुदायिक शौचालय निर्माण	12	67536.00	229331.00	53500.00	500.00	350867.00
4	पूर्व मा.वि. कादिरपुर में शौचालय निर्माण	5	-	68640.00	17628.00	5500.00	91768.00
5	प्राथमिक वि. चकतारा में शौचालय निर्माण	5	46194.00	163742.00	36297.00	500.00	246733.00
6	खड़.नि.- जगजीवन की चरही से सोहनलाल यादव व रामपाल ठाकुर के दरवाजे तक	5	178712.00	-	61031.00	5500.00	245243.00
7	खड़न्जा मरम्मत- रोशन के दरवाजे से बहादुर के दरवाजे तक	5	174881.00	-	60149.00	5500.00	240530.00
8	नाली निर्माण- अशोक के घर से आर. सी. सी. तक	5	41987.00	42748.00	20040.00	5300.00	110075.00
9	जनमोर्चा पेपर विज्ञप्ति	1	-	-	-	-	2500.00
10	सफाई किट क्रय (कैशबुक में अंकित नहीं)	1	-	-	-	-	15312.00
11	अज्ञात(कैशबुक में अंकित नहीं)	1	-	-	-	-	4500.00
	वृहद योग	42	-	-	-	-	1310828.00

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256(2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं

लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 1310828.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। अतः समान रूप से रुपया 655414.00 ग्राम प्रधान सुशील कुमार से एवं रुपया 655414.00 ग्रामपंचायत सचिव श्री बलराम से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या- 10 धनराशि - 1310828.00

20- ग्राम पंचायत - कुतुबापुर

विकास खंड - सिद्धौर

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-28 ग्राम पंचायत- कुतुबापुर की वित्तीय वर्ष- 2020-21 में प्रियसोफ्ट / इग्रामस्वराज फीडिंग के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (1) के राज्य वित्त से संबन्धित बैंक खाते से रुपया 105608.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए। परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 105608.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्टविशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 105608.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया 52804.00 ग्राम प्रधान श्री जीबोध कुमार से एवं रुपया 52804.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री रवि प्रकाश अवस्थी से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या- 4 धनराशि - 105608.00

प्रस्तर-29 ग्राम पंचायत- कुतुबापुर की वित्तीय वर्ष- 2020-21 में प्रियसोफ्ट / इग्रामस्वराज फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम (1) के केन्द्रीय वित्त आयोग से संबन्धित के बैंक खाते से रुपया 236326.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 236326.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्टविशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 236326.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया 118163.00 ग्राम प्रधान श्री जीबोध कुमार से एवं रुपया 118163.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री रवि प्रकाश अवस्थीसे वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या- 5 धनराशि - 236326.00

21- ग्राम पंचायत - कोठी

विकास खंड - सिद्धौर

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-30 ग्राम पंचायत- कोठी की वित्तीय वर्ष- 2020-21 में ग्रामनिधि प्रथम (1) से संबन्धित बैंक खाता संख्या- 751110210000018 (चतुर्थ राज्य वित्त/पंचम राज्य वित्त/चौहदवां वित्त/अन्य मद) बैंक आफ इण्डिया सिद्धौर ,बाराबंकी से रुपया 5302283.00 धनराशि आहरित करके कोषवही में विभिन्न मदों/कार्यों में व्यय दर्शाया गया है। लेखा परीक्षा में केवल कोषवही एवं बैंक पासबुक ही प्रस्तुत की गई। परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में अन्य अभिलेख जैसे- व्यय प्रमाणक ,व्यय पत्रावली ,वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 5302283.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्टविशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 5302283.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। अतः समान रूप से रुपया 2651141.50 ग्राम प्रधान माहेजबी से एवं रुपया 2651141.50 ग्रामपंचायत सचिव श्री सुनील कुमार नन्दासे वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या- 9 धनराशि - 5302283.00

प्रस्तर-31 ग्राम पंचायत- कोठी की वित्तीय वर्ष- 2020-21 में ग्रामनिधि प्रथम (1) के केन्द्रीय वित्त आयोग (15वां वित्त) से संबन्धित के बैंक खाता संख्या- 752610210000520 बैंक आफ इण्डिया सिद्धौर ,बाराबंकी से रुपया 1243425.00 धनराशि आहरित करके करके कोषवही में विभिन्न मदों/कार्यों में व्यय दर्शाया गया है। लेखा परीक्षा में केवल कोषवही एवं बैंक पासबुक ही प्रस्तुत की गई। परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में अन्य अभिलेख जैसे- व्यय प्रमाणक ,व्यय पत्रावली ,वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के

बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए । जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा । प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 1243425.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या-256(2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी । वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 1243425.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है । अतः समान रूप से रुपया 621712.50 ग्राम प्रधान माहेजबी से एवं रुपया 621712.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री सुनील कुमार नन्दा से वसूल किया जाना अपेक्षित है । **मूल आपति संख्या-10 धनराशि - 1243425.00**

22- ग्राम पंचायत – जरगावां विकास खंड – सिद्धौर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-32 ग्राम पंचायत- जरगावां की वित्तीय वर्ष- 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम (1) के राज्य वित्त से संबन्धित बैंकखाता संख्या-7511102100000003 बैंक आफ इण्डिया सिद्धौर , बाराबंकी से रुपया 1827324.00 धनराशि आहरित करके कोषवही में व्यय दर्शाया गया है । लेखा परीक्षा में केवल कोषवही एवं बैंक पासबुक ही प्रस्तुत की गई । परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में अन्य अभिलेख जैसे- व्यय प्रमाणक ,व्यय पत्रावली, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदिकोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा । प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 1827324.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है। विवरण निम्नवत है -

क्र.सं.	कार्यका नाम	प्रयुक्त वाउचर	ईटक्रय	सामग्रीक्रय	मजदूरी भुगतान	अन्य/ फोटो	योग
1	हैण्डपंप मरम्मत	6	-	174900.00	18000.00	-	192900.00
2	हैण्डपंपपरिबोर	8	-	120410.00	-	800.00	121210.00
3	इंटरलकिंग-अमीन के घर से कफील के घर तक	5	132057.00	41805.00	20040.00	500.00	194402.00
4	इंटरलकिंग- कफील के घर से जमील के घर तक	5	132436.00	46003.00	20259.00	500.00	199198.00
5	इंटरलकिंग- दुलारेगौतम के घर से हरिजन कालोनी तक	5	171333.00	53364.00	23817.00	-	248514.00
6	इंटरलकिंग- अनीस के घर से पंचायत भवन कालोनी तक	4	110113.00	39201.00	15996.00	-	165310.00
7	पूर्व मा.वि. जरगावां में शौचालय मरम्मत	5	4689.00	107440.00	18303.00	300.00	130732.00

8	प्राथमिक वि. जरगवां में शौचालय निर्माण	4	38988.00	176968.00	32241.00	-	248197.00
9	नाली निर्माण-दौलतराम के घर से शमीम के घर होते हुएनाले तक	4	45029.00	58665.00	17346.00	500.00	121540.00
10	नाली निर्माण-कैलाश व प्रवेश के घर से तालाब तक	3	70954.00	74083.00	24822.00	-	169859.00
11	जे. एस. न्यूजएजेन्सी	1	-	-	-	-	4650.00
12	सफाई किट क्रय	1	-	-	-	-	25812.00
13	प्रियासॉफ्टफीडिंग	1	-	-	-	-	4500.00
14	सामुदायिक शौचालय निर्माण	1	-	-	-	500.00	500.00
	वृहदयोग	53					1827324.00

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्टविशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करकेलेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 1827324.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्रामपंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। अतः समान रूप से रुपया 913662.00 ग्राम प्रधान नुसरत जहाँ से एवं रुपया 913662.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री बलराम से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या- 9 धनराशि - 1827324.00

प्रस्तर-33 ग्राम पंचायत- जरगवां की वित्तीय वर्ष- 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम (1) के केन्द्रीय वित्त आयोग (14वां/15वां वित्त) से संबन्धित के बैंक खाता संख्या- 751110210000003 (14वां वित्तसे संबन्धित) एवं खाता संख्या- 7526102100000512 (15वां वित्तसे संबन्धित) बैंक आफ इण्डिया सिद्धौर, बाराबंकी से रुपया 1241358.00 धनराशि आहरित कर के कोषवही में व्यय दर्शाया गया है। लेखा परीक्षा में केवल कोषवही एवं बैंक पासबुक ही प्रस्तुत की गई। परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में अन्य अभिलेख जैसे- व्यय प्रमाणक, व्यय पत्रावली, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदिकोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिवकी दुरभिसन्धि से रुपया 1241358.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है। विवरण निम्नवत है -

क्र.सं.	कार्यका नाम	प्रयुक्त बाउचर	ईटक्रय	सामग्रीक्रय	मजदूरीभुगता न	अन्य/ फोटो	योग
1	सोलर लाइट क्रय (11 नग)	1	-	-	-	-	234300.00
2	टम्परेचर स्केन माशीन क्रय	1	-	-	-	-	2800.00
3	सामुदायिक शौचालय निर्माण	5	66915.00	227113.00	42000.00	-	336028.00

4	इंटरलकिंग- गजराज के घर से पंचायत भवन के घर तक	5	175794.00	48832.00	23166.00	500.00	248292.00
5	इंटरलकिंग- काली मत मंदिर से बंशी यादव के घर तक	5	175794.00	48832.00	23166.00	500.00	248292.00
6	इंटरलकिंग- सिकंदर घर से साबिरके घर तक	5	71108.00	25159.00	9879.00	500.00	106646.00
7	कूड़ादान क्रय	1	-	-	-	-	65000.00
	वृहद योग	23	-	-	-	-	1241358.00

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 1241358.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। अतः समान रूप से रुपया 620679.00 ग्राम प्रधान नुसरत जहाँ से एवं रुपया 620679.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री बलराम से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या-10 धनराशि - 1241358.00

23- ग्राम पंचायत - जीयनपुर

विकास खंड - सिद्धौर

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-34 ग्राम पंचायत- जीयनपुर की वित्तीय वर्ष- 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम (1) से संबन्धित बैंक खाता संख्या- 751110210000069 (चतुर्थ राज्य वित्त/पंचम राज्य वित्त/चौहदवां वित्त) बैंक आफ इण्डिया सिद्धौर, बाराबंकी से रुपया 780026.00 धनराशि आहरित करके कोषवही में विभिन्न मदों/कार्यों में व्यय दर्शाया गया है। लेखा परीक्षा में केवल कोषवही एवं बैंक पासबुक ही प्रस्तुत की गई। परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में अन्य अभिलेख जैसे- व्यय प्रमाणक, व्यय पत्रावली, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि स 780026.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 780026.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। अतः समान रूप से रुपया

390013.00 ग्राम प्रधान राशिया बानों से एवं रुपया 390013.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री सुनील कुमार नन्दा से वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपति संख्या-9 धनराशि - 780026.00

प्रस्तर-35 ग्राम पंचायत- जीयनपुर की वित्तीय वर्ष- 2020-21में ग्रामनिधि प्रथम (1) के केन्द्रीय वित्त आयोग (15वां वित्त) से संबन्धित के बैंक खाता संख्या- 751110210000349 बैंक आफ इण्डिया सिद्धौर ,बाराबंकी से रुपया 475922.00 धनराशि आहरित करके करके कोषवही में विभिन्न मदों/कार्यों में व्यय दर्शाया गया है । लेखा परीक्षा में केवल कोषवही एवं बैंक पासबुक ही प्रस्तुत की गई । परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में अन्य अभिलेख जैसे- व्यय प्रमाणक ,व्यय पत्रावली ,वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए । जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा । प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 475922.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256(2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्रविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी । वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 475922.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। अतः समान रूप से रुपया 237961.00 ग्राम प्रधान राशिया बानों से एवं रुपया 237961.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री सुनील कुमार नन्दा से वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपति संख्या-10 धनराशि - 475922.00

24- ग्राम पंचायत - पडरावां

विकास खंड -सिद्धौर

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-36 ग्राम पंचायत- पडरावां की वित्तीय वर्ष- 2020-21में प्रियसोफ्ट / इग्रामस्वराज फीडिंग के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (1) के राज्य वित्तसे संबन्धित बैंक खाते से रुपया 943928.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है । परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंक स्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए । जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा । प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 943928.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है ।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256(2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्रविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी । वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 943928.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है ।

अतः समान रूप से रुपया 471964.00 ग्राम प्रधान श्री राम सुफल से एवं रुपया 471964.00 ग्रामपंचायत सचिव श्री रवि प्रकाश अवस्थी से वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपति संख्या- 4 धनराशि - 943928.00

प्रस्तर-37 ग्राम पंचायत- पड़रावां की वित्तीय वर्ष- 2020-21में प्रियसोफ्ट / इग्रामस्वराज फीडिंग के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (1) के केन्द्रीय वित्त आयोग से संबन्धित के बैंक खाते से रुपया 1857158.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है । परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंक स्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल / अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए । जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा । प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 1857158.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256(2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8(क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्रविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी । वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 1857158.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया 928579.00 ग्राम प्रधान श्री राम सुफल से एवं रुपया 928579.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री रवि प्रकाश अवस्थी से वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपति संख्या- 5 धनराशि - 1857158.00

25- ग्राम पंचायत - पूरब बेलौव

विकास खंड - सिद्धौर

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-38 ग्राम पंचायत- पूरबबेलाव की वित्तीय वर्ष- 2020-21में ग्रामनिधि प्रथम(1) के राज्य वित्तआयोग से संबन्धित बैंक खाता संख्या-751110210000035 बैंक आफ इण्डिया सिद्धौर ,बाराबंकी से रुपया 235164.00 धनराशि आहरित करके कोषवही में व्यय दर्शाया गया है । लेखा परीक्षा में केवल कोषवही एवं बैंक पासबुक ही प्रस्तुत की गई । परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में अन्य अभिलेख जैसे- व्यय प्रमाणक ,व्यय पत्रावली ,वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल / अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए । जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा । प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा की दुरभिसन्धि से रुपया 235164.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है। विवरण निम्नवत है -

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्रयुक्तवाउचर	ईट क्रय	सामग्री क्रय	मजदूरीभुगतान	अन्य/फोटो	योग
1	हैण्डपंप मरम्मत	3	-	95350.00	7000.00	-	102350.00
2	हैण्डपंपपरिबोर	2	-	59506.00	-	-	59506.00
3	प्रियासॉफ्टफीडिंग	1	-	-	-	-	4500.00
4	जे .एस .न्यूजएजेन्सी	1	-	-	-	-	4650.00
5	कार्य योजना बालपेंटिंग	1	-	-	-	-	4110.00
6	हयूमपाइप क्रय	1	-	-	-	-	60048.00
	वृहद योग	09					235164.00

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 235164.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। अतः समान रूप से रुपया 117582.00 ग्राम प्रधान विमला से एवं रुपया 117582.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री बलराम से वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपति संख्या- 9 धनराशि - 235164.00

प्रस्तर-39 ग्राम पंचायत- पूरबबेलावं की वित्तीय वर्ष- 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम(1) के केन्द्रीय वित्त आयोग (14वां/15वां वित्त) से संबन्धित के बैंक खाता संख्या-751110210000035 (14वां वित्त से संबन्धित) एवं खाता संख्या- 752610210000549 (15वां वित्त से संबन्धित) बैंक आफ इण्डिया सिद्धौर ,बाराबंकी से रुपया 581737.00 धनराशि आहरित करके कोषवही में व्यय दर्शाया गया है । लेखा परीक्षा में केवल कोषवही एवं बैंक पासबुक ही प्रस्तुत की गई । परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में अन्य अभिलेख जैसे- व्यय प्रमाणक ,व्यय पत्रावली ,वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए । जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा । प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 581737.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है। विवरण निम्नवत है -

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्रयुक्त बाउचर	ईट क्रय	सामग्री क्रय	मजदूरी भुगतान	अन्य/ फोटो	योग
1	प्राथमिक वि. पूरबबेलावं में भवन मरम्मत एवं रंगाई पुताई	4	-	165289.00	54628.00	500.00	220217.00
2	नाली निर्माण- सुरेश मिश्रा के घर से नाला तक	4	49376.00	85932.00	20169.00	300.00	155777.00
3	नाली निर्माण-इलहाकअहमद के घर से कफील के घर तक	4	31398.00	23057.00	13629.00	300.00	68384.00
4	टम्परेचरस्केनमाशीन क्रय	1	-	-	-	-	2800.00
5	सामुदायिक शौचालय निर्माण	2	61698.00	72861.00	-	-	134559.00
	वृहद योग	15	-	-	-	-	581737.00

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256(2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 581737.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सयुंक्त रूप से कर लिया गया है। अतः समान रूप से रुपया 290868.50 ग्राम प्रधान विमला से एवं रुपया 290868.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री बलराम से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या-10 धनराशि - 581737.00

26- ग्राम पंचायत - सरसा

विकास खंड -सिद्धौर

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर- 40 ग्राम पंचायत- सरसा की वित्तीय वर्ष- 2020-21 में PRIASOFT FEEDING / eGramSwaraj FEEDINGके अनुसार ग्राम निधि प्रथम (1) के राज्य वित्त से संबन्धित बैंक खाते से रुपया 539893.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 539893.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्टविशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 539893.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सयुंक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया 269946.50 ग्राम प्रधान अंकिता सिंह से एवं रुपया 269946.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री राम किशोर वर्मा से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या- 4 धनराशि - 539893.00

प्रस्तर-41 ग्राम पंचायत- सरसा की वित्तीय वर्ष- 2020-21 में प्रियसोफ्ट / इग्रामस्वराज फीडिंग के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (1) के केन्द्रीय वित्त आयोग से संबन्धित के बैंक खाते से रुपया 834286.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 834286.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256(2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 834286.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सयुंक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया 417143.00 ग्राम प्रधान अंकिता सिंह से एवं रुपया 417143.00 ग्रामपंचायत सचिव श्री राम किशोर वर्मा से वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपति संख्या-5 धनराशि - 834286.00

27- ग्राम पंचायत - गोकुलपुर

विकास खंड - बंकी

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर- 42 ग्राम पंचायत-गोकुलपुर की वित्तीय वर्ष- 2020-2021 में प्रियसोफ्ट / इग्रामस्वराज फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 580055.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है । परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल / अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए । जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा । प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 580055.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256(2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्रविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी । वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 580055.00 अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया ग्राम प्रधान महेश प्रसाद रु. 290027.5 एवं रुपया 290027.5 ग्राम पंचायत सचिव श्री पुनीत वर्मा से वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपति संख्या-5 धनराशि - 580055.00

28- ग्राम पंचायत - अमेरा

विकास खंड - सूरतगंज

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-43 ग्राम पंचायत अमेरा की वित्तीय वर्ष 2020-2021 में ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवाँ केन्द्रीय वित्त आयोग) से सम्बंधित बैंक आफ इण्डिया खाता संख्या 751710210001114 से रु0 247232.00 की धनराशि आहरित करके कोषवही में विभिन्न मदों/कार्यों में व्यय दर्शाया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में केवल कोषवही और बैंक पासबुक ही प्रस्तुत की गयी। अन्य कोई भी अभिलेख बार-बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहे। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव द्वारा दुरभिसन्धि से रु0 247232.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली अध्याय-13 नियम सं0 256 (2) के उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट नियमों एवं पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी हुई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" वसूली के साथ गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रु0 247232.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। अतः समान रूप से रु0 123616.00 ग्राम प्रधान श्री दौलतराम से एवं रु0 123616.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री अमन श्रीवास्तव से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या-6 धनराशि - 247232.00

प्रस्तर-44 ग्राम पंचायत अमेरा की वित्तीय वर्ष 2020-2021 में ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त/पंचम राज्य वित्त) से सम्बंधित बैंक ऑफ इण्डिया खाता संख्या 751710210000353 से ₹0 210210.00 की धनराशि आहरित करके कोषबही में विभिन्न मदों/कार्यों में व्यय दर्शाया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में केवल कोषबही और बैंक पासबुक ही प्रस्तुत की गयी। अन्य कोई भी अभिलेख बार-बार माँगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक बिहीन रहे। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव द्वारा दुरभिसन्धि से ₹0 210210.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली अध्याय-13 नियम सं0 256 (2) के उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट नियमों एवं पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुवल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी हुई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" वसूली के साथ गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक बिहीन व्यय दर्शाकर ₹0 210210.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। अतः ₹0 105105.00 ग्राम प्रधान श्री दौलतराम से , ₹0 105105.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री अमन श्रीवास्तव से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या- 7 धनराशि - 210210.00

29- ग्राम पंचायत - ज्योली विकास खंड - सूरतगंज जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-45 ग्राम पंचायत ज्योली की वित्तीय वर्ष 2020-2021 में ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवाँ केन्द्रीय वित्त आयोग) से सम्बंधित बैंक ऑफ इण्डिया खाता संख्या 751710210001201 से ₹0 139786.00 की धनराशि आहरित करके कोषबही में विभिन्न मदों/कार्यों में व्यय दर्शाया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में केवल कोषबही और बैंक पासबुक ही प्रस्तुत की गयी। अन्य कोई भी अभिलेख बार-बार माँगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक बिहीन रहे। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव द्वारा दुरभिसन्धि से ₹0 139786.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली अध्याय-13 नियम सं0 256 (2) के उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट नियमों एवं पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुवल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी हुई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक बिहीन व्यय दर्शाकर ₹0 139786.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। अतः समान रूप से ₹0 69893.00 प्रशासक श्री अमर सिंह से एवं ₹0 69893.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री अमन श्रीवास्तव से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या- 6 धनराशि - 139786.00

प्रस्तर-46 ग्राम पंचायत ज्योली की वित्तीय वर्ष 2020-2021 में ग्राम निधि प्रथम (चौदहवाँ वित्त/चतुर्थ राज्य वित्त/पंचम राज्य वित्त) से सम्बंधित बैंक ऑफ इण्डिया खाता संख्या 751710210000362 से ₹0 370925.00 की धनराशि आहरित करके कोषबही में विभिन्न मदों/कार्यों में व्यय दर्शाया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में केवल कोषबही और बैंक पासबुक ही प्रस्तुत की गयी। अन्य कोई भी अभिलेख बार-बार माँगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक बिहीन रहे। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव एवं प्रशासक द्वारा दुरभिसन्धि से ₹0 370925.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली अध्याय-13 नियम सं0 256 (2) के उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट नियमों एवं पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुवल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार यदि दर्शाये

गये व्यय के सम्बंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी हुई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक बिहीन व्यय दर्शाकर ₹0 370925.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रशासक द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। अतः ₹0 178972.50 ग्राम प्रधान श्री द्वारिका से, ₹0 185462.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री अमन श्रीवास्तव से एवं प्रशासक श्री अमर सिंह से ₹0 6490.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या- 7 धनराशि - 370925.00

30- ग्राम पंचायत - फिरोजपुर विकास खंड - सूरतगंज जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-47 ग्राम पंचायत फिरोजपुर की वित्तीय वर्ष 2020-2021 में ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवाँ केन्द्रीय वित्त आयोग) से सम्बंधित बैंक आफ इण्डिया खाता संख्या 751710210001182 से ₹0 180603.00 की धनराशि आहरित करके कोषबही में विभिन्न मदों/कार्यों में व्यय दर्शाया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में केवल कोषबही और बैंक पासबुक ही प्रस्तुत की गयी। अन्य कोई भी अभिलेख बार-बार मॉगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक बिहीन रहे। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव द्वारा दुरभिसन्धि से ₹0 180603.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली अध्याय-13 नियम सं0 256 (2) के उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट नियमों एवं पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी हुई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" वसूली के साथ गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक बिहीन व्यय दर्शाकर ₹0 180603.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। अतः समान रूप से ₹0 90301.50 प्रशासक श्री अमर सिंह से एवं ₹0 90301.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री अमन श्रीवास्तव से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या- 6 धनराशि - 180603.00

प्रस्तर-48 ग्राम पंचायत फिरोजपुर की वित्तीय वर्ष 2020-2021 में ग्राम निधि प्रथम (चौदहवाँ वित्त/चतुर्थ राज्य वित्त/पंचम राज्य वित्त) से सम्बंधित बैंक ऑफ इण्डिया खाता संख्या 751710210000389 से ₹0 382993.00 की धनराशि आहरित करके कोषबही में विभिन्न मदों/कार्यों में व्यय दर्शाया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में केवल कोषबही और बैंक पासबुक ही प्रस्तुत की गयी। अन्य कोई भी अभिलेख बार-बार मॉगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक बिहीन रहे। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव एवं प्रशासक द्वारा दुरभिसन्धि से ₹0 382993.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली अध्याय-13 नियम सं0 256 (2) के उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट नियमों एवं पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी हुई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" वसूली के साथ गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक बिहीन व्यय दर्शाकर ₹0 382993.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रशासक द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। अतः ग्राम प्रधान श्रीमती कमला से ₹0 181171.50 तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री अमन श्रीवास्तव से ₹0 191496.50 एवं प्रशासक श्री अमर सिंह से ₹0 10325.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है।

31- ग्राम पंचायत - दोहई

विकास खंड - सूरतगंज

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-49 ग्राम पंचायत दोहई की वित्तीय वर्ष 2020-2021 में ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवाँ केन्द्रीय वित्त आयोग) से सम्बंधित बैंक आफ इण्डिया खाता संख्या 751710210001180 से ₹0 144527.00 की धनराशि आहरित करके कोषबही में विभिन्न मदों/कार्यों में व्यय दर्शाया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में केवल कोषबही और बैंक पासबुक ही प्रस्तुत की गयी। अन्य कोई भी अभिलेख बार-बार माँगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक बिहीन रहे। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव द्वारा दुरभिसन्धि से ₹0 144527.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली अध्याय-13 नियम सं0 256 (2) के उपनियम (1) क में निर्दिष्ट नियमों एवं पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुवल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी हुई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" वसूली के साथ गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक बिहीन व्यय दर्शाकर ₹0 144527.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। अतः समान रूप से ₹0 72263.50 प्रशासक श्री अमर सिंह से एवं ₹0 72263.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री अमन श्रीवास्तव से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या- 6 धनराशि - 144527.00

प्रस्तर- 50 ग्राम पंचायत दोहई की वित्तीय वर्ष 2020-2021 में ग्राम निधि प्रथम (चौदहवाँ वित्त/चतुर्थ राज्य वित्त/पंचम राज्य वित्त) से सम्बंधित बैंक ऑफ इण्डिया खाता संख्या 751710210000364 से ₹0 769971.00 की धनराशि आहरित करके कोषबही में विभिन्न मदों/कार्यों में व्यय दर्शाया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में केवल कोषबही और बैंक पासबुक ही प्रस्तुत की गयी। अन्य कोई भी अभिलेख बार-बार माँगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक बिहीन रहे। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव एवं प्रशासक द्वारा दुरभिसन्धि से ₹0 769971.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली अध्याय-13 नियम सं0 256 (2) के उपनियम (1) क में निर्दिष्ट नियमों एवं पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुवल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी हुई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" वसूली के साथ गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक बिहीन व्यय दर्शाकर ₹0 769971.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रशासक द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। अतः ग्राम प्रधान श्री शीतला बक्श सिंह से ₹0 352970.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री अमन श्रीवास्तव से ₹0 384985.50 एवं प्रशासक श्री अमर सिंह से ₹0 32015.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या- 7 धनराशि - 769971.00

32- ग्राम पंचायत - बंजरिया

विकास खंड - सूरतगंज

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-51 ग्राम पंचायत बंजरिया की वित्तीय वर्ष 2020-2021 में ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवाँ केन्द्रीय वित्त आयोग) से सम्बंधित बैंक आफ इण्डिया खाता संख्या 751710210001123 से ₹0 201758.00 की धनराशि आहरित करके कोषबही में विभिन्न मदों/कार्यों में व्यय दर्शाया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में केवल कोषबही और बैंक पासबुक ही प्रस्तुत की गयी। अन्य कोई भी अभिलेख बार-बार माँगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक बिहीन रहे। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव द्वारा दुरभिसन्धि से ₹0 201758.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली अध्याय-13 नियम सं0 256 (2) के उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट नियमों एवं पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी हुई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" वसूली के साथ गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक बिहीन व्यय दर्शाकर रु0 201758.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। अतः समान रूप से रु0 100879.00 ग्राम प्रधान श्रीमती विद्यावती से एवं रु0 100879.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री अमन श्रीवास्तव से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या-6 धनराशि - 201758.00

प्रस्तर- 52 ग्राम पंचायत बंजरिया की वित्तीय वर्ष 2020-2021 में ग्राम निधि प्रथम (चौदहवाँ वित्त/चतुर्थ राज्य वित्त/पंचम राज्य वित्त) से सम्बंधित बैंक ऑफ इण्डिया खाता संख्या 751710210000701 से रु0 319193.00 की धनराशि आहरित करके कोषबही में विभिन्न मदों/कार्यों में व्यय दर्शाया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में केवल कोषबही और बैंक पासबुक ही प्रस्तुत की गयी। अन्य कोई भी अभिलेख बार-बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक बिहीन रहे। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव एवं प्रशासक द्वारा दुरभिसन्धि से रु0 319193.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली अध्याय-13 नियम सं0 256 (2) के उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट नियमों एवं पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी हुई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" वसूली के साथ गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक बिहीन व्यय दर्शाकर रु0 319193.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। अतः समान रूप से रु0 159596.50 ग्राम प्रधान श्री विद्यावती से रु0 159596.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री अमन श्रीवास्तव से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या-7 धनराशि - 319193.00

33- ग्राम पंचायत - जुरौंडा

विकास खंड - सूरतगंज

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर- 53 ग्राम पंचायत जुरौंडा की वित्तीय वर्ष 2020-2021 में ग्राम निधि प्रथम (1) के राज्य वित्त से सम्बंधित बैंक खाता संख्या 751710210000347 बैंक आफ इण्डिया सूरतगंज, बाराबंकी से रु0 35600.00 धनराशि हैण्डपम्प मरम्मत मद के नाम से आहरित करके कोषबही में व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाये गये व्यय की पुष्टि से सम्बंधित अभिलेख जैसे व्यय प्रमाणक, वाउचर व्यय यपत्रावली, फाइल मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाण पत्र, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रु0 35600.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है। विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रयुक्त वाउचर	दिनांक	प्राप्त कर्ता	व्यय धनराशि
01	हैण्ड पम्प मरम्मत	01	26.04.2020	फाइन मशीनरी स्टोर	19760.00
02	हैण्ड पम्प मरम्मत	01	24.05.2020	फाइन मशीनरी स्टोर	15840.00
	योग -				35600.00

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली अध्याय-13 नियम सं0 256 (2) के उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट नियमों एवं पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी हुई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" वसूली के साथ गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक बिहीन व्यय दर्शाकर रु0 35600.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। अतः समान रूप से रु0 17800.00 ग्राम प्रधान श्री भगवान बक्श सिंह से रु0 17800.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री सुभाष चन्द्र से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या-6 धनराशि - 35600.00

34- ग्राम पंचायत - कस्बा इचौली

विकास खंड - पूरे डलई

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर- 54 आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत की कोशबही की जांच में लोहे के जाल पर निमम्न लिखित विवरण के अनुसार व्यय किया जाना दर्शित पाया गया

तिथि	धनराशि	तिथि	भुगतान की राशि
29.07.2020	94950.00	03.12.2020	12000.00
4.11.2020	22500.00	8.12.2020	18000.00
03.12.2020	13500.00	22.12.2020	10500.00
कुल रु0		171450.00	

इस प्रकार प्रस्तुत अभिलेखों से कुल रु0 171450.00 का भुगतान लोहे के जाल हेतु विपिन कुमार के नाम से किया गया है। जिससे यह भी स्पष्ट नहीं हो सका की विपिन कुमार के नाम से फर्म रजिस्टर थी, नियमानुसार व्यक्ति विशेष के नाम से भुगतान नहीं होना चाहिए। प्रमाण उपलब्ध न किए जाने से फर्म का पूरा नाम एवं टिन नंबर /जी एस टीनंबर अज्ञात रहा। तथा उक्त जाल किस प्रयोग हेतु कहाँ कहाँ लगाए गए यह भी स्पष्ट नहीं रहा। फलतः उक्त भुगतान निजी स्वार्थ की पूर्ति हेतु किया जाना परिलक्षित है जो वसूली योग्य है। जिसकी वसूली समान रूप से रु0 85725.00 ग्राम प्रधान श्री रफीउजमा अंसारी से तथा रु0 85725.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री सत्यदेव प्रसाद से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या-1 धनराशि - 171450.00

प्रस्तर- 55 आलोच्य वर्ष 2020-21 में निम्न फर्म से निम्न सामग्री क्रय दर्शित है किन्तु प्रस्तुत अभिलेखों से सरकारी क्रय सिद्धांत का पालन किए जाने की पुष्टि कोटेशन/निविदा न उपलब्ध कराए जाने से नहीं हो सकी। विवरण निम्न है।

क्रम	तिथि	फर्म का नाम/सामग्री	धनराशि	टिप्पणी
1.	30.09.20	महताब आलम नोमानी से इंटर लॉकिंग ई	202948.00	प्रमाणक बिहीन निविदा अप्राप्त
2-	13.10.20	शौचालय निर्माण हेतु सामग्री क्रय शिवा ट्रेडर्स द्वारा	155128.0	प्रमाणक बिहीन निविदा अप्राप्त
योग			358076.00	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है की एक लाख से ऊपर सामग्री क्रय करने के बावजूद फार्मों से निविदा नहीं प्राप्त की गई जो सरकारी क्रय सिद्धांतों का उल्लंघन है तथा ग्राम पंचायत को तुलनात्मक दरों का लाभ नहीं मिल सका। अतः दिनांक 30.09.2020 को दर्शित भुगतान रु0 202948.00 तथा 13.10.2020 को दर्शित भुगतान रु0 155128.00 निविदा के साथ-साथ प्रमाणक बिहीन है। इसप्रकार कुल रु0 358076.00 को अपहरित माना जाना उचित होगा। जिसके लिए वसूली समान रूप से रु0 179038.00 ग्राम प्रधान श्री रफीउजमा अंसारी से तथा रु0 179038.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री सत्यदेव प्रसाद से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या-3 धनराशि - 358076.00

प्रस्तर- 56 आलोच्य वर्ष 2020-21 में निम्न फर्म से निम्न सामग्री क्रय दर्शित है किन्तु प्रस्तुत अभिलेखों से सरकारी क्रय सिद्धांत का पालन किए जाने की पुष्टि कोटेशन/निविदा न उपलब्ध कराए जाने से नहीं हो सकी। विवरण निम्न है।

क्रम	तिथि	फर्म का नाम/सामग्री	धनराशि	टिप्पणी
1	15.10.20	अजीत इन्टर प्रायजेज से डेस्क बेंच क्रय	123200.00	निविदा अप्राप्त
2	15.10.20	अजीत इन्टर प्रायजेज से डेस्क बेंच क्रय	16768.00	निविदा अप्राप्त
3	04.11.20	जनता टाइल्स उद्योग से इंटर लॉकिंग ईट	264013.00	निविदा अप्राप्त
4	03.12.20	महताब आलम नोमानी से इंटर लॉकिंग ईट	1.	निविदा अप्राप्त
5	08.12.2020	महताब आलम नोमानी से इंटर लॉकिंग ईट	163548.00	निविदा अप्राप्त
6	11.12.2020	महताब आलम नोमानी से इंटर लॉकिंग ईट	163548.00	निविदा अप्राप्त
7	24.12.2020	अजीत इन्टर प्रायजेज से डेस्क बेंच क्रय	221760.00	निविदा अप्राप्त
			1266927-00	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है की एक लाख से ऊपर सामग्री क्रय करने के बावजूद फार्मों से निविदा नहीं प्राप्त की गई जो सरकारी क्रय सिद्धांतों का उल्लंघन है तथा ग्राम पंचायत को तुलनात्मक दरों का लाभ नहीं मिल सका। तथा उक्त अन्य तिथियों में दर्शित भुगतान कुल रु0 1266927-00 निविदा अप्राप्त होने के कारण अनियमित भुगतान की श्रेणी में आता है जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री रफीउजमा अंसारी तथा सचिव श्री सत्यदेव प्रसाद पर ग्राम पंचायत के हित में ठोस विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या-3 धनराशि - 1266927.00

प्रस्तर- 57 दिनांक 06.09.2020 को कुर्सी क्रय दर्शाकर रु0 20000.00 का भुगतान शान बक्सा रिएयर के नाम से कैश बुक में दर्शित है। लेकिन डेड स्टॉक रजिस्टर में इसे दर्ज किया जाना चाहिए था जो की नहीं है। इसे कहाँ क्रिस के लिए उपयोग किया जाना था स्पष्ट प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा पारित होना चाहिए था। साथ ही उक्त संबंधी प्रमाणक जीएसटी नंबर सहित प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। लेकिन प्रमाणक अप्राप्त रहे। ऐसी स्थिति में उक्त भुगतान राशि को निजी स्वार्थ की पूर्ति में व्यय मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री रफीउजमा अंसारी तथा सचिव श्री सत्यदेव प्रसाद पर ग्राम पंचायत के हित में ठोस विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या-3 धनराशि - 20000.00

35- ग्राम पंचायत - अंसारी

विकास खंड - हैदरगढ़

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर- 58 ग्राम पंचायत में ह्यूम पाइप क्रय के नाम पर व्यय रु0 97266.00 का फर्जी भुगतान-

7-11-2020 श्री पाइप उद्योग रु0 27275.00

7-11-2020 श्री पाइप उद्योग रु0 31996.00

7-11-2020 श्री पाइप उद्योग रु0 37995.00

कुल रु0 97266.00

उपरोक्त कार्य पर आफलाइन पत्रावली के अंतर्गत कार्य योजना, प्रशासनिक तकनीकी स्वीकृति पत्र, कोटेशन, एम.बी., स्टॉक रजिस्टर सहित समस्त प्रमाणक/वाउचर, मस्तर रोल आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। अतः उपरोक्त के अभाव में व्यय दर्शित धनराशि रु0 97266.00 का अपहरण संबंधित उत्तरदायी व्यक्तियों, ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा कर लिया गया है जो वसूली योग्य है। अतः ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी से रु0 48633.00 तथा सचिव श्री फिदा हुसैन से रु0 48633.00 की वसूली की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या-3 धनराशि - 97266.00

प्रस्तर- 59 प्राथमिक विद्यालय अंसारी एवं प्रा0 विद्या0 कल्याण पुर में बेंच क्रय के नाम पर फर्जी भुगतान-

दिनांक	भुगतान किया गया	धनराशि
21.12.2020	वैष्णव इन्टरप्राइजेज	15900
21.12.2020	वैष्णव इन्टरप्राइजेज	47700
21.12.2020	वैष्णव इन्टरप्राइजेज	47700
21.12.2020	वैष्णव इन्टरप्राइजेज	47700

21.12.2020	सन एंड साइन इन्टरप्राइजेज	47700
21.12.2020	सन एंड साइन इन्टरप्राइजेज	15900
21.12.2020	सन एंड साइन इन्टरप्राइजेज	47700

47700

योग

318000

उपरोक्त कार्य पर आफलाइन पत्रावली के अंतर्गत कार्य योजना, प्रशासनिक तकनीकी स्वीकृति पत्र, कोटेसन, एम.बी., स्टाक रजिस्टर सहित समस्त प्रमाणक/वाउचर, मस्तर रोल आदि अभिलेख अप्राप्त रहे। अतः उपरोक्त के अभाव में व्यय दर्शित धनराशि रु0 318000.00 का अपहरण संबंधित उत्तरदायी व्यक्तियों, ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा कर लिया गया है जो वसूली योग्य है। अतः ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी से रु0 159000.00 तथा सचिव श्री फिदा हुसैन से रु0 159000.00 की वसूली की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या- 4 धनराशि - 318000.00

प्रस्तर- 60 आपरेशन कायाकल्प के नाम पर विभिन्न विद्यालयों में कराए गए कार्य के रूप में रु0 566265.00 का फर्जी भुगतान किया गया।

दिनांक	भुगतान किया गया	धनराशि
23.06.2020	प्रा.विद्या.अंसारी में इन्टर लॉकिंग	24304.00
23.06.2020	पू.माध्यमिकविद्या.कल्याणपुर में टाइल्स क्रय	19648.00
23.06.2020	पू.माध्यमिकविद्या.कल्याणपुर में एम.आर.	18704.00
31.10.2020	आनंद कुमार सिंह कांटेक्टर प्रा.विद्या.वारीखेरा में वाउन्ड्री वाल मरम्मत हेतु सामग्री	7950.00
31.10.2020	प्रा.विद्या.वारीखेरा में इन्टर लॉकिंग निर्माण हेतु सामग्री साधना ब्रिक फील्ड	45927.00
31.10.2020	प्रा.विद्या.वारीखेरा में इन्टर लॉकिंग निर्माण हेतु सामग्री	5000.00
31.10.2020	प्रा.विद्या.वारीखेरा में इन्टर लॉकिंग निर्माण हेतु मजदूरी	10586.00
31.10.2020	पूर्व.माध्यमिक विद्या.कल्याणपुर में भवन मरम्मत कार्य हेतु सामग्री	14658.00
31.10.2020	प्रा.विद्या.वारीखेरा में वाउन्ड्री वाल मरम्मत आनंद कुमार सिंह कांटेक्टर,सामग्री	4620.00
31.10.2020	प्रा.विद्या.वारीखेरा में वाउन्ड्री वाल मरम्मत सामग्री आनंद कुमार सिंह कांटेक्टर,सामग्री	4604.00
31.10.2020	प्रा.विद्या.वारीखेरा में वाउन्ड्री वाल मरम्मत हेतु भुगतान साधना ब्रिक फील्ड	3024.00
31.10.2020	प्रा.विद्या.वारीखेरा में वाउन्ड्री वाल मरम्मत हेतु मजदूरी भुगतान	16641.00
31.10.2020	प्रा.विद्या.वारीखेरा में वाउन्ड्री वाल मरम्मत आनंद कुमार सिंह कांटेक्टर	7984.00
31.10.2020	मध्य.विद्या. कल्याणपुर में भवन मरम्मत मजदूरी	34200.00
31.10.2020	प्रा.विद्या.वारीखेरा में वाउन्ड्री वाल मरम्मत मजदूरी	28880.00
31.10.2020	प्रा.विद्या.वारीखेरा में वाउन्ड्री वाल मरम्मत , सना स्टील फैब्रिकइटर्स (गेट सामग्री)	19245.00
31.10.2020	प्रा.विद्या.वारीखेरा में इन्टरलॉकिंग ईट क्रय साधन ब्रिक फील्ड	123404.00
31.10.2020	प्रा.विद्या.वारीखेरा में इन्टरलॉकिंग ईट कार्य आनंद कुमार सिंह कांटेक्टर	22042.00
31.10.2020	प्रा.विद्या.वारीखेरा में वाउन्ड्री वाल निर्माण साधन ब्रिक फील्ड	74734.00
31.10.2020	प्रा.विद्या.वारीखेरा में वाउन्ड्री वाल कार्य आनंद कुमार सिंह कांटेक्टर(सामग्री)	22894.00
31.10.2020	प्रा.विद्या.वारीखेरा में वाउन्ड्री वाल कार्य हनुमान ट्रेडर्स (सामग्री)	34560.00
31.10.2020	प्रा.विद्या.वारीखेरा में इन्टरलॉकिंग ईट कार्य हनुमान ट्रेडर्स	22656.00
	योग	566265.00

उपरोक्त कार्य पर आफलाइन पत्रावली के अंतर्गत कार्य योजना, प्रशासनिक तकनीकी स्वीकृति पत्र, कोटेसन, एम.बी., स्टाक रजिस्टर सहित समस्त प्रमाणक/वाउचर, मस्तर रोल आदि अभिलेख अप्राप्त रहे। अतः उपरोक्त के अभाव में फर्जी व्यय दर्शित कर धनराशि रु0 566265.00 का अपहरण संबंधित उत्तरदायी व्यक्तियों, ग्राम प्रधान एवं सचिव

द्वारा कर लिया गया है जो वसूली योग्य है। अतः ग्राम प्रधान श्रीमती विमला सिंह से ₹0 283128.00 तथा सचिव श्री फिदा हुसैन से ₹0 283128.00 की वसूली की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपति संख्या- 5 धनराशि -

566265.00

36- ग्राम पंचायत - चौबीसी

विकास खंड - हैदरगढ़

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर- 61 ग्राम पंचायत में बिना कार्य का नाम दर्शित कर किए गए व्यय ₹0 192129.00 का फर्जी भुगतान-

दिनांक	धनराशि
15-10-2020	19125.00
15-10-2020	57546.00
17-11-2020	28140.00
15-10-2020	37686.00
17-11-2020	26763.00
14-12-2020	22869.00
योग	192129.00

उपरोक्त बिना कार्य के नाम दर्शाये 15वें वित्त योजना अंतर्गत आफलाइन पत्रावली के अंतर्गत कार्य पत्रावलि, कार्य योजना, प्रशासनिक तकनीकी स्वीकृति पत्र, कोटेसन, एम.बी., स्टाक रजिस्टर सहित समस्त प्रमाणक/वाउचर, मस्तर रोल आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। अतः उपरोक्त के अभाव में व्यय दर्शित धनराशि ₹0 192129.00 का अपहरण संबंधित उत्तरदायी व्यक्तियों, ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा कर लिया गया है जो वसूली योग्य है। अतः ग्राम प्रधान श्रीमती शशि सिंह से ₹0 96064.50 तथा सचिव श्री प्रद्युम्न कुमार से ₹0 96064.50 की वसूली की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपति संख्या- 2 धनराशि - 192129.00

प्रस्तर- 62 15वें वित्त योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत में बिना कार्य दर्शित किए विभिन्न तिथियों में किया गया व्यय के नाम पर फर्जी भुगतान-

दिनांक	भुगतान किया गया	धनराशि
14.10.2020	राम सिंह ब्रिक फील्ड	108759.00
14.10.2020	सावित्री ट्रेडर्स	139419.00
14.10.2020	सावित्री ट्रेडर्स	28594.00
15.10.2020	राम सिंह ब्रिक फील्ड	116873.00
15.10.2020	राम सिंह ब्रिक फील्ड	128664.00
15.10.2020	सावित्री ट्रेडर्स	71614.00
15.10.2020	सावित्री ट्रेडर्स	80485.00
15.10.2020	राम सिंह ब्रिक फील्ड	73105.00
20.10.2020	संदीप इन्टर प्राइजेज	12655.00
17.11.2020	राम सिंह ब्रिक फील्ड	92872.00
14.12.2020	राम सिंह ब्रिक फील्ड	75318.00
17.12.2020	सावित्री ट्रेडर्स	57636.00
	योग	985994.00

उपरोक्त बिना कार्य के नाम दर्शाये 15वें वित्त योजना अंतर्गत आफलाइन पत्रावली के अंतर्गत कार्य पत्रावलि, कार्य योजना, प्रशासनिक तकनीकी स्वीकृति पत्र, कोटेसन, एम.बी., स्टाक रजिस्टर सहित समस्त प्रमाणक/वाउचर, मस्तर रोल आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। अतः उपरोक्त के अभाव में व्यय दर्शित धनराशि ₹0 985994.00 का अपहरण संबंधित उत्तरदायी व्यक्तियों, ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा कर लिया गया है जो वसूली योग्य है। अतः ग्राम प्रधान श्रीमती शशि सिंह से ₹0 492997.00 तथा सचिव श्री प्रद्युम्न कुमार से ₹0 492997.00 की वसूली की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपति संख्या- 3 धनराशि - 985994.00

प्रस्तर-63 ग्राम पंचायत में केंद्र,राज्य एवं 14वें वित्त आयोग से ह्यूम पाइप क्रय के नाम पर दर्शित व्यय का फर्जी भुगतान-

17-11-2020	धार पाइप उद्योग	रु0 62842.00
17-11-2020	धार पाइप उद्योग	रु0 48312.00
17-11-2020	धार पाइप उद्योग	रु0 41994.00
25-11-2020	धार पाइप उद्योग	रु0 33652.00
25-11-2020	धार पाइप उद्योग	रु0 50209.00
कुल		रु0 237009.00

उपरोक्त कार्य पर आफलाइन पत्रावली के अंतर्गत कार्य योजना, प्रशासनिक तकनीकी स्वीकृति पत्र, कोटेसन, एम.बी., स्टॉक रजिस्टर सहित समस्त प्रमाणक/वाउचर, मस्तर रोल आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। साथ ही ह्यूम पाइप दलवाई स्थल कि सूची भी अज्ञात रही। अतः उपरोक्त के अभाव में व्यय केंद्र वित्त से दर्शित धनराशि रु0 153148.00 एवं राज्य/14 वें वित्त से रु0 83861.00 कुल दर्शित व्यय रु0 237009.00 का अपहरण संबंधित उत्तरदायी व्यक्तियों, ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा कर लिया गया है जो वसूली योग्य है। अतः ग्राम प्रधान श्रीमती शशि सिंह से रु0 118504.50 तथा तत्कालीन सचिव श्री सुधाकर से रु0 118504.50 की वसूली की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपति संख्या- 4 धनराशि -

237009.00

प्रस्तर-64 राज्य वित्त योजना से कुल अनुदानित धनराशि से रु 40000+40000=80000.00 दिनांक 14-10-2020 को आहरित करके प्रशासनिक मद में व्यय के नाम पर रोकड़ बही में दर्शित किया गया था। परंतु संबंधित मद का विवरण बार-बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि “पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।”

अतः कुल दर्शित व्यय रु० 80000.00 का अपहरण संबंधित उत्तरदायी व्यक्तियों, ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा कर लिया गया है जो वसूली योग्य है। अतः ग्राम प्रधान श्रीमती शशि सिंह से रु0 40000.00 तथा सचिव श्री प्रद्युम्न कुमार से रु0 40000 की वसूली की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपति संख्या- 5 धनराशि - 80000.00

37- ग्राम पंचायत - धरकुड़ा

विकास खंड - हैदरगढ़

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-65 आलोच्य वित्तीय वर्ष के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लेखा परीक्षित कोशबही में अंतिम अवशेष रु0 1349369.60 और वित्तीय 2020-21 के कोशबही के प्रा0 अवशेष रु0 1293631.60 के बीच रु0 55738.00 का अंतर था। अंतर का कारण सचिव द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट है कि रु0 55738.00 कि धनराशि सीधे बैंक कहते से आहरित करके तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रद्युम्न एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रामरती द्वारा अपहरण किया गया। जिसकी वसूली नियमानुसार व्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती रामरती से तथा सचिव श्री प्रद्युम्न कुमार से की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपति संख्या-1 धनराशि - 55738.00

38- ग्राम पंचायत - मोहिउद्दीनसराय

विकास खंड - हैदरगढ़

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-66 ग्राम पंचायत मोहिउद्दीनसराय की वर्ष 2020-21 की ग्राम निधि एक की कैश बुक के अनुसार प्राथमिक विद्यालय मोहिउद्दीनसराय बॉउन्ड्रीवाल निर्माण मद में कुल रु0 467803.00 का व्यय निम्नांकित विवरणानुसार किया गया था -

दिनांक	फर्म का नाम मजदूरी /	धनराशि
16-06-2020	आदित्य ट्रेडर्स	37881.00
16-06-2020	आदित्य ट्रेडर्स	36000.00
16-06-2020	आदित्य ट्रेडर्स	140430.00
16-06-2020	मेसर्स सलमान ब्रिक फील्ड	143000.00
23-07-2020	मजदूरी मद मे	67086.00
17-09-2020	मजदूरी	14238.00
17-09-2020	तुषार हार्डवेयर	29168.00
	योग	467803.00

उक्त व्ययों से संबंधित कोई भी व्यय पत्रावली लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। अतः प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी की दुरभिसन्धि से रु० 467803.00 का अपहरण कर लिया गया है उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी”। वसूली के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। इस प्रकार पंचायती राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152,153,154,155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी वर्ष में दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में किया गया है। उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर रु० 467803.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। अतः रु० 233901.50 ग्राम प्रधान श्री सूरजभान वर्मा से एवं रु० 233901.50 ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री आनंद सिंह से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या- 1 धनराशि -

467803.00

प्रस्तर-67 ग्राम पंचायत मोहिउद्दीनसराय की वर्ष 2020-21 की ग्राम निधि एक की कैश बुक के अनुसार मोहिउद्दीनसराय पंचायत भवन मरम्मत मद मे कुल रु0 228508.00 का व्यय निम्नोक्त विवरणानुसार किया गया था -

दिनांक	फर्म का नाम मजदूरी /	धनराशि
05-09-2020	मजदूरी	57072.00
05-09-2020	तुषार हार्डवेयर	70253.00
05-09-2020	मेसर्स नेशनल हार्डवेयर	36396.00
05-09-2020	मेसर्स सलमान ब्रिक फील्ड	4882.00
17-09-2020	मेसर्स अनन्या इंटरप्राइजेज	45591.00
17-09-2020	मेसर्स मौर्या एलेक्ट्रॉनिक्स	14314.00

	योग	228508.00

उक्त व्ययों से संबंधित कोई भी व्यय पत्रावली लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। अतः प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी की दुरभिसन्धि से रु० 228508.00 का अपहरण कर लिया गया है उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी”। वसूली के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा । इस प्रकार पंचायती राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152,153,154,155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी वर्ष में दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में किया गया है। उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर रु० 228508.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है । अतः रु० 140254.00 ग्राम प्रधान श्री सूरजभान वर्मा से एवं रु० 140254.00 ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री आनंद सिंह से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या- 2 धनराशि - 228508.00

प्रस्तर-68 ग्राम पंचायत मोहिउद्दीनसराय की वर्ष 2020-21 की ग्राम निधि एक की कैश बुक के अनुसार मोहिउद्दीनसराय पंचायत भवन बाँउन्डीवाल निर्माण मद में कुल रु0 215974.00 का व्यय निम्नकित विवरणानुसार किया गया था -

दिनांक	फर्म का नाम मजदूरी /	धनराशि
07-09-2020	मजदूरी	11238.00
07-09-2020	मेसर्स सलमान ब्रिक फ़िल्ड	67472.00
17-09-2020	मजदूरी	31464.00
17-09-2020	मेसर्स आदित्य ट्रेडर्स	105800.00
	योग	215974.00

उक्त व्ययों से संबंधित कोई भी व्यय पत्रावली लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। अतः प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी की दुरभिसन्धि से रु० 215974.00 का अपहरण कर लिया गया है उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी”। वसूली के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा । इस प्रकार पंचायती राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152,153,154,155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी वर्ष में दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में किया गया है। उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर रु० 215974.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है । अतः रु० 107987.00 ग्राम प्रधान श्री सूरजभान वर्मा से एवं रु० 107987.00 ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री आनंद सिंह से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या- 3 धनराशि - 215974.00

39- ग्राम पंचायत -शिवराजपुर**विकास खंड - हैदरगढ़****जनपद - बाराबंकी**

प्रस्तर-69 ग्राम पंचायत में हैंडपंप मरम्मत कार्य के नाम पर व्यय रु0 59334.00 का फर्जी भुगतान-

11-09-2020	नेसनल हार्डवेयर	रु0 19778.00
28-11-2020	नेसनल हार्डवेयर	रु0 19778.00
28-11-2020	नेसनल हार्डवेयर	रु0 19778.00
	कुल	रु0 59334.00

उपरोक्त कार्य पर आफलाइन पत्रावली के अंतर्गत कार्य योजना, प्रशासनिक तकनीकी स्वीकृति पत्र, कोटेसन, एम.बी., डेड स्टॉक रजिस्टर सहित समस्त प्रमाणक/वाउचर, मस्टर रोल के साथ-साथ जल प्रबंध समिति की स्वीकृति एवं लाभार्थियों द्वारा मांग पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। अतः उपरोक्त के अभाव में व्यय दर्शित धनराशि रु0 59334.00 का अपहरण संबंधित उत्तरदायी व्यक्तियों, ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा कर लिया गया है जो वसूली योग्य है। अतः ग्राम प्रधान श्रीमती विजय कुमारी से रु0 29667.00 तथा सचिव श्री सतीश कुमार से रु0 29667.00 की वसूली की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या-1 धनराशि - 59334.00

प्रस्तर- 70 ग्राम पंचायत में नागेश्वर के घर से बाबू के घर तक खड़जा मरम्मत कार्य के नाम पर फर्जी भुगतान-

दिनांक	भुगतान किया गया	धनराशि
25.10.2020	प्रधान मजदूरी	10500.00
28.10.2020	प्रधान मजदूरी	6270.00
28.10.2020	चंद्र चूर्ण सिंह ब्रिक फील्ड से ईंट क्रय योग	22959.00
		39729.00

उपरोक्त कार्य पर आफलाइन पत्रावली के अंतर्गत कार्य योजना, प्रशासनिक तकनीकी स्वीकृति पत्र, कोटेसन, एम.बी., स्टॉक रजिस्टर सहित समस्त प्रमाणक/वाउचर, मस्टर रोल आदि अभिलेख अप्राप्त रहे। अतः उपरोक्त के अभाव में व्यय दर्शित धनराशि रु0 39729.00 का अपहरण संबंधित उत्तरदायी व्यक्तियों, ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा कर लिया गया है जो वसूली योग्य है। अतः ग्राम प्रधान श्रीमती विजय कुमारी से रु0 19864.50 तथा सचिव श्री सतीश कुमार से रु0 19864.50 की वसूली की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या-2 धनराशि -

39729.00

प्रस्तर- 71 ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय निर्माण के नाम पर दर्शित व्यय का फर्जी भुगतान किया गया।

दिनांक	भुगतान किया गया	धनराशि
02.10.2020	चंद्र चूर्ण सिंह ब्रिक फील्ड से ईंट क्रय	93030.00
02.10.2020	मिश्रा ट्रेडर्स से सामग्री क्रय	44920.00
14.10.2020	मिश्रा ट्रेडर्स से सामग्री क्रय	54504.00
14.10.2020	दरवाजा (प्रधान)	28758.00
28.11.2020	नेसनल हार्डवेयर सामग्री	27200.00
28.11.2020	मिश्रा ट्रेडर्स से सामग्री क्रय	7480.00
20.10.2020	जय राम मजदूरी	5850.00
28.11.2020	जय राम मजदूरी	10375.00
28.11.2020	विपिन मजदूरी योग	10800.00
		282917.00

उपरोक्त कार्य पर आफलाइन पत्रावली के अंतर्गत कार्य योजना, प्रशासनिक तकनीकी स्वीकृति पत्र, कोटेसन, एम.बी., स्टॉक रजिस्टर सहित समस्त प्रमाणक/वाउचर, मस्टर रोल आदि अभिलेख अप्राप्त रहे। अतः उपरोक्त के अभाव में फर्जी व्यय दर्शित कर धनराशि रु0 282917.00 का अपहरण संबंधित उत्तरदायी व्यक्तियों, ग्राम प्रधान एवं सचिव

द्वारा कर लिया गया है जो वसूली योग्य है। अतः ग्राम प्रधान श्रीमती विजय कुमारी से रु0 141458.50 तथा सचिव श्री सतीश कुमार से रु0 141458.50 की वसूली की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपति संख्या- 3 धनराशि - 282917.00

40- ग्राम पंचायत - टेरा कला

विकास खंड - देवा

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर- 72 ग्राम पंचायत टेरा कला की लेखा परीक्षा (वर्ष 2020-21) में प्रिया साफ्ट के अनुसार रु० 1817466.00 धन आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। चूँकि बैंक पासबुक/ बैंक स्टेटमेण्ट में भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा अतः वर्ष की आय भी अप्रमाणित रही। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी की दुरभिसन्धि से रु० 1817466.00 का अपहरण कर लिया गया है उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा । इस प्रकार पंचायती राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152,153,154,155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी वर्ष में दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में किया गया है। उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर रु० 1817466.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। ध्यातव्य हो कि इसी ग्राम पंचायत टेरा कला में पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के अभिलेख भी सम्बन्धित सचिव एवं प्रधान द्वारा तत्कालीन लेखापरीक्षक को नहीं उपलब्ध कराए गए थे जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2019-20 का समस्त व्यय भी प्रमाणकविहीन मानते हुए तत्कालीन लेखापरीक्षक द्वारा विशिष्ट प्रतिवेदन निर्गत किया गया है । इस प्रकार लगातार दूसरे वर्ष भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखापरीक्षा में न प्रस्तुत करना गंभीर अनुशासनहीनता को दर्शाता है एवं धन के अपहरण की संभावना को बल प्रदान करता है ।

अतः रु० 908733.00 ग्राम प्रधान श्री पुतान चंद्र से एवं रु० 908733.00 ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री वीरेंद्र प्रताप सरोज से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

41- ग्राम पंचायत - महारौड़ा

विकास खंड - देवा

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-73 ग्राम पंचायत महारौड़ा की लेखा परीक्षा (वर्ष 2020-21) में प्रिया साफ्ट के अनुसार रु० 1305005.00 धन आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। चूँकि बैंक पासबुक/ बैंक स्टेटमेण्ट में भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा अतः वर्ष की आय भी अप्रमाणित रही। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी की दुरभिसन्धि से रु० 1305005.00 का अपहरण कर लिया गया है उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा । इस प्रकार पंचायती राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152,153,154,155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी वर्ष में दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में किया गया है। उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर रु० 1305005.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित

सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। ध्यातव्य हो कि इसी ग्राम पंचायत महारौड़ा में पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के अभिलेख भी सम्बन्धित सचिव एवं प्रधान द्वारा तत्कालीन लेखापरीक्षक को नहीं उपलब्ध कराए गए थे जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2019-20 का समस्त व्यय भी प्रमाणकविहीन मानते हुए तत्कालीन लेखापरीक्षक द्वारा विशिष्ट प्रतिवेदन निर्गत किया गया है। इस प्रकार लगातार दूसरे वर्ष भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखापरीक्षा में न प्रस्तुत करना गंभीर अनुशासनहीनता को दर्शाता है एवं धन के अपहरण की संभावना को बल प्रदान करता है।

अतः रु० 652502.50 ग्राम प्रधान श्री राकेश कुमार से एवं रु० 652502.50 ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री वीरेंद्र प्रताप सरोज से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

42- ग्राम पंचायत - धरसंडा

विकास खंड - देवा

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-74 ग्राम पंचायत धरसंडा की लेखा परीक्षा (वर्ष 2020-21) में प्रिया साफ्ट के अनुसार रु० 1835273.45 धन आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। चूँकि बैंक पासबुक/ बैंक स्टेटमेंट में भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा अतः वर्ष की आय भी अप्रमाणित रही। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी की दुरभिसन्धि से रु० 1835273.45 का अपहरण कर लिया गया है उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। इस प्रकार पंचायती राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152,153,154,155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी वर्ष में दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में किया गया है। उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर रु० 1835273.45 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। ध्यातव्य हो कि इसी ग्राम पंचायत धरसंडा में पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के अभिलेख भी सम्बन्धित सचिव एवं प्रधान द्वारा तत्कालीन लेखापरीक्षक को नहीं उपलब्ध कराए गए थे जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2019-20 का समस्त व्यय भी प्रमाणकविहीन मानते हुए तत्कालीन लेखापरीक्षक द्वारा विशिष्ट प्रतिवेदन निर्गत किया गया है। इस प्रकार लगातार दूसरे वर्ष भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखापरीक्षा में न प्रस्तुत करना गंभीर अनुशासनहीनता को दर्शाता है एवं धन के अपहरण की संभावना को बल प्रदान करता है।

नोट- आलोच्य वर्ष में प्रिया साफ्ट के अनुसार रुपए 400.00 सम्पूर्ण वर्ष में प्रधान के पास रोकड़ हस्त रहा। जिसे वर्ष के अंत तक संबंधित खाते में जमा किया जाना चाहिए था। जिस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

अतः रु० 917636.72 ग्राम प्रधान श्री राम प्रसाद से एवं रु० 917636.72 ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्रीमती रूपम शुक्ल से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

43- ग्राम पंचायत - टिकरापट्टी

विकास खंड - देवा

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-75 ग्राम पंचायत टिकरा पट्टी की लेखा परीक्षा (वर्ष 2020-21) में प्रिया साफ्ट के अनुसार रु० 1415629.00 धन आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। चूँकि बैंक पासबुक/ बैंक स्टेटमेंट में भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा अतः वर्ष की आय

भी अप्रमाणित रही। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी की दुरभिसन्धि से रु० 1415629.00 का अपहरण कर लिया गया है उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा । इस प्रकार पंचायती राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152,153,154,155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी वर्ष में दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में किया गया है। उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर रु० 1415629.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। ध्यातव्य हो कि इसी ग्राम पंचायत टिकरा पट्टी में पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के अभिलेख भी सम्बन्धित सचिव एवं प्रधान द्वारा तत्कालीन लेखापरीक्षक को नहीं उपलब्ध कराए गए थे जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2019-20 का समस्त व्यय भी प्रमाणकविहीन मानते हुए तत्कालीन लेखापरीक्षक द्वारा विशिष्ट प्रतिवेदन निर्गत किया गया है । इस प्रकार लगातार दूसरे वर्ष भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखापरीक्षा में न प्रस्तुत करना गंभीर अनुशासनहीनता को दर्शाता है एवं धन के अपहरण की संभावना को बल प्रदान करता है ।

अतः रु० 707814.50 ग्राम प्रधान श्री रामानुज से एवं रु० 707814.50 ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री कुँवर स्वरूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

44- ग्राम पंचायत – पींड

विकास खंड – देवा

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-76 ग्राम पंचायत पींड की लेखा परीक्षा (वर्ष 2020-21) में प्रिया साफ्ट के अनुसार रु० 1792741.00 धन आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। चूँकि बैंक पासबुक/ बैंक स्टेटमेंट में भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा अतः वर्ष की आय भी अप्रमाणित रही। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी की दुरभिसन्धि से रु० 1792741.00 का अपहरण कर लिया गया है उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा । इस प्रकार पंचायती राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152,153,154,155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी वर्ष में दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में किया गया है। उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर रु० 1792741.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। ध्यातव्य हो कि इसी ग्राम पंचायत पींड में पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के अभिलेख भी सम्बन्धित सचिव एवं प्रधान द्वारा तत्कालीन लेखापरीक्षक को नहीं उपलब्ध कराए गए थे जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2019-20 का समस्त व्यय भी प्रमाणकविहीन मानते हुए तत्कालीन लेखापरीक्षक द्वारा विशिष्ट प्रतिवेदन निर्गत किया गया है । इस प्रकार लगातार दूसरे वर्ष भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखापरीक्षा में न प्रस्तुत करना गंभीर अनुशासनहीनता को दर्शाता है एवं धन के अपहरण की संभावना को बल प्रदान करता है ।

अतः रु० 896370.50 ग्राम प्रधान श्री प्रदीप कुमार से एवं रु० 896370.50 ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री वीरेंद्र प्रताप सरोज से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

45- ग्राम पंचायत - चंदौली**विकास खंड - देवा****जनपद - बाराबंकी**

प्रस्तर-77 ग्राम पंचायत चंदौली की लेखा परीक्षा (वर्ष 2020-21) में प्रिया साफ्ट के अनुसार रु० 644077.00 धन आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। चूंकि बैंक पासबुक/ बैंक स्टेटमेंट में भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा अतः वर्ष की आय भी अप्रमाणित रही। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी की दुरभिसन्धि से रु० 644077.00 का अपहरण कर लिया गया है उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा । इस प्रकार पंचायती राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152,153,154,155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी वर्ष में दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में किया गया है। उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर रु० 644077.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। ध्यातव्य हो कि इसी ग्राम पंचायत चंदौली में पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के अभिलेख भी सम्बन्धित सचिव एवं प्रधान द्वारा तत्कालीन लेखापरीक्षक को नहीं उपलब्ध कराए गए थे जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2019-20 का समस्त व्यय भी प्रमाणकविहीन मानते हुए तत्कालीन लेखापरीक्षक द्वारा विशिष्ट प्रतिवेदन निर्गत किया गया है । इस प्रकार लगातार दूसरे वर्ष भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखापरीक्षा में न प्रस्तुत करना गंभीर अनुशासनहीनता को दर्शाता है एवं धन के अपहरण की संभावना को बल प्रदान करता है ।

अतः रु० 322038.50 ग्राम प्रधान श्री वीरेंद्र से एवं रु० 322038.50 ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री वीरेंद्र प्रताप सरोज से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

46- ग्राम पंचायत - जबुरीखुर्द**विकास खंड - देवा****जनपद - बाराबंकी**

प्रस्तर-78 ग्राम पंचायत जबुरी खर्द की लेखा परीक्षा (वर्ष 2020-21) में प्रिया साफ्ट के अनुसार रु० 451644.00 धन आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। चूंकि बैंक पासबुक/ बैंक स्टेटमेंट में भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा अतः वर्ष की आय भी अप्रमाणित रही। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी की दुरभिसन्धि से रु० 451644.00 का अपहरण कर लिया गया है उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा । इस प्रकार पंचायती राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152,153,154,155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी वर्ष में दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में किया गया है। उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर रु० 451644.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। ध्यातव्य हो कि इसी ग्राम पंचायत जबुरी खर्द में पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के अभिलेख भी सम्बन्धित सचिव एवं प्रधान द्वारा तत्कालीन लेखापरीक्षक को नहीं उपलब्ध कराए

गए थे जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2019-20 का समस्त व्यय भी प्रमाणकविहीन मानते हुए तत्कालीन लेखापरीक्षक द्वारा विशिष्ट प्रतिवेदन निर्गत किया गया है। इस प्रकार लगातार दूसरे वर्ष भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखापरीक्षा में न प्रस्तुत करना गंभीर अनुशासनहीनता को दर्शाता है एवं धन के अपहरण की संभावना को बल प्रदान करता है।

अतः रु० 225822.00 ग्राम प्रधान गुले हाशमी से एवं रु० 225822.00 ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री वीरेंद्र प्रताप सरोज से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

47- ग्राम पंचायत – बरेठी

विकास खंड – देवा

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-79 ग्राम पंचायत बरेठी की लेखा परीक्षा (वर्ष 2020-21) में प्रिया साफ्ट के अनुसार रु० 1073126.00 धन आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। चूँकि बैंक पासबुक/ बैंक स्टेटमेंट में भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा अतः वर्ष की आय भी अप्रमाणित रही। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी की दुरभिसन्धि से रु० 1073126.00 का अपहरण कर लिया गया है उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। इस प्रकार पंचायती राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152,153,154,155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी वर्ष में दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में किया गया है। उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर रु० 1073126.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। ध्यातव्य हो कि इसी ग्राम पंचायत बरेठी में पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के अभिलेख भी सम्बन्धित सचिव एवं प्रधान द्वारा तत्कालीन लेखापरीक्षक को नहीं उपलब्ध कराए गए थे जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2019-20 का समस्त व्यय भी प्रमाणकविहीन मानते हुए तत्कालीन लेखापरीक्षक द्वारा विशिष्ट प्रतिवेदन निर्गत किया गया है। इस प्रकार लगातार दूसरे वर्ष भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखापरीक्षा में न प्रस्तुत करना गंभीर अनुशासनहीनता को दर्शाता है एवं धन के अपहरण की संभावना को बल प्रदान करता है।

अतः रु० 536563.00 ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता से एवं रु० 536563.00 ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री कुँवर स्वरूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

48- ग्राम पंचायत – बबुरीगाँव

विकास खंड – देवा

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर- 80 ग्राम पंचायत बबुरी गाँव की लेखा परीक्षा (वर्ष 2020-21) में प्रिया साफ्ट के अनुसार रु० 3039840.00 धन आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। चूँकि बैंक पासबुक/ बैंक स्टेटमेंट में भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा अतः वर्ष की आय भी अप्रमाणित रही। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी की दुरभिसन्धि से रु० 3039840.00 का अपहरण कर लिया गया है उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत

सचिव से की जायेगी। वसूली के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा । इस प्रकार पंचायती राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152,153,154,155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी वर्ष में दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में किया गया है। उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर रु० 3039840.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। ध्यातव्य हो कि इसी ग्राम पंचायत बबुरी गाँव में पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के अभिलेख भी सम्बन्धित सचिव एवं प्रधान द्वारा तत्कालीन लेखापरीक्षक को नहीं उपलब्ध कराए गए थे जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2019-20 का समस्त व्यय भी प्रमाणकविहीन मानते हुए तत्कालीन लेखापरीक्षक द्वारा विशिष्ट प्रतिवेदन निर्गत किया गया है । इस प्रकार लगातार दूसरे वर्ष भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखापरीक्षा में न प्रस्तुत करना गंभीर अनुशासनहीनता को दर्शाता है एवं धन के अपहरण की संभावना को बल प्रदान करता है ।

अतः रु० 1519920.00 ग्राम प्रधान श्री अवधेश कुमार से एवं रु० 1519920.00 ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री वीरेंद्र प्रताप सरोज से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

49- ग्राम पंचायत - करौदा

विकास खंड - देवा

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर- 81 ग्राम पंचायत करौदा की लेखा परीक्षा (वर्ष 2020-21) में प्रिया साफ्ट के अनुसार रु० 1200108.00 धन आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। चूँकि बैंक पासबुक/ बैंक स्टेटमेंट में भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा अतः वर्ष की आय भी अप्रमाणित रही। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी की दुरभिसन्धि से रु० 1200108.00 का अपहरण कर लिया गया है उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा । इस प्रकार पंचायती राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152,153,154,155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी वर्ष में दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में किया गया है। उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर रु० 1200108.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। ध्यातव्य हो कि इसी ग्राम पंचायत करौदा में पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के अभिलेख भी सम्बन्धित सचिव एवं प्रधान द्वारा तत्कालीन लेखापरीक्षक को नहीं उपलब्ध कराए गए थे जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2019-20 का समस्त व्यय भी प्रमाणकविहीन मानते हुए तत्कालीन लेखापरीक्षक द्वारा विशिष्ट प्रतिवेदन निर्गत किया गया है । इस प्रकार लगातार दूसरे वर्ष भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखापरीक्षा में न प्रस्तुत करना गंभीर अनुशासनहीनता को दर्शाता है एवं धन के अपहरण की संभावना को बल प्रदान करता है ।

अतः रु० 600054.00 ग्राम प्रधान श्री गजराज से एवं रु० 600054.00 ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री कुँवर स्वरूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

50- ग्राम पंचायत - गौरिया

विकास खंड - देवा

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर- 82 ग्राम पंचायत गौरिया की लेखा परीक्षा (वर्ष 2020-21) में प्रिया साफ्ट के अनुसार रु० 721650.00 धन आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन

रहा। चूँकि बैंक पासबुक/ बैंक स्टेटमेंट में भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा अतः वर्ष की आय भी अप्रमाणित रही। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी की दुरभिसन्धि से रु० 721650.00 का अपहरण कर लिया गया है उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा । इस प्रकार पंचायती राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152,153,154,155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी वर्ष में दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में किया गया है। उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर रु० 721650.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। ध्यातव्य हो कि इसी ग्राम पंचायत गौरिया में पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के अभिलेख भी सम्बन्धित सचिव एवं प्रधान द्वारा तत्कालीन लेखापरीक्षक को नहीं उपलब्ध कराए गए थे जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2019-20 का समस्त व्यय भी प्रमाणकविहीन मानते हुए तत्कालीन लेखापरीक्षक द्वारा विशिष्ट प्रतिवेदन निर्गत किया गया है । इस प्रकार लगातार दूसरे वर्ष भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखापरीक्षा में न प्रस्तुत करना गंभीर अनुशासनहीनता को दर्शाता है एवं धन के अपहरण की संभावना को बल प्रदान करता है ।

अतः रु० 360825.00 ग्राम प्रधान श्री कोमल प्रसाद से एवं रु० 360825.00 ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री कुँवर स्वरूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

51- ग्राम पंचायत - शाहपुर

विकास खंड - देवा

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-83 ग्राम पंचायत शाहपुर की लेखा परीक्षा (वर्ष 2020-21) में प्रिया साफ्ट के अनुसार रु० 1947311.00 धन आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। चूँकि बैंक पासबुक/ बैंक स्टेटमेंट में भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा अतः वर्ष की आय भी अप्रमाणित रही। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी की दुरभिसन्धि से रु० 1947311.00 का अपहरण कर लिया गया है उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा । इस प्रकार पंचायती राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152,153,154,155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी वर्ष में दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में किया गया है। उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर रु० 1947311.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। ध्यातव्य हो कि इसी ग्राम पंचायत शाहपुर में पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के अभिलेख भी सम्बन्धित सचिव एवं प्रधान द्वारा तत्कालीन लेखापरीक्षक को नहीं उपलब्ध कराए गए थे जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2019-20 का समस्त व्यय भी प्रमाणकविहीन मानते हुए तत्कालीन लेखापरीक्षक द्वारा विशिष्ट प्रतिवेदन निर्गत किया गया है । इस प्रकार लगातार दूसरे वर्ष भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखापरीक्षा में न प्रस्तुत करना गंभीर अनुशासनहीनता को दर्शाता है एवं धन के अपहरण की संभावना को बल प्रदान करता है ।

अतः रु० 973655.50 ग्राम प्रधान श्री दिनेश कुमार से एवं रु० 973655.50 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री कुँवर स्वरूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

52- ग्राम पंचायत - मोहनपुर**विकास खंड - देवा****जनपद - बाराबंकी**

प्रस्तर-84 ग्राम पंचायत मोहनपुर की लेखा परीक्षा (वर्ष 2020-21) में प्रिया साफ्ट के अनुसार रु० 1028891.00 धन आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। चूंकि बैंक पासबुक/ बैंक स्टेटमेंट में भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा अतः वर्ष की आय भी अप्रमाणित रही। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी की दुरभिसन्धि से रु० 1028891.00 का अपहरण कर लिया गया है उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा । इस प्रकार पंचायती राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152,153,154,155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी वर्ष में दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में किया गया है। उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर रु० 1028891.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। ध्यातव्य हो कि इसी ग्राम पंचायत मोहनपुर में पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के अभिलेख भी सम्बन्धित सचिव एवं प्रधान द्वारा तत्कालीन लेखापरीक्षक को नहीं उपलब्ध कराए गए थे जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2019-20 का समस्त व्यय भी प्रमाणकविहीन मानते हुए तत्कालीन लेखापरीक्षक द्वारा विशिष्ट प्रतिवेदन निर्गत किया गया है । इस प्रकार लगातार दूसरे वर्ष भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखापरीक्षा में न प्रस्तुत करना गंभीर अनुशासनहीनता को दर्शाता है एवं धन के अपहरण की संभावना को बल प्रदान करता है ।

अतः रु० 514445.50 ग्राम प्रधान श्रीमती शिवरानी से एवं रु० 514445.50 ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री वीरेंद्र प्रताप सरोज से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

53- ग्राम पंचायत - खेवली**विकास खंड - देवा****जनपद - बाराबंकी**

प्रस्तर-85 ग्राम पंचायत खेवली की लेखा परीक्षा (वर्ष 2020-21) में प्रिया साफ्ट के अनुसार रु० 2742386.00 धन आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। चूंकि बैंक पासबुक/ बैंक स्टेटमेंट में भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा अतः वर्ष की आय भी अप्रमाणित रही। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी की दुरभिसन्धि से रु० 2742386.00 का अपहरण कर लिया गया है उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा । इस प्रकार पंचायती राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152,153,154,155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी वर्ष में दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में किया गया है। उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर रु० 2742386.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। ध्यातव्य हो कि इसी ग्राम पंचायत खेवली में पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के अभिलेख भी सम्बन्धित सचिव एवं प्रधान द्वारा तत्कालीन लेखापरीक्षक को नहीं उपलब्ध कराए

गए थे जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2019-20 का समस्त व्यय भी प्रमाणकविहीन मानते हुए तत्कालीन लेखापरीक्षक द्वारा विशिष्ट प्रतिवेदन निर्गत किया गया है। इस प्रकार लगातार दूसरे वर्ष भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखापरीक्षा में न प्रस्तुत करना गंभीर अनुशासनहीनता को दर्शाता है एवं धन के अपहरण की संभावना को बल प्रदान करता है।

अतः रु० 1371193.00 ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम यादव से एवं रु० 1371193.00 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री कुँवर स्वरूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

54- ग्राम पंचायत – सिसवारा

विकास खंड – देवा

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-86 ग्राम पंचायत सिसवारा की कोषबही (वर्ष 2020-2021) व व्यय प्रमाणक वर्तमान में तैनात ग्राम विकास अधिकारी श्री सुरेश रतन द्वारा माह नवम्बर 2020 से 30/03/2021 तक की अवधि के ही लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किए गए। वर्तमान सचिव श्री सुरेश रतन द्वारा प्रस्तुत कोषबही के प्रथम पृष्ठ पर यह प्रमाणित किया गया है कि दिनांक 01/04/2020 से दिनांक- 30/10/2020 की अवधि की कोषबही व अन्य व्यय प्रमाणक तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री वीरेन्द्र प्रताप सरोज द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गयी। अतः उक्त अवधि दिनांक - (01/04/2020 से 30/10/2020) की कोषबही व अन्य अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। जोकि शासनादेश संख्या- 06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 का उल्लंघन है। जिसमें यह निर्देश है कि ग्राम पंचायतों के सचिव (ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी) के स्थानांतरण के उपरान्त प्रतिस्थानी को चार्ज/ अभिलेख एक सप्ताह के भीतर हस्तान्तरण न करने वाले ग्राम पंचायत के सचिव के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित कराते हुए शासन को अवगत कराया जाएगा। इसके उपरान्त भी यदि 10 दिन के भीतर प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

ग्राम पंचायत में तैनात वर्तमान सचिव श्री सुरेश रतन द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक खाते के अनुसार दिनांक- 01/04/2020 से 30/10/2020 की अवधि में तत्कालीन सचिव श्री वीरेन्द्र प्रताप सरोज व ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र प्रसाद द्वारा पंचायत राज्यवित्त का रु०-189766.00 व्यय किया गया है जिसको कोई भी व्यय प्रमाणक व कार्य पत्रावलियां एवं कोषबही लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र प्रसाद एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री वीरेन्द्र प्रताप सरोज की दुरभिसन्धि से रु०189766.00का अपहरण कर लिया गया है उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 में उल्लिखित प्रविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। इस प्रकार पंचायती राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152,153,154,155 एवं 156 के प्रविधानों का उल्लंघन भी वर्ष में दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में किया गया है। उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रु०189766.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः रु० 94883.00 ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र प्रसाद से एवं रु० 94883.00 ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री वीरेन्द्र प्रताप सरोज से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

55- ग्राम पंचायत – दौंडिहारा

विकास खंड – देवा

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-87 ग्राम पंचायत दौंडिहारा की लेखा परीक्षा (वर्ष 2020-2021) में माह अक्टूबर 2020 में दर्शाये गए समस्त व्यय रु० 266677.00 से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। वर्तमान सचिव श्री सुरेश रतन द्वारा मौखिक रूप से बताया गया की उक्त अवधि की कोई भी पत्रावलियां तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी

श्री वीरेन्द्र प्रताप सरोज द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गयी। जोकि शासनादेश संख्या- 06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 का उल्लंखन है। जिसमें यह निर्देश है कि ग्राम पंचायतों के सचिव (ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी) के स्थानांतरण के उपरान्त प्रतिस्थानी को चार्ज/ अभिलेख एक सप्ताह के भीतर हस्तान्तरण न करने वाले ग्राम पंचायत के सचिव के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित कराते हुए शासन को अवगत कराया जाएगा। इसके उपरान्त भी यदि 10 दिन के भीतर प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

अतः उक्त अवधि (अक्टूबर 2020) का समस्त व्यय रु0 266677.00 प्रमाणक विहीन रहा । प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम देवी एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री वीरेन्द्र प्रताप सरोज की दुरभिसन्धि से रु0266677.00का अपहरण कर लिया गया है उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा । इस प्रकार पंचायती राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152,153,154,155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी वर्ष में दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में किया गया है। उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रु0 266677.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः रु0 133338.50 ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम देवी से एवं रु0 133338.50 ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री वीरेन्द्र प्रताप सरोज से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

56- ग्राम पंचायत – मलूकपुर

विकास खंड – देवा

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-88 ग्राम पंचायत मलूकपुर की लेखा परीक्षा (वर्ष 2020-21) में कोशबही के अनुसार रु0 2615513.00 धन आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोशबही एवं बैंक स्टेटमेंट के अलावा अन्य कोई भी अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी की दुरभिसन्धि से रु0 2615513.00 का अपहरण कर लिया गया है उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा । इस प्रकार पंचायती राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152,153,154,155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी वर्ष में दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में किया गया है। उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर रु0 2615513.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः रु0 1307756.50 ग्राम प्रधान श्रीमती चंद्रावती से एवं रु0 1307756.50 ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री शिव कुमार से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

57- ग्राम पंचायत – खिजिरपुर इनायतपुर

विकास खंड – देवा

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-89 ग्राम पंचायत खिजिरपुर इनायतपुर की लेखा परीक्षा (वर्ष 2020-21) में कोशबही के अनुसार रु० 1715949.00 धन आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोशबही एवं बैंक स्टेटमेंट के अलावा अन्य कोई भी अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी की दुरभिसन्धि से रु० 1715949.00 का अपहरण कर लिया गया है उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा । इस प्रकार पंचायती राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152,153,154,155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी वर्ष में दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में किया गया है। उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर रु० 1715949.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः रु० 857974.50 ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम रावत से एवं रु० 857974.50 ग्राम पंचायत/

58- ग्राम पंचायत – सैहारा

विकास खंड – देवा

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर - 90 आलोच्य वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत सैहारा की लेखा परीक्षा के दौरान यह प्रकाश में आया कि माह अक्टूबर 2020 में चौदहवें वित्त का रुपये 100875.00 चतुर्थ राज्य वित्त में व्यय करके मद का विचलन किया गया है जो की अनियमित है एवं डाइवर्जन ऑफ फंड की श्रेणी में आता है। अतः विभागीय जांच कर उक्त धनराशि रुपए 100875.00 की वसूली / विभागीय कार्यवाही समान रूप से ग्राम प्रधान- श्री ज्ञान सिंह 100875.00

59- ग्राम पंचायत – महोलिया

विकास खंड – देवा

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर- 91 ग्राम पंचायत महोलिया की लेखा परीक्षा (वर्ष 2020-21) में प्रिया साफ्ट के अनुसार रु० 853632.00 धन आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। चूंकि बैंक पासबुक/ बैंक स्टेटमेंट में भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा अतः वर्ष की आय भी अप्रमाणित रही। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी की दुरभिसन्धि से रु० 853632.00 का अपहरण कर लिया गया है उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा । इस प्रकार पंचायती राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152,153,154,155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी वर्ष में दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में किया गया है। उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर रु० 853632.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः रु० 426816.00 ग्राम प्रधान रजिया से एवं रु० 426816.00 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री हरीराम से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

60- ग्राम पंचायत – कंजवारा**विकास खंड – देवा****जनपद - बाराबंकी**

प्रस्तर- 92 ग्राम पंचायत कंजवारा की लेखा परीक्षा (वर्ष 2020-21) में प्रिया साफ्ट के अनुसार रु० 422308.00 धन आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। चूँकि बैंक पासबुक/ बैंक स्टेटमेंट में भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा अतः वर्ष की आय भी अप्रमाणित रही। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी की दुरभिसन्धि से रु० 422308.00 का अपहरण कर लिया गया है उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। इस प्रकार पंचायती राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152,153,154,155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी वर्ष में दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में किया गया है। उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर रु० 422308.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः रु० 211154.00 ग्राम प्रधान श्री शिव बरन से एवं रु० 211154.00 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री हरीराम से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

61- ग्राम पंचायत – कोनागाँव**विकास खंड – देवा****जनपद - बाराबंकी**

प्रस्तर-93 ग्राम पंचायत कोनागाँव की लेखा परीक्षा (वर्ष 2020-21) में प्रिया साफ्ट के अनुसार रु० 882058.00 धन आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। चूँकि बैंक पासबुक/ बैंक स्टेटमेंट में भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा अतः वर्ष की आय भी अप्रमाणित रही। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी की दुरभिसन्धि से रु० 882058.00 का अपहरण कर लिया गया है उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। इस प्रकार पंचायती राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152,153,154,155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी वर्ष में दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में किया गया है। उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर रु० 882058.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः रु० 441029.00 ग्राम प्रधान फहीम अहमद से एवं रु० 441029.00 ग्राम पंचायत/ विकास

62- ग्राम पंचायत – खजूरगाँव**विकास खंड – देवा****जनपद - बाराबंकी**

प्रस्तर-94 ग्राम पंचायत खजूरगाँव की लेखा परीक्षा (वर्ष 2020-21) में प्रिया साफ्ट के अनुसार रु० 1507656.00 धन आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। चूँकि बैंक पासबुक/ बैंक स्टेटमेंट में भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा अतः वर्ष की आय भी अप्रमाणित

रही। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी की दुरभिसन्धि से रु० 1507656.00 का अपहरण कर लिया गया है उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा । इस प्रकार पंचायती राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152,153,154,155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी वर्ष में दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में किया गया है। उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर रु० 1507656.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। ध्यातव्य हो कि इसी ग्राम पंचायत खजूरगाँव में पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के अभिलेख भी सम्बन्धित सचिव एवं प्रधान द्वारा तत्कालीन लेखापरीक्षक को नहीं उपलब्ध कराए गए थे जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2019-20 का समस्त व्यय भी प्रमाणकविहीन मानते हुए तत्कालीन लेखापरीक्षक द्वारा विशिष्ट प्रतिवेदन निर्गत किया गया है । इस प्रकार लगातार दूसरे वर्ष भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखापरीक्षा में न प्रस्तुत करना गंभीर अनुशासनहीनता को दर्शाता है एवं धन के अपहरण की संभावना को बल प्रदान करता है ।

अतः रु० 753828.00 ग्राम प्रधान सोनापति से एवं रु० 753828.00 ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री कुँवर स्वरूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**63- ग्राम पंचायत - बसारा **

विकास खंड - फतेहपुर

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-95 ग्राम पंचायत बसारा में नाली निर्माण कार्य हेतु श्री ट्रेडर्स को दिनांक 26.06.2020 में रईस के घर से हथगढ़ा तक के लिए रुपए 86041.00 एवं दिनांक 10.07.2020 में वर्मा ब्रिक फील्ड को रु० 53949.00 कुल रु० 139990.00 का व्यय कोशबही एवं प्रिया साफ्ट में दर्शित पाया गया। व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान सम्बन्धित कार्य के व्यय प्रमाणक/ समस्त वांछित अभिलेख जैसे- स्टीमेट, मस्टर रोल, स्टाक पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, निर्माण कार्य रजिस्टर, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट आदि अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध न थे। साथ ही नाली निर्माण कार्य की वास्तविक दूरी (मीटर में) का विवरण अज्ञात रहा। जिससे कार्य में लागत सामग्री का वास्तविक अनुमान लगाया जाना सम्भव न रहा। उपरोक्त के अभाव में व्यय अपुष्ट रहा। अतः प्रमाणक/अभिलेख विहीन दर्शित व्यय का अपहरण सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी द्वारा कर लिया गया। जिसकी वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती इसरत जहाँ से रु० 69995.00 की तथा सचिव श्री विजय कुमार से रु० 69995.00 की वसूली समान रूप से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-96 आलोच्य वर्ष में कल्लू पाण्डेय के घर से असगर के घर तक खड़जा निर्माण कार्य हेतु दिनांक 15.07.2020 को मजदूरी हेतु रु 17290.00 एवं दिनांक 16.07.2020 में वर्मा ब्रिक फील्ड को रु० 60149.00 तथा दिनांक 03.08.2020 में मिट्टी कार्य हेतु रु० 11034.00 कुल रु० 88473.00 का व्यय कोशबही/इ-ग्राम स्वराज्य पर दर्शित पाया गया। व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान सम्बन्धित कार्य के व्यय प्रमाणक एवं समस्त वांछित अभिलेख जैसे- स्टीमेट, मस्टर रोल, स्टाक पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, निर्माण कार्य रजिस्टर, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट आदि अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध न थे। साथ ही खड़जा निर्माण कार्य की वास्तविक दूरी (मीटर में) का विवरण अज्ञात रहा। जिससे कार्य में लागत सामग्री/ईंट का वास्तविक अनुमान लगाया जाना सम्भव न रहा। उपरोक्त के अभाव में व्यय अपुष्ट रहा। अतः प्रमाणक विहीन दर्शित व्यय का अपहरण सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी द्वारा कर लिया गया। जिसकी

वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती इसरत जहाँ से रु0 44236.50 की तथा सचिव श्री विजय कुमार से रु0 44236.50 की वसूली समान रूप से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-97 आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु सौरभ कॉन्ट्रेक्टर को दिनांक 17.08.2020 में रु0 148800.00 का भुगतान किया जाना कोषबही में दर्शित पाया गया। कार्य के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0, टेण्डर/कोटेशन, कार्य स्वीकृति एवं उनके उपभोग प्रमाण-पत्र, लाभार्थी द्वारा मांग पत्र, उपभोग स्थल की सूची तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणक/वाउचर के अभाव में उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नहीं होती। अतः प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर धनराशि रु0 148800.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती इसरत जहाँ से रु0 74400.00 की तथा सचिव श्री विजय कुमार से रु0 74400.00 की वसूली समान रूप से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-98 आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत कार्य हेतु सुंदरलाल कन्स्ट्रक्सन को दिनांक 28.09.2020 एवं 10.11.2020 रु0 19980.00 तथा 19980.00 कुल 39960.00 का भुगतान किया जाना कोषबही में दर्शित पाया गया। कार्य के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0, टेण्डर/कोटेशन, कार्य स्वीकृति एवं उनके उपभोग प्रमाण-पत्र, लाभार्थी द्वारा मांग पत्र, उपभोग स्थल की सूची तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणक/वाउचर के अभाव में उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नहीं होती। अतः प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर धनराशि रु0 39960.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती इसरत जहाँ से रु0 19980.00 की तथा सचिव श्री विजय कुमार से रु0 19980.00 की वसूली समान रूप से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-99 आलोच्य वर्ष 2020-21 में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य हेतु दिनांक 21.11.2020 को मजदूरी हेतु रु 22500.00, श्री टेडर्स से सामग्री हेतु रु0 27495.00 तथा 78301, वर्मा ब्रिक फील्ड को रु0 84547.00 तथा दिनांक 19.12.2020 में रंगायी-पुताई की मजदूरी कार्य हेतु रु0 10879.00 कुल रु0 223722.00 का व्यय कोषबही/इ-ग्राम स्वराज्य पर दर्शित पाया गया। उक्त निर्माण कहाँ किया गया है विवरण अज्ञात रहा। साथ ही व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान सम्बन्धित कार्य के व्यय प्रमाणक/बिल वाउचर्स एवं समस्त वांछित अभिलेख जैसे- स्टीमेट, मस्टर रोल, स्टॉक पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, निर्माण कार्य रजिस्टर, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट आदि अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध न थे। उपरोक्त के अभाव में व्यय अपुष्ट रहा। अतः प्रमाणक विहीन दर्शित व्यय का अपहरण सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी द्वारा कर लिया गया। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती इसरत जहाँ से रु0 111861.00 की तथा सचिव श्री विजय कुमार से रु0 111861.00 की वसूली समान रूप से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर- 100 आलोच्य वर्ष 21-2020में प्राथमिक विद्यालय बसारा में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य हेतु निम्न विवरण के अनुसार व्यय किया जाना दर्शित पाया गया -

क्रम	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	19.12.2020	27627.00	मजदूरी हेतु
2		19831.00	श्री टेडर्स से सामग्री क्रय हेतु
3		60688.00	श्री टेडर्स से सामग्री क्रय हेतु
4		46152.00	वर्मा ब्रिक फील्ड को भुगतान
5		16956.00	सुंदरलाल कन्स्ट्रक्सन को सामग्री हेतु भुगतान
6		9625.00	सुंदरलाल कन्स्ट्रक्सन को सामग्री हेतु भुगतान
7	22.02.2021	21600.00	मजदूरी)राजगीर (हेतु भुगतान
8		9676.00	सुंदरलाल कन्स्ट्रक्सन को भुगतान

9		23139.00	वर्मा ब्रिक फील्ड को भुगतान
10		12600.00	मजदूरी)राजगीर(
11		51667.00	श्री टेडर्स से सामग्री क्रय हेतु
12		43000.00	संरसेवल स्थापना हेतु जसीम पाइप स्टोर को भुगतान
13	22.02.2021	2700.00	मजदूरी
14		5000.00	सटरिंग किराया, लेबर, भाड़ा
15		10800.00	मजदूरी
16		55531.00	श्री टेडर्स को भुगतान
	योग	416600.00	

उपरोक्त विवरण में शौचालय निर्माण कार्य हेतु कुल रु 416600.00 का व्यय कोशबही/इ-ग्राम स्वराज्य पर दर्शित पाया गया। उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान सम्बन्धित कार्य के व्यय प्रमाणक/बिल वाउचर्स एवं समस्त वांछित अभिलेख जैसे -स्टीमेट, मस्टर रोल, स्टॉक पंजिका, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, निर्माण कार्य रजिस्टर, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट आदि अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध न थे। उपरोक्त के अभाव में व्यय अपुष्ट रहा। अतः प्रमाणक/अभिलेख विहीन दर्शित व्यय रु 416600.00 का अपहरण सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी द्वारा कर लिया गया। जिसकी वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती इसरत जहाँ से रु0 208300.00 की तथा सचिव श्री विजय कुमार से रु0 208300.00 की वसूली समान रूप से किया जाना अपेक्षित है ।

64- ग्राम पंचायत - इसरौली

विकास खंड - फतेहपुर

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर- 101 आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत इसरौली में हैण्डपम्प मरम्मत कार्य हेतु शिल्पी इन्टरप्राइजेज को दिनांक 03.06.2020 को रु0 19970.00 एवं 06.03.2021 को रु0 9000.00 तथा सुंदरलाल कन्स्ट्रक्सन को दिनांक 03.10.2020 रु0 19880.00 तथा दिनांक 10.11.2020 को 19980.00 कुल 68830.00 का भुगतान किया जाना कोषबही में दर्शित पाया गया। कार्य के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0, टेण्डर/कोटेशन, कार्य स्वीकृति एवं उनके उपभोग प्रमाण-पत्र, लाभार्थी द्वारा मांग पत्र, उपभोग स्थल की सूची तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणक/वाउचर के अभाव में उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नहीं होती। अतः प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर धनराशि रु0 68830.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान उषा देवी से रु0 34415.00 की तथा सचिव श्री विजय कुमार से रु0 34415.00 की वसूली समान रूप से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर- 102 आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प रिबोर कार्य सुंदरलाल कन्स्ट्रक्सन को दिनांक 14.07.2020 में रु0 94284.00, दिनांक 14.07.2020 को ही रु0 62856.00, दिनांक 12.11.2020 को 62856.00 तथा दिनांक 25.03.2021 को रु0 60120.00 कुल रु0 280116.00 का भुगतान किया जाना कोषबही में दर्शित पाया गया। कार्य के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0, टेण्डर/कोटेशन, कार्य स्वीकृति एवं उनके उपभोग प्रमाण-पत्र, लाभार्थी द्वारा मांग पत्र, उपभोग स्थल की सूची तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणक/वाउचर के अभाव में उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नहीं होती। अतः प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर धनराशि रु0 280116.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान उषा देवी से रु0 140058.00 की तथा सचिव श्री विजय कुमार से रु0 140058.00 की वसूली समान रूप से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-103 आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत इसरौली में पंचायत भवन निर्माण कार्य हेतु दिनांक 26.03.2021 में वर्मा ब्रिक फील्ड को ईंट क्रय हेतु रु 150668.00 तथा वर्मा ब्रिक फील्ड को ही पुनः दिनांक 26.03.2021 को सीमेंट, बालू क्रय हेतु रु0 127821.00 कुल रु0 278489.00 का व्यय कोशबही/इ-ग्राम स्वराज्य

पर दर्शित पाया गया। उक्त निर्माण से संबंधित विवरण (एरिया /क्षेत्र फल आदि)अज्ञात रहा। साथ ही व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान सम्बन्धित कार्य के व्यय प्रमाणक/बिल वाउचर्स एवं समस्त वांछित अभिलेख जैसे-स्टीमेट, मस्टर रोल, स्टाक पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, निर्माण कार्य रजिस्टर, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट, कोटेशन आदि अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध न थे। उपरोक्त के अभाव में व्यय अपुष्ट रहा। अतः प्रमाणक विहीन दर्शित व्यय का अपहरण सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी द्वारा कर लिया गया। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान ऊषा देवी से रु0 139244.50 की तथा सचिव श्री विजय कुमार से रु0 139244.50 की वसूली समान रूप से किया जाना अपेक्षित है ।

67- ग्राम पंचायत – रीवा चपरी

विकास खंड – फतेहपुर

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-104 ग्राम पंचायत के आलोच्य वर्ष 2020-21 में प्रशासनिक व्यय हेतु में दिनांक 09.07.2020 में सुंदर कन्स्ट्रक्सन को रु0 25000.00 का व्यय किया जाना कोषबही में दर्शित पाया गया। उपरोक्त व्यय का औचित्य क्या था। विवरण अज्ञात रहा साथ ही व्यय से संबंधित अभिलेख एवम् प्रमाणक अप्राप्त रहे। जिससे व्यय की पुष्टि न की जा सकी। अतः अपुष्टित धनराशि रु0 25000.00 का सम्भावित अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान कैलाश से रु0 12500.00 की तथा सचिव श्री विजय कुमार से रु0 12500.00 की वसूली समान रूप से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-105 आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु दिनांक 15.07.2020 में रु0 62856.00 एवं दिनांक 25.03.2021 में रु0 32460 कुल रुपये 95316.00 का भुगतान किया जाना कोषबही में दर्शित पाया गया। कार्य के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0, टेण्डर/कोटेशन, कार्य स्वीकृति एवं उनके उपभोग प्रमाण-पत्र, लाभार्थी द्वारा मांग पत्र, उपभोग स्थल की सूची तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणक/वाउचर के अभाव में उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नहीं होती। अतः प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर धनराशि रु0 95316.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री कैलाश से रु0 47658.00 की तथा सचिव श्री विजय कुमार से रु0 47658.00 की वसूली समान रूप से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-106 आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत कार्य हेतु निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है-

क्रम	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	16.07.2020	19500.00	शिल्पी हैण्डपंप इन्टरप्राइजेज
2	03.10.2020	19980.00	अवधेश बोरिंग
3	10.11.2020	19980.00	सुंदर कन्स्ट्रक्सन
4	10.03.2021	8070.00	शिल्पी हैण्डपंप इन्टरप्राइजेज
5	19.03.2021	19980.00	शिल्पी हैण्डपंप इन्टरप्राइजेज
	कुल	87510.00	

उपरोक्त विवरण के अनुसार हैण्डपंप मरम्मत कार्य हेतु व्यय किया जाना कोषबही में दर्शित पाया गया। कार्य के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0, टेण्डर/कोटेशन, कार्य स्वीकृति एवं उनके उपभोग प्रमाण-पत्र, लाभार्थी द्वारा मांग पत्र, उपभोग स्थल की सूची तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणक/वाउचर के अभाव में उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नहीं होती। अतः प्रमाणक/अभिलेख विहीन व्यय दर्शाकर धनराशि रु0 87510.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री कैलाश से रु0 43755.00 की तथा सचिव श्री विजय कुमार से रु0 43755.00 की वसूली समान रूप से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-107 आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत में ह्यूम पाइप क्रय हेतु दिनांक 27.10.2020 में रु0 49950.00 का भुगतान गुरुजी इन्टरप्राइजेज को किया जाना कोषबही में दर्शित पाया गया। परंतु ह्यूम पाइप किस स्थान पर डाला गया विवरण अप्राप्त रहा। कार्य के सापेक्ष इस्टीमेट, एम0बी0, कार्य स्वीकृति एवं उनके उपभोग प्रमाण-पत्र,

तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणक/वाउचर के अभाव में उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर धनराशि ₹0 49950.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री कैलाश से ₹0 24975.00 की तथा सचिव श्री विजय कुमार से ₹0 24975.00 की वसूली समान रूप से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-108 आलोच्य वर्ष 2020-21 में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य हेतु निमन्त्र विवरण के अनुसार व्यय दर्शित है-

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	07.12.2020	37814.00	माँ वैष्णो ट्रेडर्स
2	07.12.2020	19246.00	माँ वैष्णो ट्रेडर्स सामग्री क्रय
3	14.12.2020	40320.00	वर्मा ब्रिक फील्ड ईट क्रय
4	22.02.2021	3150.00	राजगीर भुगतान
5	--	34240.00	वर्मा ब्रिक फील्ड ईट क्रय
6	--	28097.00	माँ वैष्णो ट्रेडर्स सामग्री क्रय
7	--	2700.00	राजगीर भुगतान
	योग	165567.00	

उपरोक्त दर्शित कुल ₹0 165567.00 का व्यय कोशबही/इ-ग्राम स्वराज्य पर दर्शित पाया गया। उक्त निर्माण कहाँ किया गया है विवरण अज्ञात रहा। साथ ही व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान सम्बन्धित कार्य के व्यय प्रमाणक/बिल वाउचर्स एवं समस्त वांछित अभिलेख जैसे- स्टीमेट, मस्टर रोल, स्टाक पंजिका, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, निर्माण कार्य रजिस्टर, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट आदि अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध न थे। उपरोक्त के अभाव में व्यय अपुष्ट रहा। अतः प्रमाणक विहीन दर्शित व्यय का अपहरण सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी द्वारा कर लिया गया। जिसकी सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री कैलाश से ₹0 82783.50 की तथा सचिव श्री विजय कुमार से ₹0 82783.50 की वसूली समान रूप से किया

66- ग्राम पंचायत – मझगवां शरीफ

विकास खंड – फतेहपुर

जनपद बाराबंकी

प्रस्तर-109 ग्राम पंचायत मझगवां शरीफ में लेखा परीक्षा वर्ष (2019-20) में प्रिया साफ्ट के अनुसार खाते से ₹0 8237244.00 की धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख/वाउचर लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय, प्रमाणक विहीन रहा। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी की दुरभिसन्धि से ₹0 8237244.00 का अपहरण कर लिया गया है। उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी वर्ष में दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में किया गया है।

उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक/अभिलेख विहीन व्यय दर्शाकर ₹0 8237244.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः ₹0 4118622.00 ग्राम प्रधान अजय कुमार एवं ₹0 4118622.00 ग्राम पंचायत/विकास श्री विजय कुमार से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

67- ग्राम पंचायत - मीर नगर विकास खंड - फतेहपुर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर- 110 आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु दिनांक 17.04.2020 में ₹0 32316.00 रिबोर हेतु भुगतान एवं प्रवेश कांटेक्टर को दिनांक 19.12.2020 में ₹0 36200.00, दिनांक 22.12.2020 को ₹0 32000.00, दिनांक 02.03.21 ₹0 64964.00 हैण्डपम्प रिबोर हेतु कुल रुपये 165480.00 का भुगतान किया जाना कोषबही में दर्शित पाया गया। कार्य के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0, टेण्डर/कोटेशन, कार्य स्वीकृति एवं उनके उपभोग प्रमाण-पत्र, लाभार्थी द्वारा मांग पत्र, उपभोग स्थल की सूची तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणक/वाउचर के अभाव में उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नहीं होती। अतः प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर धनराशि ₹0 165480.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। अतः ₹0 82740.00 ग्राम प्रधान परवेश कुमार एवं ₹0 82740.00 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री विजय कुमार से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या-1 धनराशि - 165480.00

प्रस्तर- 111 आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत में रामनरेश के खेत से खलिहान तक नाली निर्माण कार्य हेतु निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित पाया गया है-

क्रम	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	29.12.2020	34020 .00	प्रवेश कांटेक्टर
2	29.12.2020	14580.00	मजदूरी
	कुल	48600.00	

अतः ग्राम पंचायत मीर नगर में नाली निर्माण कार्य हेतु कुल ₹0 48600.00 का व्यय कोषबही एवं प्रिया साफ्ट में दर्शित पाया गया। व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान सम्बन्धित कार्य के व्यय प्रमाणक/ वाउचर्स एवं समस्त वांछित अभिलेख जैसे- स्टीमेट, मस्टर रोल, स्टाक पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, निर्माण कार्य रजिस्टर, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट आदि अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध न थे। साथ ही नाली निर्माण कार्य की वास्तविक दूरी (मीटर में) का विवरण अज्ञात रहा। जिससे कार्य में लागत सामग्री का वास्तविक अनुमान लगाया जाना सम्भव न रहा। उपरोक्त के अभाव में व्यय अपुष्ट रहा। अतः प्रमाणक/अभिलेख विहीन दर्शित व्यय का अपहरण सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी द्वारा कर लिया गया। जिसकी वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री परवेश कुमार से ₹0 24300.00 की तथा सचिव श्री जानकीराम से ₹0 24300.00 की वसूली समान रूप से किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपति संख्या-2 धनराशि - 48600.00

68- ग्राम पंचायत - टीकापुर विकास खंड - फतेहपुर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर- 112 आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत टीकापुर में हैण्डपम्प मरम्मत कार्य हेतु शिली इन्टरप्राइजेज को दिनांक 05.08.2020 ₹0 20460.00, 29900.00, 15000.00, तथा ₹0 14955.00 एवं 06.03.2020 ₹0 8840.00 कुल 89155.00 का भुगतान किया जाना कोषबही में दर्शित पाया गया। कार्य के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0, टेण्डर/कोटेशन, कार्य स्वीकृति एवं उनके उपभोग प्रमाण-पत्र, लाभार्थी द्वारा मांग पत्र, उपभोग स्थल की सूची तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणक/वाउचर के अभाव में उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नहीं होती। अतः प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर धनराशि ₹0 89155.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती अंजली मिश्रा से ₹0 44577.50 की तथा सचिव श्री विजय कुमार से ₹0 44577.50 की वसूली समान रूप से किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपति संख्या-1 धनराशि - 89155.00

प्रस्तर-113 ग्राम पंचायत टीकापुर में राजा राम तिवारी के घर से मेन रोड तक नाली निर्माण कार्य हेतु दिनांक 28.12.2020 में मजदूरी हेतु ₹0 10530.00 का व्यय कोषबही एवं प्रिया साफ्ट में दर्शित पाया गया। व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान सम्बन्धित कार्य के व्यय प्रमाणक/ समस्त वांछित अभिलेख जैसे- स्टीमेट, मस्टर रोल, स्टाक पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, निर्माण कार्य रजिस्टर, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट आदि अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध न थे। साथ ही नाली निर्माण कार्य की वास्तविक दूरी (मीटर में) का विवरण

अज्ञात रहा। जिससे कार्य में लागत सामग्री का वास्तविक अनुमान लगाया जाना सम्भव न रहा। उपरोक्त के अभाव में व्यय अपुष्ट रहा। अतः प्रमाणक/अभिलेख विहीन दर्शित व्यय का अपहरण सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी द्वारा कर लिया गया। जिसकी वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती अंजली मिश्रा से ₹0 5265.00 की तथा सचिव श्री विजय कुमार से ₹0 5265.00 की वसूली समान रूप से किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपति संख्या-2 धनराशि - 10530.00

प्रस्तर-114 आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत में इन्टर लॉकिंग कार्य हेतु निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है-

डामर रोड से मंदिर तक इन्टर लॉकिंग कार्य			
क्रम	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	1	39391.00	मोती ट्रेडर्स से सामग्री क्रय
2	1	127121.00	मोती ट्रेडर्स से ईट क्रय
3	1	22359.00	मजदूरी
4	1	35406.00	मोती ट्रेडर्स से ईट क्रय
	कुल	224277.00	
नंदराम के सहन से विशेषर के सहन तक इन्टर लॉकिंग कार्य			
5	16.12.2020	52374.00	मोती ट्रेडर्स से ईट क्रय
6	16.12.2020	43963.00	
7	22.12.2020	5000.00	साईन बोर्ड भुगतान
	कुल	101337.00	
	महा योग	325614.00	

ग्राम पंचायत में इन्टर लॉकिंग कार्य हेतु कुल ₹0 325614.00 का व्यय कोशबही/इ-ग्राम स्वराज्य पर दर्शित पाया गया। व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान सम्बन्धित कार्य के व्यय प्रमाणक एवं समस्त वांछित अभिलेख जैसे- स्टीमेट, मस्टर रोल, स्टाक पंजिका, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, निर्माण कार्य रजिस्टर, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट आदि अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध न थे। साथ ही खड़जा निर्माण कार्य की वास्तविक दूरी (मीटर में) का विवरण अज्ञात रहा। जिससे कार्य में लागत सामग्री/ईट का वास्तविक अनुमान लगाया जाना सम्भव न रहा। उपरोक्त के अभाव में व्यय अपुष्ट रहा। अतः प्रमाणक विहीन दर्शित व्यय 325614.00 का अपहरण सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी द्वारा कर लिया गया। जिसकी सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती अंजली मिश्रा से ₹0 162807.00 की तथा सचिव श्री विजय कुमार से ₹0 162807.00 की वसूली समान रूप से किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपति संख्या-3 धनराशि - 325614.00

69- ग्राम पंचायत - सतरिख देहात

विकास खंड - हरख

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-115 ग्राम पंचायत सतरिख देहात में लेखा परीक्षा वर्ष (2020-21) में प्रिया साफ्ट के अनुसार खाते से ₹0 960893.00 धन आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कैश बुक सहित कोई भी अभिलेख/वाउचर लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय, प्रमाणक विहीन रहा। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी की दुरभिसन्धि से ₹0 960893.00 का अपहरण कर लिया गया है। उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या

152, 153, 154, 155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी वर्ष में दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में किया गया है। उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रु0 960893.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः रु0 480446.50 ग्राम प्रधान शिव कुमारी एवं रु0 480446.50 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी मनीष कुमार सिंह एवं सुषमा अवस्थी से उनके द्वारा किए गए व्यय के अनुपात में वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या-1 धनराशि - 960893.00

70- ग्राम पंचायत - पनिहल

विकास खंड - हरख

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-116 ग्राम पंचायत पनिहल में लेखा परीक्षा वर्ष (2020-21) में प्रिया साफ्ट के अनुसार खाते से रु0 1099266.00 धन आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कैश बुक सहित कोई भी अभिलेख/वाउचर लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय, प्रमाणक विहीन रहा। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी की दुरभिसन्धि से रु0 1099266.00 का अपहरण कर लिया गया है। उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी वर्ष में दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में किया गया है। उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रु0 1099266.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः रु0 549633.00 ग्राम प्रधान रामकिशोर एवं रु0 549633.00 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री सतनाम से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या-1 धनराशि - 1099266.00

71- ग्राम पंचायत - भगवानपुर

विकास खंड - हरख

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-117 ग्राम पंचायत भगवानपुर में लेखा परीक्षा वर्ष (2020-21) में प्रिया साफ्ट के अनुसार खाते से रु0 1004133.40 धन आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कैश बुक सहित कोई भी अभिलेख/वाउचर लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय, प्रमाणक विहीन रहा। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी की दुरभिसन्धि से रु0 1004133.40 का अपहरण कर लिया गया है। उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी वर्ष में दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में किया गया है। उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रु0 1004133.40 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः रु0 502066.70 ग्राम प्रधान सुनीता देवी एवं रु0 502066.70 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री सतनाम से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या-1 धनराशि - 1004133.40

72- ग्राम पंचायत - बरबसौली

विकास खंड - हरख

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-118 ग्राम पंचायत बरबसौली में लेखा परीक्षा वर्ष (2020-21) में प्रिया साफ्ट के अनुसार खाते से ₹0 601502.00 धन आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कैश बुक सहित कोई भी अभिलेख/वाउचर लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय, प्रमाणक विहीन रहा। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी की दुरभिसन्धि से ₹0 601502.00 का अपहरण कर लिया गया है। उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी वर्ष में दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में किया गया है। उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ₹0 601502.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः ₹0 300751.00 ग्राम प्रधान अनिल कुमार एवं ₹0 300751.00 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री सतनाम से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या-1 धनराशि - 601502.00

73- ग्राम पंचायत - पंडरी

विकास खंड - हरख

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-119 ग्राम पंचायत पंडरी में लेखा परीक्षा वर्ष (2020-21) में प्रिया साफ्ट के अनुसार खाते से ₹0 2408796.71 धन आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कैश बुक सहित कोई भी अभिलेख/वाउचर लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय, प्रमाणक विहीन रहा। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी की दुरभिसन्धि से ₹0 2408796.71 का अपहरण कर लिया गया है। उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी वर्ष में दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में किया गया है। उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ₹0 2408796.71 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः ₹0 1204398.36 ग्राम प्रधान रघुनन्दन सिंह एवं ₹0 1204398.36 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री सतनाम से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या-1 धनराशि - 2408796.71

74- ग्राम पंचायत - मानपुर

विकास खंड - हरख

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-120 ग्राम पंचायत मानपुर में लेखा परीक्षा वर्ष (2020-21) में प्रिया साफ्ट के अनुसार खाते से ₹0 1563243.00 धन आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कैश बुक सहित कोई भी अभिलेख/वाउचर लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय, प्रमाणक विहीन रहा। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी की दुरभिसन्धि से ₹0 1563243.00 का अपहरण कर लिया गया है। उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत

राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसारपंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी वर्ष में दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में किया गया है। उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रु0 1563243.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः रु0 781621.50 ग्राम प्रधान श्री चंद्रपाल सिंह एवं रु0 781621.50 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री सतनाम से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या-1 धनराशि - 1563243.00

75- ग्राम पंचायत - हमीदनगर

विकास खंड -सिरौली गौसपुर

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-121 ग्राम निधि प्रथम वर्ष 2020-21 की कैशबुक (कोषबही) में दर्शित व्ययों का व्यय प्रमाणकों से मिलान एवं जाच में प्रकाश में आया कि विभिन्न तिथियों में ग्राम निधि प्रथम कोषबही में दर्शित कतिपय व्ययों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक (वाउचर्स) पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किये हैं। ऐसे प्रमाणक विहीन व्ययों का विवरण निम्नवत् है।

दिनांक	वाउचर	धनराशि	विवरण
25.06.2020	01	126873.00	जनता सी0सी0 ब्रिक गुलरिहा इण्टर लर्किंग
25.06.2020	01	25816.00	मजदूरी भुगतान
08.03.2021		19500.00	सामग्री मजदूरी
	योग-	172189.00	

उक्त विवरणानुसार कुल रु0 172189-00 के सन्दर्भ में पुष्टि हेतु कोई भी प्रमाणक (वाउचर) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणकों की कई बार माग की गयी। किन्तु व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे कि दर्शित उक्त व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः ऐसे प्रमाणक विहीन व्यय वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 से 8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम संख्या 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण गबन एवं अधिभार के योग्य है। अतः आपति में अंकित कुल प्रमाणक विहीन व्ययों की धनराशि रु0 172189-00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों 1 ग्राम प्रधान श्री मुरलीधर एवं 2 ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार तथा सत्यानंद सिंह से प्रत्येक से समान रूप से 86094-50 की वसूली की जाना अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या-17 धनराशि - 172189.00

76- ग्राम पंचायत - मुश्कीपुर

विकास खंड -सिरौली गौसपुर

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-122 ग्राम निधि प्रथम वर्ष 2020-21 की कैशबुक (कोषबही) में दर्शित व्ययों का व्यय प्रमाणकों से मिलान एवं जाच में प्रकाश में आया कि विभिन्न तिथियों में ग्राम निधि प्रथम कोषबही में दर्शित कतिपय व्ययों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक (वाउचर्स) पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किये हैं। ऐसे प्रमाणक विहीन व्ययों का विवरण निम्नवत् है।

दिनांक	वाउचर	धनराशि	विवरण
13-09-2020	-----	14510.00	प्रधान टेड्स को मजदूरी भुगतान
		4584.00	
26-11-2020	-----	35970.00	बालाजी इण्टरप्राइजेज
मजदूरी भुगतान		8844.00	

उक्त विवरणानुसार कुल ₹0 166361.00 के सन्दर्भ में पुष्टि हेतु कोई भी प्रमाणक (वाउचर) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणकों की कई बार माग की गयी। किन्तु व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे कि दर्शित उक्त व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः ऐसे प्रमाणक विहीन व्यय वित्त एवं लेखा मैनुवल के अध्याय 8 से 8 (क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम संख्या 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण गबन एवं अधिभार के योग्य है। अतः आपति में अंकित कुल प्रमाणक विहीन व्ययों की धनराशि ₹0 63908-00 की वसूली उत्तरदायी वक्तियों 1 ग्राम प्रधान श्री राजेश वर्मा एवं 2 ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी अशोक यादव, देवेन्द्र वर्मा, मनोज कुमार से प्रत्येक से समान रूप से 31954-00 की वसूली की जाना अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या-18 धनराशि -

63908.00

77- ग्राम पंचायत - मीरापुर

विकास खंड - सिरौली गौसपुर

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-123 ग्राम निधि प्रथम वर्ष 2020-21 की कैशबुक (कोषबही) में दर्शित व्ययों का व्यय प्रमाणकों से मिलान एवं जाच में प्रकाश में आया कि विभिन्न तिथियों में ग्राम निधि प्रथम कोषबही में दर्शित कतिपय व्ययों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक (वाउचर्स) पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किये हैं। ऐसे प्रमाणक विहीन व्ययों का विवरण निम्नवत् है।

दिनांक	वाउचर	धनराशि	विवरण
22-09-2020	-----	19960.00	हैण्डपम्प मरम्मत
11-11-2020	-----	68920.00	हयूम पाइप खरीद का भुगतान
08-12-2020	-----	57481.00	सामुदायिक शौचालय का निर्माण सामग्री का भुगतान
19-12-2020	-----	20000.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण सामग्री

योग-

166361.00

उक्त विवरणानुसार कुल ₹0 166361.00 के सन्दर्भ में पुष्टि हेतु कोई भी प्रमाणक (वाउचर) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणकों की कई बार माग की गयी। किन्तु व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे कि दर्शित उक्त व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः ऐसे प्रमाणक विहीन व्यय वित्त एवं लेखा मैनुवल के अध्याय 8 से 8(क) एवं 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम संख्या 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण गबन एवं अधिभार के योग्य है। अतः आपति में अंकित कुल प्रमाणक विहीन व्ययों की धनराशि ₹0 166361-00 की वसूली उत्तरदायी वक्तियों 1 ग्राम प्रधान श्रीमती रामदुलारी एवं 2 ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्री चन्द्र शेखर गुप्ता से प्रत्येक से समान रूप से 83180.00 की वसूली की जाना अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या-18 धनराशि - 166361.00

78- ग्राम पंचायत - कोडरी

विकास खंड - देवा

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-124 ग्राम पंचायत कोडरी की लेखा परीक्षा (वर्ष 2020-21) में प्रिया साफ्ट के अनुसार रु० 1102514.00 धन आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। चूँकि बैंक पासबुक/ बैंक स्टेटमेंट में भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा अतः वर्ष की आय भी अप्रमाणित रही। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी की दुरभिसन्धि से रु० 1102514.00 का अपहरण कर लिया गया है उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत

सचिव से की जायेगी। वसूली के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। इस प्रकार पंचायती राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152,153,154,155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी वर्ष में दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में किया गया है। उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर रु० 1102514.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः रु० 551257.00 ग्राम प्रधान श्रीमती शीला देवी से एवं रु० 551257.00 ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री हरीराम से वसूल किया जाना अपेक्षित है। **मूल आपति संख्या-1 धनराशि - 1102514.00**

79- ग्राम पंचायत - रसूलपुर किदवई

विकास खंड - देवा

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-125 ग्राम पंचायत रसूलपुर किदवई की लेखा परीक्षा (वर्ष 2020-21) में प्रिया साफ्ट एवं कोषबही के अनुसार रु० 1847086.00 धन आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोषबही के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। चूंकि बैंक पासबुक/ बैंक स्टेटमेंट में भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा अतः वर्ष की आय भी अप्रमाणित रही। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी की दुरभिसन्धि से रु० 1847086.00 का अपहरण कर लिया गया है उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। इस प्रकार पंचायती राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152,153,154,155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी वर्ष में दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में किया गया है। उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर रु० 1847086.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः रु० 923543.00 ग्राम प्रधान श्री श्याम वीर से एवं रु० 923543.00 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री हरीराम से वसूल किया जाना अपेक्षित है। **मूल आपति संख्या-1 धनराशि - 1847086.00**

80- ग्राम पंचायत - कैमई

विकास खंड - देवा

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-126 ग्राम पंचायत कैमई की लेखा परीक्षा (वर्ष 2020-21) में प्रिया साफ्ट के अनुसार रु० 1383656.00 धन आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। चूंकि बैंक पासबुक/ बैंक स्टेटमेंट में भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा अतः वर्ष की आय भी अप्रमाणित रही। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी की दुरभिसन्धि से रु० 1383656.00 का अपहरण कर लिया गया है उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। इस प्रकार पंचायती राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152,153,154,155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी वर्ष में दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में किया गया है। उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर रु० 1383656.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। ध्यातव्य हो कि इसी ग्राम पंचायत कैमई में पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के अभिलेख भी सम्बन्धित सचिव एवं प्रधान द्वारा तत्कालीन लेखापरीक्षक को नहीं उपलब्ध कराए गए थे जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2019-20 का समस्त व्यय भी प्रमाणकविहीन मानते हुए तत्कालीन लेखापरीक्षक द्वारा

विशिष्ट प्रतिवेदन निर्गत किया गया है। इस प्रकार लगातार दूसरे वर्ष भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखापरीक्षा में न प्रस्तुत करना गंभीर अनुशासनहीनता को दर्शाता है एवं धन के अपहरण की संभावना को बल प्रदान करता है।

अतः रु० 691828.00 ग्राम प्रधान श्रीमती मेनका से एवं रु० 691828.00 ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री वीरेंद्र प्रताप सरोज से वसूल किया जाना अपेक्षित है। **मूल आपति संख्या-1 धनराशि - 1383656.00**

81- ग्राम पंचायत - अनखा

विकास खंड - मसौली

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-127 ग्राम पंचायत- अनखा की वित्तीय वर्ष- 2020 -2021 में प्रियसोफ्ट / इग्रामस्वराज फीडिंग के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 156750.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंक स्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 156750.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256(2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्रविधानों के अनुसार-यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 156750.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया 78375.00 ग्राम प्रधान श्री राम सुरेश से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती रेनू बाला से 78375.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है **मूल आपति संख्या-5 धनराशि - 156750.00**

82- ग्राम पंचायत - बेहटा

विकास खंड - मसौली

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-128 ग्राम पंचायत- बेहटा की वित्तीय वर्ष- 2020 -2021 में प्रियसोफ्ट / इग्रामस्वराज फीडिंग के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 898295.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंक स्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 898295.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256(2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्रविधानों के अनुसार-यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 898295.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सयुंक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया 449147.5 ग्राम प्रधान श्रीमती तसकरून से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रगति कुमार श्रीवास्तव से 449147.5 वसूल किया जाना अपेक्षित है। **मूल आपति संख्या-5 धनराशि - 898295.00**

83- ग्राम पंचायत - गोडारी

विकास खंड - मसौली

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-129 ग्राम पंचायत- गोडारी की वित्तीय वर्ष- 2020 -2021 में प्रियसोफ्ट / इग्रामस्वराज फीडिंग के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 698662.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 698662.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256(2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्रविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 698662.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सयुंक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया 349331.00 ग्राम प्रधान श्री रामनरेश से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रगति कुमार श्रीवास्तव से 349331.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है। **मूल आपति संख्या-5 धनराशि - 698662.00**

84- ग्राम पंचायत - हेतमपुर

विकास खंड - मसौली

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-130 ग्राम पंचायत- हेतमपुर की वित्तीय वर्ष- 2020-21 में ग्रामनिधि प्रथम(1) से संबन्धित बैंक खाते से (चतुर्थ राज्य वित्त/पंचम राज्य वित्त/चौहदवां वित्त/अन्य मद) से रुपया 307809.00 की धनराशि आहरित करके कोषवही में विभिन्न मदों/कार्यों में व्यय दर्शाया गया है। लेखा परीक्षा में केवल कोषवही प्रस्तुत की गई। परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में अन्य अभिलेख जैसे- व्यय प्रमाणक, व्यय पत्रावली, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा प्रमाणक प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 307809.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्रविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 307809.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सयुंक्त रूप से कर लिया गया है। अतः समान रूप से रुपया 153904.5 ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र प्रसाद वर्मा से एवं रुपया 153904.5 ग्राम पंचायत सचिव रेनू बाला से वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपति संख्या-5 धनराशि - 307809.00

85- ग्राम पंचायत - मेढिया

विकास खंड - मसौली

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-131 ग्राम पंचायत- मेढिया की वित्तीय वर्ष- 2020-21 में ग्रामनिधि प्रथम(1) से संबन्धित बैंक खाते से (चतुर्थ राज्य वित्त/पंचम राज्य वित्त/चौहदवां वित्त/अन्य मद) से रुपया 442780.00 की धनराशि आहरित करके कोषवही में विभिन्न मदों/कार्यों में व्यय दर्शाया गया है । लेखा परीक्षा में केवल कोषवही प्रस्तुत की गई । परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में अन्य अभिलेख जैसे- व्यय प्रमाणक ,व्यय पत्रावली ,वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए । जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा प्रमाणक प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 442780.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्टविशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्रविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी । वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 442780.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सयुंक्त रूप से कर लिया गया है। अतः समान रूप से रुपया 221390.00 ग्राम प्रधान श्री राम मूर्ति से एवं रुपया 221390.00 ग्राम पंचायत सचिव रेनू बाला से वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपति संख्या-5 धनराशि - 442780.00

86- ग्राम पंचायत - वाजिदपुर

विकास खंड - मसौली

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-132 ग्राम पंचायत- वाजिदपुर की वित्तीय वर्ष- 2020-21में ग्रामनिधि प्रथम(1) से संबन्धित बैंक खाते से (चतुर्थ राज्य वित्त/पंचम राज्य वित्त/चौहदवां वित्त/अन्य मद) से रुपया 442979.00 की धनराशि आहरित करके कोषवही में विभिन्न मदों/कार्यों में व्यय दर्शाया गया है । लेखा परीक्षा में केवल कोषवही प्रस्तुत की गई । परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में अन्य अभिलेख जैसे- व्यय प्रमाणक ,व्यय पत्रावली ,वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए । जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा प्रमाणक प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 442979.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्टविशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्रविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी । वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 442979.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। अतः समान रूप से रुपया 221489.50 ग्राम प्रधान श्रीमती श्यामा देवी से एवं रुपया 221489.50 ग्राम पंचायत सचिव रेनू बाला से वसूल किया जाना अपेक्षित है। **मूल आपति संख्या-5 धनराशि - 442979.00**

87- ग्राम पंचायत - सिल्हौर

विकास खंड - बनीकोडर

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-133 लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि आलोच्य वर्ष में कैशबुक में निम्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत के नाम पर 14वें वित्त से निम्न व्यय कैशबुक में दर्शाया गया।

क्रमांक	दिनांक	विवरण	धनराशि
1	13.04.2020	लावण्य इण्टर प्राइजेज को भुगतान बावत् हैण्डपम्प मरम्मत	18900.00
2	13.04.2020	लावण्य इण्टर प्राइजेज को भुगतान बावत् हैण्डपम्प मरम्मत	19200.00
3	13.04.2020	लावण्य इण्टर प्राइजेज को भुगतान बावत् हैण्डपम्प मरम्मत	19150.00
4	13.06.2020	लक्ष्मी इण्टर प्राइजेज को भुगतान बावत् हैण्डपम्प मरम्मत	53150.00
5	13.06.2020	इश्वर मिल स्टोर को भुगतान बावत् हैण्डपम्प मरम्मत	52250.00
6	07.12.2020	लावण्य इण्टर प्राइजेज को भुगतान बावत् हैण्डपम्प मरम्मत	10000.00
7	07.12.2020	अमरनाथ तिवारी को भुगतान बावत् हैण्डपम्प मरम्मत	9600.00
8	27.10.2020/ 01.11.2020	अमरनाथ तिवारी को भुगतान बावत् हैण्डपम्प मरम्मत	21200.00
		योग	203450.00

उपरोक्त हैण्डपम्प मरम्मत हेतु 14वें वित्त से दर्शित कुल व्यय 203430.00 से सम्बन्धित कुल कितने और कहाँ-कहाँ स्थित हैण्डपम्प लगे थे और मरम्मत किये गये हैण्डपम्प में क्या खराबी थी और मरम्मत दौरान क्या-क्या सामग्री इसमें लगायी गयी और इन हैण्ड पम्प मरम्मत में पूर्व सक्षम अधिकारी का आदेश आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्त भुगतान की गयी धनराशि में से दिनांक 07.12.2020 को और दिनांक 27.10.2020 व 01.11.2020 को अमरनाथ तिवारी को 30800.00 भुगतान किया गया, यह अमरनाथ तिवारी कौन हैं और इनको सीधे भुगतान क्यों दर्शित किया गया, जबकि अन्य 19500.00 का भुगतान लावण्य इण्टर प्राइजेज को दर्शित भुगतान 67250.00 और ईश्वर मिल स्टोर को दर्शित भुगतान 52250.00 तथा महालक्ष्मी इण्टर प्राइजेज को भुगतान 53150.00 का दर्शाया गया। लेखा परीक्षा में लावण्य इण्टर प्राइजेज, ईश्वर मिल स्टोर, महालक्ष्मी इण्टर प्राइजेज का कोई भी प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। प्रमाणक विहीन होने पर भुगतान दर्शित किया जाना धन का सीधा अपहरण है। अतः कुल धनराशि ₹0 203450.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती स्नेहलता व सचिव श्री अजय गौड़ से समान रूप से प्रत्येक से ₹0 101725.00 की करायी जाये और वसूल किया धन शीघ्र से राजकोष में जमा किया कराया जाना अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या- 1 धनराशि- 203450.00

88- ग्राम पंचायत - लालपुर राजपुर

विकास खंड - बनीकोडर

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-134 लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि आलोच्य वर्ष में कैशबुक में निम्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत के नाम पर निम्न व्यय कैशबुक में दर्शाया गया।

क्रमांक	दिनांक	विवरण	धनराशि
1	08.07.2020	अयोध्या प्रसाद को भुगतान बाबत हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी	12000.00

2	28 व 29.09.2020	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु अजय हार्डवेयर का सामग्री हेतु भुगतान	12047.00
3	28 व 29.09.2020	अयोध्या प्रसाद प्रधान को भुगतान बाबत हैण्डपम्प मरम्मत	10000.00
4	28 व 29.09.2020	अजय हार्डवेयर को भुगतान बाबत हैण्डपम्प मरम्मत	13750.00
5	30.09.2020/ 11.10.2020	कशौर्य इण्टर प्राइजेज को हैण्डपम्पमरम्मत भुगतान (खअजय हार्डवेयर को भुगतान बाबत हैण्डपम्प मरम्मत(	6000.00 12400.00
		योग	66197.00

उपरोक्त हैण्डपम्प मरम्मत हेतु 14वें वित्त से दर्शित कुल व्यय 66197.00 से सम्बन्धित कुल कितने और कहाँ – कहाँ हैण्डपम्प लगे थे और उनके मरम्मत हेतु इनके क्या खराबी थी और मरम्मत दौरान क्या-क्या सामग्री इसमें लगायी गयी और (इन हैण्ड पम्प मरम्मत में पूर्व सक्षम अधिकारी का आदेश आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया) अजय हार्डवेयर से दिनांक 28.09.2020 व 29.09.2020 को ₹0 12047.00 की जो सामग्री क्रय की गयी उससे सम्बन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। इसके साथ अयोध्या प्रसाद प्रधान को हैण्डपम्प हेतु 22000.00 का भुगतान और शौर्य इण्टर प्राइजेज को ₹0 6000.00 हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान दर्शाया गया इसप्रकार हैण्डपम्प मरम्मत परहुए 66197.00 से सम्बन्धित कोई भी पुष्टि प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही। इसप्रकार प्रमाणकों के अभाव में व्यय हेतु दर्शित धन 66197.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी जो कि सीधे धन का अपहरण है। अतः अपहृत कुल धनराशि 66197.00 की वसूली श्रीमती कुसमा देवी प्रधान एवं श्री प्रमोद वर्मा सचिव से समान रूप से प्रत्येक से ₹0 33398.50 की करायी जाये और वसूल किया धन शीघ्र से राजकोष में जमा किया कराया जाना अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या- 1 धनराशि- 66197.00

प्रस्तर-135 लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि आलोच्य वर्ष की कैशबुक में चतुर्थ राज्य वित्त से अयोध्या प्रसाद प्रधान को मानदेय दिनांक 30.09.2020/01.10.2020 को ₹0 31500.00 फिर दिनांक 30.09.2020/03.10.2020 को अयोध्या प्रसाद प्रधान को मानदेय भुगतान ₹0 42000.00 कुल ₹0 73500.00 का भुगतान किया गया। ग्राम पंचायत लालपुर राजपुर में आलोच्य वर्ष में प्रधान श्रीमती कुसमादेवी रही, प्रधान मानदेय प्राप्त करने का हक श्रीमती कुसमादेवी को है इसके बावजूद प्रधान मानदेय कुसमादेवी को न दे कर अपात्र व्यक्ति को मानदेय भुगतान करना घोर वित्तीय अनियमितता है। मानदेय भुगतान पंजिका एवं इससे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने से यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि आलोच्य वर्ष में माह अप्रैल से मार्च 2020 का भुगतान ₹0 3500.00 की दर से 42000.00 की ही बनती है फिर यह 73500.00 का भुगतान करना दर्शाया गया है। इसप्रकार 73500.00 की वित्तीय अनियमितता की जाने की वजह से समस्त धनराशि की वसूली श्रीमती कुसमा देवी प्रधान एवं श्री प्रमोद वर्मा सचिव से समान रूप से करायी जाये और वसूल किया धन शीघ्र से राजकोष में जमा किया कराया जाना अपेक्षित है। **मूल आपति संख्या- 2 धनराशि-73500.00**

89- ग्राम पंचायत – करौंदी कला

विकास खंड – हरख

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-136 ग्राम पंचायत- करौंदीकला की वित्तीय वर्ष- 2020-21 में कैशबुक के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम(1) के राज्य वित्त वित्त से संबंधित बैंक खाते से रुपया 1827324.00 की धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है । परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में अन्य अभिलेख जैसे- व्यय प्रमाणक एवं पत्रावली , वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए । जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा प्रमाणक प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 1827324.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है ।

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्रविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 1827324.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। अतः समान रूप से रुपया 913662.00 ग्राम प्रधान श्रीमती फूलमती से एवं रुपया 913662.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री बृजेश कुमार से वसूल किया जाना अपेक्षित है। **मूल आपति संख्या-10 धनराशि - 1827324.00**

प्रस्तर-137 ग्राम पंचायत- करौंदीकला की वित्तीय वर्ष- 2020-21 में कैशबुक के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम(1) के केन्द्रीय वित्त वित्त से संबंधित बैंक खाते से रुपया 1241358.00 की धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में अन्य अभिलेख जैसे- व्यय प्रमाणक एवं पत्रावली, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा प्रमाणक प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 1241358.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्रविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 1241358.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। अतः समान रूप से रुपया 620679.00 ग्राम प्रधान श्रीमती फूलमती से एवं रुपया 620679.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री बृजेश कुमार से वसूल किया जाना अपेक्षित है। **मूल आपति संख्या-10 धनराशि - 1241358.00**

90- ग्राम पंचायत - सिकन्दरपुर

विकास खंड - हरख

जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर-138 ग्राम पंचायत सिकन्दरपुर में लेखा परीक्षा वर्ष (2020-21) में प्रिया साफ्ट के अनुसार खाते से रु0 1915004.00 धन आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कैश बुक सहित कोई भी अभिलेख/वाउचर लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय, प्रमाणक विहीन रहा। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी की दुरभिसन्धि से रु0 1915004.00 का अपहरण कर लिया गया है। उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्रविधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के अन्तर्गत गबन का मुकदमा

भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152, 153, 154, 155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी वर्ष में दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में किया गया है। उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रु0 1915004.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः रु0 957505.00 ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र एवं रु0 9575002.00 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी मनीष कुमार सिंह एवं सुषमा अवस्थी से उनके द्वारा किए गए व्यय के अनुपात में वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या-1 धनराशि - 1915004.00

जनपद सुल्तानपुर

प्रारूप - 4

1- ग्राम पंचायत - **महिलोआशापुर**

विकास खण्ड- कूरेभार

लेखा परीक्षा वर्ष - 2020-2021

प्रस्तर - 1

कैशबुक के अनुसार ग्रामपंचायत द्वारा आलोच्यवर्ष में ग्रामनिधि-प्रथम हैण्ड पम्प मरम्मत और विवरण हीन व्यय के नाम पर, निम्न तिथि पर निम्न व्यय दर्शित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं०	दिनांक	कैशबुक विवरण	पासबुक विवरण	व्यय धनराशि
1	28.12.2020	हैण्ड पम्प मरम्मत	श्री बाला ट्रेडर्स	49000.00
2	02.11.2020	विवरणहीन		3000.00
3	07.11.2020	विवरणहीन		10500.00
4	26.11.2020	विवरणहीन	पी एफ एम एस	43185.00
	योग			105685.00

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबन्ध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्रामपंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखापरीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी, वित्तीय, प्रशांस्वीकृति, आई0 डी0, मापी, टेंडर कोटेशन आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। इस प्रकार उक्त कार्य की कार्यपत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्रामपंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखापरीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” अतः धनराशि रु

105685.00 की नियमानुसार वसूली(ग्रामप्रधान श्रीमती शारदा देवी रु 52842.5 व सचिव श्री सुरेन्द्र कुमार तिवारी से रु 52842.5) किया जाना अपेक्षित है।

2- ग्राम पंचायत - कनौली विकास खण्ड- कूरेभार लेखा परीक्षा वर्ष - 2020-2021

प्रस्तर - 2

कैशबुक के अनुसार ग्रामपंचायत द्वारा आलोच्यवर्ष में ग्रामनिधि-प्रथम ह्युम पाईप ,प्रशासनिक ब्यय, हैण्ड पम्प रिबोर निम्न तिथि पर निम्न व्यय दर्शित किया गया है,जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं०	दिनांक	कैशबुक विवरण	व्यय धनराशि
1	15.04.2020	ह्युम पाईप	72500.00
2	26.08.2020	प्रशासनिक ब्यय	10300.00
3	02.10.2020	हैण्ड पम्प रिबोर	56200.00
	योग		139000.00

पंचायती राज विभाग,उत्तरप्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित एवं लेखाप्रबन्ध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्रामपंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।”परन्तु लेखापरीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी,वितीय,प्रशा०स्वीकृति, आई० डी०, मापी,टेंडर कोटेशन आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। इस प्रकार उक्तकार्य की कार्यपत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्रामपंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखापरीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।”अतः धनराशि रु 139000.00 की नियमानुसार वसूली(ग्रामप्रधान श्री अतीकुद्दीन रु 69500.00 व सचिव श्री सुरेन्द्र कुमार से रु 69500.00) किया जाना अपेक्षित है।

3- ग्राम पंचायत - गौरा विकास खण्ड- कूरेभार लेखा परीक्षा वर्ष - 2020-2021

प्रस्तर - 3

कैशबुक के अनुसार ग्रामपंचायत द्वारा आलोच्यवर्ष में ग्रामनिधि-प्रथम हैण्ड पम्प मरम्मत, प्रशासनिक ब्यय, ह्युम पाईप और आर सीसी चेयर के नाम पर, निम्न तिथि पर निम्न व्यय दर्शित किया गया है,जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं०	दिनांक	कैशबुक विवरण	पासबुक विवरण	व्यय धनराशि
1	28.12.2020	हैण्ड पम्प मरम्मत	आरजू ट्रेडर्स	25000.00
2	09.11..2020	प्रशासनिक ब्यय		15000.00
3	28.12.2020	प्रशासनिक ब्यय		10000.00
4	07 10.2020	ह्युम पाईप40 दर 1705	अनुभव ट्रेडर्स	68200.00

5		हयुम पाईप40 दर 1710	अनुभव ट्रेडर्स	68400.00
6	15.04.2020	आर0 सी0 सी0 7 दर 8500	अनुभव ट्रेडर्स	59500.00
7	17.04.2020	आर0 सी0 सी0 3 दर 8500	अनुभव ट्रेडर्स	25500.00
8	27.04.2020	आर0 सी0 सी0 1 दर 7500	अनुभव ट्रेडर्स	7500.00
	योग			279100.00

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबन्ध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्रामपंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखापरीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी, वित्तीय, प्रशांस्वीकृति, आई0 डी0, मापी, टेंडर कोटेशन आदि) और मनमाने ढंग से एक ही वास्तु का अलग अलग दर से खरीद की गई और उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। इस प्रकार उक्त कार्य की कार्यपत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्रामपंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखापरीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” अतः धनराशि रु 279100.00 की नियमानुसार वसूली (ग्राम प्रधान श्रीमती चरित्रा रु 139550.00 व सचिव श्री सुरेन्द्र कुमार तिवारी से रु 139550.00) किया जाना अपेक्षित है।

4- ग्राम पंचायत - अकोढ़ी विकास खण्ड- कूरेभार लेखा परीक्षा वर्ष - 2020-2021

प्रस्तर - 4

कैशबुक के अनुसार ग्रामपंचायत द्वारा आलोच्यवर्ष में ग्रामनिधि-प्रथम हैण्ड पम्प मरम्मत निम्न तिथि पर निम्न व्यय दर्शित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं०	दिनांक	कैशबुक विवरण	पासबुक विवरण	व्यय धनराशि
1	28.12.2020	हैण्ड पम्प मरम्मत		15000.00
2	02.11.2020	हैण्ड पम्प मरम्मत	अरविंद हार्डवेयर	15050.00
3	07.11.2020	हैण्ड पम्प मरम्मत	नेशनल ट्रेडर्स	15450.00
	योग			45500.00

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबन्ध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्रामपंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखापरीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी, वित्तीय, प्रशांस्वीकृति, आई0 डी0, मापी, टेंडर कोटेशन आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। इस प्रकार उक्त कार्य की कार्यपत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्रामपंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखापरीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” अतः धनराशि रु

45500.00 की नियमानुसार वसूली(ग्रामप्रधान श्री अनंत वर्मा रु 22750.00 व सचिव श्रीमती शकुन्तला त्यागी से रु 22750.00) किया जाना अपेक्षित है।

5- ग्राम पंचायत - इसौली विकास खण्ड- बल्दीराय लेखा परीक्षा वर्ष - 2020-2021
प्रस्तर - 5

पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में उक्त कार्यों पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	दिनांक/ विवरण	दर्शित व्यय धनराशि
1	ह्यूम पाइप	10.09.2020/ सूर्या ट्रेडर्स	74088.00
2	प्रा0 पा0 इसौली मे बरामदे व अतिरिक्त दीवार को मरम्मत कार्य	03.12.2020/ अवध ट्रेडर्स	74686.00
		03.12.2020/ रोजी ब्रिक फील्ड	19777.00
		योग	94463.00
3	हैण्डपम्प चौकी निर्माण	16.12.2020/ अनुभव ट्रेडर्स	91875.00
		16.12.2020/ अनुभव ट्रेडर्स	91875.00
		योग	183750.00
		कुल योग	352301.00

उक्त कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु. 352301.00 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए ग्रा0पं0अधिकारी श्री रवि कुमार तथा ग्राम प्रधान जैसमीना उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु0 352301.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु0 176150.50 ग्रा0पं0अधिकारी श्री रवि कुमार से तथा रु0 176150.50 ग्राम प्रधान जैसमीना से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

दिनांक 01.03.2021 को रु 81411.00 की निकासी हुयी है किंतु कैशबुक मे इसका विवरण अंकित नहीं है। इस धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। अतः व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की

जायेगी।” इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु. 81411.00 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए ग्रा0पं0अधिकारी श्री रवि कुमार तथा प्रशासक श्रीमती भगवंता उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु0 81411.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु0 40705.50 ग्रा0पं0अधिकारी श्री रवि कुमार से तथा रु0 40705.50 प्रशासक श्रीमती भगवंतासे) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

6- ग्राम पंचायत - सैदुल्लापुर विकास खण्ड- बल्दीराय **लेखा परीक्षा वर्ष - 2020-2021** प्रस्तर - 7

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में उक्त कार्यों पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	दिनांक/ विवरण	दर्शित व्यय धनराशि
1	ह्यूम पाइप	11.05.20/ जल निकासी	44100.00
		11.05.20/ जल निकासी	44100.00
		14.07.20/ जल निकासी	63504.00
		योग	151704.00
2	हैण्डपम्प मरम्मत	17.07.20/जनता मशीनरी स्टोर (मजदूरी)	47128.00
3	हैण्डपम्प रिबोर	17.07.20/जनता मशीनरी स्टोर	57281.00
		17.07.20/जनता मशीनरी स्टोर	56154.00
		17.07.20/जनता मशीनरी स्टोर	55566.00
		29.10.20/जनता मशीनरी स्टोर	55566.00
		29.10.20/जनता मशीनरी स्टोर	27783.00
		योग	252350.00
4	प्रा.वि. सादुल्लापुर मे टाइल्स कार्य	17.03.21/मजदूरी	1206.00
		17.03.21/मजदूरी	3650.00
		17.03.21/सामग्री क्रय	142177.00
		17.03.21/मजदूरी	2010.00
		योग	149043.00
5	सा. शौचालय निर्माण	13.11.20/ सामग्री क्रय	94247.00
		13.11.20/ सामग्री क्रय	38741.00
		13.11.20/ सामग्री क्रय	64288.00
		29.03.21/ सामग्री क्रय	52964.00
		29.03.21/ सामग्री क्रय	87441.00
		29.03.21/ सामग्री क्रय	20678.00
		29.03.21/ मजदूरी	30800.00
		29.03.21/ सामग्री क्रय	29248.00

		योग	418407.00
6	प्रा.वि.छतौना मे टाइल्स कार्य	17.03.21/सामग्री क्रय	142177.00
		17.03.21/ मजदूरी	3650.00
		22.03.21/ मजदूरी	1206.00
		22.03.21/ मजदूरी	1206.00
		योग	149043.00
		कुल योग	1167675.00

उक्त कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु. 1167675.00 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए ग्रा0पं0अधिकारी श्री रंजीत कुमार तथा ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुम व प्रशासक श्रीमती भगवंता उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु0 1167675.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु0 583837.50 ग्रा0पं0अधिकारी श्री रंजीत कुमार से तथा रु0 259608.50 प्रशासक श्रीमती भगवंता से 324229.00 ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुम से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

7- ग्राम पंचायत - मिझूठी विकास खण्ड- बल्दीराय लेखा परीक्षा वर्ष - 2020-2021
प्रस्तर - 8

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में उक्त कार्यों पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	दिनांक/ विवरण	दर्शित व्यय धनराशि
1	ह्यूम पाइप	11.06.20/ मशीनरी स्टोर	72000.00
		11.06.20/ मशीनरी स्टोर	33000.00
		योग	105000.00
2	स्ट्रीट लाइट	10.06.20/ वेद प्रकाश मशीनरी स्टोर	64500.00
		कुल योग	169500.00

उक्त कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु. 169500.00

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए ग्रा0पं0अधिकारी श्री राम तेज वर्मा तथा ग्राम प्रधान श्रीमती गीता उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु0 169500.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु0 84750.00 ग्रा0पं0अधिकारी श्री राम तेज वर्मा से तथा रु0 84750.00 ग्राम प्रधान श्रीमती गीता से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

8- ग्राम पंचायत - कांपा विकास खण्ड- बल्दीराय लेखा परीक्षा वर्ष - 2020-2021
प्रस्तर - 9

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में उक्त कार्यों पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	दिनांक/ विवरण	दर्शित व्यय धनराशि
1	आर.सी.सी. बेंच क्रय	10.06.2020/ आर.सी. इण्टर प्राइजेज	91630.00
		10.06.2020/ आर.सी. इण्टर प्राइजेज	91630.00
		10.06.2020/ आर.सी. इण्टर प्राइजेज	91630.00
		योग	274890.00
2	हैण्डपम्प मरम्मत	04.09.2020/ आर.सी. इण्टर प्राइजेज	90000.00
3	ह्यूम पाइप क्रय	15.09.2020/ अल्फिया ट्रेडर्स	47628.00
		19.10.2020/ अनुभव ट्रेडर्स	28224.00
		01.10.2020/ आपूर्ति ट्रेडर्स	77616.00
		12.11.2020/ आपूर्ति ट्रेडर्स	47628.00
		12.11.2020/ आपूर्ति ट्रेडर्स	88200.00
		योग	289296.00
4	3 सीटर कुर्सी मेज	09.03.2021/ अल्फिया ट्रेडर्स	155287.00
		09.03.2021/ आर.सी. इण्टर प्राइजेज	198125.00
		योग	353412.00
		कुल योग	1007598.00

उक्त कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु. 1007598.00 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए ग्रा0पं0अधिकारी श्री रवि कुमार , ग्राम प्रधान श्रीमती साबरमती व प्रशासक श्रीमती भगवंता उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु0 1007598.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु0 503799.00 ग्रा0पं0अधिकारी श्री रवि कुमार से, रु0 176706.00 प्रशासक श्रीमती भगवंता तथा रु0 327093.00 ग्राम प्रधान श्रीमती साबरमती से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में उक्त कार्यों पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	दिनांक/ विवरण	दर्शित व्यय धनराशि
1	ह्यूम पाइप	15.06.20/ जल निकासी	97020.00
		15.06.20/ जल निकासी	97020.00
		21.12.20/ जल निकासी	9800.00
		योग	203840.00
2	हैण्डपम्प रिबोर	14.07.20	87788.00
		14.07.20	83349.00
		21.11.20	83349.00
		21.11.20	57281.00
		योग	311767.00
		कुल योग	515607.00

उक्त कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु. 515607.00 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए गा0पं0अधिकारी श्री रोहित चंद्रा तथा ग्राम प्रधान श्री श्रीपाल उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु0 515607.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु0 257803.50 गा0पं0अधिकारी श्री रोहित चंद्रा से तथा रु0 257803.50 ग्राम प्रधान श्री श्रीपाल से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में उक्त कार्यों पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	दिनांक	दर्शित व्यय धनराशि
1	हैण्डपम्प रिबोर	15.07.20	86063.00
		15.07.20	86062.00
		15.07.20	86062.00
		योग	258187.00

उक्त कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे।लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु. 258187.00 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए गा0पं0अधिकारी श्री नागेश्वरनाथ शुक्ला तथा ग्राम प्रधान श्रीमती अंजू सिंह उत्तरदायी हैं।अतः उक्त धनराशि रु0 258187.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु0 129093.50 गा0पं0अधिकारी श्री नागेश्वरनाथ शुक्ला से तथा रु0 129093.50 ग्राम प्रधान श्रीमती अंजू सिंह से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

11- ग्राम पंचायत - वल्लीपुर विकास खण्ड- बल्दीराय लेखा परीक्षा वर्ष - 2020-2021

प्रस्तर - 12

पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में उक्त कार्यों पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	दिनांक/ विवरण	दर्शित व्यय धनराशि
1	ग्राम पंचायत मे बैठक हेतु	09.04.2020/ श्री ट्रेडर्स	93883.00
		09.04.2020/ श्री ट्रेडर्स	93883.00
		योग	187766.00
2	हैण्डपम्प मरम्मत	22.04.2020/ ओम मशीनरी स्टोर सामग्री	21230.00
		23.04.2020/ ओम मशीनरी स्टोर सामग्री	29850.00
		31.08-2020/ ओम मशीनरी स्टोर सामग्री व मजदूरी	47883.00
		3.09.2020/ श्री ट्रेडर्स सामग्री व मजदूरी	46950.00
		3.09.2020/ श्री ट्रेडर्स सामग्री व मजदूरी	61740.00
		योग	207653.00
		कुल योग	395419.00

उक्त कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु. 395419.00 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए ग्रा0पं0अधिकारी श्री राम तेज वर्मा तथा ग्राम प्रधान श्रीमती सुषमा देवी उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु0 395419.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु0 197709.50 ग्रा0पं0अधिकारी श्री राम तेज वर्मा से तथा रु0 197709.50 ग्राम प्रधान श्रीमती सुषमा देवी से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

12- ग्राम पंचायत - अहिरौला विकास खण्ड- लम्भुआ लेखा परीक्षा वर्ष - 2020-2021
प्रस्तर - 13

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे।

ऑनलाइन ई-ग्राम स्वराज पर अनुरक्षित कैशबुक के अनुसार विभिन्न कार्यों पर व्यय दर्शित किए गए हैं जिनका विवरण निम्नवत है.....

क्रमांक	दिनांक	दर्शित व्यय धनराशि
1	12.11.20	65921.00
2	12.11.20	155163.00
3	12.11.20	35000.00
4	12.11.20	216540.00
	योग	472624.00

परन्तु उक्त दर्शित व्यय ऑफलाइन कैशबुक में अंकित नहीं किये गये हैं तथा उक्त दर्शित व्ययों से संबंधित ऑफलाइन कार्य पत्रावली एवं व्यय की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक/ बाउचर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये। कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु. 472624.00 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए ग्रा0पं0अधिकारी श्री शशिकांत तथा ग्राम प्रधान श्री राकेश उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु0 472624.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु0 236312.00 ग्रा0पं0अधिकारी श्री शशिकांत से तथा रु0 236312.00 ग्राम प्रधान श्री राकेश से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

13- ग्राम पंचायत - गोथुआजागीपुर विकास खण्ड- लम्भुआ लेखा परीक्षा वर्ष - 2020-2021
प्रस्तर - 14

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु

लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में उक्त कार्यों पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	दिनांक/ विवरण	दर्शित व्यय धनराशि
1	आर0सी0सी0 बेंच क्रय	26.08.20/ शिवा ट्रेडिंग	176000.00
		15.10.20/ कुलदीप इ0प्रा0	85000.00
		योग	261000.00
2	हैण्डपम्प रिबोर	05.09.20/ निरज ट्रेडर्स	19910.00
		05.09.20/ निरज ट्रेडर्स	19850.00
		05.09.20/ निरज ट्रेडर्स	19810.00
		05.09.20/ निरज ट्रेडर्स	19850.00
		05.09.20/ निरज ट्रेडर्स	19650.00
		20.10.20/ निरज ट्रेडर्स	19900.00
		योग	118970.00
		कुल योग	379970.00

उक्त कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु. 379970.00 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए गा0पं0अधिकारी श्री शशिकांत तथा ग्राम प्रधान श्री संगीता उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु0 379970.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु0 189985.00 गा0पं0अधिकारी श्री शशिकांत से तथा रु0 189985.00 ग्राम प्रधान श्री संगीता से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

14- ग्राम पंचायत - खोजापुर विकास खण्ड- मोतिगरपुर लेखा परीक्षा वर्ष - 2020-21
प्रस्तर - 15

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में उक्त कार्यों पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	दिनांक/ भुगतान	दर्शित व्यय धनराशि
1	पंचायत भवन निर्माण	14.20.2020/ सिंह बिल्डिंग मैटे0	71300.00
		14.10.2020/ हीरा ईट भट्टा	59682.00
		योग	130982.00
2	मुरली के घर से तालाब तक नाली एव पटिया निर्माण	3.11.2020/ सिंह बिल्डिंग मैटे0	33293.00
		3.11.2020/ हीरा ईट भट्टा	23830.00
		19.11.2020/ मजदूरी	11526.00
		योग	68649.00
3	सोखता गढ़ा निर्माण	03.12.2020/ मजदूरी	24586.00
		03.12.2020/ सिंह बिल्डिंग मैटे0	65804.00
		09.12.2020/ अमर ईट उद्योग	68699.00
		योग	159089.00
4	हैण्डपम्प रिबोर	21.04.2020/ विक्रम ट्रेडर्स	87100.00
		26.12.2020/ विक्रम ट्रेडर्स	55980.00
		30.12.2020/ मजदूरी	28635.00
		22.03.2021/ विक्रम ट्रेडर्स	75000.00
		योग	246715.00
5	PPS मुजहना में टाइल्स निर्माण	22.03.2021/ आदर्श ट्रेडर्स	67609.00
		22.03.2021/ राज ट्रेडर्स	64996.00
		योग	132605.00
6	PPS डड्वाखुर्द में टाइल्स निर्माण	क	67125.00
7	डेस्क बेंच स्थापना	21.09.2020/ राज ट्रेडर्स	75335.00
8	PPS डड्वाखुर्द में डेस्क बेंच आपूर्ति	03.11.2020/ राज ट्रेडर्स	92355.00
9	PPS खोजापुर में फर्श एव टाइल्स मरम्मत कार्य	20.11.2020/ सिंह बिल्डिंग मैटे0	52662.00
		21.11.2020/ सिंह बिल्डिंग मैटे0	64924.00
		20.11.2020/ मजदूरी	19344.00
		योग	136930.00
10	विवरणहीन	22.03.2021	67089.00
		22.03.2021	67159.00
		योग	134248.00
		कुल योग	1244033.00

लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व पत्रांक जी 01-05/आडिट/2020-21 दिनांक 30/10/21 द्वारा सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से ग्रा0वि0/प अधिकारी से समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आफलाइन कोष बही व बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। पुनः मेमो4/ आडिट/2020-21 दिनांक 11/1/22 द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराये जाने का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। अतः उक्त कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये

व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु.1244033.00 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए गा0पं0अधिकारी श्री सुनील कुमार तथा ग्राम प्रधान श्री अरविंद कुमार दूबे उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु0 1244033.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु0 622016.50 गा0पं0अधिकारी श्री सुनील कुमार से तथा रु0 622016.50 ग्राम प्रधान श्री अरविंद कुमार दूबे) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

15- ग्राम पंचायत - मदनपुर देवरार विकास खण्ड- लम्भुआ लेखा परीक्षा वर्ष - 2020-21
प्रस्तर - 16

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है- "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में उक्त कार्यों पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	दिनांक/ विवरण	दर्शित व्यय धनराशि
1	हैण्डपम्प रिबोर	1.05.20/ निरज ट्रेडर्स	25250.00
		1.05.20/ निरज ट्रेडर्स	25118.00
		1.05.20/ निरज ट्रेडर्स	25068.00
		5.05.20/ निरज ट्रेडर्स	25168.00
		6.06.20/ निरज ट्रेडर्स	25348.00
		6.06.20/ निरज ट्रेडर्स	25348.00
		6.06.20/ निरज ट्रेडर्स	25448.00
		6.06.20/ निरज ट्रेडर्स	25448.00
		योग	202196.00
	हैण्डपम्प मरम्मत	1.05.20/ दिपक ट्रेडर्स	19785.00
		3.06.20/ निरज ट्रेडर्स	19900.00
		0.07.20/ पाण्डेय ट्रेडर्स	19750.00
		योग	59435.00
		कुल योग	261631.00

उक्त कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु. 261631.00 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए गा0पं0अधिकारी श्री शशिकांत तथा ग्राम प्रधान श्रीमती अमरावती उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु0 261631.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु0 130815.50 गा0पं0अधिकारी श्री शशिकांत से तथा रु0 130815.50 ग्राम प्रधान श्रीमती अमरावती से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।” परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में उक्त कार्यों पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	दिनांक	दर्शित व्यय धनराशि
1	हैण्डपम्प रिबोर	03.08.20	88900.00
		24.12.20	87099.00
		31.12.20	87099.00
		योग	263098.00
2	सोलर लाइट मरम्मत कार्य	13.09.20	73910.00
		21.12.20	84056.00
		योग	157966.00
3	डस्टबिन आपूर्ति	04.01.21	69000.00
4	जू0 हा0 स्कूल बीबीपुर शुक्ल मे टाइल्स मरम्मत निर्माण	23.12.21	84097.00
		2.03.21	53683.00
		04.03.21	29664.00
		योग	167444.00
		कुल योग	657508.00

लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व पत्रांक जी 01-05/आडिट/2020-21 दिनांक 30/10/21 द्वारा सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से ग्रा0वि0/प अधिकारी से समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आफलाइन कोष बही व बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। पुनः मेमो4/ आडिट/2020-21 दिनांक 11/1/22 द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराये जाने का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। अतः उक्त कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये

व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु.657508.00 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए ग्रा0पं0अधिकारी श्री सुनील कुमार तथा ग्राम प्रधान श्री जयराम उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु0 657508.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रु0 328754.00 ग्रा0पं0अधिकारी श्री सुनील कुमार से तथा रु0 328754.00 ग्राम प्रधान श्री जयराम से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

17- ग्राम पंचायत - डेहरियावा विकास खण्ड- बल्दीराय लेखा परीक्षा वर्ष - 2020-21

प्रस्तर - 18

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में उक्त कार्यों पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	दिनांक /	दर्शित व्यय धनराशि
1	हैण्डपम्प मरम्मत	22.06.2020	48862.00
		22.06.2020	56683.00
		22.06.2020	49353.00
		22.06.2020	48813.00
		योग	203711.00
2	हैण्डपम्प रिबोर	22.06.2020	54302.00
		22.06.2020	81048.00
		21.12.2020	67914.00
		योग	203264.00
		कुल योग	406975.00

कार्य पत्रावली में मात्र व्यय वाउचर ही संलग्न रहा, स्पष्ट है कि उक्त कार्यों को बिना प्राक्कलन तैयार किये तथा अनुमानित व्यय की बिना सक्षम स्तर से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त किये कराया गया है तथा बिना कार्य की माप किये ही काल्पनिक आधार पर उक्त भुगतान किये गये हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 156 के अनुसार किसी भी निर्माण कार्य को आरम्भ करने के पूर्व योजना मानचित्र और अनुमानित व्यय की नियमानुसार स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है एवं नियम 157(ख) के अनुसार निर्माण कार्य कराये जाने के उपरान्त भुगतान के लिए निर्धारित अधिकारी विशेषज्ञ द्वारा कार्य की/नाप-जोख/माप किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुये उक्त दर्शित धनराशि रु406975.00 . ग्राम निधि प्रथम से भुगतान आहरण कर/ व्यय दर्शित किया गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256(2)-(क) के अन्तर्गत अनियमित व्यय है। इस गम्भीर वित्तीय अनियमितता के लिए ग्रा0वि 0अधिकारी श्री महेश कुमार तिवारी तथा ग्राम प्रधान श्री राम मनोहर उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 19

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषवही के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित व्यय किए गए हैं परंतु उन व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे जिनका विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	दिनांक	विवरण	व्यय धनराशि
1	04.05.2020	विवरणहीन	2250
2	02.09.2020	विवरणहीन	35700
3	02.09.2020	विवरणहीन	39141
4	02.09.2020	विवरणहीन	51298
5	02.09.2020	विवरणहीन	33282
6	02.09.2020	विवरणहीन	77723
7	29.10.2020	विवरणहीन	89866
8	29.10.2020	विवरणहीन	49160
9	29.10.2020	विवरणहीन	30100
10	29.10.2020	विवरणहीन	48722
		योग	457242

उक्त व्रतों की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक एवं रसीदें तथा कार्य से संबंधित पत्रावलीयां ऑडिट में प्रस्तुत नहीं की गई जबकि सहायक विकास अधिकारी पंचायत से इस संबंध में पत्राचार किया गया था।

अतः स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष में दर्शित व्यय ₹ 457242.00 प्रमाणक विहीन व्यय किया गया है जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 एवं खंड (8क) व (8ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः आपति में अंकित ग्राम निधि प्रथम से संबंधित कुल धनराशि ₹ 457242.00 में से श्री रविंद्र प्रसाद दूबे ग्राम विकास अधिकारी से ₹ 228621.00 तथा श्री हरीराम ग्राम प्रधान से ₹ 228621.00 की वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 20

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषवही के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित व्यय किए गए हैं परंतु उन व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे जिनका विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	दिनांक	विवरण	व्यय धनराशि
1	29.10.2020	ह्यूम पाइप खरीद पर व्यय	158253.00
2	29.10.2020	ह्यूम पाइप खरीद पर व्यय	158253.00
		योग	316506.00

उक्त व्ययों की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक एवं रसीदें तथा कार्य से संबंधित पत्रावलीयां ऑडिट में प्रस्तुत नहीं की गई जबकि सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से इस संबंध में पत्राचार किया गया था।

अतः स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष में दर्शित व्यय ₹ 316506.00 प्रमाणक विहीन व्यय किया गया है जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 एवं खंड (8क) व (8ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः आपति में अंकित ग्राम निधि प्रथम से संबंधित कुल धनराशि ₹ 316506.00 में से श्री रविंद्र प्रसाद दूबे ग्राम विकास अधिकारी से ₹ 158253.00 तथा श्री हरीराम ग्राम प्रधान से ₹ 158253.00 की वसूली की जानी अपेक्षित है।

19- ग्राम पंचायत - गोपीनाथपुर विकास क्षेत्र- लुम्भुआ लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर - 21

लेखा परीक्षा में कैशबुक लोन बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में 15वें वित्त से निम्नलिखित व्यय किए गए हैं, परंतु उन बयानों की पुष्टि में कोई व्यय वाउचर/व्यय प्रमाणक/पत्रावलीयां प्रस्तुत नहीं रहे जिनका विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	दिनांक	विवरण	धनराशि
1	28.09.2020	आराध्या इंटरप्राइजेज को पंचायत भवन निर्माण का अवशेष भुगतान	390000.00
2	18.03.2021	प्राइमरी विद्यालय गोपीनाथपुर में फर्स टाइलीकरण हेतु मजदूरी भुगतान	4745
3	18.03.2021	राजपूत इंटरप्राइजेज को प्राइमरी विद्यालय में टाइलीकरण हेतु सामग्री भुगतान	136809
4	18.03.2021	उपरोक्त कार्य हेतु मजदूरी भुगतान	4623
5	18.03.2021	उपरोक्त कार्य हेतु मजदूरी	9125
6	18.03.2021	उपरोक्त कार्य हेतु मजदूरी भुगतान	5025
		योग	550327

उक्त व्ययों की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक एवं रसीदें तथा कार्य से संबंधित पत्रावलीयां ऑडिट में प्रस्तुत नहीं की गई जबकि सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से इस संबंध में पत्राचार किया गया था।

अतः स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष में दर्शित व्यय ₹ 550327 अनियमित एवं प्रमाणक विहीन व्यय किया गया है जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 एवं खंड (8क) व (8ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः आपति में अंकित 15वें संबंधित कुल धनराशि ₹ 550327 में से ग्राम पंचायत सचिव श्री शशिकांत से ₹ 195000 तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री दीपक सिंह से ₹ 160327 एवं ग्राम प्रधान श्री नन्हेराम से ₹ 195000 की वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 22

लेखा परीक्षा में कैशबुक लोन बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त से निम्नलिखित व्यय किए गए हैं, परंतु उन बयानों की पुष्टि में कोई व्यय वाउचर/व्यय प्रमाणक/पत्रावलीयां प्रस्तुत नहीं रहे जिनका विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	दिनांक	विवरण	धनराशि
1	30.07.2020	आराध्या इंटरप्राइजेज को सामुदायिक शौचालय निर्माण का भुगतान	200000

2	4.08.2020	आराध्या इंटरप्राइजेज को पंचायत भवन निर्माण का भुगतान	445000
3	4.08.2020	नारायण ईट उद्योग को पंचायत भवन निर्माण का भुगतान	200000
4	4.08.2020	आराध्या इंटरप्राइजेज को सामुदायिक शौचालय का अवशेष भुगतान	400000
5	7.09.2020	आराध्या इंटरप्राइजेज को सामुदायिक शौचालय निर्माण का अवशेष भुगतान	40000
6	21.09.2020	आराध्या इंटरप्राइजेज को सामुदायिक शौचालय निर्माण का भुगतान	60000
7	28.09.2020	नन्हे राम निषाद को स्टेशनरी का भुगतान	1251
		योग	1346251

उक्त व्ययों की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक एवं रसीदें तथा कार्य से संबंधित पत्रावलीयां ऑडिट में प्रस्तुत नहीं की गई जबकि सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से इस संबंध में पत्राचार किया गया था।

अतः स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष में दर्शित व्यय ₹1346251 अनियमित एवं प्रमाणक विहीन व्यय किया गया है जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 एवं खंड (8क) व (8ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः आपत्ति में अंकित ग्राम निधि प्रथम से संबंधित कुल धनराशि ₹1346251 में से ग्राम पंचायत सचिव श्री शशिकांत से ₹673125.50 तथा श्री नन्हेराम ग्राम प्रधान से ₹673125.50 की वसूली की जानी अपेक्षित है।

20- ग्राम पंचायत - हरिहरपुर विकास क्षेत्र- लुम्भुआ लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर - 23

लेखा परीक्षा में कैशबुक लोन बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त से निम्नलिखित व्यय किए गए हैं, परंतु उन बयानों की पुष्टि में कोई व्यय वाउचर/व्यय प्रमाणक/पत्रावलीयां प्रस्तुत नहीं रहे जिनका विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	दिनांक	विवरण	धनराशि
1	13.04.2020	भारत ईट उद्योग के नाम एक ही भुगतान प्राइमरी विद्यालय हरिहरपुर में भवन मरम्मत कार्य हेतु मटेरियल भुगतान	9563
2	13.04.2020	जीत लाल गौतम के नाम उपरोक्त कार्य हेतु मजदूरी भुगतान 3. आराध्या इंटरप्राइजेज के उपरोक्त कार्य हेतु भुगतान	17364
3	13.04.2020	आराध्या इंटरप्राइजेज के उपरोक्त कार्य हेतु भुगतान	58818
4	11.05.2020	आराध्या इंटरप्राइजेज के नाम आंगनबाड़ी निर्माण कार्य हेतु भुगतान	16533
5	11.05.2020	भारत ईट उद्योग के नाम उपरोक्त कार्य हेतु ईट भुगतान	26098
6	11.05.2020	चौरसिया हार्डवेयर एंड सैनिटरी स्टोर के नाम उपरोक्त कार्य हेतु भुगतान	51907
7	15.06.2020	नैना आर्ट एंड इंटरप्राइजेज के नाम हैंडपंप मरम्मत कार्य हेतु भुगतान	19710

8	15.06.2020	नैना आर्ट एंड इंटरप्राइजेज के नाम हैंडपंप मरम्मत कार्य हेतु भुगतान	19620
9	15.06.2020	श्रेयांश ट्रेडर्स के नाम स्ट्रीट लाइट मरम्मत कार्य	49025
10	16.06.2020	श्रेयांश ट्रेडर्स के नाम उपरोक्त कार्य हेतु भुगतान	67500
11	06.10.2020	चौरसिया हार्डवेयर एंड सैनिटरी स्टोर्स के नाम हैंडपंप मरम्मत कार्य हेतु भुगतान	19775
12	06.10.2020	चौरसिया हार्डवेयर एंड सैनिटरी स्टोर्स के नाम उपरोक्त कार्य हेतु भुगतान	20000
13	06.10.2020	चौरसिया हार्डवेयर एंड सैनिटरी स्टोर्स के नाम उपरोक्त कार्य भुगतान	19860
14	06.10.2020	चौरसिया हार्डवेयर एंड सैनिटरी स्टोर्स के नाम उपरोक्त कार्य हेतु होता है	19895
15	09.11.2020	नैना आर्ट एंड इंटरप्राइजेज के नाम हैंडपंप मरम्मत कार्य हेतु भुगतान	19870
16	09.11.2020	नैना आर्ट एंड इंटरप्राइजेज के नाम उपरोक्त कार्य हेतु भुगतान	19795
17	09.11.2020	नैना आर्ट एंड इंटरप्राइजेज के नाम उपरोक्त कार्य हेतु भुगतान	19850
18	24.11.2020	राजेंद्र प्रसाद के नाम साधु की कुटी से श्यामलाल के खेत तक मिट्टी पटाई कार्य हेतु भुगतान	15262
19	24.11.2020	अरविंद चौरसिया के नाम उपरोक्त कार्य हेतु भुगतान	22110
20	14.12.2020	आयुष ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स के नाम कोविड-19 के तहत सैनिटाइजर मास्क आदि हेतु भुगतान	19950
21	23.03.2021	रामसमुझ के नाम प्राइमरी स्कूल हरिहरपुर अतिरिक्त कक्ष में टाइल कार्य मजदूरी भुगतान	2010
22	23.03.2021	रामबाबू के नाम प्राइमरी स्कूल हरिहरपुर में टाइल कार्य हेतु मजदूरी भुगतान	1407
23	23.03.2021	सूर्य ट्रेडर्स के नाम प्राइमरी स्कूल हरिहरपुर अतिरिक्त कक्षा कक्ष में टाइल कार्य हेतु मटेरियल भुगतान	70111
24	23.03.2021	रामबाबू के नाम उपरोक्त कार्य हेतु मजदूरी भुगतान	1005
25	23.03.2021	दुख राम के नाम उपरोक्त कार्य हेतु मजदूरी भुगतान	3650
26	23.03.2021	बृजलाल के नाम उपरोक्त कार्य हेतु मजदूरी भुगतान	3285
27	23.03.2021	श्याम बाबू के नाम प्राइमरी स्कूल हरिहरपुर में टाइल कार्य हेतु मजदूरी भुगतान	3216
28	23.03.2021	बृजलाल के नाम उपरोक्त कार्य हेतु मजदूरी भुगतान	5840

29	23.03.2021	श्याम बाबू के नाम प्राइमरी स्कूल हरिहरपुर अतिरिक्त कक्ष में टाइल कार्य हेतु मजदूरी भुगतान	2010
30	23.03.2021	सूर्या ट्रेडर्स के नाम प्राइमरी स्कूल हरिहरपुर में टाइल कार्य हेतु मैटेरियल भुगतान	114334
31	23.03.2021	रामसमुझ के नाम उपरोक्त कार्य हेतु मजदूरी भुगतान	3216
32	23.03.2021	दुख राम के नाम उपरोक्त कार्य हेतु मजदूरी भुगतान	5840
		योग	748429

उक्त व्ययों की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक एवं रसीदें तथा कार्य से संबंधित पत्रावलीयां ऑडिट में प्रस्तुत नहीं की गई जबकि सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से इस संबंध में पत्राचार किया गया था।

अतः स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष में दर्शित व्यय ₹748429 अनियमित एवं प्रमाणक विहीन व्यय किया गया है जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 एवं खंड (8क) व (8ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः आपति में अंकित ग्राम निधि प्रथम से संबंधित कुल धनराशि ₹748429 में से ग्राम पंचायत सचिव श्री उमेश कुमार से ₹ 374214.50 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती बबना देवी से ₹374214.50 की वसूली की जानी अपेक्षित है।

21- ग्राम पंचायत - कल्याणपुर विकास क्षेत्र- दोस्तपुर लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषवही के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित व्यय किए गए हैं परंतु उन व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे जिनका विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	दिनांक	विवरण	धनराशि
1.	14.04.2022	कैश बुक में विवरण हीन व्यय दर्शित	2250.00
2.	04.11.2020	सोलर लाइट एवं स्ट्रीट लाइट मरम्मत कार्य	44100
3.	23.12.2020	सोलर लाइट मरम्मत कार्य	44100
			90450.00

उक्त व्ययों की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक एवं रसीदें तथा कार्य से संबंधित पत्रावलीयां ऑडिट में प्रस्तुत नहीं की गई जबकि सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से इस संबंध में पत्राचार किया गया था।

अतः स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष में दर्शित व्यय ₹90450.00 प्रमाणक विहीन व्यय किया गया है जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 एवं खंड (8क) व (8ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः आपति में अंकित ग्राम निधि प्रथम से संबंधित कुल धनराशि ₹90450 में से श्री रविंद्र प्रसाद दुबे ग्राम विकास अधिकारी से ₹45225.00 तथा श्री हरिसहाय मिश्र ग्राम प्रधान से ₹45225.00 की वसूली की जानी अपेक्षित है।

लेखा परीक्षा में कोई अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण ऑनलाइन कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में 15वें वित्त से निम्नलिखित व्यय किए गए हैं परंतु उन व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे जिनका विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	दिनांक	विवरण	व्यय धनराशि
1	16.10.2020	ग्राम पंचायत मे कम्युनिटी टायलेट निर्माण कार्य	151600
2	16.10.2020	ग्राम पंचायत मे कम्युनिटी टायलेट निर्माण कार्य	62625
3	10.12.2020	ग्राम पंचायत मे कम्युनिटी टायलेट निर्माण कार्य	11667
4	10.12.2020	ग्राम पंचायत मे कम्युनिटी टायलेट निर्माण कार्य	21600
5	12.12.2020	ग्राम पंचायत मे सामूदायिक शौचालय निर्माण कार्य	111100
6	20.12.2020	ग्राम पंचायत मे पंचायत भवन निर्माण कार्य	102517
7	20.12.2020	ग्राम पंचायत मे पंचायत भवन निर्माण कार्य	110545
8	20.12.2020	पंचायत भवन मे समरसेबुल एंड इंडिया मार्का - हँडपम्प स्थापना	54029
9	20.12.2020	पंचायत भवन मे मिट्टी पटाई कार्य	24500
10	20.12.2020	ग्राम पंचायत मे पंचायत भवन निर्माण कार्य	24010
		योग	674193

उक्त व्ययों की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक एवं रसीदें तथा कार्य से संबंधित पत्रावलीयां ऑडिट में प्रस्तुत नहीं की गई जबकि सहायक विकास अधिकारी पंचायत एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी को पत्र के माध्यम से तथा मौखिक भी समस्त वांछित अभिलेख उपलब्ध कराने को कहा गया था किंतु चार्ज में प्राप्त न होने के कारण उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की गई थी।

अतः स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष में दर्शित व्यय ₹ 674193.00 प्रमाणक विहीन व्यय किया गया है जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 एवं खंड (8क) व (8ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः आपत्ति में अंकित 15वें से संबंधित कुल धनराशि ₹ 674193.00 में से श्री रविंद्र प्रसाद दूबे ग्राम विकास अधिकारी से ₹ 337096.50 तथा श्री सुनील सिंह ग्राम प्रधान से ₹ 337096.50 की वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 26

लेखा परीक्षा में कोई अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण ऑनलाइन कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में राज वित्त से निम्नलिखित व्यय किए गए हैं परंतु उन व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे जिनका विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	दिनांक	विवरण	व्यय धनराशि
1	26.4.2020	ग्राम पंचायत प्रशासनिक मद	29950
2	26.4.2020	वाल्वाइटींग एंड पेंटिंग आफ ईयर 2019-20	9450

3	26.4.2020	मतदेय स्थल वालराइटींग	2250
4	27.4.2020	पक्की सड़क से पप्पू सिंह के घर तक भूमिगत नाली निर्माण कार्य	27578
5	27.4.2020	पक्की सड़क से पप्पू सिंह के घर तक भूमिगत नाली निर्माण कार्य	13328
6	27.4.2020	पक्की सड़क से पप्पू सिंह के घर तक भूमिगत नाली निर्माण कार्य	44514
7	18.7.2020	ग्राम पंचायत मे सेनेटाइजर किट क्रय	12535
8	26.9.2020	ग्राम पंचायत मे सफाईकर्मी किट क्रय	39141
9	3.10.2020	ग्राम पंचायत मे इंडिया मार्का - हँडपम्प रिबोर	91238
10	3.10.2020	ग्राम पंचायत मे इंडिया मार्का - हँडपम्प रिबोर	90650
11	4.10.2020	अजय सिंह के घर से मुन्ना के घर के सामने तालाब तक नाली निर्माण कार्य	32134
12	4.10.2020	अजय सिंह के घर से मुन्ना के घर के सामने तालाब तक नाली निर्माण कार्य	48857
13	4.10.2020	अजय सिंह के घर से मुन्ना के घर के सामने तालाब तक नाली निर्माण कार्य	20221
14	4.10.2020	सुधीर सिंह के घर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य	14291
15	4.10.2020	सुधीर सिंह के घर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य	28701
16	4.10.2020	ग्राम पंचायत स्टेशनरी क्रय	15759
17	4.10.2020	सुधीर सिंह के घर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य	9433
18	13.10.2020	ग्राम पंचायत मे ह्यूम पाइप क्रय	189904
19	13.10.2020	ग्राम पंचायत मे इंडिया मार्का - हँडपम्प मेन्टीनेंस	55958
20	13.10.2020	ग्राम पंचायत मे इंडिया मार्का - हँडपम्प मेन्टीनेंस	49000
21	23.11.2020	ग्राम पंचायत मे सामुदायिक शौचालय शीला पट्टिका क्रय	5900
22	30.11.2020	ग्राम पंचायत मे इंडिया मार्का - हँडपम्प रिबोर	90748
23	20.12.2020	प्राथमिक पाठशाला मे फर्श मेन्टीनेंस एंड टाइल्स कार्य	96690
24	20.12.2020	प्राथमिक पाठशाला मे फर्श मेन्टीनेंस एंड टाइल्स कार्य	2556
25	20.12.2020	वर्क प्लान वालराइटींग आफ ईयर 2020-21	9450
26	22.12.2020	प्राथमिक पाठशाला विरैता पालहीपुर मे डेस्क बेंच की आपूर्ति	92340
27	22.12.2020	ग्राम पंचायत मे कुर्सी, अलमीरा । मेज ई0 टी0 सी0 क्रय	15680

28	22.12.2020	स्टेशनरी इन विलेज पंचायत	5000
29	22.12.2020	ग्राम पंचायत मे सोलर लाइट मेन्टीनेंस	73500
		योग	1216756.00

उक्त व्ययों की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक एवं रसीदें तथा कार्य से संबंधित पत्रावलीयां ऑडिट में प्रस्तुत नहीं की गई जबकि सहायक विकास अधिकारी पंचायत एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी को पत्र के माध्यम से तथा मौखिक भी समस्त वांछित अभिलेख उपलब्ध कराने को कहा गया था किंतु चार्ज में प्राप्त न होने के कारण उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की गई थी।

अतः स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष में दर्शित व्यय ₹1216756.00 प्रमाणक विहीन व्यय किया गया है जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 एवं खंड (8क) व (8ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः आपति में अंकित ग्राम निधि प्रथम से संबंधित कुल धनराशि ₹1216756.00 में से श्री रविंद्र प्रसाद दूबे ग्राम विकास अधिकारी से ₹608378.00 तथा श्री सुनील सिंह ग्राम प्रधान से ₹608378.00 की वसूली की जानी अपेक्षित है।

23- ग्राम पंचायत - बोखारेपुर विकास खण्ड-भदैया लेखा परीक्षा वर्ष - 2020-21

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।” परन्तु लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि(चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त/14वां वित्त एवं 15वां वित्त योजना) से कराये गये कतिपय कार्यों/मदों से सम्बन्धित पत्रावलीयां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मूल/आफलाइन कोषबही के अनुसार उक्त कार्यों पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	योजना मद एवं कार्य का नाम/	दिनांक	दर्शित धनराशि
	चतुर्थ पंचम राज्य वित्त एवं 14वां वित्त योजना/		
1	हैण्डपम्प रिबोर	03.09.2020	27748.00
		14.09.2020.	27276.00
		14.09.2020.	27420.00
		योग	82444.00
	15वां वित्त योजना		
2	सामुदायिक शौचालय निर्माण	22.09.2020	88378.00
		22.09.2020	117685.00
		22.09.2020	19453.00
		योग	225516.00
		कुल योग	307960.00

लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व दिनांक 30.10.2021 को पत्र के द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से तथा ऑडिट आनलाइन वेबसाइट पर प्रेषित आनलाइन इंटीमेशन लेटर के द्वारा ग्रा.वि.0/पंच0 अधिकारी से सूची संलग्न कर लेखा परीक्षा हेतु समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध

क्रिया गया था। तत्क्रम में आडिट आनलाइन वेबसाइट पर निर्धारित आडिट कार्यक्रम तिथि दिनांक 02.11.2021 को ग्राम पंचायत **बोखारेपुर** के वित्तीय वर्ष 2020-21 के आनलाइन उपलब्ध अभिलेखों/आंकड़ों की जांच की गई, परन्तु लेखा परीक्षा हेतु वांछित आफलाइन अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त क्रम में विभिन्न तिथियों में आफलाइन पत्रों एवं आडिट आनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्प आडिट रिक्वीजिशन के माध्यम से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, परन्तु उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियाँ एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणकों को प्रस्तुत नहीं किया गया। अन्त में पत्र दिनांक 26.03.2022 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से एवं दिनांक 27.03.2022 को आडिट आनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्प आडिट रिक्वीजिशन के माध्यम से सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री रवि आनंद श्रीवास्तव से आडिट हेतु वांछित समस्त अभिलेखों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया जिसके क्रम में ग्राम विकास अधिकारी श्री रवि आनंद श्रीवास्तव द्वारा अवगत कराया गया कि “ग्राम पंचायत **बोखारेपुर** के पूर्व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री बृजेश कुमार द्वारा उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियाँ एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक मुझे उपलब्ध नहीं कराया गया है जिसके कारण लेखा परीक्षा हेतु उक्त अभिलेखों को प्रस्तुत करने में असमर्थ हूँ।” इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियाँ (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, मानदेय रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि) एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये उक्त व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु.307960.00 उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए तत्कालीन ग्रा0वि0अधिकारी श्री बृजेश कुमार तथा ग्राम प्रधान श्री अर्जुन उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु 307960.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रु 153980.00 ग्रा0वि0अधिकारी श्री बृजेश कुमार से तथा रु 153980.00 ग्राम प्रधान श्री अर्जुन से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

24- ग्राम पंचायत - छतौना विकास खण्ड- भदैया लेखा परीक्षा वर्ष - 2020-21

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि(चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त/14वां वित्त योजना) से कराये गये कतिपय कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियाँ (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मूल/आफलाइन कोषबही के अनुसार उक्त कार्यों पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	योजना मद एवं कार्य का नाम/	दिनांक	दर्शित धनराशि
	चतुर्थ पंचम राज्य वित्त एवं 14वां वित्त योजना		
1	ह्यूम पाइप क्रय	15.07.2020	34041.00
2	हैण्डपम्प रिबोर	19.08.2020	19347.00
		19.08.2020	19696.00
		21.09.2020	19479.00
		21.09.2020	19948.00
		योग	78470.00

3	हैण्डपम्प मरम्मत	02.04.2020	15190.00
		06.07.2020	15533.00
		06.07.2020	16905.00
		31.10.2020	13573.00
		31.10.2020	15930.00
		योग	77131.00
4	विविध व्यय-		
	कोविड 19-बचाव हेतु सामग्री का भुगतान	06.07.2020	4850 00.
	कोविड 19-बचाव हेतु सामग्री थर्मल स्कैनर व आक्सीमीटर का भुगतान	05.08.2020	9950 00.
	सामुदायिक शौचालय शिलान्यास पत्थर का भुगतान	07.12.2020	2500 00.
	प्रशासनिक खर्च हेतु भुगतान	22.03.2021	7800 00.
		योग	25100.00
		कुल योग(से 4 1)	214742.00

लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व दिनांक 30.10.2021 को पत्र के द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से तथा आडिट आनलाइन वेबसाइट पर प्रेषित आनलाइन इंटीमेशन लेटर के द्वारा ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी से सूची संलग्न कर लेखा परीक्षा हेतु समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। तत्क्रम में आडिट आनलाइन वेबसाइट पर निर्धारित आडिट कार्यक्रम तिथि दिनांक 03.11.2021 को ग्राम पंचायत छतौना के वित्तीय वर्ष 2020-21 के आनलाइन उपलब्ध अभिलेखों/आंकड़ों की जांच की गई, परन्तु लेखा परीक्षा हेतु वांछित आनलाइन अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त क्रम में विभिन्न तिथियों में आनलाइन पत्रों एवं आडिट आनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्प आडिट रिकवीजीशन के माध्यम से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था परन्तु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया। अन्त में पत्र दिनांक 26.03.2022 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से एवं दिनांक 27.03.2022 को आडिट आनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्प आडिट रिकवीजीशन के माध्यम से सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री शिवमोहन सिंह से आडिट हेतु वांछित समस्त अभिलेखों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया जिसके क्रम में ग्राम विकास अधिकारी श्री शिवमोहन सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि “ग्राम पंचायत छतौना के पूर्व सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सन्तोष पाल द्वारा उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक मुझे उपलब्ध नहीं कराया गया है जिसके कारण लेखा परीक्षा हेतु उक्त अभिलेखों को प्रस्तुत करने में असमर्थ हूं।” इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये उक्त व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु 214742.00 उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए तत्कालीन सचिव/ग्रा0पं0 अधिकारी श्री सन्तोष पाल तथा ग्राम प्रधान श्रीमती शायरा बानो उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु. 214742.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रु 107371.00 ग्रा0पं0 अधिकारी श्री सन्तोष पाल से तथा रु 107371.00 ग्राम प्रधान श्रीमती शायरा बानो से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 29

लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा केन्द्रीय वित्त तथा मनरेगा से संयुक्त रूप(कनवर्जेन्स)से कराये जाने वाले पंचायत भवन निर्माण कार्य पर मनरेगा (कनवर्जेन्स) के अन्तर्गत अकुशल श्रम पर प्राक्कलन एवं मापी लागत से अधिक का मस्टररोल निर्गत कर भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

कार्य का नाम / विवरण	प्राक्कलन लागत	मापी के अनुसार अकुशल श्रम लागत	निर्गत मस्टर रोलों के अनुसार लागत	भुगतान की गई धनराशि
पंचायत भवन निर्माण मनरेगा / (कनवर्जेन्स) के अन्तर्गत अकुशल श्रम	5435682.	(i)-एमबी.-39541.25.	मरो.-5090-.	72360.00
		(iii)-एमबी.-2801.07.	12864	
		(v)-एम.-बी.6271.52	मरो.-5091-6432.	
		(vi)-अंतिम-.एम.बी/ 721691.	मरो.-5264-.	
		योग मापी लागत- 55830.75	योग म-रो. लागत. 72360.00	
		पूर्णकित धनराशि- 55831.00		

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 157(ख) के अनुसार निर्माण कार्य कराये जाने के उपरान्त भुगतान के लिए निर्धारित अधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा कार्य की नाप-जोख/माप किया जाना आवश्यक है। अस्तु भुगतान मापी लागत के अनुसार ही किया जाना चाहिये था परन्तु नियम की अनदेखी करते हुये मजदूरी मद में मापी लागत से अधिक धनराशि के मस्टररोल निर्गत कर धनराशि रु 16529.00 का अधिक भुगतान किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256(2)-(क) के अन्तर्गत अनियमित व्यय है जिसके लिए तत्कालीन ग्रा0पं0अधिकारी श्री सन्तोष पाल तथा ग्राम प्रधान श्रीमती शायरा बानो उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों से सुसंगत ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

25- ग्राम पंचायत - दाउदपट्टी विकास खण्ड- भदैया लेखा परीक्षा वर्ष - 2020-21

लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि(चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त/14वां वित्त एवं 15वां वित्त योजना) से कराये गये कतिपय कार्यो/मदों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मूल/आफलाइन कोषबही के अनुसार उक्त कार्यो पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	योजनामद एवं कार्य का नाम/	दिनांक	दर्शित धनराशि
	चतुर्थ पंचम राज्य वित्त एवं 14वां/ वित्त योजना		
1	हैण्डपम्प रिबोर	25.06.2020	28810.00
		25.06.2020	28025.00
		25.06.2020	28836.00
		14.08.2020	27688.00

		14.08.2020	26850.00
		09.09.2020	27032.00
		09.09.2020	27688.00
		25.12.2020	29670.00
		26.12.2020	29700.00
		26.12.2020	29480.00
		योग	283779.00
2	हैण्डपम्प रिबोर एवं चौकी निर्माण	28.10.2020	28090.00
		28.10.2020	27688.00
		योग	55778.00
3	हैण्डपम्प मरम्मत	23.06.2020	19420 00.
		14.11.2020	13040 00.
		14.11.2020	17470 00.
		24.12.2020	18970 00.
		26.12.2020	19980 00.
		26.12.2020	19800 00.
		योग	108680.00
4	ह्यूम पाइप की आपूर्ति	25.08.2020	54684 00.
5	प्रा वि.केशापट्टी में कायाकल्प. टाइलीकरण	26.12.2020	3650 00.
6	विविध व्यय-		
	ग्राम पंचायत के प्रशासनिक खर्च से भुगतान	07.07.2020	19400.00
	थर्मामीटर,आक्सीमीटर एवं थर्मल स्कैनर आदि की आपूर्ति हेतु भुगतान	09.08.2020	9950.00
	ग्राम पंचायत के प्रशासनिक खर्च से भुगतान	26.10.2020	6200.00
	सामुदायिक शौचालय के शिलान्यास पत्थर के लिए भुगतान	29.11.2020	2500.00
	ग्राम पंचायत के प्रशासनिक खर्च से भुगतान	25.12.2020	9980.00
		योग	48030.00
		कुल योग(से 16)	554601.00
	15वां वित्त योजना		
7	ह्यूम पाइप की आपूर्ति	26.12.2020	88200.00
		महा योग(से 7 1)	642801.00

पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।” परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यो/मदों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय

प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व दिनांक 30.10.2021 को पत्र के द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से तथा आडिट आनलाइन वेबसाइट पर प्रेषित आनलाइन इंटीमेशन लेटर के द्वारा ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी से सूची संलग्न कर लेखा परीक्षा हेतु समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। तत्क्रम में आडिट आनलाइन वेबसाइट पर निर्धारित आडिट कार्यक्रम तिथि दिनांक 08.11.2021 को ग्राम पंचायत पंचायत दाउदपट्टी के वित्तीय वर्ष 2020-21 के आनलाइन उपलब्ध अभिलेखों/आंकड़ों की जांच की गई, परन्तु लेखा परीक्षा हेतु वांछित आफलाइन अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त क्रम में विभिन्न तिथियों में आफलाइन पत्रों एवं आडिट आनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्प आडिट रिक्वीजेशन के माध्यम से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, परन्तु सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री बृजेश कुमार द्वारा उक्त कार्यों/मदों से सम्बन्धित पत्रावलियों एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणकों को प्रस्तुत नहीं किया गया। अन्त में पत्र दिनांक 26.03.2022 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से एवं दिनांक 27.03.2022 को आडिट आनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्प आडिट रिक्वीजेशन के माध्यम से सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री बृजेश कुमार से आडिट हेतु वांछित समस्त अभिलेखों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया फिर भी सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री बृजेश कुमार द्वारा उक्त कार्यों/मदों से सम्बन्धित पत्रावलियों एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणकों को प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार उक्त कार्यों/मदों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, मानदेय रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये उक्त व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु.642801.00 उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए ग्रा0वि0 अधिकारी श्री बृजेश कुमार तथा ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु. 642801.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रु. 321400.50 ग्रा0वि0 अधिकारी श्री बृजेश कुमार से तथा रु. 321400.50 ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 31

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मूल/आफलाइन कोषबही के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि (15वां वित्त योजना) से प्रा0वि0 केशापट्टी में दिव्यांग शौचालय निर्माण कार्य कराया गया है जिस पर किये गये भुगतान/व्यय का विवरण निम्नवत है-

कार्य का नाम	दिनांक	दर्शित व्यय धनराशि
प्रा0वि0 केशापट्टी में दिव्यांग शौचालय निर्माण कार्य	25.12.20.20	1460.00
	26.12.20.20	11099.00
	26.12.20.1.9	50049.00
	योग	62608.00

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 157(ख) के अनुसार निर्माण कार्य कराये जाने के उपरान्त भुगतान के लिए निर्धारित अधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा कार्य की नाप-जोख/माप किया जाना आवश्यक है। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्य की मूल माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गई। उक्त कार्य की प्रस्तुत पत्रावली में माप पुस्तिका की छायाप्रति संलग्न रही जिस पर कई पृष्ठों पर मापीकर्ता/अवर अभियन्ता के हस्ताक्षर भी अंकित नहीं रहे। संलग्न माप पुस्तिका की छायाप्रति के अवलोकन से प्रतीत होता है कि किसी अन्य दिव्यांग शौचालय निर्माण कार्य की माप पुस्तिका के पृष्ठों की छायाप्रति कराकर संलग्न कर दी गई है; इस प्रकार लेखा परीक्षा में

उक्त कार्य का कराया जाना संदिग्ध पाया गया। स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुये उक्त दर्शित धनराशि रु 62608.00 का ग्राम निधि प्रथम से काल्पनिक आधार पर भुगतान/आहरण कर व्यय दर्शित किया गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256(2)-(क) के अन्तर्गत अनियमित व्यय है जिसके लिए ग्रा0वि0अधिकारी श्री बृजेश कुमार तथा ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

26- ग्राम पंचायत - दिलावलपुर विकास खण्ड- भदैया लेखा परीक्षा वर्ष - 2020-21

प्रस्तर - 32

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि(चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त/14वां वित्त एवं 15वां वित्त योजना) से कराये गये कतिपय कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मूल/आफलाइन कोषबही के अनुसार उक्त कार्यों पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	योजना मद एवं कार्य का नाम/	दिनांक	दर्शित धनराशि
	चतुर्थ पंचम राज्य वित्त एवं 14वां वित्त योजना		
1	हैण्डपम्प रिबोर	31.07.2020	28430.00
		14.08.2020	27840.00
		14.08.2020	28040.00
		योग	84310.00
2	हैण्डपम्प रिबोर एवं चौकी निर्माण	25.09.2020	25554.00
3	मुनीरा के घर से रईस के घर तक खड़न्जा मरम्मत	23.09.2020	41324.00
		23.09.2020	43416.00
		योग	84740.00
		कुल योग(से 13)	194604.00
	15वां वित्त योजना		
4	सामुदायिक शौचालय में बोरिंग	25.12.2020	22743.00
		महा योग(से 14)	217347.00

लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व दिनांक 30.10.2021 को पत्र के द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से तथा आडिट आनलाइन वेबसाइट पर प्रेषित आनलाइन इंटीमेशन लेटर के द्वारा ग्रा0वि0/पंच0 अधिकारी से सूची संलग्न कर लेखा परीक्षा हेतु समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। तत्क्रम में आडिट आनलाइन वेबसाइट पर निर्धारित आडिट कार्यक्रम तिथि दिनांक 09.11.2021 को ग्राम पंचायत दिलावलपुर के वित्तीय वर्ष 2020-21 के आनलाइन उपलब्ध अभिलेखों/आंकड़ों की जांच की गई, परन्तु लेखा परीक्षा हेतु वांछित आफलाइन अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त क्रम में विभिन्न तिथियों में आफलाइन पत्रों एवं आडिट आनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्प आडिट रिक्वीजिशन के माध्यम से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, परन्तु उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियों एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणकों को प्रस्तुत नहीं किया गया। अन्त में पत्र दिनांक 26.03.2022 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से एवं दिनांक 27.03.2022 को आडिट आनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्प आडिट रिक्वीजिशन के माध्यम से सचिव/ग्राम

विकास अधिकारी श्री नीतेश सिंह से आडिट हेतु वांछित समस्त अभिलेखों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया जिसके क्रम में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नीतेश सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि “ग्राम पंचायत दिनावलपुर के पूर्व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री बृजेश कुमार द्वारा उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक मुझे उपलब्ध नहीं कराया गया है जिसके कारण लेखा परीक्षा हेतु उक्त अभिलेखों को प्रस्तुत करने में असमर्थ हूँ।” इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये उक्त व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु 217347.00 उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए तत्कालीन सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री बृजेश कुमार तथा ग्राम प्रधान श्रीमती फरीदा बेगम उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु 217347.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रु 108673.50 ग्राम विकास अधिकारी श्री बृजेश कुमार से तथा रु 108673.50 ग्राम प्रधान श्रीमती फरीदा बेगम से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 33

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मूल/आफलाइन कोषबही के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि (चतुर्थ राज्य वित्त योजना) से दिव्यांग शौचालय निर्माण कार्य पर किये गये भुगतान/व्यय का विवरण निम्नवत है-

कार्य का नाम	दिनांक	दर्शित व्यय धनराशि
दिव्यांग शौचालय निर्माण कार्य	25.12.20.20	50050.00
	26.12.20.20	11100.00
	26.12.20.19	1460.00
	योग	62610.00

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 157(ख) के अनुसार निर्माण कार्य कराये जाने के उपरान्त भुगतान के लिए निर्धारित अधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा कार्य की नाप-जोख/माप किया जाना आवश्यक है। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्य की मूल माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गई। उक्त कार्य की प्रस्तुत पत्रावली में माप पुस्तिका की छायाप्रति संलग्न रही जिस पर कई पृष्ठों पर मापीकर्ता/अवर अभियन्ता के हस्ताक्षर भी अंकित नहीं रहे। संलग्न माप पुस्तिका की छायाप्रति के अवलोकन से प्रतीत होता है कि किसी अन्य दिव्यांग शौचालय निर्माण कार्य की माप पुस्तिका के पृष्ठों की छायाप्रति कराकर संलग्न कर दी गई है; इस प्रकार लेखा परीक्षा में उक्त कार्य का कराया जाना संदिग्ध पाया गया। स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुये उक्त दर्शित धनराशि रु 62610.00 का ग्राम निधि प्रथम से काल्पनिक आधार पर भुगतान/आहरण कर व्यय दर्शित किया गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256(2)-(क) के अन्तर्गत अनियमित व्यय है जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री बृजेश कुमार तथा ग्राम प्रधान श्रीमती फरीदा बेगम उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

27- ग्राम पंचायत - केनौरा विकास खण्ड- भदैया लेखा परीक्षा वर्ष - 2020-21

प्रस्तर - 34

लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त/14वां वित्त एवं 15वां वित्त योजना) से कराये गये कतिपय कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मूल/आफलाइन कोषबही के अनुसार उक्त कार्यों पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	दिनांक	दर्शित व्यय धनराशि
	चतुर्थ पंचम राज्य वित्त/ एवं 14वां वित्त योजना		
1	गया के घर से तालाब तक इण्टरलकिंग कार्य	24.09.2020	32290.00
		24.09.2020	33624.00
		24.09.2020	22768.00
		योग	88682.00
2	जूनियर हाईस्कूल में कायाकल्प कार्य	28.12.2020	8294.00
		28.12.2020	7965.00
		01.01.2021	148785.00
		योग	165044.00
		कुल योग(से 2 1)	253726.00
	15वां वित्त योजना		
3	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	19.10.2020	123223.00
		19.10.2020	71618.00
		26.10.2020	30000.00
		योग	224841.00
4	पंचायत भवन निर्माण कार्य	03.12.2020	76696.00
		03.12.2020	64776.00
		योग	141472.00
5	हैण्डपम्प सोखता गड्ढा निर्माण कार्य	28.12.2020	19230.00
		कुल योग(3 से 5)	385543.00
		महा योग(से 5 1)	639269.00

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करावें।” परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व दिनांक 30.10.2021 को पत्र के द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से तथा ऑडिट आनलाइन वेबसाइट पर प्रेषित आनलाइन इंटीमेशन लेटर के द्वारा ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी से सूची संलग्न कर लेखा परीक्षा हेतु समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। तत्क्रम में ऑडिट आनलाइन वेबसाइट पर निर्धारित ऑडिट कार्यक्रम तिथि दिनांक 25.11.2021 को ग्राम पंचायत केनौरा के वित्तीय वर्ष 2020-21 के आनलाइन उपलब्ध अभिलेखों/आंकड़ों की जांच की गई, परन्तु लेखा परीक्षा हेतु वांछित आफलाइन अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त क्रम में विभिन्न तिथियों में आफलाइन पत्रों एवं ऑडिट आनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्प ऑडिट रिक्वीजिशन के माध्यम से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, परन्तु उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणकों को प्रस्तुत नहीं किया गया। अन्त में पत्र दिनांक 26.03.2022 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से एवं दिनांक 27.03.2022 को ऑडिट आनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्प ऑडिट रिक्वीजिशन के माध्यम से सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री हरिशंकर से ऑडिट हेतु वांछित समस्त अभिलेखों को प्रस्तुत करने का

अनुरोध किया गया फिर भी उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियों एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणकों को प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियाँ (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये उक्त व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु 639269.00 उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए गा0वि0अधिकारी श्री हरिशंकर तथा ग्राम प्रधान श्री रमेश कुमार उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु 639269.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रु 319634.50 गा0वि0अधिकारी श्री हरिशंकर से तथा रु 319634.50 ग्राम प्रधान श्री रमेश कुमार से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 35

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मूल/आफलाइन कोषबही के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि (चतुर्थ राज्य वित्त योजना) से पेयजल टंकी समरसेबुल मरम्मत कार्य पर किये गये भुगतान/व्यय का विवरण निम्नवत है-

कार्य का नाम	दिनांक	दर्शित व्यय धनराशि
पेयजल टंकी समरसेबुल मरम्मत कार्य	15.07.2020	18360.00
	15.07.2020	53390.00
	योग	71750.00

लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित केवल बाउचर/व्यय प्रमाणक एवं जल निगम सुल्तानपुर द्वारा विभिन्न कार्यों को कराये जाने की रेट लिस्ट ही प्रस्तुत रही परन्तु कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति तथा कार्य की मापी प्रस्तुत नहीं रही। इस प्रकार उक्त कार्य को बिना प्राक्कलन तैयार किये तथा अनुमानित व्यय की बिना सक्षम स्तर से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त किये कराया गया है तथा बिना कार्य की माप किये ही काल्पनिक आधार पर उक्त भुगतान किये गये हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 156 के अनुसार किसी भी निर्माण कार्य को आरम्भ करने के पूर्व योजना मानचित्र और अनुमानित व्यय की नियमानुसार स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है एवं नियम 157(ख) के अनुसार निर्माण कार्य कराये जाने के उपरान्त भुगतान के लिए निर्धारित अधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा कार्य की नाप-जोख/माप किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुये उक्त दर्शित धनराशि रु 71750.00 का ग्राम निधि प्रथम से काल्पनिक आधार पर भुगतान/आहरण कर व्यय दर्शित किया गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256(2)-(क) के अन्तर्गत अनियमित व्यय है जिसके लिए गा0वि0अधिकारी श्री हरिशंकर तथा ग्राम प्रधान श्री रमेश कुमार उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 36

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मूल/आफलाइन कोषबही के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि (15 वां वित्त योजना) से दिनांक 24.12.2020 को हैण्डपम्प रिबोर हेतु धनराशि रु 28040.00 का भुगतान दर्शित है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 157(ख) के अनुसार निर्माण कार्य कराये जाने के उपरान्त भुगतान के लिए निर्धारित अधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा कार्य की नाप-जोख/माप किया जाना आवश्यक है। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्य की मूल माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गई। उक्त कार्य की प्रस्तुत पत्रावली में माप पुस्तिका की छायाप्रति संलग्न रही। संलग्न माप पुस्तिका की छायाप्रति के अवलोकन से प्रतीत होता है कि किसी अन्य हैण्डपम्प रिबोर कार्य की माप पुस्तिका के पृष्ठों की छायाप्रति कराकर संलग्न कर दी गई है; इस प्रकार

लेखा परीक्षा में उक्त कार्य का कराया जाना संदिग्ध पाया गया। स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुये उक्त दर्शित धनराशि रु 28040.00 का ग्राम निधि(15 वां वित्त योजना)खाते से काल्पनिक आधार पर भुगतान/आहरण कर व्यय दर्शित किया गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256(2)-(क) के अन्तर्गत अनियमित व्यय है जिसके लिए जिसके लिए ग्रा0वि0अधिकारी श्री हरिशंकर तथा ग्राम प्रधान श्री रमेश कुमार उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

28- ग्राम पंचायत - नरायनपुर विकास खण्ड- भदैया लेखा परीक्षा वर्ष - 2020-21

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से(14वां वित्त योजना)से भवन मरम्मत और पेंटिंग कार्य(आई०डी०-21265784)कराया गया है।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मूल/आफलाइन कोषबही के अनुसार उक्त कार्य पर दर्शित भुगतान/व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	दिनांक	दर्शित व्यय का विवरण	दर्शित व्यय धनराशि
1	13.04.2020	भवन मरम्मत और पेंटिंग कार्य बादल बिल्डिंग मटेरियल	199805.00
2	13.04.2020	लेबर मजदूरी कौशिल्या देवी	19932.00
		योग	219737.00

पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।” परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित पत्रावली(प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि) एवं उस पर किये गये व्यय की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व दिनांक 30.10.2021 को पत्र के द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से तथा आडिट आनलाइन वेबसाइट पर प्रेषित आनलाइन इंटीमेशन लेटर के द्वारा ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी से सूची संलग्न कर लेखा परीक्षा हेतु समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था।तत्क्रम में आडिट आनलाइन वेबसाइट पर निर्धारित आडिट कार्यक्रम तिथि दिनांक 06.12.2021 को ग्राम पंचायत नरायनपुर के वित्तीय वर्ष 2020-21 के आनलाइन उपलब्ध अभिलेखों/आंकड़ों की जांच की गई, परन्तु लेखा परीक्षा हेतु वांछित आफलाइन अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त क्रम में विभिन्न तिथियों में आफलाइन पत्रों एवं आडिट आनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्प आडिट रिक्वीजीशन के माध्यम से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था परन्तु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया। अन्त में पत्र दिनांक 26.03.2022(छाया प्रति संलग्न) द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से एवं दिनांक 27.03.2022 को आडिट आनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्प आडिट रिक्वीजीशन के माध्यम से सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया फिर भी उक्त कार्य से सम्बन्धित पत्रावली एवं उस पर किये गये व्यय की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणकों को प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार उक्त कार्य से सम्बन्धित पत्रावली(प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी,कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि) एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये उक्त व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे।लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु 219737.00 उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए ग्रा0वि0 अधिकारी श्री राकेश कुमार तथा ग्राम प्रधान श्रीमती कौशिल्या देवी

उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु 219737.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रु109868.50 ग्रा0वि0अधिकारी श्री राकेश कुमार से तथा रु 109868.50 ग्राम प्रधान श्रीमती कौशिल्या देवी से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 38

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना एवं मनरेगा कनवर्जेन्स के अन्तर्गत **पंचायत भवन निर्माण कार्य**(आई०डी०-45129078)कराया गया है।मूल/आफलाइन कोषबही के अनुसार उक्त कार्य पर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के अन्तर्गत दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	दिनांक	दर्शित व्यय का विवरण	दर्शित व्यय धनराशि
1	27.11.2020	पंचायत भवन निर्माण कार्य मेसर्स उत्तम ट्रेडर्स पर	246693.00
2	27.11.2020	कौशिल्या देवी (मजदूरी लेबर)	22504.00
3	27.11.2020	पंचायत भवन निर्माण कार्य मेसर्स उत्तम ट्रेडर्स पर	167632.00
4	19.12.2020	पंचायत भवन निर्माण कार्य मेसर्स उत्तम ट्रेडर्स पर	167110.00
5	19.12.2020	मेसर्स उत्तम ट्रेडर्स पर	374062.00
		योग	978001.00

पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत रही जिसमें प्राक्कलन, स्वीकृति, मापी व अन्य प्रपत्र संलग्न रहे, परन्तु कार्य पर दर्शित किये गये मजदूरी व्यय की पुष्टि में मस्टररोल एवं दर्शित सामग्री व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व दिनांक 30.10.2021 को पत्र के द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से तथा आडिट आनलाइन वेबसाइट पर प्रेषित आनलाइन इंटीमेशन लेटर के द्वारा ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी से सूची संलग्न कर लेखा परीक्षा हेतु समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था।तत्क्रम में आडिट आनलाइन वेबसाइट पर निर्धारित आडिट कार्यक्रम तिथि दिनांक 06.12.2021 को ग्राम पंचायत नरायनपुर के वित्तीय वर्ष 2020-21 के आनलाइन उपलब्ध अभिलेखों/आंकड़ों की जांच की गई, परन्तु लेखा परीक्षा हेतु वांछित आफलाइन अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त क्रम में विभिन्न तिथियों में आफलाइन पत्रों एवं आडिट आनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्प आडिट रिक्वीजीशन के माध्यम से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था परन्तु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया। अन्त में पत्र दिनांक 26.03.2022(छाया प्रति संलग्न) द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से एवं दिनांक 27.03.2022 को आडिट आनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्प आडिट रिक्वीजीशन के माध्यम से सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया फिर भी उक्त कार्य पर किये गये व्यय की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणकों को प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार उक्त कार्य पर किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे।लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।”इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु 978001.00 उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए ग्रा0वि0अधिकारी श्री राकेश कुमार तथा ग्राम प्रधान श्रीमती कौशिल्या देवी उत्तरदायी हैं।अतः उक्त धनराशि रु 978001.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों

से संयुक्त रूप से रु 489000.50 ग्रा(वि0अधिकारी श्री राकेश कुमार से तथा रु 489000.50 ग्राम प्रधान श्रीमती कौशिल्या देवी से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

29- ग्राम पंचायत - पन्नाटिकरी विकास खण्ड- भदैया लेखा परीक्षा वर्ष - 2020-21

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मूल/आफलाइन कोष बही के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि(चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त/14वां वित्त एवं 15वां वित्त योजना) से विभिन्न कार्यो/मदों पर भुगतान/व्यय किये गये हैं जिनका विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	योजना मद एवं कार्य का नाम/	दिनांक	दर्शित धनराशि
	15वां वित्त योजना		
1	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	11.09.2020	40151.00
		11.09.2020	78033.00
		15.09.2020	73316.00
		14.10.2020	23739.00
		14.10.2020	17878.00
		14.10.2020	42895.00
		22.10.2020	9490.00
		11.11.2020	20440.00
		12.11.2020	13237.00
		16.03.2021	32429.00
		योग	351608.00
2	सामुदायिक शौचालय पर बोरिंग कार्य	14.10.2020	21422.00
3	प्रा.वि.कामतागंज.(पन्नाटिकरी) में टाइलीकरण व अन्य कार्य	29.12.2020	66782.00
		29.12.2020	64947.00
		29.12.2020	7839.00
		योग	139568.00
4	सत्यनारायण के घर से शम्भूगंज रोड तक खड़न्जा निर्माण	29.12.2020	65444.00
		29.12.2020	20100.00
		योग	85544.00
5	प्रा वि.कामतागंज में टाइलीकरण कार्य.	03.03.2021	114096.00
		03.03.2021	44180.00
		16.03.2021	4623.00
		योग	162899.00
6	पंचायत भवन की मरम्मत एवं रंगाई पुताई	29.12.2020	20736.00
7	हैण्डपम्प मरम्मत	29.12.2020	24030.00
		कुल योग(से 7 1)	805807.00
	चतुर्थ पंचम राज्य/वित्त एवं 14वां वित्त योजना		
8	कृषि संयंत्र क्रय का भुगतान	19.10.2020	200000.00
		20.11.2020	290980.00
		योग	490980.00

9	प्रा वि.पन्नाटिकरी में बाउन्डीवाल निर्माण कार्य.	30.11.2020	30471.00
		30.11.2020	28246.00
		30.11.2020	12235.00
		योग	70952.00
10	प्रा वि.पन्नाटिकरी में टाइलीकरण कार्य.	03.03.2021	89974.00
		03.03.2021	8849.00
		03.03.2021	3216.00
		योग	102039.00
11	हैण्डपम्प रिबोर	07.07.2020	26457.00
		07.07.2020	26962.00
		योग	53419.00
12	हैण्डपम्प मरम्मत	04.07.2020	19551.00
		04.07.2020	19453.00
		योग	39004.00
13	विविध व्यय- कोविड 19-बचाव हेतु मास्क,सेनेटाइजर आदि हेतु भुगतान	06.08.2020	4850.00
	पल्स आक्सीमीटर, व थर्मामीटर आदि का भुगतान	06.08.2020	9950.00
	सामुदायिक शौचालय शिलान्यास पत्थर का भुगतान	30.12.2020	2500.00
	प्रशासनिक व्यय का भुगतान	31.03.2021	5400.00
		योग	22700.00
14	प्रधान मानदेय (मानदेय की अवधि अंकित नहीं)	14.04.2020	7000.00
		10.07.2020	10500.00
		25.08.2020	7000.00
		13.10.2020	7000.00
		29.12.2020	10500.00
		योग	42000.00
		कुल योग(8 से 14)	821094.00
		महा योग(से 14 1)	1626901.00

पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यो/मदों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, मानदेय रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व दिनांक 30.10.2021 को पत्र के द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से तथा आडिट आनलाइन वेबसाइट पर प्रेषित आनलाइन इंटीमेशन लेटर दिनांक 02.12.2021 के द्वारा ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी से सूची संलग्न कर लेखा परीक्षा हेतु समस्त वांछित अभिलेखों एवं कराये गये कार्यो के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप पर सूचनाएं संकलित कर उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। तत्क्रम में आडिट आनलाइन वेबसाइट पर निर्धारित आडिट

कार्यक्रम तिथि दिनांक 09.12.2021 को ग्राम पंचायत पन्नाटिकरी के वित्तीय वर्ष 2020-21 के आनलाइन उपलब्ध अभिलेखों/आंकड़ों की जांच की गई, परन्तु लेखा परीक्षा हेतु वांछित आफलाइन अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त क्रम में विभिन्न तिथियों में आफलाइन पत्रों एवं ऑडिट आनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्प ऑडिट रिक्वीजिशन के माध्यम से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, परन्तु सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सन्तोष पाल द्वारा वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया। अन्त में पत्र दिनांक 26.03.2022 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से एवं दिनांक 27.03.2022 को ऑडिट आनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्प ऑडिट रिक्वीजिशन के माध्यम से वर्तमान सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रतीक सिंह से ऑडिट हेतु वांछित समस्त अभिलेखों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया जिसके क्रम में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रतीक सिंह द्वारा अपने पत्र दिनांक 30.03.2022 (छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से अवगत कराया गया कि “विकास खण्ड भदैया की ग्राम पंचायत पन्नाटिकरी में मेरी तैनाती के पूर्व ग्रा0प0 अधिकारी श्री सन्तोष पाल सचिव थे; उनके द्वारा चार्ज में मुझे वर्ष 2020-21 की केवल कोष बही एवं बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराया गया है, कार्य पत्रवाली एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसके कारण लेखा परीक्षा हेतु कार्य पत्रवाली एवं अन्य अभिलेख प्रस्तुत करने में असमर्थ हूँ। वर्ष 2020-21 की केवल कोष बही एवं बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ।” इस प्रकार उक्त कार्य/मदों से सम्बन्धित पत्रावलियाँ (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, मानदेय रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि) एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु 1626901.00 उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए तत्कालीन ग्रा0प0 अधिकारी श्री सन्तोष पाल तथा ग्राम प्रधान श्रीमती कमलेश कुमारी उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु 1626901.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रु 964834.00 तत्कालीन ग्रा0प0 अधिकारी श्री सन्तोष पाल से तथा रु 662067.00 ग्राम प्रधान श्रीमती कमलेश कुमारी से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

30- ग्राम पंचायत - रामपुर विकास खण्ड- भदैया लेखा परीक्षा वर्ष - 2020-21

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से (चतुर्थ राज्य वित्त योजना/14वां वित्त योजना) से रमेश के घर से रामजी के घर तक इण्टरलकिंग निर्माण कार्य (आई०डी०-42185534) कराया गया है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मूल/आफलाइन कोषबही के अनुसार उक्त कार्य पर किये गये भुगतान/व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	दिनांक	किये गये भुगतान व्यय का/ विवरण	दर्शित व्यय धनराशि
1	21.09.2020	मजदूरी पर भुगतान	60099.00
2	21.09.2020	सुधा ट्रेडर्स पर भुगतान	221436.00
3	23.09.2020	मेसर्स शिव महिमा कांस्ट्रक्शन पर भुगतान	138425.00
4	19.12.2020	मेसर्स शिव महिमा कांस्ट्रक्शन पर भुगतान	25532.00
		योग	445492.00

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत उक्त कार्य के प्राक्कलन के अनुसार कार्य की कुल निर्धारित लागत रु 481196.81 थी जिसके अन्तर्गत कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की लागत रु 414908.18 तथा मजदूरी लागत रु 61488.64 निर्धारित थी। पत्रावली में संलग्न कार्य की माप पुस्तिका में अंकित माप के अनुसार कार्य की मजदूरी लागत रु

60172.39 एवं सामग्री लागत रु 419313.95 रही। मापी के अनुसार प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों की मात्रा एवं मूल्य का विवरण निम्नवत रहा-

- (i) सीमेन्ट 112-बैग रु 358.40 प्रति बैग की दर से-रु- 40140.80
- (ii) फाइन सैंड 25.46-घन मी रु.2082 प्रति घन मीकी दर से-रु.53007.72 .
- (iii) कोर्स सैंड 6.4-घन मी रु.2750 .प्रति घन मीकी दर से-रु.17600.00 .
- (iv) इण्टरलकिंग ब्रिक्स 8704-नग रु 25.96.प्रति ब्रिक की दर सेरु.225955.84-
- (v) फर्स्ट क्लास ब्रिक्स 8556-नग रु 6.09.प्रति ब्रिक की दर सेरु.52106.04-
- (vi) मिमी.ब्रिक ब्लास्ट-26.41 40घन मी रु.1155 .प्रति घन मीकी दर से-रु.30503.55 .

लेखा परीक्षा में उक्त कार्य के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां पाई गईं-

(1) पत्रावली में संलग्न सामग्री आपूर्ति आदेश के अनुसार इंटरलकिंग ब्रिक्स की आपूर्ति मेसर्स शिव महिमा कंस्ट्रक्शन द्वारा की जानी थी। जिसके क्रम में पत्रावली में संलग्न इंटरलकिंग ब्रिक्स आपूर्तिकर्ता फार्म मेसर्स शिव महिमा कंस्ट्रक्शन के वाउचर के अनुसार मापी धनराशि रु 225955.84 में से 2 प्रतिशत आयकर की कटौती की धनराशि रु 4519.00 घटाते हुए धनराशि रु 221436.00 भुगतान किया जाना चाहिए था, परंतु लेखा परीक्षा में पाया गया कि उक्त धनराशि रु 221436.00 का भुगतान मेसर्स शिव महिमा कंस्ट्रक्शन को न करके सुधा ट्रेडर्स को किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण रहा।

(2)-पत्रावली में संलग्न सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म सुधा ट्रेडर्स के बाउचर के अनुसार विभिन्न सामग्रियों सीमेन्ट, फाइन सैंड, कोर्स सैंड एवं 40 मिमी.ब्रिक ब्लास्ट की कुल मापी धनराशि रु 141252.07 में से 2 प्रतिशत आयकर की कटौती की धनराशि रु 2825.00 घटाते हुए धनराशि रु 138427.00 का भुगतान सुधा ट्रेडर्स किया जाना चाहिये था परन्तु लेखा परीक्षा में पाया गया कि उक्त धनराशि के सापेक्ष रु 138425.00 का भुगतान सुधा ट्रेडर्स को न करके मेसर्स शिव महिमा कंस्ट्रक्शन को किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण रहा।

(3)-फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की मापी धनराशि रु 52106.04 के सापेक्ष पत्रावली में न तो कोई बाउचर संलग्न रहा और न ही कोई भुगतान किया गया है।

(4)-दिनांक 19.12.2020 को मेसर्स शिव महिमा कंस्ट्रक्शन को धनराशि रु 25532.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान किस सामग्री हेतु किया गया यह लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं रहा और न ही इसकी पुष्टि में पत्रावली में कोई बाउचर संलग्न रहा। इस प्रकार धनराशि रु 25532.00 का भुगतान संदिग्ध पाया गया।

(5)-मजदूरी मद पर भुगतान की गई धनराशि रु 60099.00 के सापेक्ष पत्रावली में संलग्न मस्टररोल में श्रमिकों के हस्ताक्षर अंकित नहीं पाये गये।

इस प्रकार लेखा परीक्षा में कार्य की स्थिति संदिग्ध रही तथा किये गये भुगतान अनियमित पाये गये।स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुये उक्त कार्य पर धनराशि रु 445492.00.का ग्राम निधि प्रथम से भुगतान आहरण कर/व्यय दर्शित किया गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली के नियम 256 1947(2)-(क) के अन्तर्गत अनियमित व्यय है जिसके लिए ग्रा(वि 0)अधिकारीश्री राकेश कुमार तथा ग्राम प्रधान श्री दशरथ उत्तरदायी हैं।अतः जांचोपरान्त उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 41

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से(चतुर्थ राज्य वित्त योजना/14वां वित्त योजना)से गया प्रसाद के घर से ब्रह्मादीन के घर तक इण्टरलकिंग निर्माण कार्य (आई०डी०-42185302)कराया गया है।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मूल/आफलाइन कोषबही के अनुसार उक्त कार्य पर किये गये भुगतान/व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	दिनांक	सामग्री मद में किये गये भुगतान व्यय का/ विवरण	दर्शित व्यय धनराशि
1	01.07.2020	मेसर्स शिव महिमा कंस्ट्रक्शन पर भुगतान	309217.00
2	01.07.2020	मेसर्स शिव महिमा कंस्ट्रक्शन पर भुगतान	69293.00

3	04.07.2020	सिंह ब्रिक फील्ड पर भुगतान	95765.00
		योग	474275.00

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत उक्त कार्य के प्राक्कलन के अनुसार कार्य की कुल निर्धारित लागत रु 481034.85 थी जिसके अन्तर्गत कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की लागत रु 411256.95 तथा मजदूरी लागत रु 64977.90 निर्धारित थी। पत्रावली में संलग्न कार्य की माप पुस्तिका में अंकित माप के अनुसार कार्य की मजदूरी लागत रु 64977.90 एवं सामग्री लागत रु 411256.95 रही।

लेखा परीक्षा में उक्त कार्य के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां पाई गईं-

(1)-कार्य की मापी के अनुसार मजदूरी एवं सामग्री की लागत प्राक्कलन के अनुसार निर्धारित मजदूरी एवं सामग्री की लागत के पूर्णतया समान रही, जो तर्कसंगत नहीं रहा।

(2)-कार्य की मापी के अनुसार मजदूरी लागत रु 64977.90 के सापेक्ष मस्टररोल लागत रु 69320.00 रही; और मजदूरी मद में रु 69293.00 का भुगतान किया गया। इस प्रकार मजदूरी मद में प्राक्कलन एवं मापी लागत से रु 4315 का अधिक भुगतान किया गया।

(3)-मजदूरी का भुगतान सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म मेसर्स शिव महिमा कांस्ट्रक्शन को किया गया, जो त्रुटिपूर्ण रहा।

(4)-प्राक्कलन के अनुसार कार्य में प्रयोग की जाने वाली फर्स्ट क्लास ब्रिक की संख्या 11109 निर्धारित रही जिसकी लागत प्रति ब्रिक 6.09 की दर से लागत रु 67653.81 रही। मापी के अनुसार भी कार्य में प्रयुक्त फर्स्ट क्लास ब्रिक की संख्या 11109 निर्धारित रही जिसकी लागत प्रति ब्रिक 6.09 की दर से लागत रु 67653.81 होनी चाहिये थी परन्तु त्रुटिपूर्ण गणना करते हुये मापी लागत 69653.81 दर्शित किया गया; जो कि रु 2000 अधिक रहा। परिणामस्वरूप ईट एवं ईट गिट्टी की वास्तविक मापी लागत रु 95720.31 के स्थान पर लागत रु 97720.31 मानते हुये धनराशि रु 2000 का अधिक भुगतान किया गया जो त्रुटिपूर्ण रहा।

(5)-मापी के अनुसार डिस्प्ले बोर्ड की आपूर्ति एवं स्थापना की लागत रु 4500.00 रही परन्तु उक्त धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। पत्रावली में कार्यस्थल की डिस्प्ले बोर्ड युक्त फोटो संलग्न नहीं रही जिससे यह स्पष्ट रहा कि कार्य स्थल पर डिस्प्ले बोर्ड नहीं लगाया गया; जो आपत्तिजनक रहा।

इस प्रकार लेखा परीक्षा में कार्य की स्थिति संदिग्ध रही तथा किये गये भुगतान अनियमित पाये गये। स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुये उक्त कार्य पर धनराशि रु 474275.00 का ग्राम निधि प्रथम से भुगतान/आहरण कर व्यय दर्शित किया गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256(2)-(क) के अन्तर्गत अनियमित व्यय है जिसके लिए ग्रा0वि0अधिकारी श्री राकेश कुमार तथा ग्राम प्रधान श्री दशरथ उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 42

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोष बही के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम (14वां वित्त) से दिनांक 05.05.2020 को सीमेन्ट बेन्च स्थापना कार्य हेतु मेसर्स शिव महिमा कांस्ट्रक्शन को धनराशि रु 87000.00 का भुगतान दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित केवल प्राक्कलन एवं बाउचर ही प्रस्तुत रहा, कार्य से सम्बन्धित तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी आदि प्रस्तुत नहीं रहे। प्रस्तुत प्राक्कलन के अनुसार 6 नग सीमेन्ट बेन्च की स्थापना लागत धनराशि रु 0.59 लाख निर्धारित थी; जबकि संलग्न बाउचर के अनुसार प्रति नग सीमेन्ट बेन्च की रु 8700 की दर से कुल 10 नग सीमेन्ट बेन्च की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 157(ख) के अनुसार निर्माण कार्य कराये जाने के उपरान्त भुगतान के लिए निर्धारित अधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा कार्य की नाप-जोख/माप किया जाना आवश्यक है। लेखा परीक्षा में मापी प्रस्तुत न किये जाने से स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुये बिना नाप किये ही काल्पनिक आधार पर उक्त दर्शित धनराशि रु 87000.00 का ग्राम निधि प्रथम से भुगतान/आहरण कर व्यय दर्शित किया गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256(2)-(क) के अन्तर्गत अनियमित व्यय है जिसके लिए ग्रा0वि0अधिकारी श्री राकेश कुमार तथा ग्राम प्रधान श्री दशरथ उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

31- ग्राम पंचायत - सकवा विकास खण्ड- भदैया लेखा परीक्षा वर्ष - 2020-21

प्रस्तर - 43

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।” परन्तु लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि(चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त/14वां वित्त एवं 15वां वित्त योजना) से कराये गये कतिपय कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मूल/आफलाइन कोषबही के अनुसार उक्त कार्यों पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	योजनामद एवं कार्य का नाम/	दिनांक	दर्शित धनराशि
	चतुर्थ पंचम राज्य वित्त एवं 14वां वित्त योजना/		
1	हैण्डपम्प मरम्मत	06.07.2020	16415.00
		06.07.2020	14651.00
		योग	31066.00
2	विविध व्यय-		
	कोविड 19-बचाव हेतु मास्क,सेनेटाइजर आदि हेतु भुगतान	06.07.2020	4850.00
	पल्स आक्सीमीटर, व थर्मामीटर आदि का भुगतान	10.08.2020	9950.00
	प्रशासनिक व्यय हेतु भुगतान	03.12.2020	10000.00
	सामुदायिक शौचालय शिलान्यास पत्थर का भुगतान	07.12.2020	2500.00
	प्रशासनिक खर्च का भुगतान	31.03.2021	5200.00
		योग	32500.00
	15वां वित्त योजना		
3	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	11.09.2020	92095.00
		11.09.2020	97307.00
		01.10.2020	9855.00
		11.11.2020	29114.00
		11.11.2020	21900.00
		11.11.2020	86920.00
		11.11.2020	21146.00
		16.12.2020	12000.00
		योग	370337.00
4	सामुदायिक शौचालय पर बोरिंग कार्य	17.12.2020	20345.00
		कुल योग(3 से 4)	390682.00
		महा योग(से 4 1)	454248.00

लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व दिनांक 30.10.2021 को पत्र के द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से तथा आडिट आनलाइन वेबसाइट पर प्रेषित आनलाइन इंटीमेशन लेटर के द्वारा ग्रा0वि0/पं0अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। तत्क्रम में आडिट आनलाइन

वेबसाइट पर निर्धारित आडिट कार्यक्रम तिथि दिनांक 18.12.2021 को ग्राम पंचायत सकवा के वित्तीय वर्ष 2020-21 के आनलाइन उपलब्ध अभिलेखों/आंकड़ों की जांच की गई, परन्तु लेखा परीक्षा हेतु वांछित आफलाइन अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त क्रम में विभिन्न तिथियों में आफलाइन पत्रों एवं आडिट आनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्प आडिट रिक्वीजिशन के माध्यम से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, परन्तु उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियाँ एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणकों को प्रस्तुत नहीं किया गया। अन्त में पत्र दिनांक 26.03.2022 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से एवं दिनांक 27.03.2022 को आडिट आनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्प आडिट रिक्वीजिशन के माध्यम से सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती शारदा देवी से आडिट हेतु वांछित समस्त अभिलेखों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया जिसके क्रम में ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती शारदा देवी द्वारा अवगत कराया गया कि “ग्राम पंचायत सकवा के पूर्व सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सन्तोष पाल द्वारा उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियाँ एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक मुझे उपलब्ध नहीं कराया गया है जिसके कारण लेखा परीक्षा हेतु उक्त अभिलेखों को प्रस्तुत करने में असमर्थ हूँ।” इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियाँ (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये उक्त व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु 454248.00 उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए तत्कालीन सचिव/ग्रा0पं0 अधिकारी श्री सन्तोष पाल तथा ग्राम प्रधान श्री संदीप सिंह उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु 454248.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रु 227124.00 ग्रा0पं0 अधिकारी श्री सन्तोष पाल से तथा रु 227124.00 ग्राम प्रधान श्री सन्दीप सिंह से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 44

लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा कराये गये कतिपय कार्यों में मजदूरी मद में मापी लागत से अधिक भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

कार्य का नाम	दिनांक	मापी के अनुसार मजदूरी लागत	मस्टर रोल के अनुसार लागत	भुगतान की गई धनराशि	अधिक भुगतान की धनराशि
उमाकांत के घर से खड़न्जा तक नाली निर्माण कार्य	01. 01.2021	16583.00	16747.00	16747.00	164.00
उच्च प्राथमिक विद्यालय सकवा में टाइलीकरण कार्य	02.03.2020	7832.00	8199.00	8199.00	367.00
				योग	531.00

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 157(ख) के अनुसार निर्माण कार्य कराये जाने के उपरान्त भुगतान के लिए निर्धारित अधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा कार्य की नाप-जोख/माप किया जाना आवश्यक है। अस्तु

भुगतान मापी लागत के अनुसार ही किया जाना चाहिये था परन्तु नियम की अनदेखी करते हुये मजदूरी मद में मापी लागत से धनराशि रु 531.00 का अधिक भुगतान किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256(2)-(क) के अन्तर्गत अनियमित व्यय है जिसके लिए ग्रा0पं0अधिकारी श्री सन्तोष पाल, ग्राम प्रधान श्री सन्दीप सिंह तथा प्रशासक श्री राजेश सिंह उत्तरदायी हैं। अतः नियमानुसार वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

32- ग्राम पंचायत - औड़ी विकास खण्ड- भदैया लेखा परीक्षा वर्ष - 2020-21

प्रस्तर - 45

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मूल/आफलाइन कोषबही के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि(चतुर्थ राज्य वित्त/14वां वित्त) से बाबूलाल के खेत से नहर की पटरी तक मिट्टी एवं खड़न्जा निर्माण कार्य(आई०डी०-42628177)कराया गया है जिस पर किये गये भुगतान/व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	दिनांक	किये गये भुगतान व्यय का/ विवरण	दर्शित व्यय धनराशि
1	24.12.2020	बाबूलाल के खेत से नहर की पटरी तक मिट्टी एवं खड़न्जा निर्माण की मजदूरी लता मिश्रा/	17085.00
2	24.12.2020	बाबूलाल के खेत से नहर की पटरी तक मिट्टी एवं खड़न्जा निर्माण की मटेरियल दिव्या ईट/ उद्योग	52192.00
		योग	69277.00

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत उक्त कार्य के प्राक्कलन के अनुसार कार्य की कुल लागत रु 148000.00 निर्धारित थी जिसके अन्तर्गत श्रम लागत रु 35000 एवं सामग्री लागत रु 113000 थी। सामग्री लागत रु 113000 के अन्तर्गत एस.ओ.बी. ब्रिक्स की संख्या 19500 रही तथा उसकी लागत प्रति ब्रिक रु 5.565 की दर से रु 108517.50 निर्धारित की गई थी। पत्रावली में संलग्न कार्य की माप पुस्तिका में अंकित माप के अनुसार उक्त कार्य में प्रयुक्त एस.ओ.बी. ब्रिक्स की संख्या 19140 रही तथा उसकी लागत प्रति ब्रिक रु 5.565 की दर से रु 106514.10 निर्धारित की गई थी तथा श्रम लागत रु 34339.74(रु 22770 + रु 11569.74)निर्धारित की गई थी। उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 157(ख) के अनुसार निर्माण कार्य कराये जाने के उपरान्त भुगतान के लिए निर्धारित अधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा कार्य की नाप-जोख/माप किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार भुगतान मापी लागत के अनुसार ही किया जाना चाहिये था। परन्तु उक्त कार्य पर सामग्री एवं मजदूरी मद में भुगतान मापी लागत के आधे से भी कम किया गया है। पत्रावली में संलग्न एस.ओ.बी. ईट आपूर्तिकर्ता फर्म दिव्या ईट उद्योग के बाउचर के अनुसार केवल 9570 एस.ओ.बी. ईट हेतु प्रति ईट रु 5.565 की दर से निर्धारित कुल लागत रु 53257.05 में से 2 प्रतिशत आयकर की कटौती की धनराशि रु 1065 घटाते हुए धनराशि रु 52192.00 का भुगतान किया गया; तथा संलग्न मस्टररोल के अनुसार मजदूरी हेतु धनराशि रु 17085.00 का भुगतान किया गया है। इस सम्बन्ध में सचिव द्वारा बताया गया कि कार्य पर हुये व्यय के अनुसार ही भुगतान किया गया है। इस प्रकार लेखा परीक्षा में कार्य की स्थिति संदिग्ध रही। स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुये धनराशि रु 69277.00 का ग्राम निधि प्रथम से काल्पनिक आधार पर भुगतान/आहरण कर व्यय दर्शित किया गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256(2)-(क) के अन्तर्गत अनियमित व्यय है जिसके लिए ग्रा0पं0अधिकारी श्री शिवमोहन सिंह तथा ग्राम प्रधान श्रीमती लता उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोष बही के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम (14वां वित्त) से दिनांक 04.04.2020 को इस्ट बिन स्थापना हेतु सुधा ट्रेडर्स को धनराशि रु 127400.00 का भुगतान दर्शित है; परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित केवल बाउचर ही प्रस्तुत रहा, कार्य से सम्बन्धित पत्रावली(प्राक्कलन, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी आदि) प्रस्तुत नहीं रही। उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली

1947 के नियम 156 के अनुसार किसी भी निर्माण कार्य को आरम्भ करने के पूर्व योजना मानचित्र और अनुमानित व्यय की नियमानुसार स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है एवं नियम 157(ख) के अनुसार निर्माण कार्य कराये जाने के उपरान्त भुगतान के लिए निर्धारित अधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा कार्य की नाप-जोख/माप किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुये काल्पनिक आधार पर उक्त दर्शित धनराशि रु 127400.00 का ग्राम निधि प्रथम से भुगतान/आहरण कर व्यय दर्शित किया गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256(2)-(क) के अन्तर्गत अनियमित व्यय है जिसके लिए ग्रा0वि0अधिकारी श्री शिवमोहन सिंह तथा ग्राम प्रधान श्रीमती लता उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

33- ग्राम पंचायत - बरसडा विकास खण्ड- भदैया लेखा परीक्षा वर्ष - 2020-21

प्रस्तर - 47

लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा केन्द्रीय वित्त तथा मनरेगा से संयुक्त रूप(कनवर्जेन्स)से कराये जाने वाले सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य पर मनरेगा (कनवर्जेन्स) के अन्तर्गत अकुशल श्रम हेतु प्राक्कलन लागत रु 23788.49 निर्धारित थी जिसके सापेक्ष धनराशि रु 18291.00 का मस्टररोल निर्गत कर भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

कार्य का नाम विवरण /	प्राक्कलन लागत	निर्गत मस्टर रोल	भुगतान की गई धनराशि
सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य मनरेगा/ (कनवर्जेन्स) के अन्तर्गत अकुशल श्रम	23788.49	म0रो0 4808 धनराशि रु 12060.00 म0 रो0 5158 धनराशि रु 6231.00	18291.00

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 157(ख) के अनुसार निर्माण कार्य कराये जाने के उपरान्त भुगतान के लिए निर्धारित अधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा कार्य की नाप-जोख/माप किया जाना आवश्यक है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत पत्रावली में तीन माप पुस्तिकाएँ संलग्न रहीं। माप पुस्तिकाओं की जांच में किसी भी माप पुस्तिका में मनरेगा के अन्तर्गत अकुशल श्रम की माप का विवरण एवं लागत अंकित नहीं पाई गई। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियम के विपरीत मनरेगा के अन्तर्गत अकुशल श्रम की बिना माप किये ही काल्पनिक आधार पर मस्टररोल निर्गत कर धनराशि रु 18291.00 का भुगतान किया गया जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256(2)-(क) के अन्तर्गत अनियमित व्यय है जिसके लिए सचिव/ग्रा0वि0अधिकारी श्री शिवमोहन सिंह तथा ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेम उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

34- ग्राम पंचायत - जगदीशपुर विकास खण्ड- भदैया लेखा परीक्षा वर्ष - 2020-21

लेखा परीक्षा में पाया गया कि आनलाइन प्रियासाफ्ट/ई-ग्राम स्वराज पर अनुरक्षित कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि(चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त/14वां वित्त एवं 15वां वित्त योजना तथा आर.जी.एस.ए.)से विभिन्न कार्यों/मदों पर भुगतान/व्यय किये गये हैं जिनका विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	योजना मद एवं कार्य का नाम/	दिनांक	दर्शित धनराशि
	15वां वित्त योजना		
1	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	24.09.2020	60900.00
		10.10.2020	87213.00
		27.11.2020	92758.00

		योग	240871.00
2	प्रा वि. चाचपारा में कायाकल्प . टाइल्स कार्य	22.02.2021	81274.00
		20.03.2021	108388.00
		योग	189662.00
3	प्रा वि. बरुआ में टाइलीकरण . कार्य	05.03.2021	184533.00
		20.03.2021	36836.00
		योग	221369.00
4	नाजिम के घर से कब्रिस्तान तक नाली निर्माण कार्य	01.10.2020	176354.00
		कुल योग(से 4 1)	828256.00
	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना		
5	पंचायत भवन निर्माण कार्य	18.11.2020	423649.00
		28.11.2020	304954.00
		योग	728603.00
	चतुर्थ पंचम राज्य वित्त एवं/ 14वां वित्त योजना		
6	राम कुमार के घर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य	16.04.2020	217829.00
7	इलियास के घर से कब्रिस्तान तक इण्टरलकिंग कार्य	09.06.2020	217015.00
8	लैलतुननिशा के घर से इन्तेहार के घर तक इण्टरलकिंग कार्य	18.06.2020	263922.00
9	उ० प्रा० वि० में टाइलीकरण कार्य	05.03.2021	61270.00
10	प्रा० वि० चाचपारा में बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्य	05.03.2021	109920.00
		06.03.2021	32743.00
		योग	142663.00
11	हैण्डपम्प रिबोर	04.07.2020	25746.00
		04.07.2020	25001.00
		04.07.2020	25226.00
		05.07.2020	25016.00
		योग	100989.00
12	हैण्डपम्प मरम्मत	04.07.2020	15464.00
		04.07.2020	18375.00
		योग	33839.00
13	विविध व्यय-		
	मास्क व सेनेटाइजर क्रय	04.07.2020	4850.00
	सामुदायिक शौचालय शिलान्यास पत्थर का भुगतान	08.12.2020	2500.00
	प्रशासनिक खर्च	20.03.2021	5800.00
		योग	13150.00

14	प्रधान मानदेय (मानदेय की अवधि अंकित नहीं)	10.10.2020	31500.00
		कुल योग(6 से 14)	1082177.00
		महा योग(से 1 14)	2639036.00

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।” परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों/मदों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, मानदेय रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व दिनांक 30.10.2021 को पत्र के द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी से सूची संलग्न कर लेखा परीक्षा हेतु समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। तत्क्रम में विभिन्न तिथियों में आफलाइन पत्रों के माध्यम से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, परन्तु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया। आडिट आनलाइन वेबसाइट पर निर्धारित आडिट कार्यक्रम तिथि दिनांक 25.01.2022 को ग्राम पंचायत जगदीशपुर के वित्तीय वर्ष 2020-21 के आनलाइन उपलब्ध अभिलेखों/आंकड़ों की जांच की गई, परन्तु लेखा परीक्षा हेतु वांछित आफलाइन अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया। आडिट आनलाइन वेबसाइट पर प्रेषित आनलाइन इंटीमेशन लेटर दिनांक 17.03.2022 के द्वारा पुनः ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी से सूची संलग्न कर लेखा परीक्षा हेतु समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था, परन्तु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया। अन्त में पत्र दिनांक 26.03.2022 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से एवं दिनांक 27.03.2022 को आडिट आनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्प आडिट रिक्वीजीशन के माध्यम से वर्तमान सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री ऋषिकेश मिश्र से आडिट हेतु वांछित समस्त अभिलेखों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया जिसके क्रम में ग्राम विकास अधिकारी श्री ऋषिकेश मिश्र द्वारा अपने पत्र दिनांक 30.03.2022 (छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से अवगत कराया गया कि “विकास खण्ड भदैया की ग्राम पंचायत जगदीशपुर में मेरी तैनाती के पूर्व ग्रा0पं0 अधिकारी श्री सन्तोष पाल सचिव थे; उनके द्वारा चार्ज में मुझे वर्ष 2020-21 की कोष बही एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके कारण लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत करने में असमर्थ हूँ।” इस प्रकार उक्त कार्यों/मदों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, मानदेय रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु 2639036.00 उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए तत्कालीन ग्रा0पं0 अधिकारी श्री सन्तोष पाल तथा ग्राम प्रधान श्रीमती दुलारी उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु 2639036.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रु 1629900.00 तत्कालीन ग्रा0पं0 अधिकारी श्री सन्तोष पाल से तथा रु 1009136.00 ग्राम प्रधान श्रीमती दुलारी से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

35- ग्राम पंचायत - कुछमुछ विकास खण्ड- भदैया लेखा परीक्षा वर्ष - 2020-21

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे

सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।” परन्तु लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि(चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त/14वां वित्त योजना) से कराये गये कतिपय कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मूल/आफलाइन कोषबही के अनुसार उक्त कार्यों पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	योजना मद एवं कार्य का नाम/	दिनांक	दर्शित धनराशि
	चतुर्थ पंचम राज्य वित्त एवं 14वां वित्त योजना		
1	वसीम के घर से कलीम के घर तक नाली निर्माण	15.07.2020	8655.00
		15.07.2020	8436.00
		16.07.2020	4211.00
		योग	21302.00
2	पिचरोड से रामनरायन के घर तक नाली निर्माण	15.12.2020	38328.00
		15.12.2020	47779.00
		15.12.2020	21111.00
		योग	107218.00
3	रामकरन के घर से सरदार के घर तक खड़न्जा निर्माण	15.12.2020	39856.00
		15.12.2020	13065.00
		योग	52921.00
4	प्राविकुछमुख में टाइल्सीकरण कार्य	15.12.2020	30485.00
		15.12.2020	122754.00
		15.12.2020	11859.00
		12.03.2021	48565.00
		12.03.2021	2010.00
		योग	215673.00
5	प्राविकुछमुख में दिव्यांग शौचालय निर्माण कार्य	02.03.2021	15118.00
		02.03.2021	14526.00
		05.03.2021	7141.00
		योग	36785.00
6	प्राविकुछमुख में दिव्यांग शौचालय निर्माण कार्य	02.03.2021	17132.00
		02.03.2021	19568.00
		04.03.2021	8712.00
		योग	45412.00
7	ह्यूम पाइप स्थापना कार्य	02.04.2020	23630.00
8	हैण्डपम्प रिबोर	20.11.2020	50359.00
		20.11.2020	45463.00
		योग	95822.00
9	हैण्डपम्प मरम्मत	02.04.2020	18522.00
		09.07.2020	16905.00
		09.07.2020	19845.00
		31.10.2020	14181.00

		31.10.2020	15190.00
		योग	84643.00
10	विविध व्यय-		
	कोविड 19-बचाव हेतु मास्क, ग्लब्स आदि क्रय हेतु	15.07.2020	4850.00
	कोविड 19-बचाव हेतु पल्स आक्सीमीटर आदि क्रय हेतु	05.08.2020	9950.00
	सामुदायिक शौचालय शिलान्यास पत्थर का भुगतान	07.12.2020	2500.00
	प्रशासनिक व्यय हेतु भुगतान	22.03.2021	7300.00
		योग	24600.00
		कुल योग(से 10 1)	708006.00

लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व दिनांक 30.10.2021 को पत्र के द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से तथा आडिट आनलाइन वेबसाइट पर प्रेषित आनलाइन इंटिमेशन लेटर के द्वारा ग्रा0पं0 अधिकारी से सूची संलग्न कर लेखा परीक्षा हेतु समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। परन्तु लेखा परीक्षा हेतु वांछित आफलाइन अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया। आडिट आनलाइन वेबसाइट पर निर्धारित आडिट कार्यक्रम तिथि दिनांक 25.01.2022 को ग्राम पंचायत कुछमुछ के वित्तीय वर्ष 2020-21 के आनलाइन उपलब्ध अभिलेखों/आंकड़ों की जांच की गई, परन्तु लेखा परीक्षा हेतु वांछित आफलाइन अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया। अन्त में पत्र दिनांक 26.03.2022 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से एवं दिनांक 27.03.2022 को आडिट आनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्प आडिट रिक्वीजिशन के माध्यम से सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती लवनीत शर्मा से आडिट हेतु वांछित समस्त अभिलेखों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया जिसके क्रम में ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती लवनीत शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि “ग्राम पंचायत कुछमुछ के पूर्व सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सन्तोष पाल द्वारा उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक मुझे उपलब्ध नहीं कराया गया है जिसके कारण लेखा परीक्षा हेतु उक्त अभिलेखों को प्रस्तुत करने में असमर्थ हूँ।” इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये उक्त व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु 708006.00 उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए तत्कालीन सचिव/ग्रा0पं0 अधिकारी श्री सन्तोष पाल तथा ग्राम प्रधान श्रीमती कैसर जहां उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु 708006.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रु 424039.00 ग्रा0पं0 अधिकारी श्री सन्तोष पाल से तथा रु 283967.00 ग्राम प्रधान श्रीमती कैसर जहां से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

36- ग्राम पंचायत - अभियाकला विकास खण्ड- भदैया लेखा परीक्षा वर्ष - 2020-21

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मूल/आफलाइन कोष बही के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि(चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त/14वां वित्त एवं 15वां वित्त योजना) से विभिन्न कार्य/मदों पर भुगतान/व्यय किये गये हैं जिनका विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	योजना मद एवं कार्य का नाम/	दिनांक	दर्शित धनराशि
	15वां वित्त योजना		
1	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	10.09.2020	91957.00
		10.09.2020	63535.00
		10.09.2020	32191.00
		16.09.2020	54217.00
		23.11.2020	64003.00
		योग	305903.00
2	इबरार के घर से तालाब तक खड़न्जा निर्माण	16.10.2020	10830.00
		26.10.2020	24851.00
		26.10.2020	14775.00
		योग	50456.00
3	प्रा .वि . अभियाकला में टाइलीकरण कार्य	26.12.2020	25530.00
		26.12.2020	5226.00
		30.12.2020	78233.00
		योग	108989.00
4	उ .प्रा. वि . अभियाकला में टाइलीकरण कार्य	01.03.2021	141459.00
		01.03.2021	76372.00
		15.03.2021	7141.00
		योग	224972.00
5	उ .प्रा. वि . अभियाकला-2में टाइलीकरण कार्य	15.03.2021	207526.00
		16.03.2021	7342.00
		योग	214868.00
		कुल योग(से 5 1)	905188.00
	चतुर्थ पंचम राज्य वित्त एवं/ 14वां वित्त योजना		
6	पिचरोड से मिश्रा के बाग तक इण्टरलकिंग कार्य	25.08.2020	36619.00
		25.08.2020	184456.00
		25.08.2020	27678.00
		26.08.2020	44270.00
		योग	293023.00
7	रामयज्ञ के नलकूप से सीताराम के घर तक खड़न्जा निर्माण	21.09.2020	146061.00
		28.09.2020	36582.00
		योग	182643.00
8		07.12.2020	2500.00

	प्रा वि.सिप्तापुर में टाइलीकरण कार्य	19.12.2020	142829.00
		19.12.2020	43602.00
		19.12.2020	9648.00
		योग	198579.00
9	हैण्डपम्प रिबोर	06.07.2020	20015.00
		06.07.2020	19554.00
		06.07.2020	19652.00
		06.07.2020	19701.00
		25.11.2020	25741.00
		25.11.2020	25770.00
		योग	130433.00
10	हैण्डपम्प मरम्मत	30.04.2020	19061.00
		30.04.2020	18130.00
		06.07.2020	22834.00
		06.07.2020	32246.00
		योग	92271.00
11	विविध व्यय-		
	कोविड 19-बचाव हेतु मास्क व सेनेटाइजर क्रय का भुगतान	06.07.2020	4850.00
	कोविड 19-बचाव हेतु पल्स आक्सीमीटर, व थर्मामीटर आदि का भुगतान	03.08.2020	9950.00
	प्रशासनिक धन भुगतान	31.03.2021	7550.00
		योग	22350.00
12	प्रधान मानदेय (मानदेय की अवधि अंकित नहीं)	13.04.2020	28000.00
		10.11.2020	21000.00
		योग	49000.00
		कुल योग(6 से 12)	968299.00
		महा योग(से 1 12)	1873487.00

पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यो/मदों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, मानदेय रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व दिनांक 30.10.2021 को पत्र के द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी से सूची संलग्न कर लेखा परीक्षा हेतु समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। तत्क्रम में विभिन्न तिथियों में आफलाइन पत्रों के माध्यम से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, परन्तु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया। आडिट आनलाइन वेबसाइट पर निर्धारित आडिट कार्यक्रम तिथि दिनांक 12.01.2022 को ग्राम पंचायत अभियांका के वित्तीय वर्ष 2020-21 के आनलाइन उपलब्ध

अभिलेखों/आंकड़ों की जांच की गई, परन्तु लेखा परीक्षा हेतु वांछित आफलाइन अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया। अडिट आनलाइन वेबसाइट पर प्रेषित आनलाइन इंटीमेशन लेटर दिनांक 16.03.2022 के द्वारा पुनः ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी से सूची संलग्न कर लेखा परीक्षा हेतु समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था, परन्तु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया। अन्त में पत्र दिनांक 26.03.2022(छाया प्रति संलग्न) द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से एवं दिनांक 27.03.2022 को अडिट आनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्प अडिट रिक्वीजीशन के माध्यम से वर्तमान सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रतीक सिंह से अडिट हेतु वांछित समस्त अभिलेखों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया जिसके क्रम में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रतीक सिंह द्वारा अपने पत्र दिनांक 30.03.2022(छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से अवगत कराया गया कि “विकास खण्ड भदैया की ग्राम पंचायत अभियाकला में मेरी तैनाती के पूर्व ग्रा0पं0 अधिकारी श्री सन्तोष पाल सचिव थे; उनके द्वारा चार्ज में मुझे वर्ष 2020-21 की केवल कोष बही एवं बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराया गया है, कार्य पत्रवाली एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके कारण लेखा परीक्षा हेतु कार्य पत्रवाली एवं अन्य अभिलेख प्रस्तुत करने में असमर्थ हूँ। वर्ष 2020-21 की केवल कोष बही एवं बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ।” इस प्रकार उक्त कार्य/मदों से सम्बन्धित पत्रावलियां(प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, मानदेय रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि) एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु 1873487.00 उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए तत्कालीन ग्रा0पं0 अधिकारी श्री सन्तोष पाल तथा ग्राम प्रधान श्रीमती शकुन्तला देवी उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु 1873487.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रु 1160438.50 तत्कालीन ग्रा0पं0 अधिकारी श्री सन्तोष पाल से तथा रु 713048.50 ग्राम प्रधान श्रीमती शकुन्तला देवी से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

37- ग्राम पंचायत - बालमपुर विकास खण्ड- भदैया लेखा परीक्षा वर्ष - 2020-21

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से(चतुर्थ राज्य वित्त योजना/14वां वित्त योजना)से प्राक्वैम्पस में इण्टरलकिंग निर्माण कार्य(आई०डी०-43352147)कराया गया है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मूल/आफलाइन कोषबही के अनुसार उक्त कार्य पर सामग्री मद में किये गये भुगतान/व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	दिनांक	सामग्री मद में किये गये भुगतान व्यय का/ विवरण	दर्शित व्यय धनराशि
1	29.09.2020	प्रधान ब्रिक फील्ड को उपरोक्त कार्य में प्रयुक्त ईट, ईट की गिट्टी का भुगतान	46568.00
2	29.09.2020	जय श्रीकृष्ण राधे ट्रेडर्स को उपरोक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री का भुगतान	61534.00
3	08.10.2020	जय श्रीकृष्ण राधे ट्रेडर्स को पी एस परिसर में इण्टर लकिंग कार्य हेतु भुगतान	171309.00
4	29.10.2020	जय श्रीकृष्ण राधे ट्रेडर्स को उपरोक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री का भुगतान	171309.00

		योग	450720.00

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत उक्त कार्य के प्राक्कलन के अनुसार कार्य की सामग्री लागत 3.47 लाख थी जिसके अन्तर्गत कार्य में प्रयुक्त होने वाले 80मि.मी.थिक इण्टरलकिंग ब्रिक्स की लागत रु 187600.08 निर्धारित थी। पत्रावली में संलग्न कार्य की माप पुस्तिका में अंकित माप के अनुसार उक्त कार्य में प्रयुक्त 80मि.मी.थिक इण्टरलकिंग ब्रिक्स की संख्या 8230 रही तथा उसकी लागत प्रति इण्टरलकिंग ब्रिक्स रु 21.24 की दर से रु 174805.20 निर्धारित की गई। उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 157(ख) के अनुसार निर्माण कार्य कराये जाने के उपरान्त भुगतान के लिए निर्धारित अधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा कार्य की नाप-जोख/माप किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार भुगतान मापी लागत के अनुसार ही किया जाना चाहिये। पत्रावली में संलग्न इण्टरलकिंग ब्रिक्स आपूर्तिकर्ता फर्म जय श्रीकृष्ण राधे ट्रेडर्स के बाउचर के अनुसार मापी धनराशि रु 174805.00 में से 2 प्रतिशत आयकर की कटौती की धनराशि रु 3496.00 घटाते हुए धनराशि रु 171309.00 का भुगतान किया जाना चाहिये था परन्तु लेखा परीक्षा में पाया गया कि आपूर्तिकर्ता फर्म जय श्रीकृष्ण राधे ट्रेडर्स को धनराशि रु 171309.00 का भुगतान दिनांक 08.10.2020 एवं दिनांक 29.10.2020 को दो बार किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु इण्टरलकिंग ब्रिक्स आपूर्तिकर्ता फर्म जय श्रीकृष्ण राधे ट्रेडर्स को धनराशि रु 171309.00 का अधिक भुगतान करके ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाई गई है; जो उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है; जिसके लिए ग्रा0वि0अधिकारी श्री रवि आनन्द श्रीवास्तव तथा ग्राम प्रधान श्री शेषराम उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु 171309.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रु 85654.50 ग्रा0वि0अधिकारी श्री रवि आनन्द श्रीवास्तव से तथा रु 85654.50 ग्राम प्रधान श्री शेषराम से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि मूल/आफलाइन कोषबही(चतुर्थ राज्य वित्त योजना/14वां वित्त योजना) में दिनांक 28.08.2020 को आय पक्ष में धनराशि रु 12651.00 की प्राप्ति/आहरण दर्शित है परन्तु व्यय पक्ष में व्यय/भुगतान नहीं दर्शाया गया है। साथ ही यह भी पाया गया कि आनलाइन प्रियासाफ्ट/ई-ग्राम स्वराज वेबसाइट पोर्टल पर अनुरक्षित कैशबुक में भी उक्त व्यय नहीं दर्शित है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार उक्त धनराशि रु 12651.00 का भुगतान/आहरण दिनांक 28.08.2020 को चेक संख्या-003953 द्वारा किया गया है जबकि आलोच्य वर्ष के अन्य समस्त भुगतान पी.एफ.एम.एस.प्रणाली(बैंक स्टेटमेन्ट में अंकित सी.पी.एस.एम.एस.)द्वारा किये गये हैं; इस प्रकार उक्त भुगतान संदिग्ध पाया गया। लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई अभिलेख/पत्रावली या व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं रहा। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त धनराशि रु 12651.00 को किसी कार्य पर व्यय न करके अपहरण करते हुए ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाई गई है; जो उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है; जिसके लिए ग्रा0वि0अधिकारी श्री रवि आनन्द श्रीवास्तव तथा ग्राम प्रधान श्री शेषराम उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु 12651.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रु 6325.50 ग्रा0वि0अधिकारी श्री रवि आनन्द श्रीवास्तव से तथा रु 6325.50 ग्राम प्रधान श्री शेषराम से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

38- ग्राम पंचायत - भदैया**विकास खण्ड- भदैया****लेखा परीक्षा वर्ष - 2020-21**

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मूल/आफलाइन कोषबही के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में 15 वां वित्त योजना/खाते से पंचायत भवन में जन सेवा केन्द्र निर्माण कार्य पर किये गये भुगतान/व्यय का विवरण निम्नवत है-

कार्य का नाम	दिनांक	दर्शित व्यय धनराशि
जन सेवा केन्द्र निर्माण कार्य	08.03.2021	61134.00
	08.03.2020	60900.00
	योग	122034.00

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत जन सेवा केन्द्र निर्माण कार्य की पत्रावली में संलग्न कार्यालय जिला पंचायतराज अधिकारी सुल्तानपुर के पत्रांक 5384/7-पं0/जनसूचना केन्द्र/2020-21, दिनांक 03 सितम्बर 2020 के अनुसार निदेशक पंचायतीराज उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 27.11.2019 के द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों में जन सेवा केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु धनराशि उपलब्ध कराई गई है। उक्त धनराशि रु 400000.00 ग्राम निधि प्रथम खाते(चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त व 14वां वित्त खाता) में प्राप्त हुई है। अतः नियमानुसार उक्त कार्य हेतु व्यय/भुगतान ग्राम निधि प्रथम खाते से सम्बन्धित मद से ही किया जाना चाहिये था परन्तु ऐसा न करके उक्त धनराशियों का भुगतान 15 वां वित्त योजना/खाते से किया गया है। स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुये उक्त दर्शित धनराशि रु 122034.00 का भुगतान/ व्यय किया गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256(2)-(क) के अन्तर्गत अनियमित व्यय है जिसके लिए ग्रा0वि0अधिकारी श्री कृष्ण कुमार यादव तथा प्रशासक श्री राजेश कुमार सिंह उत्तरदायी हैं। अतः इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

39- ग्राम पंचायत - कराई**विकास खण्ड- अखण्डनगर****लेखा परीक्षा वर्ष - 2020-21****प्रस्तर - 54**

कैशबुक के अनुसार ग्रामपंचायत द्वारा आलोच्यवर्ष में ग्रामनिधि-प्रथम से हयूमपाइप क्रय/स्थापना के नाम पर व्यय दर्शित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं0	दिनांक	कैशबुक विवरण	पासबुक विवरण	व्यय धनराशि
1	26.12.2021	ग्रामपं0 में हयूमपाइप स्थापना	हर्ष इंटरप्राइजेज	46647.00
2	31.12.2021	ग्रामपं0 में हयूमपाइप स्थापना	हर्ष इंटरप्राइजेज	46647.00
	योग			93294.00

पंचायती राज विभाग, उत्तरप्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबन्ध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्रामप्रधान तथा सेक्रेटरी ग्रामपंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखापरीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी, वित्तीय, प्रशा0स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। लेखापरीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से ग्राम पं0/वि0अधिकारी से समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। तथा लेखापरीक्षा प्रारंभ होने के बाद आडिट ऑनलाइन पोर्टल पर आडिट रिकवीजीशन के द्वारा दिनांक 20.12.2021 एवं बार-बार मौखिक रूप से भी, व्यय की पुष्टि में अभिलेख/कार्यपत्रावलियां/व्ययप्रमाणक की मांग की गयी। इस प्रकार उक्त कार्य की कार्यपत्रावलियां/व्ययप्रमाणक

प्रस्तुत न होने के कारण ग्रामपंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखापरीक्षा में अप्रमाणित रहे।लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार“यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्रामप्रधान तथा सेक्रेटरी ग्रामपंचायत से की जायेगी।”अतः धनराशि रु 93294.00 की नियमानुसार वसूली ग्रामप्रधान श्रीमती रीतादेवी से रु 46647.00 व सचिव श्री सुरेन्द्र यादव से रु 46647.00 किया जाना अपेक्षित है।

40- ग्राम पंचायत - बरामदपुर

विकास खण्ड- अखण्डनगर लेखा परीक्षा वर्ष - 2020-21

कैशबुक के अनुसार ग्रामपंचायत द्वारा आलोच्यवर्ष में ग्रामनिधि-प्रथम से जूनियर वि० के क्लास एवं बरामदे में टाइल्स कार्य के नाम पर व्यय दर्शित किया गया है,जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र०	दिनांक	कैशबुक विवरण	पासबुक विवरण/पी.एफ.एम.एस	व्यय धनराशि
1	15.03.2021	क्रय टाइल्स	गिरिजेश कुमार	48168.00
2	15.03.2021	मजदूरी	गिरिजेश कुमार	16137.00
	15.03.2021	टाइल्स	ओम साई ट्रेडर्स	94461.00
	15.03.2021	सामग्री	ओम साई ट्रेडर्स	35639.00
	योग			194405.00

पंचायती राज विभाग,उत्तरप्रदेश के ग्रामपंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबन्ध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्रामप्रधान तथा सेक्रेटरी ग्रामपंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करावें।”परन्तु लेखापरीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां(प्राक्कलन,तकनीकी,वित्तीय,प्रशा०स्वीकृति, आई०डी०, मापी आदि)एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा।लेखापरीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से ग्राम पं०/वि०अधिकारी से समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था।दिनांक-18.12.2021 एवं 24.01.2021 को एवं ऑफलाइन 20.11.2021 को पत्र द्वारा एवं बार-बार मौखिक रूप से भी,व्यय की पुष्टि में अभिलेख/कार्यपत्रावलियां/व्ययप्रमाणक की मांग की गयी किन्तु उक्त कार्य की कार्यपत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्रामपंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखापरीक्षा में अप्रमाणित रहे।लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार“यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्रामप्रधान तथा सेक्रेटरी ग्रामपंचायत से की जायेगी।”इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु 194405.00 उत्तरप्रदेश पंचायतीराज अधिनियम-1947 की धारा-27 तथा उत्तरप्रदेश पंचायतीराज नियमावली-1947 के नियम-256 एवं ग्रामपंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है;अतः धनराशि रु 194405.00 की नियमानुसार वसूली प्रशासक श्री सुग्रीव वर्मा से रु 97202.50 व सचिव श्री संदीश से रु 97202.50 किया जाना अपेक्षित है।

41- ग्राम पंचायत - मुरादाबाद

विकास खण्ड- अखण्डनगर लेखा परीक्षा वर्ष - 2020-21

कैशबुक के अनुसार ग्रामपंचायत द्वारा आलोच्यवर्ष में ग्रामनिधि-प्रथम से प्राथमिक वि० में टाइल्स कार्य के नाम पर व्यय दर्शित किया गया है,जिसका विवरण निम्नवत है

क्र०	दिनांक	कैशबुक विवरण	पासबुक विवरण/पी०एफ०एम०एस०	व्यय धनराशि
1	01.03.2021	प्राथमिक वि० में टाइल्स	पी० के० ट्रेडर्स	149799.00
	योग			149799.00

पंचायतीराज विभाग,उत्तरप्रदेश के ग्रामपंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबन्ध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्रामप्रधान तथा सेक्रेटरी ग्रामपंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु

सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।”परन्तु लेखापरीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित पत्रावली(प्राक्कलन,तकनीकी,वित्तीय,प्रशासकीय,आईटी,मापी आदि)एवं उक्त कार्य पर दर्शित व्यय की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा।लेखापरीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व सहायक विकास अधिकारी(पंचायत)के माध्यम से ग्रामपंचायत/विभागीय अधिकारी से समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था।ऑनलाइन रिक्वीजिशन पोर्टल पर दिनांक-20.12.2021 एवं 24.01.2021 को पत्र द्वारा एवं बार-बार मौखिक रूप से भी,व्यय की पुष्टि में अभिलेख/कार्यपत्रावलियां/व्ययप्रमाणक की मांग की गयीकिन्तु उक्त कार्य की कार्यपत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्रामपंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखापरीक्षा में अप्रमाणित रहे।लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार“यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है,तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्रामप्रधान तथा सेक्रेटरी ग्रामपंचायत से की जायेगी।”इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु 149799.00 उत्तरप्रदेश पंचायतीराज अधिनियम-1947 की धारा-27 तथा उत्तरप्रदेश पंचायतीराज नियमावली-1947 के नियम-256 एवं ग्रामपंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है;अतः धनराशि रु 149799.00 की नियमानुसार वसूली प्रशासक श्री सुशील वर्मा से रु 74899.50 व सचिव श्री संदीप वर्मा से रु 74899.50 किया जाना अपेक्षित है।

42- ग्राम पंचायत - नारायनपुर नागनाथपुर विकास खण्ड- करौंदी कला लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 प्रस्तर - 57

पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों/मदों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपत्र प्रमाणपत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्यों पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	दिनांक	दर्शित व्यय धनराशि	कार्य का नाम
1	20.09.2020	62728.00	हैण्डपम्प रिबोर
2	01.10.2020	62728.00	हैण्डपम्प रिबोर
3	07.10.2020	62728.00	हैण्डपम्प रिबोर
4	01.12.2020	28177.00	हैण्डपम्प मरम्मत
5	01.12.2020	28177.00	हैण्डपम्प मरम्मत
	योग-	244538.00	

इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु. 244538.00 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए गा0वि0अधिकारी श्री वीर बहादुर तथा ग्राम प्रधान श्री कमलेश उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु0 244538.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रु0 122269.00 गा0वि0अधिकारी श्री वीर बहादुर से तथा रु0 122269.00 ग्राम प्रधान श्री कमलेश से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 58

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों/मदों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्यों पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	दिनांक	दर्शित व्यय धनराशि	कार्य का नाम
1	11.07.2020	62700.00	हैण्डपम्प रिबोर
2	11.07.2020	62728.00	हैण्डपम्प रिबोर
3	29.08.2020	19700.00	हैण्डपम्प मरम्मत
4	29.08.2020	19700.00	हैण्डपम्प मरम्मत
5	29.08.2020	62728.00	हैण्डपम्प रिबोर
6	29.08.2020	62728.00	हैण्डपम्प रिबोर
7	29.08.2020	19800.00	हैण्डपम्प मरम्मत
8	29.08.2020	62728.00	हैण्डपम्प रिबोर
9	02.09.2020	195432.00	ह्यूम पाइप स्थापना
10	13.11.2020	62728.00	हैण्डपम्प रिबोर
11	13.11.2020	62728.00	हैण्डपम्प रिबोर
12	09.12.2020	62728.00	हैण्डपम्प रिबोर
13	09.12.2020	62728.00	हैण्डपम्प रिबोर
14	09.12.2020	62728.00	हैण्डपम्प रिबोर
15	16.12.2020	62728.00	हैण्डपम्प रिबोर
	योग-	944612.00	

इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु. 944612.00 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए गा0वि0अधिकारी श्री वीर बहादुर तथा ग्राम प्रधान श्रीमती माधुरी सिंह उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु0 944612.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रु0 472306.00 गा0वि0अधिकारी श्री वीर बहादुर से तथा रु0 472306.00 ग्राम प्रधान श्रीमती माधुरी सिंह से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 59

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों/मदों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्यों पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	दिनांक	दर्शित व्यय धनराशि	कार्य का नाम
1	28.06.2020	19800.00	हैण्डपम्प मरम्मत
2	06.07.2020	19800.00	हैण्डपम्प मरम्मत
3	20.09.2020	90650.00	हैण्डपम्प रिबोर
4	21.11.2020	25100.00	हैण्डपम्प मरम्मत
5	18.12.2020	19800.00	हैण्डपम्प मरम्मत
6	18.12.2020	19800.00	हैण्डपम्प मरम्मत
7	18.12.2020	26400.00	हैण्डपम्प मरम्मत
8	24.12.2020	19800.00	हैण्डपम्प मरम्मत
9	24.12.2020	62728.00	हैण्डपम्प रिबोर
10	24.12.2020	19800.00	हैण्डपम्प मरम्मत
	योग-	32367800.	

इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु. 323678.00 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए ग्रा0वि0अधिकारी श्री केशव राना तथा ग्राम प्रधान श्री रामदेव उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु0 323678.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रु0 161839.00 ग्रा0वि0अधिकारी श्री केशव राना से तथा रु0 161839.00 ग्राम प्रधान श्री रामदेव से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।